राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 8)　　सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का नवां दिवस　　(संख्या 6

1]　　[2

बुधवार,

दिनांक 14 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

उर्दू व संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति

140. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृति देने का प्रबंध किया है ?

(2) क्या सरकार ऐसी ही विशेष छात्रवृति संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को देने के लिए कोई विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक उस विचार को क्रियान्वित किया जायगा ? और यदि नहीं, तो सरकार यह भेदभाव क्यों बरतती है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। यह योजना राज्य सरकार ने 19-11-83 को घोषित की है।

(2) व (3) जी नहीं। संस्कृत के अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां देय हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि संस्कृत में उर्दू के बराबर छात्रवृत्तियां देने का कोई प्रावधान है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा है कि इस तरह की छात्रवृत्तियां संस्कृत डिपार्टमेन्ट में देय हैं। इसका मतलब प्रावधान है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जो उर्दू के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है उनके समान नहीं है, क्या यह बात सही है ?

श्रीमती कमला : यह बात माननीय सदस्य की सही है कि जिस प्रकार से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वह सीमित संख्या में कुछ कम धनराशि की हैं और कुछ स्तर से लेकर कुछ स्तर तक की ही हैं। इसलिए उसके बारे में हमने राज्य सरकार

②

(श्रीमती कमला)

के वित्त विभाग के स्तर पर काफी लिखा पढ़ी की हुई है। जो हमारा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ है वह संस्कृत की कुछ छात्रवृत्तियां देता है और जो हमारा विभाग देता है उसमें भी कुछ फर्क है। तो विद्यापीठ छात्रों को किस स्तर पर दी जाय और विभिन्न स्तरों पर जितनी संख्या में दी जाती है उससे ज्यादा दी जाय, इस तरह का प्रस्ताव हमारे वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत हमने किया हुआ है विभाग की तरफ से और उसकी कार्यवाही चालू है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्नकर्त्ता !

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मंत्री महोदय ने आगे लिखा है कि उनके मिलने की सम्भावना है तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : दोनों में कितना अन्तर है ?

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया कि इसका अभी पत्र–व्यवहार चल रहा है, लिखा-पढ़ी चल रही है, वित्त विभाग और विभाग के बीच में उसकी कोशिश जारी है। कब तक मन्जूर हो जायगी और किस स्तर पर मन्जूर होगी, यह मैं कहने की अभी स्थिति में नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपकी मंशा बताइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : उर्दू के विद्यार्थियों और संस्कृत के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में कितना अन्तर है ? कृपया जानकारी देने की कृपा करें। और अन्तर है तो क्यों ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इस तरह का विषय है कि एक विषय के लिए अगर सरकार ने छात्रवृत्ति चालू की है तो इसका मुकाबला करने के लिए एक दूसरे में समता पैदा करने के दृष्टिकोण से ऐसा प्रश्न पैदा करते हैं। इसके बजाय तो आप इतना ही पूछ सकते थे कि जो संस्कृत विभाग के अन्दर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वह बढ़ायी जानी चाहिए, ज्यादा की जानी चाहिए। उर्दू की ज्यादा क्यों दे दी और इसकी क्यों कम रखी हुई है, यह बात नहीं करनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : हम लोग तो जानना चाहते हैं कि दोनों में अन्तर कितना है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह जो संस्कृत और उर्दू में अन्तर है, यह आप जानना चाह रहे हैं। यह मैंने भी विभाग से मांगा था। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी, क्या यह सही है कि संस्कृत के अध्यापकों का

(श्री हरीश शर्मा)

अभाव है और आप संस्कृत का बिलकुल सत्यानाश करना चाहती हैं ?

श्रीमती कमला : समझ नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, क्या बोला ।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछिये । श्री हरीश शर्मा !

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सत्य है कि संस्कृत के अन्दर अध्यापक नहीं आ रहे हैं और विद्यार्थियों को कोई मदद नहीं दी जाती है ।

श्रीमती कमला : यह अध्यापकों का प्रश्न नहीं है । छात्रवृत्ति का प्रश्न है ।

श्री हरीश शर्मा : मैंने तो पढ़ा है । कोटा में 4 संस्कृत विद्यालय हैं वहां पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जो माननीय श्री हरीश शर्मा ने प्रश्न पूछा है इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी !

श्री दाऊदयाल जोशी : यह अन्तर क्यों है उर्दू और संस्कृत में ? यह कृपया बतायें ।

श्रीमती कमला : यह अन्तर इसलिए है कि जो संस्कृत की छात्रवृत्तियां इस समय में प्रस्तावित की हुई हैं वह पूर्व में काफी समय से की हुई हैं । उस समय आदेश कर दिये गये, उस तरह से प्रचलित है । उर्दू की अभी वर्तमान में जारी की हैं । जैसा समझ आया कि इतनी करनी चाहिए, कम से कम आज के समय में, उस हिसाब से ठीक की हैं, पहले के समय से ज्यादा हुई हैं । उस समय महंगाई कम थी उसको रिवाइज करने की हमको जरूरत पड़ गयी, इसलिए यह जारी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न-कर्त्ता ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं कहना चाहूँगा, क्या यह सही है कि कम से कम राज्यपाल महोदय ने अपने दिनांक 26 जनवरी, 1984 के सन्देश, जो कि प्रान्त को दिया गया था, यह बात कही थी कि उर्दू के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति दी जायगी ? प्रश्न इसलिए पैदा हुआ है, यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री घनश्याम जैन,

पंचायत समिति बेगूं में उप-प्रधान का रिक्त पद

141. श्री घनश्याम जैन (बेगू) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बेगू में उप प्रधान का पद कब से रिक्त पड़ा है ? रिक्त होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उप प्रधान पद का चुनाव कराने का इरादा रखती

(श्री घनश्याम जैन)

है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

चुनाव मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) पचायत बेगू के उप प्रधान का पद पंचायत बेगू के 21-4-83 को नगरपालिका के रूप में गठन करने के कारण रिक्त हुआ ।

(2) जी हां । यथाशीघ्र ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आप कानून में संशोधन करके जारी कर दें ताकि सभी पंचायत समितियों के सारे पदों को भरा जाय ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री शिवदानसिंह ।

श्री घनश्याम जैन : मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री घनश्याम जैन : जब यह पद 21-4-1983 से खाली पड़ा है और आज तक भरा नहीं है तो तारीख की घोषणा तो करें ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह पद रिक्त होने के बाद में कलेक्टर साहब ने 23-1-1984 को सूचना दी कि यह पद रिक्त हो गया है इसलिए कि यह म्यूनिसिपल बोर्ड में परिवर्तित हो गया । उसके बाद में 28-2-1984 को प्रस्ताव किया गया कि चुनाव करा दिये जायं लेकिन क्योंकि विधान सभा का सत्र होने की सम्भावना थी इसलिए हमने माननीय सदस्यों,' जिनको कि वोट देना पड़ता है, की सुविधा के लिए यह निश्चय किया कि विधान सभा सत्र के बाद ही शीघ्र ही चुनाव करा दिये जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम ।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति रानीवाड़ा में प्रधान और प्रमुख के पद खाली हैं । हमने राज्य सरकार से कई बार मांग भी की किन्तु आज तक राज्य सरकार ने चुनाव कराने की कोई घोषणा नहीं की । क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

एक माननीय सदस्य : यह तो नीति सम्बन्धी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम जैन : दो सदस्य और भी थे जिनके पद रिक्त हुए थे । बाकी सदस्यों के लिये सूचित कर चुके हैं, चुनाव भी हो चुके हैं । फिर प्रधान के लिये क्यों नहीं हुए, क्या कारण है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सदस्य को अगर शिकायत है तो मुझ से आकर मिल लें ।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर

(श्री भगवानदास शास्त्री) :

पश्चिम) : यह हाउस का प्रश्न है, आपके चैम्बर का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शिवदानसिंह।

ग्राम नीमाज स्थित मन्दिर का बन्दोबस्त

142. श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम नीमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली में जो सिरह बिहारी जी का मन्दिर है उसका बन्दोवस्त देवस्थान विभाग के तहत लेने बाबत ग्राम नीमाज की जनता की मांग पर एस. डी. ओ. जैतारण व सहायक कमिश्नर, देवस्थान जोधपुर ने राज्य सरकार को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कब ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त मन्दिर को आज तक देवस्थान विभाग के तहत न लेने के क्या कारण है तथा अब कब तक उक्त मन्दिर को देवस्थान के विभाग के तहत ले लिया जायगा ?

राज्य मन्त्री देवस्थान (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, उपखण्ड अधिकारी जैतारण व सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर ने दिनांक 3–10–1980 को इस मन्दिर को देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में लेने हेतु सिफारिश की थी। तत्पश्चात् आयुक्त, देवस्थान ने दिनांक 14–7–1983 को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।

(2) राज्य सरकार इस मामले में सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रही है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि इस प्रकरण का निपटारा मंत्री स्तर पर होगा अथवा कमिश्नर स्तर पर होगा ? चूंकि कमिश्नर ने लिखा है कि इस मामले का निर्णय मंत्री स्तर पर लिया जाय और मंत्री ने इस आदेश के साथ फाइल देवस्थान कमिश्नर को भेज दी है कि वे निर्णय लें। चार साल से यह मामला चल रहा है और फाइल मंत्री महोदय और देवस्थान कमिश्नर के बीच फिर रही है। काम्पीटेंट आथोरिटी कौन है, किस स्तर पर निपटारा किया जायगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसा कि माननीय सदस्य की जानकारी में है, यह राजकीय प्रबन्धित मन्दिर नहीं है। सवाल इस बात का है, मन्दिर किसने बनाया है, स्वामित्व किसका है, जो शिकायतें की गई हैं, उनका उद्देश्य क्या है। एस. डी. ओ. की एक बार रिपोर्ट आई, पुजारी ने जमीन बेच दी। फिर दूसरी रिपोर्ट आई, कोई जमीन नहीं बेची। यह स्वामित्व का मामला है, किसका प्रबन्ध रहा है, कान्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स को आप जानते हैं, सब चीज देखनी पड़ती हैं। कमिश्नर को इसलिये भेजी है कि सभी मुद्दों की जानकारी कर लें। निर्णय तो राज्य सरकार को लेना है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार अपना निर्णय कब तक लेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 143

श्री दीपेन्द्र सिंह, श्री शिवराम शर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 144

अगला प्रश्न : श्री रामपाल उपाध्याय ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) ।

अगला प्रश्न ।

श्री पीरूराम ।

राजस्थान फीडर पर खारा लिन्क सिस्टम

145. **श्री पीरूराम** (टी. बी.) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान फीडर पर आर. डी. 559 पर बना खारा लिन्क सिस्टम को क्या सरकार नीचा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब और कितना नीचा करना चाहती है ?

(2) क्या सरकार इसको नीचा करके खारा सिस्टम में 55 क्यूसेक पानी डालने की स्वीकृति देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने के लिये प्रार्थना की है ।

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित किया गया ।

अगला प्रश्न ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

बारां के न्यायालयों में लम्बित वाद

146. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां (कोटा) के न्यायालयों में भूमि रहन मुक्ति सम्बन्धी कितने वाद लम्बित हैं और कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) नियमानुसार ये वाद कितने समय में निर्णीत हो जाने चाहिए ?

(3) क्या यह सही है कि इन वादों के अधिक समय तक लम्बित होने का एक कारण यहां के न्यायालयों में सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना भी है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) बारां (कोटा) के न्यायालयों में भूमि रहन मुक्ति सम्बन्धी 46 प्रकरण विचाराधीन हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(2) जहां तक सम्भव हो दोनों पक्षों की उपस्थिति के पश्चात् तीन माह में यह वाद निर्णीत होने चाहिए।

(3) वादों का अधिक समय तक लम्बित होना केवल न्यायालयों में अधिकारियों की समय पर नियुक्ति न होना ही कारण नहीं है वरन पक्षकारों द्वारा साक्ष्य हेतु समय लेना भी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, बारां के दो ए. सी. एम. कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं और कितने समय से बारां में ए. सी. एम. नहीं है, यह बता दें ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, ए. सी. एम. कोर्ट नं. 1 में 6 केसेज पेन्डिग हैं और ए. सी. एम. कोर्ट नं. 2 में 21 केसेस पेन्डिग हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जहां तीन महीने के अन्दर केस का निपटारा हो जाना चाहिये वहां डेढ़, दो साल से ए. सी. एम. नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उप खण्ड अधिकारी, बारां हैं उनकी कोर्ट में 19 केसेस पेन्डिग हैं। वहां पर काफी समय से ए. सी. एम. की नियुक्ति नहीं हो पाई है। एक ए. सी. एम. की नियुक्ति हुई थी, उसका भी स्थानान्तरण हो गया। दो ए. सी. एम. की नियुक्ति कर दी जायगी। 21 और 6 केसेज पेन्डिग होने का यही कारण नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जब पार्टीज डिस्प्यूट्स पैदा करती हैं तो मामले में पूरी साक्ष्य लेकर फैसला करना पड़ता है। कई बार कोई मौका चाहता है तो मौका भी देना पड़ता है। यह भी कारण है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जिस ए. सी. एम. को जो क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र के केसेज उसी के कोर्ट में जाते हैं। डेढ़ साल से बारां में दो एस. सी. एम. नहीं हैं। मैं आपकी बात का कैसे विश्वास कर लूं कि आप ए. सी. एम. की शीघ्र नियुक्ति कर देंगे। गत सत्र में भी आपने मेरे प्रश्न का लिखित में उत्तर दिया था कि दोनों कोर्ट्स खाली हैं। हम इनको शीघ्र भर देंगे। मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि आप भर देंगे ? दो साल से ए. सी. एम. नहीं है। यह तो केवल भूमि रहन मुक्ति के मामले हैं, जमीन सम्बन्धी विवाद के मामले भी हैं। वहां के किसानों में घोर असन्तोष है। सरकार सो रही है। मैंने कई बार कलेक्टर से मिलकर भी कहा कि इन कोर्ट्स की व्यवस्था की जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य का यह कहना कि कोर्ट्स लगातार खाली रही हैं, ठीक नहीं है। कोर्ट नं. 1 में 17-7-1982 से 20-6-1983 तक खाली रही। वहां पर ए. सी. एम. नियुक्त किया गया वापस अक्टूबर में ट्रांसफर होने के कारण।

एक माननीय सदस्य : कितने दिन बाद जोइन किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं गलत फैक्ट नहीं दूंगा । सुनिये तो सही ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था । पोस्टें खाली हुई, उसके कई कारण हो सकते हैं, ट्रांसफर भी करना पड़ता है । कोर्ट नं. 2 में 4-7-82 से 27-7-83 तक खाली रही । दिसम्बर, 83 से फिर खाली है, यह मैं स्वीकार करता हूँ । इसीलिये मैंने माननीय सदस्य से कहा कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके जल्दी ही पोस्टिंग करवा दूंगा ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक तो अधिकारी लोग जाते ही नहीं है और जाते भी है तो जल्दी ही ट्रान्सफर कर देते हैं। कोर्ट खाली पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री हीरालाल आर्य ।

चाणदा खुर्द पंचायत के विद्युतीकरण की योजना

147. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ का विद्युतीकरण प्रायः हो गया है ? यदि हां, तो चाणदा खुर्द पंचायत का विद्युतीकरण नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत के विद्युतीकरण की योजना पीपल्दा तहसील के अन्य गांवों के साथ बनाई गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत चाणदा खुर्द के गांवों का विद्युतीकरण नायब तहसील के अन्य गांवों के ही साथ किये जाने की मांग वहां की जनता समय समय पर करती रही है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार नायब तहसील इन्द्रगढ़ के गांवों के साथ ही चाणदा खुर्द पंचायत के गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां चाणदा खुर्द 25-1 1957 चाणदा कलां 25-1-1955 का विद्युतीकरण दीपरी 25-1-1969 पर आवश्यक 0.63 एक वी ए 33/11 के. वी. सब स्टेशन के निर्माण के पश्चात ही सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) ग्राम चाणदा खुर्द एवं चाणदा कलां का विद्युतीकरण दीपरी 33/11 के. वी. सब स्टेशन के निर्माण से सम्बन्धित है । अतः इन्द्रगढ़ 33/11 के. वी. सब स्टेशन से विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों के साथ उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चाणदा खुर्द ग्राम पंचायत है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसका भौगोलिक सम्बन्ध इन्द्रगढ़ के साथ, पीपल्दा के साथ था लेकिन पीपल्दा के साथ नदी पड़ती है इसलिये सम्भव नहीं है। क्या इन्द्रगढ़ नायब तहसील का विद्युतीकरण हो चुका है ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ उसका सम्बन्ध है। उधर नदी से सम्भव नहीं है। गांवों के हित में बिजली देना आवश्यक है इसलिये क्या इधर से देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने नक्शा मंगाकर देखा है कि कितनी लम्बी लाइन इन्द्रगढ़ सब स्टेशन से होगी। चम्बल नदी के आखिरी छोर पर सब तहसील के किनारे दोनों गांव चाणदा खुर्द और चाणदा कलां हैं। दीपरी जो स्टेशन बनने वाला है उसके वह करीब है और इटावा की जो पूरी स्कीम है यह उसके समीप है, यह बात ठीक है। यह चम्बल नदी के बिलकुल किनारे पर ही लगे हुए हैं तो दीपरी स्टेशन से हम अच्छी तरह विद्युत दे पायेंगे इसलिये इधर से ही यह ज्यादा फिजेबल और सहूलियत की रहेगी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रगढ़ के जो गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं उससे नायब तहसील के ये गांव बहुत दूर पड़ते हैं। ग्राम के अन्दर दीपरी का जो स्टेशन है 11 के. वी. पावर स्टेशन वह बहुत पहले बन जाना चाहिए था लेकिन आपके काम करने की नीति ठीक नहीं है। दीपरी का पावर स्टेशन नवलपुरा के पास है, दो–चार फर्लांग पर है। वहां के किसान पावर के लिये बार बार चिल्ला रहे हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपका तकाजा सही है जितनी तेजी से काम होना चाहिये था उतनी तेजी से नहीं हुआ है चाहे गांवों के विद्युतीकरण का काम हो और चाहे कुओं के विद्युतीकरण का। यह स्वीकृत योजना है और पांच वर्ष की योजना थी। 1984–85 में कम्पलीट होने को है। अभी बहुत कम गांव इलेक्ट्रिफाइ हुए हैं। दो सब स्टेशन बनने बाकी है। मैंने, अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को तकाजा किया है कि आने वाले 1984-85 के वर्ष से अधिकाधिक काम करके अधिकाधिक उपलब्धि करने की चेष्टा करें और दो गांव तहसील के बचे हुए हैं, उनको भी समीप से जोड़ने की कोशिश करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसके पास के जितने गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं ?

श्रीमती कमला : इसको वहां से लोड नहीं मिल पायगा क्योंकि और गांवों को बिजली दी गई है। वहां के लोगों की भी अभी शिकायत है। इसलिये इसे रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री त्रिलोक सिंह।

(10)

दी मेवाड़ शुगर मिल लि. भूपालसागर क्षेत्र में गन्ने का विक्रय

148. **श्री त्रिलोक सिंह** (फतेहपुर) :

क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है जिसके तहत दी मेवाड शुगर मिल लि. भूपालसागर क्षेत्र के किसान अपना गन्ना कहीं भी अन्य जगह ले जाकर बेच नहीं सकते ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह मिल किसानों को समय पर गन्ने की कीमत देने में असफल रही है ?

(3) क्या सरकार इस तरह के कानून को समाप्त करने का विचार रखती है ?

(4) क्या मिलों द्वारा गन्ने की कीमत कृषकों को समय पर नहीं देने के विरुद्ध सरकार कोई दण्डात्मक कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : अध्यक्ष महोदय, यह एक अजीब बात है कि उपक्रम होते हुए भी यह प्रश्न अभी मेरे पास नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर उत्तर दे दें।

स्थगित किया गया।

नैक्स्ट। श्री माणक मल मेहता।

पाली शहर में रोडवेज के डिपो का निर्माण

149. **श्री माणक मल मेहता (पाली)** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पाली शहर में राजस्थान रोडवेज के डिपो के लिये पाली नगर परिषद ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम को जमीन देने का निर्णय लेकर जमीन चिह्नित कर दी है ?

(2) यदि हां, तो राज्य परिवहन निगम कब तक इस भूमि को लेकर डिपो बनाने का कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जय कृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) परिवहन निगम द्वारा पाली में डिपो बनाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न राजकीय उपक्रम मंत्री के नाम लिखा हुआ है। मंत्री जी कह रहे है कि उनके विभाग में नहीं पहुंचा है। मैं यह जानना चाहता हूं यह आज पता लगा है क्या ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : हमारे पास सूचना आज ही आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास तो आज ही आई है क्वेश्चन तो 10 दिन पहले जाता है।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री माणक मल मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 1981 में पहाड़िया जी ने घोषणा की थी, उसके बाद शिव चरण जी माथुर ने घोषणा की, उसके बाद कोरसपोन्डेन्स चलती रही......

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज ।

श्री माणक मल मेहता : म्यूनिसिपैलिटी ने यह राजस्थान पथ परिवहन निगम को दे दी । उसकी कीमत के लिये 8–10 पत्र लिखे । अध्यक्ष महोदय, पाली डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है और वर्षों से इसकी मांग की जाती रही है और जमीन जब दे दी गई है तो मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं रहती कि राजस्थान रोड ट्रान्सपोर्ट अब इस पर कार्यवाही शुरू न करे । मैंने स्वयं पत्र लिखे तो कहा गया कि कार्यवाही हो रही है । जमीन हमको मिली हुई है । जमीन का कब्जा देने के लिये म्यूनिसिपैलिटी ने 5–7 पत्र लिख दिये फिर समझ में नहीं आता क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है ?

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में पाइन्ट आर्डर नहीं होता ।

श्री राज बहादुर : आपने XXX को एक्सपन्ज करवाया है तो कोई XXX अनपार्लियामेन्टरी तो है नहीं । इसकी पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है ।

इस बारे में अध्यक्ष व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 10–6–1983 को नगर परिषद, पाली ने एक प्रस्ताव भिजवाया कि आपको यह भूमि निःशुल्क दे दी जायगी । इसके पश्चात उनके दिमाग में यह बात दुबारा आई और 22–1–1984 को पत्र लिखा कि जो भूमि दी जायगी 11777 वर्ग गज इसकी कीमत ली जायगी और कीमत भी 7) रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से ली जायगी । पहले पत्र भेजा मुफ्त में दे देंगे, उसके बाद कीमत लगाई तो हमारा कारपोरेशन है उसमें जो आपका पहला प्रस्ताव है और जो दूसरा प्रस्ताव है इस पर पुनः विचार करेगा । जो जमीन है उसको तो हम लेने को तैयार है । जहां तक डिपो बनाने का सवाल है, यह क्राइटेरिया बना रखा है कि कहां कहां बनाएं । पाली में केवल 52 सेवाएं संचालित की जाती हैं इसलिये जिला हैड क्वार्टर होते हुए भी इस परिधि में नहीं आता है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आश्वासन दिया गया था, तो ऐसी कोई इत्तला तो है नहीं । जैसा माननीय सदस्य आश्वासन के लिये कह रहे हैं जिला हैड क्वार्टर जो हैं उन सब पर बसेज की व्यवस्था अच्छी हो, यात्रियों को सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था करने के लिये विचार कर रहे हैं । हमारी वित्तीय स्थिति इस साल थोड़ी ठीक भी है और लाभ की स्थिति में नहीं है तो बरा-

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(12)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वर की स्थिति में तो आ जायेंगे। इसलिये 1984–85 में कुछ विचार करेंगे तो नगर परिषद को भी कहेंगे कि वह धन की तरफ नहीं देखें और यात्रियों को यातायात की अच्छी व्यवस्था मिल सके इसलिये कीमत को भी ठीक कर दें। हम भी आश्वासन देते हैं कि 1984–85 में पाली के बस स्टेण्ड को ठीक किया जायगा।

श्री माणक मल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है पाली म्यूनिसिपल बोर्ड ने निःशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव दिया लेकिन निःशुल्क देने के लिये बोर्ड ने गवर्नमेंट को लिख दिया और गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया, म्यूनिसिपेलिटी मना नहीं करती है। सरकार निःशुल्क जमीन देने के लिए काम्पीटेन्ट है तो आप सरकार से ले सकते हैं। यह कार्पोरेशन सरकार का ही है इसलिए अगर जमीन कार्पोरेशन को सरकार मुफ्त देती है तो म्यूनिसिपेलिटी को कोई आपत्ति नहीं है। वह मुफ्त जमीन देने के लिए लिख चुकी है और सरकार ने 7.50 रुपये गज के हिसाब से जमीन देने की स्वीकृति दी है। मेरे ख्याल से पाली जैसे शहर में इतनी बड़ी जमीन के लिए यह रेट ली जाती है तो यह काम आपको आरम्भ करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू करायें ताकि वहां की जनता को और यात्रियों को सुविधा मिल सके।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैंने आश्वासन दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

पर्यटन विभाग में निमन्त्रण पत्रों पर व्यय

150–श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1983-84 में पर्यटन विभाग ने कुल कितने निमन्त्रण पत्र छपवाये व उन पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ? इन पर प्रति कार्ड क्या खर्च आया ?

(2) उक्त कार्डों में कुल कितने कार्ड राज्य के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, गणमान्य नागरिकों को और कितने कितने पर्यटकों व पर्यटन–प्रोत्साहन करने वाली प्रचार प्रसार संस्थाओं को भेजे गये ?

(3) उक्त वर्ष में जयपुर समारोह पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और कुल कितने अतिथि, अधिकारी व विदेशी व स्वदेशी पर्यटक उपस्थित थे ? उक्त समारोह के लिये कुल कितने निमन्त्रण कार्ड बांटे गये थे व कितनी लागत से ?

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) वर्ष 1983-84 में पर्यटन विभाग ने कुल रुपये 28806.20 पैसे व्यय किये। प्रति निमन्त्रण पत्र लगभग 92 पैसे व्यय हुआ।

(2) उक्त कार्ड्स का वितरण निम्न प्रकार किया गया :—

1—राज्य के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों एवं गणमान्य नागरिकों को 2662,

2—पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

व्यक्तियों/संस्थाओं, प्रचार-प्रसार संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 14566,

3—आयोजन स्थल पर स्थानीय अधिकारियों, पर्यटकों, राज्य अधिकारियों, प्रचार-प्रसार संस्थाओं/व्यक्तियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को 14222।

(3) उक्त वर्ष में जयपुर समारोह पर कुल 51278 रुपये तथा 89 पैसे की राशि व्यय की गयी। विभाग के समारोहों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों का कोई श्रेणीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता किन्तु एक मोटे अनुमान के अनुसार उक्त समारोह में लगभग 200 विदेशी पर्यटक एवं 600 स्वदेशी पर्यटक उपस्थित थे। जयपुर समारोह के लिये 3500 निमन्त्रण पत्र बांटे गये थे जिन पर 2905 रुपये व्यय हुए।

श्रीमती विद्या पाठक : मन्त्री महोदय, आपने प्रश्न के खण्ड (3) के उत्तर में जो कार्ड फ्री बांटने का बताया है इनमें से कितने व्यक्तियों को डाक से कार्ड भेजे गये? क्या इस खर्च में लिफाफे का खर्च और पोस्टेज खर्च भी सम्मिलित है?

दूसरी बात आपने कही कि स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को जयपुर समारोह के इन्विटेशन कार्ड भेजे गये तो यह कार्ड कहां कहां और किस किस के माध्यम से भेजे, प्रदेश के बाहर कितने भेजे और प्रदेश के अन्दर कितने, किस माध्यम से भिजवाये?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जयपुर समारोह के अन्तर्गत हमने 3500 कार्ड वितरित करवाये उनके ऊपर 2905 रुपये की राशि व्यय हुई। जो कार्ड वितरित कराये हैं उनमें से खास तौर से 242 कार्ड राज्य के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों एवं गणमान्य नागरिकों को, 1601 कार्ड पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं, प्रचार-प्रसार संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भेजे जिनमें यहां के और बाहर के सभी ट्रेवलिंग एजेन्ट्स सम्मिलित हैं, 1657 कार्ड्स आयोजन स्थल पर स्थानीय अधिकारियों, पर्यटकों, राज्य अधिकारियों, प्रचार-प्रसार संस्थाओं/व्यक्तियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को दिये गये। जहां तक पोस्टेज के खर्च का प्रश्न है यह प्रश्न में पूछा नहीं था। मेरी जानकारी के अनुसार यह खर्च इसमें सम्मिलित नहीं है। केवल कार्ड्स का मुद्रण खर्च मैंने बताया।

श्रीमती विद्या पाठक : वह सम्मिलित नहीं है तो समारोह का खर्च का विवरण भी सही नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली पूछा है। यह समारोह आप टूरिज्म प्रमोशन के लिए करते हैं, इसमें अधिकारी, राजनीतिज्ञ और गणमान्य नागरिक कितने होते हैं, यह आपने मिला जुला बता दिया है। यह कार्ड्स कुछ विधान सभा क्षेत्र के लोगों के बीच चले जाते हैं। टूरिज्म प्रमोशन के लिए जरूरी है विदेशी पर्यटकों को भेजें। विदेशी पर्यटकों को किन किन होटलों में आपने भेजे, यह मैंने पूछा क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार होटलों में और सेक्रेटेरियट में इन्विटेशन कार्ड्स के बंडल के बंडल मिलते हैं जो डिस्ट्रिब्यूट नहीं होते। मैंने आपसे पूछा है कि आपने किसके

16

(श्रीमती विद्या पाठक)

माध्यम से स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को भेजे। दूसरों का मैं नहीं पूछती क्योंकि आप उन्हीं के लिए यह समारोह करते हैं। मैं नामजद जानना चाहूंगी कि किसके माध्यम से भेजे और विदेश में प्रदेश के बाहर और प्रदेश में किस माध्यम से भेजे ?

श्री अध्यक्ष : माध्यम तो आपने प्रश्न में पूछा ही नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : यह समारोह टूरिज्म प्रमोशन के लिए होते हैं। मैंने पूछा है कि विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के लिए क्या कार्ड्स पहुंचे ? मैंने तो पूछा है कि कार्ड किस माध्यम से भेजे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग अलग स्तर के मेहमान होते हैं। किसी को स्वयं जाकर देते हैं कि यहां समारोह है, किसी को डाक से भेजते हैं और किन्हीं को एक साथ भेज देते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : स्वदेशी नागरिक होंगे मगर पर्यटक कितने थे ? स्टेडियम में कम से कम एक लाख लोगों ने तो आतिशबाजी देखी होगी और मन्त्री महोदय बता रहे हैं कि 200 तो विदेशी थे और 600 स्वदेशी थे। टूरिज्म प्रमोशन पर कोई ध्यान नहीं देते कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाय। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न फिर रह गया, इसका उत्तर आप दे दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे समारोहों और कार्यक्रमों के लिए अपनी एक स्टैंडिंग लिस्ट बनायी हुई है उसमें अधिकांश गणमान्य नागरिक, राजनीतिज्ञ और ट्रैवल एजेन्ट्स और होटल के········

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या का नाम भी है उसमें ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : कार्ड माननीय सदस्या को भेजा गया है।

इस तरह हमने सभी सम्बन्धित होटल्स को भी विभाग के माध्यम से कार्ड्स भिजवाये। जहां तक आपका यह कहना है कि उस दिन एक लाख आदमी स्टेडियम में आये तो मैंने तो एक लाख आदमी बताये नहीं हैं। जो सही आंकड़े थे वह मैंने सदन में रख दिये हैं। जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है गत वर्ष 237000 विदेशी पर्यटक आये जब कि इस वर्ष अब तक के आंकड़ों के अनुसार 266321, दो लाख छांसठ हजार तीन सौ इक्कीस विदेशी पर्यटक राजस्थान को देखने के लिए आ चुके हैं। गत वर्ष लगभग 2700000 देशी पर्यटक आये थे और इस वर्ष अब तक 2932622 पर्यटक आ चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि विदेशी और देशी पर्यटक राजस्थान को देखने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष पर्यटन विभाग ने जिन समारोहों का आयोजन 17 से 21 नवम्बर तक किया है उनमें पुष्कर, जयपुर और बीकानेर समारोह हैं। इन तीन समारोहों को गत वर्ष करीब 2800 पर्यटकों ने देखा लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30500 विदेशी पर्यटको ने पुष्कर मेले को, 8.0 जयपुर समारोह को और बीकानेर समारोह को 16200 देखा। मैं समझता हूं यह काफी अधिक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

संख्या है और माननीय सदस्या इससे संतुष्ट होंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : न संख्या काफी है और न व्यवस्था ठीक है। आपने कहा कि 3 फंक्शन्स हुए बीकानेर समारोह, पुष्कर समारोह और जयपुर समारोह। जिस बात को आपने बड़ी शान से कहा है कि तीन समारोह एक दिन में किये, यह आपकी प्लानिंग और व्यवस्था का खोखला उदाहरण है। मेरा प्रश्न रह गया, जयपुर में आमेर में फंक्शन करके विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आपने किस तरह से इन्वाइट किया? बाहर के किसी ट्रेवलिंग एजेन्ट को इन्विटेशन नहीं गये हैं, वह उसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। होटलों में बंडल भेजे जाते हैं। यह ठेके पर चलाया गया कार्यक्रम है जो विभागों ने नहीं किया। बम्बई, कलकत्ता और यहां की एजेन्सियों के माध्यम से आप चलाते है उससे कौन पर्यटक आयगा। आप अपनी एजेन्सी को प्रोत्साहित करिये। विदेशी पर्यटक कैसे आयेंगे? आप कितने फोल्डर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपने जितने भी नम्बर बताए हैं वे साल भर के अप्रा-नजीमेंट तरीके के आधार पर हैं। मैंने यही पूछा है कि आपने कार्ड भिजवाये कैसे?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हम जो भी समारोह आयोजित करते हैं उसकी वर्ष भर तक पब्लिसिटी करते हैं और प्रान्तीय और नेशनल अखबारों के माध्यम से उसकी पब्लिसिटी करते हैं। हम लोगों ने दस वर्षों का और कुछ समारोहों का पांच वर्षों का कलेण्डर प्रकाशित किया हुआ है। इसके अन्दर जो तारीखें हैं उनको विश्व पर्यटन संस्थाओं को भारत सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सर्कुलेट करते हैं। समय समय पर हम हमारे देश में जितनी भी ट्रेवल एजेंसीज हैं और राज्य के बाहर भी जो ट्रेवल एजेंट हैं उनको अप्रोच करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोग इन समारोहों में शामिल हों। आपने शायद नेशनल डेलीज में एक एक पेज के विज्ञापन देखे होंगे। उसके माध्यम से पूरे देश के लोगों को पता चलता है। प्रान्त में और प्रान्त से बाहर समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिसिटी करते हैं प्रचार करते हैं और इसका प्रचार-प्रसार करते हैं जिसके कारण देशी और विदेशी पर्यटक यहां पर आते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री जी, मैंने टेलीविजन पर कार्यक्रम देखा है जिसमें पर्यटक लोगों को कहीं नहीं दिखाया गया है। वह फोकस किया जाता है वह आपके आर्टिस्टों पर किया जाता है जो कि किराये के आर्टिस्ट हैं, आपके विभागीय आर्टिस्ट नहीं हैं........

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। पर्याप्त है।

श्रीमती विद्या पाठक :....इतनी पब्लिसिटी के बाद भी केवल दो सौ विदेशी पर्यटक आवें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : कार्ड

(16)

(श्री महाराम चौधरी)

होटलों में पड़े रहे और रद्दी में बेच दिए, उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष अगला प्रश्न । 151 ।

समर्थित मूल्य पर मोटे अनाज की खरीद

151. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में समर्थित मूल्य पर मोटा अनाज कितना कितना कहां कहां पर खरीदा गया ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पिछली बार सरकारी खरीद नहीं करने के कारण फसल के समय चना और तिलहन सरसों आदि समर्थित मूल्य से कम भाव में बिका एवं बाद में लगभग दुगने और उससे भी अधिक भाव पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हुआ ? यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) आगे ऐसा नहीं हो इसके लिये क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) पिछले दो वर्षों में मोटे अनाज जैसे केवल बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद वर्ष 1983-84 में 320 क्विन्टल की गई । बाजरा खरीद की जिलेवार एवं केन्द्रवार सूची सदन पटल पर रख दी गई है ।

रबी की फसल जैसे गेहूँ को समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है । लगभग 1,50,000 टन गेहूँ 1984-85 के मार्केटिंग सीजन में क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के द्वारा गेहूँ की खरीद की जायगी । केन्द्र सरकार द्वारा 1984-85 के मार्केटिंग सीजन में समर्थन मूल्य पर चने के क्रय हेतु नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन एवं नेशनल कंज्यूमर्स को-आपरेटिव फैडरेशन को तथा जौ के क्रय हेतु नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन को नामांकित (डैजिग्नेट) किया है ।

(2) तिलहन एवं सरसों का समर्थित मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है और न ही इनकी सरकारी खरीद की जाती है । जहां तक चने का प्रश्न है, चना थोड़े समय के लिए केवल कुछेक मण्डियों में समर्थन मूल्य से कम भाव पर बिका किन्तु राज्य के वित्तीय साधनों के अभाव में एवं भारत सरकार के द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के कुछ सीमा तक अनुरूप चना न होने के कारण सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव पर बराबर निगरानी रखी जाती है और यदि खाद्यान्न के भाव समर्थन मूल्य से नीचे जाते हैं तो समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश कर दी जाती है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ष बाजरा और ज्वार विभिन्न मण्डियों में कितना आया और कम से कम किस भाव में कितना बाजरा बिका, क्या यह सूचना आपके पास है ?

श्री घासीराम यादव : यह तो इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है । यह सूचना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इकट्ठी करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ताल्लुक कैसे नहीं रखता ? जो समर्थन मूल्य घोषित किये और 38 जगहों पर केन्द्र बनाये उनमें जो बाजरा खरीदा वह मात्र 320 क्विंटल बाजरा ही खरीदा गया है। आपने केन्द्र स्थापित किये उससे पहले बाजरा बाजार में 70) रु. और 80) रु. क्विंटल में बिकता रहा, किसान लुटता रहा और आप देखते रहे । आपने क्या किया ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूँ कि जो सैन्टर खोले। एफ. सी. आई. को जो इंस्ट्रक्शन दिये गये थे कि अच्छा बाजरा स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वह खरीद करें तो अच्छा बाजरा स्पेसिफिकेशन के अनुसार था, वह खरीद लिया गया। लेकिन जो बाजरा खराब हो गया था, बदरंग हो गया था, जिस पर चेपा लग गया था और जो स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं था वह नहीं खरीदा गया । सैन्टर खोलने के बाद में बाजार में अच्छा बाजरा 130) रु. के भाव में बिक रहा था ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 130) रु. के भाव में ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आज तो भाव 150) और 160) रु. चल रहा है। 130) रु. का भाव नहीं आया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गांवों की बात करता हूँ, बहरोड की बात जाने दीजिए। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि आज भी जयपुर शहर में दस हजार क्विंटल बाजरा एक सौ रुपये के भाव में मिल सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए।

श्री घासीराम यादव : आज बाजरा पहले से ज्यादा भावों पर बिक रहा है इसलिए अब खरीद बन्द कर दी गई है। जब देखा कि कोई बेचने वाला नहीं आ रहा है तो सरकार ने केन्द्रों को बन्द कर दिया। उस वक्त भी जो अच्छा बाजरा था वह 124) रु. से ज्यादा में बिक रहा था इसलिए कोई देता नहीं था सैंटरों को। जो बाजरा बदरंग हो गया था, खराब हो गया था, जिस पर चेपा लग गया था उसको देने आते थे इसलिए एफ. सी. आई. ने स्पेसिफिकेशन के अनुसार बाजरा खरीदा है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है, राज्य सरकार ने जब निर्णय लिया कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया और वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, राजस्थान के मार्फत बाजरा खरीदा जाय, उसके बाद में बाजरे के भाव बढ़े हैं ?

श्री घासीराम यादव : यह सही है कि इसके बाद भाव बढ़े हैं। यह भी सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि एफ. सी. आई. बाजरा खरीदे तब हमारे राजस्थान की सब–एजेंसी के रूप में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ने बाजरा खरीदा था और उसके बाद भाव बढ़े हैं। आप यह नहीं समझें कि आपकी . भूख हड़ताल के कारण भाव बढ़े हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने केवल इतना पूछा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि बाजरा खरीदेंगे उसके बाद में भाव बढ़े हैं ? आपने भी इसको स्वीकार किया है। इसके बाद में क्या यह सही है कि जिस समय यह निर्णय लिया उसके पहले बाजरे का भाव समर्थित मूल्य से कम था ?

श्री घासीराम यादव : बहुत सी जगहों पर कम था और बहुत सी जगहों पर ज्यादा था।

श्री अध्यक्ष : सौदे कम कीमत के हो रहे थे। यह बात थी कि सितम्बर के सैशन में यहां पर चर्चा उठी थी उस समय बाजरा निकला नहीं था। यह कहा गया था कि सौदे कम कीमत पर हो रहे हैं। यह प्रश्न यहां पर आया था। जब उस वक्त यह घोषणा हुई कि खरीदा जाय, तब भाव ठीक हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका तात्पर्य यह हुआ कि सितम्बर में विधान सभा में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और उसके बाद जिस समय गवर्नमेंट ने बाजरा खरीदने का डिसीजन लिया उस बीच में डेढ़ महीने का समय निकला, उसमें काश्तकारों को कम मूल्य पर बाजरा बेचना पड़ा ?

श्री घासीराम यादव : यह बात सही है, जैसा आपने फर्माया, बाजरा निकला ही नहीं था। यह जो खरीद का डिसीजन लिया गया वह राजस्थान के लिये ही नहीं था, हरियाणा के लिये भी हुआ था। वहां पर भी बाजरा पैदा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हरियाणा में भी एक सौ टन से ज्यादा बाजरा नहीं खरीदा गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही है कि यह जो बाजरा पैदा हुआ....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत पूछना

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

चाहता हूँ कि जो समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदना चाहिए था उसकी उचित समय पर व्यवस्था नहीं की, उस वजह से गरीब काश्तकार ने अपना बाजरा पहले ही सस्ते भाव पर बेच दिया। उसके बाद वह बाजरा व्यापारियों के पास आया उसमें से अच्छा बाजरा बचा कर खराब बाजरा व्यापारियों से खरीदा गया, बाकी जो किसानों का बाजरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसानों वाला बाजरा नहीं खरीदा था ? किसानों में इससे बड़ा असन्तोष हुआ था।

(व्यवधान)

जितना रुपया आपने केन्द्रों पर खर्च किया उतने का आपने नहीं खरीदा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया कि बाजरे के भाव गिरे नहीं थे और जब गिरे तब हमने निर्णय लिया और तब भाव बढ़ गये। लेकिन....

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहले जब बाजरा किसानों का खेतों में खड़ा था उस समय व्यापारियों ने अफवाह फैलाकर बाजरे के भाव गिराये और 80) रु. के भाव पर बाजरा खरीदा। राजस्थान में अधिकारियों और मंत्रियों सबको मालूम था कि भाव व्यापारी पहले गिराना चाहेंगे क्योंकि अच्छा बाजरा पैदा हुआ है। तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं था कि वह पैसे की व्यवस्था करे और बाजार से इसे खरीदने की बात करे ? किसानों को जबरदस्त रूप से लूटा गया। 110 से लेकर 90 रुपये क्विंटल तक बाजरा पूरे राज्य में बेचा गया। उसके बाद सरकार ने केन्द्र सरकार को निर्णय के लिये लिखा। तो, अध्यक्ष महोदय, चार साल तक लगातार अकाल पड़े, जब एक साल जमाना हो तो वह होने न होने के बराबर है।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही नहीं है कि लाखों क्विंटल बाजरा बाजार में 90–80 रुपये तक बिक गया। फिर भी सरकार सोती नहीं। गरीब काश्तकारों ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिये अपना बाजरा बेचा। किसानों को लूटा गया। किसानों के लुटने के बाद आपने बाजरा खरीदा। किसानों को दो महीने तक लूटा गया और आप कहते हैं कि हमने इतना बाजरा खरीदा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से बाजरा खरीदने की व्यवस्था की गई लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां से प्राक्कलन समिति (ख) मेरे विधान सभा क्षेत्र में गई थी तो वहां एफ. सी. आई. का कोई आदमी नहीं था। मेरे इलाके में बहुत ज्यादा बाजरा हुआ। मेरा इलाका हरियाणा से लगता हुआ है, जहां

(२०)

(श्री सुजानसिंह यादव)

की तीन मंडियों में 80 और 90 रुपये के भाव बाजरा बिक गया। अब राज्य सरकार इस बारे में क्या प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री डूंडी।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर और नवंबर में बाजरे के क्या भाव रहे और राजस्थान की विभिन्न मंडियों में समर्थित मूल्य से कितना बाजरा बेचा गया ? यदि वह बेचा गया तो क्या एफ. सी. आई. और राज्य सरकार ने आदेश दे दिये कि समर्थित मूल्य से जितना भाव कम है उनका बाजरा राज्य सरकार खरीदेगी ? इसके बावजूद कितना बाजरा राजस्थान की विभिन्न मंडियों में बेचा गया ? और, क्या उनको जो मूल्य मिला वह राज्य सरकार ने तय किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की सुस्ती के कारण बिचौलिये लोग लाभ उठाते हैं। क्या राज्य सरकार भाव निर्धारित करते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखती है ? क्या फसल होने से पहले राज्य सरकार इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समर्थित मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह : अब तो गेहूं की फसल आ रही है, अध्यक्ष महोदय। पिछली बार भी यही हुआ था . . . .

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। उपयुक्त अवसर पर इस बात का भी विचार कर लेंगे .....

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य तय होने के बाद क्या राज्य सरकार समर्थन मूल्य से नीचे भाव जाने पर भी खरीदेगी ? साथ ही, यदि मंत्री महोदय को जानकारी हो तो कितना अनाज समर्थित मूल्य से नीचे बिक गया, यह बताऊं तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे यहां बाजरा 80-85 रुपये क्विंटल के भाव से बिका है। आपने विधान सभा में वायदा किया था लेकिन आज किसानों को घाटा हो रहा है, इसकी आपको कतई चिन्ता नहीं है। किसान बरबाद हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सोते रहे और किसान बरबाद हुए। हमने भूख हड़ताल की, मंत्री महोदय से मिले लेकिन मंत्रीजी के कान पर जूं नहीं रेंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय,

(श्री यदुनाथसिंह)

मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा मोटे अनाज के बारे में . . . .

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया था कि इस तरह का प्रस्ताव सदन के समक्ष आयगा तो उस पर विचार किया जायगा। इस प्रश्न के दायरे में आपका प्रश्न नहीं आता। इसके साथ कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय के साथ इतने अल्पकाल में न्याय नहीं कर सकते इसलिये मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : आप किसानों के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष महोदय। गेहूं के बारे में भी यही होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो। व्यवधान डाल रहे हैं, बड़ा दुःख होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मंत्रीजी।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मोटी बातें माननीय सदस्य समझ लें तो सारी भ्रान्ति दूर हो जायगी। एक तो यह कि इस सारी खरीद के बारे में भारत सरकार ने एफ. सी. आई. को नामजद किया। सारा रुपया भारत सरकार का लगा है और हमारी एजेन्सी सब-एजेन्सी थी। हमारे मुख्य मंत्रीजी कई बार मिले, राव वीरेन्द्रसिंह को कई बार रिक्वेस्ट की तब जाकर 12 साल बाद यह शुरूआत की है। इसमें सारा रुपया उनका लगा है।

श्री यदुनाथ सिंह : जब केन्द्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है तो राज्य सरकार क्यों डींग मारती है . . . .

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न डालें।

श्री घासीराम यादव : 30 अक्टूबर को बहुत प्रयत्न करके एफ. सी. आई. ने 8–9 दिन में ही खरीदने की शुरूआत कर दी। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इसमें कुछ खराब भी था वह भी बेचना पड़ता है। 80 से 140 तक का भाव था। लास भी नहीं रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बात नहीं करें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो महीने

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(२२)

(श्री घासीराम यादव)

तक सरकार क्या करती रही ? भारत सरकार से हम मिलते रहे हैं और हम लोगों ने ही फैसला करवाया है। दीपावली के आसपास सस्ता चलता रहा। हो सकता है कि पहले सस्ता रहा हो। परन्तु पहली बार हमने यह शुरुआत करवायी है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, उसका असर पड़ा और भाव ऊपर चढ़ गये।

(व्यवधान)

इस तरह बाधा न डालें।

श्री घासीरामयादव : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि विपक्ष के नेता महोदय ने भूख हड़ताल की परन्तु उसके पहले ही सैण्ट्रल गवर्नमेंट फैसला कर चुकी थी। गुजरात का बोर्डर भी खोल दिया गया था, कोई भी चाहे तो बाजरा वहां आराम से भेज सकता था। किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब कम भाव में बिक रहा है तो यह व्यापारियों के पास है।

यहां पर बहरोड के बारे में कहा गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा न डालें।

श्री घासीराम यादव : ज्वार का समर्थन मूल्य गवर्नमेन्ट ने तय नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : मैं यह गलती से कह गया। रहा इसकी खरीद के बारे में . . .

(व्यवधान)

एक अच्छा प्रयत्न किया है। एक शुरुआत हुई है। हमको मिल कर सैण्ट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा, मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीद की जिम्मेदारी अब तक राज्य सरकारों की थीं। क्या मंत्री महोदय का यह कहना है कि इसकी खरीद की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो गई है ?

श्री घासीराम यादव : ऐसी बात नहीं है। एक बार राज्य सरकार ने खरीद की थी। उस वक्त भाव बढ़ गये थे। दस हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया था। उसके बाद ऐसी नौबत नहीं आयी। अब सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है। यह अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : राजस्थान सरकार यह कह कर नहीं चलती है कि हमेशा भाव बढ़ेंगे तो खरीदेगी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद का सवाल है, यह भारत सरसरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक मोटे अनाज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का सवाल है, यह राज्य सरकार का विषय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में वार्ता हुई है। राज्य यह इन्सिस्ट करते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये खरीद नहीं सकते।

श्री घासीराम यादव : समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार तय करती है और खरीदें हम......

(व्यवधान)

सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट ने-ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें बेसिक लेकूना रह गया है, सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। भारत सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि सिवाय गैंहू के हम मोटे अनाज को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेंगे। राज्य सरकार का यह कहना रहा है कि समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है इसलिये मोटा अनाज खरीदने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी हालत में समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है, यह अस्पष्ट है।

श्री घासीराम यादव : भारत सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं। जो भाव तय करती है यह उसकी जिम्मेदारी है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्टेटमेन्ट बिल्कुल सही नहीं है। आप खरीद चुके हैं.......

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्रसिंह यह स्पष्ट कर चुके हैं हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकार ने यह कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जिससे कि बाजरा खरीद सकें। ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकारें समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीद नहीं कर सकतीं। उन्होंने इसके लिये फाइनेन्स कमीशन को कहने की बात कही है लेकिन भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री घासीराम यादव : रिजर्व बैंक से रुपया दिलवा देते तो हम खरीद लेते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। अंकित न हो।

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर में कर्मचारियों का निलम्बन

143. श्री वीरेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) एवं **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट होटल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधीनस्थ राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के किन्हीं कर्मचारियों को फरवरी, 1984 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन के कारण क्या थे ?

(2) क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध होटल में ठहरे हुए किन्हीं पर्यटकों ने शिकायत भी की थी ? यदि हां, तो किस पर्यटक द्वारा क्या शिकायत की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान स्टेट होटल्स कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के अधीनस्थ राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के दो कर्मचारियों को फरवरी, 1984 में निलम्बित किया गया था । दोनों कर्मचारियों ने दिनांक 7.2.84 को अपनी ड्यूटी पर कर्तव्यहीनता व लापरवाही की जिससे उन्हें पेंडिग इन्क्वायरी निलम्बित किया गया है ।

(2) जी हां । उक्त शिकायत हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय ने की थी ।

बाजरा, ज्वार, मक्का, चना आदि का समर्थन मूल्य

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या खाद्य व आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने बाजरा, ज्वार, मक्का, चना आदि के समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं ? यदि हां तो क्या ?

(2) राज्य में इस वर्ष खरीफ में कितना बाजरा, ज्वार, मक्का आदि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है ? जो उत्पादित मोटे अनाज का कितना प्रतिशत है ?

(3) समर्थित मूल्य पर खरीद करने के कितने केन्द्र स्थापित किए गए और प्रत्येक केन्द्र पर कितना-कितना अनाज खरीद किया गया ?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने बाजरा, ज्वार, मक्का, चना के निम्नांकित समर्थन मूल्य वर्ष 1983–84 के मार्केटिंग सीजन के लिये निर्धारित किये हैं:—

बाजरा	124/रु. प्रति क्विं.
ज्वार	124/रु. प्रति क्विं.
मक्का	124/रु. प्रति क्विं.
चना	235/रु. प्रति क्विं.

वर्ष : 1984-85 हेतु भारत सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 240/ रु. प्रति क्विण्टल निर्धारित किया है ।

(2) समर्थन मूल्य पर भारत सरकार के खाते में राज्य सरकार ने 320 क्विण्टल बाजरे की खरीद की है जो बाजरा, ज्वार, मक्का के कुल उत्पादन का नगण्य प्रतिशत है ।

(3) समर्थन मूल्य पर खरीद करने हेतु 38 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे जिनमें से 320 क्विंटल बाजरा निम्नांकित क्रय केन्द्रों पर क्रय किया गया --

1. नीमकाथाना 228 क्विंटल

(खाद्य व आपूर्ति मंत्री)

2.	बहरोड़	68 क्विंटल
3.	भरतपुर	3 क्विंटल
4.	अलवर	21 क्विंटल
	योग—	320 क्विंटल

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र के काश्तकारों के नाम बकाया राशि

194. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में दो हजार या उससे अधिक की धनराशि के पानी की पिलाई की कब से किन-किन की बकाया चल रही है ? उस हेतु विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक काश्तकारों को समुचित पानी न देने पर भी पिलाई लिख देने के कारण से उक्त राशि देने में काश्तकार असमर्थता महसूस करते हैं ? यदि हां, तो विभाग इस हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) रुपये दो हजार से अधिक की बकाया पिलाई की राशि 56 कृषकों में है। ऐसे कृषकों के विरुद्ध सिंचाई से वंचित करने की कार्यवाही की गई है और की जा रही है। कई कृषकों को कुर्की के नोटिस जारी किये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

सनीजा माइनर कोटा की टेल

195. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा आर. एम. सी. I डिविजन क्षेत्र में सनीजा माइनर I की टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही पानी ओवरफ्लो होकर बेकार हो जाता है ? यदि हां, तो इस माइनर की टेल पर पानी पहुंचाने के लिये क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि टेल की खुदाई कम होने से टेल पर पानी नहीं पहुंचता ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

रामपुर गांव की ड्रेन पर पुलिया का निर्माण

196. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इटावा ब्रांच कैनाल की सर्विस रोड पर रामपुरा गांव के पास ड्रेन पर पुलिया नहीं बनाने से किसानों को अपना माल लाने व ले जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर पुलिया बनाने की मांग उस क्षेत्र की जनता हमेशा करती रही है ?

(3) क्या सरकार जन हित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त स्थान पर शीघ्र पुलिया बनाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि नहर की सर्विस रोड के अलावा काश्तकारों को दूसरा रास्ता भी उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

जैसलमेर क्षेत्र की गोचर भूमि

197. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में गोचर भूमि छोड़ी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि किस-किस क्षेत्र में छोड़ी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र के गांव, जहां पर गोचर भूमि नहीं है, में प्रति पशु आधा बीघा भूमि राज्य भूमि में से छोड़ी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उपनिवेशन विभाग द्वारा जिला जैसलमेर में चरागाह गोचर भूमि जिस-जिस क्षेत्र में जितनी-जितनी छोड़ी गई है, उसकी ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित (कमाण्ड) भूमि गोचर भूमि के रूप में नहीं छोड़ी जायगी। राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 6 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक गांव में बारानी भूमि प्रति पशु आधा बीघा गोचर भूमि के रूप में छोड़ी जायगी। आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने आदेश क्रमांक 11369–89 दिनांक 16.8.81 व 16830—56 दिनांक 6.9.82 द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। दोनों आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(सूची एवं आदेशों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

बाड़मेर जिले के किसानों को भूमि आवंटन

198. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान नहर के द्वितीय चरण व तृतीय चरण में बाड़मेर जिले के किसानों को प्राथमिकता से भूमि आवंटन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

द्वितीय चरण में सिंचाई विभाग से जिस वर्ष इस जिले में सिंचाई का कार्यक्रम उपलब्ध होगा, उसी वर्ष बाड़मेर जिले के काश्तकारों को राजस्थान उपनिवेशन

(उपनिवेशन मंत्री)

(राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आबंटन किया जायगा।

राजस्थान नहर का तृतीय चरण नहीं है।

प्रदेश में भू-राजस्व की वसूली

199. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में इस साल 29–2–1984 तक भू-राजस्व की कुल कितनी वसूली हुई है ? जिलेवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

(2) राजस्थान के प्रत्येक जिले में भू-राजस्व की पूर्व के वर्षों की कितनी बकाया थी व वसूली कितनी हुई ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में इसी वर्ष दिनांक 29-2-84 तक भू-राजस्व की कुल वसूली 16,94,01,793–00 हुई है। वसूली का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अजमेर	53,51,439.00
2. अलवर	53,82,743.00
3. बांसवाड़ा	22,38,385.00
4. बाड़मेर	49,91,349.00
5. भरतपुर	46,92,174.00
6. भीलवाड़ा	1,06,78,000.00
7. बीकानेर	29,97,202.00
8. बून्दी	60,51,383.00
9. चित्तौडगढ़	66,66,000.00
10. चूरू	31,34,564.00
11. डूंगरपुर	22,14,176.00
12. गंगानगर	1,65,43,000.00
13. जयपुर	1,22,49,870.00
14. झालावाड	48,23,685.00
15. जैसलमेर	17,89,000.00
16. जालौर	65,64,582.00
17. झुंझुनू	37,07,034.00
18. जोधपुर	85,40,000.00
19. कोटा	1,04,09,000.00
20. नागौर	1,12,85,645.00
21. पाली	83,21,000.00
22. सवाई माधोपुर	74,91,924.00
23. सीकर	34,51,982.00
24. सिरोही	24,73,000.00
25. टोंक	85,19,000.00
26, उदयपुर	68,95,127.00
27. धौलपुर	19,40,529.00
	16,94,01,793.00

(2) राजस्थान में भू-राजस्व की पूर्व के वर्षों की राशि 23,89,03,693.00 बकाया थी। इसमें से कुल बकाया राशि की वसूली 6,60,78,719.00 हुई है। जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम जिला	पूर्व के वर्षों की भू-राजस्व की बकाया राशि	पूर्व के वर्षों की भू-राजस्व की वसूली
अजमेर	67,09,755.00	28,87029.00
अलवर	27,29,145.00	9,57,029.00
बांसवाड़ा	23,07,321.00	8,98,135.00
बाड़मेर	1,10,28,721.00	30,25,648.00
भरतपुर	21,66,911.00	8,99,043.00
भीलवाड़ा	80,71,000.00	29,65,000.00
बीकानेर	29,49,157.00	16,61,829.00
बून्दी	1,23,97,416.00	32,79,998.00
चित्तौड़गढ़	29,32,000.00	11,73,000.00
चूरू	30,42,704.00	13,33,017.00
डूंगरपुर	17,03,689.00	9,85,721.00
गंगानगर	2,41,42,000.00	51,97,000.00
जयपुर	1,88,6[illegible],204.00	47,99,008.00
झालावाड़	59,57,297.00	15,99,830.00
जैसलमेर	52,73,000.00	8,74,000.00
जालौर	83,03,046.00	28,24,314.00
झूंझुनु	41,33,768.00	18,23,713.00
जोधपुर	1,57,50,000.00	62,44,000.00
कोटा	1,43,10,000.00	25,24,000.00
नागौर	1,34,94,700.00	57,38,014.00
पाली	3,39,47,000.00	43,02,000.00
सवाई माधोपुर	89,55,321.00	17,59,472.00
सीकर	26,15,600.00	11,07,401.00
सिरोही	46,79,000.00	11,18,000.00
टौंक	1,09,77,000.00	39,71,000.00
उदयपुर	89,07,051.00	16,23,967.00
धौलपुर	25,60,887.00	5,07,551.00
	23,89,03,693.00	6,60,78,719.00

कोटा में अस्थाई आवंटन योग्य भूमि

200. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में अस्थायी आवंटन योग्य कितनी भूमि है ?

(2) अस्थायी आवंटन न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसी भूमि का अस्थायी आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 840 बीघा 10 बिस्वा भूमि अस्थाई आवंटन से शेष है।

(2) आवंटन कार्य प्रगति पर है। शेष भूमि का आवंटन यथाशीघ्र नियमानुसार किया जायगा।

कृषि भूमि सम्बन्धी बेरी आयोग का प्रतिवेदन

201. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि सम्बन्धी बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक विशिष्ट अधिकारी को काम दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस अधिकारी ने राज्य सरकार के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं ? यदि हां, तो कब, और क्या ?

(3) सरकारी स्तर पर अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, बेरी आयोग (कृषि भूमि सम्बन्धी जांच) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन 1 अप्रेल, 82 को किया गया है। यह समिति इस कार्य हेतु कार्यरत है।

(2) जी नहीं। इस समिति के सुझाव राज्य सरकार को अपेक्षित हैं। समिति का कार्यकाल 30-4-84 तक है।

(3) समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

जयपुर जिले में सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही

202. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 10 वर्षों में जयपुर जिले में कितनी भूमि किस-किस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई और किस-किस योजना के लिए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उसमें से कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां, कब-कब, किस-किस के आदेश पर किस कारण अवाप्ति से मुक्त की गई और क्यों ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(3) 1 जून, 80 के बाद कितनी-कितनी भूमि अवाप्ति से मुक्त की गई और क्यों व किस-किस के आदेशों पर ?

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि अवाप्ति से कब-कब मुक्त की जा चुकी है अथवा की जा रही है ?

उत्तर

(1) ऐसी भूमि, जिसको कि अवाप्त घोषित किया जा चुका है और अवाप्त की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कर दी गई है, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(2) प्रश्न (1) के उत्तर में दी गई भूमि में से ग्राम गोगावास सांगानेर की भूमि ख. न. 146 एकड़ 19 बिस्वा अवाप्ति से मुक्त की गई है।

(3) 1 जून, 80 के बाद जो भूमि अवाप्ति से मुक्त की गई उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ख')

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण बनने के पश्चात 497.02 बिस्वा भूमि आदेश 10-12-82 से मुक्त की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्रतिनियुक्तियां

203. श्री यमुनार्थसिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई आदेश भेज कर निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग को इसके लिए प्रतिबन्धित किया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रतिनियुक्तियां निदेशालय में न करें ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश के बावजूद निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग ने बिना सरकार की अनुमति के निदेशालय में प्रतिनियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्तर के कर्मचारी की, अधिकारी की, कब और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना करने पर निदेशक के विरुद्ध क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारी से जवाब तलब कर रही है।

(आदेश व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

मुस्लिम हायर सैकंडरी स्कूल, जयपुर की चुनाव कमेटी

204. श्री मनफूलराम (केसरीसिंह-पुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुस्लिम हायर सैकण्डरी स्कूल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर की कमेटी का चुनाव हो गया है ? यदि हां, तो कब और इसके पदाधिकारी कितने हैं ? कृपया सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या मुस्लिम हायर सैकण्डरी स्कूल की कमेटी का चुनाव नियमों के अन्तर्गत हुआ और इस कमेटी की कार्यावधि किस दिनांक को समाप्त हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 12-9-81 को चुनाव संपन्न हुए थे । पदाधिकारियों की सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । समिति की कार्य अवधि दिनांक 12-9-84 को समाप्त हो रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पाली जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता व अनुदान

205. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पाली जिले में किन-किन निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता व अनुदान दिया गया ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में पाली जिले की किन-किन शिक्षण संस्थाओं व विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली जिले में जो शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं तथा उन्हें जो अनुदान दिया गया है उसका विवरण संलग्न सूची (क) में अंकित है । संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी संस्था मान्यता या सहायता प्राप्त पाली जिले में नहीं है ।

(2) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर की संस्थाएं पाली में खोली गई एवं क्रमोन्नत की गई उनकी सूची संलग्न है, चिन्ह 'ख', इनमें 2 निजी शिक्षण संस्थाएं एवं 75 राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील बेगूं के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

206. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं में कहां-कहां उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री घनश्याम जैन)

(2) क्या तहसील बेगूं की भौगोलिक स्थिति, विद्यालयों की संख्या चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वार्टर से विभिन्न स्कूलों की दूरी, यातायात व सड़कों के अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एस. डी. एम. हैडक्वार्टर बेगूं में उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित होगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर उच्च कन्या प्राथमिक विद्यालय

207. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में कितने तहसील मुख्यावास पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त तहसील मुख्यावासों पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 92 तहसील मुख्यावास पर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं।

(2) चालू सत्र में यह सम्भव नहीं है। आगामी सत्र में वित्तीय प्रावधान पर निर्भर करेगा।

राज्य के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

208. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए लेक्चर रखे जाते हैं ?

(2) यदि हां तो वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 में कितने ऐसे लेक्चर जयपुर जिले में रखे गये और क्या यह सही है कि उनका भुगतान निश्चित अवधि में नहीं किया गया ? यदि हां, तो वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि के भुगतान 15 जनवरी, 84 तक भी शेष थे ? यदि हां, तो जयपुर जिले में ऐसे कितने कितने भुगतान अभी शेष हैं और कब-कब के ? कृपया स्थानवार, तारीखवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रौढ़ शिक्षा परियोजना में अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसमें लेक्चर भी रखे जाते हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) जयपुर जिले में रखे गये लेक्चर का वर्ष वार विवरण :–

वर्ष	संख्या
1980–81	168
1981–82	100
1982–83	134

इनके भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) इन लेक्चरों के लिए भुगतान का कोई प्रावधान परियोजना में नहीं है।

सवाई माधोपुर में खोले गये मिडिल स्कूल

209. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में सन् 1983 में मिडिल स्कूल खोले हैं ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के आधार पर खोले गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में मिडिल स्कूल खोलने से पूर्व शिक्षा विभाग व जिला परिषद् की सिफारिश मांगी गई थी ? यदि हां, तो सिफारिशों के आधार पर कहां-कहां स्कूल खोले गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि नये स्कूल खोलने हेतु छात्र संख्या, पुराने स्कूल भवन सुविधा तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी को मद्दे नजर रख कर जिला शिक्षा विभाग ने सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उक्त आधार पर कहां-कहां स्कूल खोले गये हैं तथा किन किन स्थानों पर नहीं और जिन स्थानों पर मिडिल स्कूल नहीं खोले गये उसके क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां, मिडिल स्कूल खोलते समय जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, छात्रसंख्या, स्थानीय मांग आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है।

(2) जी नहीं। विभागीय प्रस्ताव, ग्राम वासियों की मांग, जनप्रतिनिधियों के सुझाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय खोले गये हैं।

(3) जी नहीं। विभागीय प्रस्ताव, ग्राम वासियों की मांग, जनप्रतिनिधियों के सुझाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय खोले गये हैं।

उदयपुर का बी. एड. कालेज

210. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर एवं जिले में चलने वाले बी. एड. कालेज में कितने स्थान निश्चित हैं ? कृपया सूची कालेजवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जुलाई, 1983 में प्रवेश हेतु प्रत्येक कालेज में कितने–कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ? कृपया अंकवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कम अंकों वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया और अधिक अंक वाले छात्रों को वंचित रखा गया ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(4) क्या यह भी सही है कि सत्र 1982–83 में कुछ छात्रों को अवधि निकल जाने के बाद भी प्रवेश दिया गया ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर एवं जिले में बनने वाले प्रत्येक बी. एड. कालेज में निश्चित स्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	निश्चित स्थान
1	विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	259
2	लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक।	250
3.	निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर (शिक्षा शास्त्री)	60
	(बी. एड.)	60

(2) जुलाई, 83 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नानुसार तथा अंकवार तालिका संलग्न है :–

क्र. स.	महाविद्यालय का नाम	कुल प्रार्थना पत्र
1.	विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	1473
2.	लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, डबोक।	2584
3.	निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, (बी. एड.)	677
	(शिक्षा शास्त्री)	186

(3) जी हां, । लोकमान्य तिलक महा विद्यालय में विभाग के निर्देशों के विपरीत मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर कम अंक प्राप्त करने वाले 10 आशार्थियों को प्रवेश दिया गया है ।

(4) जी नहीं । सन् 82–83 में प्रकाशित नियमान्तर्गत ही प्रवेश दिये गये हैं । प्रवेश की अवधि निकल जाने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र का विद्युतीकरण

211. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की सम्पूर्ण सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र को विद्युतीकरण में लिया जा चुका है ? यदि हां, तो फिर पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं देने का क्या कारण है ?

(2) उक्त सज्जनगढ़, पंचायत समिति के कितने गांवों में अब तक बिजली पहुँच चुकी है व कितने गांव बाकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री फते सिंह)

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायतें हिम्मतनगर, कसार वाड़ी, मस्कावज, हाडीबडी, जालीमपुरा, इन चारों में अभी भी बिजली नहीं दी गई ? अब कब तक बिजली पहुँचा दी जायगी ?

(4) इस वर्ष उक्त पंचायत समिति के कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण हेतु लिए गए ? कृपया गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति सज्जनगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर कार्य चालू है ।

(2) पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 51 ग्रामों का विद्युतीकरण माह फरवरी, 1984 के अन्त तक किया जा चुका है जिनकी सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है । योजनानुसार 49 पोटेन्शियल ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं तथा 86 ग्राम नोन–पीटेन्शियल हैं जिनकी सूची (ख) व (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार हिम्मतनगर, हाडीबडी, करकावज नाम के ग्राम पंचायत समिति, सज्जनगढ़ में अंकित नहीं हैं । अतः इनमें बिजली दिए जाने के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है । ग्राम कासरवाडी एवं जालमपुरा पंचायत समिति, सज्जनगढ़ की स्वीकृत योजना में सम्मिलित हैं तथा इनका विद्युतीकरण डूंगर कला 33/11 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(4) वर्ष 1983–84 के विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 10 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किए गए हैं जिनकी सूची 'घ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बाड़मेर शहर के पावर हाउस में लगे इंजन

212. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर शहर में कितने कितने के. वी. इंजन स्थानीय पावर हाउस में लगे हुए हैं, उनकी कुल क्षमता क्या है और उनमें से कितने चालू हालत में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त इंजन में एक भी चालू हालत में नहीं है ? यदि हां, तो उन पर लगा हुआ स्टाफ क्या क्या करता है ?

(3) क्या ये इंजन वर्षों से बेकार है ? यदि हाँ, तो उनको अब तक क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सन् 1983 में जनवरी से दिसम्बर तक किन-किन दिनों में कितने-कितने समय तक उन्हें काम में लिया गया ? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त चालू इंजन पर वर्ष 1983 में कितने लीटर डीजल काम में लिया गया ?

उत्तर

(1) बाड़मेर शहर में स्थानीय पावर हाउसेज में कुल 5 डीजल इंजन लगे हुए हैं, जिनकी क्षमता 3975 किलोवाट है। इनमें से एक इंजन स्कोड़ा मेक 1000 किलोवाट क्षमता का चालू हालत में है जो करीब 200 किलोवाट लोड लेता है।

(2) जी नहीं, एक डीजल इंजन नये पावर हाउस में चालू है जिसको केवल इमर्जेंसी में चलाया जाता है। अतः मूलतः पावर हाउस का समस्त स्टाफ शहर के विद्युत वितरण के रख रखाव का कार्य करता है।

(3) जी हां, चार डीजल इंजन पिछले कई वर्षों से अपनी कार्यकाल क्षमता पूरी कर चुकने के कारण बंद पड़े हैं और इनकी सर्वे रिपोर्ट डिस्पोजल (निस्पादन) हेतु प्रेषित की जा चुकी है। एक जो इंजन चालू है वह 1983 की जनवरी से दिसम्बर के मध्य केवल 79.33 घन्टे (28 दिनों में) चला है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उक्त चालू इंजन पर वर्ष 1983 में कुल 5785 लीटर डीजल काम में लिया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नागौर विद्युत मण्डल का ग्रिड सब-स्टेशन

213. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर में विद्युत मण्डल का 132 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन बन कर तैयार हो गया है? यदि हां, तो इसकी मंजूरी कितनी राशि की थी और कुल राशि कितनी व्यय हो गई?

(2) उपरोक्त कार्य कब शुरू किया एवं कब सम्पूर्ण किया गया? सिविल वर्क का ठेका किस-किस पार्टी को किस-किस काम का कब–कब कितनी राशि का दिया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर 132 के. वी./33 के. वी. सब स्टेशन तथा सम्बन्धित 132 के. वी. रतनगढ़ नागौर लाइन पर कुल 429.00 लाख रुपया की योजना स्वीकृत की गयी थी। माह दिसम्बर, 1983 तक इस योजना पर कुल व्यय लगभग 285 लाख रुपये हो चुका है।

(2) उपरोक्त कार्य मार्च, 198‸ में शुरू किया गया तथा सब स्टेशन को 31 मार्च, 1983 को चालू कर दिया गया था। अभी तक सिविल वर्क के कुछ कार्य चालू हैं। सिविल कार्य के ठेके किस किस पार्टी को कब कब कितनी राशि के दिये गये, इसकी सूचना देते हुए सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत सराड़ा के बालक डूंगर की बिजली करेन्ट से मृत्यु

214. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या जनवरी, 1983 में सराड़ा पंचायत समिति के गांव केजड़ में तत्कालीन मंत्री श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर के दौरे के समय स्वागत द्वार बनाते हुए बालक डूंगर की विजली के करेन्ट से मृत्यु हुई ?

(2) क्या उसका पोस्ट मार्टम कराया गया ? यदि हां, तो उसमें मृत्यु का कारण क्या बताया गया है ?

(3) क्या विभाग ने मृत बालक के पिता को मुआवजा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार के पूर्व उक्त मंत्री ने कोई सहायता राशि दी ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट विद्युत मण्डल के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है हालांकि अनौपचारिक जानकारी के अनुसार एक बालक की मृत्यु हुई थी।

(2) विद्युत मण्डल को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) विद्युत मण्डल के कर्मचारी के अलावा किसी अन्य के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नियमानुसार विद्युत मण्डल द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है।

(4) ऐसी कोई जानकारी विद्युत मण्डल के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान सरकार व वर्ल्ड बैंक के बीच समझौता

215. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में यह समझौता हुआ था कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में होने वाले घाटे की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल द्वारा इस घाटे की पूर्ति के संबंध में राज्य सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि के लिये ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह घाटा पूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव को राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं से होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु मंडल को ग्रामीण विद्युतीकरण अनुदान देने का आश्वासन दिया है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण से होने वाली हानि के राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु अनुदान की राशि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर निकाली जाती है

(सुश्री पुष्पा जैन)

जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुमोदित करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रपत्र प्राप्त होने पर तद्नुसार राज्य सरकार को दावे प्रस्तुत किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्न है :—

क्र.सं	वर्ष	ग्रामीण विद्युतीकरण की राशि का दावा (करोड़ रु. में)	अनुदान दावा प्रस्तुत करने की तिथि
1.	193–74	7.60	4.9.76
2.	1974–75	8.80	4.9.76
3.	1975–76	6.70	8.3.77
4.	1976–77	7.50	23.5.78
5.	1977–78	11.80	16.5.79
6.	1978–79	16.40	22.6.80
7.	1979–80	22.70	18.9.82
8.	1980–81	34.80	18.9.82
9.	1981–82	40.40	24.9.83
	योग	154.70	

वर्ष 1982–83 के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण की मांग, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से वर्ष 1982–83 के लेखों पर अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी जायगी, जहां से स्वीकृति आने के पश्चात् राज्य सरकार से मांग की जाएगी।

(3) राज्य सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु अब तक कुल 3810 लाख रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किये हैं। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14.2.84 द्वारा यह सूचित किया है कि उपरोक्त राशि में से 2281 लाख रुपये विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1977–78 तक के 4040 लाख रुपये के प्रस्तुत दावों के पेटे अन्तिम रूप से चुकारा मान लिया गया है। शेष 1529 लाख रुपये वर्ष 1978–79 से 1981–82 तक के विद्युत मण्डल के 11430 लाख रुपये के प्रस्तुत दावों के पेटे तदर्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। उपरोक्त 3810 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल को दिए गए ऋण पर ब्याज के पेटे समायोजित कर लिया है। सन् 1978–79 से 1981–82 के विद्युत मण्डल के दावों को अन्तिम रूप से निपटाने हेतु राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल से कुछ सूचनाएं चाही हैं जो तैयार करके भेजी जा रही हैं।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अनरोद में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

216. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, प्रतापगढ़ एवं अरनोद में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना का लक्ष्य इसलिए पूर्ण नहीं हो रहा है कि विभाग को पर्याप्त सामान नहीं दिया जा रहा है? यदि नहीं,

(ऊर्जा मंत्री)

तो प्रतापगढ़ उपखण्ड के सहायक अभियंताओं को वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में अपनी मांग के मुताबिक कितना सामान कम इश्यू किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी कुओं पर बिजली सम्बन्ध देने पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों और अब राज्य सरकार प्रतिबन्ध को कब तक हटाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं का कार्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है। वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 (फरवरी, 84 तक) में इन पंचायत समितियों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों व विद्युतीकृत किये गये गांवों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित गांव 82–83	प्रस्तावित गांव 83–84	गांव जो विद्युतीकृत किए गए 82–83	गांव जो विद्युतीकृत किए गए 83–84 (फरवरी 84 तक)
1.	प्रतापगढ़ नौर्थ	3	4	3	4
2.	प्रतापगढ़ साउथ	8	5	8	5
3.	अरनोद	12	7	12	7

वर्ष 1982–83 एवं 83–84 (फरवरी, 84 तक) में प्रतापगढ़ उपखण्ड (सहायक अभियन्ता एल. डी. आर. ई. सी. प्रतापगढ़ एवं निर्माण उपखण्ड अरनोद) को जो सामान इश्यू किया गया उसकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कुओं को विद्युत प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी के आशार्थियों को रोजगार

217. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितने आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

पाली जिले की पंचायत समिति

(विधि मंत्री)

मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक 183 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया जिसमें से 93 पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, 54 पंचायत समिति, रानी एवं 36 पंचायत समिति, देसूरी के आशार्थी थे।

रावतभाटा में मुन्सिफ कोर्ट का कैम्प

219. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावतभाटा में मुन्सिफ कोर्ट, बेगूं का कैम्प महीने में कितने दिन लगता है?

(2) रावतभाटा में कितने मुकदमे कितने अर्से से पेंडिंग हैं?

(3) रावतभाटा एवं दूरस्थ गांवों की दूरी को देखते हुए एवं सस्ता न्याय मुहैया कराने की योजना को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार का रावतभाटा में अलग से मुन्सिफ कोर्ट की स्थाई स्थापना का विचार है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रावतभाटा में मुन्सिफ कोर्ट बेगूं का कैम्प कोर्ट महीने में 7 दिन लगता है।

(2) रावतभाटा में निम्न प्रकार से मुकदमे विचाराधीन हैं :—

सन्	दीवानी	फौजदारी
1976	–	8
1977	4	22
1978	4	68
1979	4	56
1980	4	158
1981	2	137
1982	6	133
1983	25	205
1984	1	37
	50	824

(3) जी हां। रावतभाटा एवं दूरस्थ गांवों की दूरी को देखते हुए एवं सस्ता न्याय मुहैया कराने के लिये एवं विचाराधीन मुकदमों की संख्या को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रावतभाटा में अलग से मुन्सिफ कोर्ट की स्थाई स्थापना करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया, परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए रावतभाटा में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

राज्य के म्यूनिसिपल बोर्ड

220. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के 27 जिलों के मुख्यालय के सभी म्युनिसिपल बोर्डों में क्रमवार 1960 से 1984 तक कितने से कितने समय तक चुने हुए बोर्ड रहे और कितने से कितने समय तक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में ये संस्थाएं रहीं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी संस्थाओं का प्रशासन अधिक समय तक प्रशासकों के हाथों में रहा?

उत्तर

(1) संकलित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार ही प्रशासक रहे हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

डूंगला में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय

221. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुन्सिफ कोर्ट, डूंगला का मुख्यालय गृह जिले से बाहर रखा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार डूंगला के लिये खोले गये उक्त न्यायालय को डूंगला में ही स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह न्यायालय दिनांक 1–3–52 से कानोड में कार्य कर रहा है।

(2) जी हां। यह सही है कि मुन्सिफ कोर्ट डूंगला का मुख्यालय गृह जिले से बाहर कानोडा, जिला उदयपुर में रखा गया है। जनता की मांग, आवागमन के साधन जैसे रेल, बसों की सुविधा, डूंगला तहसील से नजदीकी कम खर्च आदि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा डूंगला न्यायालय का मुख्यालय कानोड़ में रखा गया है।

(3) यह मामला गम्भीर रूप से राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जैसलमेर जिले की यातायात व्यवस्था

222. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राइवेट बस मार्गों पर जब से राज्य सरकार ने रोड टैक्स फिक्स किया है तब से जैसलमेर जिले की यातायात व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई है ?

(2) उक्त टैक्स निर्धारित करने से पहले जिले में किन-किन मार्गों पर प्राइवेट बस सेवा उपलब्ध थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त टैक्स लगाने के बाद अनेक मार्गों पर प्राइवेट बस सेवा बन्द हो चुकी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्गों की बस सेवाएं बन्द हैं और कब से ?

(4) जिले की बन्द पड़ी प्राइवेट बस सेवाओं को पुनः सुचारु रूप से चलाये जाने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची (परिशिष्ट 'अ') संलग्न है।

(3) वर्तमान में केवल जैसलमेर-साधना मार्ग पर बस सेवाएं बन्द हैं। अन्य मार्गों पर बस सेवाएं यथावत चल रही हैं। जिन मार्गों पर कुछ समय के लिये बस सेवा बन्द हुई थी उसकी सूची (परिशिष्ट 'ब') संग्लन है।

(4) वर्तमान में केवल एक मार्ग, जैसलमेर से साधना की बस सेवा बन्द है जो कि शीघ्र ही आरम्भ हो जायगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

बाड़मेर की रामसर, सजन का पार, राणासर, चौहटन, गागरिया व बिजडार की सड़कें

223. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि बाड़मेर जिले की रामसर, सजन का पार, राणासर, चौहटन व गागरिया, बिजडार सड़कें रेलवे विभाग ने बन्द कर दी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के बन्द करने से जनता, सुरक्षा कर्मचारियों व अधिकारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन के सामने कई सालों से जन प्रतिनिधियों द्वारा यह समस्या रखी जा रही है ?

(4) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के रेल विभाग से इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष नवम्बर, 1982 को यह समस्या रखी गई थी।

(4) जिला प्रशासन द्वारा रेलवे विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा था। रेलवे विभाग ने केवल एक समपार जो रामसर व गागरिया के बीच कि. मी. 898/8–9 पर डी/338 है, को 'सी' श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु 22.150 रु. की मांग की थी लेकिन धन राशि के अभाव में कार्यवाही नहीं की गई है। राणासर–चौहटन रोड पर बने समपार को खोलने हेतु सेना का जी. आर. ई. एफ. विभाग कार्यवाही कर रहा है।

श्रीमाधोपुर से हरिदास का बास मार्ग का सर्वे

224. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(1) क्या श्रीमाधोपुर से हाथीदेह (सीकर) वाया हासपुर, कोटड़ी, ढाबावाली, भामरड़ा, भाडली, हरिदास का बास मार्ग पर बस सेवा का विभाग द्वारा कभी सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्या भविष्य में सर्वे करवाकर विभाग द्वारा प्राइवेट बस चालकों को परमिट देने की कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

अभी तक सर्वे नहीं करवाया गया है। सर्वे कराने के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

पाली जिले में खोले गये विद्यालय

225. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पाली जिले की रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में कितने नये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए ?

(2) उक्त समितियों में उक्त अवधि में किन-किन विद्यालयों में कौन-कौन से नये विषय खोले गए ?

उत्तर

(1) जून, 1980 से दिसम्बर, 83 तक रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में निम्नानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये :—

नाम पंचायत समिति	प्राथ. विद्या.	उच्च प्राथ. वि.	मा. वि.	उ. मा. वि.
1-रानी	4	2	—	—
2-देसूरी	6	5	1	1
3-मारवाड़ जंक्शन	10	7	1	1

(2) उक्त अवधि में उल्लेखित पंचायत समितियों के विद्यालयों में खोले गये विषयों की सूची निम्नानुसार है :—

(शिक्षा मंत्री)

पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	विषय का नाम	वर्ष
1–रानी	1–बूरी	वाणिज्य	80–81
	2–खोड	जीव विज्ञान	81–82
	3–बूसी	कृषि	82–83
	4–जबाली	वाणिज्य	83–84
	5–रानी	राजस्थानी	83–84
2–मारवाड़ जंक्शन	1–मारवाड़ जंक्शन	जीव विज्ञान	80–81
	2–आंता	कला	81–82
	3–मारवाड़ जंक्शन	टंकण	82–83
	4–आडवा	जीव विज्ञान	82–83
	5–कंटालिया	वाणिज्य	83–84
	6–जांजावर	वाणिज्य (मय टंकण)	83–84

संस्कृत शिक्षा विभाग में स्वीकृत अध्यापकों के पद

226. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में 20 फरवरी, 1984 को किस–किस वेतनमान में कितने–कितने पद अध्यापकों के स्वीकृत थे और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या उक्त तिथि को स्वीकृत पदों की संख्या के विपरीत नियुक्त अध्यापकों की संख्या अधिक रही है ? यदि हां, तो बिना पद के नियुक्तियां कैसे की गई ?

(3) क्या सरकार इस अनियमितता व भ्रष्टाचार के लिए निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) दिनांक 20 फरवरी, 1984 को संस्कृत शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वेतनमान	नाम पद	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1600–2325	प्राचार्य आचार्य स्तर	3	–
1000–1860	प्रोफेसर आचार्य स्तर	11	4
860–1750	प्राचार्य शास्त्री/ उपाध्याय	13	4
1300–2175	प्राचार्य एस. टी. सी.	1	–
860–1750	व्याख्याता	67	1
820–1550	प्रधानाध्यापक	29	–
740–1420	वरिष्ठ अध्यापक	45	2
625–1120	अध्यापक (स्केल 11)	225	4
490–840	अध्यापक (स्केल 7)	351	–

(2) जी नहीं। जो नियुक्तियां की गई वे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983–84 में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के फलस्वरूप की गई जिनका बजट आवंटित किया जा चुका है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

शोकाभिव्यक्ति

श्री घासीलाल गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री घासीलाल गुप्ता, भूतपूर्व विधायक के निधन पर शोकाभिव्यक्ति।

श्री चन्दनमल बैद (मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना) : अध्यक्ष महोदय, मैं दुःख के साथ यह निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बहुत अच्छे और पुराने साथी श्री घासीलाल गुप्ता का निधन हो गया है ।

श्री घासीलाल गुप्ता पहली विधान सभा के सदस्य थे । आप प्रारम्भ से ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते रहे । आप कर्मठ कार्यकर्ता थे । रियासती जमाने से ही अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक योजना, शिक्षा, पिछड़े समुदायों की उन्नति और सामाजिक उत्थान के लिये प्रयास किया । आप बहुत ही मृदुभाषी थे और हमारी विधान सभा की कार्यवाहियों में भी दिलचस्पी के साथ भाग लेते थे।

हम सबको उनका हमारे बीच में से चले जाने का अत्यन्त खेद है । मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके शोक सन्तप्त परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री घासीलालजी के निधन पर शोक प्रकट करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मृतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री घासीलाल जी गुप्ता के निधन के बारे में जो यहां पर कहा गया है, मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूँ । मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे परिचित था। वे मेरे पड़ोस में ही रहते थे। वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके शोक सन्तप्त परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभ नगर) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, मेरी पार्टी के सभी सदस्यों को उसमें सम्मिलित करते हुए मैं श्री घासीलाल गुप्ता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को वह शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुःख और क्षति को सहन करने की हिम्मत दे ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, श्री घासीराम गुप्ता के निधन पर जो प्रस्ताव माननीय चन्दनमलजी ने रखा है इसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे । इन्हीं शब्दों के साथ

(श्री यदुनाथ सिंह)

में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री चन्दनमल जी बैद की ओर से आया है, श्री घासीराम जी गुप्ता की मृत्यु के बारे में, उस प्रस्ताव में मैं अपने आपको शामिल करते हुए श्री घासीराम गुप्ता के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य माननीय घासीराम जी का निधन हो गया। उनके निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने श्री घासीराम जी गुप्ता के निधन पर जो शोकाभिव्यक्ति की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूँ। श्री घासी राम जी गुप्ता प्रथम विधान सभा के सदस्य थे। उनकी रुचि सदैव जनहित के कार्यों में और अपने क्षेत्र की तरक्की में बनी रही है। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में से उठ जाने का हम सबको हार्दिक दुःख है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट अपने स्थान पर मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में उपस्थित अजनबी

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, हाउस में स्ट्रेंजर घूम रहे हैं। आसन पैरों पर होते हुए भी घूम रहे हैं। इस्तीफा दे दिया है और हाउस के लिए स्ट्रेन्जर हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकाला जाय या 500/–रुपये इनसे जमा कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : त्याग-पत्र देना न देना यह माननीय सदस्य पर निर्भर करता है लेकिन त्याग-पत्र उस वक्त माना जाता है जब अध्यक्ष उसको स्वीकार कर त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया है अतः माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं। इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को निरस्त किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कोई विचारणीय विषय हो . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचारणीय विषय तो आपने पैदा कर दिया। सदन कार्यवाही नहीं है लेकिन आपने . . .

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर होगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था पर कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय राजस्व मन्त्री जी को जानकारी होगी हाल ही में ऐसे निर्णय कान्फ्रेन्स में हुए हैं कि अध्यक्ष की व्यवस्था को यदि पुनर्विचार करने के लिए सदस्य रखे तो उनको अनुमति है। तो पहले मैं यह अनुमति चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकारी नहीं थी कि माननीय सदस्य का आपको कोई त्याग–पत्र मिला है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिला है।

श्री अध्यक्ष : मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब यदि रेजिग्नेशन मिला है तो वह रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा या..........

श्री अध्यक्ष : संविधान और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संविधान और नियमों के अनुसार ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अगर कोई माननीय सदस्य ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : रूल्स अमेन्ड हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स अमेंड हो गये हैं इसीलिए मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। आप देखिये। रूल्स ऑफ प्रासीजर में रेजिग्नेशन के संबंध में व्यवस्था है कि रेजिग्नेशन माननीय सदस्य यदि अध्यक्ष महोदय को सीधा पेश करें तो रूल 173 के पार्ट में लिखा है—

"If a member hands over the letter of resignation to the Speaker personally and informs him that the resignation is voluntary and genuine and the Speaker has no information or knowledge to the contrary, the Speaker may accept the resignation immediately."

"If the Speaker receives the letter of resignation either by post or through someone else, the Speaker may make such enquiry/ as he thinks fit to satisfy himself that the resignation is voluntary and genuine. If the Speaker, after making a summary enquiry either himself or through the agency of the Assembly Secretariat or through such other agency as he may deem fit, is satisfied

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

that the resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept the resignation."

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने दो प्रश्न है कि रेजिग्नेशन वालियण्टरी है या नहीं और रेजिग्नेशन जेनुइन है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: रेजिग्नेशन है या नहीं, यह भी हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं निवेदन कर रहा हूँ कि रेजिग्नेशन जेनुइन है या वालियण्टरी है ..

श्री प्रद्युम्न सिंह: How are you concerned ?

इसमें मेन्शन है—"Summary enquiry"....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरा यह निवेदन है कि आपने हाउस के सामने यह एक्सेप्ट किया है कि रेजिग्नेशन है। आपने इस बात को स्वीकारा है कि मिला है। अब रेजिग्नेशन मिलने के बाद दो ही चीजें है, एक तो अपना सेटिस्फेक्शन करना है और उस सेटिस्फेक्शन में यह तय करना है कि जेनुइन है या नहीं। जेनुइन का मतलब जहां तक मैं समझता हूँ यह है कि उस पर सिगनेचर जो है वह किसके हैं, कोई फर्जी तो नहीं हैं। पहले नियमों में ऐसी व्यवस्था थी कि यदि स्पीकर के हाथ रेजिग्नेशन लग जाय तो वह एक्सेप्ट हो, लेकिन किसी ने फर्जी दस्तखत कर दिये और वह रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, उसकी कोई अपील कहीं भी नहीं हुई और वह मेम्बर गया, तो इस चीज की रोकथाम करने के लिए नियमों में यह व्यवस्था की गई कि किसी ने रेजिग्नेशन दिया हो तो उसके सिगनेचर के जेनुइन होने के बारे में स्पीकर जांच करे।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि....

श्री अध्यक्ष: जेनुइन में खाली सिगनेचर का ही नहीं है, उसमें उनकी इच्छा थी या नहीं, यह भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, वह वालियन्टरी में आयगा। मैं पहले निवेदन कर दूं। पहला क्वेश्चन है कि रेजिग्नेशन जेनुइन है या नहीं। जेनुइन के संबंध में सिगनेचर का कोई....

श्री रामनारायण चौधरी: रेजिग्नेशन है या नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। उनको अपनी बात कहने दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सिगनेचरी पहुँच गये या नहीं। अध्यक्ष महोदय, परसों के समाचार पत्र में पढ़ा होगा, उसमें इस रेजिग्नेशन का उल्लेख आया था।

अध्यक्ष महोदय, अब अगर माननीय सदस्य का यह रेजिग्नेशन जेनुइन नहीं है तो किसी मैम्बर के बारे में, चन्दनमल जी के बारे में, या मेरे बारे में रेजिग्नेशन की सूचना अखबारों में छप जाय, और हमारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी में नहीं हो, तो हम तो बिना रोटी खाये सीधे आपके पास पहुँचेंगे और कहेंगे कि यह रेजिग्नेशन जेनुइन नहीं है। हमारे किसी ने फर्जी दस्तखत किये हैं। अब आज तक आपके पास श्री भैरूंसिंह गुर्जर ने अप्रोच नहीं किया और यह कहा नहीं, inspite of the fact that the resignation letter has been published in the press वह आपके पास आये नहीं, इसका मतलब यह है कि जेनुइननेस के प्रश्न के ऊपर जो जानकारी करनी चाहिए थी, वह आटोमेटिकली जानकारी हो गयी। उस मैम्बर की ओर से किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं किया गया है कि यह जेनुइन नहीं है और मैंने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया। बल्कि कुछ समाचार पत्रों में तो यहां तक आया कि यह जो न्यूज है वह उन माननीय सदस्य ने ही उन लोगों को दी है। इसका मतलब यह है कि इसकी जेनुइननेस के बारे में किसी प्रकार का सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। अब प्रश्न आता है वालियण्टरी का। वालियण्टरी का प्रश्न इसलिये आता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दिया है या किसी मन्त्री की इच्छा से या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या लोगों के दबाव से रेजिग्नेशन दिया है। अब, अध्यक्ष महोदय, उस रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ लें तो उसमें किसी प्रकार के दबाव का कहीं कोई संकेत नहीं है। रेजिग्नेशन लैटर में लिखा है, आपकी तारीफ की है पहले "आप एक विद्वान और विधान सभा के कर्मठ अध्यक्ष हैं....

श्री अध्यक्ष : इसलिये कि उन्हें विश्वास था कि निर्णय ठीक होगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, "दिनांक 7–3–84 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान माननीय सदस्य श्री शिवदानसिंह राठौड़ द्वारा मुझ पर मनगढ़न्त बे–बुनियाद आरोप लगाये गये हैं। विधान सभा की गरिमा को देखते हुए कोई सदस्य मिथ्या बात करे, विधान सभा को गुमराह करे व समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को भ्रमित करे, इससे अच्छा यह है कि इन आरोपों की गुप्त, न्यायिक और सार्वजनिक जांच करायें जिससे सत्यता प्रकट हो। श्री राठौड़ का संपूर्ण भाषण मिथ्या है जिसके कई सबूत मेरे पास हैं। बे–बुनियाद आरोपों से मुझे मानसिक पीड़ा हुई है और मेरी सार्वजनिक छवि पर भी बुरा असर हुआ है। अतः या तो श्री राठौड़ इसकी क्षमा याचना करें या आप जांच करायें। मैं इन आरोपों का विरोध करता हूँ और यदि ये आरोप साबित हो जाय तो मुझे विधान सभा का सदस्य रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

अतः मेरा त्याग-पत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत करता हूँ।"

(व्यवधान)

मैं बोल रहा हूँ। उनका लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। यदि जांच में आरोप मिथ्या साबित होते हैं तो श्री राठौड़ से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

त्याग पत्र मांगें और उन्हें प्रताड़ना दें या मुझे उनके विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है कि आप जांच करें, गलत साबित हो तो उनसे रेजिग्नेशन लें, नहीं तो मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदय, दुनिया की किसी किताब में, रूल्स में या संविधान में कहीं मुझे यह उल्लेख बता दें कि रेजिग्नेशन विधान सभा में कंडीशनल हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाय। अनकंडीशनल हो तो एक्सेप्ट किया जाय। एक व्यवस्था नहीं है, हाल ही में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। एक तो पंजाब के मेम्बर्स ने इस्तीफा दिया अकाली मेम्बर्स ने, लेकिन अकाली मेम्बर्स का इस्तीफा इसलिये मंजूर नहीं हुआ कि जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन की डेट न देकर एक डेढ़ महीने बाद की तारीख दी, अगले महीने की 22 तारीख से हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाय। तो स्पीकर ने यह फैसला दिया कि आगे की डेट के सम्बन्ध में दिया हुआ रेजिग्नेशन है मैं आज इसको रेजिग्नेशन की शक्ल में नहीं लेता। यह मैच्योर उस तारीख को होता है जिस तारीख के लिये उन्होंने यह दिया है। अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो उस तारीख के बाद दें या उस तारीख को रेजिग्नेशन दें, उसके बाद नहीं। दूसरा रेजिग्नेशन अभी मध्य प्रदेश में एक एम.पी. का हुआ है। मध्य प्रदेश के एम.पी ने जो रेजिग्नेशन दिया है उसमें सारे कारण लिखे हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है, मेरे क्षेत्र में अमुक प्रकार के कार्य नहीं हुए, इसलिये मैं त्याग-पत्र देता हूं। वह रेजिग्नेशन तुरंत स्वीकार कर लिया गया। सीट खाली घोषित कर दी गई, फिर चुनाव कभी हों। अध्यक्ष महोदय, उस रेजिग्नेशन में और इस रेजिग्नेशन में अन्तर क्या है? कोई कंडीशन कहीं नहीं है। आप अगर उस रेजिग्नेशन को देखें और रेजिग्नेशन को देखने के बाद में किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देखें, डिक्शनरी में रेजिग्नेशन के साथ आज तक की जो व्यवस्थाएं हुई, इन व्यवस्थाओं में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि रेजिग्नेशन कंडीशनल हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाय। Resignation is a resignation, और इसको रेजिग्नेशन के रूप में ही ट्रीट करना है। इन दो शर्तों के साथ अब, अध्यक्ष महोदय, आप तीसरी बात यह कह सकते हैं कि इसमें फार्म प्रेस्क्राइव्ड है। किस प्रकार के फॉर्म में रेजिग्नेशन दिया जाय...

श्री अध्यक्ष : अन्त में यदि सदस्य चाहें तो वापस ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ले लें तो ठीक है। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सदस्य को यह लेटीट्यूड देना चाहते हैं कि वह अब भी समझदार बन जाय और वापस ले लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह तो बाद में सवाल पैदा होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : तैयार नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है, अध्यक्ष महोदय, Resignation of seats in House नियम 173 में प्रोवाइडेड है :

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in writing under his hand addressed to Speaker, his intention to resign his seat in the House in the following form and shall not give any reason for his resignation."

अब, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, वह कारण दे दिये, और कारण देने के बाद भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। फार्म में लिखा है "I hereby tender my resignation of my seat in the house with effect from...."

अध्यक्ष महोदय, यदि इसके ऊपर कोई ग्राउन्ड लिख दें कि मैं त्याग-पत्र क्यों दे रहा हूँ तो क्या आप उसको रिजेक्ट करेंगे? Resignation in itself is complete in all sense. कम्पलीट जब रेजिग्नेशन है, तो उसके बाद में ऊपर उसने चाहे प्रिएम्बल कुछ भी लिख दिया हो, इन्दौर के माननीय सदस्य ने रेजिग्नेशन दिया था, जो कुछ मैंने अखबारों में पढ़ा था उसके आधार पर, करीब डेढ़ पेज का प्रिएम्बल बनाया—मैं दुखी हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा नहीं कर सकता, मेरे साथ राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है, मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, यहां डवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं अतः इस दुःख से दुखी होकर मैं त्याग-पत्र देता हूँ। यह उन्होंने बैक-ग्राउन्ड में दे दिया तो, क्या कांस्टीट्यूशन के आधार पर उसको रेजिग्नेशन नहीं माना गया? या वहां के रूल्स, जो पार्लियामेंट के आधार बने हुए हैं, के आधार पर रेजिग्नेशन नहीं माना गया? रेजिग्नेशन माना गया। उनसे केवल एक बार पूछा गया कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है, whether it is genuine or not? और जब उन्होंने कहा कि जेनुइन है, मैंने अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दिया है तो उसी समय एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ कि तीन दिन से मामला पेंडिंग है, इसकी जेनुइननेस के बारे में जो माननीय सदस्य को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, न तो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट नहीं होने के बाद में भी अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि रूल्स और कान्सटीट्यूशन दोनों का ब्रीच होता है। यह ब्रीच नहीं होना चाहिये resignation should be accepted immediately.

रेजिग्नेशन केवल कंडीशनल दे दिया जावे तो वह कंडीशनल रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन की परिभाषा से बाहर नहीं निकलता है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ा, और रूल्स में जो परिवर्तन, संशोधन हुआ है उसमें आपकी नियम समिति ने कुछ विशेष रूप से..........

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें।

श्री राजबहादुर : विशेष रूप से रुचि लेकर संशोधन किये हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि रूल्स में कहीं कंडीशनल रेजिग्नेशन का जिक्र नहीं है। कोई रेजिग्नेशन कंडी-

(श्री राजबहादुर)

शनल हो सकता है या नहीं हो सकता है ऐसा कहीं नहीं है। या तो रेजिग्नेशन है वह या वह नहीं है। दोनों में से एक चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए जो इसमें कंडीशन आई है वह भी बड़ी क्लियर है, यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो मेरा यह त्याग-पत्र मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यानि in any case आरोप सिद्ध होने तक तो इनका इरादा नहीं है। अगर सदन की कोई कमेटी गठित हो, वह इसको जांच करे, इनके विरुद्ध वे आरोप सिद्ध पाये तो ये देने को तैयार हैं।

श्री राजबहादुर : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्हें तो जो तीर छोड़ना था कमान से वह तो छोड़ ही दिया है। इन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, छवि बिगड़ी है इसलिए या तो आरोप सिद्ध करें या उनको जिन्होंने कहा, दण्डित करें। कोई अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो मेरा इस्तीफा मान लिया जाय। वह प्रक्रिया कौन करेगा ? अगर कोई कंडीशनल रेजिग्नेशन के बारे में रूल्स में प्रोवीजन होता तब तो उससे गाइडेंस मिलती। अब तो गाइडेंस मिलेगी आपकी रूलिंग से, और रूलिंग इसके बारे में क्या होगी ? यह होगी कि आपका दायित्व क्या होता है ? जो उन्होंने चुनौती दी है, जो कुछ हुआ हाउस में हुआ, घटना हाउस में घटी, तो उस चुनौती की आप जांच करें। उसके बिना न तो आप इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार कर सकते हैं। इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि आप जांच कराइये और जांच करने के बाद भले ही कुछ भी हो, लेकिन जांच तो करनी होगी। लेकिन वह नहीं कर सकते, आप जांच नहीं करें तो क्या आप रेजिग्नेशन को कंडीशनल मानकर अस्वीकार कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हमारा विचार तो यह बनता है कि जो माननीय सदस्य इस सभा का सदस्य नहीं रहना चाहे, बिना शर्त लगाये,आकर निवेदन कर दे कि मैं अब सेवा नहीं करना चाहता हूँ, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर : अब वह शर्त लगाता है तो भी वह रेजिग्नेशन तो रहेगा ही। आप उसकी जांच कर सकते हैं। वह त्याग पत्र-तो रहेगा। आप उसकी जांच नही करायें....

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी। संक्षेप में, समय जा रहा है। विधि मंत्री जी बोलेंगे, श्री नाथू सिंह को भी समय दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय माननीन सदस्यों को अपने स्थान से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है। मान्यवर, "सदन के स्थानों का त्याग-(1) जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सदन को अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को सम्बोधित अपने, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप में देगा।" निम्न रूप साफ दिया हुआ है। इससे भिन्न यदि वह देता है तो वह त्याग-पत्र की परिभाषा में नहीं आता।

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय सदस्यों के इस सदन के सदस्यों के निर्वाचन के लिये भी प्रक्रिया निर्धारित है, निर्वाचन कमीशन द्वारा नियमों के तहत, कानून के तहत एक नामिनेशन फार्म निर्धारित है। उस निर्धारित फॉर्म में ही प्रक्रिया है और उसको भर कर देता है, तभी वह नामिनेशन स्वीकार होता है। उस नामिनेशन के आधार पर यहां पर माननीय सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। त्याग पत्र देने की प्रक्रिया भी स्पष्टतः इसमें निर्धारित है। इसके अलावा कोई भी भिन्न उद्देश्य होगा, वह त्याग पत्र की परिभाषा में नहीं आता। अब प्रश्न उठता है कि आप उसको मानें या न मानें यह, मान्यवर, आपके डिस्क्रिशन पर आता है, विवेक पर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका विवेक जुडिशियस होगा। जुडिशियस के मायने यह हैं कि जो कुछ प्रक्रिया आपने अपने नियमों में निर्धारित की है उससे भिन्न प्रक्रिया आप अपना नहीं सकते। यह आपका जुडिशियस व्यू है और स्वविवेक कहता है। इसलिये माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने और माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो उठाया है प्रश्न वह, मान्यवर, पाइंट ऑफ आॅर्डर नहीं है। और पाइंट ऑफ आॅर्डर के रूप में आप लेते भी हैं तो इसको रूल आउट करें। यह त्याग पत्र की परिभाषा में आता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने सुनाया, 1980 का उदाहरण दिया है, लिखा हुआ है :

यह 1980 के रूल्स में है और 1981 के रूल्स में जो लेटेस्ट है और लागू है उसमें इस वर्ड को हटा दिया गया है : इसमें साफ लिखा हुआ है :—"A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in writing under his hand addressed to the Speaker his intention to resign his seat in the House in the following form."

श्री अध्यक्ष : In the following form उसको रीजन देने से रोका नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फार्म तो है। फार्म तो पहले वाले में भी था लेकिन 1980 के रूल में रीजन्स देने के लिये मना किया हुआ था, उसमें यह चीज हटा दी है। इसका मतलब यह कि यदि कोई रीजन्स के साथ में देना भी चाहे तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : लेटेस्ट तो यही है। लेटेस्ट में रीजन का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेजिग्नेशन से सम्बन्धित मामलों में एक तो रूल 173 में जो दिया हुआ है उसको देखना पड़ेगा और इसमें ......

श्री अध्यक्ष : आपने एल. एल. एम. कर लिया कि नहीं अभी तक ?

श्री नाथू सिंह : बता रहा हूं। आप निवेदन सुनिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

(श्री नाथू सिंह)

कर रहा हूँ, सुनिये। अध्यक्ष महोदय, पास कोई भी व्यक्ति नहीं होता। वह हर समय विद्यार्थी बना रहता है। मैं भी हमेशा विद्यार्थी बना रहना ज्यादा पसन्द करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय श्री रामनारायण जी ने बताया, मैं उसी रूल 173 को कोट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि रूल्स कमेटी ने 1980 में जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में रूल्स कमेटी ने लिखा है कि कोई भी रेजिग्नेशन दिया जायेगा, वह कंडीशनल नहीं होगा। रेजिग्नेशन को कंडीशनल नहीं माना जायेगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ, resignation means resignation चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, मेरा निवेदन सुन लीजिये। रेजिग्नेशन तो रेजिग्नेशन ही माना जायगा डिक्शनरीज में भी देखें। लीगल डिक्सनरी है, उसमें रेजिग्नेशन का मतलब रेजिग्नेशन ही है। उसमें न तो यह है कि कंडीशनल होना चाहिये, न यह है कि अनकंडीशनल होना चाहिए। मेरा निवेदन एक तो यह है कि जो रेजिग्नेशन दिया है आपने वह रेजिग्नेशन है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, रूल 173 में जो एक लाइन लिखी है, जो कि नये रूल्स बन करके आये हैं 1980 की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उसके अन्दर लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, "A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in writing under his hand addressed to Speaker his intention.... "

"intention" वर्ड है, अध्यक्ष महोदय। पहले "desires" है और उसके बाद में है "intention" :

".. .. to resign his seat in the House in the following form."

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का इन्टेन्शन था और डिजायर थी, इसी लिये उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिखने के बाद आपको दिया। आपको ही नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय, उस इस्तीफे की कॉपियां प्रेस को भी वितरित की गई। इसलिये इससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने पहले डिजायर व्यक्त की, उसके बाद उनकी इन्टेन्शन थी। इस इन्टेन्शन को उन्होंने रेजिग्नेशन लैटर में भी शो किया है कि मेरी छवि इन आरोपों से गिरी है, इसलिए मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन्टेन्शन के साथ रेजिग्नेशन दिया था, इसलिये इन्टेन्शन को देखते हुए इसमें आगे कोई गुंजाइश ही नहीं रहती आपके लिए। आपको तो जैसा माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, यह देखना है, वालियन्टरी है कि नहीं, जेनुइन है कि नहीं, उन्होंने दिया है कि नहीं, यह देखकर उस पर कार्यवाही करनी चाहिये थी। तो मेरा निवेदन एक तो यह है, अध्यक्ष महोदय।

दूसरे, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं बार-बार माननीय श्री रामनारायण चौधरी, उसके बारे में मैं निवेदन

(श्री नाथू सिंह)

करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, हम कॉलिंग अटेन्शन के नोटिस देते हैं और स्थगन प्रस्ताव देते हैं आपको उसका, भी एक स्पेसिफिक फॉर्म बना हुआ है। नियम बना हुआ है। इस नियम के तहत इस फार्म के अन्दर सूचनाएं देंगे या मोशन हाउस के अन्दर मूव करेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यदि हम कुछ उसमें भी एड करते हैं तो वह उसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में माना जाता है। उसमें यह नहीं है कि जितने शब्द उस फार्म में लिखे हुए है उतने के उतने शब्दों को हम उपयोग में लाते हैं। हमारी एक इन्टेन्शन होती है उसमें और जो फार्म है उसके रूप में थोड़ा सा आ जाना चाहिये। इसमें यह नहीं है कि एक शब्द ज्यादा हो गया या कम हो गया तो वह फॉर्म बिगड़ जायगा, यदि माननीय श्री रामनारायण चौधरी कभी कोट पहन कर आ जायं तो वह रामनारायण चौधरी नहीं हों। कुर्ता पाजामा पहनकर आ जाय तो वे रामनारायण चौधरी होंगे। ऐसे फॉर्म में नहीं है फार्म का मतलब है, इन्टेंशन क्या है माननीय सदस्य की। वह मोटे-मोटे रूप में रूल्स के तहत आती है कि नहीं, फार्म का मतलब केवल यही है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रेजिग्नेशन दिया गया है, अब तक आपने इस पर निर्णय नहीं लिया है और इसकी कापियां विपरीत की गई उसके सम्बन्ध में मैंने प्रिविलेज मोशन भी आपके सामने मूव किया है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। विधि मन्त्री जी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मन्त्रीजी या अन्य कोई माननीय महोदय बोलें उसके पहले मैं एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नियम समिति सन 1981 की रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को इस सदन ने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद में 1980 के नियमों में में संशोधन होकर 1981 के नियम लागू हुए हैं। उप-नियम समिति की रिपोर्ट, जो हाउस ने एक्सेप्ट की है, में पेज 8 पर नियम 113। इस नियम में यह व्यवस्था है, 1980 के इस नियम में यह व्यवस्था है कि "यदि कोई सदस्य सदन में अपने स्थान से त्याग-पत्र देना चाहे तो वह अध्यक्ष को अपने इस आशय की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में देगा और दिये गये त्याग-पत्र के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं करेगा।" यह 1980 के रूल्स में है। इस पर कमेटी के कमेन्ट्स हैं, यदि कोई सदस्य कोई कारण या अन्य बात अपने त्याग-पत्र में उल्लेखित करेगा तो अध्यक्ष अपने विवेक से इस प्रकार के कारण आदि को त्याग-पत्र से हटा सकता है। यह तो है 1980 तक की व्यवस्था। उसके बाद 1981 में उन्होंने यह सजेशन्स दिये हैं, जिसके आधार पर रूल अमेन्ड हुआ है। उप समिति की राय में वर्तमान परि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थितियों में इस प्रकार की बंदिशें हैं जो अव्यावहारिक और अनुचित हैं। किसी भी सदस्य को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने त्याग-पत्र के कारणों पर समुचित प्रकाश डाले। लोकतन्त्र में राजनैतिक या अन्य विचारों या अभिव्यक्तियों पर अंकुश नहीं लगाना चाहिये। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि त्याग-पत्र बहुत स्पष्ट और ऐसा हो जिससे त्याग–पत्र की मन्शा के बारे में किसी प्रकार की शंका न रहे। साथ ही सदन में सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में जो संशोधन कुछ वर्षों पूर्व किये गये थे और जिनको लोकसभा ने अपने नियमों में स्वीकार कर लिया है उनके अनुसार इन नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। "अध्यक्ष महोदय, इस उपनियम समिति की रिपोर्ट हाउस में पेश हुई, इस उपनियम समिति की रिपोर्ट हाउस द्वारा स्वीकार करने के बाद में 1981 के नियम बने हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कारणों का जहां तक प्रश्न है, इस हाउस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि कारण बताना कोई आवश्यक नहीं है। व कारण बताने का अधिकार है इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहिए। माननीय सदस्य ने अपने रेजिग्नेशन के जो कारण बताये हैं, नियमों के अनुसार बताये हैं। इसके लिए माननीय सदस्य पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। इस स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य। श्री देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। किसी भी माननीय सदस्य का त्याग–पत्र साधारण बात नहीं होती, बहुत गम्भीर बात होती है। अध्यक्ष महोदय, जिन तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया वे तीनों बातें वाजिब भी हैं।

प्रथम तो यह कि जो पत्र माननीय सदस्य की ओर से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया, वह त्याग पत्र की तारीफ में आता है या नहीं। यदि तारीफ में आता है तो अन्य दोनों बातों को भी देखने की बात आती है कि यह जेनुअन है और वॉलियण्टरी है। जब तक त्याग पत्र की तारीफ में नहीं आता है तब तक न तो यह देखा जाना चाहिए कि वह जेनुइन है या वॉलियण्टरी है, वह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा, यह त्याग-पत्र, जिसे सशर्त त्याग-पत्र कहा गया, विपक्ष के नेता महोदय ने अभी सदन में पढ़ कर सुनाया, मैंने उसे देखा नहीं, पहली बार अभी सुना है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने भी प्रारम्भ में यह रिमार्क किया था कि प्रथम तो यह त्याग पत्र है अथवा नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : The Speaker has accepted it.

श्री हीरालाल देवपुरा : आप मान लीजिए एक्सेप्टेड। I don't accepte it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Speaker has accepted it.

श्री हीरालाल देवपुरा : Speaker has not accepted it. I feel so.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Speaker has accepted that he has received the resignation letter.

श्री हीरालाल देवपुरा : Speaker has not accepted it . . . .

(व्यवधान)

Speaker has not received the "Tyag patra."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार कर लिया। आपके विधि मंत्री भी कह रहे थे, उन्होंने यह कहा था The Speaker has accepted it.

श्री हीरालाल देवपुरा : He has not received the "Tyag-patra." He has received a letter. but not resignation. Speaker has not said that he has received the resignation. आपने पूछा, आपके पास आया ? उन्होंने कहा, हां, आया। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है, प्रथम तो यह है कि वह त्याग पत्र है अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय ने जब यह कहा कि वह त्याग पत्र है अथवा नहीं, जब अध्यक्ष महोदय के मुंह से यह निकला, इसका मतलब अध्यक्ष महोदय के समक्ष एक पत्र जरूर आया पर वह पत्र त्याग पत्र की तारीफ में आता है या नहीं आता, अध्यक्ष महोदय को इस पर अभी विचार करना है। यह मैं मान कर चलता हूँ, यह बात साफ थी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह त्याग पत्र की तारीफ में नहीं आता है क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने त्याग पत्र में विवरण दिया कि क्या घटनाएं घटीं और उनके ऊपर क्या असर हुआ। उनके बारे में जो कुछ कहा गया, उसकी जांच करवाई जाय, साबित हो तब यह त्याग-पत्र माना जाय और साबित न हो तो जिन माननीय सदस्य ने.......

श्री अध्यक्ष : ऐसे मौखिक रूप से भी कई दफा माननीय सदस्य सदन में कह देते हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यह भी कह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौखिक रूप में तो है नहीं। Resignation should be in writing.

श्री अध्यक्ष : राइटिंग में तो आ जाता है। प्रासीडिंग सब रिकार्ड होती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हस्ताक्षरशुदा रेजिग्नेशन होना चाहिए, यह कण्डीशन है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात निवेदन करना चाहूँगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यहां पर यह बात कही गई की त्याग पत्र प्रेस्काइब्ड फॉर्म में नहीं है। इस पर निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, जब कानून के अन्दर इसी बात के लिए प्रेस्काइब्ड फॉर्म दिया हुआ है, यह टेक्निकल बात है, बड़ी गम्भीर बात है, जिस पर अपन बात कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य जब हाउस में आते हैं एक प्रेस्काइब्ड फॉर्म में नॉमिनेशन फॉर्म भर करके पेश करना होता है। उस नॉमिनेशन में यदि हम इधर–उधर की कुछ बात लिखते हैं तो नॉमिनेशन टोटल एक्सेप्ट नहीं होता है। उसके अन्दर करेक्शन करवाया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। माननीय सदस्य जब हाउस में आता है तब जो प्रेस्काइब्ड फॉर्म दिया हुआ है उस प्रेस्काइब्ड फॉर्म में केवल एक लैटर लिखकर, एप्लीकेशन दे करके अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए हाउस में नहीं आ सकता। तो माननीय सदस्य जब इस हाउस से त्याग पत्र देने की बात करता है तो वह उतना ही इम्पॉर्टेण्ट है। जब वहां पर प्रेस्काइब्ड फॉर्म इम्पॉर्टेण्ट है तो यहां पर भी जो प्रेस्काइब्ड फॉर्म दिया है उस प्रेस्काइब्ड फार्म के अन्दर एप्लीकेशन देनी है तो उस प्रेस्काइब्ड फार्म का उतना ही महत्व है जितना महत्व नॉमिनेशन पेश करते वक्त दिया गया है प्रेस्काइब्ड फॉर्म को। इसलिए जब रेजिग्नेशन आता है अध्यक्ष महोदय के समक्ष तो वह प्रेस्काइब्ड फॉर्म, जो प्रेस्काइब्ड किया है हमारे रूल्स के अन्दर, के अन्दर आना चाहिए। उस फॉर्म में नहीं आता है तो वह रेजिग्नेशन के रूप में माना नहीं जा सकता, एक लैटर माना जा सकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस विषय पर चर्चा चल रही है, जिसे रेजिग्नेशन कहा जा रहा है जिसको पढ़ कर के यहां सुनाया गया, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह रेजिग्नेशन की तारीफ में नहीं आता है, इसलिए उसे स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार किया नहीं, उससे पहले ही हम यहां पर डिबेट कर रहे हैं, जो उपयुक्त बात थी नहीं। आपके समक्ष आया था, आप विचार करेंगे, निर्णय देंगे। उसके पहले यह कहना कि स्ट्रेन्जर है, उसको तो आपने रूल–आउट कर दिया कि मैं स्ट्रेन्जर नहीं मानता, यह व्यवस्था आपने दे दी। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी विचार यहां पर किया जा रहा है वह प्री–मैच्योर अवस्था में है और इस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो गयी।

(व्यवधान)

विधि मंत्री जी।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : गीता में लिखा है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायं। काफी समय हो गया है।

विधि मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : मैं बिल्कुल नवीन बिन्दु रखूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नवीन बिन्दु, जो अब तक श्रीमान् के समक्ष नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन को इस पत्र पर निर्णय नहीं देना है, निर्णय मुझे देना है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

जिन माननीय सदस्यों की राय जानना मैंने उचित समझा, उनको मैंने सुन लिया। समय काफी हो गया है। यह विषय आज की कार्य-सूची से हट कर है इसलिए इस पर अधिक समय नहीं दिया जायगा। अगर मुझे कोई कठिनाई होगी निर्णय लेने में, तो माननीय सदस्य, जो अभी बोलने के इच्छुक हैं, से मैं और अलग से बात कर लूंगा।

अब विधि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी राय बतायें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जो विचार मेरे लायक दोस्त, श्री देवपुरा जी ने प्रस्तुत किये हैं, उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा वह यह कि अगर कोई शख्स रूल 173 के अधीन कोई रेजिग्नेशन या इस्तीफा देना चाहता है हाउस से, तो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है वह फॉर्म और वह रूल का पार्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप 1981 के नियम पढ़ रहे हैं या जैसे विपक्ष के नेता महोदय ने कहा.......

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं नियम 173 पढ़ रहा हूँ। उसके अन्दर जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वह रूल का पार्ट है, इसलिए उसके अलावा कोई फॉर्म में अगर रेजिग्नेशन आयगा तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। वह रेजिग्नेशन की तारीफ में नहीं आयगा।

अब रहा सवाल सन् 1980 की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, उसका रूल बना हुआ है, उसके अन्दर यह प्रावधान है कि वह कण्डीशनल नहीं होगा। यह कण्डिशनल है, यह रेजिग्नेशन की तारीफ में नहीं आता है। इसमें तो यह लिख रहा है-फ्यूचर डेट से रेजिग्नेशन। अगर मेरे खिलाफ आरोप सिद्ध हो जायं तो उस डेट से इसे मंजूर किया जाय। अगर कोई है तो.......

एक माननीय सदस्य : तब भी नहीं,

(एक माननीय सदस्य)

तब भी दोबारा देना पड़ेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जब मैम्बर खुद विधान सभा में उपस्थित हो गया है, तो इसके मायने यह हैं कि उसकी इस्तीफा देने की नियत थी ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने दें, अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दें उसके पहले जो मैंने कहा है, उसके सम्बन्ध में कॉन्स्टीट्यूशन और पार्लियामेण्ट के रूल्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मुझे एक मिनट लगेगा, मैं चाहूँगा, मुझे अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन में आर्टिकल 101 में यह लिखा है, रिजाइन की स्थिति में हाउस की सीट कैसे खाली होगी, जिसमें कुछ डिस-क्वालिफिकेशंस का उल्लेख किया है और आगे लिखा है "........resign his seat by writing under his hand addressed to the Chairman or the Speaker, as the case may be, and if the resignation is accepted by the Chairman or the Speaker, as the case may be........" अब इसके लिए पार्लियामेण्ट में रूल्स हैं। आपके सामने समस्या आई है और जिस समस्या का उल्लेख माननीय विधि मंत्री जी कर रहे थे, 1980 के रूल्स पढ़ कर उसका पार्लियामेण्ट में रूल है 240। इस रूल में भी फार्म प्रेस्क्राइब्ड है "A member, who desires to resign his seat in the House, shall intimate in writing under his hand addressed to the Speaker his intention to resign his seat in the House in the following form and shall not give any reason for his resignation." यह तो फार्म होगा, यह साफ लिखा है।

अपने यहां इसको ओमिट कर दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर ओमिट किया लेकिन एक प्रोविजो इसमें जोड़ दिया :–

"Provided that where any member gives any reason or introrduces any extraneous matter, the Speaker may. in his discretion, omit such words, phrases or matter, and the same shall not be read out in the House."

तो जहां तक यह लिखा गया है यह तो केवल इसकी सीमा बांध दी कि आप इसको हाउस में नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रानिअस मैटर है। रेजिग्नेशन का जो पार्ट है वह तो साफ है, उस रेजिग्नेशन के पार्ट को आप पढ़ कर सुना सकते हैं, एक्स्ट्रानिअस मैटर नहीं है। इन्होंने लिख दिया यह रेजिग्नेशन की तारीफ में नहीं आता resignation is a resignation.

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मुद्दे पर, एक पाइन्ट पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो लैटर है, जो भी उसमें लिखा है या तो आप उसका जो मेन पर्पज है, या कन्टेन्ट है रेजिग्नेशन देने का

(श्री राजबहादुर)

उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो भी, और करेंगे तो भी जो मेन बात उसमें आई है, आक्षेप वाली, आरोप वाली उसका क्या होगा? आपने, मान लीजिए, अस्वीकार कर दिया; रेजिग्नेशन अस्वीकार करता हूँ तो आरोप तो ज्यों के त्यों बने रहे, उनकी पोजीशन वह की वही रही और छवि वह की वही रही। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कन्डीशनल रेजिग्नेशन का इसमें प्रोविजन नहीं है reignaoian should be or should not be.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये माननीय सदस्य, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जेनुइननेस के बारे में, दिया है या नहीं दिया है, तो स्पष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

विपक्ष के नेता महोदय ने एक आपत्ति का प्रश्न उठाया था इस बात को लेकर कि खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और उसमें त्याग-पत्र की बात भी कही गई है और अन्य कई बातें कही गई हैं। विपक्ष के नेता महोदय का कहना यह था कि क्योंकि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, इसलिए वह इस सदन के लिये अजनबी हो गये हैं, उनको इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में ही व्यवस्था दे दी कि किसी माननीय सदस्य का त्याग-पत्र जब स्वीकार हो जाय, उस समय से वह प्रभावशाली होता है। तो एक तरह से यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि सदन की कार्य सूची में ऐसा आज कोई विचारणीय विषय नहीं है और इसका सरकार के कार्य-कलापों से भी कोई ताल-मेल या किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल आसन से है आसन ही इसके ऊपर अपना विनिश्चय दे सकता है।

मैं माननीय सदस्यों, विधि मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी, अन्य अलग अलग पक्ष के नेताओं और माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने संविधान, हमारे यहां के प्रक्रिया के नियम, लोक सभा के नियम, हमारे कुछ प्रतिवेदन, कई इसके पक्ष मेरे सामने रखे। तो जब मैं इस पत्र पर निर्णय दूंगा, उस वक्त इन सभी पक्षों पर विचार करके बाद में निर्णय दूंगा। व्यवस्था का प्रश्न निरस्त किया जाता है। आज की कार्य सूची में जो कार्य है उस कार्य को हाथ में लिया जाता है वह कार्य है स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराज जाय तो ....

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विशेषाधिकार का प्रश्न भी है इसी सम्बन्ध में ······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आसन पैरों पर है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दे रखा है इस सम्बन्ध में विचाराधीन है ।

श्री यदुनाथसिंह : विशेषाधिकार का प्रश्न दिया हुआ है ······

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर विचार कर रहा हूं, अध्ययन किया जा रहा है, सभी प्रश्न आ जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दो मिनट के लिये पहले विराज जाएं तो मैं निवेदन करूं बड़ा महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का प्रश्न है ······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आसन को, जितने भी माननीय सदस्य है, उन सबसे पूर्ववर्तिता है सदन को सम्बोधित करने में । मैं सदन को सम्बोधित कर देता हूं पहले, उसके पश्चात् मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री मेघराज तावड़, अनंगकुमार जैन व वीरेन्द्रप्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम, बौंली जिला सवाई माधोपुर में धूलंडी के अवसर पर कुछ वर्षों से तोरण मारने की एक कुप्रथा को इस वर्ष भी जारी रखने की आशंका के विषय में,

(2) श्री बालचन्द्र, आर्यवीर व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 11 फरवरी को बालोतरा में एक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने की एक घटना के विषय में,

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम, मोड़ो पंचायत समिति, वल्लभनगर जिला, उदयपुर में एक मेघवाल महिला को मार-पीट कर भगा देने तथा पुलिस द्वारा प्रमुख अपराधियों को बचाने के प्रयत्न के विषय में,

(4) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मुख्य नहर के दोनों तरफ जल रिसाव होने के कारण किसानों की जमीन को हो रहे नुकसान के विषय में,

(5) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में मोडिया डूंगर झालाना में 1976 से निरन्तर खनन कर रहे खान मजदूरों को बेरोजगार करने के विषय में,

(6) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा में शिव टिन फैक्ट्री के एक मकान को बिजली बोर्ड

(श्री अध्यक्ष)

के द्वारा भारी राशि में किराये पर लेने और प्रभावशाली लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने के विषय में,

(7) सर्वश्री त्रिलोकसिंह, यदुनाथसिंह, गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 मार्च को जयपुर के गांधीनगर थाने में गिरफ्तार अपने साथियों से मिलने गए एक विद्यार्थी नेता के साथ थाने के प्रभारी द्वारा मारपीट व उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाने के विषय में,

(8) श्री कमलेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 22 फरवरी को उदयपुर के दैनिक मनू टाइम्स के कार्यालय पर आगजनी की घटना पर कोई कार्यवाही न होने के विषय में,

(9) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्पिनर्स मिल की गैर कानूनी तालाबन्दी का वेतन श्रमिकों को न मिलने विषय में,

(10) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत बहड़, तहसील निवाई, जिला-टोंक में नदी के पेटे में आई हुई भारी रकबे पर काश्त का हक होने के बावजूद काश्तकारों के विरुद्ध अतिक्रमण के मामले दर्ज करने के विषय में,

(11) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से, ग्राम सोलंकिया तहसील, शिव, जिला-बाड़मेर के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या जुलाई, 1983 में होने के बाद पुलिस द्वारा उसकी तफतीश न करने के विषय में।

इस स्थान प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

निम्नांकित प्रस्ताव घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है अथवा स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ :--

(2) श्री महाराम चौधरी, नागौर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी,

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होगा तब तक तो तोरण मार दिया जायगा फिर क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

(3) श्री नन्दलाल मीणा,-जिला नियोजन अधिकारी डूंगरपुर द्वारा एक कनिष्ठ लिपिक को सेवा मुक्त कर देना,

(4) श्री हरीश-शर्मा,-सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर सब डिविजन नंबर

(श्री अध्यक्ष)

1 में सहायक अभियन्ता विद्युत के पास डिप्लोमा य डिग्री न होने के विषय में,

(5) श्री हीरालाल आर्य,-बून्दी जिले के सुमेरगंज मण्डी के ट्यूब वैल की मोटर ट्यूब वैल में गिर जाने से पेयजल के संकट के विषय में,

(6) श्री हंसराज शर्मा,-सवाई-माधोपुर मुख्यालय पर सहायक श्रम आयुक्त तथा श्रम अधिकारी के कार्यालय न होने के विषय में,

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, जयपुर में सफाई की सुचारु व्यवस्था न होने के विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह,-पुलिस स्टेशन वस्सी में एक अनुभवहीन सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के पश्चात् वारदातों की वढ़ोतरी के विषय में।

इन प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो आगामी बजट पर होने वाली आम चर्चा के समय इन मुद्दों को उठा सकते हैं।

(1) श्री दाऊदयाल, जोशी,-राजस्थान यूनानी कालेजों के छात्रों द्वारा आंदोलन व भूख-हड़ताल।

पूर्व में इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

पूर्व में प्राप्त निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :--

(1) श्री गुलाबचन्द कटारिया,-उदयपुर अंध विद्यालय में अनियमितताएं एवं गबन की शिकायतें।

सरकार ने सूचित किया है कि यह एक अनुदान प्राप्त संस्था है जिसके कर्मचारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन की जांच करवाई गई। जांच का प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2. श्री रामकुमार बैरवा,-फागी विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों की कमी।

सरकार ने सूचित किया है कि प्रथम श्रेणी के एक, द्वितीय श्रेणी के चार अध्यापकों की कमी है और द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति पर कोर्ट का स्टे लगने के कारण रिक्त स्थान नहीं भरे गये हैं।

3. श्री रामकिशोर मीणा,-तहसीलदार सिकराय द्वारा अनियमितताएं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तहसीलदार द्वारा जिन व्यक्तियों को सजा दी गई है वह न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दी गई है। जिन मामलों में तहसीलदार के विरुद्ध अनियमितताएं करने के आरोप हैं उनमें सम्बन्धित तहसीलदार को चार्ज-

(श्री अध्यक्ष)

शीट दी जा चुकी है और विभागीय जांच की जा रही है ।

4. श्रीमती उजला अरोड़ा,–राज्य में यूनानी छात्रों द्वारा आन्दोलन ।

सरकार ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रारम्भ करने हेतु पाठ्यक्रम एवं नियम बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है । राज्य सरकार तथा राजस्थान विश्वविद्यालय दोनों ही यूनानी छात्रों के भविष्य के प्रति सजग है ।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ ।

जैसी कि पूर्व में परम्परा रही है, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है और जिनको अभी अस्वीकार कर दिया गया है, उन विषयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय सदस्य एक–एक, दो–दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं ।

उसी अनुसार मैं श्री दाऊदयाल जोशी का नाम पुकारता हूँ जो राजस्थान कालेज के यूनानी छात्रों के बारे में अपनी बात कहेंगे ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं अनेक सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धैर्य रखिये । धीरे–धीरे सब माननीय सदस्यों को मैं अवसर दूंगा ।

श्री गुलाबसिंह कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिला रहा हूँ । मान्यवर, "मनु टाइम्स" के सम्पादक हैं वह पिछली 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हैं, श्रीमन् ....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के यदि प्रस्ताव अति आवश्यक अथवा अति महत्वपूर्ण हैं तो कृपया मुझे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें । मैं उस सम्बन्ध में जानकारी जल्दी ही मंगवा दूंगा । कृपया सदन का समय नष्ट न करें ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सात तारीख से निवेदन कर रहा हूँ, मनु टाइम्स के सम्पादक 16 तारीख को आत्मदाह करने पर तुले हुए हैं,

(व्यवधान)

आमरण अनशन पर हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : "मनु टाइम्स" का सम्पादक पिछली 10 तारीख से नामरण अनशन पर हैं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पिछली 10 तारीख से आमरण अनशन पर है उस आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। हम 19 तारीख को मिलेंगे, आज के बाद हमको इस विषय पर विचार करने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

इसके पहले वह आत्मदाह कर लेगा।

(व्यवधान)

सरकार उसको बचाना चाहती है? मैं आपको 7 तारीख से लेकर आज तक निवेदन कर रहा हूँ। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, अपन उस पर विचार नहीं कर सकेंगे। 16 तारीख को वह आत्मदाह करेगा। क्या हम यह चाहेंगे कि अपने हक के लिए, सही बात के लिए जेनुइन बात के लिए पिछले 15 दिनों से ......

(व्यवधान)

आपसे निवेदन कर रहा हूँ उसके बाद भी उस आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर पत्रकारिता कहां बचेगी? कहां है हमारी आजादी?

श्री मेघराज तावड़ : एक पत्रकार होने के नाते..........

(व्यवधान)

यह सरकार गूंगी है। वहां के उप प्रधान ने मकान जलाया। वहां के उप-प्रधान को हथकड़ी डाल कर गिरफ्तार किया उस इस्यू को इसने छापा बस इतना इसका गुनाह है।

(व्यवधान)

यदि एक कांग्रेस का उप प्रधान किसी का मकान, किसी आदिवासी हरिजन महिला का मकान जला दे, क्या उसको लिखना गुनाह है? जिला प्रमुख की कार आई है, उसका नम्बर दिया है, उसमें बैठकर जो लोग आए हैं उनके नाम दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक पत्रकार की जान से खेल रहे हैं, उसके बाद भी यह गूंगी सरकार उसका जवाब देना नहीं चाहती। आखिर किस सीमा तक हम पत्रकारिता को बचायेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री दाऊ-दयाल जोशी ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । अंकित नहीं हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अभी विचारणीय विषय ही नहीं है, काहे पर पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है । मैं कुछ सदन से निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां पर व्यवस्था यह है कि जब अध्यक्ष व्यवस्था देता है उसमें कुछ प्रस्ताव आते हैं उनको राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है, कुछ को अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो उस स्थिति में दो-दो मिनट बोलने का माननीय सदस्यों को समय दिया जाता है । कुछ पर जब राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उन पर यदि अति महत्वपूर्ण विषय है तो राज्य सरकार से वक्तव्य देने देने को कहा जाता है । कुछ को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जाता है । हालांकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नही है, लेकिन माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु यह परम्परा हमने बनाई है ताकि दो-तीन मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें । बार-बार निवेदन करने के बावजूद आम तौर से प्रश्न काल के बाद में अल्प-प्रश्नकाल आसन के साथ और हो जाता है । माननीय सदस्य जानते हैं कि 10 15, 20, 25 इस तरह के प्रस्ताव हर दिन आते हैं । उनके ऊपर कई तरह की व्यवस्थाएं आसन देता है । सात आठ दिन जब सदन चल गया तो 100 से अधिक इस तरह के प्रस्ताव हो गए, तत्काल आसन के लिए यह सम्भव नहीं होता कि आप इसके बारे में पूछें कि मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था उसका क्या हुआ, यह मेरे लिए भी सम्भव नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनका महत्वपूर्ण है और समय पर उत्तर नहीं आया तो मैं बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि जब मैं यहां से उठ कर अपने चैम्बर में जाता हूँ, उस समय पधारें । माननीय सदस्य परिचित हैं कि यदि उनका वास्तव में प्रस्ताव जनहित का है, अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न्यायसंगत है, तो सदैव मेरी

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

कोशिश यह रहती है कि माननीय सदस्यों की जो समस्या है उसका मैं किसी न किसी रूप में समाधान निकाल दूं। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाते हैं उन पर जितना समय वह बोलने में नहीं लगाते हैं उतना समय वह एक साथ उठ कर बोलने में लगा देते हैं। इस सदन में कभी-कभी तो रोष का वातावरण हो जाता है, गरमा गरमी भी ज्यादा हो जाती है, सदन का समय व्यर्थ चला जाता है। एक से अधिक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लग जाते हैं। मैंने कुछ माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अस्वीकार किए हैं, वैसे छोटे मोटे कई विषय हैं जैसे एक विषय है जिसको मैंने आज अस्वीकार किया, सवर्मसिवल पम्प है वह नल-कूप में गिर पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे पानी बन्द हो गया होगा। लेकिन अब राजस्थान सरकार के जिम्मे छोटे बड़े कई तरह के काम हैं। एक यह है कि किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के साथ पदोन्नति के बारे में कोई अन्याय हो गया है। कहीं पर कोई नया थानेदार लग गया है, वह अनभिज्ञ है, उसके कारण कुछ ऐसा हो रहा है। तो यह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें कोई अन्याय नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक लम्बी सूची है। चूंकि सदन का समय बहुत ही मूल्यवान है। एक मिनट पर कितना व्यय होता होगा उसका मुझे ठीक अन्दाज नहीं लेकिन हजार रुपये से कम तो एक मिनट का अपने पर व्यय होता होगा। तो मेरे कहने का आशय, उद्देश्य यह है कि जब अध्यक्ष कुछ व्यवस्था दे दे तो उसको आप स्वीकार लें। उसके बाद में यदि आपको कोई शिकायत रह गई है तो आप मुझसे मिलने का कष्ट करें। एक व्यवस्था दी, उसके ऊपर आप फिर व्यवस्था चाहें, उसको आप पोइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से उठायें, कार्यवाही को थोप कर सदन का समय लेना चाहें तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। मैंने कुछ व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा वह अपनी अपनी बात कह दें। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वह तो कोई है नहीं जैसा विपक्ष के नेता महोदय बता रहे थे कि आजकल पुनर्विचार भी अध्यक्ष कर सकते हैं, ऐसी नयी व्यवस्थाएं हैं। तो पुनर्विचार भी हम कर लेंगे। आखिर में यह सदन, आसन सब कुछ है तो माननीय सदस्यों के लिये है। मेरा कर्त्तव्य यह है कि समय का ठीक तरह से बंटवारा हो ताकि जनहित के अधिक से अधिक विषय सदन में आ सकें। आपका और हमारा सभी का उद्देश्य यह है। अगर आपको कोई शिकायत है मेरी व्यवस्था पर तो कृपया आप मुझसे मिलें। यह तो कोई बात ऐसी है नहीं कि जो कह दिया वह लोहे की लकीर खेंच दी उससे वापस हटना नहीं दुबारा। इसलिये राज्य सरकार की शिकायत आप मुझे मेरे चैम्बर में आकर बतायें। वहां उस शिकायत को रफा दफा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

अब मैं श्री दाऊदयाल जोशी से

(व्यवधान)

अब फिर आप एक ऐसी शुरुआत करेंगे तो फिर दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे।

श्री हरीश शर्मा : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें तकलीफ होती है तब हम आपको कहते हैं। क्योंकि सरकार तो कोई कार्यवाही करती नहीं है, इसकी वजह से आपको तकलीफ देते हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप समय न लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा पूर्वक यह फर्माया है कि अध्यक्ष पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार कर सकता है तो मैं आपसे पुनर्विचार करने के लिये आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री कटारिया जी ने और बाकी के सदस्यों ने दिया है, आपने इस पर सरकार से जानकारी चाही है। मैं आपसे पुनर्विचार करने के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भी यहां पर बैठी हुई है, सरकार को जानकारी थी। मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण की स्थिति यह है कि कल प्रेस कौंसिल की मीटिंग हुई, आल इन्डिया प्रेस कौंसिल की उसमें यह मसला गया। वहां से एक टीम इस बात की जांच करने के लिये गई हुई है। पत्रकारों में इस कारण से रोष है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को आप यह कह दें कि वह आज ही इस मसले पर वक्तव्य दे दे तो आपकी भी समस्या का समाधान हो सकता है और जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने ...

श्री अध्यक्ष : आज दो वक्तव्य पहले ही रखे हुए हैं, सरकार की तरफ से उत्तर है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय ने अभी फर्माया है कि इनके चैम्बर में आप भी चलेंगे और हम भी चलेंगे तो वहां पर बात कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चैम्बर की बात नहीं है। इनकी तो आदत है चैम्बर में जाने की। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी आप निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा, आपसे भी बात करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज के बाद फिर असेम्बली की मीटिंग 19 तारीख को होगी। वह व्यक्ति 10 मार्च से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। परसों बजट पेश होगा।

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में मैं सरकारी पक्ष

(श्री अध्यक्ष)

की तरफ से भी मुख्य सचेतक महोदय को बुला लूंगा, आप भी पधारने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उनके हाथ में तो कुछ है नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उनके हाथ में पूरा है। ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जब थाने में एफ. आई. आर. में जिन लोगों के नाम है उनको पूछ तो सकते हैं। उनको कहला तो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो कहला सकते हैं ? क्या यह भी नहीं कहला सकते ?

आधी लाइन से ज्यादा का जवाब नहीं है। नामजद एफ. आई. आर. है उनको पकड़ा जा सकता है। सरकार उनको पकड़ सकती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपने इतने आवेश में आकर इतनी बातें कह दी है—

व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

श्री हरीश शर्मा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है आपने जो संसदीय परामर्शदात्री समितियां गठित की हैं उनमें हम सभी माननीय सदस्य हैं। उनकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। यह जो संसदीय परामर्शदात्री समितियां आपने गठित की है उनका महत्व है पर उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, that is very important. यह लोक तन्त्र की व्यवस्था के लिये है उनकी आज तक कोई मीटिंग नही हुई। अगर उनको महत्व नही देते तो यह आपका अपमान है, राजस्थान विधान सभा का अपमान है और सारे सदन का अपमान है। इस अपमान को आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे बता दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ नहीं पाया। कृपया मुझे पास में बैठे हुए कोई माननीय सदस्य समझा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संसदीय परामर्श दात्री समितियां आपने जो गठित की थीं उनकी बैठक नहीं हुई।

श्री हरीश शर्मा : संसदीय परामर्शदात्री समितियां जो आपने गठित की थीं उसकी बैठक हुई नहीं। केवल दो बार हुई है। उसमें आपका अपमान हुआ है। यह आपके सचिवालय का अपमान है, आपका अपमान है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विचार करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्या, धैर्य रखियेगा। सबको अवसर मिल जायगा। एक साथ बोलते रहे तो किसी को अवसर नहीं मिलेगा। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है तो मैं उस पर आ जाऊंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यूनानी कालेज के विद्यार्थी गत तीन सत्रों से राज्य सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलनरत हैं। दुर्भाग्य है कि मांगों को मानने में राज्य सरकार को एक फूटी कोड़ी भी अपने कोष से व्यय नहीं करनी पड़ रही है। उनकी जिनाइन मांगों में पहली मांग उनकी यह है कि यूनानी कालेज की परीक्षायें राजस्थान यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो। राज्य सरकार ने आज आपको जवाब में कहा है कि हम उनका पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। यह मांग दो साल से चल रही है। राज्य सरकार दो साल से यूनानी कालेज का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर पायी है। उनकी मांग है कि यूनानी कालेज की अनुदान की राशि बढ़ायी जाय। दुर्भाग्य की बात है जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया हुआ है कि हर राज्य, प्रत्येक राज्य अपने निजी खर्चे से एक यूनानी कालेज प्रारम्भ करेगा, राजस्थान में एक भी यूनानी कालेज सरकारी खर्चे से नहीं चलता। उसके बावजूद भी यहां पर जो एक यूनानी प्राइवेट कालेज चलाया जाता है राज्य सरकार ने केवल दस हजार रुपये, एक उच्च स्नातक स्तर के कालेज को केवल मात्र दस हजार रुपये अनुदान राशि देकर अपनी इतिश्री समझ ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्नातक स्तर के कालेज को राज्य सरकार दस हजार रुपये दे और अपनी इतिश्री समझ ले, यह खेद का विषय है। अध्यक्ष महोदय, यूनानी कालेज में 50 स्नातक डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इन्टर्नशिप के लिए पांच शैयाओं, यूनानी का औषधालय चलता है। 50 इन्टर्नशिप करने वाले व्यक्ति पांच शैयाओं के कालेज में किस प्रकार से अपने को एडजस्ट करते होंगे, यह अपने आप में एक अहम बात है। अध्यक्ष महोदय, कालेज को सरकार अपने अधीन ले। बार-बार राजस्थान में यह बात आती है कि यूनानी के आज की तारीख में भी 33 औषधालय खाली पड़े हुए हैं बिना यूनानी चिकित्सकों के हैं। जब राजस्थान में एक यूनानी कालेज चल रहा है तो उसके बावजूद भी सरकार उस कालेज को अपने अधीन क्यों लेना नहीं चाहती? जब कि प्राइवेट कालेज में महान भ्रष्टाचार है, महान अनियमितताएं हैं और बहुत भारी अव्यवस्थाएं है। वहां पर लूटा जाता है एक-एक विद्यार्थी से आठ-आठ और दस-दस हजार रुपये डोनेशन के लिये जाते हैं। जाली सर्टिफिकेट दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में यह निवेदन है कि गत तीन सत्रों से जो विद्यार्थी अपने पांच सूत्री मांग पत्र को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लेकर आन्दोलन कर रहे हैं जिस पर राज्य सरकार के कोष की एक पाई खर्च नहीं होती है ऐसी जिनाइन मांग को भी राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मन्त्री जी से निवेदन करता चाहता हूँ कि वह कृपापूर्वक इन विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दो प्रस्ताव हैं। एक यूनानी छात्रों के सम्बन्ध में और दूसरा जयपुर शहर में सफाई के बारे में। आप इन दोनों प्रस्तावों पर दो तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिए और कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यूनानी छात्रों के बारे में मैंने गत वर्ष भी सदन में अपनी बात की थी। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय को लिखेंगे कि विश्वविद्यालय परीक्षा कराए लेकिन आज तक इनका विश्वविद्यालय से क्या पत्राचार हुआ उसके बारे में न तो बताते हैं और न विश्व विद्यालय से सम्पर्क करते हैं।

मैंने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, श्री उन्नीथान जी से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार हमको लिखेगी तो हम निश्चित रूप से जैसे अन्य छात्रों को परीक्षाएं लेते हैं, इनकी भी लेने को तैयार हैं। लेकिन परीक्षाएं करवा रहे हैं, बोर्ड के द्वारा, बोर्ड में वैद्य भी नहीं है और उस डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं है। 400 परीक्षार्थी परीक्षा देकर भी उस डिग्री से चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्हें गम्भीरता से अपने पद का उपयोग करते हुए इन छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इनकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जाय और इस वर्ष से प्रारम्भ करवाई जाय। गये वर्ष आपने कहा था कि मैं आगामी परीक्षाएं विश्वविद्यालय से निश्चित रूप से कराऊंगा। तो इस बारे में पत्र लिखें, उनकी मदद के लिए पूरा सदन है, आवश्यकता हो तो शिक्षा मन्त्री भी हैं, सरकार भी है। मान्यवर, तीन विश्व-विद्यालय जोधपुर में और दो जयपुर में हैं यूनानी के, केवल दस हजार की राशि है, चिकित्सकों के भत्ते, वेतन और सारा पाठ्यक्रम केवल इसी दस हजार में। इतनी कम राशि है। इसको बढ़ाया जाय। कम से कम उतनी नहीं दी जा सके जितनी एलोपैथिक छात्रों को दी जाती है तो आयुर्वेद के समकक्ष तो इनको ले आवें। यह मैं आपसे आग्रह करूंगी। आपने निर्णय सुनाया कि समिति गठित की गई है। इसके सदस्य कौन-कौन हैं, यह कब निर्णय ले लेंगे, यह कब तक विनिश्चय हो जाएगा। परीक्षाएं विश्वविद्यालय के द्वारा कराई जावें, कालेज की अनुदान राशि बढ़ाई जाय, और इंटर्नशिप के लिए जो विद्यार्थी यहां पर आते हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था है? इन चार मांगों पर आप कब निर्णय लेंगे, यह अभी तक भी निश्चित नहीं है। मान्यवर, प्रश्न पर निश्चय जल्दी होना चाहिए। हम किसी झंझट में पड़ना ही

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं चाहते। सरकार अपने आप कालेज को ले ले और सारी व्यवस्था स्वयं करवाये जिससे इन बच्चों का भविष्य अन्धकारमय न रहे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी, जैसा माननीय दाऊदयाल जोशी जी ने कहा कि पांच शैयाओं के बजाय कम से कम चालीस शैयाएं होनी चाहिये। मंत्री महोदय ध्यान दें, इस पर निश्चय जल्दी हो। आप इनसे इसकी ताईद करवायें। यह नहीं हो कि अगले वर्ष भी इन्हीं दिनों में यह प्रश्न उठ खड़े हों। मैं कहना चाहूँगी कि छात्रों के साथ खिलवाड़ न किया जाय। यूनानी छात्रों के भविष्य के बारे में शीघ्र चिन्तन, शीघ्र निर्णय करे, इन मुद्दों पर जो भी पत्राचार करना हो वह शीघ्र किया जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी जयपुर के बारे में। जयपुर में विधान सभा का सत्र चल रहा है, 220 विधायक यहां पर हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे चिन्ता है। सारे राजस्थान के अधिकारी वर्ग, क्रीम यहां आई हुई है। उनके स्वास्थ्य की मुझे चिन्ता है। मान्यवर, जिन नागरिकों के प्रश्न सुलझे नहीं है उलझे पड़े हैं, वर्षों से वे लोग भी यहां आए हुए हैं, और जयपुर के नागरिक भी जयपुर में हैं। इन सबके स्वास्थ्य के बारे में मुझे चिन्ता है। सफाई व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। गलियों और सड़कों पर ढेर के ढेर कूड़े पड़े हुए हैं, वह एक–दो दिन के नहीं, महीनों के हैं। गटरों में कीड़े पैदा होते हैं, गन्दगी है, बदबू आती है, लोग बीमार होते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, स्वायत्त शासन मन्त्री यहां बैठे हैं, लेकिन जो प्रशासक महोदय हैं, जो डाक्टर महोदय हैं उनकी हाजरी से सन्तुष्ट हो जाते हैं, इनके बंगले के सामने पानी बहता हुआ हमें ठीक करवाना पड़ता है। लेकिन मंत्री महोदय पता नहीं क्या करते हैं। मान्यवर, गन्दी गलियां भरी पड़ी हैं, सारी नालियां भरी पड़ी हुई हैं, बाढ़ के समय की नालियां बन्द पड़ी हैं। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग और नगर परिषद ऐसा लगता है, सो रही है। बुखार, दस्त, उल्टी की बीमारी फैल रही है, खेतसिंह जी सो रहे हैं। यह स्वायत्त शासन मन्त्री बगल में बैठे हैं कह सकते हैं ......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन मेरी बात तो समाप्त हो जाए इस अस्वच्छता के बारे में।

लोगों का जन–जीवन सुरक्षित नहीं है, लोग मर रहे हैं। एक फोगिंग की मशीन होती थी, जिससे जल महल से जो मच्छर होते थे उन पर छिड़क दी जाती थी, वह फोगिंग की मशीन भी 6 महीने से बन्द पड़ी है। मैं समझती हूँ, विधान सभा के सदस्यों, कर्मचारियों, अधिकारियों और नागरिकों के और, मान्यवर, आपके सबके खिलाफ यह बात चल रही है। यहां पर गन्दगी हो, बीमारी हो, लोग मरें और स्वायत्त शासन मंत्री सोते रहें, हंसते रहें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो अधिकारी लोग उनके यहां हाजिरी देने आये उनको यह भी नहीं कहें कि सफाई करें। गन्दी गलियां, फुटपाथ के नीचे की नालियां, सड़कों की नालियां अभी से साफ करवाई जावें। मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि वह उठकर घोषणा करें सदन में कि वह युद्ध स्तर पर जयपुर की सफाई करवायेंगे। इसमें कोई जोर नहीं आने वाला है, न कोई नया स्टॉफ लगाने की जरूरत है। सारा स्टॉफ विभाग के पास हैं, लेकिन हाजरी में ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 24 में से 8 आदमी भी नहीं मिलते। उनके कचरे की गाड़ियां प्रभावशाली लोगों के घरों पर बजरी और मिट्टी वगैरह ढोने के काम आ रही हैं। जांच करवा लें, मैं अगर गलत कह रही हूं तो। आप जल्दी व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठती हूं लेकिन माननीय प्रद्युम्नसिंह जी से यह कहलवा दीजिए कि सफाई की व्यवस्था करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर-अन्धे विद्यालय के बारे में। श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अन्ध विद्यालय सार्वजनिक संस्था के रूप में, निजी शिक्षण संस्था के रूप में बहुत लम्बे समय से, पिछले 18 साल से चल रहा है। पता नहीं लोगों ने यह सोचकर कि अंधे बालकों की व्यवस्था के लिए है लाखों रुपए का अनुदान देकर, राज्य सरकार ने भी लगभग चार लाख अनुदान देकर इसका भवन बनाया। इसके फर्नीचर के लिए केन्द्र सरकार ने मदद की। समाज कल्याण विभाग भी उनकी मदद करता है, शिक्षा विभाग उनकी मदद करता है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो अंधे बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं उनको पढ़ने को भेजा, उनको समय पर रोटी नहीं मिलती है, गिन-गिन कर रोटी देते हैं। पहनने को कपड़ा नहीं देते। उनके सामान, पैसे की व्यवस्था को करने वाले लोग लगातार कई वर्षों से खाते चले जा रहे हैं। इन अंधे बच्चों ने दिसम्बर 6 को पहले दिन आन्दोलन शुरू किया। कलेक्टर के यहां गए, जिला शिक्षा अधिकारी के यहां गए कि जो पैसा देते हैं उसका उपयोग यहां के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, आप जांच करवायें, लोग पैसा खा रहे हैं। बड़े प्रयत्नों के बाद जांच प्रारम्भ की गई। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान, अब शायद लगता है, हिन्दुस्तान में किसी के मन में रहा ही नहीं है। जो असहाय हैं, उनकी जांच की रिपोर्ट पेश हो गई 16-1-84 को सारे अधिकारियों को। यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास आ गई, कलेक्टर के पास आ गई, समाज कल्याण के पास आ गई 16-1-84 को यह सारी रिपोर्ट जिसमें इन्होंने सिद्ध किया है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक लाख तैंतीस हजार का गबन केवल 18 महीनों के आडिट से निकला। आप सनकर ताज्जुब करेंगे कि एक ऐसे जनरल स्टोर की छाप लगाकर सामान देना बताते हैं, ल मी जनरल स्टोर, जो जयपुर में कहीं है ही नहीं। केवल नकली छाप बना कर बाजारी दुकानों से माल लेकर, चाहे जितना आटा लिया, चाहे जितना घी लिया, चाहे जितना तेल लिया, उसकी छाप बनाकर ये बिलों को उठाते गये। यही नहीं. इन्होंने एक चौकीदार, जिसका नाम उदयलाल है, को तनख्वाह दी। वह नवीं कक्षा का विद्यार्थी है अन्ध माता स्कूल में। उसके नाम से ढाई हजार रुपया उठाया गया। वह बालक नवीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी उम्र केवल 16 साल की है। उसका बयान लिया तो उसने कहा कि मैंने कभी इस होस्टल में नौकरी की ही नहीं। इस प्रकार को एक नहीं अनेक अनियमिततायें हैं वहां पर, जो शिक्षक हैं उनमें से अधिकांश अंधे हैं। उन अंधे शिक्षकों, जिन्होंने बड़ी मेहनत से शिक्षा ग्रहण की और आज नौकरी में लगे हुए हैं, से भी शत–प्रतिशत पर दस्तखत करवाते हैं और 90 प्रतिशत का पेमेंट करते हैं जबकि राज्य सरकार उनको हण्ड्रेड प्रतिशत का पेमेंट करती है। श्रीमान्, यही नहीं, दो महीने हो गए जांच की रिपोर्ट पेश हुए, अनियमितता साबित हो गई उसके बाद भी राज्य सरकार के सामने उन अंधे बच्चों को यहां पहले दिन धरना देना पड़ा, आपसे प्रार्थना करनी पड़ी और उसके बाद आपके आश्वासन के बाद वे चले गए। क्या वास्तव में इस लोकतन्त्र में इस प्रकार के लोगों की बात भी नहीं सुनी जायगी ? क्या इस प्रकार के लोगों को देखने के लिए सरकार राजनीति का चश्मा लगाएगी। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उदयपुर में 18 साल से चलने वाले अंध विद्यालय में बैठे हुए राजनीतिक लोग किस प्रकार से बेइमानी करके हिन्दुस्तान के लोगों में इनके प्रति सहानुभूति है उसको समाप्त कर देंगे। अब उस संस्था को कोई भी एक पैसा देना नहीं चाहेंगे। जो इनका पालन-पोषण करते हैं उनके नाम से जमा खर्च को उठाया जाए, उन्हें कभी पैसा न मिले। इसको आप देखें। केवल 18 महीने में एक लाख तैंतीस हजार का गबन पाया गया, ऐसे लोग तुरन्त जेल के सींखचों में होने चाहिए चाहे वे कोईभी व्यक्ति हों और सरकार को उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। और इसके बाद भी सरकार उनको बचाने का प्रयास करेगी तो मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान से इंसानियत खत्म हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा, अध्यापकों की कमी के बारे में।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा, तहसीलदार सिकराय द्वारा अनियमिततायें। यह जुडीशियल मामले हैं अधिकतर। इस बात का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार सिकराय के

(श्री रामकिशोर मीणा)

बारे में 11–7–82 से लगातार विभाग को शिकायतें मिलती रही हैं। कुल 18 शिकायतें अभी तक रजिस्टर्ड पत्रों द्वारा विभाग को मिली हैं। उसमें से 1 से लगाकर 9 क्रम संख्या तक की शिकायतों की जांच की गयी। उनमें उनको दोषी पाया गया। जानबूझकर के प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा उस जांच को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जो आरोप पत्र तहसीलदार को दिये हैं उनको मैं यदि आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। जो गये साल राजस्व अभियान चलाया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल संक्षेप में कहूंगा ... ...

श्री अध्यक्ष : उसमें आरोप क्या है ? वह मामला विचाराधीन है। उस पर कार्यवाही हो रही है इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी। दो मिनट में यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री रामकिशोर मीणा : दो मिनट में ही।

अध्यक्ष महोदय, धारा 91 के जो नोटिसेज दिये जाते हैं, 126 व्यक्तियों को सजा सुनाने के बारे में मेरे विधान सभा के प्रश्न संख्या 15 के द्वारा मुझे सूची दी गयी है। 126 व्यक्तियों को उन्होंने सजा सुनाई है। यह सजा उनको सुनाई है जिनके पास न कोई जमीन रही है और न कभी उन्होंने मकान बनाये हैं। जिन आदमियों को झूठे नोटिसेज दिये जाते हैं, वह आदमी उनसे मिलकर के यदि सम्पर्क कर लेते हैं या उनको किसी तरह से प्रभावित कर लेते हैं, उनको दुबारा नहीं बुलाया जाता है। 90–90 और 95–95 साल के व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में झूठे गिरफ्तारी वारन्ट पड़े हैं। उनकी वजह से पूरी सिकराय तहसील में खलबली मची हुई है। आज हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार जल्दी कार्यवाही नहीं करेगी तो शायद जनता उनसे सड़कों पर निपटेगी। वहां के कर्मचारी, वहां की जनता के प्रतिनिधियों सहित सभी वर्ग और सभी पार्टियों के व्यक्ति उनके विरोध में खुला प्रदर्शन भी कर चुके हैं। गत 4 फरवरी को तहसील में कार्य नहीं करने के बाबत में भी नोटिस सरकार को दिया, और उनको कार्य भी नहीं करने दिया अध्यक्ष महोदय। यदि इस तरह से कार्यवाही चलती रही तो वैमनस्यता पैदा होगी। उसके कारण से जो लगातार इनको सरकार के द्वारा बचाये जाने की कोशिश की जा रही है उसके बहुत घातक परिणाम होंगे। यदि इसी तरह से लगातार यह क्रम जारी रहा तो विभाग और अधिकारियों के बारे में जनता का जो विश्वास है वह उठ जायगा और सरकार के प्रति और अधिकारियों के प्रति जनता उनसे खुद सड़कों पर निपटेगी। मैं तो सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि इनको तुरन्त सस्पेण्ड किया जाय। उनके विरुद्ध विभागीय जांच जो चल रही है, विभागीय जांच तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकती जब तक कि इनको यहां से नहीं हटाया जाय। विभागीय जांच का तब तक कोई तात्पर्य नहीं है यदि वह व्यक्ति वहीं पर आसीन रहे ... ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इनको जल्दी से सस्पेण्ड नहीं किया तो सरकार के खिलाफ बगावत होगी । उसमें प्रत्येक दल का व्यक्ति शामिल होगा और वह किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार होगा । धन्यवाद.

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल, शिक्षकों की हड़ताल के बारे में ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कल से शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं । 22 तारीख से बोर्ड की परीक्षा है । उस समय भी जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो जैसा हम पिछली बार देख चुके हैं कि फोर्थ क्लास ने इन्विजिलेटर्स का काम किया, वैसा ही होगा । लाखों बच्चों के भविष्य का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है । कर्मचारियों को यह अधिकार है कि वह जनतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखें, अपना विरोध प्रकट करें । शिक्षक संघ ने इस तरीके को जनवरी से अपनाना शुरू किया है । अपनी मांगों को लेकर 30 जनवरी से उन्होंने सामूहिक उपवास किया, 30-31 जनवरी को सचिवालय के बाहर 36 घन्टे का उपवास किया, 1 फरवरी को वेतन का बहिष्कार किया, 15 फरवरी को काली पट्टी बांधकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, 1 मार्च को सामूहिक अवकाश लिया । 15 मार्च से हड़ताल पर जाने की उन्होंने घोषणा की है और 22 मार्च से माध्यमिक बोर्ड की परीक्षायें हैं । अब जबकि 30 जनवरी से विरोध प्रकट हो रहा है, वह अपनी मांगों के ज्ञापन पर ज्ञापन लोगों को दे रहे हैं, सारे नेताओं को ज्ञापन दिये हैं, सरकार को ज्ञापन दिये हैं तो क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जो एक प्रजातान्त्रिक ढंग से विरोध करके अपनी मांगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं उनको बुलाकर उनसे बातचीत की जाये ? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपकी मार्फत कि इन शिक्षकों को बुलाकर इनकी मांगों पर विचार किया जाये जिससे कल की हड़ताल रोकी जा सके और माध्यमिक बोर्ड की परीक्षायें ठीक ढंग से हो सकें । मैं, अध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे, सरकार के दुराग्रह का असर उन विद्यार्थियों पर नहीं पड़े और वह अपनी हड़ताल पर कल से जाने वाले है उस पर पुनर्विचार करें । मैं सरकार से यह विनम्र आग्रह करूंगा कि उन्होंने जिस वैधानिक ढंग से अपना विरोध प्रकट किया है वह कहीं उग्र रूप न धारण कर ले, उसके कारण कहीं बच्चों के भविष्य पर असर न पड़ जाय और कहीं यह सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक झगड़ा न खड़ा हो जाये, इसलिए अपना गौरव बताते हुए उनको बुलाकर, उनकी समस्याओं को सुनकर जो उचित मांग है वह मानी जाये ।

बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकार लिया था उस समय पर आप उपस्थित नहीं थे। कृपया अपनी दो मिनट में बात कह दीजिए।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे फागी तहसील के करीबन दस पन्द्रह स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। वहां अव्यवस्था हो रही है। मेरे घर पर पत्र आये पड़े हैं। मुझे आज मालूम नहीं था कि आज जवाब आयेगा इसका। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यवस्था शीघ्र नहीं हुई तो वहां के रिजल्ट दूसरी तरह के आयेंगे। यह बहुत ही सरकार के लिए लज्जाजनक बात होगी और हम लोगों के लिए भी होगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि शीघ्र से शीघ्र वहां जितने भी अध्यापकों की कमी है उसको पूरा करे ताकि बालक-बालिकायें इस वर्ष की पढ़ाई ठीक प्रकार से कर सकें।

इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री शिवचरण माथुर मुख्य मन्त्री जी एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, और कोई बिजनेस लें उसके पहले आपको 157 और 158 के नोटिस पर व्यवस्था देनी होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं अध्ययन करके बाद में व्यवस्था दूंगा।

श्री महाराम चौधरी : मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया था .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उस पर व्यवस्था दे दी, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैंने यह व्यवस्था दी है कि आप किसी अन्य अवसर पर बोल सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 160 में साफ है, before the list of business ....

श्री महाराम चौधरी : आप उसको सरकार के ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय न लें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो प्रिविलेज मोशन मैंने और कुछ मेरे अन्य माननीय सदस्यों ने दिए हैं। एक प्रिविलेज मोशन है कि माननीय सदस्य श्री शिवदानसिंह ...

श्री अध्यक्ष : उसमें मैंने निवेदन कर दिया है। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनके ऊपर विचार किया जा रहा है, जब उनके ऊपर विचार सम्पूर्ण हो जायेगा उस समय मैं सदन को उस सम्बन्ध में निवेदन कर दूंगा। यदि हम स्वीकार करते हैं किसी प्रस्ताव को या अनुमति देते हैं उस अवस्था में सबसे पहले लिये जाते हैं। यह नियम इस प्रकार के हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : इसमें डिले करने से बाहर बहुत थू-थू हो रही है। विधान सभा के सदस्यों के ऊपर इस तरह से लांछन हैं। यह सब पर रिफ्लेक्ट होता है ...

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूँ, व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : दूसरा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो कार्यवाही कर रहे हैं, जिसको आप एक्सपंज कर रहे हैं उसको भी कल को प्रेस छापने लग जायेगी या जिस पर आपकी व्यवस्था नहीं हुई, उसको भी पहले छापने लग जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। इन स्थगन प्रस्तावों पर इनका अध्ययन करके बनता है या नहीं बनता है, इस सम्बन्ध में शीघ्र निवेदन कर दूंगा, माननीय सदस्य।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के बारे में प्रस्ताव।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :—

1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1984–85 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क" 1984-85 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख" 1984–85 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन के नेता ने जो वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है. उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा-बूंदी जिले में चम्बल नहरों से सिंचाई की अव्यवस्था एवं फसल को क्षति

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल, हीरालाल आर्य दाऊदयाल जोशी कोटा, बूंदी जिलों में चम्बल की नहरों से होने वाली सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण फसलों को हुई क्षति की ओर सिंचित विकास क्षेत्र मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कृपया अपने भाषण समय सीमा में रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, जब से चम्बल की नहरें बनी हैं तब से लेकर इतनी सिंचाई की अव्यवस्था नहीं हुई जितनी इस वर्ष हो रही है। अनेक किसान ऐसे हैं जिनके पिलाई नही हुई। कई किसान ऐसे हैं जिनके केवल एक सिंचाई हुई है। दो सिंचाई वाले बिरले किसान हैं। इस कारण जिन्होंने सिंचाई के आधार पर फसलें कर लीं वे लोग आज त्राहिमाम हो रहे हैं। स्थिति यह है कि वहां के लोग कमिश्नर के पास पहुंचते हैं, घेराव करते हैं, ए. ई एन. एक्स. ई. एन, एस. ई. एन. सबका घेराव हो रहा है। सुदूर गांवों से किसान कोटा आते हैं, अपने ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. के साथ आते हैं लेकिन आश्चर्य यह है कि हमारे मन्त्री जी यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि किसानों के सामने कोई सिंचाई की समस्या है। वे हमसे कहते हैं कि तुम इसको राजनैतिक स्टंट बना रहे हो। मन्त्री जी, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि किसानों के दर्द को आप नहीं समझ सकते, आपका सम्बन्ध कभी किसान और गांवों से नहीं रहा। आप सेठ परिवार के आदमी हो, आपको किसान के दर्द का अनुभव नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, हमने जब जब यहां सिंचाई की समस्याएं रखी हैं, तब-तब सिंचाई मन्त्रियों ने सहानुभूति प्रकट की है, पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। पर मुझे यह कहते हुए दुःख है कि आज के मन्त्री जी यह मानने को तैयार नहीं हैं, हमको राजनैतिक स्टंट बता रहे हैं, जब कि किसानों की स्थिति जाकर देखे कोई, तो उसको पता लगेगा, उसकी आंखों में आंसू आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके पालिटिकल स्टंट का जवाब दे रहा हूं। यह लाखेरी की न्यूज है, यहां के किसानों ने बैठ कर आन्दोलन करने का तय किया। बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री जसवन्तकुमार और भूतपूर्व विधायक श्री भंवरलाल शर्मा ने भी किसानों के आन्दोलन का समर्थन किया। बूंदी में मीटिंग हुई किसानों की, कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने तय किया कि सिंचाई नहीं तो सिंचाई कर नहीं। इसमें पालिटिकल स्टंट कहां से आ गया ? लेकिन आंख बन्द कर यह खेत पर जायें, और यह कहें कि चिड़िया नहीं है। आंख बन्द

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कर लें, चिड़िया खेत खा रही हो और आप यह कहें कि खेत में कोई चिड़िया नहीं है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। मुझे दुःख हुआ, अध्यक्ष महोदय, दो और दो तीन में विश्वास रखते हैं, दो और दो चार में विश्वास नहीं करते। 9 तारीख को यहां से जब छुट्टी हुई तो मैं गया था। मैं ए. ई. एन. और एक्स. ई एन. को लेकर गया। मैंने उनको कहा स्पष्ट, देखिए, अध्यक्ष महोदय, जब उनको लेकर वहां पहुंचा सलायदा ग्राम पर तो एस. ई. और एक्स. ई एन. दोनों की आंखों में आंसू आ गये। एक महिला खेत पर रखवाली करती हुई, आंखों में आंसू लाए जा रही थी, पहले इसमें मैंने इतना धनिया बोया, फिर मैंने इसमें चना बोया। एस. ई. साहब पूछने लगे, अध्यक्ष महोदय, कितने रुपये का बीज लायीं, मां जी ? कहने लगी, 900 रुपये का बीज लायी। बोले, बीज कहां से लिया था ? बोली, 4 रुपये सैंकड़े के ब्याज पर रुपया लायी हूँ। 900 रुपये की पैदावार उस खेत में नहीं हो रही है। मन्त्री महोदय उस किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। यह प्राब्लम भी क्रिएटिव प्राब्लम है जिसको आप नहीं मानते। क्यों ? जब आप कोटा में पधारे तो आप इंजीनियर्स को एक सर्टिफिकेट दे आये कि वहां टेल तक पानी पहुंच गया है। इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए वहां का कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं। जब मन्त्री जी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो किसान के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब दम्भ में रह गये और इसके कारण हुआ यह कि वहां का किसान पिस रहा है, आंखों में आंसू लाये हुए अपने खेत पर रो रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बात पिछले सदन में आयी थी कि गांधीसागर में पानी कम हो गया। चलो, मध्य प्रदेश में बांध बना लेकिन गांधीसागर में पानी कम हो गया, वह एक दूसरा विषय है पर मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ पानी है उसका उपयोग हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, इस बार नहरों के मेन्टीनेन्स पर एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया। हमारे माननीय मन्त्री जी जब से आये हैं तब से यहां का बजट बन्द हो गया। क्या नहरें बिना मेन्टीनेन्स के चल सकती हैं ?

(1. 46. म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, एक एक नहर 20-20 जगह से टूट रही है। बोरियां भर भरकर, मिट्टी भर भरकर चला रहे हैं किसान, मेन्टीनेन्स पर इतना सा खर्च नहीं हुआ। नहरें कब बन्द हो जायें और कब चालू हो जायें, इसका कुछ पता नहीं है। आपको तो चिन्ता केवल एक पड़ी है कि मध्य प्रदेश को पानी जाता है कि नहीं जाता। आपके सिंचाई सचिव रोज दिन में 4 बार ट्रंककाल करके कहते हैं कि मध्य प्रदेश को पूरा पानी जा रहा है या नहीं जा रहा। यह नहीं पूछते हैं कि राजस्थान के किसान का क्या हो रहा है। कोटा और बूंदी में त्राहि त्राहि मच रही है, फसल को पानी नहीं मिल रहा है और आप यहां बैठे हुए कहते हैं कि

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

किसान के सामने कोई समस्या नहीं है। आखिर जो पानी है यह किसका पानी वेस्ट जा रहा है? क्या किसी ने आज दिन तक इसका अनुमान किया कि जो पानी वेस्ट जा रहा है उस पानी का उपयोग किया जाय तो कितने खेतों में सिंचाई हो सकेगी? कितना पानी, पानी के भराव की क्षमता नहीं होने के कारण नदी में वेस्ट जा रहा है, इसका भी अनुमान कभी आपने लगाया? सभापति महोदय, 1978 में तय किया था कि कोटा बैराज को 4 फीट ऊंचा किया जायगा तब गांधी सागर और राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर का बिजली बनाने के कारण जो पानी आता है वह कोटा बैराज में रुके पर आज तक उसको क्रियान्वित नहीं किया गया और 4 फीट की जगह 2 फीट उसकी ऊंचाई होने दी गयी। जब से मन्त्री महोदय ने यह विभाग संभाला है उसे 2 फीट ऊंचा बनाने की योजना है उसको भी समाप्त करने के पीछे पड़े हुए हैं। 1000 क्यूसेक माइनर चल जाय, एक नहर चले 1000 क्यूसेक, इतना पानी किसानों के खेत के बजाय नदी में छोड़ कर वेस्ट किया जाता है उसका नतीजा है कि किसान के खेत में आज पानी नहीं पहुँच रहा। आज कोटा और बूंदी में त्राहि-त्राहि मच रही है। गेहूं की फसलें सूख गयी हैं, उन्होंने उसमें खाद दे दिया इस बहाने कि भई पानी आयगा। फिर मन्त्री जी की घोषणा हुई कि टेल तक पानी पहुंचाया जायगा। किसानों ने खेतों में खाद दे दिया। वह खाद के और बीज के पैसे उनके खेत में से वसूल नहीं हो सकते। आश्चर्य की बात यह है कि मन्त्री जी यह बात मानने को तैयार नहीं। सभापति महोदय, कोटा जिले के जिला प्रमुख दौरे पर गये, उनके सामने हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया और कहा कि पानी नहीं मिल रहा। बूंदी जिले के जिला प्रमुख गये उनकी शिकायत है कि पानी नहीं मिल रहा। फिर भी मन्त्री जी कहते हैं कि पानी टेल तक जा रहा है। अब इसका क्या हल हो? कैसे इन्हें यह विश्वास दिलाया जाय? इस अव्यवस्था के कारण किसानों का जो करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज कोई और देश होता तो मन्त्री की पर्सनल लायबिलिटी होती। हमने मन्त्री जी को कहा, आप चलिये हमारे साथ, हम आपको बतायें, जहां पलेवा नहीं हुआ। लेकिन मन्त्री जी इस बात के लिए तैयार नहीं, केवल यहां बैठे-बैठे घोषणा करना चाहते हैं। सभापति महोदय, हमारा सी. ए. डी. एक परिपत्र निकालता है प्रतिवर्ष, हम पलेवे के अलावा एक पानी देंगे। यह समझते हैं कि हम यह नहीं दे सके पानी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो पानी राजस्थान होकर मध्य प्रदेश जा रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार वहां के किसान के साथ कान्ट्रैक्ट करती है, यह कान्ट्रैक्ट करती है कि 4 पानी देंगे हम आपको, हम गेहूं में तीन पानी देंगे। यह कान्ट्रैक्ट लिखित में होता है, बाण्ड पर होता है, स्टाम्प लिखे जाते हैं। जब कि राजस्थान की सरकार किसानों को पानी नहीं दे सकती, केवल पलेवा और एक सिंचाई दे सकती है तो मध्य प्रदेश की सरकार 4-4 पानी का कान्ट्रैक्ट कैसे करती है? वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। सभापति महोदय, पिछले साल आर. एम.

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सी. बन्द कर दी गयी, हमने कहा तो जवाब मिला एक बूंद पानी नहीं है। एक बूंद पानी नहरों में छोड़ दिया गया तो राजस्थान अंधेरे में डूब जायगा। मध्य-प्रदेश में हल्ला मचा विधान सभा में, नहर बन्द हो गयी, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हवाई जहाज से उड़ कर जयपुर आये और हमारी सरकार का गला पकड़ कर 15 दिन के लिए आर. एम. सी. में पानी छुड़वा दिया। मध्य प्रदेश की सरकार, वहां का मुख्य मंत्री आर. एम. सी. में पानी छुड़वा सकता है अपने किसानों के लिए, उनके किसानों के लिए मध्य प्रदेश में पानी जा सकता है लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री और सी. ए. डी. मन्त्री किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, यह पानी नहीं छुड़वा सकते। वह एम. पी. से आकर छुड़वा लेंगे लेकिन इनको दर्द नहीं आया। उनके किसानों के दर्द को तो वे लोग अनुभव करते हैं और हमारे मुख्य मंत्री किसानों के दर्द को अनुभव नहीं करते। माननीय मंत्री महोदय हंस रहे है। किसानों को पानी मिला है हमारे समय में। अब इनमें नैतिक साहस है कि हमारे साथ आकर किसानों के खेतों को देख सकें। यदि किसानों के खेतों को देख लेते तो इनका पत्थर हृदय पिघल जाता और सम्भव है इनकी आंखों में आंसू आ जाते। कोटा के एस. डी. एम. की आंखों में आंसू आ गये और उनके मुंह से दुःख के शब्द निकले, लेकिन मंत्री जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती... ....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं आप से यह निवेदन करता हूँ कि वहां के किसान की आज स्थिति यह है, तो जितनी लागत खेत पर लगाता है वह लागत वसूल नहीं होगी। पानी का कोई सिस्टम नहीं है, पानी कितना वेस्ट जा रहा है इसका कोई अनुमान नहीं है, ये नहरें कितने दिन चलायेंगे और किस दिन बन्द करेंगे इसका कोई अनुमान नहीं है।

सभापति महोदय, एक विशेष बात और कहूँगा, आज तक कमेटियां बनी हुई थीं तहसील लेवल पर, ए. ई. एन. लेवल पर कमेटियां हैं जिनमें अधिकारी जाते थे। एक रजिस्टर खुला हुआ था, जिसको पानी नहीं मिला उस पर वह अपनी कम्पलेन्ट लिखता था, मीटिंग होती थी। लेकिन जब से, माननीय मन्त्रीजी, आप आये हैं, आपने कमेटियां भंग कर दीं। जो 15 दिन में मीटिंग होती थी वह आज से मीटिंग होना बन्द हो गया। शिकायतें नहीं आयेंगी तो आप कह देंगे कि हमारे पास में किसी की लिखित में शिकायत नहीं आई है, इसलिये हम समझ रहे हैं कि सबको पानी मिल रहा है। यह स्थिति हो गई है आज इनके मन्त्री बनने के बाद इस विभाग की, हमारे यहां का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। क्योंकि वहां के सारे अधिकारियों को सर्टिफिकेट देदिया, टेल तक पानी पहुंचाने की घोषणा कर दी।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, वहां का किसान पूछता है मंत्री जी के दर्शन करने का हमें कभी सौभाग्य तो प्राप्त हो। कैसे पत्थर हृदय मंत्री हैं, किसानों के दुःख-दर्द को नहीं

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

समझते, और घोषणाएं कर रहे हैं निरन्तर। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भगवान के नाम पर, मंत्री महोदय, आप कोई सा भी अन्य विभाग लें लें, वित्त विभाग आप ले लें लेकिन यह सी. ए. डी. विभाग छोड़ दीजिये, किसानों के नाम पर छोड़ दीजिये ताकि किसान को पानी तो देने के लिए कोई सदस्य मन्त्री आए, किसान की बात को साफ सुन सके, उनकी समस्या को हल कर सके।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, कोटा और बूंदी जिले की चम्बल की दायीं मुख्य नहर और बायीं मुख्य नहर से सिंचाई होती है लेकिन ......

श्री सभापति : माननीय सदयस्य, आप भाषण दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस ओर ध्यान आकर्षित तो हो गया। अब मन्त्री महोदय का वक्तव्य आने दें।

श्री हीरालाल आर्य : मेरी तो स्पेशल प्राब्लम्स है, सभापति महोदय।

सिंचाई इस वर्ष बिलकुल नहीं होने से वहां के किसानों ने बार बार वहां के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिये आन्दोलन किया, कार्यालयों पर गए, दफ्तरों में जाते हैं लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। स्पेशली मेरे पीपल्दा क्षेत्र में अयाना ब्रांच केनाल और इटावा ब्रांच केनाल से सिंचाई होती है। इटावा ब्रांच केनाल, जो हमारी मुख्य नहर है, की कैपेसिटी 585 क्यूसेक है, लेकिन इस नहर में कभी भी 585 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा। इस नहर में केवल 310, 315, 318 क्यूसेक ही पानी छोड़ा जाता है, जो नहीं के बराबर है। नहरों में पानी बहता है लेकिन खेतों में पानी नहीं जाता है। सभापति महोदय, अभी मैं 10–11 तारीख को मेरे इलाके में था। वहां के किसान बार बार हमारे पास आए तो मैं खेत देखने गया था। इटावा ब्रांच केनाल मीलों तक सूखी पड़ी है। उससे निकलने वाली जो सब माइनर और डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं उनका तो हाल ही खराब है। जैसपुरा माइनर जो इटावा ब्रांच से निकलती है, बिल्कुल सूखी है। एटा डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली जो माइनर्स है, मंगोलिया माइनर, शेरगढ़ माइनर, तकरावदा और चक तकरावदा और इससे जो चिलोदा माइनर निकलती है यह अभी तक बिलकुल सूखी पड़ी है। इसके अलावा खातोली डिस्ट्रिब्यूटरी है। खातोली डिस्ट्रिब्यूटरी और उससे जो फरेरा माइनर निकलती है वह आज की तारीख तक सूखी पड़ी है।

बरसावाली माइनर, डिस्ट्रिब्यूटरी और इससे जो चक हौडी माइनर निकलती है, वह भी अभी तक सूखी पड़ी है। मीलों तक बरसावाली माइनर और डिस्ट्रिब्यूटरी में अभी तक पानी नहीं है। इसी तरह से नीमोला डिस्ट्रिब्यूटरी और उससे निकलने वाली अचलगढ़ और नीमोला माइनर भी सूखी पड़ी है। छापोली डिस्ट्रिब्यूटरी की तो हालत ही खराब है। उससे निकलने वाली जो सब माइनर्स हैं, उनकी भी हालत खराब है। छापोली डिस्ट्रिब्यूटरी की जितनी लम्बाई है, कम से कम

(श्री हीरालाल आर्य)

13 किलोमीटर है, उसमें केवल 4 या 5 किलोमीटर तक पानी पहुंचता है बाकी पूरा का पूरा इलाका सूखा पड़ा है। नहरें चलते हुए हमारे इलाके में कई साल हो गए लेकिन जितना सूखा नहरों की वजह से इस साल हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी वजह से वहां के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उनकी सारी फसलें सूख गई हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उस इलाके की सिंचाई की वजह से जो सूखा होता है उसका स्थायी हल हो। ई. डी सी और आयना ब्रान्च के जो हैड हैं, वह हमारे सब डिविजन में न होकर दूसरे सब डिविजन में हैं इसलिए वे पानी छोड़ने में हमारे साथ पक्षपात करते हैं। कभी वहां पर पानी क्षमता के साथ पहुंचता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जिन किसानों की फसलें सूख गई हैं उनकी पिलाई माफ की जानी चाहिए और उनकी फसल का मुआवजा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि वहां का किसान सिंचाई की असुविधा की वजह से जो त्राहि-त्राहि कर रहा है, उनका खाद, बीज, मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गया है, और उस इलाके में कम्पलीट त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस तरह की जो अव्यवस्था हुई है वह अब न हो इस तरह का स्पष्ट आश्वासन मन्त्री महोदय दें।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि सिंचाई के सम्बन्ध में और विशेष रूप से चम्बल की सिंचाई के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय बिलकुल अनभिज्ञ हैं। भिज्ञता प्राप्त करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने अपना प्रवास दो दिन का कोटा जिले को बनाया, हमें खुशी हुई कि माननीय चन्दनमलजी कोटा क्षेत्र में आकर चम्बल की नहरों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हमें और खुशी होती, यदि माननीय चन्दनमल जी हम जन प्रतिनिधियों को बुलाकर निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को सुनते। केवल जाने के बाद इर्द-गिर्द अफसरों के साथ, अफसरशाही के आधार पर पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहे। माननीय चन्दनमलजी का तीन दिन का प्रवास था, लेकिन इन तीन दिन के प्रवास में माननीय चन्दनमलजी अपनी कार से नीचे नहीं उतरे, यह दुर्भाग्य है। आप टेल पर गये, माननीय चन्दनमल जी साहब, आप जवाब देते समय कहें, माननीय मन्त्री महोदय, कोटा की टेल पर जो 500 से अधिक किसान खड़े हुए थे, उनमें से एक से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की कि किसान भाई, तेरी क्या स्थिति है? तू क्यों रो रहा है? तू क्यों चिल्ला रहा है? तेरे लास्ट छोर पर पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है? वे अपनी मालायें लेकर खड़े रहे। आपके स्वागत सत्कार के लिए खड़े रहे लेकिन आपने अपनी गाड़ी वहां पर रोकी नहीं, आप सीधे के सीधे ही चले गए।

श्री सभापति : कोटा जिले की चम्बल नहरों के बारे में बोल रहे हैं या क्या?

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महो-

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दय, मेरा निवेदन है कि हम पांच व्यक्ति इन चम्बल की नहरों के कारण पीड़ित हैं। एक व्यक्ति तो आज सदन में उपस्थित नहीं है, माननीय पन्डित श्री बृजसुन्दर जी शर्मा, दूसरे रामकिशनजी। अच्छा होता, मन्त्री होते हुए भी हमारे स्वर में स्वर मिलाते हुए कहते, मैं परसों आपके क्षेत्र में भी होकर आया हूँ, आपका क्षेत्र भी करीब साढ़े सात हजार बीघा क्षेत्र असिंचित पड़ा हुआ है। सारे क्षेत्र के लोग चिल्ला रहे हैं। सभापति महोदय, एक सक्यूलर निकाला गया है। एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है 24 घन्टे शिकायत सुनने के लिये। कल 500 लोग कोटा नगर में जुलूस लेकर आए और सी. ए. डी. के दफ्तर में गए। कोई कन्ट्रोल रूम पर आदमी नहीं था। चम्बल का एक भी अधिकारी नहीं था। चम्बल सिंचाई विभाग के कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। वे सारे लोग भाग कर कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने टेलीफोन किया लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। मेरा निवेदन है, आवड़ा डिस्ट्रिब्यूटरी के साथ में जितने भी गांव लगते हैं आमोराजी, कालाडेरा के जो लोग है वे सब अपनी सूखी फसलों को लेकर-गेहूँ, चने की बालियां ले करके कोटा की सड़कों पर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज, अभी माननीय चन्दनमल जी जवाब देते समय कहेंगे कि हम पानी छोड़ रहे हैं। चम्बल की नहरों में जब तक 6600 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जायगा, बीसों नहरें बिना पानी के सूखी पड़ी रहेंगी। 5200 क्यूसेक पानी आप चम्बल की नहरों में ज्यादा से ज्यादा छोड़ पाते हैं। चम्बल की नहरें आज अस्त-व्यस्त स्थिति में हो गयी हैं। माननीय चन्दनमल जी से 4 दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर बातचीत की तो आप मानने को तैयार नहीं थे। माननीय चन्दनमल जी साहब, हम राजनैतिक दखल नहीं देते, यह पन्डित बृजसुन्दर जी के क्षेत्र का इश्तहार है जिसमें एक तरफ आपकी इष्ट देवी श्रीमती इन्दिरा गांधी का फोटो लगा हुआ है और दूसरी तरफ हाथ का पंजा है, इसमें जो शब्द कहे गये हैं वह आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा है, "नहरों में पूरा पानी नहीं होने के बावजूद भी अधिकारियों की सुस्ती से किसानों की जमीन के टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुँच पाता। गरीब किसान की खून पसीने की कमाई से वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी किसी प्रकार से सुनने को तैयार नहीं है। यह हमारी कायरता है। लोग हम कांग्रेसी नेताओं को नपुंसक ठहरा रहे हैं। यदि हम इसे बर्दाश्त करेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।" यह कांग्रेस पार्टी का पर्चा है। हम नहीं कहते, माननीय चन्दनमल जी साहब, आप इस पर तो विचार कीजिए। हम तो, हो सकता है, राजनैतिक आधार पर भेदभाव करते हों, हम तो, हो सकता है कि राजनैतिक रंग देकर लाभ उठाने का, आपके शब्दों में, प्रयास करते हों, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज टेल पर किसी भी हालत में पानी जा रहा है? पानी नहीं जा रहा है। माननीय चन्दनमल जी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस साल गांधी सागर का भराव पिछले साल से अधिक है। पिछले साल गांधी सागर में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जितना पानी आया था उससे ज्यादा पानी इस साल गांधी सागर में है। कोटा जिले में चूंकि आपने एक परिपत्र शुरू में निकाल दिया था कि पलेवे के पानी के बाद हम केवल एक पानी देंगे, इसलिए किसान भाई केवल मात्र ऐसी फसलें बोयें जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता न हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप आंकड़े मंगा कर देख लीजिये। कोटा में जब एक तरफ तो गांधी सागर लबालब भरे दूसरी तरफ कोटा के किसान ने इस डर के मारे कि कहीं हमको दोबारा पानी मिले या नहीं मिले, सरसों की फसल ज्यादा बोई। गेहूँ का रकबा कम हो गया। जब गांधी सागर ज्यादा भरा हुआ है तो पानी कहां गया? फिर हम क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों जोर-जोर से यहां चीख रहे हैं? माननीय मन्त्री महोदय, यह सारा चम्बल का पानी चम्बल बैराज के नीचे से बहा दिया गया या अन्ता के आगे मांगरोल के पास नदी के अन्दर हजारों क्यूसेक पानी आपके अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण बाण गंगा नदी के अन्दर बहा दिया गया। किसान टुकुर-टुकुर देखता रहा कि मेरी फसल सूखने को आयी, मुझे पलेवे का पानी नहीं मिल रहा है। चम्बल बैराज के नीचे से पानी जा रहा है जनता राज में जो निश्चय किया गया था कि चम्बल बैराज को 4 फीट ऊंचा किया जायगा, वह आपकी अकर्मण्यता के कारण, आपकी सरकार की लापरवाही के कारण, आपकी योजनाएं गलत होने के कारण, चम्बल बैराज को ऊंचा नहीं करने के कारण, चंबल की क्षमता के अनुसार पानी नहीं रोकने के कारण आज यह स्थिति आयी है।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दूसरी, मूलतः जो समस्या है वह यह है कि आपके विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग में तालमेल नहीं है। गांधी सागर जब बन्द होता है तो राणाप्रताप सागर में बिजली पैदा होने लगती है। राणाप्रताप सागर की बिजली का पानी जब चम्बल में आता है तो उसकी क्षमता नहीं होती तो वह नदी में फेंक दिया जाता है। दोनो में कोई तालमेल नहीं है। उसकी कमेटी अभी आपने नहीं बनायी बताते हैं। कमेटी की मीटिंग्स हुई या नहीं हुई। उसके बावजूद भी आज पानी हमको ठीक प्रकार से मिल नहीं पाता। मेरा आपसे निवेदन है कि पानी हर हालत में आप बढ़ायें।

फिर दूसरी बात, आप कहेंगे कि साहब पानी तो 2000 क्यूसेक से अधिक राजस्थान के हिस्से का आता है। श्रीमानजी, जब 5200 क्यूसेक पानी से तो नहर पूरी चलती है जिसमें से 2000 क्यूसेक पानी के आधार पर हमारी कोई भी नहर नहीं चलती। मैं तो मध्य में हूँ, श्री राम किशन जी हैड पर खड़े हुए हैं उन्हें पानी नहीं। मैं तो मध्य में हूँ मुझे पानी नहीं। श्री रघुवीर सिंह जी और श्री नन्दलाल जी तो टेल पर खड़े हुए हैं उन्हें पानी नहीं। तो आखिर-कार 2000 क्यूसेक की नहर किसी भी मूल्य पर क्षमता नहीं रखती। इसी कारण से इन नहरों में पानी नहीं जाता। आपने पानी दिया 4 दिन पहले क्योंकि हमने हल्ला किया और हल्ला करने के बाद हम स्पीकर साहब से मिले। स्पीकर साहब ने आपको कहा कि आप इनकी पीड़ा को समझिये। वास्तव में पिछली बार भी परसराम जी मदेरणा को जब हमने कहा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

था तो इन लोगों ने कहा था तब पानी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

गया था। हमने परसराम जी को उस समय धन्यवाद दिया कि आपके कारण हमारे एरिया में पानी पहुँच गया। आज हम परेशान हैं, आप इसको समझिये। हो सकता है कि आपने टेलीफोन किया हो लेकिन मैं आज भी पूछना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर सब ब्रांच में कितना पानी आपने छोड़ा? 467 क्यूसेक की जगह 302 क्यूसेक पानी पहुँचा तो 302 में कितनी नहरें चलेंगी? और आपने पानी कितने दिनों के लिए दिया? 24 तारीख को पानी छोड़ा और 28 को बन्द कर दिया। माननीय सभापति महोदय, आप कृषक हैं, आप स्वयं विचार कर लीजिए कि चार दिन अगर कोई नहर चले और 467 क्यूसेक के बजाय 302 क्यूसेक पानी उसमें जाय, तो किसान कितने खेत में पानी पिला सकेगा और कितनी प्यास बुझा सकेगा? यह अहम् प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जहां एक ओर चम्बल की नहरों से आज हमको पानी देने में असमर्थ हैं वहीं आपने सी.ए.डी. जैसे महत्व–पूर्ण डिपार्टमेन्ट को तोड़ा। तोड़ा ही नहीं, उसके बाद बार–बार कोटा में स्टेटमेन्ट में देते रहे कि सी.ए.डी. का कोई डिपार्टमेंट नहीं तोड़ा जायगा। वित्त मन्त्री जी कोटा के भाग के होने के कारण इस डर के मारे कि कहीं लोग हमारी पूजा नहीं करें, हमारे साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करें, बार-बार स्टेटमेन्ट देते रहते हैं कि सी.ए.डी. डिपार्टमेन्ट को नहीं तोड़ा जायगा।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

क्या यह सही नहीं है, माननीय सी.ए. डी. मन्त्री महोदय, इस साल जो सी.ए. डी का बजट था, 3 करोड़ 50 लाख का, एक करोड़ रुपये की उसमें से कटौती कर दी गई, केवल एक करोड़ 28 लाख रुपया बजट में दिया है और सारे रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि चम्बल परियोजना, जो विकास की गंगा थी, के कारण कोटा में खुशहाली पैदा हुई थी। माननीय सभापति महोदय, चम्बल में चावल पैदा होने वाला था, कोटा में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट हुआ है चावल मिलों पर, क्या, माननीय चन्दन मल जी साहब, आप इस बात का जवाब देंगे, कोटा की जो हमारे क्षेत्र की नहरें हैं उन चम्बल की नहरों के कारण एक बीघा जमीन पर भी चावल पैदा हुआ? चावल का एक दाना पिछले दो साल से पैदा नहीं हो रहा है। वहां पर चावल पैदा नहीं होता....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो सोचते थे कि गन्ना लगाएंगे। हम गन्ना नहीं लगा सकते, हम चावल पैदा नहीं कर सकते। आखिरकार जो हम गेहूँ पैदा करते थे और चना पैदा करते थे आज उसकी फसल भी आपके कारण, आपके विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण सूखने की स्थिति में आ गयी है। आपसे मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अगर आप मध्य प्रदेश से डरें नहीं। मुझे पता लगा है, मैं आज से सात दिन पहले जब ट्रेन से आ रहा था तो फर्स्ट क्लास में मेरे साथ मध्य प्रदेश के दो इंजीनियर गांधी सागर के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, साहब, हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने कुछ किया या नहीं किया, अर्जुन सिंह जी का दबदबा है, वहां पर उनका असर है और मैडम तक सीधे सीधे पहुँच है। जब हमारे छीपा बड़ौद की फसलें सूखने लगीं, तो मैडम के पास जाकर अर्जुन सिंह जी ने ललकार लगायी, उसके कारण हमारे यहां पर पानी जा रहा है। अब तक तो ए. ई. एन. लेवल का आदमी बैठता था लेकिन अब एक्स. ई. एन. लेवल का आदमी कोटा के हैड पर बैठता है। एक एक इंच पानी का हिसाब रखता है। चूंकि आपके मुख्य मन्त्री अकर्मण्य हैं, राजस्थान का मुख्य मन्त्री अकर्मण्य है इसलिए राजस्थान अपने हिस्से का पानी नहीं लेता। मैं इन शब्दों के साथ चेतावनी देता हूँ, चन्दन मल जी साहब, हमारे हिस्से का पानी अगर हमें नहीं दिया गया तो आप मानकर चलिये कि हम हमारे नेता के नेतृत्व में मांगरोल के हैड पर जो मध्य प्रदेश को जाने वाला पानी है उस पानी के हैड को जबरदस्ती रोक देंगे। मध्य प्रदेश के दरवाजे हम बन्द कर देंगे। हमारे पास भी हैड है अगर आपके पास गांधी सागर का हैड होगा, मध्य प्रदेश वालों के पास तो हमारे हिस्से का पानी एक एक बूंद हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। राजस्थान की धरती का पानी मध्य प्रदेश पिये और हम टुकुर टुकुर देखते रहें, यह किसी कीमत पर सहन नहीं होगा और इसी के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हल करें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : आदरणीय सभापति महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने पेश किया है उसके बारे में जो बातें भाषण में माननीय सदस्यों ने कही हैं उसके बारे में मैं बाद में निवेदन करूंगा लेकिन जो स्थिति है वह यह है :—

वर्ष 83 में चम्बल नदी पर बने गांधी सागर और राणाप्रताप सागर जलाशयों में वर्षा की कमी के कारण पर्याप्त पानी एकत्रित नहीं हो पाया। क्योंकि जलाशयों में उपलब्ध पानी चम्बल के सिंचित क्षेत्र की फसलों की आवश्यतानुसार सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं था अतः क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा के कार्यालय से एक विज्ञप्ति दिनांक 30–9–83 को सर्व साधारण को सूचित करते हुए इस आशय की जारी की गई कि रबी 83–84 में ज्यादातर ऐसी फसलों की बुवाई करें जो पलेवा के उपरान्त एक ही पानी से पक सके। विज्ञप्ति को न केवल वाइड पब्लिसिटी ही दी गई बल्कि सम्बन्धित सभी जन प्रतिनिधियों, सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रतिलिपि भेज कर निवेदन किया गया था कि यह सूचना समस्त क्षेत्र के किसानों को दी जाय। वास्तव में उपरोक्त विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी लगभग 2 लाख 70 हजार एकड़ भूमि में किसानों द्वारा गेहूँ की फसल बो दी गई जो कुल

(श्री चन्दनमल बैद)

बोये गये क्षेत्र का लगभग 66 प्रतिशत होता है। इस कारण समस्त गेहूँ बोये गये क्षेत्र में दूसरा और तीसरा पानी उपलब्ध कराया जाता सम्भव नहीं हो सकता। चम्बल परियोजना का कमाण्ड एरिया 5 लाख 69 हजार एकड़ है जिसमें से 3 लाख 15 हजार एकड़ भूमि दायीं मुख्य नहर और 2 लाख 54 हजार एकड़ भूमि बायीं मुख्य नहर के नीचे आती है। वर्ष 83-84 की रबी में 4 लाख 25 हजार एकड भूमि में पलेवा के लिए पानी दिया गया जो कुल कमाण्ड एरिया का 74 प्रतिशत होता है। इसकी 2 लाख 48 हजार एकड़ भूमि बायीं मुख्य नहर और 1 लाख 77 हजार एकड़ भूमि बायीं मुख्य नहर के अन्तर्गत है। तत्पश्चात् लगभग 4 लाख 8 हजार एकड़ भूमि में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया जो पलेवा के क्षेत्र का लगभग 96 प्रतिशत होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी इस बात के लिए कहा गया कि पलेवा नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना पलेवा इस साल हुआ है उतना पलेवा पिछले पांच वर्षों में कभी नहीं हुआ। यह मैं आपको आंकड़े दे कर के साबित कर दूंगा कि इस साल सबसे ज्यादा पलेवा हुआ है और पलेवा की भी जमीन में 96 प्रतिशत जमीन को पहला पानी दिया गया है।

इनमें से 2.33 लाख एकड़ दायीं मुख्य नहर और 1 लाख 75 हजार एकड़ भूमि बायीं मुख्य नहर के नीचे है। दूसरा पानी भी 2 लाख 5 हजार एकड़ क्षेत्र में दिया गया जो पलेवा के क्षेत्र का 48 प्रतिशत है। पलेवा दिया गया, 4 लाख 25 हजार एकड़ को उसके बाद 4 लाख 8 हजार एकड़ भूमि को पहला पानी दिया गया और पलेवा के बाद में 2 लाख 5 हजार एकड़ भूमि में दूसरा पानी भी दिया गया। मतलब पलेवा के बाद दूसरा और तीसरा पानी दिया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ये सरकारी आंकड़े है, माननीय मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : मैं सरकारी आंकड़े ही दे सकता हूँ, गैर सरकारी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं चैलेंज देकर कहता हूँ। तीन दिन की छुट्टी में मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि दूसरा पानी दिया भी है क्या? कहीं पर तो पहला पानी भी नहीं लगा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पहले माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाने दीजिए। आप उसमें व्यवधान नहीं डालें। बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य चैलेंज दे रहे हैं, मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं एक-एके

(श्री चन्दनमल बैद)

नहर पर जाकर जमीन को नाप कर आया हूँ। सरकारी अधिकारी किस काम के लिए हैं। इसी काम के लिए हैं कि वे हमें सारी सूचनायें दें और उन सूचनाओं को मैं आपको बताऊं। वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसमें से कोई सूचना गलत साबित होती है तो निश्चित रूप से जो सरकारी अधिकारी हमको सूचना देते हैं वे दण्ड के भागी होंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये आंकड़े हमारे सरकारी अधिकारियों ने दिए हैं लेकिन कोटा और बूंदी जिले का तीन दिन का दौरा मैंने खुद ने किया। माननीय सदस्य ने यह कहा कि चन्दनमलजी ने मोटर के नीचे पैर नहीं रखा....

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस दौरे में सरकारी अधिकारी ही नहीं, कोटा और बूंदी के जिला प्रमुख और पचासों कार्यकर्ता....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मोटर के नीचे उतरे या नहीं? मिट्टी के निशान तो पावों पर लगे होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : कम से कम आधा दर्जन पत्रकार मेरे साथ थे। इसका सबूत इस बात से है कि उसके बाद कोटा से जो पत्र निकले उनमें मेरे दौरे का पूरा समाचार है, समाचार छपा है। अब यह बात कहें कि मैंने जमीन के नीचे पैर नहीं रखा....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मै चैलेंज देता हूं। कोटा में खेड़ा भीमसिंह के पचासों किसान एप्लीकेशन और फूलमालायें लेकर खड़े हुए थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप हैड पर गए हैं, टेल पर नहीं गए जहां पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : छापर डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर सैकड़ों किसान मौजूद थे लेकिन आप टेल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि छापर डिस्ट्रीब्यूटरी सूखी पड़ी थी। आप क्या करते वहां जाकर, क्या मुंह दिखाते वहां पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपने अपनी बात ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा कह दी। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया सब बातों की ओर। आपने बातें उठाई उनका सरकारी स्तर पर वक्तव्य मंत्री महोदय दे रहे हैं। जब तक वे वक्तव्य दें तब तक बीच में आप किसी भी प्रकार की टोका टोकी नहीं करें, यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतनी सारी मालाएं आपने पहनी और दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपका घेराव हुआ और आप निकल नहीं सके।

श्री दाऊदयाल जोशी : खड़े थे।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से माननीय सदस्य सही कह रहे हैं और कौनसे माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। दोनों आपस में सलाह कर लें, एक ही पार्टी के हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मै कहता हूं यह छपा है कि काले झण्डों की वजह से बैदजी, सिंचाई मंत्री जी ने रास्ता बदला। यह लिखा है इस अखबार में। इसमें लिखा है कि काले झण्डों के विरोध प्रदर्शन के कारण आपने रास्ता बदला और गांव में आने के बजाय अडीला की नहर के रास्ते से चम्बल कालोनी में निकल गए।

श्री सभापति : क्या पढ़ रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : रास्ते में तलाई पर काले झण्डे और जूतों की माला लटका रखी थी। यह नवज्योति अखबार, कांग्रेस पार्टी के समर्थक अखबार ने लिखा है। माननीय मंत्रीजी के लिए काले झण्डे और जूतों की माला लटका रखी थी।

श्री चन्दनमल बैद : यह आपकी मनगढ़न्त बातें हैं। आपने ये सब बातें अपने अखबारों में छपवा रखी हैं।

(व्यवधान)

"इसमें से 1.15 लाख एकड़ दाई मुख्य नहर एवं 90 हजार एकड़ बाई मुख्य नहर के नीचे आती है। इससे स्पष्ट है कि कमाण्ड एरिया के लगभग 74 प्रतिशत भाग में रबी की फसल में पलेवा के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया जब कि केवल 55 प्रतिशत भाग में ही रबी में पानी उपलब्ध करवाये जाने हेतु परियोजना बनाई गई थी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नहर की इन्टेंसिटी रबी में 70 प्रतिशत है। उसके बावजूद भी कमांड एरिया से 74 प्रतिशत इन्टेंसिटी के द्वारा हमने पानी दिलाया है।

इस वर्ष रबी में जितने क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया गया है वह गत 7 वर्षों में सबसे अधिक है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1977-78 में रबी में 3.63 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई जो कुल क्षेत्र का केवल 63 प्रतिशत था। वर्ष 1978-79 में 3.88 लाख एकड़ क्षेत्र क्षेत्र में सिंचाई हुई जो कुल क्षेत्र का लगभग 68 प्रतिशत होता है। वर्ष 78-79-80 में 3.87 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई जो कुल क्षेत्र का लगभग 68 प्रतिशत होता है। वर्ष 1980-81 में 3.98 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई जो कुछ क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत होता है। वर्ष 1981-82 में 3.92 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गई जो कुल क्षेत्र का लगभग 69 प्रतिशत होता है। वर्ष 1982-83 में 4.04 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई जो कुल क्षेत्र का 71

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रतिशत होता है। इस वर्ष रवी में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 4.25 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई जो कुल क्षेत्र का लगभग 74 प्रतिशत है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जहां एक बार सिंचाई कर दी 'वह भी सिंचाई हो गई। जिसको एक बार पानी पिला दिया उसको दूसरी बार नहीं, जिसको दूसरी बार पिला दिया उसको तीसरी बार नहीं'।

(व्यवधान)

आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि गांधी सागर में पानी नहीं है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सारी सिंचाई हो गई। यह कैसे हो गई ?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय खेल मन्त्री महोदय, इनको बतलाओ ...

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक तरफ पानी नहीं है और दूसरी तरफ इतनी सिंचाई कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। मान– माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, एक तरफ पानी नहीं है तो दूसरी तरफ सिंचाई कैसे हो रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूरा हो जाने दें पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक आंकड़ा और बता दें मंत्री जी, 1977-78 से लेकर अब तक कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई, यह बताया है। अब यह भी बता देंगे क्या कि किस-किस वर्ष में कितना-कितना पानी दिया ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, पहले आप अपना वक्तव्य पूरा कर दें, उसके बाद में जो पूछें वह बतावें।

श्री चन्दनमल बैद : नहरों के शीर्ष और मध्य के कस्बों में गीजा पानी भी ले लिया है जिसकी वजह से नहरों के निचले क्षेत्र को पानी पहुँचाने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद भी नहरों के निचले क्षेत्रों में पानी पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

सभापति महोदय, एक बात यह कही गई कि मध्य प्रदेश को ज्यादा पानी दे दिया गया इससे हमारे पानी की कमी हो गई। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ ...

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप तो यह बता दें कि हमारा कितना पानी है ? आज भी मध्य प्रदेश को ज्यादा पानी जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, सुनिये तो सही बात । आपने कह दी अपनी बात । अब सुनिये आप ।

श्री चन्दनमल बंद : सभापति महोदय, अब तक पानी का मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50:50 प्रतिशत का हिस्सा है अब तक जो पानी दिया गया है उसमें मध्य प्रदेश को 7514 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया है और राजस्थान को 8699 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला है । अब तक 50:50 प्रतिशत का हिस्सा होने के बावजूद मध्य-प्रदेश को 1185 मि. एकड़ फीट पानी कम मिला । यह आंकड़े हैं जिनके आधार पर मैं आपको बात बता रहा हूँ ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमारा पानी आंकड़ों में आ गया और उनका पानी नहीं आया ?

श्री चन्दनमल बंद : इसमें सिंचाई की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हैड रिचेज में जो किसान हैं वे पानी हमेशा लेते रहते हैं और बारावन्दी वहां है नहीं, इस वास्ते पानी नीचे जाने नहीं देते हैं । नीचे के जो टेल के किसान हैं उनको इससे परेशानी होती है । हम बराबर मजिस्ट्रेट के मार्फत और दूसरे लोगों के मार्फत इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि हैड रिचेज के लोग पानी एक दफा लेने के बाद नहीं लें और हैड रिचेज से पानी को आगे जाने दें, लेकिन हमारे सिंचाई के अधिका-रियों के साथ, और दूसरे लोगों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किये जाते हैं, उनको ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया जाता । उनके साथ कोआपरेट नहीं करते हैं । इस कारण से टेल के लोगों यह परेशानी होती है । एक दुविधा तो उनकी यह है । दूसरी दुविधा, सभापति महोदय, वहां की यह है कि जितना इरिगेशन करना चाहिये उससे ज्यादा इरिगेशन लोग करते हैं पानी 55 प्रतिशत जमीन में लगना चाहिये वहीं अगर मैं सेंट पर्सेंट लगा दूंगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा । तो इतना होने के बावजूद मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि 55 प्रतिशत के लिये इंटेंसिटी बनी हुई है और 74 प्रतिशत में पानी दिया, पलेवा कराया और जितना पलेवा कराया उसका 96 प्रतिशत पहला पानी दिया और करीब करीब आधी जमीन में दूसरा पानी भी दिया लेकिन चूंकि हैड रिचेज के लोग ज्यादा खेती करते हैं पानी छोड़ते नहीं, नीचे जाने नहीं देते हैं, इस कारण से टेल रिचेज वालों को परेशानी होती है । इसका एक ही उपाय है कि हम वहाँ पर बारा-बन्दी लागू करें । वह तभी सम्भव हो सकता है जब कि वहां की जनता, वहां के किसान, वहां के जन प्रतिनिधि इसमें सहयोग करें । अगर जन प्रतिनिधि बराबर इस बात की कोशिश करते रहें कि जो हमको प्यारे हैं, जिनको हम चाहते हैं, जो हमको चाहते हैं, उनको ज्यादा पानी मिलता रहे और दूसरे लोग चाहे जितने परेशान होते रहें तो, सभापति महोदय, यह सम्भव नहीं हो सकता । अगर इसी तरह आपाधापी करके पानी लेते रहे तो निश्चित रूप से टेल वालों को परेशानी रहेगी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने मध्य

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

प्रदेश से ज्यादा पानी लिया है, सबसे बड़ी समझदारी तो उन्होंने यहां यह स्टेटमेंट दे करके की। दूसरी बात, मैं यह कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में नहर टूट गई है, 25 दिन आर. एम. सी बन्द रही, तब आर एम. सी. में जब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा पानी पांच हजार क्यूसेक्स न चले, तब तक कोई नहर नहीं चल सकती इसलिये आपने उनके हिस्से का पानी भी आर.एम.सी में छोड़ा। चूंकि यह मध्य प्रदेश नहीं मांग रहा था इसलिये आपने एस्केप किया। मध्य प्रदेश का पानी नदियों में वेस्ट करने के बाद हमारे हिस्से में से मध्य प्रदेश पानी मांग रहा है और आप दे रहे हो। आप अपने केस को स्टेंडिंग कमेटियों में ठीक ढंग से रखने की क्षमता नहीं रखते, माननीय मन्त्रीजी, परेशानी यही है। जब दिल्ली में मीटिंग होती है तो आपकी कोई स्टडी नहीं होती और आप हमारे केस को ठीक ढंग से पुट-अप नहीं करते हो, आप हमारे केस को बिगाड़ते हो इसलिए हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। आज कोटा का किसान आपकी तरफ घृणा की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आप हमारे केस को पुट-अप नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश का पानी नदियों में वेस्ट किया, एस्केप में से निकाला और हमारे हिस्से में से मध्य प्रदेश पानी मांग रहा है, आपकी गर्दन पकड़ कर पानी ले जा रहा है और हमारी सरकार चुप है।

श्री सभापति : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जब मध्य प्रदेश को जरूरत होती है वे पानी आकर ले जाते हैं। पानी हमारे एरिया में से होकर जाता है। आज जिस जिस जगह हम टेल पर हैं, हमको पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं मिल रही है। सतपुड़ा की बिजली पूरी नहीं मिल रही, ज्यादा करो तो पैसा दे देते हैं आज हमारे यहां से पानी जाता है, मध्य प्रदेश को पूरा पानी मिल रहा है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने आप से निवेदन किया था, ये बता रहे थे कि परिपत्र निकाल दिया था कि पानी नहीं है तो पलेवे के अलावा एक सिंचाई देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि ज्यादा सिंचाई कर दी। यह रहस्य कहां से आ गया? आपके पास पानी कम था। पानी कम था उससे ज्यादा सिंचाई कर दी। एक बार में एक पानी जहां दे दिया बाद में दुबारा पानी नहीं दिया। आप सिंचाई बढ़ाते रहे, किसी को दो पानी नहीं दिये, किसी को तीन पानी नहीं दिये। इससे फसल नहीं हो सकती थी। सभापति महोदय, यह सारे आंकड़े व्यर्थ हैं। क्या मन्त्रीजी इसका जवाब दे सकते हैं कि एक सिंचाई, दो सिंचाई और तीन सिंचाई के ये आंकड़े कौनसी एजेंसी ने इकट्ठे किये? क्या आपके पटवारी ये नोट करते हैं कि टेल एण्ड में सिंचाई हो गई, इसमें दो सिंचाई हो गई, इसमें तीन सिंचाई हो गई? आप मुझे जवाब दे दीजिये कि ये झूठे आंकड़े आपके पास कहां से आ गये। कौनसी एजेंसी ने यह देखा है कि इसमें एक सिंचाई हो गई, इसमें दो सिंचाई हो गई, इसमें तीन सिंचाई हो गई?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । सरकार के आंकड़े कभी झूठे नहीं होते ।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि पलेवा करीब करीब सभी जगह हो गया है, क्या यह सही है कि रामपुरा सब-माइनर है वहां पलेवा नहीं होने की वजह से ईस्ट माइनर के सारे खेत, हजारों बीघा जमीन पड़त पड़ी है ? आप फर्मा रहे हैं कि सभी जगह पलेवा हो चुका है । साथ ही, मेरी मुख्य प्राब्लम थी कि हमारे इटावा ब्रांच केनाल और रायड़ा ब्रांच कैनाल में कभी भी क्षमता के अनुसार पानी नहीं छोड़ा ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न पूछिये । मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री हीरालाल आर्य : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, कैपेसिटी के अनुसार पानी नहीं छोड़ा । कैपेसिटी इसकी 585 क्यूसेक्स है जबकि पानी चलता है केवल 310-305 क्यूसेक्स । इसकी वजह से हमारे पूरे इलाके की नहरों में पानी नहीं पहुंचता है । खेत बरबाद हो रहे हैं, क्या आप इसका जवाब देंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, ...

(व्यवधान)

अरे, आप बैठो, आप क्या जानो पानी को...

श्री छोगाराम बकोलिया : आप क्या जानो किसानों के दर्द को...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे मुख्य मन्त्रीजी को जैसा बताया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान के हितों की रक्षा करने में सक्षम लीडर हैं...

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आपके मुख्य मन्त्रीजी XXX हैं और किसान विरोधी हैं इसी वजह से हमारे किसानों को पानी नहीं दिलवा रहे हैं । किसान हमारे बरबाद हो रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, आपने इतने आंकड़े दिये हैं, आप तो यह बतावें कि चम्बल बैरांज के नीचे से कब कब, कितना कितना पानी किस किस तारीख को व्यर्थ में बहाया गया ?

मध्य प्रदेश में टूटने वाली नहर के कारण बाणगंगा नदी से चम्बल का पानी

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

व्यर्थ बहाया गया। तीसरा, वित्त मन्त्री जी यहां विराज नहीं रहे हैं पंडित बृजसुन्दरजी शर्मा। यह तीसरी खबर है....

(व्यवधान)

अगर प्राब्लम नहीं है तो बृजसुन्दरजी शर्मा बूंदी जिले में गये, जहां वह गए, वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन था, रास्ते में कांटेदार लगा दिये गये थे? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वित्त मन्त्रीजी के स्वागत के लिये दरवाजे भी बनाये थे लेकिन बाद में दरवाजे उखड़ गये और फूलमालाएं मुरझा गईं। कल्याणमल चंदेल कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसियों पर धूल फेंकी गई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह विरोधी प्रदर्शन फिर क्यों हो रहे हैं? यह जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री का स्टेटमेन्ट है। यह मेरा स्टेटमेन्ट नहीं है। श्रीमान् कांग्रेस (इ) के जिला महामंत्री श्री हरि मोहन शर्मा का।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह प्रदर्शन जो हो रहे हैं वे क्यों हो रहे हैं? अगर पानी पहला भी लग गया, पलेवा भी हो गया, 96 प्रतिशत जमीन में 77 पर्सेन्ट जमीन को पहला पानी भी लग गया, 48 पर्सेन्ट जमीन में दूसरा पानी भी लग गया तो फिर यह जिला प्रमुख, कांग्रेस के जिला महामंत्री श्री हरिमोहन शर्मा ने किसानों की मांग को उचित ठहराते हुए सिंचाई के लिये तुरन्त व्यवस्था करने की मांग क्यों की और साथ ही यह क्यों कहा कि अगर किसानों की यह नाराजगी रही तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गांव गांव में पीटा जायगा? यह जिला कांग्रेस के महामंत्री का स्टेटमेन्ट है, मेरा नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि चम्बल नहर का कितना पानी, कब कब, कौन सी तारीख को चम्बल बैराज के नीचे से बहाया गया?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : यह किसी अखबार में नहीं छपा है। इसकी वेलिडिटी किस तरह से हो सकती है।

(व्यवधान)

इनका खुद का अखबार होगा जिसमें छपवा लिया होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपके पदाधिकारियों का पत्र है जिसमें इन्दिरा गांधी की फोटो छपी हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, दो जानकारी करना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने 1977–78 से लेकर 1983–84 तक कितने एकड़ में सिंचाई हुई उसके आंकड़े दिये हैं। मैं उनसे जानकारी करना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों के साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रति वर्ष इन्टेन्सिटी कितनी थी, क्या इस बात को भी वे जानकारी दे सकते हैं ताकि पता लग सके कि 1977–78 से लगातार 1981–82 तक तो इन्टेन्सिटी बढ़ती गई है, 1982–83 और 1983–84 में इसमें इन्टेन्सिटी कम हुई है। इस बात की जानकारी मिल जाये। दूसरा ...

श्री चन्दनमल बैद : एक एक का जवाब दे दूं। फिर मैं भूल जाऊंगा।

1977–78 में 3 लाख 63 हजार 13 एकड़ में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 63.08

1978–79 में 3 लाख 88 हजार 33 एकड़ जमीन में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 68.19

(व्यवधान)

1979–80 में 3 लाख 87 हजार 581 एकड़ जमीन में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 68.01

1981–82 में 3 लाख 91 हजार 868 एकड़ जमीन में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 68.86

1982–83 मे 4 लाख 4 हजार 352 एकड़ जमीन में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 71.01

1983–84 में 4 लाख 25 हजार 157 एकड़ में सिंचाई हुई, इन्टेन्सिटी थी 74.00

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 1977–78 की सिचाई में और इस सिंचाई में कितना फर्क है? पहले कितनी सिंचाई हुई और आज कितनी सिंचाई हो रही है, यह भी बता दीजिये। पहले कितना पानी दिया था? तीन पानी दिया, चार पानी दिया और आज एक पानी नहीं मिला, यह भी बता दीजिये। सिंचाई का क्या मतलब है?

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : आपका सिंचाई से क्या मतलब है? आप एक पानी देने के बाद सिंचाई मानते हैं तो उस खेती का क्या होता है?

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर सरकार की ओर से दिया जा रहा है कृपया और नहीं बोलें, दूसरे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इन्टेन्सिटी तो बतायी। क्या इसके साथ साथ आप यह बता देंगे, पलेवा के अलावा इन वर्षों में कितनी कितनी बार पानी दिया गया ताकि वास्तव में इन्टेन्सिटी का एक अनुमान लगाया जा सके। पलेवा के बाद एक बार पानी दिया, दो बार पानी दिया, तीन बार पानी दिया? यह जानकारी 1977 से लेकर अब तक की बता दीजिये तो स्थिति का और भी स्पष्टीकरण हो जायगा। सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न ...

श्री सभापति : ये आंकड़े सब खिलाफ जा रहे हैं आपके?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, इस साल का तो मैंने बता दिया कि पलेवा कितने एकड़ में हुआ। पहला पानी कितने एकड़ में दिया गया, दूसरा पानी कितने एकड़ में दिया, कितने पर्सेन्ट दिया, इस साल का मैं बता चुका हूँ लेकिन हर साल के फिगर तो निकालने पड़ेंगे। हर साल के फिगर तो यहां नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी में पोल है।

श्री चन्दनमल बैद : कोई पोल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, पोल इसी में है। इनके पक्ष की बात होगी वह कह देंगे और जो सरकार के विरुद्ध में बात होगी वह नहीं बताना चाहेंगे। कितनी बार पानी दिया, कितनी बार नहीं दिया ? यह बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। 1981–82 में जो पानी अवेलेबल था वह 2.3894 मिलियन एकड़ फीट था। मतलब यह है कि आप यह चाहते हैं कि मैं किसी तरह से ऐसी बात बताऊं जो आपके पक्ष की हो। अब आपके पक्ष की बात नहीं है तो मैं क्या करूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो यह चाहते हैं कि आप सच बताइये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं विधान सभा के प्रांगण में स्टेटमेन्ट दे रहा हूँ। अगर मैं असत्य कह रहा हूँ तो आपको चैलेन्ज है, आप इसको साबित कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात का चैलेन्ज दे रहे हैं आप ?

श्री चन्दनमल बैद : इस बात का कि मैं असत्य कह रहा हूँ तो आप सिद्ध कीजिये। मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। कल को तो आप यह पूछेंगे कि किस माइनर से किस किस क्षेत्र में आपने कितनी फसल बोई है, क्या बोई है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको यह जो आपने इन्टेन्सिटी बता दी, इसके साथ साथ यह भी बता दीजिये कि 1977–78 और आगे के वर्षों में कितनी बार आपने पानी दिया पलेवा के बाद, पलेवा के अतिरिक्त ? इसमें क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : इस साल के फिगर मैंने बताये हैं आपको। बिल्कुल फिगर बताये कि पलेवा कितने लाख एकड़ जमीन में दिया है, पहला पानी कितने एकड़ में दिया, दूसरा पानी कितने एकड़ जमीन में दिया है। यह आपको बताया है। लेकिन आप दूसरे सालों का पूछना चाहते हैं तो वह आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, सारी असलियत यही है। मैं दूसरा प्रश्न आपसे यह करना चाहूँगा :

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय,

(सभापति)

आप दूसरे तरीके से इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न यह है कि 30-9-83 को आपने विज्ञप्ति निकाली है उस विज्ञप्ति में यह कहा है कि काश्तकार ऐसी फसल नहीं बोयें जिस फसल में एक से ज्यादा पानी देना पड़े। आपकी विज्ञप्ति में यह है, जसा मैं समझ पाया हूँ। इसके बाद आपने कहा, 4 लाख 25 हजार एकड़ में आपने पलेवा के लिये पानी दिया। फिगर अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर लें। पहला पानी दिया 4 लाख 8 हजार एकड़ में और दूसरा पानी दिया 2 लाख 5 हजार एकड़ में। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूँ कि जिस समय आपने विज्ञप्ति निकाली, क्या आपने इस बात का करेक्ट असेसमेन्ट कर लिया था कि हम पहले पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं दे सकते ? दूसरा पानी आपने दिया तो क्या इस सम्बन्ध में आपने काश्तकारों को सूचित किया था कि हम दूसरा पानी भी देंगे, हम तीसरा पानी भी देंगे ? इसके साथ-साथ मैं यह जानकारी भी करना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र में 4 लाख 25 हजार एकड़ में पलेवा हुआ उसमें से किस क्षेत्र में आपको पहला पानी देना है, किस क्षेत्र में आपको दूसरा पानी देना है, उसका आपने किस आधार पर सलेक्शन किया ताकि कांश्तकारों को पानी मिलता रहे ?

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया है कि हमने यह विज्ञप्ति निकाल दी उसके बावजूद अगर हमारे पास पानी था तो हमको देना लाजिमी था, वह हमने दिया। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, चूंकि वाराबंदी सिस्टम वहां नहीं है, इस वास्ते अगर हम यह कोशिश भी करें पलेवा के बाद सभी लोगों को पहला पानी मिल जाये तो हमारी सारी कोशिशों के बावजूद इसको लोग नहीं मानते हैं क्योंकि हैड रिचेज वाले जो लोग हैं वे जबर्दस्ती पानी ले लेते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि टेल रिचेज वालों को हमेशा इस बात की परेशानी रहती है। तो यह सम्भव है, मैं यह नहीं कहता हूँ। यह हो सकता है कि टेल रिचेज वालों को पलेवा के बाद पहला पानी, दूसरा पानी नहीं मिला हो यह संभव है। हैड रिचेज वालों ने पलेवा के बाद में पहला पानी ले लिया, दूसरा पानी ले लिया और कई लोगों ने तीसरा पानी भी ले लिया यह हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि जबर्दस्ती वे कुछ भी कर सकते हैं।

श्री बी.ऊंकरलाल जोशी : यही हो रहा है। यह हण्ड्रेड परसेन्ट सही है।

श्री चन्दनमल बैद : आपके माननीय सदस्य कोटा जो से आते हैं, आज यह कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में इस हैड को तोड़ देंगे। इस तरह की लॉ लेसनेस की बात इस विधान सभा में कह सकते हैं तो क्षेत्र में जाकर वे क्या लॉ लेसनेस नहीं फैलाते होंगे यह आप अन्दाज लगा सकते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, नहरों की क्षत–विक्षत अवस्था होने के कारण भी पानी नहीं चल रहा है। एक पैसे का मेन्टीनेंस नहीं हुआ। आप जवाब दीजिये, मेन्टीनेन्स में कितना खर्चा किया नहरों के ऊपर? क्या नहरें टूटी हुई नहीं है जिसके कारण पानी नहीं चलता है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, प्रथम पानी ही नहीं मिला है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपका लास्ट है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था परन्तु माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य ने राजस्थान का इतना बड़ा अहित किया है, मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर दुबारा गौर करें।

श्री सभापति : आपकी बात क्या है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 30 दिन तक मध्य प्रदेश जाने वाली नहर टूट गई, पानी बहता रहा। उस पानी का केलकूलेशन मध्य प्रदेश के अकाउन्ट में आपने किया नहीं है। आपने आंकडे दिये हैं कि 00.8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान ने प्रयोग कर लिया और केवल मात्र 00.7 मिलियन फीट पानी हम मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि जो वेस्ट हुआ है वह मध्य प्रदेश के हिस्से में नहीं लिखा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि हम मध्य प्रदेश को और पानी देंगे और झक मारकर राजस्थान के किसानों के सामने विषम स्थिति पैदा करेंगे।

(व्यवधान)

मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय आप अधिकारियों के साथ बैठें।

श्री चन्दनमल बैद : ज्यादा जोर से नहीं बोलिये, मेरे कान ठीक हैं, मैं सुन रहा हूँ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, भाषण नहीं है, क्वेश्चन नहीं है It is a mark of interrogation to whole of the Rajasthan. आपने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है Definitely you should resign on this point. यह ऐसा विषय आपने खड़ा कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अधिकारियों

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के साथ बैठें, मीटिंग करें इसी वक्तव्य के बाद। आपने जो वक्तव्य दिया है, जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उस के कारण आपने राजस्थान का अहित किया है। मध्य प्रदेश की विधान सभा में मध्य प्रदेश के सारे लोग बोलेंगे कि राजस्थान को पानी ज्यादा दे दिया गया तो उसके दुष्परिणाम होंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मांग करता हूँ कि राजस्थान के किसानों के हित को देखते हुए राजस्थान के मंत्री महोदय को रिजाइन करना चाहिए he should quit the seat. उनको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया है हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर हमारा दल वाक आउट करता है। मंत्री महोदय XXX इन्होंने XXX पेश किये हैं और राजस्थान का अहित किया है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इसका जवाब देना है। इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाये हैं उनका मुझे जवाब देना है।

सभापति महोदय, XXX तो उन लोगों को है जिनके राज के वक्त में मध्य प्रदेश की सरकार ने चम्बल के ऊपर बांध बना लिये, चम्बल का पानी रोक दिया और वे बोल नहीं सके। XXX तो उनको है और उनको इस्तीफा ही नहीं दे देना चाहिए बल्कि राजस्थान छोड़ कर चले जाना चाहिए। किस वास्ते किया वह? क्योंकि श्री भैरोंसिंह शेखावत को मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य सभा की सीट दी उसके बदले में भैरोंसिंहजी ने सदन के नेता होकर हमारे हितों पर कुठाराघात किया। हमारे हितों की सुरक्षा नहीं करके वहां पर इन्होंने बांध बनने दिये, यह इनकी गलती है।

दूसरी बात, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके सदस्य पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कितना पानी दिया और राजस्थान को कितना पानी दिया। उनको या तो सदन में यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, अगर उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो मेरे लिए यह लाजिमी था कि मैं इसका जवाब देता और सही जवाब देता। जो बात सही है वह सही ही रहेगी इसमें कोई दो बात नहीं है। यह भी सही है कि उन दिनों मध्य प्रदेश का बांध टूट गया था लेकिन पानी जो उनको मिला है इतना ही बताना पड़ेगा, ज्यादा मैं कैसे बता सकता हूँ। तो यह सही है कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हमने नहीं किया है। यह जनसंघ और बी. जे. पी. ने किया है इसके लिये उनको सजा भुगतनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। चर्चा

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(सभापति)

समाप्त हुई ।

नैक्स्ट । मंत्री द्वारा वक्तव्य ।

व्यवस्था का प्रश्न

जांच आयोग के सामने लम्बित विषय पर शासकीय वक्तव्य

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपना वक्तव्य आरम्भ करूं उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोटपूतली के सम्बन्ध में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के आदेश सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। जो नियमों में प्रावधान है, अध्यक्ष के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं विधान सभा के जो रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस हैं, प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर बाई कौल एण्ड शकधर जो है, इस सबमें इस बात का उल्लेख है कि जो मामला सब-जुडिस हो, उस मामले पर चर्चा सदन के अन्दर नहीं होनी चाहिए। मैं अपना वक्तव्य आरम्भ करूं इस बारे में मैं आपका दिशा-निर्देश चाहूंगा। श्रीमन्, आपको मैं रूलिंग भी पढ़कर सुना दूं। प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लियामेन्ट बाई एम. एन. कौल एण्ड एस. एल. शकधर के पेज 911 पर यह है—

"The rule whether a motion which relates to matter which is under adjudication by a court of law should be admitted or discussed in the House has to be interpreted strictly. While on the one hand the Chair has to ensure that no discussion in the House should prejudice the course of justice, the Chair has also to see that the House is not debarred from discussing an urgent matter of public imortance on the ground that a similar, allied or linked matter is before a court of law. The test of sub judice in my opinion should be that the matter sought to be raised in the House is substantially indentical with the one on which a court of law has to adjudicate. Further, in case the Chair holds that a matter is sub judice, the effect of this ruling is that the discussion on the matter is postponed till judgment of the court is delivered. The bar of sub judice will not apply thereafter, unless the matter becomes sub judice again on an appeal to a higher court."

(2.47. म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपका मार्ग दर्शन और आपकी आज्ञा चाहूंगा, कोटपूतली का मामला सब जुडिस है, उसके बावजूद भी अगर आपका आदेश होगा तो वक्तव्य मेरे पास तैयार है। श्रीमन्, राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन प्रथम,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, व षष्टम, राजस्थान विधान सभा) के पेज 309 . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य 309 :

श्री प्रद्युम्नसिंह 309 : पर है, श्रीमन् ।

(व्यवधान)

वह 309 तो आप पर लागू होगी, आत्म हत्या आप ही करेंगे, श्रीमन् । 309 पर है—

इस पाइन्ट पर अनेक व्यवस्थाएं लोक सभा एवं अन्य विधान सभाओं में समय समय पर दी जाती रही हैं और सबकी इस बात पर सिद्धान्त रूप में सहमति है कि सब-जुडिस मामलों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता, श्रीमन् । यह काफी लम्बा है लेकिन उसका आपरेटिव पोर्शन मैंने आपके समक्ष अर्ज कर दिया है । इसके अलावा रूल्स के अन्दर तो है ही, श्रीमन्, मेरा वक्तव्य सर्व विदित है रूल्स के बारे में । इसके बावजूद भी अगर आपकी आज्ञा है तो, श्रीमन्, तैयार है, आपकी व्यवस्था हो जाय । जैसे भी आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य है, श्रीमन् ।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपका ध्यान आज की कार्य-सूची की ओर दिलाना चाहूँगा ।

एक माननीय सदस्य : पालकीवाला बोल रहे हैं ।

श्री नाथू सिंह : हैं ?

एक माननीय सदस्य : पालकीवाला बोल रहे हैं क्या ?

श्री नाथूसिंह : क्या बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए ।

एक माननीय सदस्य : पालकी वाला बोल रहे हैं क्या ?

श्री नाथू सिंह : हां ।

एक माननीय सदस्य : आप तो पालकी वाला का नाम भी नहीं जानते ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में आपकी व्यवस्था पहले ही हो चुकी है । आपने पहले ही स्वीकार कर लिया इसको और सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले पर सरकार सदन में वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उस वक्त ये सब बातें आसन के ध्यान में शायद न हों ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो अपने रूल्स आफ प्रोसीजर में रूल्स बने हुए हैं उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है । आपने कौल एण्ड शकधर की जो बुक है उसमें से कुछ कोट किया । अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय कोट कर रहे थे पेज 309, उसके साथ स्पीकर फ्रेड्रिक का कथन भी लिखा है । तो इसका तात्पर्य वह नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब इससे है ऐसा मामला

(श्री नाथू सिंह)

जिसमें आपस में कोई मुकदमा हो या ऐसा मामला जिसमें उस मुकदमे का कोई एक पक्ष प्रभावित हो सके। मैं समझता हूँ कि यह मामला गोली चलाने से सम्बन्धित है, बलात्कार से सम्बन्धित है। इस पर यहां जो चर्चा होगी उससे फैक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके जुडीशियल मैटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न उससे कोई पक्ष प्रभावित होगा। एक बार जब आप सदन में इस मामले को स्वीकार चुके हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आप इस मामले में बहुत ही तजुर्बेकार हैं, , नियमों को देखकर, कन्वेन्शन को देखकर और अच्छी तरह सोच समझकर ही यह कार्यसूची बनाते हैं। मैं समझता हूँ, जिस समय कार्य सूची बनती है उस समय ऐसे मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं। मैं समझता हूँ, आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को सदन के इस आसन पर होना यह सिद्ध करता है कि आपको पुराने सारे कन्वेन्शन मालूम हैं और....

श्री अध्यक्ष : आप आसन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मन्त्री महोदय आपके विवेक को चेलेंज करें, सरकार ने स्वीकार किया तभी तो आपने कार्यसूची में इस मामले को रखा है। पहले ही सरकार कह देती कि हम इस पर वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि रूल्स में ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले, जिसमें जांच की घोषणा की गयी है, पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। सब-जुडिस का आशय ही दूसरा है, जो हाई कोर्ट में चल रहा हो या दूसरे कोर्ट में चल रहा हो। यह तो एक सार्वजनिक मामला है। इससे कोई एक पक्ष या एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। फिर एक बार आज की कार्यसूची में यह मामला दर्ज हो गया है, आपने अपने विवेक से फैसला किया है इसलिये मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार से वक्तव्य दिलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं बोल दूं दो ही मिनट।

अठे आपां चोखा-चोखा आदमी बैठ्या हां। अरे भाया, चोखी बातां ही करां तो ठीक छे। असी बातें कोन्या करां तो ठीक है। जो कुछ कहणो हो वा तो आप पहले कह चुक्या। अब वा गंदी बात ने फेर दोहरारयां, के वीं के साथ सिपाही अयां कर्‌यो वयां कर्‌यों वी में लाभ के है। बिजली की, पाणी की अर जो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हैं, अध्यक्ष महोदय, वां पर चर्चा करनी चावें, बलात्कार अर गोली री बात पर चर्चा मत कर्‌यो। थे सारा भला आदमी बैठ्या हो। चोखी-चोखी वातां करो। वठे भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठ्या है और वठे तो महान प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठ्या है। तो आप तो सदन में भाई चारे री भावना से चोखी चोखी बातां करो और चोखा निर्णय करो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बुरी बात होगी तो उसको तो अनदेखी नहीं कर सकते।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बुरी बात को दोहराओ मत, बहनजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गन्दा काम आयन्दा नहीं किया जा सकता है, यह तो करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान नियम 121 की ओर दिलाना चाहता हूँ, Conditions of admissibility of motion,"

इस डिसीजन के पीछे एक ही प्रकार की व्यवस्था है कि किस प्रकार से प्रश्न का एडमिशन हो, एडमिशन के सम्बन्ध में यह नियम 121 है : In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely :"

इसमें एक आखिरी कंडीशन है—

"(viii) It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India."

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मन्त्री ने जो व्यवस्था चाही है कि कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत कमीशन जिस मामले की जांच कर रहा है उसके सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य दिया जाय या नहीं दिया जाय। पहले तो यह अन्तर करना होगा कि कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत जो इन्क्वायरी कमीशन काम कर रहा है उसके संबंध में किसी वक्तव्य को रूल्स के अन्तर्गत रोका जा सकता है या नहीं। दूसरा, अगर कोई मामला कोर्ट आफ लॉ में चल रहा है उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो वक्तव्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोर्ट आफ लॉ में इसलिए कि वहां जो प्रिसाइडिंग अफिसर है उसको प्रभावित करने की बात हो। वह प्रभावित न हो, उसको प्रभाव न पहुँचे, इस दृष्टि से इस प्रकार की कार्यवाही सदन में चर्चा के लिये न उठाया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था की है। कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कोई कमीशन नियुक्त किया गया, उसने कार्यवाही शुरू नहीं की। उसके बाद दो तीन बार वक्तव्य दिये। जिस दिन कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कमीशन की घोषणा की गयी, मुख्य मन्त्री ने घोषणा की, दूसरे ही दिन घोषणा कर दी, 25 तारीख को फायरिंग हुआ और 26 तारीख को घोषणा की गयी। 26 के बाद लगातार सरकारी वक्तव्य प्रकाशित होते रहे, सरकार ने वक्तव्य दिये, विज्ञप्तियां निकालीं, तो क्या यह मानकर चला जाय कि 26 तारीख के बाद इसके सम्बन्ध में जितनी विज्ञप्तियां, वक्तव्य निकले वह वक्तव्य कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत नियुक्त कमीशन को प्रभावित करने के लिए नहीं थे ? अगर नहीं थे, वे नहीं थे तो आज की चर्चा किस प्रकार प्रभावित होगी ? मैं यह मानकर चलता हूँ कि इस चर्चा में सरकारी पक्ष हो सकता है। जैसी कि आपकी व्यवस्था है, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, या सदस्य, जो सरकार में नहीं हैं जिनको इसके सम्बन्ध में जानकारी है, के द्वारा यदि जानकारी सदन में आती है तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार अगर अपना यह रुख बना ले कि जो कुछ कहा सरकार उसी पर जिद नहीं करेगी, डटी नहीं रहेगी। कमीशन आफ इन्क्वायरी जो डिसीजन लेता है वह सारे फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। क्या होता है और क्या नहीं होता, इससे कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नियुक्त कमीशन के प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई तो आपने जो पहले वक्तव्य दिये हैं, उससे वह प्रभावित होगा, वह तो हो जायेगा। अभी जब नाथूसिंह जी कह रहे थे कि लिस्ट में आ गया तो आपने यह भी कहा कि शायद अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार की जानकारी नहीं हो। तो हम अध्यक्ष की योग्यता को जानते हैं। शायद आपको खुद को पता नहीं हो। सदन का कोई सदस्य विश्वास करने को तैयार नहीं होगा कि इस मामले में जो जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा की है इस बात से हमारे अध्यक्ष महोदय अपरिचित होंगे। अध्यक्ष महोदय की जानकारी में है कि कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत कमीशन बैठाया गया है। इसके बाद ही एडजोर्नमेंट मोशन की व्यवस्था की गयी है, इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाने के लिये निर्देश दिये गये। मैं मांग करता हूँ कि कोटपूतली के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने अपने आरग्यूमेंट रखे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सरकार के पालकी वाला हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो चीफ व्हिप हूँ, मुख्य सचेतक हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मन्त्री हूँ। इसी हैसियत से आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप ही के द्वारा या पुराने अध्यक्षों के द्वारा जो इस सदन के अन्दर निर्णय दिये गये हैं वह आपने पढ़े होंगे। श्रीमान्, मैं उसके संबंध में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि पेज 308 पर है, ". . . . किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो . . . ."

यह काफी लंबा है इसका, कुछ ही भाग मैंने पढ़ा है........

एक माननीय सदस्य : यह "संविहित" शब्द का अर्थ क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हिन्दी का पंडित नहीं हूँ वैसे अंग्रेजी अच्छी आती है।

जुडीशियल इन्क्वायरी प्रारम्भ कर दी गयी है तो उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि सरकार समय समय पर स्टेटमेंट देती रही है। अपनी तरफ से कहते रहे लेकिन गवर्नमेंट ने जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा के बाद और हाई कोर्ट के एक जज की नियुक्ति के बाद

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कोई वक्तव्य नहीं दिया उससे पहले दिया होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 26 के बाद नहीं दिया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो पोस्टपोन कर दिया जाय और बाद में कभी आप तय कर दें। निर्णय आपका होगा वह शिरोधार्य। योग्यता की दृष्टि से इन्होंने कहा। हमने तो आपको योग्य मानकर ही इस आसन पर बैठाया है....

(व्यवधान)

इसलिये पूरा भरोसा है कि न्याय होगा। आपका जो भी न्याय होगा उसे पूरे मन से स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक स्पष्टीकरण और कर दें। कमीशन्स ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत जो कमीशन नियुक्त हुआ है वह, और किसी कोर्ट में यदि मामला पेंडिंग है, क्या उन दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका जवाब लॉ मन्त्री को देना चाहिये। वह अभी गैर हाजिर हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने नियम 121की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया और आसन का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस सम्बन्ध में नियम 53 की ओर आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नियम 53 में है :

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any Judicial or quasi-Judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved.

Provided that the Speaker may in his discretion allow such a matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enqiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry"

मेरे निवेदन करने का आशय यह है कि इसमें प्रोविजो से आसन को जो अधिकार दिया गया है किसी स्पेशल मोशन को डिस्कस करने का, उसमें केवल दो बातों के लिए अलाउ किया है। as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry. इन तीन बातों के लिये ही डिस्क्रिशन को यूज करने का प्रोविजन है।

अनेक माननीय सदस्य : विधि मंत्रीजी आ गये हैं।

श्री सूर्य कुमार : प्रोसीजर के लिये है। या तो प्रोसिजर के बारे में विचार किया जा सकता है या उस इन्क्वायरी की स्टेज के बारे में विचार किया जा सकता है। इसके अलावा विचार नहीं किया जा सकता है, यह नियम 53 कहता है। इसलिए जो आपत्ति माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है वह आपत्ति उनकी ग्राह्य है, उस आपत्ति को माना जाना चाहिये और आज उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने श्री नाथू सिंह .. ....

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्य का कि इन्होंने एक नयी बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया, आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, नियम 53 को पढ़ने से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर सब्जेक्ट टू कन्डीशन है। वे कन्डीशन्स ये हैं कि ऐसा मामला जो उस जांच को प्रभावित नहीं करेगा, पर्टिकुलर पक्ष को, किसी को भी। जैसा विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने भी बताया, सरकार की अब तक की विज्ञप्तियां सरकारी दल और विरोधी दलों के स्टेटमेंट्स, आन्दोलन–जितने मामले हुए हैं, जो समाचार पत्रों में आते रहे हैं उन सबसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो जो कंडीशन्स लगायी गयी हैं उन कंडीशन्स के बावजूद आपने इस मामले को तय किया था, उन कंडीशन्स को देखा। आर्डिनरिली, अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, ऐसे मामले को तभी रोका जा सकता है जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन पैदा हो जाय या स्पेसिफिक रीजन्स हों इसके लिए। तो आपने देखा कि इसमें रोकने लायक स्पेसिफिक रीजन्स नहीं हैं। आर्डिनरी मामला है, साधारण मामला है-इसलिये आपने अपने विवेक के अनुसार इस मामले में सदन में सरकार से कहा कि वक्तव्य दे। सरकार ने उस समय कोई आपत्ति न उठा करके स्वीकृति प्रदान कर दी। कार्यसूची में यह मामला आ गया। अब चूंकि सदन में वक्तव्य देने के लिये आपने सरकार को पूछा तो सरकार इस मामले को इस समय जान बूझकर टालना चाहती है। आपके डिस्क्रिशन पर आपके विवेक को सरकार चैलेंज कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ सरकार की यह जो इच्छा है, यह जो दुर्भावना है, यह ठीक नहीं है, आपके विवेक को चैलेंज करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो न्यायिक जांच कराने की विज्ञप्ति राज्य सरकार ने निकाली है क्या आप उसे पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेण्ट ऑफ राजस्थान। मैं पूरी ही पढ़ देता हूँ। शेम क्या है इसमें, पूरी रीडिंग आ जायगी।

(व्यवधान)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

"Government of Rajasthan
Home (Gr. II) Department.
Notification No. 1/20/II/Home/
B/84 Dated 1st Feb. 1984

Notification

Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Enquiry for the purpose of making an enquiry into definite matters of public importance hereinafter specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Enquiry Act. 1952; Central Act 60 of 1952, the State Government hereby appoints a Commission of Enquiry consisting of Hon. Justice Gopal Krishin Sharma a sitting Judge of the Rajasthan High Court, to enquire into the following matters namely :

(1) Whether the firing which the Police resorted to for dispersing the mob which surrounded the police station at Kotputli on January 25, 1984 was justified and

(2) if so, whether the extent of force used was reasonable.

The Commission shall make its report to the State Government by April 30, 1984.

And whereas the State Government is of the opinion that having regard to the nature of enquiry to be made and other circumstance of the case, the provisions of sub-Section (2), sub-section, (3) sub-Section, (4) and sub-Section (5) of Section 5 of the Commissions of Enquiry Act, 1952, (Central Act 60 of 1952), should be made applicable to the said commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 5 of the said Act, the State Government hereby directs that the provisions of the said sub-Section of Section 5 of the said Act shall apply to the said commission.

by Order

V. Rajgopal,

Secretary to Government"

अध्यक्ष महोदय, दो बातें सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करना चाहूँगा...

श्री अध्यक्ष : यह कोटपूतली की फायरिंग के सम्बन्ध में आपने विज्ञप्ति निकाली है। उसमें दो मुद्दे रखे हैं, पहला यह कि क्या औचित्य था फायरिंग करने का और क्या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है। दो ही मुद्दे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय। गवर्नमेंट ने कमीशन्स ऑफ एन्क्वायरी एक्ट में जिस जज की नियुक्ति की है उसको यदि प्रभावित करने की बात आती है तो इस विज्ञप्ति से ही प्रभावित हुआ है। इस विज्ञप्ति में वर्ड्स यूज किये गये हैं "the mob which surrounded the police station." यह किसने कहा आपको कि वहां जनता ने थाने का घेराव कर लिया? न किसी समाचार पत्र में आया, न किसी सरकार की विज्ञप्ति में आया। थाने के घेराव का तो प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

बात तो सुनिये, मेरी बात तो सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय। कहीं यह स्पष्ट नहीं है। आज तक सरकार की विज्ञप्तियों में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि थाने का घेराव किया गया। सरकार की तरफ से केवल मात्र यह आरोप लगाया गया कि थाने के सामने प्रदर्शन किया गया, थाने पर हमला करने की उन्होंने तैयारी की। यह मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया, भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया, और समाचार पत्रों में इस प्रकार की बात आयी। गलत आधार के ऊपर कमीशन नियुक्त कर रहे हैं तो प्रिजुडिस करने का काम तो इन्होंने पहले ही पूरा कर दिया। जब ये कहते हैं, "the mob which surrounded the police station. . . ."

(व्यवधान)

मुझे, अध्यक्ष महोदय, माफ करना। "mob" वर्ड जो यूज किया उस पर मेरी जबर्दस्त आपत्ति है। प्रदर्शन किया, मॉब कैसे हो गयी? यदि उसको आरम्भ में ही मॉब मान लिया, मॉब मानकर चलती है, कि मॉब ने थाने का घेराव कर लिया तो गवर्नमेंट दो प्रश्नों पर तो कमिटेड हो गयी। गवर्नमेंट की यह मान्यता बन गयी तो दोनों इश्यु जुडीशियल इन्क्वायरी के सब्जेक्ट नही होंगे, Whether it was a mob, whether the mob surrounded the police station. It has already been agreed and it has not been referred to the commission of enquiry. यह दो इश्यु तो कमीशन ऑफ इनक्वायरी में गये नहीं। आधा केस तो कमीशन ऑफ इन्क्वायरी का गवर्नमेण्ट ने खतम कर दिया यह कह कर कि it was a mob, the mob surrounded the police station. उसके बाद जो दो बातें आपने कहीं, गोली चलाई उसमें शक्ति का अधिक प्रयोग किया गया या कम प्रयोग किया गया। मैं ऐसा समझता हूँ, यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह चाहें, यदि इन दोनों शब्दों के साथ और टर्म्स के साथ कोई कमीशन नियुक्त किया जायगा, तो उसका लाभ नहीं होगा। हम ऐसे कमीशन को चाहते भी नहीं हैं, न जनता इस प्रकार का कमीशन चाहती है। अध्यक्ष महोदय, आज कमीशन नियुक्त नहीं हुआ उसके पहले ही आपने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके व्यवस्था कर दी कि It was a mob

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और इसने सराउण्ड किया थाने को। सराउण्डेड थानें को बचाने के लिए यदि लोगों पर फायरिंग की तो Whether it was excessive firing ? किस की इन्क्वायरी हो रही है ? दो चीजें तो गवर्नमेण्ट ने मान लीं और कमीशन के हाथ बांध दिये। कमीशन इन दोनों इश्युज पर अब जांच नहीं कर पायगा। यह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स ही ऐसी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस सम्बन्ध में चर्चा करे, अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, को सुधारे। सुधारने के बाद यदि इस प्रकार की स्थिति आती है तो उस पर चर्चा करे। इस चर्चा से किसी भी तरह से कमीशन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही एक जवाब, माननीय सदस्य सूर्य कुमारजी ने जो पाइण्ट रेज किया उसका। वह तो है एडजोर्नमेण्ट की एडमिसिबिलिटी का। अभी एडजोर्नमेंट एडमिट नहीं किया अभी तो मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। The Minister with the consent of the Speaker may make a statement on the day fixed by the Speaker.

अध्यक्ष महोदय, With the Consent of the Speaker. इसका मतलब, स्टेटमेण्ट देना चाहते हैं।

स्टेटमेण्ट बिजनेस लिस्ट में तभी आयगा जब आपकी कंसेंट होगी। आपकी कंसेंट के बिना आयगा नहीं। तो वह जो प्रोविजन है वह तो एडजोर्नमेण्ट मोशन पर डिस्कशन लिए एडमिसिबिलिटी के समय आयगा, यहां तो मिनिस्टर एक स्टेटमेण्ट दे रहे हैं। स्टेटमेंट देने की आपने अनुमति दे दी। मैं समझता हूँ, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए।

इस कमीशन ऑफ इन्क्वायरी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स देखने के बाद तो मैं यह कहूँगा कि न्यायिक जांच के नाम पर जनता के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय किया जा रहा है और उसका हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर कदम पर विरोध किया जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो यह तय होना है कि जिस नोटिफिकेशन के द्वारा अपाइन्ट किया गया है, उसकी वर्डिंग्स क्या हैं। क्या मामला रेफर किया गया है, यह तो बाद की बात है।

आप बोल रहे थे, तब मैंने कतई डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Sorry.

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो बाद की बात है कि गवर्नमेंण्ट ने इश्यु रेफर किए हैं, इश्यु दिए हैं, वह सही हैं या नहीं। इस मामले की ग्राह्यता के ऊपर दो बातें कहीं कि एडमिट होने के बाद पोस्टपोन नहीं किया जायगा नियमों के तहत। अध्यक्ष महोदय, कई दफा प्रश्न एडमिट हो जाते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि मैटर सब जुडिस है और आसन उसको रेफर कर देता है, नम्बर एक। नम्बर दो, विपक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के माननीय नेता महोदय ने एक बात कही, श्रीमन्, सरकार जब प्रेस–रिलीज निकालती है, तब क्या जुडीशियल इन्क्वायरी अफेक्ट नहीं होती थी। इस हाउस की जो प्रोसिडिंग्स होती हैं, जो बिजनेस कण्डक्ट होता है वह रूल्स के तहत कण्डक्ट होता है, उसके लिए सर्टेन रूल्स ले–डाउन किये हुए हैं, हम उनके तहत चलते हैं। विपक्ष वालों ने, विभिन्न राजनैतिक दलों ने और सरकार ने फैक्चुअल पोजीशन प्रेस को दी थी कि कोटपूतली के अन्दर क्या हुआ। वह किसी प्रकार जुडीशियल कमीशन या जुडीशियल इन्क्वायरी को प्रभावित करने वाली नहीं थी।

तीसरी, विपक्ष के नेता महोदय ने एक बात और कही। वह है, जुडीशियल कमीशन उस तारीफ में आता भी है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, 'Judicial body includes-constitution of law (a) any adjudicating body (b) any tribunal, any commisson under the commisssion of Enquiries Act.

यह तीनों ज्युडिशियल बॉडी की तारीफ के अन्दर आते हैं।

मैंने आपको पूर्व में कहा, वक्तव्य तैयार है, सिर्फ व्यवस्था का प्रश्न है, उसका जांच पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, श्रीमन् निवेदन किया था। न तो सरकार की आसन के प्रति कोई दुर्भावना है, न अनादर की इच्छा है। जो निर्णय देंगे, जो दिशा–निर्देश देंगे, उसको मानते हुए वैसी कार्यवाही की जायगी, श्रीमन्।

श्री यदुनाथ सिंह : लॉ–मिनिस्टर से भी पूछ लीजिए। इन्क्वायरी कमीशन और जुडीशियल इन्क्वायरी में क्या अन्तर, फर्क है, इनमें अन्तर तो बताइये।

श्री नाथू सिंह : लॉ मिनिस्टर बहुत विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से दो दो मंत्रियों ने अपना मत व्यक्त कर दिया इसलिए आवश्यक नहीं है कि विधि मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ बात कहें।

कोटपूतली और राजस्थान के कई अन्य स्थानों पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। उनके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने दी थी। उस पर आसन की ओर से यह व्यवस्था दी गयी थी कि सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देगी। आज जब इस प्रस्ताव पर विचार होने जा रहा था उस वक्त सम्बन्धित विभाग के मंत्री जी ने आपत्ति उठाई कि चूंकि इस विषय की जांच कराने, जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी इसलिए यह सब मामले अब एक न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं। अपनी विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम और पार्लियामेण्टरी प्रेक्टिस का भी हवाला देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में इस सभा में विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह बात तो सही है कि हमारे नियमों में और संविधान में ऐसा प्रावधान होते हुए भी

(श्री अध्यक्ष)

यहां पर माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, पर उन विषयों पर चर्चा नहीं होगी जो विषय किसी अदालत या उसके समकक्ष अधिकार रखने वाले अन्य किसी अधिकरण आदि के विचाराधीन हों। तो इसके पीछे जो मंशा है, वह बिलकुल सही है क्योंकि जो विषय किसी न्यायालय अथवा उसके समकक्ष अधिकार रखने वाली किसी अन्य बॉडी या कमीशन या आयोग के समक्ष विचाराधीन हों तो उस पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेरी कमीशन पर हुई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

लेकिन इसमें वे मुद्दे नहीं आते हैं जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों। यह मुद्दे उसमें आते हैं जिससे कि अदालत के ऊपर कोई कुप्रभाव न पड़े अपनी चर्चाओं का। यदि आप स्थगन प्रस्ताव देखें तो कोटपूतली और अन्य कई तरह की घटनाओं, जो नगरों और गांवों के अन्दर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप घटित हुई, का भी उसमें उल्लेख किया गया है। जब हम इस नियम की व्याख्या करते हैं तो हमको उसमें थोड़ा लिबरल इन्टरप्रिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिनका अनुसंधान हो रहा होता है पुलिस में, वह किसी न किसी रूप में अदालत में भी चले जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ नियम होते हुए भी जन हित को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में हमारे यहां पर चर्चाएं होती रही हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आज इस सदन में वक्तव्य तो दिया जायगा पर उसमें माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैंने कहा, जो विज्ञप्ति राज्य सरकार ने निकाली है और जो उसमें विचारणीय बिन्दु हैं, उनको ध्यान में रखकर, उनसे थोड़ा बचकर जो कुछ भी कहा जा सके, उस दृष्टि से ही कहें। हमारी जो चर्चा हो, उससे जो जुडीशियल इन्क्वायरी है, उस पर किसी तरीके से उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(व्यवधान)

इसलिए मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे। बाद में जैसा आप जानते हैं, यदि सरकार की ओर से किसी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जाता है तो लम्बे चौड़े भाषण उस सम्बन्ध में नहीं होते, केवल स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ प्रश्न पूछ लिये जाते हैं। उनकी इजाजत मैं माननीय सदस्यों को दे दूंगा।

शासकीय वक्तव्य

कोटपूतली काण्ड की न्यायिक जांच के आदेश

श्री गृह राज्य मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दिनांक 25 जनवरी, 1984 को प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर श्री किशोरीलाल निवासी कोटपूतली ने श्रीमती गायत्री देवी नामक महिला के साथ थाना कोटपूतली पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रात्रि गश्त में नियुक्त 2 पुलिस कांस्टेबिलान द्वारा अपने ससुराल जाने हेतु घर से बस-स्टेण्ड जा रही श्रीमती गायत्री देवी निवासी कोटपूतली के साथ बेइज्जती कर उसकी दो अंगूठियां ले ली गई हैं। इस रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली ने अभियोग संख्या 26/84 धारा 376, 379, 511 ताजिराते हिन्द पंजीबद्ध कर दोनों पुलिस कांस्टेबिलान को प्रातः साढ़े 7 बजे गिरफ्तार कर हवालात में बन्द कर दिया गया तथा श्रीमती गायत्री देवी व दोनों पुलिस कांस्टेबिलान का डाक्टरी मुआयना करवाया गया।

लगभग साढ़े 10 बजे कोटपूतली कस्बे के 20-25 संभ्रान्त नागरिक एवं वकीलान साहिबान स्थानीय विधायक के साथ इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोटपूतली पर आये। थाने पर उपस्थित उप अधीक्षक (पुलिस) एवं एस. डी. एम. कोटपूतली ने उन्हें पुलिस कार्यवाही से अवगत कराते हुए हवालात में बन्द दोनों कांस्टेबिलान दिखा दिये, जिससे वह संतुष्ट होकर वापस चले गये।

दुर्भाग्य का विषय है कि इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से भूतपूर्व विधायक एवं उनके समर्थक और साथियों ने उस रोज कोटपूतली बन्द का आह्वान कर जबर्दस्ती बाजार बन्द करा दिया व आजाद चौक में लोगों को एकत्रित कर उत्तेजनात्मक भाषण देकर पुलिस के विरुद्ध आक्रोश पैदा किया। जिसके फलस्वरूप ये प्रदर्शनकारी उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए थाने की ओर बढ़े। रास्ते में इन प्रदर्शनकारियों ने सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में तोड़-फोड़ कर छात्रों को, प्रधानाध्यापक के विनम्र निवेदन एवं विरोध के बावजूद भी जबर्दस्ती बाहर निकाल लिया। करीब 4-5 हजार प्रदर्शनकारी, जिनमें स्कूल और कॉलेज के छात्र भी शामिल थे, जिनमें कुछ के हाथ में लकड़ी, सरिये, पत्थर आदि थे उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुये लगभग 1.00 बजे (दिन में) थाने पर पहुंचे और थाने को घेर लिया। वह दोनों गिरफ्तार सिपाहियों को, उनके हवाले करने की मांग करने लगे। थाने पर उपस्थित उप अधीक्षक, कोटपूतली ने इन प्रदर्शनकारियों को दोनों पुलिस कांस्टेबिलान के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही एवं गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये शान्ति रखने हेतु अपील की मगर ये प्रदर्शनकारी थाने में जबर्दस्ती घुसने लगे। जब पुलिस कर्मचारियों द्वारा उन्हें थाने में घुसने से रोका गया तो इन प्रदर्शनकारियों ने पथराव प्रारम्भ कर दिया जिससे कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गये। स्थिति को देखते हुये उप अधीक्षक एवं पुलिस कर्मियों ने थाने में घुसकर दरवाजा बन्द कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही एस. डी. एम., कोटपूतली ने थाने की छत से उपद्रवकारियों को शान्त रहने हेतु निवेदन किया। मगर भीड़ और अधिक पथराव करने लगी। इसी बीच जयपुर से अतिरिक्त फोर्स एक ट्रक में कोटपूतली थाने पर पहुंची जिस पर भीड़ ने भयंकर पथराव किया, इन पुलिस कर्मचारियों ने थाने के अन्दर घुसकर अपनी सुरक्षा की।

इसी बीच उपद्रवकारियों ने पुलिस ट्रक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के ड्राइवर महादेवसिंह को पकड़ लिया, और मार-पीट करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाठी-चार्ज कर ड्राइवर की जान बचाने का प्रयत्न किया मगर भयंकर पथराव के कारण कई पुलिस-कर्मी घायल हो गये। उपद्रवकारियों ने सुभाष नामक सिपाही को खींचकर भी मार-पीट शुरू की। एस.डी. एम. एवं उप अधीक्षक, कोटपूतली ने थाने की छत से उपद्रवकारियों से दोनों पुलिसकर्मियों को छोड़ने एवं शान्त रहने का आग्रह किया। इसी बीच भीड़ में से किसी ने फायर किया और थाने के बाहर खड़े पुलिस ट्रक को.......

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह बिलकुलXXX है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल असत्य है, यह पुलिस का बनाया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :XXXशब्द को कार्यवाही से हटाया जाय। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस का माइक पकड़कर बोल रहे हैं मंत्री महोदय। इनको बोलने की तमीज नहीं है। क्या यह शब्द पुलिस ने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : इतने जोश से क्यों बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसे बयान से क्या होने वाला है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य !

श्री प्रद्युम्न सिंह : एस. डी. एम. एवं उप-अधीक्षक कोटपूतली ने थाने की छत से उपद्रवकारियों...

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : पुलिस को बचाने हेतु....

श्री यदुनाथ सिंह : पुलिस तो घुस नहीं पा रही थी एस. डी. एम. कहां से घुस गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर !

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एस. डी.एम. एवं उप-अधीक्षक, कोटपूतली ने थाने की छत से उपद्रवकारियों से दोनों पुलिस कर्मियों को छोड़ने एवं शान्त रहने का आग्रह किया। मगर इसी बीच भीड़ में से किसी ने फायर किया और थाने के बाहर खड़े पुलिस के ट्रक...

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलेखित किये गये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल असत्य बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : बलात्कारियों को छूट-पर-छूट देते जा रहे हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या तोड़-मरोड़ कर तथ्यों को रखोगे . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थाने के बाहर खड़े ट्रक व जप्तशुदा जीप व कार को आग लगा दी तथा पास की लकड़ी की टाल से लकड़ियां लाकर मुख्य द्वार पर . . . .

(व्यवधान)

श्री बाऊ दयाल जोशी : अरे भगवान से तो डरोXXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : X X X आपके।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, लकड़ी की टाल से लकड़ियां लेकर . . .

(व्यवधान)

शान्त रहें।

लकड़ी की टाल से लकड़ियां लाकर मुख्य द्वार पर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, कान्सटेबिल सुभाष को जलते हुए ट्रक में धकेल दिया जिससे उसके दोनों हाथ व सीना जल गया . . .

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस स्टेटमेंट का एक–एक शब्द गलत है। यह वे शब्द हैं जो पुलिस ने कहे थे, अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : वहां पर बाहर हमला हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, उस समय विरोधी दल के लोग वहीं पर थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पुलिस को संरक्षण देने की कार्यवाही कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट की आड़ में . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें।

श्री अनंग कुमार जैन : राजस्थान का गृह राज्य मंत्री X X X जो इस प्रकार पुलिस की दलाली करके उसका रचित स्टेटमेंट यहां दे रहे हैं इसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि न्यायिक जांच होगी। इसकी एक-एक लाइन गलत कही जा रही है। जो पुलिस के द्वारा दिया गया हो, जिसमें बिलकुल असत्य बात कही गयी हो....

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य, सुनना चाहते हैं इसीलिये सुविधा दी है माननीय सदस्यों को। शान्ति से सुनें, उसके पश्चात् यदि आपको कोई शंका है तो उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।

आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि सच बहुत कड़वा होता है लेकिन कृपया शान्तिपूर्वक सुनें.. .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति काफी गम्भीर हो चुकी थी। एक तरफ तो दोनों सिपाहियों की जान का खतरा था और दूसरी ओर थाने पर बराबर पथराव जारी था। थाने के भीतर जलती हुई लकड़ियां फेंक कर थाने में आग लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, थाने के मुख्य द्वार पर आग लग चुकी थी। इस गम्भीर स्थिति में एस. डी. एम. कोटपूतली ने उपद्रवी भीड़ को पहले चेतावनी दी मगर इस चेतावनी का जब कोई असर नहीं हुआ तो गोली चलाने का आदेश दिया। इस पर डी. वाई. एस. पी., कोटपूतली ने हवा में फायरिंग करवाई मगर भीड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रभावी गोली चलाई गई, जिससे भीड़ भाग खड़ी हुई। जिला दण्डनायक, उप-महानिरीक्षक, जयपुर (एक) एवं पुलिस अधीक्षक भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गये एवं शान्ति व्यवस्था हेतु उचित प्रयास किये।

पुलिस द्वारा कुल 21 गोलियां चलाई गई जिनमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु के अलावा 8 व्यक्ति घायल हुए . . .

(व्यवधान)

घायलों की चिकित्सा हेतु कोटपूतली एवं जयपुर अस्पताल में उचित प्रबन्ध करवाये गये। 4 अन्य व्यक्ति भी कोटपूतली अस्पताल पहुंचे जिनका भी जरूरी उपचार करवाया गया।

एस. डी. एम., कोटपूतली एवं उप-अधीक्षक सहित 34 अन्य पुलिसकर्मियों के चोटें आई, सरकारी ट्रक पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया एवं दो सरकारी जीपें एवं विभाग के कार्य को भी भारी क्षति पहुंची।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल असत्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : XXXX भगवान से तो डरो . . .

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दाऊदयाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में थाना कोटपूतली पर अभियोग संख्या 27/84 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 436, 440, 360 ताजिराते हिन्द में पंजीबद्ध किया जाकर श्री रामकरण सिंह एवं सुजानसिंह को उसी रोज गिरफ्तार किया गया जो अदालत द्वारा जमानत पर दिनांक 28–2–84 को रिहा किये जा चुके हैं। दिनांक 25 जनवरी की शाम को ही कोटपूतली में हुई फायरिंग के आठ घण्टे के अन्दर ही मुख्य मंत्री जी के द्वारा घायलों के उपचार की व्यवस्था व्यक्तिशः देखने के पश्चात् प्रकरण में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई थी जिसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की न्यायिक जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गोपालकृष्ण द्वारा कराने के आदेश दिनांक 1–2–84 को प्रसारित किये जा चुके हैं तथा मुख्य मंत्रीजी द्वारा अपने सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को दस–दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

कोटपूतली की इस दुखद घटना का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा कोटपूतली नगर की शांति व्यवस्था को ही भंग नहीं किया गया अपितु निकटवर्ती क्षेत्रों में भी योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शन, बंद एवं हड़ताल आयोजित कर वहां के नागरिकों में उत्तेजना फैलाई गई जिससे अपार जनधन की क्षति हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। शान्त रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 जनवरी को ही जब बहरोड़ में गणतन्त्र दिवस का समारोह चल रहा था तो इन असामाजिक तत्वों ने समारोह में विघ्न डाला और पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया जिससे कई पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। बानसूर कस्बे में भी प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय पर पथराव किया जिससे तहसील कर्मचारियों के सिर में चोटें आईं। अगले रोज भी इन अवांछनीय तत्वों ने पुलिस चौकी हरसौली पर हमला कर आग लगा दी। दिनांक 28 जनवरी को हरसौली रेलवे स्टेशन पर हिंसक भीड़ ने हमला बोलकर रेलवे सम्पत्ति को तोड़ फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया। तीन अप देहली अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी को रोक लिया। कई रेलवे एवं पुलिस कर्मचारियों को पथराव से घायल कर दिया। जब भीड़ ने एक पुलिस कान्सटेबल की राइफल छीनने का प्रयत्न किया और स्टेशन मास्टर के कार्यालय में आग लगा दी तो पुलिस ने हवा में पांच चक्र गोली चलाई जिससे भीड़ तितर-बितर हुई एवं रुकी हुई रेलगाड़ी को गन्तव्य स्थान पर रवाना कराया गया। पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई एक गोली टकराकर जगदीश पुत्र लालचन्द नामक व्यक्ति की जांघ में लगी जिसे तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया। उस रोज मडावर कस्बे में भी भीड़ ने टेलीफोन एक्सचेन्ज को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। कई अन्य स्थानों पर बसों पर पथराव किया गया। 30 जनवरी को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अलवर-बन्द का आह्वान कर अलवर नगर में इन असामाजिक तत्वों ने जिस सुनियोजित ढंग से हिंसा, तोड़ फोड़ एवं आगजनी कर सरकारी एवं निजी सम्पत्ति को तहस-नहस किया उससे बंद का आह्वान करने वाले विरोधी दलों के उद्देश्य भी स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस रोज अलवर शहर में इन अवांछनीय तत्वों द्वारा रेलवे लाइनों पर अवरोध खड़ा कर ट्रेन रोकी गई, कई बैंकों, नगर विकास न्यास के कार्यालय, पंसारी बाजार, चौधरी क्लॉथ हाउस आदि अनेक प्रतिष्ठानों पर व्यापक तोड़ फोड़ की गई। कई ठेलों पर रखे सामान को लूटा गया। जिलाधीश की कार पर आक्रमण किया गया। पुलिस चौकी अखयपुरा बीच की, पुराना कटला पर सुनियोजित हमला कर फर्नीचर एवं पुलिस कर्मचारियों के सामान को आग लगाई गई। कई बस्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जब कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये तो नगर दण्डनायक के आदेश से अश्रु गैस एवं बल प्रयोग कर इन उपद्रवकारियों को खदेड़ना पड़ा। सायंकाल नगर के मध्य स्थित पुलिस कण्ट्रोल रूम पर भीड़ ने हमला बोलकर भयंकर पथराव किया और वहां पर खड़ी एस. डी. एम. की जीप को आग लगा दी। जब कई चेतावनियों का भी हिंसक भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और अन्धेरा हो जाने के कारण स्थिति और गम्भीर हो जाने का खतरा पैदा हो गया तो नगर दण्डनायक ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया जिस पर पुलिस द्वारा हवा में 13 गोलियां चलाई गई जिसका वांछित प्रभाव पड़ा और भीड़ तितर-बितर हो गई।

इस बंद के दौरान अलवर जिले में कई स्थानों पर भी हिंसक घटनाएं हुई। खैरथल कस्बे में उपद्रवकारियों ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर तार व सिगनलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। रेलवे स्टेशन स्थित लैम्प भवन को आग लगा दी। भीड़ ने भयंकर पथराव कर कई पुलिस कर्मचारियों को घायल कर दिया। उसी वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस एवं रेलवे कर्मचारियों की जान को गम्भीर खतरा पैदा हो जाने पर स्टेशन पर उपस्थित रेलवे पुलिस अधीक्षक ने हवा में पांच चक्र गोलियां चलवाई जिससे भीड़ तितर-बितर हुई एवं पुलिस कर्मचारियों की जान एवं रेलवे सम्पत्ति को भारी क्षति से बचाया जा सका। पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाने से कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। एक अन्य व्यक्ति, जिसे छर्रे लगे, को उपचार हेतु अलवर अस्पताल भिजवाया गया जहां डाक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद दिनांक 8. 2. 84 को उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन दिनांक 30. 1. 84 को भीड़ ने खैरथल कस्बे के पुलिस थाने को भी घेर लिया, और वहां खड़ी जब्त-शुदा रोडवेज की बस की तोड़ फोड़ की। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। जब हिंसक भीड़ ने थाने के मुख्य द्वार को तोड़ कर अन्दर प्रवेश करना चाहा तो थाने पर उपस्थित हैड कान्सटेबल ने हवा में तीन गोलियां चलाई। इसी बीच ए. सी. एम., किशनगढ़वास पुलिस दल के साथ थाने पर पहुंच गए और उन्होंने अश्रु गैस का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कोटकासिम, नीमराना, मालाखेड़ा, अकबरपुर में भी पोस्ट ऑफिस, पंचायत समिति, तहसील व पुलिस चौकियों पर हमले किए गए। अलवर जिले में हिंसक उपद्रव एवं व्यापक तोड़ फोड़ का क्रम अगले रोज-दिनांक 31 जनवरी को भी जारी रहा। नौगावां पुलिस चौकी पर भीड़ ने पथराव कर दरवाजे को तोड़ दिया तथा आग लगाने का प्रयास किया। जिस पर इन्चार्ज हैड कान्सटेबल ने आत्मरक्षार्थ बल प्रयोग कर उपद्रवकारियों को खदेड़ा मगर पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने से भीड़ ने चौकी पर पुनः हमला बोल दिया। अन्य कोई विकल्प न होने पर हैड कान्स्टेबल द्वारा हवा में चार राउण्ड फायर किये गये जिससे भीड़ पीछे हटी। भीड़ द्वारा पथराव से कुछ नागरिकों के चोटें आई जिनको तत्काल अलवर इलाज हेतु भेज दिया गया। उसी रोज टपूकड़ा थाने की खिड़कियां एवं दरवाजों को तोड़कर भीड़ ने अन्दर घुसकर पुलिसकर्मियों के सामान को आग लगा दी। बाहर खड़ी जब्तशुदा कार को भी जला दिया। बिजलीघर, तहसील एवं अस्पताल में भी तोड़-फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस सम्बन्ध में जिला अलवर के विभिन्न स्थानों से 38 अभियोग पंजीबद्ध किए जाकर 145 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो सभी जमानत पर हैं। इन हिंसक वारदातों में 47 पुलिसकर्मी एवं 5 रेलवे कर्मचारी घायल हुए, लाखों रुपयों की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में भी जब प्रदर्शनकारियों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया तो पुलिस ने 19 व्यक्तियों को धारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

माननीय सदस्यों का यह आरोप कि पुलिस से मारे गये दो व्यक्ति लापता हैं तथा झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सही नहीं है। पुलिस ने गम्भीरता एवं विषम परिस्थितियों में संयम एवं धैर्य का परिचय दिया है। अगर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा व्यक्तिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : डूब मरो, डूब। भाई-चारे की बात करते हो! लोगों की लाशों पर तुम्हारी पुलिस नाचती है, और भाई-चारे की बात करते हो! गर्त में जाओगे, तब पता लगेगा तुमको।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : सड़क पर रोक देगी जनता, सड़क पर खादी पहनकर नहीं निकल सकोगे। खादी और टोपी पहनकर सड़क पर नहीं निकल सकोगे। जनता उसी तरह का बर्ताव करेगी, देखना।

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे, पाली के साहूकार जी, लोगों ने मारे नहीं ...

एक माननीय सदस्य : इन लोगों की XXX आपने करायी हैं ..

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपकी इन हरकतों से राजस्थान पंजाब बनेगा। इस तरह की गुमराह करने की, सारी झूठी, पुलिस की रिपोर्ट····

(व्यवधान)

यह अपने काले-कारनामों को बचाने के लिए कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शान्त रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने गम्भीरतम एवं विषम परिस्थितियों में संयम एवं धैर्य का परिचय दिया है। अगर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा व्यक्तिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से शान्ति व्यवस्था को भंग कर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करने का यह आयोजन नहीं किया जाता तो इन दुखद घटनाओं को टाला जा सकता था, श्रीमान्।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान पंजाब बना दो।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं वह टेप सुना दूं। अध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी गया है वहां; उसकी है एक इनके मन्त्रि-मण्डल के सदस्य की है। अध्यक्ष महोदय, कोई कुछ इसमें जांच की या इन्क्वायरी, जुडीशियल इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : आप चेम्बर में सुन लीजिये, फिर परमिशन दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन के माननीय सदस्य के अलावा कोई दूसरे यहां बोल नहीं सकते हैं। टेप या अन्य कोई तरीका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। आप स्वयं इसको इस्तेमाल कीजिये और उसके बाद में जो आपका मन्तव्य बने, जैसे आपके विचार हों इस पर, आप स्वयं को प्रकट करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। यहां पर सदन की व्यवस्था ऐसी है कि स्वयं माननीय सदस्य जैसा ठीक समझें, अपने श्रीमुख से ही फर्मा सकते हैं : पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर–इनका प्रयोग यहां पर नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

अगर आपको सदन को प्रभावित करना है तो स्वयं को चर्चा के विषय उठाने पड़ेंगे और उस सम्बन्ध में जितनी भी आपकी दलीलें हों, आप स्वयं को पेश करनी होंगी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इसको अपने चेम्बर में रखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

● आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने टेप किया हुआ बृजसुन्दर जी शर्मा के बारे में, जो कि जमीन के बारे था, सुनाया था।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं यह इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। सर्वाधिक महत्व जो कुछ माननीय सदस्य इस सभा में कहते हैं, उसको दिया जाता है। माननीय सदस्य जो कहते हैं उसको किसी अदालत में या अन्य स्थान पर शपथपूर्वक कहा जाय वही वजन दिया जाता है, जो कुछ माननीय सदस्य यहां पर कहते हैं। आप अपनी जानकारियां किस स्रोत पर आधारित करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यहां पर प्रभावित करने के लिए किसी दूसरे का भाषण नहीं बोला जा सकता। ऐसी यहां की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

अगर आप उसको सुनकर सन्तुष्ट हो जाते हैं तो आप ही बता दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी शेखावत ने पण्डित बृजसुन्दर जी शर्मा पर चार्ज लगाते हुए यहां पर पेश किया था। यही बृजसुन्दर जी शर्मा, जो कि आज वित्त मन्त्रीजी हैं, ने एक जमीन जो सरकारी और एक समाज की थी, कोटा-बून्दी में दबा ली थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं। समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य। अनधिकृत कार्यवाही कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आर्डर आर्डर। श्री नाथू सिंह। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने यह व्यवस्था दे दी है कि टेप रिकार्डर को यहां पर रेफर नहीं किया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष : टेप रिकार्डर को रेफर तो किया जा सकता है पर उसको यहां पर बुलाया नहीं जा सकता। आप यह रेफर कर सकते हैं कि टेप रिकार्डर में ऐसी बात कही है। आप तो स्वयं बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं, यहां पर जो कुछ भी कहना होता है वह माननीय सदस्य को अपनी भाषा में कहना चाहिए। उसके सबूत के रूप में दूसरा कोई यहां पर बोले, यह नहीं हो सकता। माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं, उसको हम आम तौर पर सही मानकर चलते हैं जब तक कि यह साबित नहीं हो जाय, दूसरे माननीय सदस्य कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत न कर दें जिनसे वह गलत साबित होते हों। तो वह एक अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप इसको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको अन्दर सुन लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और सुनने के बाद में यदि आप उचित समझें कि सरकार ने जो कुछ वक्तव्य दिया है, उसका सम्बन्ध सरकार के....

श्री अध्यक्ष : उसका मूल्यांकन होगा। वह अलग से करेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनने के बाद फिर हाउस को रेफर कर दीजिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अरे साहब, जुडीशियल इन्क्वायरी के सामने पेश करने से कोई रोकता है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : इससे तो सत्यता पता लगेगी। यह तो सत्यता का सबूत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो स्वयं कानून के ज्ञाता हैं इसलिए पूर्व में मैंने जो इस संबंध में व्यवस्था दी है, उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना भाषण देंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी है उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना भाषण देंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ।

श्री नाथू सिंह : जरूर, साहब। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सरकार को सदन में वक्तव्य देने के लिये मजबूर किया वरना तो सरकार आज भी इस मामले को टालना चाहती थी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह तथ्यों के विपरीत, भ्रामक, असत्य और मनगढ़न्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूँगा कि यह टोटली पुलिस वर्शन है। इन्होंने पढ़ कर सुना दिया। अच्छा होता कि सरकार भी अपनी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाती और अपने विवेक को काम में लेती। जो पुलिस ने लिखकर भेज दिया उसको सरकार ने यहां पर पढ़ कर सुना दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह राज्य मन्त्री जब बयान दे रहे थे, इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह घटना क्यों हुई, इस को हम दो–तीन भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो यह है कि बलात्कार युवती के साथ किया गया। दूसरा गोली चलने से सम्बन्धित मामला और तीसरा इल्लीगल डिटेंन्शन से सम्बन्धित मामला।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूँगा, माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी जरा नोट करें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष ने अनुचित लाभ उठाने के लिये ऐसा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार कोई गलती करती है, प्रशासन कोई गलती करता है, जनता की चुनी हुई सरकार बैठी है। यदि जनता से चुनी हुई सरकार जनता का पक्ष नहीं ले, जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे और अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाये तो क्या विरोधी दल भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करे? क्या यह यही चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल का अधिकार है कि जब सरकार सोयी रहे, सरकार जनता की परवाह नहीं करे तो जनता की समस्याओं को विरोधी दल सरकार के सामने रखे और विरोधी दल, आंदोलन भी करना पड़े तो वह जनता की समस्याओं के लिये करे, और उन समस्याओं को सरकार के सामने रखे। यह हमारा राइट है, यह हमारा अधिकार है। इसमें अनुचित लाभ उठाने वाली बात की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहूँगा माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, गृह राज्य मंत्री महोदय से, उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती बाजार बन्द करवाये। अध्यक्ष महोदय, रात को साढ़े तीन बजे युवती के साथ बलात्कार हुआ। सुबह साढ़े छः बजे या सवा छः बजे यूथ कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष ने....

श्री अहमद बक्श सिंधी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पाइन्ट आफ आर्डर कैसे उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। दुबारा शुरू कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है कि क्या लॉ मिनिस्टर पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : क्वेश्चन यह है कि मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा यह कोई तरीका नहीं है। विरोधी दल के नेता जब भी चाहें, हाउस में उठ कर बोलना शुरू कर दें। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है मैं बोलूंगा। मैं पहले कह चुका हूँ मेरा राइट है। मेरे बोलने के बाद में यह बोलें।

(व्यवधान)

I have a right to speak.

यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अलाउ नहीं किया गया है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह परम्पराओं के खिलाफ है। मैं बोलूंगा, मेरा राइट है। I have the right to speak first.

श्री अध्यक्ष : यह अपनी बात समाप्त कर दें उसके बाद में मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है कि यह हर वक्त बोलने खड़े हो जावें।

श्री अध्यक्ष : क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : मेरा अर्ज यह है कि यह मामला हाई कोर्ट के आनरेबल जज के सामने विचाराधीन है।

(व्यवधान)

पहले मेरी बात सुन लीजिये। मैं दुबारा आपका ध्यान आकर्षित करने का हक रखता हूँ और इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस मामले को अगर अलाउ किया जाता है जैसा कि आपने अलाउ किया है, आप इस पर दुबारा विचार कीजिये, क्योंकि इसका उस इन्क्वायरी पर बुरा असर पड़ने वाला है और कोई भी ...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पाइन्ट आफ आर्डर किस रूल के तहत उठा रहे हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो स्टेटमेन्ट दिया गया है वह स्टेटमेन्ट आफ फैक्ट है। इसके ऊपर सवाल करना है तो करिए बाकी ऐसा कोई मामला, जो जुडीशियल इन्क्वायरी पर बुरा असर डालने वाला है और उसको प्रिजुडिस करने वाला है, को आप अलाउ नहीं करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रिमण्डल के सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निर्णय चाहता हूँ कि क्या लॉ मिनिस्टर पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो हो गया वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा कि पहले ये बोल लें उसके बाद ग्रापकी बात सुनूंगा। मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या ट्रेजरी बेंचेज की ओर से पाइंट ग्राफ आर्डर रेज किया जाए, does it not amount to lack of confidence in the speaker ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : That can be applicable to all.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनिये तो सही।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता था, क्या ट्रेजरी बेंचेज, खासकर विधि मंत्री जी उस समय सो रहे थे जब आपने व्यवस्था दी ? एक घण्टे बाद इनकी समझ में आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। जो समझकर बोले उसमें आधा भूल गये और उसके बाद इन्होंने कहा, इनको खुद को पता नहीं कि क्या कहा गया। मैं इस हालत में निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो पहले यह व्यवस्था करिये कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से, क्या किसी प्रकार पाइंट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, फिर ग्रापको समझने में एक घण्टा लगेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपको ग्रधिकार नहीं है ऐसे अलफाज इस्तेमाल करने का। यह जो ग्राप मजाक कर रहे हैं, मैं भी आपके खिलाफ कर सकता हूँ। आप XXX बोलते हैं। यह कोई बोलने का तरीका है कि सो रहा था ! किसने कहा कि मैं सो रहा था ?

श्री यदुनाथ सिंह : हां, सो रहे थे। जब व्यवस्था आई तो क्यों नहीं बोले ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं सब सुन रहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : महिला बाथरूम में घुस गये थे ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : ला मिनिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हाई

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कोर्ट में हजारों केस लड़े हुए हैं, बड़े ऊंचे पार्लियामेंटेरियन हैं, यह आपने कौन–सा प्रश्न उठा दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप साहब की मंशा कुछ और है। यह इनकी तारीफ कर, इनको ऊंचा चढ़ाकर, इनका एक्चुअल परफार्मेन्स क्या है, इन दोनों के बीच में अन्तर क्या है यह बताकर इनकी इंसल्ट करना चाहते हैं। यह इनका आपसी द्वन्द्व है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आपने व्यवस्था दे दी उस व्यवस्था को चुनौती सरकारी पक्ष की ओर से दी जाय, क्या आप इस तरह की स्थिति को अलाऊ करेंगे ? यह दोनों बातें हैं कि क्या ट्रेजरी बैंचेज किसी भी रूप में पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकती है एक, और दूसरा, अध्यक्ष महोदय की जो व्यवस्था हो गई, उस व्यवस्था को विधि मन्त्रीजी चुनौती दे सकते हैं ? इन दो बातों का आप निर्णय कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं श्रीमन्, जब यह स्टेटमेंट दिलाने का आदेश दिया उस वक्त में फर्माया था कि स्टेटमेंट के बाद ऐसे सवालात पूछे जायं जिससे इन्क्वायरी पर कोई असर न पड़े। उसी को रिपीट करते हुए हमारे माननीय विधि मन्त्री जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि आप उनको आगाह करें। श्रीमन्, आप ही वापस विचार करें जिससे ऐसा वातावरण न बने और इन्क्वायरी पर असर न पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मंत्रीजी का दूसरा कंटेशन है कि आप क्या व्यवस्था दें। कितना सीमित किया जाय, वह प्रश्न तो खुला है। मैं दो बातों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उसकी व्यवस्था दे दीजिये, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ डिस्कशन कितना रहता है कितना नहीं रहता है वह दूसरा आस्पेक्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने पाइंट आफ आर्डर यह उठाया है कि क्या ट्रेजरी बैंचेज कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकती है ? व्यवस्था के प्रश्न के बारे में यह है कि यदि प्रक्रिया के नियमों और संविधान के किन्हीं प्रावधानों, जिसका सम्बन्ध सदन की प्रक्रिया से है, का हनन हो रहा हो तो व्यवस्था का प्रश्न इस सदन के कोई भी माननीय सदस्य उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सत्ता पक्ष या ट्रेजरी बैंचेज हैं वह ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकती।

जहां तक यह प्रश्न है, यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में आसन ने निर्णय दे दिया था, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं था, उनका कहना यह था, सतर्क करने का

(श्री अध्यक्ष)

इरादा था विधि मन्त्री जी का, एक दो माननीय सदस्यों को सुनने के बाद उनको यह आशंका हुई कि अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसकी अवहेलना नहीं हो जाय इसलिए सतर्कता अध्यक्ष और विपक्ष के वह माननीय सदस्य बरतें जो इस वाद-विवाद में हिस्सा लेंगे इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका पाइंट ऑफ आर्डर स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने पाइंट ऑफ आर्डर माना ही है।

(व्यवधान)

उनके पाइंट ऑफ आर्डर को हम इस तरीके से ल ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने तो पाइन्ट ग्राफ आर्डर रेज किया है इसको आप रूल आउट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि इसी विषय पर पहले अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है इसलिए पाइंट ऑफ ग्रार्डर के रूप में नहीं फोर्म के रूप में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने जिस रूप में रखा है आप तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं उन्होंने यह वर्ड यूज किया है "I raise a point of order"

श्री अध्यक्ष : ऐसे मसलों में हम विशाल हृदयता का परिचय देते हैं। यह नहीं कि किसी माननीय सदस्य ने थोड़ा सा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अज्ञानता के कारण।

श्री अध्यक्ष : अज्ञानता उपयुक्त शब्द नहीं है।

किसी माननीय सदस्य ने सुझाव के रूप में यदि यह कह दिया हो कि यह व्यवस्था का प्रश्न है, तो उनकी वास्तविक इच्छा क्या थी उसमें मुझे जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। वह सतर्क करना चाहते थे सदन के माननीय सदस्यों को, जो इस पर चर्चा करेंगे कि जो अध्यक्ष ने कहा है उस व्यवस्था के अन्दर, इसके अनुसार यह अपने आपको सीमित रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट ऑफ ग्रार्डर जो शब्द प्रयोग में लाया गया है....

श्री अध्यक्ष : यह एक माध्यम है। कई दफा हम देखते हैं कि कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है लेकिन यदि माननीय सदस्य को जो सुझाव देना होता है तो पाइंट ऑफ़ ग्रार्डर कहते हैं ताकि स्पीकर की ग्राई कैच करें। इसलिए यह ज्यादा प्रयुक्त होता है, इसका यह पूरा सदन साक्षी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हो गया कि विधि मंत्रीजी ने कोई पाइंट ऑफ आर्डर रेज नहीं किया, केवल आपकी ग्रांख पकड़ने के लिये उन्होंने यह बात रखी है।

श्री अध्यक्ष : यही समझ लीजिये आप ।

शासकीय वक्तव्य
कोटपूतली काण्ड की न्यायिक जांच के आदेश

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्रीजी का आभारी हूँ कि उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधीजी के जन्म दिवस को मरण दिवस बताकर महिला बाथ रूम में....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसी तक सीमित रहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि जबर्दस्ती बाजार बन्द करवाए। मैं जानना चाहता हूं कि बाजार कब बन्द थे ? और,

(4.00 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

विरोधी दल के नेता वहां पर थाने के सामने कब पहुँचे ? सभापति महोदय, सवा छः बजे यूथ कांग्रेस के प्रेसीडेंट ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सात बजे दुकानें खुली ही नहीं थीं, प्रारम्भ से ही दुकानें बन्द थीं। उसके बाद साढ़े दस बजे के करीब बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ स्थानीय विधायक भी पुलिस स्टेशन पर गये तब तक विरोधी दल का कोई व्यक्ति था ही नहीं वहां। वहां जाकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा, एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए कहा जो कि पहले दर्ज नहीं कर रहे थे। उसके पश्चात् जब एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई, केवल आश्वासन दिया गया। तो उन लोगों ने दोनों सिपाहियों का डॉक्टरी मुआयना नहीं करवाया, सभापति महोदय, तब पब्लिक को शक हुआ। शक होने के बाद पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई और मांग की कि इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाय, इनका डॉक्टरी मुआयना करवाया जाय और इसका हमें विश्वास दिलाया जाय। यह मांग थी। इसके बाद जैसा कि माननीय गृह राज्य मंत्रीजी ने कहा, भीड़ ने इकट्ठा होकर थाने को घेर लिया, राज्य मंत्रीजी स्वयं आप पधारते और सिचुएशन को देखते तो थाने को घेरने वाली सिचुएशन ही पैदा नहीं थी। ऐसी स्थिति ही नहीं है कि थाना घिर जावे वहां पर, यदि आप मौका देखें तो। वहां बाहर जनता ने नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि थाने को घेर लिया गया। मैं यह जानना चाहूँगा, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, आपने कहा कि थाने को घेरने के बाद, एस. डी. एम. वहां पर आये। जब भीड़ ने थाने को घेर रखा था तो एस. डी. एम. थाने में कैसे घुसे ? बाहर भीड़ को पार करते हुए अन्दर जाकर एस. डी. एम. छत पर कैसे पहुंचे ? मैं इसका आपसे क्लेरीफिकेशन चाहूँगा।

सभापति महोदय, हुआ यह कि भीड़ ने नारेबाजी की। पुलिस को क्योंकि अपने दो साथियों को सेफ गार्ड करना था इसलिए पुलिस ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी की तो भीड़ में से भी कुछ लोगों, जिनमें से कुछ लोग पुलिस के थे, ने एक दो पत्थर फेंके और पुलिस ने उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सभापति महोदय, यह मान भी लिया जाये कि भीड़

(श्री नाथू सिंह)

ने पथराव किया. मैं पूछना चाहता हूँ कि एक युवती के साथ बलात्कार हुआ, आज हमारी मां, बहनों के साथ बलात्कार हो और थाने के अन्दर हम रिपोर्ट दर्ज कराने जायें तो क्या फूलमाला लेकर जायेंगे पुलिस वालों के पास ? क्या फूल बरसाने जायेंगे थाने पर ? यह मान भी लिया जाये जैसा राज्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भीड़ में से कुछ पत्थर फेंके गये । सभापति महोदय, यह स्वाभाविक है क्योंकि पुलिस के सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, डाक्टरी मुआयना नहीं कराया, किसी भी थाने में निशान नहीं है ? पत्थर फेंकने के कुछ निशान तो होते, थाने की दीवार पर लगते, कुछ शीशे खिड़कियां टूटती ? लेकिन एक दो पत्थर फेंके जो कि पुलिस के ही व्यक्ति भीड़ में थे, उन्होंने ऐसा किया और ऊपर से फायर किया । अब फायर किसने किया, सभापति महोदय ? बारह बोर की बंदूक से फायर किया । मैं यह जानना चाहूँगा राज्य मन्त्री महोदय से कि क्या पुलिस को बारह बोर की बन्दूक अलाउड है ? थ्री नाट थ्री की राइफल देते है आप पुलिस को । जितनी गोलियां लगी हैं, सभापति महोदय, उन लोगों को थ्री नाट थ्री की गोली नहीं लगकर बारह बोर की बन्दूक की गोली लगी है । इन्होंने कहा कि केवल 8 व्यक्ति घायल हुए और 3 मारे गए । माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिस दिन एस. एम. एस. हास्पिटल गये थे, 5 व्यक्ति सीरियस अवस्था में एस. एम. एस. हास्पिटल में भर्ती थे, सभापति महोदय । 8 व्यक्ति, जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं, भर्ती हुए थे । संसद सदस्य भी वहां गये थे, जिला प्रमुख भी वहां मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था । 8 व्यक्ति हास्पिटल में भर्ती थे सीरियस अवस्था में । तो इस तरह से 13 व्यक्ति तो यह हो गये । आपका स्टेटमेन्ट कहां सही है, यह मैं जानना चाहता हूँ । सभापति महोदय, यह कहते हैं कि केवल 8 व्यक्ति घायल हुए । लेकिन 13 व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में थे कि कई दिनों बाद हास्पिटल से निकले सीरियस अवस्था से । वास्तविकता यह है कि 32 व्यक्ति गोलियों से इन्जर्ड हुए, 3 व्यक्ति मारे गए और 3 व्यक्ति लापता हुए । कुल मिलाकर लगभग 70 आदमी उस गोली काण्ड में इन्जर्ड हुए ।

सभापति महोदय, इनका यह कहना है कि पहले लाठी चार्ज किया । सभापति महोदय, पुलिस की गोली चलाने का वहां पर औचित्य क्या था ? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि पुलिस को गोली चलाना जरूरी हो गया था ? क्या पुलिस की जान-माल का खतरा हो गया था ? गोली किस अवस्था में पुलिस को चलानी चाहिए, सभापति महोदय, इसके लिए 1967 के अन्दर बेरी कमीशन ने अपने कुछ डायरेक्शन्स दिये हैं । 1967 में जब माणक चौक की चौपड़ पर और जौहरी बाजार में गोलियां चली थीं उस समय बेरी कमीशन की नियुक्ति हुई थी । गोली किस अवस्था में पुलिस चलाये, गोली चलाने के पहले किन किन बातों का ध्यान पुलिस रखे, इसके लिए बेरी कमीशन ने कुछ डायरेक्शन्स दिये थे । उन डायरेक्शन्स के आधार पर जो जौहरी बाजार में गोलियां चलाई गई थीं उसको भी एक्सेसिव बताया था उन्होंने । सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा माननीय मन्त्री महोदय से कि क्या उन डायरेक्शन्स का पुलिस ने पालन

(श्री नाथूसिंह)

किया ? पुलिस रूल्स के अनुसार गोली कब चलाई जानी चाहिए क्या उसका पुलिस ने पालन किया ? सभापति महोदय, नहीं किया। न तो कोई चेतावनी दी गई, न कोई अश्रु गैस छोड़ी गयी। मैं, राज्य मन्त्री महोदय, आपसे पूछना चाहूँगा कि गोली चलाये जाने से पहले अश्रु गैस छोड़ने की व्यवस्था है ? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उस थाने में अश्रु गैस मौजूद थी ? क्या पुलिस ने पहले अश्रु गैस छोड़ी ? सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि बाहर से, जयपुर से एक्स्ट्रा फोर्स गयी और फोर्स 4 आदमी, जो कि रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे, को जबरदस्ती पकड़ कर थाने में ले गयी। अन्दर ले जाकर के एक आदमी को ऊपर से बाहर फेंका। नीचे उसकी चिल्लाने की आवाज बाहर लोगों को सुनाई पड़ी। वहां पर उनके साथ जोर से मार-पीट की गई तब जाकर भीड़ ने नारेबाजी शुरू की। उस समय इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सभापति महोदय, जिन लोगों को तुरन्त हास्पिटल में पहुंचा दिया गया उनकी जान तो बच गई। तीन व्यक्तियों को गोलियां लगी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ राज्य मन्त्री महोदय से कि पुलिस को जान का खतरा था तो गोलियां किनको लगीं ? सभापति महोदय, जो तीन व्यक्ति मरे हैं उनमें एक 15 साल का लड़का, एक 14 साल का लड़का और एक 16 साल का लड़का है। तीनों सैकण्डरी के विद्यार्थी थे, क्या उनसे पुलिस की जान को खतरा था ? क्या पुलिस इतनी कमजोर है, जो पुलिस डाकुओं का मुकाबला करती है उसको 14-14 साल के लड़कों से खतरा था ? सभापति महोदय, तीन सौ गज तक गोलियां गयी हैं। स्कूल का गेट 200 गज पर है उसके ऊपर गोलियों के निशान हैं। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा गली में जा रहा था, मुझे तो दया आती है राज्यमन्त्री महोदय पर, यदि वह स्वयं वहां जाते तो पुलिस का यह वर्णन यहां पर पढ़कर नहीं सुनाते, उस बच्चे को जब आगे जाने के लिए स्थान नहीं मिला तो वह दुबक कर बैठ गया, दुबक कर बैठे हुए बालक पर पुलिस ने निशाना साध गोली मारी है। सभापति महोदय, यह पुलिस की बहादुरी है। कुल मिलाकर देखा जाये तो जो गोलियां लगी हैं, यदि भीड़ पुलिस पर पथराव करती, पुलिस थाने में आग लगाती, पुलिस थाने को घेर लेती तो लोगों की पीठ पर गोलियां नहीं लगतीं। सभापति महोदय, जो 5 आदमी कोटपूतली के हास्पिटल में भर्ती हुए, जो मारे गये यदि सबकी पोस्मार्टम की रिपोर्ट देखी जाये, मैंने स्वयं देखी है, सबकी पीठ पर गोलियां लगी हैं ? सामने किसी के गोली नहीं लगीं। तो जो पब्लिक डर के मारे भाग रही थी उसके ऊपर गोलियां चलाईं। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यदि पब्लिक पथराव करती, पब्लिक फायर करती, अगर पब्लिक में से फायर हुआ है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि यहां से भी पुलिस फोर्स गयी थी क्या आपने कोई राइफल बरामद की पब्लिक से ? क्या एक बार ही गोली चलाकर, एक फायर करके वह आदमी चुप हो जाते भीड़ में से गोली चलाते तो ? अगर पुलिस पर गोली चलती तो क्या गोली पुलिस पर चलने पर थाने पर गोली के निशान नहीं होते ? गेट पर गोली के निशान नहीं होते ? पुलिस के किसी सिपाही को गोली नहीं लगती ? क्या किसी पुलिस के सिपाही को गोली लगी है ?

(श्री नाथूसिंह)

सभापति महोदय, इसका उत्तर मन्त्री महोदय के पास नहीं है कि कितने व्यक्ति पुलिस के घायल हुए। आपने कहा है कि पथराव हुआ। पथराव होता तो उनके सिर फूटते, उनके हाथ टूटते। यह कह रहे हैं कि मिट्टी के तेल की पीपियां हाथ में थीं भीड़ के, लकड़ियां हाथ में थीं, लोहे के सरिये हाथ में थे। तो क्या पहले से प्लान बनाकर गये थे कि थाने में आग लगायेंगे ? स्कूल के बच्चे थे, सभापति महोदय, वहां पर क्या वह पीपियां खरीदकर स्कूल में गये थे ? मैं जानना चाहूंगा कि उस समय हास्पिटल के अन्दर कितने पुलिसकर्मी भर्ती हुए ? उनको क्या क्या इन्जरीज आईं ? कितने लोगों को चोटें आईं इस बात का भी आप निरीक्षण करेंगे क्या ? आप बतायें कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ ? सभापति महोदय, मैं वहां गया हूं, मैंने तीन दिन बाद भी वहां डाक्टरों से पूछा कि कितने पुलिस वालों को चोटें लगीं ? कितनों का पोस्टमार्टम हुआ ? रजिस्टर में कितने पुलिस वालों के चोटें दर्ज हैं ? वहां पर एक भी पुलिस वाले के चोट दर्ज नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, जिन्दों का पोस्मार्टम करा रहे हैं। मौत के बाद पोस्टमार्टम होता है माननीय सदस्य को पता नहीं है शायद।

श्री नाथूसिंह : मैं माफी चाहता हूं। मैं मेडिकल के लिए बोल रहा हूं। आप तो मन्त्री महोदय जिन्दों को श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं, मैं तो पोस्टमार्टम की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने भाषण को लम्बा न करें। और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं वहां दस दिन रहा हूं। मेरे पालियामेन्ट्री क्षेत्र में आता है। सारे मामले में मैं दस पन्द्रह दिन तक रुका हूं, मुझे मालूम है, सारे फैक्ट्स मुझे मालूम हैं।

सभापति महोदय, उसके बाद में पुलिस ने जान-बूझकर मनगढ़न्त मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। नाम बाद में दर्ज करवाये। तीन दिन बाद भी मैं हास्पिटल में गया हूं। मुझे एक भी पुलिस वाले का नाम दर्ज नहीं मिला। कोई जांच नहीं हुई। एक भी पुलिस के व्यक्ति के चोट नहीं थी। सभापति महोदय, जान-बूझकर गलत ढंग से गोलियां चलाई गयीं। पर्सनल राइफल से, बारह-बोर की बन्दूकों से गोलियां चलाई गई। गोली के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने जान-बूझकर एक बहाना बनाने के लिए पुलिस वालों के नाम लिखने शुरू किये। उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की। पुलिस ने क्या क्या किया, यह इस बात से सिद्ध है, सभापति महोदय, 27 तारीख की रात को इन्होंने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि भरतपुर के अन्दर घना गोलीकाण्ड हुआ, दो महीनों तक आन्दोलन चला, उसके बाद वहां पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की लेकिन कोटपुतली के मामले में मुख्य मन्त्रीजी इस बात से सन्तुष्ट थे कि इसमें पुलिस की

(श्री नाथू सिंह)

गलती है और नाजायज रूप से गोलियां चलाई गई हैं इसलिए पहले दिन आते ही इन्होंने घोषणा की। मुख्य मन्त्री जी गलत मानते थे।

(4. 10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि जो इसके तथ्य हैं और जो जुडिशियल इन्क्वायरी से सम्बन्धित हैं उन बिन्दुओं पर सीधे यहां पर विचार व्यक्त न करें। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप उन्हीं बिन्दुओं पर बोल रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : जो वक्तव्य दिया है उसके पाइन्ट्स को छुआ है मैंने, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार ने अपना वक्तव्य दे दिया। सरकार ने उन्हीं बातों को इस वक्तव्य में लिया है जिन बातों की जांच करनी है। सरकार ने एक पक्षीय ही रूप बता दिया है। क्या आप हमें वंचित करेंगे कि हम जनता का पक्ष न रखें?

श्री अध्यक्ष : समय आने दीजिये। माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं उसके बारे में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी के बारे में कह रहा हूं। दूसरा पक्ष भी है वह भी इस हाउस के सामने रखा जाय। हो सकता है सरकार स्वयं इस बात को मान ले कि सरकारी स्तर पर जो सूचना मिली है, वह ज्यादा सही नहीं है। इसलिये पक्ष तो रखने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की, दूसरे दिन ही भिड़ते ही, इससे सिद्ध है कि गोलियां चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। गोली चलाई गई, वह ठीक नहीं चलाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, 27 तारीख को जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो जायेगी उससे सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। क्या होगा जुडिशियल इन्क्वायरी से? जुडिशियल इन्क्वायरी होती तत्काल, एक सप्ताह में पूरी होनी चाहिए थी तब तो उसका कोई महत्व था, अध्यक्ष महोदय। 25 तारीख को घटना हुई, 27 जनवरी को मैं वहां मौजूद था। जिस व्यक्ति को थाने के ऊपर से फेंका था, और जिसकी थाने में पिटाई की थी वह आदमी अस्पताल में सीरियस था, रात के दो बजे वहां के एस. एच. ओ. और वहां के डी. वाई. एस. पी. उस व्यक्ति के पास गये जिसका नाम अमरनाथ है, उसको धमकाया और कहा कि तुम्हारे बयान बदलो। हम जैसा कहें, वैसे बयान दो। हम जैसा कहें वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे घर वालों की खैर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की धमकियां दी गई। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ

(श्री नाथू सिंह)

था, अध्यक्ष महोदय, उसके मां बाप को जाकर धमकियां दीं। जिस दिन मैं कोटपूतली में धरने पर बैठा हुआ था, उनके मां बाप ने मेरे पास कहलवाकर भेजा कि पुलिस आकर उनको धमका रही है कि हम जैसा कहें, वैसे बयान उस लड़की से दिलवाओ। हम कहें वैसे बयान आप दो, नहीं तो आप लोगों के साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ है आगे जो कुछ करेंगे उसके आप नतीजे भुगतना। मेरे पास उन्होंने आकर कहा तब हमने कुछ कार्यकर्ता भेजे। हमने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ हम हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बाद में जाकर इस तरह की रचना की है, झूठी स्टोरी बनाई है, वहां लोगों को धमकाया गया है अभी भी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है, गवाहियां बदली जा रही हैं, आतंक का वातावरण फैलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, निशान मिटाये जा रहे हैं। अब यदि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तो उसकी रिपोर्ट कैसे आयगी ? अध्यक्ष महोदय, सरकार पुलिस को नीचे से ऊपर तक बचाने का प्रयास कर रही है। डाक्टरी मुआयना उस लड़की का तो करवा लिया गया लेकिन जिस समय दोनों पुलिस वालों को पकड़ा गया, मैं जानना चाहूंगा राज्य मंत्री महोदय से कि उनका डाक्टरी मुआयना कितने बजे हुआ ? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं कुछ और प्रश्न स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा राज्य मन्त्री महोदय से कि गोलियां जो चलाई गई है, वह कौन सी हैं ? थ्री नाट थ्री की हैं या 12 बोर की हैं ? गोलियां कितनी देर चली हैं ? डाक्टरी मुआयना कब हुआ और उनको हिरासत में कब लिया गया ? और कितने पुलिस वालों को कैसी कैसी चोटें लगीं ? अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : XXX क्या बात हुई, यह तो लोगों पर गोलियां चलायेंगे, लोगों को मारेंगे, हम भाषण भी नहीं दें !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री नाथू सिंह : आप नोट करते जावें जवाब देने के लिए

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

XXX : शब्द, अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : विधान सभा का इतिहास साक्षी है कि आपके कार्यकाल में जितने बलात्कार हुए हैं, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में नहीं हुए होंगे...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे XXX की चेष्टा न करें, XXX इन बातों से...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री हंसराज शर्मा : XXX जनता का पक्ष नहीं ले सकते, पुलिस का पक्ष ले रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूँगा..

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं टू दी पाइंट।

यह डाक्टरी जांच किस दिन शुरू हुई ? आपने जैसा कहा, कब तक पूरी होने की संभावना है ? अध्यक्ष महोदय, जो मुआवजा दिया गया है, जो लोग मरे हैं, उनकी कीमत दस हजार रुपये आंकी है। मैं यह भी जानना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो मुआवजा है उसको क्या न्यायिक जांच के टर्म्स आफ रेफरेंस का मुद्दा बनाएगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूँगा इनसे कि पुलिस के गोली चलाने का औचित्य क्या था ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गोली चलाने से पूर्व पुलिस ने पेरी कमीशन की डाइरेक्शन्स का पालन किया, क्या रूल का वायोलेशन नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य। ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो मन्त्री जी भूल जायेंगे। इसलिए कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उसके बाद अलवर और उसके आसपास के इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, क्या वहां पर हमने जाकर आन्दोलन शुरू करवाया है ? क्या हम थाने पर गये ? आम जनता इस घटना से उत्तेजित हो गई, अध्यक्ष महोदय। मेरे पास यह फोटो है। एक छः साल का लड़का श्रीपद है जिसको पुलिस ने गोली मारी है। क्या इस छः साल के लड़के से आपकी पुलिस को डर था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के नाम एफ. आई. आर. में दर्ज हैं, एफ आई. आर. की कापी यदि आप पढ़ें और राज्य मन्त्री

XXX : अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथू सिंह)

श्री अध्यक्ष : इतना विस्तार में न जायें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैं जानना चाहूंगा, जिससे सदन अवगत हो, जनता अवगत हो, आपकी भी जानकारी में आये।

अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. की कापी आप पढ़ लें जो पुलिस ने अपने हिसाब से दर्ज की है। माननीय राज्य मन्त्री जी का जो वक्तव्य आपने अभी सुना है, दोनों को मिला लें तो, अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. की कापी है उसकी नकल इस वक्तव्य में है। वह की वही चीज जो माननीय राज्य मन्त्री ने यहां पर सुनाया है। अगर ऐसा ही था तो सरकार के वक्तव्य की क्या जरूरत थी ? इन्होंने एफ. आई. आर. की कापी पढ़कर सुनाई है। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, श्री रामकरण सिंह, जो भूतपूर्व एम. एल. ए. थे और सुरज्ञानी जी, बाकी जिन लोगों के नाम एफ. आई. आर. में दर्ज किए, आज तक वहां थे, दो को इन्होंने पकड़ा और पकड़ करके उनको चन्दवाजी में रात भर रखा। उनको शाहपुरा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। मैं जानना चाहता हूं, उनको कोटपूतली के मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया ? इसके पश्चात जेल में भेज दिया गया जुडिशियल रिमांड में। 4 तारीख तक का जुडिशियल रिमाण्ड था, अध्यक्ष महोदय। हद होती है, अध्यक्ष महोदय, मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। 5 तारीख तक सरकार स्टोरी बनाती है। पुलिस और सरकार मिलकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ जेल और जेल का डाक्टर, मेडिकल आफिसर दोनों का झूठा एक सर्टीफिकेट बनवाया जाता है अध्यक्ष महोदय, सरकार असत्य सर्टीफिकेट जिसकी कापी मेरे पास है। उसके अन्दर इन्होंने लिखा है कि यह दोनों व्यक्ति कोर्ट के सामने इसलिए नहीं जा सकते, कि फिजिकली अनफिट हैं। हमने पर्सनली वैरीफाई किया है, पर्सनली इनकी जांच की है, इनकी स्थिति नहीं है कि ये वहां पर जायं और कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकें। ये बीमार हैं। जबकि, अध्यक्ष महोदय, इन दोनों व्यक्तियों ने 5 तारीख को सुपरिन्टेंडेंट आफ जेल को लिखकर एप्लीकेशन दी, जिसकी कापी मेरे पास है...

श्री अध्यक्ष : इसमें खतरा यह है कि आप ये सब खामियां बता देंगे तो वे सब पूरा कर देंगे।

श्री नाथू सिंह : मैं पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इलजाम है कि खामियां बता देंगे तो वे पूरा कर देंगे। यह सरकार के स्वभाव का आपने सही चित्रण किया है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, 5 तारीख को डिप्टी सुपिरिन्टेंडेंट आफ जेल और वहां के मेडिकल आफिसर ने यह लिखा है "Examined personally and found him unfit for journey & presence" यह मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट है। यह की यही रिपोर्ट वहां का डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट दे रहा है। उसके बाद उन्होंने लिख कर दिया, हम स्वस्थ हैं, हमारा रिमाण्ड पेश किया जाय। अध्यक्ष महोदय, उधर तो लिखित में यह दे दिया

(श्री नाथू सिंह)

अनफिट हैं, चल नहीं सकते, बीमार हैं। यदि बीमार होतेतो अध्यक्ष महोदय, जेल के अन्दर हास्पिटल होता है, उसमें उनकी एन्ट्री होती। जेल में जो इनको खाना दिया जाता है उसका प्रावधान होता है, मेडिकल डाइट उसमें लिखी हुई होती और हास्पिटल में भर्ती हुए होते, और बाहर आने ...

श्री अध्यक्ष : विस्तार में जा रहे हैं, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, 5 तारीख को इल्लीगली रात को 7 बजे बाद जेल के बाहर कोई नहीं निकल सकता। इससे इन्टेंशन बताना चाहता हूं सरकार की और पुलिस की और इसलिए निवेदन करना चाहता हूं रात के 8 बजे, 7 बजे बाद यदि जेल से रिहाई भी हो जाती है तो जेल नहीं छोड़ती। 8 बजे जेल से बाहर निकाला गया, साढ़े दस बजे वापस जेल के अन्दर ले जाया गया। 8 बजे जिसकी मौजूदगी दर्ज है जेल के अन्दर, यदि वे स्वस्थ्य नहीं होते तो, अध्यक्ष महोदय, रात के 8 बजे जेल से बाहर क्यों लाया जाता ? जेल में साढ़े दस बजे वापस क्यों ले जाया जाता ? सी. जे. एम. के पास इसलिए ले जाया गया कि इसका जुडिशियल रिमान्ड बढ़ा दो। उन्होंने इन्कार कर दिया। उसके बाद ठीक दो बजे कोटपूतली भेजा उनको, पुलिस वाले गये, एस. आई. गया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके उनको वहां पर जाने नहीं दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 6 तारीख को लिखकर दिया कि हम स्वस्थ हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस का इन्टेंशन, जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके प्रति गलत था, फर्जी मुकदमे बनाये गये और नाजायज रूप से अवैध गोली चलाई गई, लोगों को मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और न्यायिक जांच को प्रभावित करने के लिए सरकार कर रही है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : हम कतई प्रभावित नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : सरकार प्रभावित कर रही है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं।

"क्योंकि आज सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर दिया जाना है और समय का अभाव है इसलिये विचाराधीन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं समय

(श्री अध्यक्ष)

सीमा बांधता हूं। इस सम्बन्ध में सभी तरह की चर्चा 5 बजे समाप्त हो जायेगी उसके बाद में सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा।

आपका भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री नाथू सिंह : एक मिनट प्लीज।

श्री अध्यक्ष : कमीशन के सामने बहस कर रहे हो, इस तरह से बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री नाथू सिंह : एक महत्वपूर्ण पाइन्ट रह गया, एक लाइन में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जावें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस एस. डी. एम. ने गोली चलाने के आदेश दिये उसको आज तक वहां से नहीं हटाया गया है।

(व्यवधान)

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं। एस. डी. एम. को और दोषी व्यक्तियों को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रत्येक माननीय सदस्य को अधिक से अधिक पांच मिनट का समय।

सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, लोग मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते है, मैं मजबूर होकर इस राज्य के मुख्य मंत्री की बेबसी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिसने एक मुल्जिम पुलिस के समक्ष अपने XXX और अपने राज्य की निर्दोष जनता की बलि चढ़ाई है। मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राज्य मन्त्री महोदय ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ा कर, बेबुनियादी स्टेटमेंट इस सदन में दिया, उससे ज्यादा कोई बात इस राज्य सरकार के लिये हो ही नहीं सकती है और मैं कह भी नहीं सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, हमें बार बार इस बात के लिए टोका जा रहा है कि हम तथ्यों को इस सदन में न रखें, वरना इन्क्वायरी उनसे प्रेरित होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राज्य मंत्री महोदय, किसने आपको ये तथ्य दिये जिसको आपने इस समय रखने की जुर्रत की ? किसने कहा आपको कि वहां माहौल इकट्ठा हो गया था ? किसने कहा आपको कि थाने को घेर लिया था ? ये तथ्य दिये किसने आपको, कहां से लाये

XXX : अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

हैं ? इसीलिए आपका प्रमोशन किया गया। इसके लिये, मुख्य मन्त्री जी, आपको बधाई देना चाहती हूं। शायद कोटपूतली काण्ड के लिए आपने सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसी को माना तो माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर को माना। उनको आपने दण्डित किया। अगर आपने किसी को इनाम दिया तो माननीय राज्य मन्त्री प्रद्युम्न सिंह जी को दिया है जिसके लिए मैं आपको तो बधाई देती हूं। आपके साथ मेरी सहानुभूति है। सत्य जो कहना चाहे उसे आप सजा देंगे और जो झूठ बोल बोल करके आपकी प्रेरणा को आगे बढ़ाये, आपकी बढ़ोतरी करे उसे आप इनाम देना चाहते हैं। यही का यही कार्यक्रम आपने कोटपूतली में किया। अध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना होगा कोटपूतली काण्ड के बारे में। इस राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि कोटपूतली में किस तरह से पब्लिक के साथ अत्याचार हुए। पुलिस ने जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्यायें कीं उसकी कोई भी जानकारी किसी को न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्य मन्त्री जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि निर्दोष जनता के साथ इस लोकतन्त्र, जिसमें सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपना विरोध प्रकट करने का, के साथ अत्याचार हुए ? कोटपूतली में जिस तरह गायत्री के साथ बलात्कार हुआ है, इस सदन में बैठने वाले हर एक माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगी कि यदि वह गायत्री हमारी अपनी बहिन, बेटी होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता तो कौन माई का लाल है जो थाने के सामने विरोध प्रदर्शन न करता। मैं समझती हूं कि अगर आप लोगों में से कोई होता तो गोलियों से भून डालते उस थाने को।

मैं बधाई देती हूं कोटपूतली की जनता को जिसने महज प्रदर्शन किया। उस निर्दोष जनता को आपने गोलियों से भून डाला, किस अपराध में ? अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय से मुख्य मन्त्री जी ने कहलवा दिया कि कोटपूतली की जनता ने वहां पर आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया और पुलिसकर्मियों को मारा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यदि रामकरण सिंह जी या सुरज्ञानी या और कोई व्यक्ति उस थाने को इस तरह भड़का रहा था तो गोलियों से उन निर्दोष बच्चों को आपने क्यों मारा ? क्यों नहीं रामकरण सिंह जी के सीने में आपने गोली उतार दी ? क्यों नहीं आपने सुरज्ञानी के सीने में गोली उतार दी ? क्यों नहीं विरोधी दल के लोग हम बैठे थे उनके सीने में गोली उतार दी ? क्यों आपने उन निर्दोष बच्चों पर गोलियां चलाई ? कौन भरेगा उन मां की गोद, जिनकी गोद हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई ? आपको खेद होगा, अध्यक्ष महोदय, यह सुनकर कि उनमें से दो बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार में इकलौते बच्चे थे। एक बच्चा तो ऐसा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो न केवल अपने मां-बाप का इकलौता बच्चा था, अपनी मौसी के घर में एक ही बच्चा था, अपने ननिहाल में एक ही बच्चा था। कौन जलायेंगा उन परिवारों का चिराग, क्या भर सकते हैं, दे सकते हैं ? उनकी यह कमी पूरी कर सकते हैं आप ?

(व्यवधान)

जो चीज आप दे नहीं सकते, उस

(सुश्री पुष्पा जैन)

चीज को आपको लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज कोटपूतली के काण्ड को हम इतना लाइटली ले रहे हैं, माननीय सदस्य मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, विपक्ष पर फब्तियां कस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस समाज में है कोई ऐसा तरीका जो आज...

(व्यवधान)

वह गायत्री सम्मान से गलियों में निकल जाय ! लोग यही कहेंगे कि यह वही गायत्री है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : जिसके साथ बलात्कार किया गया है यदि उस गायत्री का भाई उन गलियों से निकल कर जायगा तो हम ही लोग कहेंगे कि यह उस बलात्कारी गायत्री का भाई है। मिलेगी कोई इज्जत उसको ? लौटा सकते हैं उसकी इज्जत को ? तो जो लौटा नहीं सकते, उसको लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, बधाई देना चाहती हूं आपको कि जिन निर्दोष बच्चों की आपने हत्याएं कीं, उन बच्चों के लिये आपने 10 हजार का मुआवजा तय कर दिया। बहुत खूब, बधाई देना चाहती हूं। राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के इतिहास में कोटि-कोटि जनता आपको याद करेगी।

भीलवाड़ा में अशोक नाम का बच्चा मरा तो आपने 10 हजार का मुआवजा दे दिया। बहुत रहमदिली का परिचय दे दिया आपने। कोटपूतली में तीन बच्चे मर गये और आपने 10-10 हजार का मुआवजा देकर अपनी दरियादिली का परिचय दे दिया। अरे है कोई माई का लाल जो अपने बच्चे को गोली की नोंक के आगे दे दे ? 10 लाख का मुआवजा, इस सदन में कहती हूं, मैं अपनी तरफ से दूंगी। आपने राजस्थान की जनता को इतना सस्ता समझ रखा है। क्या इसी दिन के लिये आप मुख्यमन्त्री बने थे ? शर्म आनी चाहिये। हिन्दुस्तान में बच्चों के लिये जो देवियां सर्वस्व निछावर करती हैं, क्या आप चाहते हैं कि..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पांच मिनट का समय हो गया। मैंने व्यवस्था दे दी थी। कृपया एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट का समय हो गया, एक मिनट में अब समाप्त कर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : महिला पर अत्याचार हो और महिला ही नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा ?

श्री यदुनाथ सिंह : पुलिस अधिकारी गैलेरी में दांत फाड़ रहे हैं। ऐसी घटना हुई है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं आपको अवसर दे दूंगा। माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जनता ने वहां विरोध किया। मैं बताना चाहूंगी, अध्यक्ष महो-

(सुश्री पुष्पा जैन)

दय, कोटपूतली की जनता में असंतोष क्यों था ? लगातार वहां चोरियां हो रही थीं, लगातार अत्याचार हो रहे थे जिनकी पुलिस में शिकायत कर दी गई थी और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी शिकायत कर दी गई थी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि 10 जनवरी की रात को फतेहपुर गांव में डकैती हुई, प्राच्य विद्या मन्दिर में चोरी हुई, हरि प्रसाद बलासियां के यहां चोरी हुई, मनोहर लाल खाती के चोरी हुई, एल. आई. सी. के दफ्तर में ताले टूटे, श्री राम मेडिकल हाल में चोरी हुई, राजधानी मोटर पार्ट्स में चोरी हुई, कृष्णा आइल मिल में चोरी हुई, धर्मपाल के यहां चोरी हुई, एक व्यापारी के 25 बोरी गंवार की चोरी हुई, जिसके लिए इन्होंने एक व्यापारी को मार मार कर तंग किया। रात्रि को सड़क पर लूट चलती रहती है वहां पर, एक बाबाजी का कम्बल छीनकर ले गया कोई राहगीर। तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में कोटपूतली की जनता जी रही है। उन हालात में गायत्री के साथ बलात्कार होना आग में घी का काम था। जब यह काण्ड हुआ तो कोटपूतली की जनता का स्वाभाविक रूप से सही था थाने के आगे प्रदर्शन करना, अपने अधिकारों के अन्तर्गत समझकर उन्होंने थाने के आगे प्रदर्शन किया। कोई अपराध नहीं किया। थाने पर प्रदर्शन किया। अगर उन्होंने कोई ज्यादती की थी, अव्वल तो की ही नहीं थी, अगर की थी तो आप आंसू गैस चला सकते थे। आप लाठी चला सकते थे। क्यों नहीं चलायी आपने ? उसके लिए क्या जस्टीफिकेशन है आपके पास ? बढ़ा चढ़ा कर उस गोली काण्ड को जस्टीफाई करने के लिए माननीय राज्य मन्त्री जी ने इतने गलत तथ्य रखे हैं कि मुख्य मन्त्री तो छूट गये लेकिन आपको जनता सदियों तक कभी माफ नहीं करेगी। आज आप जिस कुर्सी पर बैठकर बड़ा गरूर अनुभव कर रहे हैं आप आने वाले कल रोयेंगे और आपके आंसू कोई नहीं पूछेगा। वक्त निकल जाता है लेकिन इन्सान की बात रह जाती है। आपने क्या एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि आप भी बहन बेटी वाले हैं ? अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप विरोध नहीं करते ? कोटपूतली की जनता ने विरोध किया तो कौन सा कोई बहुत बड़ा काण्ड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने जिन लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे लगाये हैं, मैं मांग करूंगी, अगर आपमें जरा भी शर्म, गैरत है, आपको जरा भी इन्साफ के प्रति लगन है तो उनके मुकदमे बिना किसी शर्त के आप वापस लें। अध्यक्ष महोदय, किस बात की जुडिशियल इन्क्वायरी ? आप नाटक करते हैं ? जनता को ड्रामा करके आप यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार बहुत चिन्तित है ? किसी जुडिशियल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है, क्लियर कट मर्डर हुआ है। इस मर्डर के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालान पेश करके उन्हें दण्डित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मन्त्री जी ने जो अभी कोटपूतली के बारे में बयान पढ़ा, मैं तो चाहता था जब गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री सब मौजूद हैं तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको अपना बयान

(श्री मेघराज तावड़)

देना चाहिए, न कि गृह राज्य मन्त्री जी को। मैं कहना चाहता हूँ, गृह राज्य मंत्री जी; जहां पर जली हुई गोदड़ी आयेगी वह आपके ऊपर आयेगी। इसलिए...

श्री नाथू सिंह : झूठ तो गृह राज्य मन्त्री जी से कहलवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह वक्तव्य हुआ है और बार बार धमकियां दी गयी हैं चाहे आज का स्टेटमेन्ट हो चाहे कल का गंगानगर के किसानों के बारे में वक्तव्य हो उससे यही बात सामने आई कि विपक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, विरोधी पार्टियों के लोग तरह तरह से जनता को भड़काते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी प्रजातन्त्र में जी रहे हैं, हम भी प्रजातन्त्र में चुनकर आये हैं। जनता ने हमको अधिकार दिया है कि जहां आप गलती करेंगे हम आपको चैक करेंगे। आपके ऊपर लगाम लगायें इसलिए ही जनता ने हमको भेजा है। आप गलत बात नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि थाने में बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद, आपने यह कहा, ऐसी भीड़ आ गयी। कहां से भीड़ आ गई? इस बात का आप जवाब दें कि कहां से भीड़ पैदा हो गई? किस तरह से सुनियो-जित प्लान बनाकर आपने कहा कि लकड़ी ले आये, आपने कहा कि तेल ले आये। कहां से बन्दूक ले आये, यह तमाम बातें हैं। पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस ने जो मनगढ़न्त कहानी, हिस्ट्री बनाई है उसी हिस्ट्री को गृह राज्य मन्त्री ने यहां पढ़ कर सुना दिया। केवल यही नहीं, चाहे कोटपूतली काण्ड हो, चाहे भरतपुर गोली काण्ड हो, चाहे घना काण्ड हो, अध्यक्ष महोदय, घना काण्ड पर इतना चिल्लाने के बाद, विधान सभा में इतना विरोध करने के बाद, बहुत देर के बाद मुख्य मन्त्री जी ने न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी। क्या हुआ उसका? आज तक उस न्यायिक जांच का पता नहीं। इधर विधान सभा नजदीक होने के कारण इन्होंने देखा कि हल्ला होगा, आंदोलन बढ़ रहा था, इस बात को छिपाने के लिए आपने तत्काल जाकर न्यायिक जांच बैठा दी, जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दी। आप यह जानना चाहते है राजस्थान की जनता को कि न्यायिक जांच बैठा दी। जिस तरह के कुकृत्य किये जाते हैं, आपकी पुलिस जैसा नंगा नाच नाचती है, मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य मन्त्री जी, आप बन्दूक के बल पर और पुलिस के बल पर राज करना चाहते हैं तो वह हरगिज नहीं होगा राजस्थान में। मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता शान्तिप्रिय है, वह अपने अधिकारों के लिए बोलेगी, आन्दोलन करेगी, थानों का घेराव करेगी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान पंजाब बन सकता है, राजस्थान बंगाल बन सकता है। राजस्थान की जनता शान्तिप्रिय है। आप यह मत सोचिये। राजस्थान की जनता आपको जगाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान की

(श्री मेघराज तावड़)

जनता आज शान्ति से रह रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बन्दूक के बल पर राज करो और पुलिस के बल पर राज करो और हम अपने अधिकारों की बात नहीं करें। बार बार विरोधियों की बात की गई...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : कोई विरोधी नहीं था और न विरोधियों ने भड़काने की बात की है। स्वाभाविक तौर से जनता में आक्रोश पैदा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य मन्त्री जी, आप अपने तरीकों को बदलिये। आप अपने अधिकारों को समझिये, प्रजातन्त्र की नीतियों को समझिये। अगर ××× और पुलिस के बल पर राज करना चाहते हैं तो आपको यह पुलिस ठिकाने लगा देगी, माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो तथ्य इसमें दिये गये हैं वह तथ्य बिलकुल भ्रामक हैं, सदन को गुमराह करने के लिए और राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए दिये गये हैं और पुलिस को बचाने के लिए दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी इस बात का जवाब दें, इस बात का भी उल्लेख करें। जिस तरह की कानून व्यवस्था है, हम भी जानते हैं। हमें मांग करने का अधिकार नहीं मिलता है। राजस्थान की पुलिस कानून और व्यवस्था को मेनटेन करने में असफल रही है, आप असफल रहे हैं लेकिन जब अधिकारों की मांग करते हैं तो पुलिस के जरिये दबाना चाहते हैं तो हम दब नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। कृपया समय का ध्यान रखें। 5 बजे मन्त्री जी के उत्तर सहित सभी चर्चा समाप्त हो जायगी इस विषय पर।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह सरकार तो इतनी ××× हो चुकी है कि पांच साल तक बोलते जाइये, इस पर असर नहीं होगा इसलिए पांच मिनट बोलने का भी आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, हिन्दुस्तान में या संसार में इतना डरपोक मुख्यमन्त्री नहीं हुआ जो पुलिस के मारे इतना डरता हो जितने शिवचरण जी माथुर डरते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब बातों में कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। यह भी कीर्तिमान है।

श्री यदुनाथ सिंह : पुलिस को इन्होंने इस तरह की छूट दे रखी है, अध्यक्ष महोदय, चाहे जहां गोली चलायें, थानों में बलात्कार करें, थानों के बाहर बलात्कार करें, किसी के यहां चोरी हो, रिपोर्ट कराने जाय तो उसको पीटें, किसी के यहां डकैती

×××शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

हो रिपोर्ट कराने जाय तो उसको पीटें। जब सदन में या बाहर कभी भी किसी प्रकार प्रेस के द्वारा जनता के द्वारा या जन प्रतिनिधियों के द्वारा दबाव डाला जाता है तो मुख्य मन्त्री का वक्तव्य यही आता है कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो पुलिस विद्रोह कर देगी। यानि पुलिस कुछ भी नंगा नाच इस राज्य में नाचे, पुलिस के विद्रोह का इनको डर है। यानि येन केन प्रकारेण इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली गोली काण्ड कोई छोटा मोटा काण्ड नहीं है। इसके पीछे क्या भूमिका है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, जिसके बाद यह घटनायें क्या घटीं उन सबको अगर आप दृष्टिगोचर रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय, आपकी आत्मा गवारा नहीं करेगी और इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों की आत्मा गवारा नहीं करेगी। मैं चाहूँगा वहां से आने वाले माननीय सदस्यों को यह सदन सुने, उनके दिल की पीड़ा यह सदन सुने जिनके यहां पर यह घटना घटी है। अध्यक्ष महोदय, एक लड़की के साथ बलात्कार हो तो मैं उस कांग्रेसी को धन्यवाद देता हूँ, उस लीडर को, उस नेता को, उस कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ, जिसने इस तरह के जन अपराध के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया और थाने पर लेकर गया। अध्यक्ष महोदय, सवाल यहां यह पैदा होता है कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी ? अध्यक्ष महोदय, ऐसी यहां पर कोई स्थिति नहीं है। पुलिस यहां पर निरंकुश हो चुकी है। पुलिस जरा सी बात पर गोली चलाने का काम यहां करती है। अध्यक्ष महोदय, कई घटनाएं है जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जो पिछले दिनों में यहां घटी हैं। इसके सम्बन्ध में एक तरफ यह कहते हैं कि लोगों ने थाने को इस कदर घेर रखा था। यह पहले बयानों में तो कहीं नहीं आया लेकिन आज के वक्तव्य में आया कि जनता ने थाने को इस तरह से घेर रखा था कि पुलिस वहां नहीं जा सकती थी और वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था इसलिए पुलिस को वहां पर गोली चलानी पड़ी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एस. डी. एम. साहब थाने की छत पर बैठे हुए थे। कहां से पहुंचाये क्या ? शिवचरणजी माथुर ने यहां से हैलीकाप्टर से छत पर उतारा ? आप देखेंगे कि सब की पीठ में छर्रे लगे हैं। 1 बोर के छर्रे हैं। 12 बोर कहां से आयी, किसकी 12 बोर थी ? अध्यक्ष महोदय, पहले से ही सरकार ने वक्तव्य देते टाइम इस झूठ को छिपाने के लिए, अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए एक बात कही है कि भीड़ में से किसी ने गोली चलायी। अध्यक्ष महोदय, यह कतई असत्य है। मैं चाहूँगा कि भूतपूर्व गृह मन्त्री से इस बारे में पूछा जाय कि उनकी आत्मा इसको गवारा करती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा कि विरोधी इसको भड़का रहे हैं, विरोधी दल अपराध में दक्ष हैं, इस तरह की चर्चा इन्होंने की। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी हाथी पर दुल्हन बनकर सज कर बेलची गयी थीं तब वह भी तो विरोधी दल का काम कर रही थीं। वह

(श्री यदुनाथ सिंह)

नारायणपुर में गयीं। कोई भी प्रधान मन्त्री कहीं भी ऐसी घटना में नहीं गया होगा जिस घटना में इन्दिरा गांधी गयी थीं। तो क्या वह अच्छा काम कर रही थीं ? यानि इन्दिरा गांधी करे वह सब अच्छा और विरोधी दल वाले अपना फर्ज निभायें तो…

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर नहीं हों, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : इन्होंने जिक्र किया है, इनको नहीं करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, जो जुडिशियल इन्क्वायरी…

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, इन्दिरा गांधी ने कहां जाकर पथराव कराया था ?

श्री यदुनाथ सिंह : किसने पथराव की बात कही। × × ×

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए और राज्य मंत्रीजी की जानकारी के लिए बता दूं कि इन्दिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर में पथराव करवाया है, कर्नाटक में करवाया है …

श्री यदुनाथ सिंह : चिकमंगलूर में करवाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। विषय से हट कर बात कह रहे हैं। माननीय सदस्य, विषय से बाहर नहीं जावें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चुपचाप बैठे रहो, काहे के लिए मक्खन लगा रहे हैं। आपको मंत्री नहीं बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है जुडिशियल इन्क्वायरी का, माननीय माथुर साहब ने बड़ी चालाकी से वहां की उस लड़की पर और वहां की जनता के मुंह पर × × × × उसकी बेइज्जती की है, अध्यक्ष महोदय। जुडिशियल इन्क्वायरी की टर्म्स आफ रेफरेन्स अभी पढ़ कर सुनाई नहीं। अध्यक्ष महोदय, इससे नतीजा क्या निकलने वाला है ? बेचारी अबला, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जुडिशियल इन्क्वायरी का हिस्सा नहीं है। जो भीड़ थी उसको पहले से ही क्रिमिनल बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का भला, राजस्थान की जनता का भला तब होगा, कोटपूतली की जनता के साथ, जहां बलात्कार थानों में हो रहे हैं

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह)

उनके साथ, जहां पर गोलियां चल रही हैं उनके साथ घना गोलीकांड के साथ, चोरियां होने वालों के साथ, समूची जनता के साथ, डकेती जिनके घर हो रही है उनके साथ सबसे बड़ा न्याय तो यही होगा कि विधान सभा इस मुख्य मंत्री को भंग करें।

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। कृपया

(व्यवधान)

मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया था, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, पांच बजे मन्त्रीजी के उत्तर सहित सभी चर्चा समाप्त हो जायगी। इसलिए कृपया आप समय का ध्यान रखें और एक मिनट में....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव है। पांच बजे इस पर सभी चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : लोग गोलियों से मारे गये हैं, बलात्कार हुआ है फिर भी आप समय की पाबन्दी लगायें, यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, पांच मिनट का समय था।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं बड़ी गम्भीरता से यह बात कह रहा हूँ इस सदन को विचार करना चाहिए कि जिस तरह की टर्म्स आफ रेफरेन्स उसमें रखी हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको नितान्त तौर पर बदलना जरूरी है, तभी जनता के साथ, उस बहिन के साथ न्याय हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई कि जो जनता है उसके लिए तो जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी। जुडिशियल इंक्वायरी को फ्री छोड़ा जाय, उसकी टर्म्स आफ रेफरेन्स को बहुत वाइड किया जाय, बलात्कार को लिया जाय। इसको इसी तरह से बांध करके नहीं चलना चाहिए यही मुझको निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम। आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम रावत : मैं गांव सूं 25 तारीख ने दस बज्यां कोटपूतली पहुंच्यो मने दसेक वकील मल्या जीमें पृथ्वीराज भारतीय जनता पार्टी को और जसपाल जाट वकील रह्यो लोकदल को और ओमी कांग्रेस को। दस बारह वकील मने थाना में मल्या। मैं कह्यो कि आज कांई मसलो हो गयो जो इतरा वकील थाना के मायने है? डी.वाई.एस.पी. और नाजिम साहब दोनों बैठ्या हुआ हा। मैं वांसूं जाकर पूछ्यो कि कांई वाक्यो हो गयो। वे कह्यो कि सही वाक्यो है। ये तेरा दोनों चोर बैठ्या छै जंगला के मायने। मैं डाक्टरी के लिए कपड़ा भेज दिया और वा लड़की ने भी भेज दियो है। वकीलां ने पृथ्वीराज ने रजिस्टर दिखा दिया, के भाई देख लेओ

(श्री श्रीराम रावत)

के यो थारो कायम मुकदमो दर्ज हुयो है के ना हुयो है। पृथ्वीराज बहुत मान्यो हुम्रो वकील छै। वो कह्यो कि अब तो वकील श्रौर कांई नहीं कर सके। पछै वो रामकरण ओर सारा भैल्या होर स्कूल की छुट्टी कराई। दस बज्यां तक न कोई दुकान बन्द ही, न कोई हड़ताल ही, न कोई नाराबाजी ही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। श्रीमती पाठक। ऑर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं श्रीमती पाठक का नाम पुकार रहा हूँ।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : बलात्कारी को गोली से उड़ा दो ...

श्री भालू खां : यह बलात्कार का मामला नहीं है....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह चोरी का मामला भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल, कृपया,।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सब पाशविक प्रवृत्ति है, बड़े शर्म की बात है। क्यों आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप देश को बिगाड़ रहे हो, आप प्रदेश को बिगाड़ रहे हैं। इन पाशविक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्या। मैंने श्रीमती पाठक का नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री भालू खां : ये XXX तरफ से किया गया है। XXX जान-बूझ कर ऐसा किया है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया हुआ....

श्री श्रीराम रावत : दस बज्यां तक न कोई दुकान बन्द ही, न कोई हड़ताल ही न कोई नाराबाजी ही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रावत ने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : क्या बात हुई यह।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। बैठ जावें। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ऐसा है कि सदन में माननीय सदस्यों में रोष था, कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं, किसने भाषण समाप्त कर दिया। आप जानते हैं कि श्री रावत अपनी एक पिछली पंक्ति में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं। उनको कोई बहुत अधिक बोलने का शौक हो ऐसी बात नहीं हैं। वे अपनी बात कह रहे थे, बीच में माननीय सदस्य उठे होंगे तब नियमों का पालन करते हुए....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

वे बिराज गए थे। मैंने उनको पहले अनुमति दी थी। मुझे शायद गलत आभास हो गया कि उन्होंने समाप्त कर दिया हो इसलिए मैंने नाम पुकार लिया। क्योंकि उन्होंने प्रांगण उस वक्त छोड़ दिया था इस कारण कि कुछ माननीय सदस्य उठ गये थे, इसलिए मैं उनको अवसर देता हूँ। इनके पश्चात् श्रीमती पाठक।

श्री श्रीराम रावत : अध्यक्ष महोदय, तीन बजे लड़की घर सूं निकली थी, ऊ ने आज तक मालूम नहीं कि वह तीन बज्यां क्यों नीकरी। या जरूर कह्यो कि कुछ आदमी थाना में गया हा और थाना में जाकर तफ-तीश करी ही और रिपोर्ट लिखा दी ही, वकीलां ने रिपोर्ट दिखा दी ही। सारो को सारो काम करवा दियो हो। दस बज्यां तक बठे न कोई दूकान बन्द ही, न कोई हड़ताल ही, न कोई और लेणो देणो हो। 25 तारीख ने जद यो वाक्यो हुयो, 25 तारीख ने जब ये स्कूल में गया, जसपाल व रामकरण तो जो मास्टर हो वांने विरोध कियो कि मैं 26 जनवरी की तैयारी कर रह्यो हूँ, लड़काने मं नहीं भेजूं गों। या भी मैं कहूँ कि मास्टर ने मैं धन्यवाद देऊं कि हाई स्कूल में छुट्टी नही दी अपनी मर्जी से। लड़कां ने भी कह दियो कि थारे घरां चल्या जाओ। हाई स्कूल में हेड-मास्टर जनसंघ को हो पर वो छुट्टी नहीं दी लड़कां ने और फेर जनसंघ वालां ने जबरदस्ती आकर छुट्टी करवा दी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। बैठ जावें, माननीय सदस्य। बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम रावत : ये निर्दोष लोगों ने मरवाया। रामकरण सिंह खुद थाना में जाकर कह्यो कि म्हारी सीना में गोली दो, म्हारा सीना में दो। जब गोली चालबा लागी तो भाग गया। नाबालिग मरया बेचारा। जब बंदूक छूटी तो भाग गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम रावत : नाबालिगां के ही लागी है, भागबा वालां के थोड़े ही लागी हैं। ये तो आग लगाकर भाग गया। भैरोंसिंह और रामकरण सिंह को यो ही फर्ज निकले है कै।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(श्री अध्यक्ष)

कृपया समय का ध्यान रखें। समय समाप्त हो रहा है। शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने अपना भाषण, जो स्टेटमेंट दिया है उसमें असामाजिक तत्व शब्द की नो बार पुनरावृत्ति की। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा राजस्थान आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कोई भी ऐसा सदस्य इस सदन का या बाहर का सुन रहा हो वह इस बात को माने बिना नहीं रहेगा कि माननीय मंत्री जी का वक्तव्य स्वयं में कितना डिस्टोरटेड है और समाज विरोधी है। आप असामाजिक की बात करते हैं, आपके सारा वक्तव्य को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपका सारा वक्तव्य ही समाज के विरोध में है। समाज की जितनी मान्यताएं हैं, समाज की जितनी आवश्यकताएं हैं, समाज के जितने हक और हित हैं उन सबके विरोध में है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है, आपने भी अपने स्टेटमेंट में एक भी बार नहीं कहा, पुलिस की एफ. आई. आर. में या किसी रिकार्ड में यह दर्ज नहीं हुआ कि यह बलात्कार है। इसको मेन्शन किया गया है बेइज्जती के नाम से। अब माननीय मन्त्री जी, पुलिस के अधिकारी तो समझें या नहीं समझें, आप भी बलात्कार और बेइज्जती दोनों शब्दों में फर्क नहीं समझते? आपने अपने स्टेटमेंट में भी इसको ऐसे ही मेन्शन किया है।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न पूछना चाहती हूँ, माननीय मन्त्रीजी से। पहली बात तो आप यह बता दें कि क्या लक्ष्मीनारायण, उम्र 30 वर्ष अपने भतीजों को ढूंढने के लिए भीड़ में आया था? पुलिस उसको घसीट कर पुलिस स्टेशन के अन्दर ले गई? उसको इतना मारा कि वह बेहोश हो गया फिर उसको छत के ऊपर से डाला, क्या यह सच नहीं है? दूसरा, आपने बताया कि एक पुलिस कर्मी इतना घायल हुआ कि उसके हाथ पैर झुलस गए, सीना झुलस गया। तो उसका इलाज आपने कहां से करवाया? किस जगह उसका रिकार्ड है? फिर उस महिला के साथ बलात्कार किस वक्त हुआ? आपने महिला और दोनों सिपाहियों का डाक्टरी मुआयना किस वक्त करवाया और उस डाक्टरी मुआयने की क्या रिपोर्ट आपको पेश की गई? जो पेश की गई, उस रिपोर्ट से आप भी एग्री करते हैं इसलिए इतना एक्शन भी आपने या मुख्य मन्त्री जी ने लिया है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर क्या जनता का जो रिएक्शन था वह स्वाभाविक नहीं था? इस बात को आप स्वयं बता दीजिये। जब पुलिस सुने नहीं, पुलिस के दरवाजे बन्द हो जायं, अधिकारी सुने नहीं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय, पुलिस अपने जोम में रहे...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करूंगी। तो क्या यह स्वाभाविक रिएक्शन नहीं था। और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, आप कृपा करके उनका जवाब दें। पुलिस ने जितनी कार्यवाही, की है क्या सिकराय वाले केस के रिटेलियेशन में उसने अति की है? इसको भी आप कनेक्ट करके देखिये।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह। इनके पश्चात् मन्त्रीजी का उत्तर होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया कि सरकारी पक्ष ने जो वक्तव्य दिया है वह एकपक्षीय रहा है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे पक्ष को भी उससे दुगुना अवसर दे दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार ने तो लिखित में उत्तर दे दिया, हमें यदि इसकी पहले प्रति मिल जाती तो हम भी लिखित में ले आते। वह तो मिली नहीं। इन्होंने वक्तव्य दिया है आज ऐसे फैक्ट्स दिये हैं जिनका यहां पर स्पष्टीकरण करना ...

एक माननीय सदस्य : आपने भी दी है कभी कापी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ठहर जाइये, बोल लेना आप। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच बजे की सीमा में काम नहीं चलेगा। इसलिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : संभव नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से उत्तर आना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बाद में हो जायगा। जवाब सुनने के लिए हम बैठे है, वह बाद में हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : तो पांच बजे सरकार की ओर से उत्तर करा देते हैं। जब सुश्री पुष्पाजी बोल रही थीं तो आपने मत व्यक्त किया था कि आप इनको बोलने दीजिये। हमारी तरफ से और कोई बोलेगा नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा। मैंने तो मुंह से कहा नहीं, आप ऐसे ही सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके हाव-भाव से मुझे यही लगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि मैंने यह कहा। यदि, अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार की बात कहने लग गये तो हमारा तो ठिकाना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चर्चा चलेगी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर पांच बजे शुरू हो जायेगा उसके पश्चात् और बैठ जायेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस बात को तो मैं जानता हूँ कि बैठने वाले नहीं हैं। बाद में तो भागने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी स्ट्रेटजी ऐसी ही है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष में 20 से ज्यादा माननीय सदस्य हैं, जब तक 20 रहेंगे

(श्री अध्यक्ष)

कोरम रहेगा, मैं सभा की कार्यवाही चलाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करें। इसमें समय की किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिये।

श्री भालू खां : जानबूझ कर करवाया है, इनको काहे का मौका दिया जाय। इसको सब ज्ञान है। क्या मौका दिया जाय। इन्होंने षड्यन्त्र किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जाय, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लोगों को ज्ञान नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस तरह का गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो अभी तो बन्दूक हाथ में नहीं उठाई, अगर मजबूर करोगे तो बन्दूकें उठेंगी।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, बैठ जायं, आपको अवसर दे दूंगा, धैर्य रखिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री त्रिलोकसिंह : XXX

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये समय बढ़ाया जावे ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री त्रिलोकसिंह। इस विषय पर 15 मिनट का समय है।

कोरपूतली गोली काण्ड की न्यायिक जांच के आदेश

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे विषय पर दुबारा तो बोलना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप समय बता दीजिये, कितना लगेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मेम्बर्स बोलें ...

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें समय सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। 15 या 20 मिनट, इससे अधिक नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपीटीशन तो हो नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : रिपीटीशन का प्रश्न नहीं, मगर वाद-विवाद में समय ज्यादा लगता है। जो आज की कार्यसूची के विषय है उन सबका सम्पादन होने में ज्यादा समय लग रहा हो तो आसन को ऐसे अधिकार हैं कि वह समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। आप ही सुझाव दे दीजिये, कितना समय इस पर और चाहिए

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 9 बजे तक।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर? नहीं। 15 मिनट का समय बढ़ाता हूं। सवा पांच बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री त्रिलोकसिंह।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर माननीय विरोधी पक्ष के नेता कोई खास बात कहना चाहें तो आप आधे घण्टे का समय बढ़ा दीजिये। मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी यह है कि ये मुख्य मंत्री महोदय का भाषण सुनना नहीं चाहते और वाक आउट करके ये भागना चाहते हैं। गत वर्ष भी इन्होंने ऐसा किया। इस वर्ष भी इन्होंने वन मंत्री जी पर और मुख्य मंत्री जी पर कई झूठे और कई अनर्गल चार्जेज लगाने की भी कोशिश की। अब यह देखते हैं कि सही उत्तर आ जायगा। इसलिये पहले अपन यह नाटक करके घर भाग जायं। यह है इनकी हकीकत की बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं श्रीमान् खेतसिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि आज जैसे मुख्य मंत्री 20 बार बोलें, हम उनसे भयभीत होकर भागने वाले नहीं है। यदि भयभीत होकर भागेगी तो सरकार भागेगी और सरकार का नेतृत्व सबसे पहले खेतसिंहजी करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सरकार की नीवें बहुत गहरी हैं। सरकार हिलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे याद है खेतसिंह जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य या भाषण हम नहीं सुनें इस प्रकार की न तो कोई स्ट्रेटेजी है न कोई बात है। हम भी चाहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी बोलें। मैं तो चीफ व्हिप से यह कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की बातें इस सदन, जहां इस प्रकार की उत्तेजना हो, में न कहें। अगर वह उत्तेजनात्मक बातें करेंगे तो उत्तेजना का जवाब उत्तेजना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से दिया जायगा । आप यदि अनर्गल बात कह सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूं कि कौन किस प्रकार से भागता है । मैं जानता हूं कि आप कैसे भागे हैं ।

(व्यवधान)

कैसे चप्पलें छोड़ छोड़ कर लोग भागते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हेतसिंह राठौड़ : हम तो बूट पहनते हैं । चप्पल आप लोग पहनते हो । भूल गये हो ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है इसलिये आधे घण्टे का समय और बढ़ाया जाता है । साढ़े पांच बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायगी ।

श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, न यह सरकार का वक्तव्य है, और न यह हमारे राज्य मन्त्री का वक्तव्य है । यह तो पुलिस का वक्तव्य है । जो जवाब दिया गया है, वह ऐसा है जैसे पुलिस अपने बचाव के लिये दे । हमें ताज्जुब भी नहीं है इस बात का कि राजस्थान की जो सरकार है, वह तो पुलिस का राज है । राजस्थान में श्री शिवचरण जी माथुर का राज नहीं है, यह पुलिस का राज है । क्या कोटपूतली काण्ड है?, क्या गाजीपुर काण्ड है और क्या महादेवसिंह जी का प्रकरण है । इस सदन में यह फैसला हुआ था कि श्री महादेवसिंह जी विधायक के बारे में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । मुख्य मन्त्री महोदय ने हमें यकीन दिलाया था । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ ? कोटपूतली काण्ड ऐसा काण्ड है जिसके कारण कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को आज तक शर्म से XXX । जहां ऐसी X X X बात हो, जहां महिलाओं की अस्मत लूट ली गई हो, जहां मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया हो, वहां मुझे बड़ी हैरत है, बड़ा ताज्जुब है, यह जनता के प्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग इस काण्ड का मखौल उड़ा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह राजस्थान की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी ? यह नाकाबिले बर्दाश्त है, आप यह याद रखें । आप लोग कहते हैं कि थाने के आग लगा दी गई । एक जमाना आयगा, थानों को नहीं इस XXX आप लोगों के ऐसे काले कारनामे हैं । बलात्कारियों को, डाका करने वालों को, हत्या करने वाले लोगों को आप खुला समर्थन दे रहे हैं । वह आदमी, वह आपका विधायक है, उससे जिस तरह से बात कहलाई जा रही है, यह आपके लिये शर्म की बात है । XXX एक किसान के बेटे ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठायी, आज उसको दबाकर यह कहलवाया जा रहा है कि यह सब विपक्ष ने किया । मैं पूछना चाहता हूँ श्री शिवचरण जी माथुर की सरकार से, बलात्कार काण्ड क्या विपक्ष ने किया ? कहते हैं, असामाजिक तत्व हैं । ये चम्बल के डकैत, ये राजस्थान के डाकू राजस्थान के लोगों को कहते हैं, असामा-

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये ।

(श्री त्रिलोक सिंह)

जिक तत्व। हम लोग लाखों किसानों की नुमाइन्दगी करते हैं। हमें वोट किसी लाला ने नहीं दिया, आदमखोर ने नहीं दिया, डंडी चोर ने नहीं दिया। हमको वोट हल चलाने वाले किसानों ने दिया है जो खून पसीने की कमाई करते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने को विषय तक ही सीमित रखें, माननीय सदस्य। विषय पर बोलें।

श्री त्रिलोक सिंह : हम मांग करते हैं कि यह राजस्थान की सरकार अब भी सीधे रास्ते पर आ जाय और जिन लोगों ने जुर्म किया है उनकी हिमायत न करे. उनको सजा दे, उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाय और जिन लोगों ने हिमायत की है ऐसे बलात्कारियों की, ऐसे हत्यारों की, ऐसे डकैतों की सरकार को फौरन बरखास्त किया जाय। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार बर्दाश्त लायक नहीं है। वह ऐसे बयान देती है कि यह पुलिस का आदमी नहीं था। पुलिस ने कुछ नहीं किया। यह तो विपक्ष ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो गाजीपुर का काण्ड हुआ, हिन्दुस्तान का प्रेस कहता है, गाजीपुर में जो घृणित काण्ड हुआ है, वह राजस्थान सरकार के लिये ××× गाजीपुर में ही नहीं, उसके बाद टपूकड़ा में बच्चों को गोलियों से उड़ा दिया गया, अलवर में हरसोली में उड़ा दिया गया। फिर भी राजस्थान की सरकार आंख मूंदे बैठी है और कहती है, यह सब असामाजिक तत्वों ने किया है। जो कुछ कोटपूतली में हुआ, अलवर में हुआ, उसको यह जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता आपकी सरकार की कब्र खोद देगी। यह एक काण्ड ही बहुत है आपकी सरकार का तख्ता उलटने के लिये। आप लोग इस तरह से दावा करते हो, जिस तरह से सीधे-सादे आदमियों को खराब करते हैं। भालूखां जी एक गांव का किसान, किसान का बेटा, सीधा-सादा यहां आकर कहता है, वहां पर कुछ नहीं हुआ, सब विरोधियों ने किया। इस तरह की ×××कहलवा कर यह सरकार अपने काले कारनामों को, पुलिस के काले कारनामों को छिपाना चाहती है, पुलिस के ××× बचाना चाहती है। इसे राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, थानों का घेराव किया जायेगा, इस सरकार का घेराव किया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : जो हमारी मां बेटियों की अस्मत लूटते हैं उनको कभी बर्दाश्त नहीं किया जायगा। हम आपके ऐसे कानून को आग लगा देंगे जो जनता पर गोली मारता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री जनार्दनसिंह गहलोत। पांच-पांच मिनट से अधिक समय न लें ..

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के माननीय राज्य मन्त्री ने जो अपना वक्तव्य दिया है, मुझे ऐसा आभास होने लगा है इस सदन में बैठ कर कि हमारे विरोधी दल के लोग सही मायने में इसको राजनैतिक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारी माननीया सदस्या सुश्री पुष्पा जी ने दर्द भरी बात कही कि उन मासूम निरीह महिला के साथ बलात्कार किया गया, निश्चित तौर से सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के लिये यह दुःख का विषय है चाहे वह इधर बैठने वाले लोग हों, चाहे हमारी तरफ बैठने वाले लोग हों। राजस्थान के अन्दर किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की घटना होती है, यह सदन एक स्वर में इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि ऐसी स्थिति में उसको सख्ती से निपटा जाय। लेकिन इस बात को उभारने की कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा दर्द उनके मन में है कांग्रेस की तरफ बैठने वाले लोगों के मन में भी उतना ही दर्द है। थाने के अन्दर कान्स्टेबलों को थाने के हवालात में बन्द कर दिया गया, हमारे वहां के विधायक श्रीराम रावत ने जाकर के मौके पर देखा कि पुलिस कार्यवाही हो गई है। उसके बाद क्या यह सच नहीं है कि इस आन्दोलन को गति देने के अन्दर विरोधी दल की बेन्चेज पर बैठने वाले, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जिन्होंने इस कोटपूतली के थाने को जलाने की कोशिश की, उन मासूम बच्चों को गोलियों के सामने रखने की साजिश की, रामकरणसिंह, जिन्होंने इस आन्दोलन की अगुवाई की, से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा कि पुष्पाजी कह रही थी गोली खाने को वे तैयार थे, भाई श्रीराम रावत कह रहे थे कि वे तो सब भाग गये थे और बच्चों को आगे कर गये थे। स्कूल से बच्चों को निकाला गया। क्या विरोधी पार्टी के लोग इस राजस्थान की जनता के साथ इस तरह की × × × करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं ? निहत्थे, नाबालिग बच्चों को इस तरह से गोली का शिकार होने के लिये आगे करते हैं। हम जानते हैं, सदन के अन्दर बैठने वाले सदस्य जानते हैं, ऐसी घटना कोटपूतली की पहली नहीं है। जयपुर के अन्दर यह घटना हुई। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत अच्छी तरह से जानते हैं, जयपुर के जौहरी बाजार में जो गोलियां चलवायी थीं, उसके अन्दर भी इन्हीं का हाथ था। यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है, ऐसे षड्यन्त्रों से राजस्थान जनता बराबर चोटें खाती आयी है। अगर वह कोटपूतली की घटना थी तो हरसोली की पुलिस चौकी क्या किसी कोटपूतली वाले ने जलायी है ? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं जलायी है ? निश्चित तौर से जलायी है। मण्डावर के अन्दर :

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उस चौकी पर हमला किया गया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह सारा सुनियोजित षड्यन्त्र है । मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, यह घटना कोटपुतली मे हो रही है और अलवर जिले की भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्रीजी से मिल रहा है। कह रहे हैं कि कोटपूतली की अगर जांच होगी तो अलवर में हंगामा हो जायगा । अलवर के अन्दर सुनियोजित षड्यन्त्र द्वारा बी. जे. पी. ने लोगों को उकसा करके, आन्दोलनात्मक रूप देकर निहत्थे लोगों को मरवाने की साजिश की है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मानते हैं चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हों, जो भी गलत काम करते हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात गलत है कि तथ्यों को मरोड़ कर आज इस प्रकार की बात की जाय ।

(व्यवधान)

मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार इसी सदन के अन्दर चर्चा की गई थी कि महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। सदन के सदस्यों ने कहा कि महिलाओं की इज्जत सभी की इज्जत होती है चाहे कोई भी लोग हों। लेकिन जिस समय गृह राज्य मंत्री प्रद्युम्नसिंह जो ने 'बलात्कार' शब्द को इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी बहिन विद्याजी को तकलीफ हो गई कि 'बेइज्जती' शब्द कहा । बलात्कार से महिलाओं की बेइज्जती होती है तो उसमें 'बेइज्जती' शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो कौन सा गुनाह हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जुडिशियल जांच हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इस जुडिशियल जांच की ज्यादा अगर किसी ने परम्परा डाली है तो विरोधी दल में बैठने वाले हमारे विरोधी दल के नेता महोदय भैरोंसिंह जी ने डाली है। तो आज की सरकार ने अगर जुडिशियल जांच की परम्परा डाल दी तो कौन सा अन्याय कर दिया ।

(व्यवधान)

मैं सोचता हूँ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की साजिश है।

राजस्थान सरकार ने जो वक्तव्य दिया है उसमें अगर कहीं कोई कमी आपको नजर आती है, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कोई गलती की है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए ताकि राजस्थान के अन्दर इस तरह की परम्परा न पड़े और महिलाओं की इज्जत लूटी नही जाय। लेकिन विरोधी दल के लोग इसके नाम पर राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उसको रोकने में, मैं सोचता हूं, आप मदद करें, अध्यक्ष महोदय ।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम। पांच पांच मिनट का समय है, माननीय सदस्य।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के मायने कोई भी अखबार देख लो, सबसे मेन बात यह है, जैसी मारवाड़ में कहावत है कि जद खेत ही वाड़ ने खावा लाग जाय जणां खेत की रखवाली कौन करेगो। आज की सरकार जो अफसरशाही है, जो कोई भी अधिकारी है उन अधिकारियों के मारे बिल्कुल मौन हो रही है और सरकारी अफसर सरकार के ऊपर हावी हो रह्या है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री, शिवचरणजी माथुर, मुख्य मंत्री बैठ्या बाद के मायने कितना हत्याकाण्ड हुया है ? कोई एक के मायने, सिर्फ एक के सामने जुडिशियल जांच करवा ली ? कोई एक के मायने दोषी अधिकारी ने दण्ड दियो है ? और कोई एक नाम भी मैं दण्ड में तो सुण्यो कोनी। सबसे मेन बात यह है कि मुख्य मंत्रीजी सिर्फ गोली से राज करवो चावे। गोली से राज न आज होवे, न काल होवे। मेरो तो यही केणो है कि सबसे मेन बातें यह है कि कोई भी आदमी हो, आज किसी भी भैण बेटी के साथ बेइज्जती होवे, बलात्कार होवे तो कौण सो आदमी है जो अधिकारी ने तिलक थोड़े ही लगावा जावेगो क ऊंके फूलां की माला घालेगो। अबार बहुत सा आदमी यह बात कही के प्रदर्शन रामकरणसिंह करायो। श्रीरामजी ने भी यह बात कही। श्रीरामजी ऊंकी आत्मा से यह सौगन्ध खाकर कह दे कि दस बज्यां हुई छी कांई यह बात। दस बज्यां तो, श्रीरामजी, वो कुण सो गांव है, सुन्दरपुरा, ढागोद सुन्दरपुरा के मायने स्कूल को उद्घाटन करवा ग्यो छो। पूछ लो या थूं या बात है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, ईमानदार आदमी, सज्जन आदमी ने ये लोग भड़का भड़का कर ऊं से झूठ बुलाणो चावे है। मेरा तो यो ही केणो है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा पांच मिनट का समय है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं कुछ मुद्दों पर बात उठाना चाहूँगी। मैं लम्बे विषय पर नहीं जाना चाहूँगी।

श्री अध्यक्ष : एक दो प्रश्न पूछ लीजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज जो रक्षा पंक्ति में बैठे लोग उन्हें अगर सरकार इस तरह से प्रोत्साहन देगी, तो रक्षक भक्षक हो जायेंगे जो समाज के निम्न वर्गों पर अत्याचार करेंगे और ऐसे दुष्कृत्य करेंगे जिनको फासिस्टता की श्रेणी में रखा जायगा। तो सरकार क्या उन पर मान्यता की छाप लगायेगी कि यह काम सही किया। आप इसको पोलिटिकल मैटर बनाना चाहते हैं। समाज के प्रति अपराध करने वाले लोगों को इतना संरक्षण देना चाहते हैं। अपराध किये हैं जिन्होंने, अगर सामान्य आदमी पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सामान्य कानून लागू होता है तो उन फासिस्ट प्रवृत्ति वालों को सामान्य कानून के तहत दण्डित किया जाना चाहिए। आपने नहीं किया। आपने देरी की। क्या भूल में बलात्कार हुआ? 4 दिन बाद हुआ, आज से चार दिन पहले छीपा बड़ौद में वहां के जो थानेदार हैं इन्होंने किया। यह थानेदारों की परम्परा में है। अगर बलात्कार के कांड हर थाने में होने लगे तो कौन आदमी आपको माफ करेगा। मैं कहना चाहूंगी, प्रद्युम्न सिंह जी शिवचरण माथुरजी और सदन के बैठे हुए लोगों को ऐसे दुष्कृत्यों की निन्दा करनी चाहिए। जिन्होंने ऐसे कांड किये हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो तो आप प्रावधान कीजिये। ऐसे लोगों को तुरन्त फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। इनके पश्चात् विपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे और उसके बाद में मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख और क्षोभ है कि वास्तव में इतने बड़े इश्यू को हमने लाइट वे में लिया है। पिछले लम्बे समय से हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि आज इस थाने में हो रहा है, आज इस थाने में हो रहा है। इसके कारण से स्वाभाविक है कि हमारी नसों में पानी नहीं बहता है, खून बहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर अगर आप होते तो क्या करते? क्या वास्तव में वहां पर जाकर विरोध प्रकट करना और एक ऐसा जन जागरण पैदा करना अनुचित है जिससे मालूम हो कि आयन्दा अगर कोई भी हत्यारा ऐसा करेगा तो उसका परिणाम बुरा होगा। मैं तो कहता हूँ, दुर्भाग्य है मेरे देश का जहां एक सीता के सतीत्व के लिए सारा कुछ हो सकता है। अगर इस बलात्कार का बदला उस आदमी को गोली से भून करके लिया जाता तो कोई भी पुलिस–कर्मी तो क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी का सतीत्व नहीं लूट सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रामकरण-सिंह जी क्या उस पब्लिक मीटिंग में थे जहां ये भाषण हुए, साढ़े दस बजे, ग्यारह बजे? क्या यह बात सही है कि सवा बारह बजे रामकरणसिंहजी वहां आए थे? क्या यह बात भी सच है कि स्कूल की जब शिफ्ट बदली थी, क्योंकि दो शिफ्टें हैं और जब एक शिफ्ट की छुट्टी हुई तो उसके कारण से लड़के बाहर आये? लड़के वहां विरोध प्रकट करने के लिए गये। किसी एक माई के लाल के सीने पर तो गोली लगनी चाहिए थी। एक के भी नहीं लगी। तो भागते हुए इन बच्चों पर पुलिस ने गोली क्यों लगाई? क्या आप यह चाहेंगे कि हिन्दुस्तान के उन मासूम बच्चों, जिनके मन में कुछ तूफान है, को आप गोली से भूनें? मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वह थाना एक किला है इसका दरवाजा बन्द करके एस. डी. ओ. ऊपर जाकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्यों बैठा ? जिनको आप बहादुर लोग कहते हैं अगर उनमें कहीं भी हिम्मत होती तो अपनी बन्दूक लेकर सड़क पर आते। जब नीचे इस तरह का तूफान मचा हुआ था तो उसके बीच में आता, उसको कन्ट्रोल करने की कोशिश करता, लाठी चार्ज करता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई एक भी मेडिकल सर्टिफिकेट आप पेश करो जिसमें लाठी चार्ज से किसी बालक पर, किसी आदमी पर लगी हो। लाठी चार्ज से एक भी खरोंच तक नहीं लगी और हमारे राजस्थान का गृह मंत्री अगर यह जवाब देता है कि पहले हमने लाठी चार्ज किया है, इससे बड़े शर्म और डूब मरने की बात और क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता का इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि इस समय इस तरह से बर्दाश्त करना बुजदिलों का काम है। अगर इस तरह का कोई भी काण्ड घटता हो, यह तो दुर्भाग्य है मेरे देश का, इस तरह से कभी नहीं होने दिया जाएगा। आप हमें दोष देना चाहते हो कि हमने ऐसा करा दिया। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते ? स्थिति क्या है ? गोलियां चलाई हैं आपने, मासूम बच्चों की पीठ में गोली लगी है और आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं कि पुलिस पर गोली चली। क्या वे घर से लेकर आये थे ? जेब में बच्चे अपने पास पिस्तौल रखकर आये थे ? केवल आप यह सबूत देना चाहते रहे हो कि जो गोली लगी वह थ्री नॉट थ्री की गोली नहीं थी वह बारह बोर बन्दूक की गोली थी। इसमें पुलिस फंसती है इसलिए केवल नाटक रचने के लिए आपने यह जनता पर थोप दिया। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से, राजस्थान की जनता को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस का राज वास्तव में पुलिस का राज बन गया है। लोगों पर जुल्म होते चले जा रहे हैं और ये बरदाश्त करते चले जा रहे हैं। केवल यह स्टेटमेन्ट देकर राजस्थान के लोगों में आस्था पैदा करेंगे ! राजस्थान के लोगों में आस्था पैदा नहीं होगी। राजस्थान के लोगों में विद्रोह पैदा होगा। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा खून ठंडा हो गया तो इसको बर्दाश्त करेंगे वरना एक एक का बदला लेकर के छोड़ेंगे। हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन क्या विरोध प्रकट करना कोई गुनाह है ? क्या लोकतन्त्र में इसके लिए मनाही है ? अगर मना है तो पाबन्दी कर दो। अगर पाबन्दी नहीं हो सकती तो विरोध प्रकट करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। वे अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए गये थे, गोली खाने के लिए नहीं गये थे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आपको सम्भालिये, केवल पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप राजस्थान की जनता को इस दयनीय स्थिति में भगवान के भरोसे, पुलिस के भरोसे मत छोड़िये नहीं तो जनता अपने हथियार अपने हाथ में उठा लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज। उसके बाद विपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे। उसके बाद राज्य मंत्री जी उत्तर देंगे। पांच मिनट का टाइम दूंगा, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन अलग अलग बिन्दु हैं ...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस विषय के ऊपर क्योंकि अध्यक्ष ने पूर्व में यह व्यवस्था दे दी थी कि उन मुद्दों, जिन पर जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है, पर नहीं जायेंगे। मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय सदस्य अधिकतर उस विषय पर नहीं गये। तो कृपया उस विषय से हटकर आप अपनी बात कह दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर यह सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सभ्य नागरिक की यह इच्छा नहीं हो सकती कि किसी महिला के साथ बलात्कार हो और वह भी पुलिस के लोगों के द्वारा हो। यह भर्त्सना करने योग्य बात है। परन्तु....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन क्यों देते हो ...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बीच में मत बोलिये। बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : भैरूंलाल भारद्वाज, XXX ब्राह्मण हो, अगर XXX ब्राह्मण के खून के हो तो X X X सत्य बोलना चाहिए . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर गृह मंत्री गूजर होता तो मेरा दावा है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX ब्राह्मण हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। XXX शब्द कार्यवाही से हटाया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

XXXशब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : X X X भी तो ब्राह्मण हो, दूसरों की बात नहीं सुनते हो X X X ब्राह्मण, बनिये की क्या बात करते हो । सही बात सुनना नहीं चाहते हो । X X X नेता बोलें और कोई जरा सा भी करें तो शोर मचाते हो X X X किसी की सुनना नहीं चाहते हो. . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । अंकित नहीं हो....

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बेकार का नाम मत लो, फालतू शोर मचाते हो ।

(व्यवधान)

ये XXX करते हैं शोर मचाते हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX नहीं करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जबरदस्ती का हल्ला करते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : XXX के सिवाय न कुछ लेना न देना ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द कार्यवाही से हटाया जाय ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : XXX

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई सहानुभूति नहीं है । मैंने जिस बात को कहा कि यह बुरी और भर्त्सना योग्य बात है उसके बाद में ये तिलमिला जाते हैं । इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी के साथ क्या अन्याय हुआ है । इनका ताल्लुक यह है कि किस तरह से मौजूदा सरकार के खिलाफ बवंडर बाजी करायें, चाहे कितने ही लोग मरें, गिरें इनका ताल्लुक ही नहीं है । लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको ये सुनना ही नहीं चाहते हैं । मैं यह कहता हूँ कि भर्त्सना करने योग्य है, हम भर्त्सना करते हैं, उसकी तो तारीफ करो, परन्तु उस पर भी शोर मचाते हो । प्रश्न यह उठता है कि जब यह काण्ड हुआ, उसके

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

XXX शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बाद जो यह रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और केस की कार्यवाही चालू कर दी। इस बात की शिकायत जो माननीय विधायक बीच में बैठे हैं जो कि सर्टीफिकेट देते हैं कि बहुत भले और ईमानदार आदमी हैं, इनके 10 वकीलों का डेपुटेशन गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेसी, सभी तरह के लोग, जाट, गूजर, बणिये, हर तरह की जातियों के लोग, वकील कानून के ज्ञाता, थे, वे सब लोग इनके साथ आये और उन्होंने कहा कि साहब, इस तरह का काण्ड हुआ है। वे सबको साथ लेकर गये और कहा कि इस तरह का अन्याय हुआ है। वहां पर एस. डी. ओ. और डी. एस. पी. मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह काण्ड हुआ है जिसकी यह रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हमने दोनों को गिरफ्तार करके अन्दर बैठा लिया है। डाक्टरी मुआयने के लिये भेज रहे हैं। सारी कार्यवाही की गई है, अगर कमी है तो बता दीजिए। उस समय सब वकील मौजूद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उनमें पृथ्वीराज जी ने कहा कि पुलिस वाली कार्यवाही तो पूरी हो गई। यह ठीक है कि बुरा काम हुआ है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है, जैसा कि कटारिया जी ने कहा, गोली से उड़ा दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। संयत भाषा से काम लें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह कानून का राज है या गोली का राज है। गोली का राज आप करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : गोली से ज्यादा कोई सजा हो सकती है तो वह देनी चाहिए। चौराहे पर खड़ा करके XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनता को गोली से तो आप उड़ाते हैं, गोली का राज तो आपका है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जब यह मामला हो गया कि 10 वकील सभी पार्टियों का डेपुटेशन वहां के विधायक के साथ जाकर थाने में तफतीश करा कर संतुष्ट हो जाता है कि कानूनी कार्यवाही बाकायदा चल रही है, इसके बाद भड़काने का सवाल नहीं था। मगर यह ठीक बात है कि उनको न किसी बलात्कार से मतलब है, न किसी के साथ न्याय-अन्याय से मतलब है।

सुश्री पुष्पा जैन : आपको मतलब है?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इनको तो दूसरे के जले में बाटी सेकने की आदत पड़ गई है। इनके पास खुद का कोई कार्यक्रम नहीं है। इनका कार्यक्रम है, कहीं जरा सा शोर हो, उसको भड़का करके, रोला करा करके अखबारों में आ जाय और लाइम लाइट में आ जावें और वोट मिल जायें। शान्तिमय वातावरण में जब कि उसकी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कानूनी कार्यवाही हो गई थी, उसके बाद में रामकरण सिंह ने लोगों को भड़काया और भड़का करके लोगों को इस तरह से उत्साहित करके चारों तरफ से थाने को घेर लिया। लोगों को कहा कि घेर लो, मारो। पांच आदमी जो घायल हुए थे रात को 9-10 बजे यहां एस. एम. एस. में भर्ती हुए थे, उनमें कैलाश पुत्र सूरजमल तथा हरदान पुत्र जोराराम, यह 17 साल का लड़का है, की गोली निकाली यहां, उससे मैंने बातचीत की थी व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में जाकर। उसने कहा कि लगभग 12 बजे के स्कूल से लेकर हमको इस रोलेबाजी में फांस दिया। यह बात ठीक है, पुलिस ने यह कहा था कि भाई देख लो, कानून के तहत हमने इसका मुकदमा बना दिया है। मगर यह मांग करवाई गई रामकरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मुलजिमों को हमारे हवाले करो। जब तक मुलजिमों को हमारे हवाले नहीं करोगे, दोनों सिपाहियों को तब तक हम नहीं जायेंगे। यह कह कर शोर मचाने लग गए। फिर एक कार को जला दिया, एक ट्रक को जला दिया और एक जीप को लाय लगा दी। यह बात ठीक है कि पहले हवा में फायरिंग की, मगर उसके बाद जब भीड़ भड़क्का ज्यादा हुआ तब फायरिंग हुआ तब उन बेचारे गरीबों को, भड़काने वाले तो भाग गए, जनार्दन सिंह जी ठीक कह रहे थे कि यहां पर जौहरी बाजार में भी भड़काने वाले नेता सब भाग गये, इनका तो यह धन्धा है, ये तो भड़काकर आग लगा कर भाग जाते हैं, और बेचारे गरीब भड़कने में आ जाते हैं। मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूँ...

सुश्री पुष्पा जैन : आग लगाकर भाग गये तो गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : XXX यह क्या XXX है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बुरे से बुरा काम हुआ उसकी हम भी भर्त्सना करते हैं। उसके लिए कानून बना हुआ है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, फिर जांच होगी, अदालत में चालान पेश किया जाएगा, फिर उसको सजा मिलेगी। लेकिन लोगों को भड़काकर आप क्या करवाना चाहते थे? यह तो बताइये ना। उन्होंने बच्चों को भड़काया, गांव के लोगों को भड़काया और लोगों से थाने की घेराबन्दी करवाई, दो तीन गाड़ियों को जलवाया और नतीजा यह हुआ कि पुलिस को इस बात के लिए मजबूर किया। मगर मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि पुलिस को इन लोगों के भड़काने में नहीं आना चाहिए था। पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए कि विरोधी दल के लोग, चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, इसलिये जरा सी भी कहीं गड़बड़ी होगी तो भड़काकर के गोली काण्ड या इस तरह के काण्ड करवा कर के सरकार और पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं। पुलिस को सोचना चाहिए था, बजाय इसके कि गोली चलाते में यह

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

समझता हूँ कि बाहर आ कर के लाठी चार्ज करके कोई कार्यवाही करते। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि राम करण सिंह को अन्दर बुला कर के एस. डी. ओ., डी. एस. पी. ने समझाया कि थाने को घेर करके थाने को जलाने की कार्यवाही चल रही है, आप इनको समझाइये। हम मजबूर होकर सख्त कदम उठायेंगे। रामकरण सिंह जी अन्दर यहकह कर के आये कि मैं बाहर जाकर समझाता हूँ। वे थाने से बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर अपनी जाकिट खोलकर कहा, मेरे सीने पर गोली आने दीजिये। मैं देखूंगा कि ये हवाई फायर करके अपने तमंचों से कबूतर उड़ाने की कार्यवाही पुलिस कर रही है, हम नहीं डरते। जब तक दोनों सिपाही बाहर नहीं आयेंगे हम इस थाने का घेराव वापस नहीं लेंगे। इस तरह से लोगों को भड़का करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गोली चार्ज करवाया, एक पोइन्ट जांच का यह भी है कि क्या विरोधी दल के लोगों ने यह गोली चार्ज करवाने की स्थितियां पैदा कीं? मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये जो कि लोगों को भडका कर इस प्रकार की कार्यवाही करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन विरोधी दल के मित्रों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुरे काम को बुरा बताइये। बुरे को हम भी बुरा बतायेंगे। बलात्कार और वह भी पुलिस के द्वारा बहुत निंदनीय घटना है और उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन सख्त कार्यवाही का यह तरीका है कि लोगों को भड़का कर के कानून अपने हाथ में लेकर थाने का घेराव कराओ, कानून अपने हाथ में लो और फिर आप तो भाग जाओ और लोगों को गोली से भुनवा दो? क्या यही तरीका है?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : भैरोंसिंह जी जब राज में थे तब किसान कुछ माँगों को लेकर यहां डेपुटेशन लेकर आये थे। हमने प्रदर्शन किया था तो इसी विधान सभा के ऊपर से लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छुडवाये और भागते फिरे किसान। जब ये राज में थे तब ये पुलिस से क्या करवाते थे। अब कहते हैं कि माननीय शिवचरण जी तो पुलिस के बल पर राज करते हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इन लोगों से कुछ बर्दाश्त नहीं होता है और अनाप शनाप बोलते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं तो शोर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थान ग्रहण करें। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग दोषी हैं, चाहे बलात्कार के हों या गोली चलाने के हों, यदि उन व्यक्तियों को भी अपने डिफेंस में कोई वक्तव्य देने का मौका मिलता तो इससे बढ़िया कोई उनका वक्तव्य नहीं हो सकता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्तव्य को माननीय सदस्यों ने बहुत ध्यान से सुना, मैं एक पैराग्राफ रिपीट कर देना चाहूंगा। "दिनांक 25 जनवरी, 1984 को 6 बज कर 15 मिनट पर श्री किशोरी लाल, निवासी कोटपूतली ने श्रीमती गायत्री देवी नामक महिला के साथ थाना कोटपूतली पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रात्रि गश्त में नियुक्त दो पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपने ससुराल जाने हेतु घर से बस स्टेंड जा रही, श्रीमती गायत्री देवी निवासी कोटपूतली के साथ बेइज्जती कर उसकी दो अंगूठियां ले ली।" अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय का वक्तव्य है। यह रिपोर्ट दर्ज करायी। इसमें "बेइज्जती" शब्द के बारे में सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जिक्र किया, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दो अंगूठियां ले ली गयीं, यह किस बात का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि जिस महिला के साथ बलात्कार किया उस महिला की दोनों अंगूठियां निकाल लीं। राजी-खुशी देने का सवाल ही नहीं है। अंगूठियां जबरन छीन लीं और जबरन छीनने के उपरांत किस केस को रजिस्टर किया है। केस रजिस्टर किया है 379, चोरी का। जहां केस रजिस्टर होना चाहिये था 394,397 का, डकैती या लूट का वह केस रजिस्टर नहीं करके किस तरकीब से लिखा है कि दो अंगूठियां ले ली गयीं। अब मेरी समझ में नहीं आता, माननीय मंत्री महोदय, स्वयं स्वीकार करेंगे कि दो अंगूठियां ले लीं, इस बात की शिकायत करने की जरूरत क्या थी। आपने यह नहीं कहा कि दो अंगूठियां बरामद कर ली गयीं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी दिन घटना स्थल पर चला गया। जब मैं थाने में गया तो बताया कि एक अंगूठी हमने उसकी जेब मे बरामद कर ली। लेकिन इसका इसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6.15 बजे रिपोर्ट हुई और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 7.30 बजे उनको गिरफ्तार किया गया। यह एक घंटे और पन्द्रह मिनट की मोहलत मुजरिमों को क्यों दी गयी? इस मोहलत के अन्दर क्या मुलजिमान ने अपने कपड़े नहीं बदल लिये? क्या मुलजिमान ने स्नान नहीं कर लिया? क्या जितने भी इस प्रकार के सबूत हो सकते थे, जिनकी उनके शरीर से या कपड़े से जानकारी मिल सकती थी, वे सबूत उन्होंने नष्ट नहीं कर दिये? अध्यक्ष महोदय, अब यह कहना कि जिस समय वकील 10.00 बजे गये थे उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने वकीलों से बात की, माननीय श्री रामजी ने क्या कहा, मैं उनके विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिन वकीलों का आपने नाम लिया, उन वकीलों से मेरी बातचीत हुई। उन वकीलों ने यह कहा है कि जब हम गये तो हमको यह बताया कि एफ. आई. आर. रजिस्टर कर ली गई है। जब हमने एफ. आई. आर. का रजिस्टर देखना चाहा तो एफ. आई. आर. का रजिस्टर हमको नहीं दिखाया। हमसे उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर लिया। तो हमने पूछा कि गिरफ्तार कहां कर लिया बताओ। कहा कि गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको, सदन और मुख्य मन्त्री जी को विश्वास दिला कर कहता हूं कि जिस समय छ: बजे

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

मैं कोटपूतली हॉस्पिटल पहुंचा मैंने वहां के डाक्टर से बात की कि क्या उस महिला का मेडिकल एक्जामिनेशन हो गया ?, डाक्टर्स ने कहा, मेडिकल एक्जामिनेशन हो चुका है। क्या उसके कपड़े केमिकल एनेलेसिस के लिए, एक्जामिनेशन के लिये भेज दिये गये ? तो उन्होंने कहा, कपड़े हमने उनको वापस कर दिये। मैंने उसी के साथ पूछा कि क्या पुलिस कांस्टेबल्स के कपड़े भी लिये हैं ? कहा, वह अभी नहीं आये हैं ? क्या पुलिस कांस्टेबल्स का मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है ? तो कहा, वह अभी तक नहीं हुआ। जब पुलिस यह कहती है कि इतने आदमियों के चोटें लगीं उनका क्या आपने मेडिकल एक्जामिनेशन किया ? उनका अभी तक नहीं किया। अब, अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी अधिकारी हैं, सरकार का दबाव पड़ेगा, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन यह बात मुझ अकेले को नहीं कही, वहां पर कम से कम दो सौ आदमी खड़े थे। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने पाइन्टेडली इस बात का जवाब दिया कि न तो मेडिकल एक्जामिनेशन इन्जुर्ड पर्सन्स का हुआ, न मेडिकल एक्जामिनेशन उन दोनों अभियुक्त कांस्टेबल्स का हुआ और न उनके कपड़े लिये गये। अब आप अंदाज लगा लें जो मुजरिम रेप करता है, पुलिस के कांस्टेबल यदि रेप करते हैं, जो कानून से परिचित हैं वह इस बात से निश्चित रूप से परिचित होंगे कि मुझे थोड़ा सा भी समय मिले तो मैं वे वजूद गायब कर दूं जिस वजूद से मेरे ऊपर रेप का आरोप सही सिद्ध हो जाय। तो क्या आप यही उम्मीद करते हैं कि उसने डेढ़ घंटे तक कपड़े नहीं बदले होंगे, कपड़े नष्ट नहीं किये होंगे या बाकी की उस संदर्भ में गवाहियां हो सकती हैं, वह गवाहियां उसने नष्ट नहीं की होंगी या जो मैटीरियल या आर्टिकल्स उसमें जब्त किये जा सकते हैं वह नहीं किये होंगे ? अध्यक्ष महोदय, इससे लगता है, जो मैंने पहले कहा, मैं समझता हूं कि पुलिस के सिपाहियों को यदि स्टेटमेंट बनाने का मौका दिया जाता तो इससे बढ़िया स्टेटमेंट किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने पहली बार पूरे विरोधी दल को असामाजिक तत्व बताया। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि हम सबको उपद्रवी बताया। मैं श्री जनार्दन सिंह जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की योजना थी कि एक महिला रात को घर से निकलती ? क्या यह भारतीय जनता पार्टी की योजना थी कि उस समय दो पुलिस के सिपाही गश्त में लगाये जाते ? क्या यह हमारी योजना थी, जिस योजना के अनुसार उस महिला के साथ कांस्टेबल बलात्कार करते ? क्या यह हमारी योजना थी कि बलात्कार के बाद में पुलिस वाले गोली चलाते ? मैं समझता हूं कि यह योजना हमारी नहीं थी।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या यह हमारी योजना थी, जिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योजना के कारण बलात्कार हुआ, जिस योजना के कारण ही गोलियां चलीं, जिस योजना के कारण प्रदर्शन हुआ ? जहां तक रामकरण सिंह के बारे में कहते हैं, रामकरणसिंह जी ही नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि सारे विपक्ष के लोग यदि उस समय प्रदर्शन नहीं करते, बलात्कार का विरोध नहीं करते, थाने पर प्रदर्शन नहीं करते तो हम अपनी रेस्पांसिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर कहीं बलात्कार हो और बलात्कार के बारे में, मुख्य मन्त्री जी, हम बोलें नहीं, यदि आपकी ऐसी व्यवस्था हो तो उसका खुलकर विरोध होगा। यदि बलात्कारियों के विरोध में प्रदर्शन किया जाय, और प्रदर्शन हम नहीं करें आपकी ऐसी मन्शा है तो इसका जबर्दस्त विरोध होगा। प्रदर्शनकारियों पर, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर यदि अन्यायपूर्वक गोली चलायी जाय तो, मुख्य मन्त्री जी, आप मान कर चलें कि इसका भी डट कर विरोध होगा। हम विरोध करेंगे, चाहे 20 बार आप कहें कि राजनैतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, चाहे 20 बार इस बात के लिए कहें कि इसको राजनैतिक इश्यू बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार के जो ओमिशन्स और कमिशन्स होंगे वह विरोधी दल के राजनैतिक इश्यू बनाने के लायक होगा और हम बनायेंगे। यह हमारा अधिकार है। मैं इस चीज को छिपाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आता है, 50 गोलियां चली। एक गोली नहीं चली, इस कोटपूतली काण्ड को लेकर 51 गोली चली। 51 में से चार मरे। चार मरे उसमें पुलिस ने यह स्वीकार नहीं किया कि हमारी गोली से मरे हैं। मुख्य मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट कर सकते थे कि पुलिस ने गोलियां चलायीं। गोलियों से मरे। चाहे खैरथल में एक आदमी मरा हो, चाहे कोटपूतली में तीन आदमी मरे हों, अध्यक्ष महोदय, कहा यह गया है कि पुलिस ने गोली चलायी, गोली चलाई तो भीड़ में से भी किसी ने गोली चलाई। क्या राजस्थान की सरकार और पुलिस इतनी निकम्मी है कि आज तक उस गोली चलाने वाले को नामिनेट नहीं कर सकी, आज तक उस गोली चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकी ? आदमी भीड़ से गोली चला दे और गोली चलाने वाले का सरकार को पता नहीं चले, पुलिस को पता नहीं कि गोली चलाने वाले कौन थे तो मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय,....

(5.40 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

...गोली चलाने की बात बिल्कुल गलत है। मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि गोली जनता ने नहीं चलायी, कोटपूतली के सब-इन्सपेक्टर ने गोली चलायी। उसके हाथ में 12 बोर की बन्दूक थी। अगर नहीं हो तो, सभापति महोदय, आपके अधिकारी आयें मेरे सामने, आप अधिकारियों को बुलायें, आप खड़े हो जायें, मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या उस सब-इन्सपेक्टर के पास 12 बोर गन नहीं थी ? क्या उसने 12 बोर गन नहीं चलायी ? वह 12 बोर गन चलाये, उस गन को जनता के आदमी पर थोपकर यह कहें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि जनता की ओर से गोली चलायी। आपका मतलब यह है कि वह जो 12 बोर की गन चली उससे लोगों को लगी? अब मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, जनता की ओर से तो गोली चलायी जाय, पुलिस वालों के तो गोली नही लगे और जनता को ही लगे। ऐसी कौन सी गोली है, चलायें पुलिस की तरफ और लगे जनता की तरफ, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस गोली चलाने के प्रश्न के ऊपर जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि गोली चलाई, लोगों की पीठ पर लगी। गोली चलायी बुलेट का निशान नहीं है। यह बुलेट, यह कोई थ्री नॉट थ्री नहीं है कि जिसमें थ्री नोट थ्री के निशान लगे हों। एक-एक आदमी के शरीर पर आठ आठ निशान हैं। यहां पर कई जानते होंगे, आपके अधिकारियों और बुलेट एक्स-पर्ट्स को बुला लें, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि थ्री नोट थ्री की गोली एक ही जगह लगेगी और एक ही जगह लगेगी वहीं आदमी खतम हो जायेगा। एक घुसेगी उस समय पता नहीं लगेगा लेकिन जिधर से निकलेगी उधर से पता लगेगा कि यह थ्री नाट थ्री की गोली लगी है। ये थ्री नॉट थ्री की गोलियां हैं। जिस सब-इन्सपेक्टर ने ये गोलियां चलायीं उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, वह आपने नहीं किया। वह गिरफ्तार आपने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, खैरथल में गोली चली। मैं खैरथल में गया। मैंने वहां लोगों से पूछा, खैरथल में गोली कैसे चली? बताया गया कि स्टेशन पर आग लगा दी। मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर से पूछा कि कहां आग लगाई? जगह नहीं मिली। कहने लगे कि हमारा जो लैम्प हाउस है, उसमें आग लगी। दूसरे दिन की बात कह रहा हूँ, मैं लैम्प हाउस गया। मैंने कहा, कहां आग लगाने के निशान हैं? कहा, निशान हमने मिटा दिये। मैंने कहा, मिटा क्यों दिये, अभी तो इसकी जांच होगी, कोई न कोई आफिसर इसकी जांच करेगा, आपने इसके निशान क्यों मिटा दिये? लेकिन वह निशान मिटा दिये।

इसी वक्तव्य में एक बात लिखी है कि पुलिस ने कोटपूतली में लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के पहले जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया कि पुलिस वालों ने डरते हुए दरवाजा बन्द करके अपने प्राण बचाये। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या लाठी चार्ज करने के लिए दरवाजा खोला था? न तो दरवाजा खोला, न दरवाजा बन्द किया। एक बार, जिस समय बन्द कर लिया उसके बाद पुलिस वालों ने दरवाजा उसी समय खोला जब कि पास में एक लडका पडा था और गोली से तड़प रहा था। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मुख्य मन्त्री जी, मुख्य मन्त्री के नाते इन चीजों को टॉलरेट नहीं करें, थोड़े इन्सान भी हैं, आप इन्सानियत के नाते विचार करें, एक लड़के, जिसके गोली लगी, को भीड़ उठाकर ले जाना चाहती थी। उसको नहीं ले जाने दिया। पुलिस वाले उसको पकड़ कर दूसरी ओर दरवाजे की खिड़की में से ले गये। पुलिस वालों ने बाद में वक्तव्य दिया कि तीनों लड़के हॉस्पिटल में ले जाते हुए मरे। जब कि वास्तविकता यह है कि तीनों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बच्चों की मौत थाने में ही हो गयी थी। हास्पिटल में ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, उसके पहले ही तीनों मारे गये। ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि हमारे एस. डी. एम. ने समझाया, डी. वाई. एस. पी. ने समझाया, हमारे कई लोगों ने समझाया। मुझे मालूम है, माननीय श्री राम जी ने कहा कि रामकरण सिंह भाग गया। मैं आज आपको कह सकता हूँ, श्री रामजी, ईमानदारी से बोलें, रामकरण सिंह भागा नहीं। जिस समय हवाई फायर हुआ, रामकरण सिंह छाती के बल पर थाने गया। वहां जाकर लोगों को कहा, इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। यह रिकार्ड में है कि रामकरण सिंह थाने में गये और अभी इसका समर्थन भारद्वाज जी ने किया। सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर यह दोष लगाना उचित नहीं है। रामकरण सिंह जी ने जो किया, वह वाजिब किया, बलात्कारियों का विरोध किया है, पुलिस का विरोध किया है, यह हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम राजनीतिक चापलूसी के आधार पर नहीं छोड़ सकते, न हम इस अधिकार को छोड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने घटना का जिक्र किया, क्या हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों में भी राजनीति घुस गई? सारे समाचार पत्र, चाहे पत्रिका का एडिटोरियल देख लीजिए, नवज्योति का एडिटोरियल देख लीजिए, राष्ट्रदूत का एडिटोरियल देख लीजिए, जितने भी साप्ताहिक और पाक्षिक अखबार निकलते हैं, हिन्दुस्तान के अलग-अलग जगह से. 18 समाचार पत्रों ने इस घटना को छापा है। जो आज वक्तव्य दिया है वह वक्तव्य उससे बिलकुल परे हटकर है। जो तथ्य जनता के सामने रखे हैं, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, वह बिलकुल विपरीत हैं। इसका मतलब, सभापति महोदय, जनता कहे वह बात बिलकुल गलत है, जनता के प्रतिनिधि कहें वह बात गलत है, समाचार पत्र किसी बात को छापें वह गलत है, वही बात सही होगी जो माननीय मन्त्री जी के मुंह से पुलिस वाले कहलवायें। इस हालत में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा गलत वक्तव्य देकर आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सन्दर्भ आ गया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गाजीपुरा के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया, मैं यदि थाने को सस्पैण्ड करूंगा तो पुलिस के लोग बगावत कर देंगे। उसका रिजल्ट क्या निकला? वह अखबारों में छपा, उसका आज तक खण्डन नहीं हुआ। आप जो कहेंगे वह मैं सुनूंगा, लेकिन दुर्गाप्रसाद जी चौधरी को आपने कहा, वह कोई मेरी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वह तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और अखबार के मालिक हैं, उनको कहा, मैं थाने को मुअत्तिल नहीं कर सकता। थाने को मुअत्तिल कर दूं तो बगावत हो जाय। आपने वहां मुअत्तली नहीं की और कोठपूतली काण्ड आपने देख लिया, कोटपूतली में जिस तरह से पक्ष ले रहे हैं।

कल कुचामन में दो आदमियों को पुलिस ने गोली से दाग दिया। यह गोलियों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का सिलसिला चलेगा, इस गोलियों के सिलसिले को रोको। यह न आपके हित में है, न हमारे हित में है। मैं तो कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, गोली चलाकर आप कितने दिन तक राज चलाओगे? माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, आप लोग धमकियां देकर मुझे नहीं डरा सकते। हमारे पास धमकी देने को है क्या! भाषण देने के और जनमत तैयार करने के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके पास फौज है? क्या आप फौज और पुलिस से हमें डरा सकते हैं? आप इस धोखे मे न रहें। यदि आपकी फौज और पुलिस इसी प्रकार बलात्कार करती रही, इसी प्रकार लोगों पर गोलियां चलाती रही तो कानून और व्यवस्था की हालत तो खराब होगी ही, जनता गलियों में आकर हथियार उठायेगी, इस सरकार का मुकाबला करेगी। इसमें आप किसी तरह का सन्देह मत करिये। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, यहां पर संज्ञा दी गई है, उपद्रवकारी, जिन लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया उन लोगों को संज्ञा दी गई है–उपद्रवकारी। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत उपद्रवकारी हैं, कई मरे हैं। आपने दस–दस हजार रुपये किस-किस को दिये? एक तरफ आप किसी को उपद्रवकारी मानें, वह फिर मारे जायं तो आप उनको 10 हजार रुपए दें। इन दोनों बातों का तारतम्य मेरी समझ में नहीं आया। अब आप कहेंगे, दया आ रही थी क्योंकि तीन बच्चे मर गये। बूढ़े मरते तो नहीं देते शायद। दया आ गई इसलिये बच्चों के लिए आपने पैसा दे दिया। आज जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें उसके बजाय, सभापति महोदय, मरने वालों को संज्ञा दी जा रही है–उपद्रवकारी, उपद्रवी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किस जगह जाकर अपनी व्यवस्था करना चाहती है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि गाड़ियों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उनमें आग लगाई गई। यह यह घटना क्यों हुई, दो मिनट में मैं बताना चाहूंगा। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, मैं मानता हूँ, उत्तेजनात्मक वातावरण था। यह जो बात गढ़ी गई है कि बलात्कारियों को हमको दो, यह तो बाद का किस्सा है। इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा, उन्हीं अधिकारियों में से कुछ लोगों ने कहा, हमने डर से गोलियां चलाई, डर से हमारे हाथ पांव फूल गये थे, हमें कोई रास्ता नही दिखता था। अब, सभापति महोदय, जिस समय थाने को आग लगाई या ट्रक के आग लगाई उस समय आपने गोली क्यों नहीं चलाई? जिस समय गाड़ियां जलाई जा रही थीं, उस समय गोली क्यों नहीं चलाई? उस समय आपने गोली चलाई जब भीड़ जा रही थी। भीड़ में से कुछ आदमी नारे लगा रहे थे, उस समय गोली चलाई। उस समय गोली चलाने का परिणाम यह है कि

(5.42 म. प.)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पर्दासीन)

मुख्य मंत्री जी, सारी इन्जरी रिपोर्ट मंगाकर देख लें, पीठ के ऊपर कितने लोगों के निशान हैं और सामने कितने लोगों के निशान हैं। उन निशानों के आधार पर क्या आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि लोगों ने निश्चित रूप से थाने का सामना किया और सामने पड़े थे उन लोगों को गोलियों से दागा गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस समय गोली नहीं चलाई गई, भागते हुए गोली चलाई। सब इन्सपेक्टर की बंदूक से मरे हो सकते हैं, एक-दो थ्री नॉट थ्री से मरे हैं, मैंने उस समय सारी स्थिति नहीं देखी, न गवर्नमेंट ने बंदूकें बरामद कीं, न अंगूठी बरामद करने का जिक्र किया गया, न अंगूठी लूटने का ऑफेन्स लगाया गया। ऐसी स्थिति में यदि सरकार यह कह कर चले कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि सरकार उचित काम नहीं कर रही है।

अब, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आता है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने टर्म्स ऑफ रेफरेन्स पढ़ कर सुनायीं। वहां की जनता की मांग क्या थी, इस घटना के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको बदला जाय। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, बदलने के लिये नहीं कहता मैं तो कहता हूं, जिस थानेदार ने गोली चलाई उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाय और उसको गिरफ्तार किया जाय। आज कोटपूतली में हालत क्या है ? कोटपूतली में कोई लोग थाने में नहीं जाते। चोरियां हो रही हैं, थाने में रिपोर्ट कराने नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि स्टाफ वही का वही वहां बैठा हैं। उस स्टाफ में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, पुलिस वालों में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मांग यह की थी कि उनको हटाओ जिन लोगों ने गलत ढंग से गोली चलाने का दोष किया है, उन दोषियों को गिरफ्तार करो और उनका चालान करो। आज मुझे पहली बार सुनने का मौका मिला, सरकार यह कह रही है, वह तो मॉब थी, मॉब ने थाने को घेर लिया था। मैं, मुख्य मन्त्री जी, आपको कोटपूतली लेकर चलना चाहता हूँ, मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए, मुझे यह बता दें, क्या थाने का घेराव हो सकता है। घेराव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, रामकरणसिंह जी थाने में गये। उनको कहा, दरवाजे से मत आओ, पीछे के दरवाजे से आ जाओ। पीछे के दरवाजे से कॉन्सटेबल उनको लेकर गया, डी वाई. एस. पी. से उनकी बातचीत कराई। घेराव का सवाल कहां पैदा होता है ? घेराव का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और आप कहते हैं, मॉब ने घेराव कर लिया और पुलिस वाले गोली नहीं चलाते तो मर जाते। मैं आज कहता हूँ, वहां जो दो जीपें और गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, क्या मालूम, आपकी कितने साल से जब्त की हुई पड़ी थीं, टायर कौन ले गया, स्टीयरिंग निकालकर कौन ले गया; उसका सामान कहां चला गया। वह सारे सबूत गायब करने के लिए पुलिस ने उनमें आग लगाई। पुलिस ने आग लगाने के साथ इतना भी काम किया कि टायर जलाकर थाने में आग लगाने की बात कर दी। यह बात तो 6

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बजे बाद में पैदा हुई । मैं साढ़े छः बजे थाने पर था । मैंने थाने के लोगों से पूछा, वह जगह बताओ जहां थाने पर आग लगाने की कोशिश की हो । अध्यक्ष महोदय, विश्वास करें, कोई राजनीति नहीं है, निश्चित बात है, उस समय थाने में किसी प्रकार के आग लगाने के निशान नहीं थे । उस समय केवल एक बात आई थी, 2 गाड़ियां वहां पड़ी थीं । कहा कि इस गाडी को जलाया । उस गाड़ी में जलने को कुछ था ही नहीं इसलिए जली । बाकी कोई चीजें नही छोड़ीं फिर क्या जलाया जाता । ट्रक क्यों जला ? इसलिए जला, अध्यक्ष महोदय, कि कोई कठिनाई पैदा नहीं हो । ट्रक में जो आदमी गये थे, इस आशा से गये थे कि हम थाने में जाकर इस स्थिति को कण्ट्रोल करेंगे । ज्यों ही ट्रक से पुलिस उतरी, उस पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारे लगाये । नारे लगाना बिलकुल वाजिब था । उन्होंने जाते वक्त 2–3 आदमियों को पकड़ कर थाने की ओर घसीट लिया । चार आदमी थे उनमें से लक्ष्मीनारायण नाम के व्यक्ति को, अध्यक्ष महोदय, थाने में ले जाकर बुरी तरह से मारा गया । जब वह अन्दर से चिल्लाया तो भीड़ में उत्तेजना पैदा हुई । भीड़ ने कहा इसको छोड़ो । कहने लगे, हम नहीं छोड़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा नहीं लेकिन उस आदमी को कहते हैं कि दीवार से नीचे पटका, तो आप अन्दाज लगा लें एक आदमी को मारा, दूसरे आदमी को मारा, भीड़ में उत्तेजना होना स्वाभाविक है । उस उत्तेजना को पैदा करने का कारण कौन था ? क्यों उत्तेजना पैदा की ? मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बातों का एक पुलन्दा माननीय मन्त्री महोदय ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है ।

(व्यवधान)

मैं एक मिनट में उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह जुडिशियल इन्क्वायरी की आपने घोषणा की है आपने उसके रेफरेन्स में यह लिख दिया कि यह मॉब थी, उस मॉब के ऊपर गोली चलाने की व्यवस्था की है, थाने को घेर लिया । यह तथ्य सही नहीं है । यदि इसकी इन्क्वायरी आज कराना चाहते हैं तो इन्क्वायरी कराने से पहले जिन लोगों ने अपराध किये हैं, उन अपराधियों के सम्बन्ध में केस रजिस्टर किये जाय, उनको गिरफ्तार किया जाय । जैसे रामकरणसिंह को गिरफ्तार किया, इन्क्वायरी के होते हुए गिरफ्तार किया, उसी तरह से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय । लेकिन अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बलात्कारियों के संबंध में क्या हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, जैसे उल्लेख करना नहीं चाहते । इन्हें इतना संकोच हुआ है, उनका नाम भी इस स्टेटमेन्ट में मेन्शन नहीं किया । राम–करणसिंह का नाम तो ले लिया लेकिन बलात्कारियों का नाम लिखने में माननीय मन्त्री महोदय को बड़ा संकोच हुआ है ...

श्री नाथूसिंह : शर्म आती है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूँ, आपको शर्म आये या नहीं आये, लेकिन यह जिम्मेदारी आप लेकर चलें, आज कोई भी राज्य सरकार हो, कभी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चन्दनमलजी मुख्य मन्त्री बन जायेंगे, कभी और कोई मुख्य मन्त्री बनेंगे । मैं नहीं कहता कि पुलिस में कोई ईमानदार नहीं है। पुलिस में ईमानदार भी हैं, इसका मतलब यह नहीं लिया जाय कि सारी पुलिस इन टोटेलिटी बेईमान हो गई। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस के दोषी आदमी हैं उनको यदि आपने प्रोटेक्शन दिया तो पुलिस में जो बचे हुए ईमानदार हैं वह भी काइम करने के लिये प्रेरित होंगे। आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप उन ईमानदार पुलिस वालों को बचा नहीं रहे हैं बल्कि उनको इन्स्टीगेट कर रहे हैं, तुम बलात्कार करो, गोलियां चलाओ, किसी भी प्रकार का तुम अपराध करो, सरकार शिवचरण माथुर की है, हमारे पास आ जाना, हम तुम को बचा लेंगे। अगर यह प्रवृत्ति आपने पैदा की तो उचित नहीं होगा।

मैं अन्त में, अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन टर्म आफ रेफरेन्स के ऊपर आपने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है उसको वापस लीजिये। जो आदमी दोषी हैं गोलियां चलाने के लिए उनको गिरफ्तार करायें और गिरफ्तार कर सीधे थाने में उनका चालान करायें।

आप यहां पर यह कहते हैं कि खैरथल में गोली चल गई। मुझे पुलिस वालों ने बताया, अध्यक्ष महोदय, रेल के नीचे डिटोनेटर था। उसकी आवाज ठक जोर से आई, तो मैंने कहा कि भाई वह डिटोनेटर की आवाज और यह भीड़, इन दोनों का काम्बिनेशन कैसे बैठा? यह टाइम का एडजस्टमेन्ट कैसे हुआ कि भीड़ जिस समय उपद्रव करेगी उस समय डिटोनेटर वहां से चलेगा और उसकी आवाज वहां से आयेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मरने वालों की हालत देख लें, मरने वालों का फोटो देख लें, तो आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि निर-अपराध बालकों, जो न किसी के बहकाने में आये, न और आये, की कैसी स्थिति है। चाहे मुख्य मन्त्री जी का भाषण हो, सबसे पहले आगे आकर बैठेंगे, मेरा भाषण हो सबसे पहले आगे आकर बैठेंगे, चाहे गांव में कोई तमाशा हो तो सबसे पहले आगे आकर बैठेंगे। तो आज कोई यह समझे कि बालक दोषी हैं, इनको गोली से उड़ा दिया जाय, तो बालक जाति के प्रति एक अन्याय होगा। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह कोई राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना है। सुधार लाना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें पुलिस कर्मचारी किसी भी प्रकार का दोष करने के बाद में बचन हीं सकें, इसको आप राजनैतिक आधार पर न सोच कर मानवीय आधार पर सोचें। शिवचरण माथुर मुख्य मन्त्री के रूप में नहीं शिवचरण माथुर मांडलगढ़ के विधायक हैं, इस आधार पर चिन्तन करके इस सारे मामले को ठीक प्रकार से चलाने की व्यवस्था करें।

मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोटपूतली

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का काण्ड और जो दुर्घटना हुई उसको दो हिस्सों में अपन को बांटना पड़ेगा। एक बलात्कारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और पुलिस ने किन हालात के अन्दर फायरिंग किया? सर्वप्रथम जैसा कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने और जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि बलात्कार की घटना हुई, इसका मुझे भी खेद है, सरकार को भी खेद है।

अब प्रश्न यह आता है कि बलात्कारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई, और कार्यवाही की गई तो समुचित कार्यवाही की गई या नहीं की गई या उसमें कहीं गफलत बरत दी गई या उनको बचाने की नियत से कोई कार्यवाही की गई। नम्बर एक। उसके बाद आगे का सीक्वेन्स चलेगा। श्रीमान्, मैं आपके समक्ष यहां जो तमाम घटना हुई है उसका विवरण देना चाहूँगा।

श्रीमान्, सर्वप्रथम यह रिपोर्ट सवा 6 बजे एफ. आई. आर. लॉज की गई कोटपूतली थाने के अन्दर, लिखित में रिपोर्ट हुई, श्रीमान्! मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि "बलात्कार" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया और कहा गया कि "बेइज्जती की गई" बचाने की नीयत से ...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आपने 354 का मामला बना दिया।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की व्यवस्था कर दें, कृपया बीच में कोई नहीं बोलें। जितने भी प्रश्न पूछने हों पूछ लें। मैं उनका एक-एक का जवाब दूंगा लेकिन बीच में नहीं।

श्री अध्यक्ष: बीच में बोलने की इजाजत नहीं दी जायगी। आर्डर, आर्डर!

श्री प्रद्युम्न सिंह: अगर व्यवधान डालकर आप कहने से रोकेंगे तो मैं इसको उचित नहीं समझ सकता और लोकतन्त्र की परम्पराओं के अनुकूल भी नहीं है। श्रीमान्, अगर मैं कहीं गलत बयानी करूं तो ...

श्री यदुनाथ सिंह: गोली चला देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अगर कहीं गलत बयानी करूं तो आप कह सकते हैं कि गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप गलत बयानी कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एफ. आई. आर., जो रिपोर्ट है उसको आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहूँगा। रात्रि 24-25/1/1984 को 3 बजे एक औरत रात को, जिसका नाम गायत्री देवी पिता बंसीधर, चौकड़ायत मोहल्ला, सराय कोटपूतली अपने घर से निकल कर ससुराल जाने को कह रही थी, इस औरत को बाजार में चौकीदार वह पुलिस के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दो कर्मचारी तैनात ड्यूटी पर थे, ने रोका और पूछा कि इतनी रात्रि को कहां जा रही है। उस औरत, जिसका नाम गायत्री देवी है ने कहा कि मैं ससुराल जा रही हूं। मेरे पति की तबीयत खराब है। पुलिस के दो कर्मचारियों ने उसको समझा कर घर जाने को कहा और उसके साथ चली गई। करीब 4 बजे रात्रि को गायत्री देवी पुत्री वंसीधर चौकड़ायत की लड़की वापस बाजार में चौकीदार के पास आई और रोने लगी। जो पुलिस वाले छोड़ने को गये वह मेरी दो अंगूठी लेकर भाग गए, और मेरी बेइज्जती की। चौकीदार घबरा गया। दुकानदार दर्जी गोपाल छीपी वहां पर मौजूद था। गोपाल मेरे पास पहुंचा घर पर करीब सवा 4 बजे।

मैं, किशोरीलाल शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा, मोहल्ला वासड़ी, कोटपूतला मोके पर पहुंचा, वहां पर गायत्री देवी व चौकीदार, गोपाल छीपी व हम थाने में लेकर गायत्री को पहुंचे। थाना इन्चार्ज से प्रार्थना कर पुलिस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहे।

अब जो यह बात कह रहे हैं "बलात्कार" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मैंने अपने स्टेटमेन्ट के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वही बात कही जो एफ. आई. आर. में बेस थी, उसी से चलेंगे। अब आगे चलता हूं, श्रीमान् एफ. आई. आर. की बात आगे चलती है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे चलने से पहले....

श्री प्रद्युम्न सिंह : भैरोंसिंह जी, आप नोट कर लें। आप एक एक सवाल पूछ लेना। मैंने आपके प्रश्न नोट कर लिये हैं। आप जितने भी सवाल पूछेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. का एक कायदा है कि अगर रिपोर्ट होती है तो सीधी एफ. आई. आर. में दर्ज होती है। थाने पर जाकर यह इन्सिस्ट करना कि अलग कागज पर लिख कर देओ, यह कौन सी व्यवस्था है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उन्होंने लिखकर दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थाने में लिखाई गई रिपोर्ट ..

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक एक बात सुन लें।

कार्यवाही पुलिस। प्रसंगित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बाबत हिन्दी श्री किशोरीलाल पुत्र मुन्नालाल शर्मा उम्र 33 साल निवासी कोटपूतली ने मय गोपाल गगनसिंह चौकीदार के हाजिर थाना होकर पेश की। मजमून रिपोर्ट व हमरा आई मुसम्मात गायत्री देवी पुत्री वंशीधर चौपड़ायत मजीद, दरियाफ्त पर दो अंगूठी सिपाहियों द्वारा छीनना व उसके साथ दोनों द्वारा बुरा काम करना बताया है। बुरे काम के लिए पूछे जाने कुछ नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बताया, चुप रहती है, बुरा काम क्या किया स्पष्ट नहीं बताती । फिर भी रिपोर्ट बमजीद दरियाफ्त जुर्म 376...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष, महोदय, सारा केस खाली कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, पहले कृपया स्थान ग्रहण करें । जो पुलिस के कागजात में लिखा है वह पढ़ रहे हैं । आवेश में आने की क्या बात है । अगर गलत पढ़ रहे हों तो मुझे बता दीजिये ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । बैठ जायं, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एफ. आई. आर. कब दर्ज हुई और सिपाहियों को कब पकड़ा गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सब बता दूंगा अगर आप सुनने का कष्ट करें तो । मैं आपको एक एक बात का ब्यौरा दे दूंगा । कृपया सुनें तो ।

(व्यवधान)

अगर, अध्यक्ष महोदय, खाली शोर मचाकर यह बात नहीं कहने दें तो अनुचित बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायं ।

एक माननीय सदस्य : इसमें शोर की क्या बात है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य । अंकित न हों ।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब इस पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे किसी ने बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं की । अब मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं तो उनको यह पूरी छूट होनी चाहिए, वह अपनी तरफ से जिस ढंग से भी बात कहना चाहें वह अपनी बात कहें ।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । वह अपनी बात कहें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा 376...

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । तो मैं चर्चा समाप्त करता हूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी क्यों नहीं बोलते । हैं ऐसे मामले में ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस पर

XXX : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया.

(श्री अध्यक्ष)

चर्चा नहीं होगी। अगर उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं चर्चा समाप्त करता हूँ। माननीय सदस्य, यह वाद-विवाद का तरीका नहीं है कि माननीय मन्त्रीजी अपनी बात कह रहे हों उसमें उठ-उठ कर के माननीय सदस्य बाधा पैदा करें।

मन्त्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पुलिस के मन में बददयानती होती...

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह पुलिस को सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर्टिफिकेट नहीं। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, न कभी देने का इरादा है और न कभी दूंगा। जो सही बात है वह सदन के समक्ष रख रहा हूँ, श्रीमान्।

सुश्री पुष्पा जैन : आप जो कह रहे हैं वह सब सही है और बाकी सारा जमाना झूठा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं चर्चा समाप्त करता हूं मजबूर होकर।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य उत्सुक नहीं है जवाब सुनने को तो मैं चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुनने को तैयार हैं लेकिन—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके पक्ष की बात होनी चाहिए वह सुन लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पक्ष की नहीं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। तो आने दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बलात्कार तो होता रहा——

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुनने की क्षमता क्यों नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दफा 376...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

XXX : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया.

एक माननीय सदस्य : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गुमराह करने की बात नहीं है; अपने तरीके से बात कहने का इनको अधिकार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दफा 376, 379....

श्री अध्यक्ष : आप इतने विस्तार में क्यों जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय 376 में केस कायम हुआ। अध्यक्ष महोदय, साढ़े सात बजे उनको गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : किसको ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों कान्स्टेबलों को। अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार करके बन्द किया। कान्स्टेबल रामावतार और कान्स्टेबल राजेन्द्रसिंह।

श्री नाथू सिंह : धारा कौनसील गाई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार किया, साढ़े सात बजे बन्द किया। अध्यक्ष महोदय, सवा छः बजे रिपोर्ट हुई मोरनिंग में, साढ़े सात बजे सबको गिरफ्तार करके बन्द किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक घण्टे बाद ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सवा घण्टे बाद।

श्री अध्यक्ष : आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जो आसन के माध्यम से पूछे जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको देख रहा हूँ श्रीमन्, मेरी नजरें निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब यह जो सवा घण्टे का वक्त निकला उनको गिरफ्तार करने में उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप वकील हैं ...

सुश्री पुष्पा जैन : आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिये, सही बात बताइये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यह बीच में इण्ट्रप्ट करें तो क्या करूं। सवा घण्टे के अन्दर जो यह लेप्स के लिये कह रहे हैं जिसमें इन्होंने....

श्री यदुनाथ सिंह : अंगूठियों के बारे में जो रिपोर्ट करी उसकी कोई धारा नहीं लगाई। बलात्कार की बात आप खुद कह रहे हैं कि नहीं की....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मन्त्री महोदय, आप आसन की ओर उन्मुख हों।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेता।

अध्यक्ष महोदय, एक एप्रिहेन्शन जो आपने कहा, विरोधी पक्ष नेता ने, डाक्टरी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुग्रायना नहीं कराया, देरी से कराया, कपड़े सील नहीं किये, मतलब उनको एविडेन्स डिस्टर्ब करने का मौका दे दिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, दे दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, डाक्टरी मुग्रायना हुआ, गायत्री देवी का साढ़े दस बजे, पहले कान्स्टेबल का हुआ रामावतार का साढ़े ग्यारह बजे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां हुआ? थाने में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोटपूतली हास्पिटल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भीड़ बहुत थी, आदमी निकलने का सवाल कहां से आया...

श्री यदुनाथ सिंह : कैसे चले गये हास्पिटल में, जब थाना चारों ओर से घिरा हुआ था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आसन ने यह व्यवस्था दे दी थी प्रारम्भ में ही कि इसके जो विचारणीय बिन्दु हैं, जुडिशियल इन्क्वायरी के सामने आयेंगे उन पर विस्तार में नहीं जायेंगे। आप अपना उत्तर दो-तीन मिनट में समाप्त कीजियेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं, कहीं बचाने की मंशा नहीं थी, रिपोर्ट पाजीटिव आई। श्रीमन्, ये कहते हैं, कपड़े गायब कर दिये। कपड़े सील नहीं किये, यह पाजीटिव रिपोर्ट कहां से आती। अण्डरवियर की पोजीटिव रिपोर्ट आई।

(व्यवधान)

पेटीकोट के ऊपर पाजिटिव रिपोर्ट आई। फिर सदन में गुमराह करने के लिये..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। पुलिस कांस्टेबल के कपड़ों की क्या रिपोर्ट आई है ? यह बताइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर बचने की मंशा होती तो पोजीटिव रिपोर्ट कहां से आती ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर जो भूमिका बांधकर भाषण दिये जा रहे थे, वह सारे, अध्यक्ष महोदय, भाषण इसलिये दिये जा रहे थे कि अपने कारनामों को छिपाना चाहते हैं। इनके लोगों ने

(व्यवधान)

बच्चों को मारने वाले ये लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूल क्यों बन्द करवाये ? हैडमास्टर की एफ. आई. आर. पढ़कर सुनाऊं आपको....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई।

आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथसिंह : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। चर्चा समाप्त हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आपकी शिकायत क्या है? आपकी जो भी मुख्य शिकायत हो वह आप में से एक माननीय सदस्य खड़े होकर मुझे बता दें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य शिकायत यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जितना प्रोटेक्शन दोषी लोगों को दिया है उससे हमें भय है कि राजस्थान में इस प्रकार से दोषी व्यक्ति न्याय को ताक में रख कर जनता के साथ अन्याय करेंगे। आज का जो वक्तव्य है जब तक यह वक्तव्य रिकार्ड में रहता है उस समय तक अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, महिलाओं की इज्जत लूटी जायगी, गोलियां चलेंगी और जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिये हमारी मांग है कि जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने दिया उसको विथड्रा करें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : यह बिलकुल गलत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिलकुल सही है। यह क्या बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं है?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह बिलकुल सही है। यह बिलकुल सही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर। कृपया बैठ जाय, माननीय सदस्य। कृपया नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। सदन के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्टेटमेंट विथड्रा किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। जब विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे थे तो सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने शान्तिपूर्वक सुना....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सरकार बोल रही है। हम विपक्ष के हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दुलाराम : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो XXX

श्री दुला राम : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदेरणा कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दुलाराम : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जाय।

श्री दुलाराम : XXX, मैंने नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : इस सर्वोच्च सदन में पिछले 32 सालों से यह सर्व मान्य परम्परा रही है कि सदन के नेता और प्रति पक्ष के नेता जब बोलते हों तो किसी तरह का व्यवधान उनकी अभिव्यक्ति में नहीं डाला जाय, चाहे वह कुछ भी बोलें ...

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : XXX सुनना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता बोलते हों तो उनके प्रति इस प्रकार की अवमानना का दृष्टिकोण भी रखना, मैं समझता हूं, बहुत गलत परम्परा होगी। मैं सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सदन के नेता किसी विषय पर सदन के सामने कुछ कहना चाहते हैं तो उनको ध्यानपूर्वक और शान्तिपूर्वक सुनें।

एक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : XXX

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

XXX शब्द / अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : पहले नेता महोदय बोलें, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में विपक्ष के नेता को सुनेंगे....

श्री सूर्यकुमार : हम नहीं सुनेंगे ।

श्री दुलाराम : जो XXX इन्होंने किया इसको बन्द करें । इस तरह से XXX और नेता महोदय को सुनें नहीं, हम इनके नेता को सुनते रहे, यह कहां का इन्साफ है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री दुलाराम : मैं सबका चैप्टर जानता हूँ, चैप्टर यह रहा . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन में माफी मांगो । XXX

श्री दुलाराम : माननीय विपक्ष के नेता महोदय को भी जानता हूँ, सबके चिट्ठे हैं XXX

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दुलाराम : पहले सदन के नेता बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण कीजिए ।

सदन की कार्यवाही में बराबर व्यवधान डाला जा रहा है इसलिए इस गतिरोध को दूर करने के लिये मैं पक्ष और विपक्ष के नेताओं को चैम्बर में आमंत्रित करता हूँ और सदन की कार्यवाही आधा घण्टा के लिये स्थगित करता हूं !

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.28 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

सदन की कार्यवाही पुन: सायं 6-59 बजे प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए पुन: स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.00 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

सदन की कार्यवाही पुन: सायं 7.15 बजे प्रारम्भ हुई

XXX शब्द / अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता खड़े हुए हैं और माननीय सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं। सदन के नेता बोलना चाहते हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आप गलत परम्परा मत डालिये। आप व्यवधान मत डालिये। बाद में जो कुछ भी आप कहना चाहें कहें, पहले आप इनकी सुन लीजिए। उसके बाद में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सदन के नेता से पहले....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हम कभी भी व्यवधान नहीं डालते जब आप बोलते हैं। आप सदन के नेता को बोलने नहीं देना चाहते। अगर आप इनको नहीं बोलने देंगे तो आपको भी नहीं बोलने देंगे। अगर आप इनको नहीं बोलने देंगे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पहले सदन के नेता महोदय बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय....

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं चेम्बर में गया था....

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंगचा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के राज में बारां गोली काण्ड हुआ था, भैरोंसिहजी ने बच्चे मरवा दिए..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायं। आर्डर प्लीज! बैठ जायं। सदन के नेता महोदय।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंगचा : जनता पार्टी के राज में बारां गोली काण्ड हुआ था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन के पास अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि करीब पौन घण्टे से अधिक समय से सदन में अव्यवस्था फैल रही है इसलिए नियमों के अन्दर कार्यवाही की जायगी। माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि हमारी सभा के संचालन के नियम अनुशासन के मामले में काफी कठोर हैं। मुझे दुख होता है कि उनके अन्तर्गत मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

मैं सदन के नेता महोदय को अनुमति दे रहा हूं कि वे कोटपूतली फायरिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं वह कहें। जो माननीय सदस्य उसमें बाधा पैदा करेंगे, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसके सम्बन्ध में नियमानुसार मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो कीजिए ।

एक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अब माननीय सदस्य, जो आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा, उनको नाम से सम्बोधित करूंगा और तत्पश्चात् कार्यवाही करूंगा ।

श्री छीतरलाल आर्य : XXX बर्दाश्त नहीं किया जायगा....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : XXX को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : जो अनधिकृत रूप से कुछ माननीय सदस्य भाषण देना चाहते हैं वह अंकित नहीं होगा । आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी । आर्डर प्लीज । श्री दाऊदयाल जोशी आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं । श्री दाऊदयाल जोशी ...

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री की हम नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

(श्री दाऊदयाल जोशी का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

(श्री अनंगकुमार जैन का बहिर्गमन)

श्री नन्दलाल मीणा, माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

(श्री नन्दलाल मीणा का बहिर्गमन)

श्री छीतरलाल आर्य ।

(श्री छीतरलाल आर्य का बहिर्गमन)

श्री यदुनाथ सिंह : सबको ही एक साथ निकाल दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद ।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन का बहिर्गमन)

श्री यदुनाथ सिंह : आप विपक्ष के नेता को निकाल दीजिए, सभी निकल जायेंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आर्डर। श्री राम किशोर मीणा।

(श्री राम किशोर मीणा का बहिर्गमन)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय को भी निकाल दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। श्री त्रिलोक सिंह। श्री मालाराम। श्री देवी सिंह। श्री जीतमल जैन।

(सर्व श्री यदुनाथ सिंह, त्रिलोक सिंह, मालाराम, देवी सिंह व जीतमल जैन का बहिर्गमन)

अब मैं नाम से पुकार रहा हूँ। जो माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं उनके निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्य। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य। शांति बनाए रखें। मैं नाम से संबोधित करूंगा। माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें, बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों का बहिर्गमन)

कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें।

मुख्य मन्त्री जी यदि इस पर कुछ कहना चाहें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली की घटना को लेकर यहां विरोधी सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे, उनके लिये सरकार की ओर से एक वक्तव्य देने का आपने आदेश प्रदान किया था। सरकार ने उस घटना के संबंध में तथ्यात्मक वक्तव्य यहां पर आज पेश किया। उसके पहले, अध्यक्ष महोदय, आपने उस सारे वाद विवाद पर लगातार साढ़े चार घण्टे तक यद्यपि नियमों में प्रावधान नहीं है, लेकिन उनको भी शिथिल करके आपने उदारतापूर्वक इस सारी घटना के संबंध में चर्चा की स्वीकृति दी थी और जितने भी विरोध पक्ष के बोलने वाले माननीय सदस्य थे, उन सब को बोलने की अनुमति दी थी। हमने बहुत शांति से और गंभीरता से उन सबकी बातों को सुना। जब माननीय मन्त्री महोदय उनका जवाब देने के लिये खड़े हुए तो कई तरह के व्यवधान उपस्थित किये गये।

आपने देखा होगा कि जो वक्तव्य आपके सामने यहां पर आया उसमें तथ्य इतने स्पष्ट थे, उनसे बहुत साफ जाहिर होता था कि सरकार ने बहुत जल्दी,

(श्री शिवचरण माथुर)

तुरन्त, जो कुछ भी कार्यवाही करनी थी, तत्परता से की। वहीं पर भी किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाने का या शील्ड करने का सवाल नहीं था। विरोध पक्ष के नेता यहां पर एक बात को लेकर बहुत बड़ा खेद प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, मेडिकल एग्जामिनेशन कब हुआ, कैसे हुआ और उसकी सारी एवीडेंसेज को सरकार ने डेस्ट्राय करने का प्रयत्न किया है। माननीय मन्त्री महोदय ने खास तौर से मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कही। मेरी समझ में उनके पास कोई आधार नहीं था जिससे कि वह विरोध करते। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घटना के ठीक 8 घण्टे के बाद, जानकारी मिली, हमने जुडिशियल इन्क्वायरी मुकर्रर की। घटना के कुछ घंटे के बाद ही दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई और उनके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही शुरू हो गई लेकिन यह बात साफ है कि घटना का जहां तक ताल्लुक है उसके तथ्य बिलकुल स्पष्ट थे। सरकार ने किसी भी व्यक्ति को बचाने की या शील्ड करने की कार्यवाही नहीं की। लेकिन विरोध पक्ष के लोग इससे सन्तुष्ट नहीं होते। उनका निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, मंतव्य कुछ और था। आज सारे ट्रबल क्रियेटर्स को असिस्ट करने की नीति है सारे देश के स्तर पर, इसी तरह से स्थिति का नाजायज फायदा उठा कर उन्होंने न केवल कोटपूतली में बल्कि सारे अलवर जिले में और उसके साथ पड़ोसी भरतपुर जिले में भी एक जबरदस्त आग लगाने की कोशिश की। मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की कतई मंशा नहीं है कि किसी को हम बचायें। पुलिस के कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी यदि गलती करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा देने वाली बात हम करना चाहते हैं। लेकिन कानून किसी को यह इजाजत नहीं देता कि अगर किसी ने जुर्म भी किया है तो कानून के जरिये से ही सजा दी जाती है। जुर्म करने वाले आदमी को भी सरकार कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक भीड़ को उसे सौंप दे, उसे मारने की इजाजत दे दे। मैं समझता हूं कि कानून के अन्तर्गत जो भी वांछित कार्यवाही थी, वह सरकार ने की है। कहीं पर भी कोटपूतली की घटना में ऐसा नहीं लगता। मेरे पास अभी अखबार की कटिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी अखबारों में जो बातें छपी हैं, उसमें इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि पुलिस थाने में आग लगी हुई, मोटर गाड़ियों को जलाया गया। बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई और ऐसी स्थिति बन गई थी। जो उसका परिणाम सामने आया, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो जुडिशियल इन्क्वायरी वहां पर मुकर्रर की है, नियुक्त की है, उसमें सारे विरोध पक्ष के नेता या माननीय सदस्य जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह जुडिशियल इन्क्वायरी कमीशन के सामने कह सकते हैं। कौन उनको रोकता है ? लेकिन यह बात कहना कि जो बात वे कहें उसको सत्ता पक्ष उनकी जबान में कहे, यह कभी

(श्री शिवचरण माथुर)

भी नहीं हो सकता। प्रजातन्त्र का यह मतलब कभी भी नहीं होता कि विरोध पक्ष चाहे जो आरोप लगावे और सत्ता पक्ष वाजिब तौर से उसका जवाब देना चाहे तो उसका जवाब भी नहीं देने दे। क्या यह प्रजातन्त्र है? सत्ता पक्ष विरोध पक्ष की बात को शांति से सुने, जो कुछ भी झूठे, असत्य, अनर्गल यहां पर आरोप लगावें सरकार पर उसको हम सुनते रहें शांति से और जब हमारे बोलने का मौका आये तो विरोध पक्ष हमको सुने नहीं। अध्यक्ष महोदय, यही बात पिछले वर्ष भी हुई थी। मुझे खेद है कि पिछले वर्ष भी यह घटना हुई थी। पिछले वर्ष भी मुझे स्मरण है अच्छी तरह से कि जब राज का उत्तर देने का सवाल आया तो इसी प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की गई। इसका मतलब यही हुआ कि आप तो चाहे कुछ भी कहते रहें, गवर्नमेंट को डोक में खड़ा कर दें। जब गवर्नमेंट की बारी आये जवाब देने की तब आपकी सुनने की तैयारी नहीं हो। यह कहां का प्रजातन्त्र है?

श्री अध्यक्ष : इससे तो उनके पक्ष की कमजोरी लगती है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो साफ है।

(व्यवधान)

इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का प्रजातन्त्र में विश्वास है। सही मायने में प्रजातन्त्र को लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। यह लोग तो प्रजातन्त्र के दुश्मन हैं। यह तो देश का सौभाग्य है कि सत्ता कांग्रेस के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ जाय तो यह देश का दुर्भाग्य होगा और पहले जैसी स्थिति होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमने देश की आजादी के बाद में प्रजातंत्र को कायम किया है। प्रजातंत्र को लगातार चलाने की, उसको और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ, इस सदन की हमेशा से परम्परा रही है, हमने हमेशा सदन को शांति से चलाने की एक परम्परा डाली है। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में हमने यह कोशिश की कि इस सत्र को चाहे कितना ही लम्बा चलाना पड़े, लेकिन बहुत तसल्ली से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को सरकार को क्रिटिसाइज करने का मौका दिया जाना चाहिये। सरकार के ओमीशन और कमीशन के बारे में जो भी वे महसूस करते हों, अगर राजनैतिक दृष्टि से भी महसूस करते हों, वे भी कहें। इसका मतलब यह नहीं है कि वे तो कुछ भी कह जाये, राजस्थान कैनाल के बारे में पचास बातें वे कह जायं और माननीय मंत्री जी को मौका नहीं दिया जाय। मेरे बारे में, सरकार के बारे में पचास तरह की बातें कहें और जब मेरे कहने का सवाल आये, सत्तापक्ष की ओर से उत्तर देने का सवाल आये, तो वे यहां पर बैठे नहीं। यह कौन सा प्रजातंत्र है? यह कौन से प्रजातंत्र की परम्परा वे

(190)

(श्री शिवचरण माथुर)

डालना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं कोई रोष में बात नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र चलता है परम्पराओं से। यदि अच्छी परम्पराएं आप डालेंगे तो प्रजातंत्र की नींव गहरी होगी। यदि बुरी परम्पराएं डालने की आपने शुरुआत कर दी तो जाहिर बात है कि बाहर हमारे देश की जनता यह कहेगी कि प्रजातंत्र को कुछ लोग खतम करना चाहते हैं। कम से कम वह दायित्व, यह जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते है। हम हर हालत पर प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं। हम इस प्रजातन्त्र में अच्छी परम्पराओं को नींव डालना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी भावना से मैं चाहूंगा, मैं एक बार फिर से विरोधी पक्ष को कहूंगा कि जो कुछ परम्पराएं हमारी आज तक सदन की रही हैं, उन परम्परा को ध्यान में रख कर जो रुख उन्होंने अपनाया है, उस रुख को वे छोड़े। सरकार के खिलाफ जो बात कहनी हो वह सदन में कहें। इसकी आजादी है उनको लेकिन एक प्रजातांत्रिक ढंग से और इस सदन के जो नियम हैं, जो सर्व मान्य नियम हैं, जिनके अन्तर्गत सबको चलना चाहिए, उन नियमों के अन्तर्गत वे अपनी बात कहें। हमारी बात को सुनें। यही बात, अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करनी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो दो-चार बातें मुझे और निवेदन करनी थी क्योंकि अधूरी बात रह गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने यहां पर एक बालू रेत के ऊपर महल बनाने की चेष्टा की। उन्होंने इस बात को जताने की कोशिश की थी कि पुलिस कर्मियों को बचाने की वहां के अधिकारियों ने, पुलिस ने चेष्टा की, और चूंकि उनको बचाने की चेष्टा की इसलिये जनता वहां विरोध करने गयी, प्रदर्शन करने गयी और उस प्रदर्शन करती जनता के ऊपर पुलिस वालों ने गोली चला दी, यह उनका कहना था। जैसे ही मैंने इस बात को, अपनी पूर्व बात को दो भागों में विभक्त किया, अध्यक्ष महोदय, गिरफतार किया, एफ. आई. आर पढ़ कर सुनायी, कहने लगे, यह एफ. आई. आर गलत थी। जो लिखित रूप में जैसी एफ. आई. आर देगा वही लिखी जायेगी। आपने क्यों नहीं लिखी ? या आपने अपने मन से लिख ली, यह कह देते। जब वह लिख कर लाया, एक पढ़ा लिखा लड़का लिख कर लाया और उस पर तीन आदमियों के दस्तखत थे, तो कोई तो यह कहते कि आपने अपने मन से एफ. आई. आर. लिख दी और जो हमने लिखित रूप में आपको एफ. आई. आर. दी थी वह आपने नहीं लिखी। चित भी मेरी, पुट भी मेरी। किसी तरह से कहिये, उनकी तो बाल की खाल निकालनी और कहीं न कहीं कसूर निकाल कर चलने की नीयत है। अध्यक्ष महोदय, फिर कहा कि अंगूठी बरामद नहीं हुई। असली बात यह थी, अध्यक्ष महोदय, फिर कहा आपने, मेडिकल रिपोर्ट नहीं करायी। मैं एफ. आई. आर. से शुरू करता हूं। क्योंकि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एफ. आई. आर. में कान्स्टेबल नामजद नहीं थे, सब कान्स्टेबलों को इकट्ठा किया गया। उनका आइडेन्टिफिकेशन कराया गया। जैसे ही उन्होंने कहा, यह दो आदमी हैं उसी वक्त उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस की वहां गफलत थी इसके अन्दर। इसके अन्दर समय लगा। अब उन्होंने कहा कि साहब, आपने मेडिकल नहीं कराया। एक का हुआ, एक का शाम तक नहीं हुआ। महिला का नहीं कराया। आपने कपड़े सील नहीं किये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष इसकी रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय। मैं मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा। मेडिकल किसने किया ? तीन डाक्टरों ने किया, अध्यक्ष महोदय, तीन डाक्टरों का पेनल था जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया। अब उसके बावजूद भी, अध्यक्ष महोदय, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इनके पास रिपोर्ट आ जायगी। हमेशा की तरह उन्होंने कह दिया रुदन में। आज कुछ भी कह जाय कि कपड़े सील नहीं हुए। आपने नहला दिया, अध्यक्ष महोदय, हवालात में क्या कोई बाथरूम था जिसमें नहला दिया उनको। वहां से नहा लिया लेकिन उन्होंने यह बात कही, वे नहा चुके थे, एविडेन्स मिटाने की की चेष्टा की गई, कपड़ों को सील नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जब आयगी तब आयगी, आज तो अपनी बात कह कर अखबार में छप जाओ। अखबार की सुर्खियों में समाचार आ जायगा, पुलिस के कान्स्टेबल को बचाने के लिये पुलिस ने एविडेन्स जो आवश्यक थीं, डिस्ट्राय करने की चेष्टा की। यह उनका मतलब था। लेकिन जैसे ही तथ्य सामने आये, मेडिकल रिपोर्ट मेरे मुंह से निकल गया कि रिजल्ट पाजिटिव आया है, इसी बात से तहलका मच गया। इसी बात से उनको घबराहट हो गई, पूरा केस फ्लाप हो गया। अब भागने लगे। इस सदन के अन्दर पिछले एक साल से यह उनकी चरित्र हनन की परम्परा रही है, नहीं बोलने देने की। अपनी बात बोल देंगे, हम बोलना चाहें तो बीच में इन्टरप्शन करेंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे जिससे कि बात रिकार्ड पर नहीं आय उनकी बात प्रेस में चली जाय और ट्रेजरी बेन्चेज की बात प्रेस में न जाय, और वह हमेशा हीरो बने रहें। सरकार को शोक में खड़ा किए रहें यह उनकी मंशा रहती है, श्रीमान् ! मैं आपसे निवेदन कर रहा था मैंने पाजिटिव की बात कही। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पुलिस की जरा भी मिली-भगत होती तो रिजल्ट पाजिटिव कैसे जाता ? एवीडेन्स डिस्ट्राय करते या नहीं करते, यह कोई बात नहीं हुई। अब जब उन्हें यह लगा, अध्यक्ष महोदय, चूंकि फायरिंग के बारे में टर्म्स आफ रेफरेन्स तय हो चुकी हैं तो आज ऐसी बात कर रहे थे। आपने पहले ही मॉब करार कर दिया। अरे भाई, मॉब नहीं है तो जुडिशियल कमीशन इन्क्वायरी कर रहा है, वह अपने आप तय कर देगा कि मॉब थी या शान्तिप्रिय जुलूस था जिसके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग अधिक किया।

एक बात और बताना मैं भूल गया, हम 376 में केस रजिस्टर कर चुके थे जो कि हीनियस टाइप का आफेन्स है। कहां बचाने की चेष्टा की है ? अध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हमने अंगूठी बरामद की। उनको यह पता नहीं था कि अंगूठी बरामद हो गई है। अंगूठी बरामद हो गई तो वे बात सुनना नहीं चाहते थे। चूंकि आपने, अध्यक्ष महोदय, एक बात कही यहां पर कि आप उसी सीमा तक अपने आपको सीमित रखेंगे। उन्होंने यहां पर कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन कान्स्टीट्यूट किया गया है उसके बारे में बात कही। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा, आपने पहले ही इस शांत प्रदर्शनकारी भीड़ को मांब करार कर दिया। मैं भैरोंसिंह जी का एक वक्तव्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह है 28.1.1984 का। यह राजस्थान पत्रिका की कटिंग है। "विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने सरकार से मांग की है कि कोटपूतली में हुए गोली-काण्ड की न्यायिक जांच एक सप्ताह में शुरू कर दी जाये।" अध्यक्ष महोदय, अब इसके अन्दर ही कहा है, "शेखावत ने बताया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही भीड़ पर अश्रु गैस की गोलियां चलायीं।" यह उन्होंने कहा है। यह उन्होंने खुद ने माना है। आपने मांब कैसे कह दिया? अध्यक्ष महोदय, तब उनको ध्यान नहीं था। भीड़ खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। अध्यक्ष महोदय, शांतिप्रिय भीड़ थी या नहीं, यह कमीशन अपने आप तय करेगा। अपनी एवीडेन्स पेश करें, अपने सबूत पेश करें। लेकिन नहीं।

अब मैं सिर्फ एक आस्पेक्ट को और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, पुरानी गाड़ियां पड़ी थीं, अपने आप आग लगा दी। अलवर में भी हमने आग लगायी। अलवर में भी इतनी गाड़ियां जली हैं। कलेक्टर की कार को छोड़िये, जनता की प्रापर्टी को डेमेज किया है इन्होंने। वहां पर भी हमने आग लगा दी। 12-14 जगह वहां पर आगजनी की है, लूटपाट की है, वहां भी सब हमने किया अपने आप। वहां भी पुलिस ने किया, अध्यक्ष महोदय? तो इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। जहां इनका सूट करता है, कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का ट्रक आया, वह तो कह दिया। पुरानी गाड़ी थी, उसका सामान चोरी चला गया था इसलिये आग लगा दी। अगर आग लगानी होती तो पहले भी लगा सकते थे आग उसके अन्दर। लेकिन किसी तरह से केस को बिल्ड अप करना है। पुरानी गाड़ियां थीं, जो नये ट्रक में आग लगी उसमें से तो पुलिस उतरी थी, तो अपने आप आग लगा ली उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, कहां आग लगाने का टाइम था। मैंने खुद अपने वक्तव्य में कहा है, खुद ये कह रहे हैं कि पुलिस तो दुम दबा कर अन्दर भाग गयी थाने के अन्दर। एक क्षण को उनकी भी बात मान ली जाय, क्या उनको इस बात का होश था कि हम आग लगा दें जल्दी से। भीड़ पथराव कर रही थी। हमला किये हुए थी। इतना बड़ा थाने का गेट है। आप जाकर देख लें, कोई भी जाकर देख ले कि क्या हमने आग लगा दी है उसके ऊपर। आग की लपटों से गेट जला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि यह चुनाव का साल है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर, आज राजस्थान भी अछूता बचा हुआ नहीं है। यह अपने थोथे राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिन्दुस्तान को ही नहीं सारे राजस्थान को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आग में झोंकना चाहते हैं जिससे यह बता सकें कि यह पार्टी शासन करने के अन्दर असमर्थ है। श्रीमन् आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको कृपया ऐसे लोगों से, देश द्रोही लोगों से समाज कंटकों से सावधान रहना चाहिये।

मैं तो एक ही बात कह कर अपनी बात खतम करता हूँ, अध्यक्ष महोदय। प्रिंसिपल इनकी पार्टी के थे स्कूल के अन्दर। जैसा श्रीराम जी ने कहा कि उनको सद्–भावनाएं, वहां के प्रिंसीपल की, इनके साथ हैं। लेकिन वह दवा नहीं इनसे। उसके बाद कहा कि तू रिपोर्ट दर्ज कर। पहले उसके पास गए। उसने कहा कि मैं 26 जनवरी के लिए लड़कों की तैयारी करा रहा हूं इसलिए, भगवान के लिए, यहां से चले जाइए आप। लेकिन नहीं, जबरदस्ती घुस गये। घण्टी बजा दी, लड़कों को पकड़कर कहा कि बाहर आ जाओ। वहां के हैड मास्टर ने रिपोर्ट दी है कि स्कूल में तोड़ फोड़ की है। चलो थाने में तो तोड़ फोड़ पुलिस वालों ने कर दी, पुलिस के टट्टुओं से पुलिस ने पत्थर फिकवा लिए। वहां स्कूल में किसने किया? स्कूल में किसने तोड़ फोड़ की? लड़कों को कौन बाहर निकाल कर लाया? आखिर में मैं समझता हूं इस मामले को। अगर इनकी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने वहां गफलत नहीं बरती होती और इस तरह के घिनौने हथकण्डे इन्होंने नहीं बरते होते तो इस तरह तीन बालकों की जान नहीं गई होती।

यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि विरोधी दल के नेता यहां हाजिर होते तो उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता कि राजस्थान नहर इतनी महत्वपूर्ण योजना पर उन्होंने करीब पौन घन्टे तक अपने विचार प्रकट किए और उनके विचार प्रकट करने के कारण से मुझे यह अवसर दिया कि राजस्थान नहर के बारे में मैं जो कुछ भी सदन को बताना चाहता था वह इस सदन को बता सकूं। मैंने पहले भी कोशिश की और मुख्य सचेतक महोदय से कहा था कि राजस्थान नहर पर बोलने के लिए मुझे समय दीजिए। तब उन्होंने यही कहा था कि राजस्थान नहर के बारे में किसी ने कहा नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए आप समय मत लीजिये। लेकिन अच्छा हुआ कि विरोधी दल के नेता उसके बारे में बोल गये और मुझे अवसर मिला कि राजस्थान नहर के बारे में मैं कुछ कह सकूं।

अध्यक्ष महोदय, शुरू से ही उन्होंने इस बात का समां बांधने की कोशिश की कि जैसे हम हमारे दूसरे कांग्रेसी मुख्य मंत्री या कांग्रेस के मंत्री को भुला रहे हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं और सारा श्रेय जैसे कोई शिवचरणजी माथुर और चन्दनमल बैद ले रहा है।

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, स्वर्गीय भाई बरकतुल्ला खां, आदरणीय हरिदेवजी जोशी और हमारे माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया को याद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस राजस्थान नहर के बनाने में बहुत बड़े प्रयत्न किए है। अगर उन्होंने प्रयत्न किये हैं तो इस बात का श्रेय हम कांग्रेसियों को ही मिलता है, उनको नहीं मिलता है। मैं तो उनको बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ याद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनको ही नहीं बल्कि पं. गोविन्द बल्लभ जी पंत, स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू, और आज की हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, उनको भी मैं बड़ी श्रद्धा के साथ और बहुत आदर के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस राजस्थान नहर को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है।

(7.43 रात्रि)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैंने कभी भी इस बात को नही कहा कि जो कुछ भी काम हो रहा है राजस्थान नहर पर उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, उसका श्रेय मैं लेता हूं। चाहे राजीव गांधी आये हों, अखबार वालों से मैं मिला हूँ, चाहे किसी से भी मैंने बात की है, मैंने हमेशा यही कहा है कि इस राजस्थान नहर को बनाने का सारा श्रेय मजदूरों को और इंजीनियरों को है, जो इतनी मेहनत, लगन के साथ, देश भक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी नहर बना रहे हैं। क्योंकि जिस हिस्से में नहर बन रही है, इतना कठिन इलाका है, वहां पर भयानक सर्दी पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है, वहां जोरों से आंधियां चलती हैं, वहां पर कोई छाया भी नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, यहां तक की उनके लिये पीने का पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पर हमारे मजदूर और हमारे इंजीनियर देश के प्रति अपनी लगन और भावना के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा श्रेय का काम किया है। लेकिन, सभापति महोदय, जब उन्होंने यह कहा कि श्री रामनारायण चौधरी, जो मण्डावा से आने वाले हमारे सदस्य हैं, ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने शिवचरणजी माथुर और चन्दनमल को भागीरथ बता दिया। सभापति महोदय, मुझे तो उन्होंने भागीरथ नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्होंने शिवचरणजी माथुर को भागीरथ बना दिया, बता दिया तो क्या बुराई की? आखिर हमारे कांग्रेस के मुख्य मन्त्रियों, मन्त्रियों और कांग्रेस के लोगों ने सन् 1958 से लेकर आज तक इस नहर को बनाया है। उन सबके प्रतीक के रूप में, कांग्रेस के प्रतीक के रूप में अगर यह समझ कर कि शिवचरणजी माथुर आज कांग्रेस के प्रतीक हैं राजस्थान में, और उन्होंने कांग्रेस और शिवचरणजी माथुर को भागीरथ बता दिया तो यह कोई बुरी बात नहीं की। मैं और पूछना

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहता हूँ आपसे कि शिवचरणजी के राज में ही ऐसी बात हुई है कि शिवचरणजी माथुर अगस्त, 1982 में सारे मंत्रिमण्डल को लेकर 4 दिन तक नहर पर घूमे। किस मुख्य मन्त्री ने यह बात की ? ये शिवचरणजी माथुर ही थे जिनके राज में राजस्थान नहर के लिए 40 करोड़ रुपये स्पेशल ग्रान्ट के रूप में भारत सरकार से ले आये और यह शिवचरणजी माथुर के राज में ही हुआ। यह साल वह साल है, जिस साल कि इस राजस्थान नहर पर चाहे लाइनिंग का हो, चाहे अर्थ वर्क है, सबसे ज्यादा काम हुआ है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। मगर उन्होंने कांग्रेस के प्रतीक के रूप में शिवचरणजी माथुर को ले लिया और कह दिया कि ये भागीरथ हैं। मैं तो सही बात कहता हूं कि यह श्रेय और यह गौरव शिवचरणजी माथुर और कांग्रेस को है जिसने कि इतना बड़ा काम किया है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि सारे देश को, सारे राजस्थान के लोगों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि इतना बड़ा भयानक रेगिस्तान है जैसा भयानक रेगिस्तान दुनियां में दूसरा कोई नहीं है, थार रेगिस्तान बड़ा हो सकता है, परंतु इतना भयानक नहीं है क्योंकि उसमें नखलिस्तान है, उसमें नदी बहती है। लेकिन इस रेगिस्तान में तो पीने को पानी नहीं मिलता, नदी और नहर की बात तो जाने दीजिए। इस भयानक रेगिस्तान को जीतने का काम, जो रेगिस्तान 20 लाख वर्षों से यहां विद्यमान है और सतलज, व्यास, और रावी नदियां भी वहां हैं लेकिन कोई भी इस रेगिस्तान को सींचने का स्वप्न नहीं देख सका। आज अगर हमारी पीढ़ी ने, हमने उस राजस्थान नहर के मार्ग पर सतलज, व्यास और रावी नदियों का पानी मोड़ कर के इस रेगिस्तान को सींचने का अगर स्वप्न देखा है, अगर जैसलमेर में आज पहली बार पानी बहा है तो मैं कहता हूं कि यह गौरव हम-लोगों को प्राप्त हुआ है। इस बात के लिए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। यह गौरव कैसे प्राप्त हुआ है ? हमारे भारत के, राजस्थान के मजदूरों और इंजीनियरों ने ये सब काम किए हैं। जब हमारे तेनसिंह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए तो सारे हिन्दुस्तान ने खुशी मनाई थी। क्या एवरेस्ट पहाड़ से वह सोने के बड़े बड़े बक्से भर कर लाया था या हीरे लेकर आया था ? लेकिन असल बात तो यह थी, प्रकृति पर मानव की बहुत बड़ी विजय है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस रेगिस्तान को जीत कर मानव ने प्रकृति पर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। आज जैसलमेर का सारा भूगोल, इतिहास, और संस्कृति बदल गई है। क्या यह कोई मामूली बात है ? इस बात के लिए अगर हम गौरव लेते हैं और इस बात के लिए अगर कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रतीक शिवचरण माथुर को मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य भागीरथ कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सभापति महोदय, यह नहर कोई मामूली नहर नहीं है। 649 किलोमीटर लम्बी है जिसकी वितरिकाएं 8-10 हजार किलोमीटर में फैली हुई होंगी जिनको बनाने में दो सौ करोड़

(श्री चन्दनमल बैद)

रुपये खर्च होंगे। इस राजस्थान नहर से 37 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी और नहर के पूरी बनने पर 37 लाख टन अनाज, कपास और दूसरी चीजें पैदा होंगी। आज की कीमत से अगर हम उसकी कीमत लगायें तो 750 करोड़ रुपये का अनाज हर साल पैदा होगा। नौ सौ करोड़ की लागत से जिस नहर को बना रहे हैं उससे अगर हर साल साढ़े सात सौ करोड़ रुपयों का उत्पादन अगर हम ले सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी और कोई योजना हो नहीं सकती है। आज के दिन भी इस नहर से 11 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है और करीब 220 करोड़ रुपये का उत्पादन अभी भी हो रहा है।

सभापति महोदय, आज इतने भयानक रेगिस्तान, में इतनी बड़ी नहर पर हमारे मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कठिन सर्दी में भी जब मैं वहां दौरे पर था तो मैंने वहां पर हमारे मजदूरों को, और बहुत से लोगों को भयंकर सर्दी में खुले आकाश के नीचे सोये हुए देखा। मैं उनका नमन करना चाहता हूं। इतनी तकलीफ उठा कर के भी वे लोग, 300,400,500 मील से जाकर के भी इस राजस्थान नहर का काम महनत से कर रहे हैं। हमारे विरोध दल के नेता महोदय बोल रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन एक दिन के सफर में बीमार हो गये और उसमें हम हफ्तों तक सफर कर करते हैं और हमारे मजदूर और इंजीनियर वहां रहते हैं और खुले आकाश के नीचे सोते हैं, भयानक गर्मी में खुले आकाश के नीचे रहते हैं और भयानक सर्दी में खुले आकाश के नीचे सोते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के हमें उत्साह देना चाहिए। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम देश सेवा का काम कर रहे हो। सही मायने में विकास का काम रहे हो। बजाय इसके हम उनकी कमियां निकालते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि यदि आप कमियां निकालना चाहें तो नहर, जिसके 300 किलोमीटर पर काम हो रहा है, 300 जगह पर जिसका काम हो रहा है उस काम में आप बहुत सी गलतियां निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्रिशियेट करना चाहें तो हजारों पाइंट आपको मिल सकते हैं एप्रिशियेट करने के। यह तो अपना अपना नजरिया है कि आप क्या देखना चाहते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि जहां हजारों इंजीनियर काम कर रहे हों, जहां 21 हजार से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हों, जहां करीब 4000 हजार ऊंट गाड़ियां काम कर रही हों, 587 गधे काम कर रहे हों, 816 ट्रैक्टर, ट्रक काम कर रहे हों, एग्रो इंडस्ट्रीज की 20 मशीनें, चम्बल की 7 मशीनें, आर. सी. पी. की 35 मशीनें काम कर रही हों, 300 किलोमीटर पर काम हो रहा हो, 300 जगहों पर काम हो रहा हो, उन सबकी ईमानदारी की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते हैं, सबको यह कहें कि यह देश सेवा का काम है, देश सेवा का काम समझकर ही यह काम करो। अगर कोई काम में गफलत करता है तो उसकी चैकिंग रखें, सुपर-

(श्री चन्दनमल वैद)

विजन रखें और जो गलती करे उसको सजा दें। जो अच्छा काम करे, उसे शाबासी दें, उनकी पीठ थपाकें कि शाबास, तुमने देश सेवा का काम किया है, देश निर्माण का काम किया है और जब इस नहर का इतिहास लिखा जायगा तो तुम्हारा भी इसमें नाम होगा। इस तरह से उसकी तारीफ करके उनको प्रोत्साहित करें, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं। यह कोई सम्भव नहीं है, जैसा कि आज चम्बल के बारे में...

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : नागौर की हमारी लिफ्ट सिंचाई योजना थी, दांतू को उसमें से पेय जल दिया जाना था वह बात कहां से होगी।....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, इंजीनियर, श्रमिक, ऊंट गाड़े, गधे, ट्रेक्टर, चम्बल की मशीनें, एग्रो इण्डस्ट्रीज की मशीनें, आर. सी. पी. की मशीनें, मैंने इतने सारे नाम गिनाये, इसका मतलब है, जितने भी साधन हमको मिल सकते थे राजस्थान में, हमने सारे साधन जुटाये हैं इस नहर पर काम करने के लिये। चाहे वह एग्रो इण्डस्ट्रीज की मशीनें हों, चाहे वह चम्बल की मशीनें हों, चाहे हमारी मशीनें हों, चाहे ऊंट गाड़े हों, चाहे गधे हों, चाहे ट्रेक्टर हों, चाहे ट्रक हों, जितने भी साधन हमको मिल सकते हैं उन सारे साधनों को इकट्ठा करके हम उनसे काम ले रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है। किसी ने भी आज तक एग्रो इण्डस्ट्रीज की मशीनें उस नहर पर नहीं लगाईं, कभी किसी ने भी चम्बल की मशीनें उस नहर पर नहीं लगायीं। कभी किसी ने आज तक ट्रेक्टर वहां पर नहीं लगाये। हमने पहली बार सोच समझकर ये सारे साधन वहां पर लगाये हैं। हम चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाय। हमारा लक्ष्य है यह और मुख्य मन्त्रीजी मुझे हमेशा ताकीद करते रहते हैं। और कोई बात मेरी पूछें या नहीं पूछें, यह बात जरूर कहते हैं, चन्दनमल जी, भारत सरकार से वायदा किया है कि मार्च, 85 तक नहर को पूरी कर देंगे। मोहनगढ़ तक पक्की नहर बनाकर पानी पहुंचाना है। मेरे सामने एक ही लक्ष्य है और मैं चाहता हूं किसी तरह से मैं इस काम को पूरा करूं। मैं जानता हूं कि वाटर सप्लाई की चैनल टूटने से हम 4 महीने पिछड़ गये हैं। लेकिन मैंने इंजीनियर्स से कहा कि इस बात की योजना बनायें कि किसी तरीके से बरसात के 4 महीनों, जब कि काम सुस्त होता है, में लाइनिंग का काम करके इस काम को पूरा कीजिए। और पूरा करके हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो भारत सरकार को आश्वासन दिया है उस आश्वासन को पूरा कीजिए।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं कुछ बातें, जो चार्ज लगाये गये हैं, जो बातें कही गयी हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा कि जनता सरकार

(श्री चन्दनमल बैद)

कोयला नहीं ला सकी उसका कारण यह था कि हमको घटिया कोयला ऑफर हुआ, हमने घटिया कोयला लेने से इन्कार कर दिया और चन्दन मल जी ने घटिया कोयला लेकर इस नहर की योजना को 10 करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे हमारे ऊपर बराबर यह चार्ज लगाते हैं। सुखाड़िया जी पर भी लगाते थे, बरकतुल्ला खां जी उस वक्त थे नहीं, हरिदेवजी पर लगाते थे, पहाड़िया जी पर लगाते थे और अब शिवचरण जी माथुर पर लगाते हैं। यह चार्ज लगाते हैं कि आप भारत सरकार से ताकत दिखाकर पैसा नहीं ला सके। आप भारत सरकार से बिजली नहीं दिला सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि हम पैसा नहीं ला सके, बिजली नहीं ला सके, यह तो इस बात से साबित हो जाता है कि हमने कितनी बिजली की बढ़ोतरी की है। 40 करोड़ रुपये तो केवल राजस्थान नहर के लिये हो लाए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि भारत सरकार से कोयला भी नहीं ला सके, यह कितने बड़े ताज्जुब की बात है। और जो कोई चीज लाते नहीं आप, कोयला भी नहीं ला सके। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने कोयले के सम्बन्ध में एक नीति का निर्णय लिया कि अच्छा कोयला पावर हाउस के लिये दिया जाय, ईंट पकाने के लिये तो मामूली कोयले से भी काम चल सकता है। यह देश की नीति थी। चूंकि हमको हमारे पावर हाउस ठीक से चलाने थे, घटिया कोयले से पावर हाउस चल नहीं सकते, इस वास्ते उन्होंने यह तय किया कि ईंट बनाने के लिये घटिया कोयला दिया जायगा। जितनी ईंटें पकाने के लिये जितना बढ़िया कोयला चाहिए घटिया कोयले की ज्वलन शक्ति जितनी कम होती है उसके अनुपात में उसको ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन उसकी क़ीमत भी उतनी ही कम होती है तो कीमत में उनको कोई घाटा नहीं हुआ लेकिन चूंकि घटिया कोयला ज्यादा मात्रा में जलाना पड़ता है उसको भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है। यह बात सही है कि अगर बराबर हमको घटिया कोयला ही मिलता रहे तो सारी नहर पर जो खर्चा होगा 900 करोड़ रुपया, इसमें 10 करोड़ रुपये हमको ज्यादा खर्च करना होगा। 400 करोड़ रुपया तो हम इस साल तक खर्च कर चुके हैं और 500 करोड़ और खर्च करना है। पांच सौ करोड़ में 10 करोड़ रुपया क्या है? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम घटिया कोयला नहीं लेकर नहर के काम को बंद कर देते और एक साल भी काम बन्द रहता तो जो भाव बढ़ रहे हैं, प्राइसेज बढ़ रही हैं उससे 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ रु. हमको ज्यादा खर्च करना पड़ता। इसलिए हमारा यह निर्णय बिल्कुल ठीक था कि हम घटिया कोयला लेकर भी काम को चालू रखें, ईंटें बनाएं, टाइल्स बनाएं और उसके बाद बराबर भारत सरकार से इस बात की कोशिश करते रहें कि वह हमें अच्छा कोयला दे। मुझे खुशी है कि हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं जो राजस्थान से हैं, उनके मार्फत हमने इस बात की कोशिश की और अब हमें अधिक मात्रा में बढ़िया कोयला मिलने लग गया है। तो ये जो कहते हैं कि घटिया कोयले से दस करोड़ का नुकसान होगा, हमारा अन्दाज था कि यदि हमें बराबर घटिया कोयला ही

(श्री चन्दनमल वैद)

काम में लेना पड़ा तो हमें 10 करोड़ का घाटा होगा। लेकिन हमको सारा नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि अच्छा कोयला अब हमको मिलने लग गया है। अगर हम काम को रोक देते तो ज्यादा नुकसान होता बनिस्पत इसके हमने घटिया कोयला लेकर ईंटें बना कर काम जारी रखा है।

(7.50 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि आपके कोयले की ढुलाई में सूरतगढ़ में घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं घोटले में लगे लोगों को बचाने की कोशिश करता, दोषी को बचाता, उसको सजा नहीं देता तो आप कह सकते थे कि तुमने उसको बचाया। इस घोटाले के बारे में इन्होंने तो आज कहा है, मुझे तो यह बहुत पहले से मालूम था। मैंने उसी समय वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर आर. पी. शर्मा, ए. ई. एन., एस. पी. दास छावड़ा, सब इंजीनियर जगदीप सिंह तीनों को सस्पेंड किया और सी. सी. ए. रूल 16 के तहत उनके खिलाफ डिसिलीनरी एक्शन की कार्यवाही शुरू की और जांच के लिये सारा मामला एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को सौंप दिया। मैंने शुरू में ही कहा कि इतने लम्बे चौड़े क्षेत्र में जो काम हो रहा है, इतने इंजीनियर काम कर रहे हैं उन सब की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उनकी चैकिंग रखूंगा, सुपरविजन रखूंगा और जो भी आदमी दोषी पाया जायगा उसको मैं सजा दूंगा। तो जो कोयले की ढुलाई में मुझे गड़बड़ मालूम पड़ी तुरन्त हमने उनको सजा दी।

अध्यक्ष महोदय, आपने अखबार में पढ़ा होगा, हम सबने पढ़ा है कि 200 बोरी सीमेंट की राजस्थान नहर की बेचते हुए पकड़ी गयीं। मैं इसके तुरन्त बाद बीकानेर गया और डी. आई. जी. से मिला। मैंने डी. आई. जी. से कहा कि इस घोटाले में आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके साथ कोई रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े आफिसर, जो इस घोटाले में लिप्त पाया जाय, को तुरन्त गिरफ्तार कर लीजिए, आप हिचकिचाइएगा मत। जो वहां के लोग थे उनमें से 4 लोगों को तो तुरन्त सस्पेंड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी समय बीकानेर से फोन करके हमारे चेयरमैन ए. एस. कपूर को तुरन्त चूरू बुलाया। क्योंकि मैं चूरू जा रहा था, मैंने उनको बुलाकर कहा कि मैंने ऐसी बात सुनी है, हो सकता है और डिपोज में भी ऐसी बात हो। इसलिए आप तुरन्त सारे डिपोज की चैकिंग करवाइये। 250 डिपोज जो सीमेंट के थे, सारों को सील किया गया और 7 पार्टीज बना दी गयीं जिनमें से 6 पार्टीज पर तो अकाउन्ट्स अफिसर हेड हैं और एक जो सुपरविजन इंजीनियर्स की टीम है, उस टीम का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अध्यक्ष बनाया। उनको कहा कि सारे 250 डिपोज की चैकिंग करो और जहां पर भी गड़बड़ी पाओ, उसको सजा दो। अध्यक्ष महोदय, जो भी चीज हमारे सामने

(श्री चन्दनमल बैद)

आती है हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करते हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसी ने कुछ लिख दिया हो उसके कारण से ही हम उसको दोषी मान लें और उसको सजा दे दें, यह तो सम्भव नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा पाइंट करप्शन का है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के बारे में काफी चर्चा एक प्रश्न के जवाब पर हुई, लेकिन प्रश्न के जवाब में तो सारी बातें कही नहीं जा सकतीं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के जवाब दिये जाते हैं। इसलिये मैंने उचित समझा इस बात को। विरोधी दल के नेता महोदय ने रामसिंह कमेटी की रिपोर्ट को भी अपना एक आधार बनाया। मैं पहले यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि रामसिंह कमेटी फैक्ट्स फाईंडिंग अथोरिटी थी। उस की रिपोर्ट में कुछ कमियां थीं, फ्लाज थे। मैंने पहले अखबार में भी इस बात को कहा है। जब किसी एक अखबार वाले ने मुझसे सवाल पूछे थे, उसमें भी मैंने कहा था। पहला तो यह है कि जो टर्म्स आफ रेफरेंस थीं, रामसिंह फैक्ट फाईंडिंग अथोरिटी अपने सहायक के रूप में एक टैक्निकल आफिसर, जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की रैंक से कम का आफिसर नहीं होगा, को साथ लेंगे लेकिन उन्होंने उसको साथ नहीं लिया। दूसरा यह है कि दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के लिए चार्ज-शीट तैयार करेंगे जो उन्होंने नहीं की। और तीसरा फ्लाज जो मेरी नजर में है यह है कि उन्होंने ऐसे इंजीनियर्स को दोषी ठहराने की कोशिश की है जैसे बी. बी. शाह, अर्जुनसिंह कपूर, हरिसिंह चौधरी, रामनारायण चौधरी, जिनकी योग्यता और ईमानदारी की न केवल इस देश में प्रसिद्धी है, बल्कि विदेशों में भी जिनकी प्रसिद्धी है। इसलिये मुझे यह संदेह हुआ कि हो सकता है और यह सम्भव है कि ऐसे-ऐसे जो इंजीनियर्स, प्रसिद्ध इंजीनियर्स के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है, हो सकता है कि रामसिंह के मन में भी कोई नीयत में फर्क हो। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि कुल 18 रिपोर्ट उन्होंने दी हैं उनमें से पहले 4 रिपोर्टों की मैं जांच कर लूं उस जांच में अगर कोई नतीजा निकलता हो तो आगे बढ़ूं और कोई नतीजा नहीं निकलता हो तो फिर मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूं कि इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह तो केवल 193 इंजीनियर्स को फांसी पर लटका कर रखने की बात है। मेरे पर यह चार्ज लगाया गया कि मैंने किसी से कह दिया कि रामसिंह आयोग ने जिन इंजीनियर्स पर चार्ज लगाये हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वास्ते कहा कि मैं जो जांच कर रहा हूँ उसमें जो दोषी होंगे वे सजा पा जायेंगे, जो निर्दोष होंगे वे साफ निकल जायेंगे। उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है वह हट जायगी। यह मैंने कहा था। लेकिन सन्दर्भ से अलग हट करके कुछ ऐसी बात कह दी जिसका कोई मतलब नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह राम सिंह कमेटी की रिपोर्ट 18 रिपोर्ट में से 12 रिपोर्ट श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के मुख्य मन्त्रित्व काल में आ गयी थीं।

श्री अध्यक्ष : वह कमीशन का युग था उस वक्त ।

श्री चन्दन मल बैद : कमीशन का युग था। कमीशन नियुक्त उन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, और उनके समय में रिपोर्ट भी आ गई लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आखिरी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे थे। हर रिपोर्ट इंडिविजुअल, अलग-अलग इन्डिपेंडेंट है। एक दूसरी रिपोर्ट से संबंध नहीं है। एक रिपोर्ट में किसी पर चार्जेज हैं तो दूसरी रिपोर्ट में दूसरे लोगों पर चार्जेज हैं, तीसरी रिपोर्ट में तीसरे लोगों पर चार्जेज हैं, चौथी रिपोर्ट में दूसरे लोगों पर चार्जेज हैं। तो जो 12 रिपोर्ट मिल गई उन 12 रिपोर्ट पर उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर और मुख्य मन्त्री जी पर चार्ज लग गया कि हम इंजीनियर्स से भयभीत हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भैरोंसिंह जी शेखावत ने अपने राज्य के पहले जो अनियमितताएं हुई थीं उनकी जांच के लिये राम सिंह कमेटी बनायी, इस राम सिंह कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस पर वे कार्यवाही करना नहीं चाहते थे। उसके बाद उनके पौने तीन साल के शासन काल में जो कुछ काम हुआ उसमें भी कोई काम नहीं करना चाहते थे। दोष हम पर लगा रहे हैं कि हम इन लोगों से भयभीत हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाय कि ये हमको डर दिखा दें कि हम काम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बात सही यह है, थोड़ा समय आपका ले करके बताऊं कि कितने ही राजपत्रित कर्मचारी और अराजपत्रित कर्मचारी इन दोनों पर उन्होंने सी. सी. ए. रूल्स के तहत डिसिप्लीनरी एक्शन लेने की बातचीत की फिर उसके बाद कांग्रेस शासन आया, उसके बाद कितनों पर कार्यवाही की, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि करीब करीब पौने तीन साल, तीन साल उनको हुए होंगे और उसके बाद कांग्रेसी शासन आए भी करीब सवा तीन साल, तीन साल हुए होंगे। तो करीब करीब बराबर का सा समय है। उस समय में देख लें, ऐसा तो है नहीं कि पहले तो नहरों में बहुत घोटाले होते थे और जब भैरोंसिंह जी आ गये तो सारे दूध के धुले हुए हो गये। फिर ज्यों ही वे गये फिर सारे के सारे घोटाले करने लग गये। जो इंजीनियर पहले थे वही उनके वक्त में थे। जो उनके वक्त में थे वही अभी हैं। काम करने वाले तो वही इंजीनियर हैं कोई नई भर्ती तो हुई नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके वक्त में उन्होंने क्या कार्यवाही की और हमने क्या कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुल 7 राजपत्रित कर्मचारियों में से चार आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की और हमने, जो कुछ मैं बता रहा हूं, 1980 से 84 के बीच में राजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की वह 22 आदमी तो राम सिंह कमेटी के अलावा तथा 4 आदमी रामसिंह कमेटी के साथ, कुल 26 आदमियों के खिलाफ हमने कार्यवाही की। अराजपत्रित कर्मचारियों के सिलसिले में उन्होंने कार्यवाही की कुल दो के खिलाफ और हमने कुल कार्यवाही की 13 और 21, कुल 34 के खिलाफ। तो ये आंकड़े खुद बताते हैं कि इंजीनियरों से डर कौन रहा है ? अध्यक्ष महोदय, न तो इंजीनियर से डरते

(श्री चन्दन मल बैद)

हैं और न उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। मैंने शुरू में कह दिया कि हमारी नीति तो यह है, जो गलत काम करे, उसको सजा दें व जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दें।

श्री अध्यक्ष : काम लेने का उपयुक्त तरीका यही है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अगर बुरा काम करने वाले को बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा काम करने वाले को अगर हम अच्छा नहीं कहेंगे तो कैसे तो बुराई कम होगी और कैसे अच्छाई बढ़ेगी। इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया है मुख्य मन्त्रीजी के सामने, राजीवजी आये थे उनके सामने, आदरणीय इन्दिरा गांधी जी आई तो उनके सामने मैंने उनकी प्रसंशा की थी कि हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गलती करते हैं उनको सजा भी देते हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। इसमें से, अध्यक्ष महोदय, आज करीब 26 इंजीनियर्स सस्पेंडेड हैं। ए. ई एन., एक्स. ई एन., और सब इंजीनियर्स, 26 इंजीनियर्स सस्पेंड हैं। मैं समझता हूं कि मेरे पास पूरा रिकार्ड तो नहीं है लेकिन उन्होंने कार्यवाही की नहीं तो उनके द्वारा सस्पेंड करने का क्या सवाल उठता था ?

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने ड्रेनेज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही। मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी मेन केनाल है उसमें कहीं भी कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है। केवल डैमेजेज हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, डैमेजेज कोई आज ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी मैंने बताया था आज तक नहर बनी है उसके बाद हमारी मुख्य नहर पर 16 डैमेजेज हुए हैं। उनमें से 1978 में 5 हुए, 1979 में 5 हुए, 1980 में 3 हुए, 1982 में 1 हुआ और 1984 में दो हुए। ये 16 डैमेजेज हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैंने तारीखें निकलवायीं, तो 15 डैमेजेज का अर्थवर्क जनता पार्टी के राज में हुआ था और 14 डैमेजेज का लाइनिंग का काम भी जनता पार्टी के राज में हुआ। लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने यह साफ कहा है कि ये जो डैमेजेज हुए हैं सेंट्रल वाटर-पावर कमीशन को और मालवीया इंजीनियरिंग कालेज और जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के लोगों को हमने लिखा है, कि आप मेहरबानी करके देखिये कि ये जो हमारी नहर की दीवार है, वह जो धंस जाती है इसका क्या कारण है। पीछे कोई हाइड्रोलिक पैन आ गया है जिसके कारण से धंस रही है या कोई हमारे कम्पलेक्शन में या मैटीरियल में कमी के कारण से धंस रही है। इसकी रिपोर्ट हमको दीजिये पूरी जांच करके ताकि आगे सावधानी भी बरतें, और पीछे कोई गलती हुई हो तो उसको सुधारें भी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि 42 जगह इस नहर पर पानी के पूल बन गये हैं। इसको भी हमको समझना है। इस 42 पूल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा

(श्री चन्दन मल वैद)

कि 24 पूल का जो अर्थवर्क है वह जनता पार्टी के वक्त का है। लेकिन खैर, मैं उसको नहीं कहना चाहता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिनों पहले आपने शायद हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा होगा श्री राजकेल ने एक लेख लिखा है राजस्थान केनाल हारबिंजर आफ फ़ूड। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इस वास्ते करना चाहता हूं, राजस्थान नहर को बनाना कौन चाहता है। राजस्थान या दिल्ली? बाकी लोग तो नहीं चाहते कि राजस्थान नहर बने, क्योंकि राजस्थान नहर बनती है तो जो पानी वे आज हमारे हिस्से का उपयोग कर रहे हैं वे नहीं कर सकेंगे। तो वे तो किसी न किसी तरीके से अखबारों में यह प्रचार करते हैं....

(व्यवधान)

राजस्थान और दिल्ली को छोड़कर कौन चाहता है? वे तो अखबारों में इसी तरह का प्रचार करते ही रहते हैं, और इस बात को कहते ही रहते हैं कि राजस्थान नहर पर जगह–जगह पानी के पूल बन जायेंगे, धंस रही है, टूट रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वाटर लोगिंग का प्रश्न तो इरिगेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जहां इरिगेशन होगा, वहां वाटर लोगिंग होगा ही। सारा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है कि आज पंजाब में बहुत वाटर लोगिंग हुआ है। वहां पर भी वाटर लोगिंग की समस्या है। लेकिन ये लेख लिखने वाले पंजाब के बारे में नहीं लिखते। राजस्थान में कोई वाटर लोगिंग हो गया, या पूल बन गया उसका जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि किसी के निहित स्वार्थ हैं। वे चाहते हैं कि राजस्थान नहर नहीं बने, किसी तरह राजस्थान नहर बनना रुक जाय जिससे पानी का जो उपयोग वे कर रहे हैं उसका उपयोग करते रहें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि हम हिम्मत के साथ, तेजी के साथ, अच्छाई के साथ हमारी इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करें और हमारे हिस्से का जो पानी है उस पानी को हम जल्दी से जल्दी लें। इसी में हमारा फायदा है। अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन ऑफ कांट्रैक्टर्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि सारा काम काज अनरजिस्टर्ड कांट्रैक्टर्स से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने ये नियम बना रखा है कि दो लाख से ऊपर का काम किसी अनरजिस्टर्ड कांट्रैक्टर को नहीं दिया जाय। ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सा काम ले सकते हैं। बी क्लास का कान्ट्रैक्टर 10 लाख तक का, सी क्लास का 3 लाख तक का ले सकता है। डी क्लास क्लास का 1 लाख तक का ले सकता है। और अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर 2 लाख से ऊपर का काम नहीं ले सकता है, यह नियम है। वह यह कहते हैं, अन–रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के काम उनके वक्त में होते थे। अपने वक्त की बात को मेरे पर थोपना चाहते हैं। उनके वक्त में ए क्लास का कॉन्ट्रैक्टर केवल एक रजिस्टर हुआ, बी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर तीन रजिस्टर हुए हैं जब कि कांग्रेस शासन के वक्त में ए क्लास के 9 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर किए हैं और बी क्लास के 107 कॉन्ट्रैक्टर हमने रजिस्टर किये हैं। और यह नियम बनाया है।

(श्री चन्दनमल बैद)

आखिरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है, इन्होंने कहा कि खरीद की कोई प्रक्रिया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खरीद के बारे में हमने डिटेल्ड आदेश निकाले हैं कि खरीद किस तरह से की जायगी। यह नियम बना दिये हैं कि कोई भी हमारा इंजीनियर एक हजार से ऊपर की चीज बिना कमेटी के सामने लाये नहीं खरीद सकता। एक हजार तो बहुत कम कीमत की चीज है। एक हजार से ऊपर की जो भी कोई चीज खरीद करेगा तो उसको कमेटी में लाना पड़ेगा। कमेटी हर स्तर पर है। बार्ड के स्तर पर, चीफ इंजीनियर के स्तर पर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के स्तर पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर कमेटी बनी हुई हैं। और कमेटी में कौन होंगे? एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसके स्तर पर खरीद होनी है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वह जिसको सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर नॉमिनेट करेगा, तीसरा होगा अकाउन्ट्स ऑफिसर। इन तीन की कमेटी जो बनेगी वह एक हजार से ऊपर का सामान जो होगा, उसकी खरीद करेगी। इसी तरह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के स्तर पर, चीफ इंजीनियर के स्तर पर और बोर्ड के स्तर पर कमेटी बनी हुई है। साथ में यह भी तय किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर 50 हजार से ऊपर का माल नहीं खरीदा जायगा। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के स्तर पर 3 लाख से ऊपर का माल नहीं खरीदा जायेगा, एडिशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के स्तर पर 25 लाख से ऊपर का माल नहीं खरीदा जायगा, लेकिन वह भी कमेटी की मार्फत खरीदा जायगा। इससे ऊपर होगा तो बोर्ड की कमेटी में आयगा जिसमें कि भारत सरकार के आदमी भी नॉमिनेटेड हैं। इस प्रकार सारी प्रक्रिया बना दी है और उस प्रक्रिया के अनुसार यह सारा काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी ज्यादातर पर्चेजेज भी पर्चेज पूल पर होती हैं। 90 प्रतिशत पर्चेजेज एक कॉमन पूल पर होती हैं, जो कि बोर्ड और चीफ इंजीनियर के लेवल पर है। यदि 25 लाख से ऊपर की पर्चेजेज हों तो बोर्ड के लेवल पर और 25 लाख से नीचे हों तो चीफ इंजीनियर के लेवल पर होती हैं। इस तरह से पर्चेजेज को हमने बिलकुल रेगुलेराइज कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे सारे माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी को सुनने के लिये बेचैन हैं। एक ही बात अन्त में कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे पर बहुत चार्ज लगाये हैं आज मैं उन पर एक चार्ज लगाना चाहता हूँ। भैरोंसिंह जी शेखावत पश्चिमी राजस्थान के एक नम्बर के दुश्मन हैं, यह मैं चार्ज लगाना चाहता हूँ, यह चार्ज मैं साबित करना चाहता हूँ। सन् 1976 में कांग्रेसी सरकार ने 5 लिफ्ट योजनायें बनाई थीं राजस्थान नहर से, एक नोहरसावा, दूसरी गजनेर, कोलायत, पोकरण और फलौदी। उससे पश्चिमी राजस्थान की काया-पलट होने की बात थी। लेकिन ज्योंही जनता पार्टी सरकार में आई, उन्होंने पांचों योजनाओं को सस्पेंड कर दिया। यह योजनायें वह योजनायें हैं जो पश्चिमी राजस्थान को जीवन देने वाली योजनायें हैं। इन योज-

(श्री चन्दनमल बैद)

नाम्रों को इन्होंने बंद कर दिया और यह कह करके बन्द कर दिया कि कहां से पानी आयगा, कहां से बिजली आयगी, कहां से पैसा आयगा ?

श्री अध्यक्ष : इसका परिणाम उनके लिये बुरा ही रहा।

श्री चन्दनमल बैद : बुरा ही रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, उस समय गनेरीसाबा योजना बनाई थी पीने के पानी की, उस से 353 गांवों को पीने का पानी मिलना था। उस योजना को भी हम एक डेढ़ साल तक चला चुके थे, इन्होंने इस योजना को भी ठप्प कर दिया। और ठप्प कैसे किया ? पाइप से पानी लायें या चैनल से पानी लायें, इसका निर्णय नहीं लिया। उनका निर्णय अब हमको लेना पड़ा। आज उन 353 गांवों में से बहुत से गांवों में पानी पहुंच गया है। कल ही कृषि मंत्री देवेन्द्र सिंह जी ने एक योजना का वहां पर उद्घाटन किया है। उन्होंने देखा कि पानी आने पर किस तरह लोगों के चेहरों पर खुशी थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं, यह चार्ज लगाना चाहता हूँ और बराबर यह चार्ज लगाना चाहता हूँ कि भैरोंसिंह जी शेखावत पश्चिमी राजस्थान के एक नंबर के दुश्मन हैं। पश्चिमी राजस्थान उनको सुहाता नहीं और इसलिये दुश्मनी उन्होंने निकालनी चाही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, कि ग्राम तौर पर जितनी भी बातें उन्होंने कही थी, मैंने एक एक का जवाब दे दिया है। और कोई बाकी रही हों तो फिर बजट के अवसर पर वह और उनके साथी बोलेंगे तो उनका जवाब दूंगा। हमारी तो एक ही मंशा है कि राजस्थान नहर जल्दी से जल्दी बने, अच्छी से अच्छी बने, जिससे हम हमारे हिस्से का पानी ले सकें, जैसलमेर, बाड़मेर और उस इलाके में बहबूदी ला सकें, वहां पर भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्रान्ति कर सकें और वह काम कर सकें जो 20 लाख वर्ष में किसी ने नहीं किया। यह गौरव हम प्राप्त कर सकें, यह गौरव हमारे इंजीनियरों को, हमारे मजदूरों को, हमारी कांग्रेस पार्टी को मिल सके, यही हमारी मंशा है, यही हम करना चाहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जिसको कि इस सदन के माननीय सदस्य मण्डावा से आने वाले श्री रामनारायण चौधरी ने यहां पर पेश किया, पर कुल मिलाकर 5 दिन तक लम्बी बहस चली। इसमें कुल मिलाकर 25 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं सबसे पहले, अपनी बात कहने के पहले हमारे दल के उन माननीय सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कांग्रेस की आजादी की ऐतिहासिक परम्परा को लेकर और जो विरासत हमें मिली है, उसका ब्यौरेवार जिक्र करके, इस महान देश के निर्माण की जो कल्पना जवाहरलाल नेहरू

(श्री शिवचरण माथुर)

और इंदिरा गांधी ने की, उसकी क्रियान्विति का इतना सटीक यहां पर वर्णन किया जिसका आज तक उदाहरण नहीं है।

मैं श्री रामनारायण चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अनुभवी विधायक और एक पुराने कांग्रेस कर्मी की तरह से एक ऐतिहासिक भाषण यहां पर देने की स्थिति पैदा की और राजस्थान की उन सारी स्थितियों, जो आजादी के पहले की और आजादी के बाद की कांग्रेस के माध्यम से बनी हैं, का वर्णन किया। जनता पार्टी के वक्त में जो एक योजनाबद्ध तरीके के काम को नकार करके देश को पीछे ले जाने की साजिश जनता पार्टी ने की थी, उसकी भी नकाब उन्होंने खोलने की चेष्टा की! मैं मानता हूँ, वे धन्यवाद के पात्र हैं, हम सब लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि जनता पार्टी का शासन आयोगों का शासन था, एक के बाद एक आयोग, इंदिरा गांधी पर आयोग, यहां कानसिंह कमीशन, दूसरा कमीशन और बेरी कमीशन, ऐसे कितने कितने कमीशन बनाकर एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के नेताओं को ऊंचे से लेकर नीचे तक फंसाने की जबर्दस्त साजिश की गयी। उसका परिणाम क्या हुआ ? जनता ने ढाई साल के शासन के बाद उनको इधर से उधर भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी इस बात को नहीं दोहराया। उन्होंने ढाई साल के अन्दर जितनी गलतियां की, नीतिमूलक गलतियां की, हमने सोचा, राजनीतिक भूलें इन्होंने की हैं, अपने आप राजनीतिक दृष्टि से समाप्त हो जायेंगे, हम इसका कारण क्यों बनें ? यह भी चाहते थे, हम भी वह काम नहीं करते। हमारे सामने देश के निर्माण के महान उद्देश्य थे, और हैं, उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

जनार्दन सिंह जी गहलोत ने प्रस्ताव का समर्थन करते समय 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों का यहां पर जिक्र किया। कांग्रेस शासन में, खास तौर से ढाई–तीन साल के शासन में जो मूल समस्याएं, आम आदमी की हैं, विकास की समस्याओं के अलावा छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनको हम पिन प्रिक्स कह सकते हैं, उन पिन प्रिक्स को, आम आदमियों की समस्याओं को हल करने के लिए जो अभियान चलाये, उनका भी जनार्दन सिंह जी ने जिक्र किया और यह कहा कि हमने बहुत से यहां पर काम करने की कोशिश की। उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं लेकिन उनको समझकर उन गलतियों को ठीक करने का काम कांग्रेस ने किया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री माणक मेहता जी ने राजस्थान की परम्पराओं की याद दिलाई और देश के चहुमुखी विकास की कल्पना यहां पर बताई। श्री सी. पी. जोशी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ मौलिक बातों का यहां पर जिक्र किया और यह बताया कि 20 सूत्री कार्यक्रम केवल एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती है गरीबी को मिटाने की, उसको मिटाने का इंदिरा गांधी का कार्यक्रम है। उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न

(श्री शिवचरण माथुर)

केवल पार्टी का आह्वान किया है बल्कि इसके लिए सभी विरोधी दलों और बड़े पैमाने पर जनता का आह्वान किया है कि इस महान यज्ञ में जनता हमको सहयोग दे, उसका बहुत विस्तार से यहां पर जिक्र किया।

उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी पक्ष ने कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों का एक योजनाबद्ध तरीके से विरोध किया है जिससे कि आम जनता यह महसूस करती है कि हम प्रजातन्त्र में विरोध-पक्ष चाहते हैं, विरोध पक्ष आये लेकिन इस प्रकार के विरोध पक्ष, जो केवल नकारात्मक दृष्टिकोण रख कर चलना चाहता है, जो अपनी बात थोपने की कोशिश करें, अल्पमत में होने के बाद भी और बहुमत की बात सुनना न चाहे, का मैं समझता हूँ, उन्होंने पर्दाफाश किया और यह कहा कि कांग्रेस ने जिन प्रगतिशील नीतियों को अपनाया उन प्रगतिशील नीतियों को विरोध-पक्ष ने एक योजनाबद्ध तरीके से नकारने की कोशिश की।

इसके अलावा हमारे दूसरे माननीय सदस्य श्री अमीन खां जी, श्री देवीलाल जी शाहपुरा, श्री जयदेव प्रसाद जी इन्दोरिया हमारे वयोवृद्ध पूज्य पण्डित जी ने हमको कुछ कड़वी बातें भी कहीं। मैं समझता हूँ कि हममें ही क्षमता है कि हम जब कहीं गलती करते हैं. अपने बुजुर्गों से सुनने की भी हम में आदत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिये। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यही प्रजातन्त्र का तकाजा है, इसी तो प्रजातन्त्र कहते हैं। हम अपनी अपनी सब बात सुनते जायं, तारीफ की बात सुनें और अगर कोई गलती की बात, हमारे पहले वाली सरकार के लोग कहें तो नाराज हों, यह प्रजातन्त्र नहीं होता है।

विदानसिंह जी, रामधन जी, शोभाराम जी, भैरूंलाल जी भारद्वाज, देवदत्त जी तिवाड़ी, अमरा राम जी चौधरी, द्वारका प्रसाद जी बैरवा, जो हमारे इस दल के माननीय सदस्य हैं, ने बहुत बहुमूल्य सुझाव अपने भाषण में दिये। मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सुझाव उन्होंने दिये हैं अक्षरशः उनको नोट किया गया है और उन पर निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे।

इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो भी बातें यहां कही हैं हम उनको मेंडेट मानते हैं, यह मानते हैं कि इन माननीय सदस्यों के पीछे एक सार्वजनिक जीवन का इतिहास है, उनका बैकग्राउण्ड है और वह जब अपने क्षेत्र की बातें कहते हैं तो हमारा फर्ज है कि उनको उसी दृष्टि से लेकर जो कुछ भी हम कर सकते हैं आज के सन्दर्भ में करने की चेष्टा करें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, आज का हमारा विरोधी पक्ष भले ही बाहर कितना ही लड़ता हो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अनमेल जोड़ा चलेगा कैसे। भारतीय जनता पार्टी, जो दकियानूसी पार्टी है, अप्रगतिशील पार्टी है, पलायनवादी पार्टी है और प्रगति में जिसका विश्वास नहीं है, समाजवाद में जिसका विश्वास नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में जिसका विश्वास नहीं है, का साथ कौन देते हैं? उसका साथ

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, मैं और मेरा दल, एक सी. पी. आई. और सी. पी. आई. (एम) देती है भारतीय जनता पार्टी लेसिज फेअर के सिद्धान्त में विश्वास करती है, समाज का स्वामित्व हो सोर्सेज आफ प्राडक्शन पर, किसी की पूंजी व्यक्तिगत नहीं हो, सारी पूंजी देश की, समाज की पूंजी हो, राज की पूंजी हो। दोनों में एक भयंकर विरोधाभास है लेकिन यहां पर बैठ कर मेघराज जी तावड़ और त्रिलोकसिंह जी ग्राम-ग्रवाम के प्रतिनिधि XXX की चर्चा करते हुए भैरोंसिंह जी शेखावत के साथ अपने को पिछलग्गू बनाने की चेष्टा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह अनमेल विवाह कैसे चलेगा और कहां तक चलने वाला है? यही कारण है हिन्दुस्तान की जनता समझती है कि इस देश की विरोधी पार्टी के लोगों पास न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम है। हम समझ सकते हैं, हम लोगों का कोई ठेका नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा यही कहा, हम अगर एक पार्टी के राज में विश्वास करते तो प्रजातन्त्र की बात क्यों करते 1977 के पहले। मैंने 1980 में भी धन्यवाद का प्रस्ताव मूव करते हुए यही बात कही थी और मैं आज इसको फिर दोहराना चाहता हूँ। ये विरोधी पार्टी के लोग 1977 से पहले हमारे बारे में यह कहा करते थे कि इंदिरा गांधी तो तानाशाह हैं। अगर जनता इनको वोट से भी हरा देगी तो वह सत्ता नहीं छोड़ेंगी, यह कहा करते थे। विरोधी पार्टियों के नेताओं के वक्तव्यों को उठा करके देख लीजिये। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कांग्रेस ने प्रजातन्त्र को इस देश में कायम किया है और हमारी जिम्मेदारी है प्रजातन्त्र को कायम रखने की।

इन्दिरा गांधी ने 1977 में जनता के फैसले के बाद में एक मिनट भी दिल्ली में रहना पसन्द नहीं किया। मोरारजी भाई को सत्ता सौंपकर बाहर आ गई। उन्होंने बाहर से विरोधी पक्ष में बैठ कर के जनता की सेवा करने का व्रत लिया। देश में कांग्रेस कर्मियों को कहा कि तुम जाओ और बिना आधार के, बिना किसी नीति के कार्यक्रम के जो एक XXX गठबन्ध देश में राजनैतिक आधार पर बना है उसका पर्दाफाश करो। हम जानते है कि एक मुल्क को बनाना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से हिन्दुस्तान जैसे मुल्क को, जिसकी 70 करोड़ की आबादी हो, उस आबादी के सामने इतनी समस्यायें हों, उसमें यदि स्पष्ट रूप से हमारी नीतियां साफ नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा। इन्दिरा गांधी जानती थीं एक बहुत दूरदर्शी नेता की तरह से कि इन पार्टियों ने जो एक घरोंधा बनाया है और गान्धी जी की समाधि पर जाकर जयप्रकाश जी को बीच में लेकर जो सौगन्ध खाई थी इस सौगन्ध के बावजूद यह पार्टियां गिरने वाली हैं। ये पार्टियां गिर जायं, हम लोग सत्ता में रहें इसकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है लेकिन इस देश का क्या होगा, यह देश पीछे पड़ जायगा, इस देश का सर्वनाश हो जायगा, यह चिन्ता उन्होंने व्यक्त की थी। यह चिन्ता उनकी सत्य सिद्ध हुई थी, ढाई

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपनोपित किया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

साल तक यह चल नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से कोशिश की उन्होंने, यह पहला शायद उदाहरण होगा, अध्यक्ष महोदय, जब कि ढाई साल के अन्दर भारत में दो प्रधान मन्त्री बने हों, एक मोरारजी भाई बन गये और उनके बाद चरणसिंह जी आये। यह भी पहला उदाहरण होगा, चरणसिंह जी प्रधान मन्त्री बने, शायद हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र के इतिहास में यह उदाहरण पहली बार देखने और सुनने को मिला होगा कि एक प्रधान मन्त्री प्रधान मन्त्री की गद्दी पर तो बैठ गये लेकिन पार्लियामेंट का सेशन आने से पहले ही अपनी गद्दी छोड़ करके भाग गये। तो आप अन्दाजा लगायें, मुझे चिन्ता इस बात की नहीं है कि मेरी पार्टी सत्ता में रहे, न रहे। इन्दिरा जी यही तो कहती हैं हमें चिन्ता बात की नहीं है, हम सत्ता में रहे या नहीं रहें, हमें चिन्ता इस बात की है कि इस मुल्क में हजारों, लाखों वर्षों से जो परम्परा चलती थी सामन्तवाद की, हम तो तिहरी गुलामी की बात कहते हैं, हमारे माननीय सदस्यों ने तिहरी गुलामी और दोहरी गुलामी की बात कही, हम तो राजाओं के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे और जागीरदारों के गुलाम थे, उस सारी परंपरा में जो कुण्ठा का वातावरण हमारे देश में और प्रदेश में चल रहा था उससे बाहर निकल कर हमने एक आजाद मुल्क की तरह से सांस लेना प्रारम्भ किया है। कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा न हो जाय कि फिर से हम उस गड्डे में गिर जायं। आज दुनिया के देश चाहते हैं, दुनियां के देश हिन्दुस्तान की तरक्की पसन्द नहीं करते क्योंकि हिन्दुस्तान दुनियां का 1/5 हिस्सा है आबादी के लिहाज से और प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से भी एक महान् देश बनने की कल्पना जिसकी है, और साधन जिसमें उपलब्ध हैं। आज दुनियां के बड़े देश दुनियां की बड़ी ताकतें नहीं चाहती हैं कि हिन्दुस्तान आगे बढ़े. इसलिये हमने यह कहा कि दुनियां के देशों की परवाह नहीं करते हुये, हम चाहते हैं कि हर मुसीबत का सामना करते हुये आगे बढ़ेंगे। वह बढ़ने का एक ही तरीका है। जिस दिन इस देश में प्रजातन्त्र नहीं रहेगा, जिस दिन यह वोट का राज नहीं रहेगा और हमको और आपको यह डर नहीं रहेगा कि 5 साल के बाद में जनता के बीच में जाना है और जनता हमारी असली मालिक है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह विकास का काम रुक जाने वाला है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि विरोध पक्ष की बेंचें आज खाली हैं मेरी बात सुनने को। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी कांग्रेस की विरासत है, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उसको महान् सदन की प्रोसीडिंग्स की मार्फत राजस्थान की जनता सुने, राजस्थान की जनता पढ़े और देश की जनता जाने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के उसूल हैं उनके आधार पर हम यहां पर बैठे हुये हैं। हम किसी गठजोड़ की वजह से नहीं बैठे हुये हैं। जब भी नाराज होगी हमारे देश की प्रजा तो हमारी गलतियों पर नाराज होगी, यहां पर बैठायगी तो हमारी नीतियों के आधार पर बैठायगी क्योंकि हमने सही तौर पर प्रजातन्त्र में विश्वास किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन के मार्फत आपके द्वारा कांग्रेस की प्रजातन्त्र में गहरी आस्था के प्रति अपना संकल्प फिर से दोह–

(श्री शिवचरण माथुर)

राना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है, कांग्रेस ही ऐसा दल है जो इस देश को महान् बना सकता है। कौन नहीं जानता कि यह देश आजादी के 36–37 सालों के अन्दर दुनिया के पहले 10 औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देशों में अपना स्थान प्राप्त कर चुका है? कौन इस बात को नहीं जानता कि आज तकनीकी दृष्टि से जो हमारे पास मैटीरियल है, हमारे पास साइन्टिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनियां में हमारा तीसरा स्थान आता है? इस बात को कौन नहीं जानता है, यह 37 साल के पहले क्यों नहीं हुआ ? कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी के वक्त में 5 करोड टन अनाज पैदा होता था और आज 13 करोड़ 14 करोड़ पैदा होता है। हमारे देश की नीतियों और योजनाओं के आधार पर, उनकी क्रियान्विति के आधार पर यह सारी बातें हुई हैं। मैं कह सकता हूँ कि देश में यह वातावरण बना रहे, प्रजातन्त्र कायम रहे। कांग्रेस का वर्चस्व आगे इसी प्रकार चलता रहे तो वह समय ज्यादा दूर नहीं जब कि हम दुनिया के अच्छे, उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के मुल्कों में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। मैं कोई सामरिक दृष्टि से इस देश को महान बनाने की कल्लपा नहीं करता। मैं यह नहीं चाहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सामरिक दृष्टि से हम इतने शक्तिशाली बन जायं, हम छोटे मुल्कों या बड़े मुल्कों का मुकाबला करके उनकी आजादी को खतरे में डालें। लेकिन हम चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक ऐसा देश बनाने की कल्पना हमारे दिमाग में है जिसको कह सकते हैं हिन्दुस्तान। उस समय जब कि सभ्यता का उदय नहीं हुआ था दुनिया में दुनिया का गुरू था, आज वही कल्पना हमारे दिमाग में है, वही स्थिति हम लाने के लिए आज संकल्पबद्ध हैं। वही बात आज हमारी नेता कहती हैं, हमारे दिमाग में हैं। उन कल्पनाओं के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में तो यह कल्पना है, मैं कहना चाहता हूँ बहुत सफाई से, माननीय चन्दनमलजी बैद ने तो बहुत नर्म ढंग से इस बात को कहा है लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, भैरोंसिहजी शेखावत सन् 1952 से लगाकरके आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा नाराज हैं तो मुझसे, क्यों नाराज हैं, उसका मूल कारण है, मैं सैद्धान्तिक रूप से इनको यह मानता हूँ कि दकियानूसी पार्टी के नेता हैं। मैं इनसे कभी भी समझौता नहीं कर सकता। ठीक बात है, अपनी बात कहें, समझ में आती है। हम सही बात मानने को तैयार हैं लेकिन जो यह बात कहें उसको मान लें यह कम से कम मेरे से नहीं हो सकेगा। मैं कोई विनम्रता नहीं छोड़ना चाहता हूँ, किसी के प्रति अनादर का भाव भी नहीं रखना चाहता हूँ लेकिन भैरोंसिंह जी यदि यह कहें कि वह जो कहें यहां पर, धांधली मचाकर और यहां गलत बात कह करके हमको काऊ डाउन करने की कोशिश करें, तो मैं कम से कम वह नहीं होने दूंगा। मेरी पार्टी के माननीय सदस्य, मैं बहुत कम बोलने में विश्वास करता हूँ। आज यही बात में इस माननीय सदन के मार्फत राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, हममें

(श्री शिवचरण माथुर)

अगर कमी होगी, हम कसौटी पर आयेंगे, एक साल से कम का समय पालियामेंट के लिए हमारे चुनाव का है, करीब साल भर के, उसके बाद हम इस विधान सभा में दुबारा आने के लिए जनता के सामने आयेंगे, हमारी कसौटी होगी, हमारी परीक्षा होगी, और यदि परीक्षा पर, कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, हमको यहां बैठने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन यह जनता की मार्फत कीजिये। यह धामधूम करके और यह गलत बातें करके, गलत परम्परायें डाल करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे अफसोस है बावजूद इसके कि हम एक अच्छी परम्परा के साथ सदन को चलाना चाहते हैं, उनका हमेशा से यह रहा है, भैरोंसिंह जी का, 1952 से आज तक का इतिहास देख लीजिये, मन्त्रियों का, मुख्य मन्त्रियों का चरित्र हनन करने की उनकी एक योजनाबद्ध तरीके से कोशिश रही है, उनमें महारत रही है। उनको विकास के काम में, रचनात्मक काम में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन किसकी इज्जत कैसे खराब की जाय, किसका चरित्र किस प्रकार से गिराया जाय, इसमें जितनी कुशलता, जितनी महारत भैरोंसिंहजी शेखावत में है शायद राजस्थान के और देश के किसी भी पालिटिशियन में नहीं होगी। हम कहते हैं हम उस तरह की इनकी सारी हरकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुझे आज दुःख है कि मुझे इतनी बात कहनी पड़ रही है। लेकिन चाहता यह हूं कि इस सदन में कोई अच्छी परम्परा का निर्माण किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा आप सब विरोधी पार्टी के लोगों को बुला लीजिये, कुछ बातें आप तय कीजिये। सदन के नेता को, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को अपनी बात कहने के लिये इजाजत भी दी जाय और आप उधर से बैठकर के आवाज उठाते रहें, यह परम्परा कहां तक चलेगी। आप बैठ कर कुछ निश्चय कीजिये। मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप सब लोगों को बुलाइये, वरना तो जो एक परम्परा प्रजातन्त्र में पड़नी चाहिये अगर वह नहीं पड़ेगी तो जनता हमको एक प्रकार से धिक्कारेगी। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में कुछ प्रयत्न कीजिये और कुछ अच्छी परम्परा डालने की शुरुआत यहां पर करें। हम कहना चाहते हैं कि इस काम में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारी तरफ से बहुत विनम्रता के भाव से मैं कहना चाहता हूं, हम कहीं पर भी इस सहयोग में लेक नहीं करेंगे। आपको पूरा सहयोग देंगे अच्छी परम्पराओं का निर्माण करके। सदन में विरोध भी हो, हमें एतराज नहीं है, सरकार के ओमीशन और कमीशन की खूब आलोचना भी की जाय, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन यह तो कभी नहीं हो सकता कि आप ओमीशन कमीशन बता करके कुछ XXX अनर्गल बाते कह करके चले जायं और हमको बात कहने का मौका नहीं दें। यह कम से कम बात नहीं होनी चाहिये। इसका कोई रास्ता अगर आप निकाल सकते है तो मैं बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा दल आपके प्रति आभारी रहेगा, यह बात मैं कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें जो

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

यहां पर कही गई उनके बारे में कहूँ, उसके पहले कुछ रचनात्मक बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि विध्वसात्मक और नकारात्मक बातें तो बहुत होती हैं, प्लेटफार्म पर भी होती हैं लेकिन यह सदन इस काम के लिए नहीं है। मैं कुछ उन पाजिटिव बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनको कि कांग्रेस ने किया है और राजस्थान में हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता के आदेशों के मुताबिक कर रहे हैं, जो आदेश हमको दे रही है, उन मुताबिक हम कर रहे हैं। यह हमारा गौरव है, इन्दिरा गांधी के बारे में इस सदन में, बाहर जहां भी हमको मौका मिले उनके बारे में हजार बार हम कहें तो हम गौरवान्वित अपने आपको अनुभव करते हैं क्योंकि वह उस परिवार की बेटी हैं जिसने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, एक पीढी ने नहीं, चार पीढ़ियों ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्दिरा गांधी ने, संजय गांधी और राजीव गांधी ने। आज इस परिवार के सामने अपना परिवार, अपना सुख कुछ नहीं है। इनके सामने यदि कल्पना है तो केवल देश की कल्पना है। यदि मेरे दल के माननीय सदस्य इन्दिरा गांधी की बात कहें, रामनारायण चौधरी इन्दिरा गांधी को बात पचास बार कहें और मैं सौ बार कहूँ तो मैं समझता हूं कि हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं और आगे भी कहेंगे। इसमें भैरोंसिहजी शेखावत को क्यों शिकायत होनी चाहिये। उनको तो इसकी शिकायत है कि उनका कोई नेता ही नहीं है। मोरारजी भाई को वह नेता नहीं मानते चन्द्रशेखरजी को वह नेता नहीं मानते, चरणसिंह जी को नेता मानने का सवाल ही नहीं है। अब की बार उन्होंने मण्डावा में एक प्रयोग किया था। अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिह जी शेखावत ने यह कहा कि सरकार वर्चस्वहीन है, यह उन्होंने कहा था कि सरकार का कोई वर्चस्व नहीं है। अब की बहुत फनफेयर से वह मण्डावा के मैदान में उतरे, और भैरोंसिह जी शेखावत 12 दिन, रामनारायणजी मुझे करेक्ट करेंगे कितने दिन रहे वह ?

श्री रामनारायण चौधरी : 12 दिन।

श्री शिवचरण माथुर : 12-15 दिन, 12 दिन से ज्यादा ही रहे होंगे। वह पूरा डेरा लगाकर वहां बैठे रहे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : रामनारायण जी ने उनका बारहवां कर दिया, हरा करके।

श्री शिवचरण माथुर : भारत भर के अखिल भारतीय नेता श्री चौधरी चरणसिंह जी, जॉर्ज फर्नान्डिस, स्वामीजी और न जाने कौन-कौनसे नेता वहां पर आये। और एक जगह तो भैरोंसिहजी शेखावत ने माला पहना दी उनको, चरणसिंहजी को। उन्होंने कहा, भाइयो, बोलो, मैं चरणसिंह जी को आपकी इजाजत से माला पहना दूं। तो लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने मौन स्वीकृति समझकर माला पहना दी चरणसिंहजी को। चरणसिंहजी ने सोचा कि भाई भैरोंसिह जी का बड़ा चलता होगा यहां, ये बड़े नेता होंगे राजस्थान के। वह यहां से खुश हो करके चले गये, अब तो मेरा प्रतिनिधि चुन करके आ जायगा लेकिन जब जनता ने फैसला दिया, अध्यक्ष

(श्री शिवचरण माथुर)

महोदय, वह देश के स्तर पर जो फिर से एक नापाक गठबन्धन राजनीति में हुआ था, जिसको बड़े फेनफेयर से टेस्ट करना चाहता था हमारा अपोजीशन, उसकी कलई मण्डावा के चुनाव क्षेत्र में खुल गई। पहले हम 1400 वोटों से वहां पर हारे थे और अब की बार 2600 से हम जीते। इसका मतलब यह है हमारी जीत चार हजार वोटों की हुई।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 2700

श्री शिवचरण माथुर : क्या ?-कोई बात नहीं 2700, और 2600 से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार हजार से अधिक वोटों से, अध्यक्ष महोदय, हम वहीं पर जीते अब की बार। उन्होंने यह कहा कि ट्रेन्ड सैटर होगा यह इलेक्शन, सारे हिन्दुस्तान के जो 13 चुनाव हुए उस वक्त में और उसमें बड़े जोर से विरोध पक्ष के लोगों ने कहा कि ट्रेन्ड सैट करने वाला यह चुनाव होगा। इसमें अगर विरोध पक्ष जीत गया तो इन्दिरा गान्धी समाप्त, कांग्रेस पार्टी समाप्त। भैरोंसिहजी ने तो वहां भाषण जनता में खूब दिये, अन्दर जब रावलों में जाते थे, घरों में जाते थे, तो अन्तरंग ढंग से कुछ और कहते। वहां यह कहते थे, भई देखो, यह कसौटी का वक्त है, इस बार अगर इस चुनाव में मैं जीत गया तो अगली बार कुछ दिनों के बाद में मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री फिर से वापस। यह बात अन्दर से कहते थे। लेकिन एक तरफ अन्दर तो दूसरी बात चलती है, बाहर जनता उनको मजा चखाने के लिये, उनको कई उनके परिप्रेक्ष्य में उनके मुखौटा दिखाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मण्डावा का चुनाव राजस्थान में नहीं, देश में आगे आने वाले ट्रेन्ड का एक प्रतीक है, आगे आने वाले वक्त में हिन्दुस्तान को जनता क्या चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई घमण्ड की बात नहीं कहता और न इसमे कोई मेरा अपना श्रेय है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी, इन्दिरा गांधी की नीतियों का परिणाम है, इस साढ़े तीन साल के दौरान हमारे राजस्थान के प्रदेश में पांच बाई-इलेक्शन हुए उन पांच बाई इलेक्शन में चार बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती। इन चारों बाई इलेक्शन में हमने दो सीटें जीती हैं, वह विरोधी पार्टी से जीत कर ली है, एक लोकदल से मण्डावा की ली। एक सीट जो बी. जे. पी. को मिली है, दौसा वाली, वह सीट हमारी नहीं थी वह तो सीट पहले ही उनकी थी। तो इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी सीट कहीं पर भी गंवाई नहीं है। पांच सीटों में से हमने दो सीटें विरोध पक्ष से ली हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, लोक-सभा के दो चुनाव यहां पर हुए, एक सुखाड़ियाजी की सीट खाली हुई उदयपुर की उसमें जो मार्जिन हमको 1980 में मिला था उससे 25 हजार वोटों से अधिक मार्जिन हमको वापस मिला। अध्यक्ष महोदय, बयाना में एक उपचुनाव लोक सभा का हुआ उसमें भी करीब 20 हजार मतों से कांग्रेस ने सीट जीती है। कांग्रेस पार्टी का, इस दल का वर्चस्व नहीं है, यह क्या इस बात का संकेत करता है ? अगर वर्चस्व नहीं होता तो अध्यक्ष महोदय, जनता हमें पसन्द नहीं करती।

(श्री शिवचरण माथुर)

अब भैरोंसिहजी ने मेरे बारे में यह कहा कि मैं बहुत घोषणायें करता हूं जगह जगह और मेरी घोषणायें अधूरी रहती हैं। शायद उन्होंने यह कहा कि घोषणायें करने में माहिर हूं। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारे कई साथी नाराज भी होते हैं इस बात से कि पब्लिक मीटिंग होती है, या ग्राम सभा होती है तो, साहब, यहां पर आप यह बात कह कर जाइये। मैं हमेशा यह बात कहता हूँ, जिस बात को हम कर सकते हैं उसी बात को हम सार्वजनिक रूप से कहेंगे। जिस बात को हम नहीं कर सकेंगे उसको हम नहीं कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक रूप से कुछ बातों की घोषणा की थी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैंने यह कहा था कि 16 साल से जो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे उनको हम करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने 1981 में पंचायत चुनावों का एलान किया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उस समय 26 जिले हमारे थे, एक जिला बाद में बन गया 26 के 27 जिले थे, जिला प्रमुख जीत के आये। 80 फीसदी से ज्यादा हमारे पंचायत समिति के प्रधान जीतकर आये। उसी अनुपात में नीचे सरपंच और पंच जीत कर आये।

अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहा था हम म्युनिसिपेलिटी के चुनाव करायेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है उस हमारी घोषणा को, वायदे को हमने पूरा किया और राजस्थान में अक्टूबर 1981 में जो हमारा 20 सूत्री संकल्प का कार्यक्रम था पूरे चुनाव का। 184 नगरपालिकाओं में से पहली बार, आप इतिहास उठाकर देख लीजिये, अधिक से अधिक 46, 54 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं। लेकिन एक साथ 143 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जिसमें जोधपुर जैसी नगरपरिषद भी शामिल है। कोई कहे कि छोटी छोटी नगरपालिकाओं के चुनाव आपने करा दिये, लेकिन आप तो जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की नगर परिषद के चुनाव हमने कराये उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस जीती। नगरपालिकाओं में भी कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और आज हमारी नगरपालिकायें वहां पर काम कर रही हैं। जो बाकी के चुनाव हुए हैं उनमें भी कुछ प्रशासनिक, कुछ कानूनी दिक्कत है, कहीं पर इलेक्टोरल रोल्स नहीं बने है, इलेक्टोरल रोल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साल खतम हो गया है, तो नये इलेक्टोरल रोल्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ व्यवधान उसमें है उनको पूरा करके जो हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करना चाहते हैं। हम कभी भी पलायनवादी नीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम जीतें या हारें लेकिन हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं। इन्होंने तो कभी चुनाव नहीं कराये।

अध्यक्ष महोदय, हमने सहकारी समितियों के चुनाव की बात कही थी, सहकारी समितियों के चुनाव कराये गये। प्राथमिक सहकारी समितियों के सम्पूर्ण रूप से राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। ऊपर के जिले के स्तर के कुछ हम अमेन्डमेन्ट्स लाना चाहते हैं। सहकारिता के कानून में कुछ मौलिक हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। उसमें जनता पार्टी ने कुछ विसंगतियां पैदा

(श्री शिवचरण माथुर)

कर दी थीं, उन विसंगतियों को दूर करके कुछ मौलिक परिवर्तन हम कानून में लाना चाहते हैं, उसकी वजह से कुछ चुनाव रुके हुये है। उनको जल्दी से जल्दी कराने की हमारी इच्छा है यह भी हमने वायदा किया था।

इसके अलावा कुछ बातें हमने और कही थीं जैसे संस्कृत विद्यापीठ की बात हमने कही थी। संस्कृत विद्या पीठ स्थापित कर दी गई है, जल स्रोत निगम के लिये हमने बात कही उसका काम शुरू हो गया है।

हमने यह घोषणा की थी कि 300 से अधिक आबादी वाले गांव में हम प्राइमरी स्कूल खोल देंगे। हमने प्राइमरी स्कूल खोले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरे दल के कई माननीय सदस्यों ने यह कहा, साहब, आपने 300 का कौन सा आधार ले लिया, इससे तो बहुत से विरोधी पार्टी के लोगों की कास्टीट्यूएंसी में खुल जायेंगे। मैं कह सकता हूँ, आप लिस्ट उठाकर देख लीजिये, बहुत से विरोधी पार्टी के लोगों की कान्स्टीट्यूएन्सी में किसी में 8, किसी में दस, कहीं 12 और कहीं 20-20 जगह स्कूल खोलने हैं। हमने एक आधार बनाया, उस आधार को पूरा करने की कोशिश की। यह हमारा एक वायदा था, एक घोषणा थी, उसको हमने पूरा किया, हमने भरतपुर में पोलीटैक्निक खोलने वाली बात की। पोलीटैक्निक खोल भी दिया। हमने भीलवाड़ा में एक पोलीटैक्निक खोलने वाली बात की। उसकी शुरूआत हो गई है। एक चूरू के सम्बन्ध में हमने घोषणा की थी कि चूरू और भीलवाड़ा में कि पैसा देकर मकान बनवा देगा तो उसका हम बनायेंगे। चूरू से अभी तक ऐसा प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है इसलिये वहां पर नहीं बन पाया है। लेकिन जहां पर हमने जो घोषणा की है उसको हमने पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ खास खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, जैसा शहरी क्षेत्रों में मैंने कहा, प्रशासनिक कठिनाइयां आम आदमी के लिये थीं, हमने वायदा किया था, उनको दूर करने के लिए हमने प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया। गांवों के आम आदमियों की शिकायतों को दूर करने के लिये हमने वायदा किया था, हमने। प्रशासन गांवों की ओर" एक अभियान चलाया और उसमें लाखों पुराने मसले, जो मैं समझता हूँ, अदालतों के बगैर पूरे नहीं हो सकते थे और जिसके लिये किसान परेशान था उन सबको हमने एक घोषणा के आधार पर पूरा किया। हमने जोधपुर, नाथद्वारा, जयपुर, भीलवाड़ा आदि में हस्तशिल्प कला के केन्द्र स्थापित करने की जो घोषणा की थी उसकी क्रियान्विति पूरी हो गई है। उर्दू भाषा के सम्बन्ध में हमने कहा था, हम उर्दू अकादमी का निर्माण करेंगे। उर्दू अकादमी का निर्माण कर दिया गया है। हमने यह भी कहा था कि हम छात्रवृति देंगे, जो उर्दू लेकर के साहित्य विषय के रूप में बी. ए. पास करेगा उसको और उसके बाद में यदि सैकण्ड क्लास पास है बी. ए. में उसे एम. ए. में सबिसडी देंगे। उसका प्रावधान हमने बजट में रखा पिछली बार, उसको हम दे रहे है, महिलाओं के सम्बन्ध में हमने घोषणा की। महिला विकास केन्द्रों की स्थापना हम कर

(श्री शिवचरण माथुर)

रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में अलग अलग भाषाओं की अकादमी है, हमारे पास सिन्धी अकादमी है, उर्दू अकादमी है। मैंने यह कहा था कि बृज का जो हिस्सा है, राजस्थान का उसके विकास के लिये, उसके सांस्कृतिक विकास के लिये भी एक बृज कमेटी की स्थापना की जानी चाहिये। उसकी क्रियान्विति हमने की है।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातें मैंने आपसे कही। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ इसके अलावा सैकड़ों छोटी कई घोषणा स्कूल के भवन के लिये, दूसरे भवन के लिये की। हमने एक एक का उदाहरण आपको दे सकता हूँ, मेरे कार्यालय का मैं पूरा ब्यौरा आपको दे सकता हूँ। जो भी सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेट फार्म पर कहा गया है उसका अक्षरशः हमने पालन किया है। अगर नहीं किया होगा तो उसके लिये कारण लोगों को बताये होंगे। आज भैरोंसिंह जी साहब ने यहां एश्योरेन्सेज की बात और डिक्लेरेशनकी बात कह कर कहा, गेलेरीज को प्ले करने वाली बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह एक स्टेटमेंट कृपया दुबारा यहां पर आयें तो आपको दे दें इसके लिये कि यहां उन्होंने जो घोषणायें की थीं, पहली बात तो घोषणायें करने का उनको वक्त ही नहीं मिला, वह तो उलझे रहे कमीशनों में आयोगों में, उनको विकास का काम करने की फुरसत ही कहां थी, निर्माण के काम करने की तो उनकी वृत्ति नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने की हो, एक घोषणा की चर्चा तो रामनारायण चौधरी ने की थी। वह शौचालय की घोषणा उन्होंने की थी। उसका जिक्र रामनारायण चौधरी ने किया। श्रीमती जी ने यानि रामनारायण चौधरी ने उनको याद दिलायी उसका ज़िक्र उन्होंने वहां पर किया था, इस प्रकार की घोषणा भैरोंसिंह साहब ने की थी। वैसी कुछ गिना दें तो मैं उनका आभारी होऊंगा और कहूँगा कि हमारे से ज्यादा उन्होंने काम किया हो तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे, सबक लेंगे, अपने में जो कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हममें कभी भी ऐसा दुराग्रह नहीं है कि हम दूसरे से नहीं सीखेंगे अगर दूसरों ने अच्छा काम किया है हम निश्चित रूप से उसको फोलो करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती उनकी बात को हमारे मुंह से डालने वाली बात कहें, अध्यक्ष महोदय, हमें स्वीकार, वह मुझे स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की यहां पर चर्चा करूंगा। आंकड़ों के जाल में माननीय सदस्यों को नहीं ले जाना चाहूँगा लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये हमने एक निश्चित रणनीति अपनायी, हमने कुछ टार्गेट मुकर्रर किये, टार्गेट्स को डीसेग्रेशन किया। जिले के स्तर पर उन टार्गेट्स को कैसे फैलाया जाय, उसका एक ब्यौरा बनाया, उसकी एक किताब छापी। जिले के अधिकारियों को वह डीसेग्रेगेटेड टार्गेट्स भेजे, हमारे जिले के प्रतिनिधियों को बताया कि भई, यह टार्गेट्स है, इनको पूरा करना है। उसके बाद में एक-एक जिले के मन्त्री मुकर्रर किये गये उस काम का मोनिटरिंग करने के लिये। यहां राजस्थान सचिवालय के स्तर पर प्रोपर मोनिटरिंग करने के लिए सेल कायम किया गया। और स्टेट लेवल की कमेटी बनाई गई उसमें जन-

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रखा गया। मोनिटरिंग का प्रोसेस, अध्यक्ष महोदय, उसकी प्रक्रिया अभी आपको निवेदन करूंगा, मोनिटरिंग हम किस प्रकार से करते हैं। उसका परिणाम है कि राजस्थान में पिछले वर्ष भी हिन्दुस्तान में पांच जिन हाई पर्फोरमेन्स थी स्टेट्स की, उनमें से नम्बर दो राजस्थान का रहा। यह कोई मूल्यांकन नहीं है, राजस्थान के सचिवालय का मूल्यांकन नहीं है लेकिन यह प्लानिंग कमीशन का मूल्यांकन है, उसके आधार पर हमको बोनस मिला है। यह बात मैं आपके ध्यान में ला दूं। पांच जो पहली स्टेट्स थी पांच स्टेट्स में हाई पर्फोरमेन्स ग्रुप के है जिन्होंने कि 80 पर्सेन्ट के ऊपर मुकर्रर टार्गेट अचिव किये हैं उनमें राजस्थान का स्थान दूसरे पर आता है अध्यक्ष महोदय, यह लेटेस्ट प्लानिंग कमीशन का डोक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इस डोक्यूमेंट में जनवरी, 1984 तक का मूल्यांकन हमारे पास मौजूद है यह मूल्यांकन हमने नहीं किया है यह प्लानिंग कमीशन का मूल्यांकन है। उसमें पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा राजस्थान का नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश तो बहुत छोटा प्रदेश है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश इसलिए आगे निकल रहा है कि उसका मूल्यांकन 20 में से 10 सूत्रों में होता है और हमारा 12 सूत्रों में होता है। हम कई सूत्रों में पीछे रह जाते हैं तो हमारा नीचे आ जाता है, लेकिन हम इस बात की परवाह किए बिना जो मौलिक कार्यक्रम है गरीबी को मिटाने का, एन्टी पावर्टी के प्रोग्राम जो हमारे हैं आज पर्सेन्टेज के हिसाब से अगर इंडीविजुअल पाइंट्स को आप लें तो एन्टी पावर्टी में राजस्थान का नम्बर पहला आयगा, यह मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। जो फरवरी के आंकड़े हमारे सामने आये, हमने भेजे हैं, हमने इनफार्मल तरीके से जो दूसरे स्टेट्स का अन्दाज लगाया है हमारा एवरेज आज भी करीब-करीब वही है, मैं समझता हूं जो मार्च में हमने एक सेग्रेगेटेड हमारे टार्गेट्स को पूरा करने की बात कही है लोगों को, उससे हो सकता है, मैं दावा नहीं करता, हो सकता है कि शायद हमारा नम्बर पहला भी आ जाय। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी प्रवृत्ति यह रही है कि सही मायने में जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, विकास का सही कार्यक्रम, देश की गरीबी मिटाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, वह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसको हम उसी दृष्टि से देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आंकड़ों का आधार अगर आप चाहेंगे, जनवरी तक का, फरवरी तक का हर माननीय सदस्य को भेज दूंगा तो उपयुक्त रहेगा। मार्च के अन्त तक जो हमारा....

श्री अध्यक्ष : मार्च में काम बहुत होते हैं, वह भी साथ भेजिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब एक बहुत फेन फेअर के साथ में और बड़े जोर से जैसी कि भैरोंसिह जी की

(श्री शिवचरण माथुर)

आदत है कागज उठाने की और झूठे-सच्चे आंकड़े देने की, उन आंकड़ों को वह वेरीफाई करें नहीं करें लेकिन वह पकड़ में आ जाते हैं। 1980 में भी मैंने अपना भाषण देते हुए उनको चुनौतियां दी थीं आंकड़ों के आधार पर। अब मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने दूसरी बात जो यहां पर कही वह यह कही कि बिजली की बात कहां है। मुख्य मन्त्री जी कलकत्ता गये, मुख्य मन्त्री जी बम्बई गये, मुख्य मन्त्री जी खाड़ी के देशों में गये, और वहां झूठे वायदे लोगों को करके आये, उद्योग पतियों को कहा कि आप आइये, आपका स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं बम्बई गया, कलकत्ता गया, मैंने किसी उद्योगपति को यह नहीं कहा कि आप आइये, आपका स्वागत है, हम पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करना चाहते हैं श्री भैरोंसिंह जी और दूसरे लोग, तो वहां एक परम्परा बन गई थी कि राजस्थान का जो भी मुख्य मन्त्री बनेगा, सबसे पहले कलकत्ता जायगा और उद्योगपतियों की मीटिंग में यह घोषणा करेगा, हम आपको यह सुविधा देते हैं। आइये, आपका स्वागत है। मैंने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था....

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके एकाध मन्त्री ने स्वागत का कहा तो था। कोई स्टेट मिनिस्टर होंगे या....

श्री शिवचरण माथुर : मैं मेरी बात कह रहा हूँ। मैंने तो जितनी भी सार्वजनिक सभायें हुई थीं, सार्वजनिक उत्सवों में एक ही बात कही थी। मैंने कहा, मैं यह नहीं कहता, मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाता कि मेरे पास बहुत पावर है। आज राजस्थान को जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सौ पर्सेन्ट कट है। यह मैंने बहुत साफ कहा था, मैं यह भी दावा नहीं करता कि बहुत जल्दी मैं जादू की तरह से इस सबको बदल दूंगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो हमारा पावर का प्रोफाइल है, जो हमारा पिक्चराइजेशन है पावर का आगे आने वाली हमारी जो योजना है उसके आधार पर है। आप समझदार हैं, मैं कितनी ही बात कहूँ, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पैसे वाला बगैर खुद जानकारी किये कहीं पर भी नहीं आयगा। वह खुद जाता है देखता है, हर प्रोजेक्ट को देख करके, उसकी छानबीन करता है, आने वाले पांच साल के अन्दर गवर्नमेंट का पावर प्लान क्या है, 20 साल में पावर की क्या स्थिति राजस्थान में होगी, इन सब बात को सोच-समझकर उद्योगपति आता है। केवल भाषणों से वह नहीं आता। इस बात को यह कह रहे थे कि उद्योगपति अपने आप सब छानबीन करता है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि आप आइये, मेरे पास इतनी पावर है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौरव के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि राजस्थान की इस बड़ी जिम्मेदारी को सम्भालने के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता यदि मैंने दी तो इसी बात पर दी कि राजस्थान के अन्दर हम कैसे बिजली के स्रोत पैदा करें। मैं कहना चाहता हूँ, यहां पर मैं थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, कष्ट दूंगा माननीय सदस्यों, को कुछ आंकड़े आपको बताने हैं, जो बहुत

(श्री शिवचरण माथुर)

जरूरी हैं। उन्होंने यहां पर कहा, बिजली कहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जब बना था तो 13 मेगावाट बिजली राजस्थान में पैदा होती थी और जब हमने इस राजस्थान की जिम्मेदारी श्री भैरोंसिंह जी शेखावत को सम्भलाई उस समय एक हजार छब्बीस मेगावाट बिजली हमें उपलब्ध थी। यह आप देखिये, जब हम दुबारा आये तो वह एक हजार छब्बीस मेगावाट बिजली हमको मिली। ओर क्या किया, अध्यक्ष महोदय, सस्ती वाह-वाही लेने के लिए पच्चीस हजार कनेक्शन देने की घोषणा कर दी। अब 2500 कनेक्शन देने का मतलब हुआ 250 मेगावाट इरिगेशन के लिए और दूसरे कनेक्शन देते गये, कनेक्शन तो देते गये, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। हम जब आये तो चारों तरफ बिजली की बहुत बुरी हालत, बिजली नहीं मिले किसान चिल्लायें। पहले साल 1981 में मुझे मालूम है, एक-एक हजार किसानों का जत्था मेरे सिविल लाइंस में आता था, उनको मैं बाहर जाकर के, चूंकि 144 का, लाइन के उस पार जाकर उनको बंधन लगा हुआ है, एड्रेस करता था। मैं कहता था, भाई आज दिक्कत यह है हम जानबूझ कर कान्सस निर्णय ले रहे हैं कि हम 25 हजार कनेक्शन नहीं देंगे, हम 25 की जगह ग्यारह हजार, दस हजार कनेक्शन देंगे। क्योंकि जो बिजली हमारे पास है उसको जितने लोग हैं उसमें बांट खायें, ज्यादा अच्छा है, थोड़ी चीज को हजारों आदमियों में हर एक को थोड़ा-थोड़ा बांट कर टुकड़ा दें। हमने किसान को साफ कहा, हमने कहा, आगे हमारी चेष्टा होगी, हम बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये हम सीरिअसली काम करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय, 1980-81 के अन्त में 1026.17 मेगावाट बिजली की उपलब्धि राजस्थान में हुई, वह बढ़कर 1981-82 में 1206.17 हुई, 1982-83 के अन्त में 1449.27 हो गई और 1983-84 के फरवरी के अन्त तक वह 1713.17 हुई। इसका मतलब यह हुआ, कि कुल मिलाकर 687 मेगावाट बिजली इन साढ़े तीन साल के कांग्रेस के शासन में हमने बढ़ाई।

श्री अध्यक्ष : यह तो फिर ए. पी. पी. धोखा नहीं देता तो और ज्यादा होती। ए. पी. पी. में बढ़ गया है क्या?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। यह तो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी की बात आपसे कर रहा हूँ। यह एक हजार छब्बीस मेगावाट की उपलब्धि जो हमारे राज छोड़ने के वक्त थी उसमें और आज में 40 पर्सेन्ट की बढ़ोत्तरी इन साढ़े तीन साल में हुई है। अब यह भी अगर भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को नहीं दिखे, इसमें मेरा क्या दोष है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप उन्हीं से पूछिये। कोटा के विद्युत घर का भी मैं आपसे जिक्र करूं, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा। कोटा पावर हाउस के बारे में 1976 में मेरे पास योजना विभाग था। इस कोटा के थर्मल पावर प्लांट को हमने पहली बार प्लानिंग कमीशन से मंजूर कराया। उसके बाद जनता

(श्री शिवचरण माथुर)

ने इधर से उधर बिठाया, कार्य हमने प्रारम्भ कर दिया । मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय आपका लूंगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ Planning Commission conveyed sanction for Kota Thermal Power Plant 96 crore. इसमें जो पैसा खर्च हुआ है उसका मैं विवरण आपको बताता हूँ । 1976-77 में 1.65 करोड़, 1977-78 में 6.67 जो उसका पीरियेड था, 1980-81 में 37.97 करोड़, 1981-82 में 28.78 करोड़, 1982-83 में 13.89, 1983-84 में जो बचा हुआ साल था उसमें सात करोड़ खर्च हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे पीरियड में 96.14 करोड़ हमने खर्च किया है और दोनों यूनिट कोटा की पहली यूनिट और 220 की दूसरी यूनिट में 220 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है । वह दोनों डेढ़ साल में शुरू हुये हैं । इसका श्रेय भैरोंसिंह जी लेना चाहते हैं, क्या हमने बिजली अपने आप में पैदा नहीं की । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज सारे देश में पावर प्रोजेक्ट के बारे में यह कहा जाता है जो लोड फैक्टर इन पावर प्लान्ट का है वह एवरेज से बहुत कम है । कहीं-कहीं 30 पर्सेन्ट का भी प्लान्ट लोड फैक्टर है और सारे देश में इसका औसत 50 पर्सेन्ट से नीचे आता है । मुझे कहते हुए खुशी है अध्यक्ष महोदय, कोटा के थर्मल प्लान्ट का लोड फैक्टर है नवम्बर, 83 में 73.93 पर्सेन्ट रहा, दिसम्बर, 1983 में 81.65 पर्सेन्ट रहा । जनवरी, 1984 में 78.07 पर्सेन्ट रहा, फरवरी, 1984 में 80.81 पर्सेन्ट रहा । अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस थर्मल प्लान्ट में काम करने वाले हमारे इंजीनियरों और मजदूरों को, जिनको मैंने कहा है एक सभा में कि यह तुम्हारे लिए चुनौती का सवाल है । यह प्लान्ट अगर चलता है तो राजस्थान की बहबूदी उसके साथ जुड़ी है, राजस्थान के विकास और तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है । आप अपने निजी स्वार्थों की परवाह नहीं करके एक राष्ट्रीय काम के लिए, अपने प्रदेश के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि हम एक अच्छा प्लान्ट लोड फैक्टर दे सकें और हिन्दुस्तान में मिसाल पैदा कर सकें । हमने पहली बार प्लान्ट चालू किया उसको टीथिंग ट्रबल्स होते हुए भी हमने इतना अच्छा पर्फोरमेन्स अपना दिखा दिया । मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वहां काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियर्स को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया । और भारत में कोटा यूनिट का प्लान्ट लोड फैक्टर का जो पर्सेन्टेज है बहुत ऊंचे, मैं समझता हूँ, जो 2–3–4 पावर प्लान्ट्स हैं उनके मुकाबले में हमारा यह कोटा थर्मल पावर प्लान्ट आता है । इसमें तो कई दिक्कतें थीं, हमारा साल भर तो निकल गया, जो बेलो आयी थी बीच को वह बेलो बीच में से पिचक गयी । उस बेलो का एक दूसरा डिजाइन बनाया गया । डिजायन को इटली भेजा गया । वहां से वह दोबारा बेलो बन कर आयी । वह बेलो भी काम नहीं दे सकी । इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी हमने रेगुलर मोनिटरिंग करके हमारे इंजीनियर्स ने और वर्कर्स ने एक शानदार काम किया है, मैं उसके लिए

(श्री शिवचरण माथुर)

बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमारी यूनिट बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने तो पहले प्रोजेक्ट के वक्त में एक अंदाज लगाया था उसमें दोनों यूनिटों से 30 लाख यूनिट की कल्पना की थी। 30 लाख यूनिट अगर हमें मिल जाते है तो हम बहुत खुश होंगे। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों यूनिट से आज राजस्थान को 36 लाख और 40 लाख यूनिट के बीच में बिजली मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर 1983–84 का सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने इन दोनों यूनिट्स से जो टार्गेट फिक्स किया था बिजली की अवेलेबिलिटी का वह था 373 मिलियन यूनिट। 375 मिलियन यूनिट दोनों यूनिट से फिक्स किया था उन्होंने इतना, टार्गेट उन्होंने बताया था, उसके मुकाबले में मुझे कहते हुए खुशी है कि दोनों यूनिट से 375 मिलियन यूनिट के बजाय 471·83 मिलियन यूनिट बिजली हमको मिल रही है। अब यह अगर अचीवमेन्ट नहीं है तो इसको क्या कहें, मेरी समझ में नहीं आता। इसके बावजूद भी अगर विरोधी पक्ष के नेता यहां पर कुछ अनर्गल बात करें तो यह उनको शोभा देता है, वह करते जाय।

श्री अध्यक्ष : इस साल खेती में बिजली की सप्लाई ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि एटोमिक पावर प्लान्ट की तीसरी इकाई के लिए राजस्थान ने कोई प्रयत्न नहीं किये। यह भैरोंसिंह जी ने कहा था कि अब जितनी बिजली मिल गयी है, कोई अनूपगढ़, कोई सूरतगढ़ की और चारणवाला की यह दो दो मेगावाट और 3–3 मेगावाट के स्रोत जो है, यह बताकर मुख्य मन्त्री जी बड़ी डींग हांकते हैं। आगे आने वाले राजस्थान के लिए उन्होंने क्या पावर का प्रोफाइल बनाया है, यह बात उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से यहां पर कही।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो साइट सलेक्शन कमेटी सुपर एटोमिक पावर प्लान्ट की थी, हमने कहा प्रधान मंत्रीजी को, मैं खुद गया उनसे निवेदन किया, हमारे कांग्रेस के पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स गये, विरोध पक्ष के पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स नहीं गये, उनका काम तो केवल गाली देना और विरोध करना है। विकास के काम में वह साथ नहीं हुये लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेन्ट मेम्बर्स हमारे साथ प्रधान मन्त्री जी से मिलने गये। उनसे निवेदन किया कि साहब, हमारी दो यूनिट वहां पर चल रही हैं, एक यूनिट तो हमेशा के लिए बंद है और एक यूनिट बीमार चलती है। हमको कम्पेन्सेट करने के लिए आप थर्ड यूनिट को वहां लगाने वाली बात कीजिए। उन्होंने कहा कि साइट सलेक्शन कमेटी जायगी, हम उनको कहेंगे कि आपकी साइट भी देखें। अध्यक्ष महोदय, एटोमिक एनर्जी कमीशन की जो चेयरमैन साइट सलेक्शन कमेटी की थी उन्होंने साइट को देखा। दो हजार और एक हजार मेगावाट दोनों प्रस्ताव है। एक हजार मेगावाट भी हो

(श्री शिवचरण माथुर)

सकता है। अब यह अन्तिम निर्णय तो भारत सरकार करेगी। एक हजार मेगावाट लगाया जाय या दोहजार मेगावाट का लगाया जाय। लेकिन वह साइट सलेक्शन कमेटी देखने गयी थी, वह दोनों पोसिबिलिटीज को, दोनों सम्भावनाओं को एक हजार मेगावाट का और दो हजार मेगावाट का पावर प्लान्ट लगाने के लिए देखने के लिये गयी, उस कमेटी ने जो प्रपोज किया है माही डैम, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान मेन कैनाल और रावतभाटा, तीन साइट्स के बारे में उन्होंने कहा कि तीनों साइट्स हमारी कैटेगरी में आती हैं, क्राइटेरिया में आती हैं, और इस पर हम विचार करेंगे, बल्कि यहां तक कहा गया है कि और जो साइट्स उन्होंने देखी हैं उनसे काफी अच्छी साइट्स उनको देखने को मिली हैं। हमने तीनों साइट्स के लिए उन्हें कहा है कि साइट जहां भी आपको पसन्द आये आप हमको प्लान्ट दे दीजिए। जो भी आप सुविधा चाहेंगे, पानी की गारण्टी हम देते हैं, और गारण्टी हम देते हैं और सुविधा जो आप चाहेंगे हम देंगे। तो एक हजार मेगावाट या दो हजार मेगावाट की बात मैं करता हूँ तो यह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नहीं है बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है, इतनी पावर हमको राजस्थान के अन्दर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, पलाना की बात उन्होंने कही कि पलाना कहां गया? अध्यक्ष महोदय, मैं पलाना की पूरी जो यह जन्म पत्री है वह आपके सामने रखना चाहता हूँ। पलाना कब से शुरू हुआ, पलाना का लिग्नाइट के डिपाजिट कैसे प्रारम्भ किये। जनता पार्टी के राज में उसकी क्या स्थिति हुई। जब दुबारा हम आए तो हमने उसको क्या किया। 1979 तक कुछ नहीं हुआ था। सिवाय एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो पहले हम तैयार करके गए थे, के कहीं आगे प्रगति नहीं हुई। सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जरूर सबमिशन हुआ था, उसमें जनता पार्टी अपना क्रेडिट ले सकती है। उसके बाद में हमने टैक्नो इकोनोमी सैक्शन दो यूनिटों के लिए 60-60 मेगावाट की काम्युनिकेट करवायी120मेगावाट की मई, 1980 में जब कि हमारा शासन था उसके बाद में इण्डो जी.डी.आर. जोइन्ट कमीशन के सामने हमने बात की। हमारी सारी डिटेल रिपोर्ट वहां पर भेजी, उनसे कहा कि जी. डी. आर. लिग्नाइट के प्रोजेक्ट्स में दुनिया में अग्रणी देश माना जाता है तो वहां के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया। हमारी टीम वहां पर गयी। सारा डेटा वह लेकर के गयी। जहां तक कि हमारे लिग्नाइट के जो सेम्पल्स थे वह जम्मू की एक जो लैबोरेट्री है उसमें टेस्ट कराया गया। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, जो सबसे बड़ा लिग्नाइट का प्लान्ट लगाने वाला एक संस्थान है, में हमने अपने सभी सेम्पल्स को भेजा और उसके बाद जी. डी. आर. हमने सेम्पल्स भेजे। उन सैम्पल्स को उन्होंने एप्रूव करके यह कहा कि यहां दो 60-60 मेगावाट के प्लांट लग सकते हैं। जी. डी. आर. ने यह भी तय किया कि जो इक्विपमेन्ट का पार्ट होगा उसमें 98 करोड़ रुपये

(श्री शिवचरण माथुर)

की वह सहायता देने के लिये तैयार हैं और पूरी में टेक्निकल फिजिबिलिटी देंगे। फिर बीच में हमने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को कहा कि इसको आप क्लियरेंस दीजिए। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने यह कहा कि इसमें आपके डिपाजिट थोड़े कम हैं। उन्होंने कहा कि 19 साल के डिपाजिट हैं। हमने उन्हें कहा कि 19 साल के डिपाजिट नहीं हैं यह 26 साल के डिपाजिट हैं, उसके ए बी और सी तीन ब्लाक्स हैं हमने उनके सारे नक्शे दिये और उनको कहा कि आप इन तीनों का हिसाब लगाइये। पलाना के पास में इन तीनों ब्लाक्स में 26 मिलियन टन के डिपाजिट हैं जो 13 मिलियन टन डिपाजिट हैं जो कि 26 साल के लिए काफी होते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि 13.79 मिलियन टन का जो हमने कहा था प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ने भी उसको स्वीकार किया और यह कहा है कि अब जहां तक टेक्निकल फिजिबिलिटी का सवाल है, इस प्लान्ट को सेंक्शन करने का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब केवल इन्वेस्टमेन्ट डिसीजन लेने वाली बात है। अब की बार जब प्लानिंग कमीशन के पास गये तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि टोकन प्रोविजन की तरह से आप रुपया रख दीजिये। हमने 5 करोड़ रुपये रखने की बात सोची है। मैं समझता हूँ, उसमें आगे का काम चलेगा। और सब चीजें फोर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं इतनी बड़ी योजना, जिसकी कुल लागत करीब 297 करोड़ रुपये होगी, छठी योजना के अन्तिम काल में हाथ में नहीं ली जा सकती। इन बड़ी-योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिया जायेगा लेकिन उसके लिए सारी तैयारियां हम कर चुके हैं। पलाना के लिग्नाइट पर आधारित जो हमारा प्लान्ट होगा जिसकी पलाना में 120 मेगावाट पैदा करने की क्षमता होगी। मुझे सन्तोष यहीं पर नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् एक माइनिंग डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट मेरे पास थी उसमें लिखा था कि राजस्थान के अन्दर 13 हजार स्क्वायर किलोमीटर में लिग्नाइट के भण्डार मिलते हैं। मैंने हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को कहा कि भई हमारे पास जितने भी सोर्सेज छोटे हों, हमारे पास कम मशीन हों लेकिन आप इसका पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कितने भण्डार यहां पर हमारे राजस्थान में अवेलेबल हैं। हमने भारत सरकार को कहा, प्लानिंग कमीशन को कहा कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए। उस वक्त हम बहुत मुश्किल से एक करोड़ रुपया मंजूर करवा पाये। एक करोड़ रुपया उन्होंने दिया, 30-40 लाख रुपये हमारे माईनिंग डिपार्टमेंट के पास जो साधन थे, उनको पूल करके हमने अपने बूते पर, अध्यक्ष महोदय, उसके एक्सप्लोरेशन का काम प्रारम्भ किया। मुझे कहते हुए खुशी है, वह कल मेड़ता की बात कर रहे थे, उनको यही मालूम नहीं है कि मेड़ता में डिपाजिट कहां मिलता है और कितनी बड़ी सीम है और कहां है, लेकिन वह तो कहने के लिए कह गये। मैंने मेड़ता की बात कभी नहीं कहा, और न मेड़ता में एक्सप्लोरेशन का काम अभी तक हुआ है क्योंकि मेड़ता के अन्दर बहुत गहरे

(श्री शिवचरण माथुर)

डिपाजिट्स हैं। 145 और 155 फीट के नीचे डिपाजिट हैं। उसमें ओवर बर्डन बहुत अन्दर है उसके कम्पेरेटिवली बाड़मेर जिले में जो कपूरड़ी का डिपाजिट है वह कम गहराई पर मिलता है और उसके साथ में जितना ओवर वर्डन है, वह भी कामर्शियली सेलेबल हैं। तो उन्होंने भारत सरकार के ऊपर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने वहां मिनरल कार्पोरेशन आफ इण्डिया की टीम लगाई, वहां पर नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का शामिल किया, ज्योलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया को मिलाया। तीनों पार्टियों ने मिलकर हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को शामिल किया। चारों एजेन्सी ने, अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 60 मिलियन टन के भण्डार का पता वहां पर लगाया जा चुका है। 60 मिलियन टन का मतलब यह हुआ, मिलियन टन में 20 साल तक 120 मेगावाट का प्लांट लग सकता है। तो अगर इन डिपाजिट्स पर लगाये जायं तो 120 इन्टू 5, 600 मेगावाट के प्लांट आज कपूरडी में लग सकते हैं, इतना लिग्नाइट हम खोज पाए हैं लेकिन इसको और भी ज्यादा कन्फर्म करना चाहते हैं। हम इसको ज्यादा स्पीड से करना चाहते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने यह मन्जूर कर लिया कि एक करोड़ के बजाय तीन करोड़ रुपये की धनराशि इसके लिए देंगे। मुझे ऐसा लगता है, यह भविष्य की बातें हैं, जब तक दूर दृष्टा की तरह से नहीं सोच सकते तो विकास का काम नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कपूरडी में जो लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं उसके आधार पर एक बहुत बड़ा प्लांट वहां लगाने की संभावना बन सकती है। मैं नहीं कहता, आज संसाधन पूरे मिले लेकिन सम्भावना बनी है। संभावना कैसे बनती। अगर उसका पता नहीं लगाते तो संभावना कैसे बनती। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पलाना की बात कही, उन्होंने कहा 10,15 मेगावाट की बात करते हो, आपने तो वहां हिमाचल के जो सोर्सेज हैं हाइडल प्रोजेक्ट उनको छोड़ दिया। आपने बेरासूल में भी अपना हिस्सा छोड़ दिया। थीन का क्या हुआ। नाम तो उन्होंने खूब रट रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे तो केवल नाम ही जानते हैं, मैंने तो समझौते किये हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बीच में और हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री जी थे रामलाल जी उनके बीच में एक मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग हुआ था। उसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, यह 12-9-81 को दिल्ली में दोनों हम मुख्य मन्त्रियों के बीच में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग साइन हुआ। उसके मैं दो तीन क्लाज, अध्यक्ष महोदय, आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

"It was agreed that both the States will, to begin with, jointly earmark the koal hydel projects in Himachal Pradesh. The share of Rajasthan in the power generated in the above mentioned projects will not be less than 50%."

It can be more than 50%, but it would not be less than 50%.

(श्री शिवचरण माथुर)

"The sharing of the cost will be as mutually agreed upon, having regard to the pattern of collaboration agreements for hydel projects entered by the Government of Himachal Pradesh with other State Governments."

यह तो छः सौ मेगावाट का है प्रोजेक्ट।

"After the investigation of Parvati Project being completed and technical clearance received from Government of India, steps will be taken for joint execution of the Project on such terms and conditions as would be agreed to mutual advantage." वह 1900 मेगावाट का है। 1900 और 600, 2500 मेगावाट, जिसमें राजस्थान का हिस्सा अगर 50 प्रतिशत होता है तो 1250 मेगावाट की उपलब्धि हमें वहां से होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे अपने सोर्सेज से बन रहे हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अनूपगढ़ का 9 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू है। मशीनों का आर्डर हो गया है और जल्दी कमीशन होकर अनूपगढ़ का काम पूरा हो जायगा। मुख्य नहर में मांगरोल के पास 6 मेगावाट का सूरतगढ़ में 4 मेगावाट, चारणवाला में 2 मेगावाट का, मनहरटीबा गैस थर्मल प्लांट, जो रामगढ़ जैसलमेर के इलाके में गैस मिली है, में 3 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का क्लीयरेन्स दे दिया है। उसमें हमने ग्लोवलटेन्डर फ्लोट कर लिये हैं तीन मेगावाट के लेकिन मुझे अभी ओ.एन.जी. सी. के चेयरमेन कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा हूँ, वह बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। छोटे को महत्व नहीं देना चाहते हैं।

ओ एन जी सी के चेयरमेन ने मुझे कहा; जो काम चल रहा है उससे गैस ज्यादा मिल जायगी लेकिन हम बड़े सेफ तरीके से तीन मेगावाट प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जैसे गैस की उपलब्धि और होगी हम बड़े प्लांट की मंजूरी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, माउंट आबू में 10 मेगावाट मिली, जाखम में 2 मेगावाट मिलेगी, कोल में 2.25 मेगावाट, बीसलपुर में 1.45 मेगावाट, जय समन्द में 1.15 मेगावाट, सुलताना में 1.20 मेगावाट, माही की दक्षिणी नहर में इस साल 0.08 मेगावाट, जब माही का पहला चरण पूरा होगा दो यूनिटों में 25, 25 मेगावाट यानि 50 मेगावाट वहां से मिलेगी, दूसरा चरण जब माही का आयगा दो दो यूनिट से 45, 45 मेगावाट की आयेगी। 90 और 50, 140 मेगावाट यह सारे हमारे सोर्सेज होंगे। यह मत सोचें, जो मैं कह रहा हूँ, किसी की शामलात में है। ये विशुद्ध रूप से राजस्थान के सोर्सेज होंगे, 140 मेगावाट बिजली हमको प्रातम चरण में माही से मिलने वाली है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ। यह कहें, साहब, यह तो

(श्री शिवचरण माथुर)

ख्याली पुलाव हैं। लेकिन जब ख्याल किया जाता है तभी तो आगे उसकी कल्पना हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो नई स्कीम्स बनाई जा रही हैं, यह नई स्कीम्स हैं, चालू स्कीम्स हैं, कोटा का द्वितीय चरण होगा उसमें दो यूनिट 210-210 मेगावाट की होंगी, 420 मेगावाट की दोनों होंगी, और थर्ड चरण होगा उसमें एक यूनिट और लगेगा। इसका मतलब यह हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा चरण होने के बाद में 800 मेगावाट से अधिक क्षमता कोटा थर्मल प्लांट की अपनी होगी। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखा कि गैस की पाइप लाइन राजस्थान से होकर गुजर रही है। आप गैस पर आधारित कोई पावर प्लांट लगाने की हमको इजाजत दीजिये। यदि यह हमारी कार्यवाही सफल हो जाती है चाहे भले ही वह सवाई माधोपुर में लगे, चाहे बांसवाड़ा में लगे, जहां भी टैक्निकली फिजिबिलिटी होगी हम 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन गैस के आधार पर कर सकेंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने कही, आनंदपुर साहब मुकेरिया में पंजाब ने बिजली पैदा कर ली, हाइडल प्रोजेक्ट बना लिये हमारे पानी का उपयोग करके, उस समय राजस्थान चुप क्यों रहा। उन्होंने जिक्र किया, पंजाब ने व्हाइट पेपर निकाला उसमें यह कहा वह कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया है। हमने कहा है हम भी पार्ट आफ स्टेट हैं। हम इजाजत नहीं देते तो, पंजाब को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पानी पर कोई पॉवर स्टेशन लगा ले। आनंदपुर साहब की चैनल को लिंक करने के लिये जबरदस्त पंजाब कोशिश कर रहा है। अभी दो दिन पहले 11 तारीख को मैं और सिचाई मंत्री जी दिल्ली में थे, भारत सरकार के प्रतिनिधियों से हमने कहा, जब तक आप हमारा शेयर है आनंदपुर साहब में, मुकेरिया में, दूसरे हाइडल प्रोजेक्ट में, तय नहीं कर देते, इस चैनल को लिंक करने की इजाजत नहीं दे सकते, अनुमति नहीं दे सकते। रोपड़ के बारे में भी हमने यही कहा। अब यह बात ठीक है आज जो हालात पंजाब के हैं, उसमें वे तो बड़ी डींग हांक रहे थे, हमने यह कर दिया, वह कर दिया और प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने इजाजत दे दी थी। मेरी समझ में नहीं आता, इजाजत दे दी थी उन्होंने हैड वर्क्स को कन्ट्रोल में लेने की तो इम्पलीमेंट करने से रोकता कौन था? उन्होंने इस बात को इम्पलीमेंट क्यों नहीं करवाया? उसके पीछे राज है, अध्यक्ष महोदय, पंजाब की गवर्नमेंट को बचाने के लिये भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान के हितों के खिलाफ नापाक समझौता वहां पर किया। उसी का कारण है, अध्यक्ष महोदय, वह हैड वर्क्स ट्रांसफर नहीं हुए। उस वक्त अगर सख्ती से कहा जाता, वह कहानी सबको मालूम है, हास्पिटल में क्या बातें हुई, वहां पंजाब की गवर्नमेंट को बचाने के लिये भैरोंसिंहजी ने क्या समझौता किया। यह कहा कि मैं इम्पलीमेंट नहीं होने दूंगा। अगर वह इम्पलीमेंट हो जाता तो आज दूसरी स्थिति होती। लेकिन कहने को तो कह गये, मोरारजी भाई ने आर्डर दिये। आर्डर देने

(श्री शिवचरण माथुर)

का क्या फायदा होता है. जब तक आप उसको इम्पलीमेंट नहीं कराओ, तब तक उसका मतलब क्या होता है। आज अगर हैड वर्क्स को नहीं देने की कोई बात है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैं तो आपसे आज भी कहता हूँ, 1966 का जो हमारा एग्रीमेंट है पंजाब से, उसके बारे में हम बड़े स्पष्ट हैं। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्रीजी ने पंजाब व हरियाणा की समस्याओं को लेकर अपने देश के विरोधी पक्ष की ट्रिपार्टाइट मीटिंग बुलाई थी उसमें हम लोग जब जा रहे थे तो सारे विरोधी दलों के नेताओं ने यह कहा, झगड़ा पंजाब और हरियाणा का है। राजस्थान का कोई झगड़ा नहीं है। राजस्थान का सन् 1955 के एग्रीमेंट से जो हिस्सा तय हो गया, अगर पानी की अवेलिबिलिटी बढ़ती है, पहले अगर 15·3 मिलियन एकड़ फीट पानी की अवेलिबिलिटी थी और अगर अब 17·7 मिलियन एकड फीट पानी की अवेलिबिलिटी बढ़ती है तो राजस्थान का जो 8 मिलियन एकड़ फीट मेगावाट का जो शेयर तय हुआ था उसी हिसाब से बढ़ना चाहिये। तो हमने 8 मिलियन एकड फीट के समय 8·6 मिलियन एकड फीट,अध्यक्ष महोदय,को 31 दिसम्बर, 1981 के एग्रीमेंट में अगर प्राप्ति की तो भैरोंसिहजी कहते हैं कि राजस्थान की पीढ़िया याद करेगी कि मैंने पंजाब और हरियाणा के सामने घुटने टेक दिये। मैंने तो इनको भी बुलाया था, मैंने कहा, यह विरोधी पक्ष के नेता हैं इनको भी बुलाया था। असेम्बली के सभी विरोधी पक्ष के नेताओं को हमने इन्वाइट किया था, बुलाया था। उस ट्री पार्टाइट मीटिंग में इनको भी बुलाया था। ये जानते हैं कि इन्होंने कितना कितना रेसिस्ट अपोज किया था। अगर हमारी कोई गलती होती और अगर पंजाब के हित में एग्रीमेंट होते तो, अध्यक्ष महोदय, अकाली दल को रिजाइन करने के लिये क्यों नहीं कहते ? आज उसको रिजाइन करने के लिये अकाली दल कह रहा है कि हम उस 81 के एग्रीमेंट को नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से उस एग्रीमेंट से राजस्थान को लाभ हुआ है, उसको पानी ज्यादा मिला है। हैड वर्क्स पर आज तक कब्जा नहीं है तो न मेरे हाथ की बात है न किसी के हाथ की बात है। यह स्थिति है लेकिन हम एक स्टेज आगे बढ़े है ? उसमें पहले माधोपुर हैड वर्क्स का जिक्र नहीं था। 1981 के एग्रीमेंट से बी.बी. एम. बी को मेजरमेंट लेने का, कन्ट्रोल पाइन्ट तय करने का, रेगुलेटर कहां लगाए जायं, रेगुलेट करने का अधिकार उसके लिये 1981 के दिसम्बर के एग्रीमेंट में शामिल किया गया। माधोपुर हैड वर्क्स पहले कभी शामिल नहीं था। यह उपलब्धि नहीं है तो क्या है लेकिन वे कह जाते हैं कि हमने यह किया, वह किया।

अध्यक्ष महोदय, गान्धी सागर केचमेंट का मैं जिक्र करूं। गान्धी सागर केचमेंट में सबसे ज्यादा इन्टरसेप्शन अगर मध्य-प्रदेश के इलाके में हुआ तो सकलेचा साहब जब वहां के मुख्य मन्त्री थे और भैरोंसिह शेखावत जी यहां के मुख्यमन्त्री थे तब हुआ। तो हमने तो मालूम किया, अपनी टीमें भेजी। अध्यक्ष महोदय अपनी गुप्त रूप से टीमें भेजी, वहां जान-

(श्री शिवचरण माथुर)

कारी की। मुख्य मन्त्री मध्य प्रदेश के, मैं और सिंचाई मन्त्रीजी वहां गये। दो बार मीटिंग की और उनको यह एग्री करने के लिये मजबूर किया कि आपने इन्टरसेप्शन किया। उन्होंने जोइन्ट इन्सपेक्शन करके रिपोर्ट भेजी लेकिन वह सारा का सारा इन्टरसेप्शन जनता पार्टी के राज में हुआ था, और आज हमको दोष देने वाली बात कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पावर के सम्बन्ध में आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। वे व्हाइट पेपर की बात कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इन सारी समस्याओं के बारे में समझौते पर जितने भी उसके पर-टेनिंग क्वेश्चन थे उन सब पर राजस्थान का दृष्टिकोण एक बार नहीं, दो बार लिखा है। 4 अक्टूबर, 1982 को हमने एक किताब छपवाई, भारत सरकार को भी निरन्तर हम पत्र लिखते रहे हैं। प्रतिनिधियों को भी, ट्रीपार्टाइट कमेटी में जो लोग आते थे, को वह दी है और उसके बाद जुलाई, 1983 में, अध्यक्ष महोदय, फिर हमने एक किताब निकाली। अब पंजाब अगर कोई व्हाइट पेपर निकाल दे और युनिलेटरली अपने मुंह मियां मिठ्ठू बन करके उसमें लिख ले, इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा है हमने उसको स्वीकार कर लिया है। अपने हकों को, अपने अधिकारों को हम छोड़ने वाली बात स्वीकार कर लें, यह कभी भी नहीं हो सकता है। हमने निरन्तर भारत सरकार को लिखा है कि आपको अन्तिम रूप से फैसला देने के लिये उसमें प्रावधान रखा गया है। हमने दो बार उसको रेफर किया गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के पास और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का फैसला इस बारे में पैंडिंग है। हमको पानी पूरा नहीं मिलता है, इस बारे में हमने कहा है। हर कमेटी में हमारे अधिकारी जाते हैं, वहां पर झगड़ा करते हैं अपने हक के लिये, अपने हक को पूरा लेने के लिये लेकिन यह सही बात है कि ऊपर वह हैं, पानी वह छोड़ते हैं और हम नीचे बैठे रहते हैं। हम डेफिनेटली डिसडेनली पोजीशन में है फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कोशिश की है कि आगे आने वाले वक्त में राजस्थान जब तक अपने सोर्सेज डेवलप नहीं करे तब तक हमको बड़ी कठिनाई होने वाली है।

मुझे कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप, तो मन्त्री नहीं थे कमेटी के चेयरमैन थे तब भी आपने .

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। मैं पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी का जब चेयर-मैन था तब भी मैंने इन बातों को कहा था। अब हमारी रणनीति यह है कि राजस्थान के अन्दर जितने भी रिसोर्सेज हैं पावर के या पानी के उन सबको हम टेप करना चाहते हैं ताकि राजस्थान को आत्म निर्भरता मिल सके और हम अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक लॉ एन्ड आर्डर की बात भी कहना चाहता हूँ। बहुत जोरों से भैरोंसिंह जी ने लॉ एन्ड आर्डर की बात कही है कि साहब, यह तो बिलकुल जंगल राज्य है जिसमें लॉ एन्ड आर्डर नहीं है। चोरियां होती हैं और न जाने क्या क्या होता है। उन्होंने अखबारों

(श्री शिवचरण माथुर)

की कटिंग भी यहां पढ़ कर सुनाई। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बानगी भैरोंसिंह जी शेखावत के राज्य की, जो अखबारों में निकली थी, बताना चाहता हूँ। यह अभी 14 मार्च की घटना है, राजस्थान पत्रिका में छपी, "यहां पर पंजाब के दो-तीन व्यक्ति आये थे एक टैक्सी उन्होंने किराये की, उसको चौंमू की तरफ ले गये और बाड़ी के पुल पर जाकर ड्राइवर को और उसके साथ खलासी था उसको घायल करके नीचे डाल गये। वहां जो घायल ड्राइवर था उसने आकर विश्वकर्मा पुलिस स्टेशन पर खबर दी। "हमने माडर्नाइजिशन किया है पुलिस का, हाई फ्रीक्वेन्सी वायरलेस के जरिये से सारे इलाके को एलर्ट किया। मुझे कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय, वह चोर पकड़ लिये गये और मारने वाले को पकड लिया। यह राजस्थान पत्रिका में है, सो टैक्सी चालक को गोली मारने वाले पकड़े। ठीक इसी तरह की घटना 23 मई, 78 भैरोंसिंह जी के राज में हुई। जयपुर से टैक्सी किराये पर लेकर ड्राइवर की हत्या। देर से मिली, "यह राजस्थान पत्रिका की खबर है जिसको कहते हैं कि भैरोंसिंह जी का बहुत सहानुभूति रखने वाला अखबार है।" देर से मिली जानकारी के अनुसार 8 मई की रात को जयपुर के एक टैक्सी चालक आनन्दीलाल जी टैक्सी किराये पर ले गये, दो जनों ने नदबई मोड पर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे अभी फरार बताये जाते हैं। उनको पकड़ा नहीं गया। "लेकिन एक जैसी घटना है, हमने पकड़ लिया और उन्होंने नहीं पकड़ा। एक बानगी दी मैंने, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान पत्रिका ने कुछ कार्टून छापे थे। उन कार्टून्स की मन्शा यह थी "जयपुर, गुरुवार 16 मार्च, 1978" ऊपर कार्टून है नीचे हैडिंग है–"जागते रहो, शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, पुलिस के भरोसे न बैठे रहें, खुद चौकस रहें।" यह 16 मार्च, 1978 भैरोंसिंह शेखावत के राम राज के वक्त की बात है।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक शुक्रवार 17 मार्च, 1978 को उसी राजस्थान पत्रिका में छपा है इसका हैडिंग था "होशियार, खबरदार जिरह बख्तर पहन कर घर से निकलो, ऐसा न हो कोई चाकू घोंप दे। पुलिस के भरोसे न रहें।" यह दूसरा कार्टून है। अध्यक्ष महोदय, मैं बानगी बता रहा हूँ, "शनिवार, 18 मार्च, 1978," दूसरे दिन फिर राजस्थान पत्रिका में कार्टून निकला उसमें लिखा था, "भाइयो बहनो जान मान माल की हिफाजत अपने आप करो। पुरानी कहावत है, माल जाय जिसका ईमान जाय, कौन थाने जाय, रिपोर्ट लिखाये। "ये तीन कार्टून जो हैं राजस्थान पत्रिका में छपे थे–भैरोंसिंह जी के मुख्य मन्त्रित्वकाल में। यह वह फाइल मंगा कर देख लें, अगर कोई गलती हो ...

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह है भैरोंसिंह जी बानगी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह है राजस्थान पत्रिका 22 मार्च, 1978, "भागते डकैतों ने सिपाही को गोली मारी," अध्यक्ष महोदय मैं सब नहीं पढ़ना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पढ़ देओ।

श्री शिवचरण माथुर : 29 मार्च 1978 "गांवों में कातिलाना हमले, जनता में असुरक्षा की भावना।" 2 अप्रैल, 1978 हरिजन परिवार को जिन्दा जलाने का प्रयास। "राजस्थान पत्रिका। 8 अप्रैल, 1978, राजस्थान पत्रिका "गंगानगर जिले में हत्याएं और घातक हमले।" राजस्थान पत्रिका 14 अक्टूबर, 1978 "कुली के पास बिस्तर बन्द में लाश छोड़ युवती फरार ..."

(व्यवधान)

थोड़ी सी बता रहा हूँ बानगी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : वह तो अनगिनत हैं, कहां तक पढ़ेंगे।

श्री शिवचरण माथुर 10 मई, 1978 राजस्थान पत्रिका, एक ही अखबार दे रहा है। 'छुरा भोंक कर हत्या।' 14मई, 1978 राजस्थान पत्रिका, "जमीन के मामले में हरिजन युवक को गोलियों से भूना"। छूरें और बलात्कार की घटनाएं।"सुन लीजिये– 14 मई, 1978" डाकू 50 हजार का माल ले गये, 5 जून, 1978 कर्मचारी को छुरा भोंका, 17 जुलाई, 190। जेबकतरों ने छुरी मार कर एक सिपाही की हत्या की। 15जुलाई, 1978 "अपहृत बालक की लाश गलता पर मिली।" 13 अगस्त, 1978. अलवर के निकट डकैती एक की हत्या। 20 दिसम्बर, 1978, अस्पताल के वार्ड में चाकू भोंक कर हत्या। 27 दिसम्बर1978 "गोली मारकर दी की हत्या, बाड़ी धौलपुर में।" दैनिक जनवज्योति में 3 मार्च, 1979 "एक पुरुष और महिला की निर्मम हत्या से जनता भयभीत।" दैनिक नवज्योति 10 मार्च, 1979 "फोटोग्राफर की कथित हत्या को लेकर न सिर्फ जहाजपुर में हड़ताल रही बल्कि भीलवाड़ा नगर में भी फोटोग्राफरों ने हड़ताल रखी।" 16 मार्च, 1979, "चौकीदार की हत्या" 13 अप्रैल 1979 को "गंगानगर के कालेज छात्र की निर्मम हत्या।"अध्यक्ष महोदय, यह तो रहा चोरी और हत्या का। अब वे बलात्कार की भी बहुत बातें कहते हैं। बलात्कार की बात में कह रहा हूँ, बलात्कार की बात सुनिये आप! "23 मार्च, 1978 सशस्त्र लोगों ने बालिका का अपहरण किया," "जैसलमेर 12 जुलाई 1978 दिन दहाड़े अपहरण। "जयपुर 21 जुलाई, जयपुर" नवज्योति शनिवार 3 मार्च, 1979 बलात्कार की घटना से गांव में सनसनी। "जयपुर सोमवार, 12 मार्च1979 मजदूर बालिका के साथ बलात्कार।" "जयपुर 10–4–1979 घर में घुस कर युवती के साथ बलात्कार।" यह कुछ बानगी मैंने बताई, अध्यक्ष महोदय, अब, अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति ले लीलिए। "नागोर के पास में रोल में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। रोल में ....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : वह तो जनसंघ ने कराया था।

श्री शिवचरण माथुर : अच्छा। "किसान और पुलिस में लाठी भाटा जंग 7 मार्च, 1978 को।" "बारां में पुलिस की गोलीसे तीन मरे।" बीकानेर में छात्रों पर लाठी

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रहार।" "30 मार्च। अलवर में छात्रों पर लाठी प्रहार। "और दौसा में और नीम का थाना में जो हुआ वह तो मालूम ही है आपको। "आरक्षण विरोधियों पर गोली। दौसा में 7 घायल।" "बांदीकुई बहरोड़ में उग्र प्रदर्शन, अलवर बन्द रहा।" अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं इसके कोई आंकड़े देकर या कम्परेटिव तुलना देकर कोई खुशी महसूस नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उन्होंने कहा, उसका मैंने यहां पर जिक्र किया कि प्रशासन का काम यह होता है कि कहीं घटना हो जाय तो उसकी खोजबीन करे। अध्यक्ष महोदय, मैं उसके संबंध में फिर निवेदन करना चाहता हूं, घटनायें हमारे वक्त में भी होती हैं और कोई भी राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसमें घटनायें नहीं होंगी, क्राइम्स नहीं होंगे। क्राइम्स में कमी आई है आंकड़ों के साथ में, जब आप मेरे विभाग की अगर मांग लेंगे तो मैं उसको बताऊंगा ...

श्री अध्यक्ष : अब आबादी भी ज्यादा बढ़ी है इसलिए प्रतिशत और भी कम हो जाना है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, नये ढंग के क्राइम्स के तरीके निकल गये हैं लेकिन हमारी पुलिस ने सतर्कता से जो काम किया है वह मैं आपको बताना चाहता हूं....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बहुत सतर्कता से काम हो रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मई 1982 में, अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्त में "जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर जीप में जा रहे गोविन्द परतानी और उनके परिवार को 5 हथियार बन्द डकैतों ने लूट लिया। और यह 4 डकैत जयपुर की ओर भाग निकले। पुलिस ने तत्काल नाकेबन्दी की और शाहपुरा के निकट इन डकैतों ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की। फलस्वरूप एक डकैत मारा गया और 4 अन्य डकैतों को मय हथियार व हथगोलों के पकड़ लिया गया और लूटा हुआ पूरा माल बरामद कर लिया।"

अध्यक्ष महोदय, "8 जुलाई, 1983 को जयपुर से अलवर जा रही रोडवेज की बस को थाना गाजी के पास कार में सफर कर रहे लुटेरों ने लूटा। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल नाकेबन्दी की और पूरी रात इन डकैतों का पीछा किया। सुबह होते ही विराटनगर के पास दो डकैतों को मय हथियार के पकड़ लिया।

श्रीमती कमला : मेरा एरिया है साहब....

श्री शिवचरण माथुर : "बाद में उनके साथियों को पकड़ा जाकर के माल बरामद किया। "अध्यक्ष महोदय, "27 अगस्त को रात्रि के 8 बजे जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर 5–6 डकैतों ने ठाकुर गुडासिंह जी की कार को रोक कर बन्दूक की नौक पर उनके पांच हजार रुपये और सामान लूट लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने सतर्कता से पीछा किया। डकैत अपनी कार छोड़कर पास के खेतों में गये मगर

(श्री शिवचरण माथुर)

पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनसे 315 बोर की राइफल तथा लूटी हुई सम्पति बरामद कर ली। "दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को बूंदी नगर में राजस्थान रोडवेज के केशियर को लूटा गया जो कि बैंक में राशि जमा कराने जा रहा था। मोटर साइकिल पर सवार दो लुटेरों ने पिस्पोल की नौक पर लूट लिया तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गोली मार दी। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और मय लूटे हुए रुपयों के साथ दो व्यक्तियों को वहीं पकड़ लिया। "6 सितम्बर को दोपहर को 12.43 और 2:40 बजे जिला गंगानगर में ग्राम रायसिंहपुर स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को तीन लुटेरों ने लूटा और कोई 15 हजार रुपया लेकर मोटर साइकिल पर भाग निकले। पुलिस ने तत्काल नाकाबन्दी की और कुछ ही घंटों में एक डकैत को मय लूटे हुए रुपये के पकड़ लिया। कुछ दिन बाद अन्य दो साथियों को भी पकड़ लिया गया।,, "6 सितम्बर को सांगरिया से एक टैक्सी कार चार बदमाशों ने किराये पर ली। रास्ते में इन बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर और उसके साथी से मारपीट कर कार से बाहर धकेल दिया और कार लेकर बीकानेर की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही बीकानेर पुलिस ने नाकाबन्दी की। वह बदमाश नाकाबन्दी देखकर टैक्सी कार को छोड़कर राजस्थान केनाल के कपास के खेत में छिप गये। पुलिस ने इन डकैतों का दो दिन तक पीछा किया और गांव वालों की मदद से दो डकैतों को पकड़ लिया। बाकी दो डकैतों को, जो महाजन के निकट पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों डकैत मारे गये और अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उन पुलिस के सिपाहियों को और पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से इनाम दिया और उनकी तारीफ की।

"अक्टूबर, 1982 में नागौर जिले के गांव डूबोली में सशस्त्र डकैतों ने गजराजसिंह के मकान को लूटा तथा अध्यापक रामधन जाट को गोली मार दी। पुलिस को सूचना मिलते ही उनका 14 किलोमीटर तक पीछा किया। जहां इन डकैतों से मुठभेड़ हुई। इनमें से पांच डकैतों को पकड़ कर चोरी का माल बरामद किया।,, "8 नवम्बर को बांदनवाड़ा सिगरावल रेलवे स्टेशन के पीछे ट्रेन का पांच डकैतों ने लूटा, और चैन खींचकर भाग गये। पुलिस को सूचना मिलते ही डकैतों का पीछा किया और विजयनगर के पास चारों डकैतों को पकड़कर लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। "इस वर्ष जनवरी, 1984 में प्रागपुरा के निकट हरियाणा रोडवेज की बस को उसमें सफर कर रहे सात डकैतों ने लूटा। कोई 50 हजार रुपयों का माल लूटकर भाग निकले। रास्ते में इन्होंने डीलक्स बस को भी लूटने का प्रयास किया। मगर बस चालक ने बस को नहीं रोका। इन डकैतों ने बस पर फायर भी किये। पुलिस ने सूचना मिलते ही नाकाबन्दी की और रातों रात पीछा करके पांच डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया ...

श्री रामरघुनाथ चौधरी : और इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, पांच बत्ती की बात इन्होंने कही। पांच बत्ती पर चोरी की बात इन्होंने कही।

(श्री शिवचरण माथुर)

"30 जनवरी, 1984 को मिर्जा इस्माइल रोड स्थित ज्वेलर्स एम्पोरियम को पांच सशस्त्र डकैतों ने लूटा। गोली से मालिक के लड़के को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने तत्काल नाकाबन्दी की और जनसहयोग से दो लुटेरों को मय माल के पकड़ लिया।,, "10 फरवरी को अजमेर किशनगढ़ मार्ग पर स्कूटर पर जाते हुए डाक्टर गोवर्धन को कार में सवार चार सशस्त्र लूटेरों ने लूटा। पुलिस ने सूचना मिलते ही नाकाबन्दी कर जवाजा के पास उन्हें मय कार व लूटी हुई सम्पति के साथ पकड़ लिया।,,

अध्यक्ष महोदय, एक बात में आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मुख्य मन्त्री बनने के बाद मैंने कुछ दिनों के बाद ही राजस्थान के सीनियर पुलिस आफिसर्स की एक मीटिंग पुलिस अकादमी में बुलाई थी जिसमें डी. आई. जी. और एस. पी. सबको बुलाया था। मैंने यह कहा, मुझे जानकारी मिली है कि थानों में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। शिकायत करने कई लोग आते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर दिया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। आदेश निकाले थे, पर्सेन्टेज कम दिखाने की दृष्टि से मैंने कहा कि पर्सेन्टेज चाहे रजिस्ट्रेशन का ज्यादा बढ़ जाय तो कोई चिन्ता नहीं लेकिन जो भी थाने में रपट लिखाने के लिए आये उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अधिकारियों की कारगुजारी हम वह मानेंगे कि रजिस्टर्ड केसेज में कितनी बरामदगी हुई, कितने चालान किये गये और कितनों को सज़ा मिली। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मानता हूं कि रजिस्ट्रेशन बड़ा डिफेक्टिव है लेकिन जो बरामदगी और चालान की संख्या है वह तुलनात्मक दृष्टि से कहीं बहुत अधिक है।. . . .

श्री रामरघुनाथ चौधरी: वह तो भैरोंसिंह जी ने आदेश दिये थे कि रजिस्ट्रेशन मत करो।

श्री शिवचरण माथुर: यह बरामदगी का प्रतिशत 77-78 में 59.60 था, 1982 में 63.39 है, 1983 में 60.58। सुधार हुआ है। यह रजिस्ट्रेशन ज्यादा होने की स्थिति में है। जो पहले कम रजिस्ट्रेशन होते थे उनका भी पर्सेन्टेज लगायें तो वह संख्या कम आती थी। साम्प्रदायिक तनाव की घटना में भी, अध्यक्ष महोदय, कमी हुई है। 1981 में 127 हुए, 82 में 78 और 83 में 64। हर क्राइम में अलग अलग तौर से तुलनात्मक दृष्टि से कमी आई है। मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि हमारे यह आदेश हैं कि तत्परता से पुलिस काम करे, अपराधियों को पकड़ा जाय और उनको सजा दिलवाने की बात की जाय।

अध्यक्ष महोदय, पता नहीं कहां से मेरे स्टेटमेंट को भैरोंसिंह जी कोट करते हैं कि मैंने यह कहा कि अगर पुलिस वालों को मैं कुछ कहूंगा तो वह बगावत कर देंगे। मैंने तो कभी नहीं कहा। आज उन्होंने दुर्गाप्रसाद जी चौधरी का जिक्र किया। आज उन्होंने कहा कि श्री दुर्गाप्रसाद जी चौधरी एक वयोवृद्ध हमारे बुजुर्ग हैं नव ज्योति के, वे मेरे पास आये और मैंने उनसे काजीपुरा के सम्बन्ध में कहा। मैंने तो उनसे कभी यह नहीं कहा कि पुलिस बगावत कर देगी इसलिये मैं पुलिस

(श्री शिवचरण माथुर)

के खिलाफ कार्यवाही नहीं करूंगा। जब मुझे उन्होंने जानकारी दी क्रिश्चियनगंज थाने के पुलिस के अधिकारियों के बारे में कि वहां का थानेदार और वहां का सारा स्टाफ इस तरह से काजीपुरा की घटना में इन्वोल्व्ड है। अध्यक्ष महोदय, पूरे के पूरे स्टाफ को मैंने वहां से बदला है। बगावत की बात मैंने तो कभी नहीं कही। एस. एच. ओ को सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : In all 7 people have been suspended.

श्री शिवचरण माथुर : और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय अगर बगावत हुई है पुलिस की कभी, अगर बगावत की है वह जनता पार्टी के शासन में हुई है 1979 में। अध्यक्ष महोदय, मई, जून 1979 में जनता पार्टी शासन में पुलिस का खुला विद्रोह हुआ। पुलिस विद्रोह को दबाने के लिए इनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस और आर्म्ड पुलिस को बुलाना पड़ा और बेरहमी से पुलिस वालों को दबा कर बगावत को इन्होंने कम किया। अब बगावत के क्या कारण थे, यह तो वही जाने लेकिन हमने तो पुलिस वालों को जहां उन्होंने गलती की है उनको सजा दी है और जहां अच्छा काम किया है, जैसे मैंने कहा कि यहां जून में डकैतों को उन्होंने मारा तो उनकी तारीफ भी की है, उनको इनाम भी दिया है और वेलफेयर स्कीम भी लागू की है। कहीं पर भी दोषी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश नहीं की है। यह जरूर कहते है कि अच्छा काम करने वालों की हम तारीफ भी करते हैं यह मैं समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिये। बगावत की बात अगर वह कहते हैं तो बगावत तो उनके वक्त में हुई थी। और हमारे तो पुलिस वालों से अच्छे सम्बन्ध है, कर्मचारियों से अच्छे सम्बन्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात उन्होंने कही, उद्योग के सम्बन्ध में मुझे कही कि मुख्य मन्त्रीजी खाड़ी के देशों में गए और वहां उन्होंने खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों को कहा कि यहां उद्योग लगायें। राजस्थान में और देश में उद्योगपति नहीं हैं जो वे यहां उद्योग लगायें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के और देश के उद्योगपति तो यहां आ ही रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों के लाइसेंस हमने दिये हैं। उसका सर्वे करवाया है। सवाई माधोपुर में सात सौ करोड़ की लागत से एक खाद का कारखाना लगने वाला है, वह मैं समझता हूँ इसी साल, डेढ़ साल के अन्दर लगा है। वह भी कोई उद्योगपति यहां का ही लगा रहा है। सलादीपुरा के पाइराइट के कारखाने के बारे में उन्होंने कहा कि सलादीपुरा का जो पाइराइट पर आधारित खाद का कारखाना है उसका सब कुछ एक तरह से सर्वेड है। केवल गवर्नमेंट आफ इंडिया को इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आम तौर पर जो नीति गवर्नमेंट आफ इंडिया की है वह यह है कि जो योजनायें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरी हो सकती हों उनको हम पूरा करें पहले और बाकी योजनाओं को हम बाद में बड़े पैमाने पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में लेने की चेष्टा करें। तो सलादीपुरा के बारे में हमने कोशिश की

(श्री शिवचरण माथुर)

है और उसको एक स्टेज पर लाने की कोशिश में हम आज भी लगे हुए हैं। खाद का कारखाना जैसे मैंने आपसे कहा कि बिजली के कारखाने, ये सब इसी जमाने में लगने वाली बात है।

राजस्थान कैनाल के बारे में मेरे योग्य और माननीय सहयोगी चन्दनमल जी बैद ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं और ब्यौरेवार बातें कही है। मैं राजस्थान कैनाल के बारे में दो ही बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान कैनाल को पूरा करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हमने इसकी स्ट्रेटेजी चेंज की है इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते थे कि कि सारी की सारी वितरिकाओं को अगर हम पक्की करेंगे तो सैंकड़ों करोड़ रुपये हमको चाहिए, राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं। हमने सोचा कि पक्की नहर मेन नहर में तो कर दें और डिस्ट्रीब्यूटरीज को कच्ची भी करें और पानी किसान के लिए पहुंचा दें तो अपने आप किसान खुद कर लेगा। फिर कुछ पैसा हम लगायेंगे आखिर, 45 साल पहले गंग कैनाल गंगानगर से आई थी उस समय कौन से सी. ए. डी. के प्रोग्राम थे, उस समय कौनसी पक्की नहरें थीं। गंगानगर के किसानों ने उसी तरह के भूमि को टीबों वाली भूमि को समतल किया और उसको हरा भरा बनाया। हमारे जो जैनेटी है आदमी की, मेहनत की, शक्ति है आदमी की उसका हम सहयोग लेना चाहते हैं और राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने तो यह किया है, जैसलमेर से पाली और डींगरा तक बढ़ा करके बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का निश्चय हमने किया है। जैसा कि बैद जी ने बताया, हमने लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं की स्वीकृति दी है। उसमें मैं एड करना चाहता हूं जो कुछ आपने कहा है उसके अलावा कि अगर भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार हमारी योजनाओं की जो स्वीकृति हमने दी थी, उसको नामंजूर नहीं करती तो उस समय वह पांच लिफ्ट स्कीम की योजना 73 करोड़ में बन जाती और आज जब दुबारा हमने स्वीकृति दी उन योजनाओं पर, अध्यक्ष महोदय, साढे तीन सौ करोड़ की लागत आयगी। अब कहां 73 करोड़ और कहां साढ़े तीन सौ करोड़। सही बात है भैरों-सिहजी शेखावत पश्चिमी राजस्थान के ही क्या बल्कि राजस्थान के एक तरह से दुश्मन हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान को पीछे रखा, पश्चिमी राजस्थान के पानी को बाहर जाने दिया मध्य प्रदेश में, केचमेंट एरिया को इन्टरसेप्ट करने इजाजत दी, पंजाब में हैड वर्क्स की बात हो गई थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया। तो आज मुझे तो दोष देते हैं और मुझे मीर जाफर और न जाने क्या क्या कहते हैं लेकिन पीढ़ियां उनसे कृत्य को भी याद रखेंगी। वह यहां बैठ करके अपनी बात कहें इसे इतिहास याद नहीं करता, आने वाली पीढ़ियां हमको भी याद रखेंगी और उनको भी याद रखेंगी। फैसला भविष्य करेगा कि किसने राजस्थान का हित चिन्तन किया और किसने केवल डींगें हांकी हैं, केवल निरर्थक बातें कही हैं, यह तो; अध्यक्ष महोदय, भविष्य ही बताएगा। एक बात मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे

(श्री शिवचरण माथुर)

में और कहना चाहूंगा। बैदजी ने बहुत सही बात कही कि हमने सारी संस्कृति को, सारे वे आफ लाइफ को बदलने के लिए संकल्प किया है। मुझे मालूम है, मैं जब कृषि मन्त्री था, जैसलमेर जाया करता था और पंचायत समितियों की मीटिंग में जिला परिषदों की मिटिंगों में जब मैं राजस्थान कैनाल की चर्चा करता था, एक दिन ऐसा होगा जब जैसलमेर के इलाके में राजस्थान कैनाल का पानी आयगा तो वहां के लोग यह कहते थे कि साहब, हमारी तो पैस्टोरल इकानामी है। हमारा तो खेती–बाड़ी से कोई लेना-देना नहीं है, हमको तो पशुधन को चराने के लिये हजारों बीघा जमीन चाहिये खुली हुई इसलिये हमको तो कोई नहर वहर की जरूरत नहीं है। हमारी तो पेस्टोरल इकोनामी है। वही जैसलमेर के लोग परसों मेरे पास आये। अब वह कहते हैं कि साहब, हमारे पास पुश्तैनी इतनी जमीन थी। हमारे चार बेटे हो गये उसका हम हिस्सा लेना चाहते हैं। आज जमीन की कीमत वह समझने लगे हैं। तो जैसलमेर के इलाके में जो पानी आया है उससे इतिहास तो बदलेगा ही लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने उस इलाके का भूगोल बदलने की चेष्टा की है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगे आने वाले वक्त में मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कल्पना हमारी है, योजनायें हमारी हैं, राजस्थान कैनाल में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोब्लम्स हैं, हमारी कुछ मूलभूत समस्यायें हैं, वित्त की समस्यायें हैं और वित्त की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उस वित्त के स्ट्रेंट्स के बीच में भी, वित्त की समस्याओं के बीच में भी आज जो तैयारी हम कर रहे हैं, मुझे लगता ऐसा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। राजस्थान के भविष्य को कोई भी खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मुझे तो बहुत विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा इण्डिकेटर और आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासन में खास तौर पर ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था में जो जबरदस्त परिवर्तन आया है उसका एक इण्डिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में डेयरी डवलपमेंट का प्रोग्राम है हमने बड़े पैमाने पर हाथ में लिया और आपरेशनल फ्लड नम्बर टू, इस काम को हमने हाथ में लिया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि रूरल इकानामी में एक जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 1977-78 में चार प्लाण्ट थे और जब तक भैरोंसिंह जी शेखावत बिराजते थे, कांग्रेस के बने हुए चार प्लाण्ट से पांचवां प्लाण्ट उन्होंने नहीं बनाया। हमारे जमाने में चार प्लाण्ट थे, अध्यक्ष महोदय, और 1979-80 के बाद भी चार ही रहे....

श्री अध्यक्ष : वे सही हालत में तो मिले या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, 1980-81 में हमने एक प्लाण्ट बढ़ाया, पांचवां प्लाण्ट बनाया और 83-84 में चार के बजाय सात प्लाण्ट राजस्थान में हो गए, डेयरी प्लाण्ट बड़े, जिनकी एक-एक लाख लीटर की कैपेसिटी है। ऐसे सात

(श्री शिवचरण माथुर)

प्लाण्ट लगाये। ऐसे ही पहले सात चीलिंग प्लाण्ट लगाए, 1977-78 में सात प्लाण्ट थे और जब भैरोंसिंह जी गए तो उन्होंने 12 लगा दिए, यानि पांच बढ़ा दिए और आज 18 प्लाण्ट राजस्थान में हैं। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां 1948 थी 77-78 में आज 3425 हैं। मिल्क कलेक्शन जो 1977-78 में 797.70 लाख लीटर था वह आज बढ़कर के 1017 लाख लीटर हो गया है......

श्री अध्यक्ष : बीच में अकाल के कारण काफी धक्का लगा वरना और बढ़ जाता।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक एन. आर. ई. पी. के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं, एन. आर. ई. पी. के बारे में इतना जबर्दस्त क्रान्तिकारी काम कांग्रेस की सरकार ने किया है उसके कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह उसकी बात कह रहा हूँ आप से, प्राथमिक शालाओं के भवन 1981-82 में 1330 बने, 1982–83 में 904 बने, और 1983-84 में 800 बने। पंचायत घर 1981-82 में 232, 82–83 में 165 और 83-84 में 214 बने। पेय जल के कुएं 81–82 में 1146, 82-83 में 910 और 83-84 में 554। सड़क निर्माण 117 किलो मीटर 81-82 में, 82-83 202 किलोमीटर में और 16। किलो मीटर 83-84 में। अन्य दूसरे काम जो हुए हैं वह 3235 काम 81-82 में, 1035 काम 82-83 में और 83–84 में 1002 काम। अध्यक्ष महोदय, यह एन. आर. ई. पी. के काम आप जानते हैं कि हर गांव में एक बोलते हुए काम हैं कहीं पंचायत घर मिलेगा, कहीं स्कूल मिलेगा, कहीं पर नाली मिलेगी, कहीं सड़क मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, ये एन. आर. ई. पी. के काम हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। इस तीन के अन्दर प्राथमिक शालाए 80-81 में 800 खोलीं, 81–82 में 577 खोली गयीं और 83-84 में 1460 खोली गई। मैं समझता हूँ कि ये अभी पूरे अप टू-डेट फिगर्स नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, 460 से ज्यादा ही हैं। उच्च प्राथमिक शालाएं 80-81 में 250 खोली गयी, 81-82 में 400 खोली गयी, 82-83 में 232 खोली गयी, 83-84 में 650 खोली गयी। उच्च प्राथमिक शालाए वर्षों से नहीं खुली थीं राजस्थान में। मैं समझता हूँ कि 10-12 साल से हायर सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में नहीं खोले गये। उच्च माध्यमिक, हायर सैकण्डरी स्कूल। 82-83 में, अध्यक्ष महोदय, 212 हायर सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में खोले हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : इससे आगे बढ़िये। रतनगढ़ तक। यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि सोना खरा है इसको कस लिया गया है परन्तु मेरा निवेदन है कि सोने की थाली में मेख है उसको निकाल दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : पंडित जी, आप विराजिये। मैं यही कह सकता हूँ कि सन्तोष का फल मीठा होता है।

अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. के अन्दर में जो हैंड पम्प लगाने की कार्यवाही

(श्री शिवचरण माथुर)

हुयी है वह आपको मालूम है कि जितने गांवों में पिछले सालों, 15 सालों, में हैण्ड पम्प खोदे उतने हैण्ड पम्प इन दो सालों में खुदे हैं। हमने कोशिश भी की है कि अभियान चाहे साल में दो बार चलाना पड़े लेकिन हैंड पम्प खराब पड़े हुए हैं। वो डिपार्टमेंटल तरीके से उनकी जांच कराकर ठीक किये हैं। एक अभियान में पहले ठीक कराये गये, बाद में फिर खराब हो गये। तो इस वक्त भी अभी अभियान चल रहा है। हैंड पम्पों को ठीक करने की हमने कोशिश की है। लेकिन इसके लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेन्ड करके, स्थानीय तौर पर गांवों में एक कैटेगरी को तैयार करें, 1000 के करीब व्यक्तियों को ट्रायसम में हैंड पम्प सुधारने के लिए ट्रेण्ड किया है जो कि अलग-अलग जगह गांवों में पहुंच गये हैं।

पी. एच. ई. डी. की स्कीम के संबंध में एक्सिलरेटेड रूलर वाटर सप्लाई स्कीम 18,000 गांवों में से, अध्यक्ष महोदय, 14,000 गांव में इस बीच में किये गये 4,000 गांव पहले थे। यह एक फिनोमिनल प्रोग्रेस है जो आपके सामने है।

200 आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये। इसी प्रकार मेडिकल डिपार्टमेंट में अस्पतालों को क्रमोन्नत किया गया, नये सब सैंटर्स खोले गये, प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स में 100 पर्सेन्ट हमने सफलता प्राप्त की। यह सारी उपलब्धियां हर क्षेत्र में आपके सामने हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जो उप स्वास्थ्य केन्द्र थे उनको बन्द भी किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : हो सकता है। उसको ठीक करेंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : हो सकता है। दाओसर म उप स्वास्थ्य केन्द्र था पहले 10 वर्षों से चल रहा था उसको बन्द किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, हर तरह के विकास के कामों का मैं जिक्र कर सकता हूं लेकिन अधिक नहीं कह कर मैं यही कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, एक चिट्ठी जो इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर से मुझे मिली है उसका भी जिक्र मैं करना चाहूँगा। हमारा जो सेल्फ एम्पलायमेंट प्रोग्राम 15 अगस्त को प्रधान मन्त्री जी ने घोषित किया उसके संबंध में एक चिट्ठी मुझे केन्द्रीय उद्योग मन्त्री जी की मिली है, वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

"Dear Shri Mathur,

Kindly refer to your letter No such and such dated 25 th February, 1984. I must compliment you for the sizeable achievement under the scheme of providing self employment to educated un-employed youth, wich would not have been possible but for the interest that you have taken in its implementation.

As desired by you, I am increasing the target of your State from 10000 to 15000. The Reserve Bank of India is also being Resseparately informed."

(श्री शिवचरण माथुर)

This is a letter from the Union Industries Minister.

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही बात कह कर कि कांग्रेस की कुछ आधारभूत नीतियां है, कांग्रेस की कुछ ऐतिहासिक विरासत है, कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है कि वह भारत के पिछड़ेपन को, उसकी गरीबी को मिटाने के लिए पूरे प्रयत्न करे। हमारी पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार हम इन कार्यक्रमों में और गति देना चाहते हैं और उसी का जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। मैंने संक्षेप में कुछ बातें यहां पर बताने की चेष्टा की है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करने का जो प्रस्ताव मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी ने रखा है उसको स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पर मतदान।

प्रश्न यह है कि इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी है।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.51 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 15 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

सूची लम्बित प्रकरण अन्तर्गत (धारा 183 ए) कार्यालय उप जिलाधीश, बारां

क. स.	पत्रावली सं.	उनवान		
1.	78/81	माधो पुत्र मेंदया धाकड़ निवासी बड़वा	बनाम	महेश सिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपूत
2.	80/81	केशरीलाल पुत्र धन्नालाल माली निवासी सोर खण्ड खुर्द	,,	प्रताप पुत्र माधो माली
3.	81/81	गणेश पुत्र गिरधारी निवासी सोर खण्ड किशनगंज	,,	हरिशंकर पुत्र हीरालाल महाजन निवासी किशनगंज
4.	96/81	रामनारायण पुत्र तेजाजी कीर निवासी सोर खण्ड कलां	,,	हीरालाल पुत्र सांवला मीणा निवासी थामली बारां
5.	99/81	मांगीलाल पुत्र बिरधीलाल मीणा निवासी बम्बूलिया जोगियान	,,	किशनलाल पुत्र भंवरलाल मीणा
6.	101/81	लोडक्या पुत्र सरवन बैरवा, निवासी बड़गांव	,,	कान्हा हीरा पुत्र मन्ना बंजारा
7.	135/81	छीतरलाल पुत्र जगन्नाथ निवासी पचेल खुर्द	,,	रामप्रसाद पुत्र फून्दीलाल
8.	152/81	मांगीलाल पुत्र छोटू धाकड़ निवासी पाटोन्दा	,,	मूलचन्द पुत्र बालाबक्श
9.	170/81	सूरजमल पुत्र मांगीलाल बमूलिया कलां	,,	रामचन्द्र पुत्र पाथू मीणा

क्र. सं.	पत्रावली सं.	उनवान		
10.	10/82	शोभ सिह मदन सिह राजपूत निवासी भानपुरा	बनाम	रमेशचन्द्र पुत्र बाबूलाल
11.	65/82	धन्ना रामचन्द्र गोण्या पुत्र मोउ चमार	,,	मूली लाल पुत्र गेंदी लाल
12.	149/82	उम्मेद मल पुत्र नन्द लाल मेहर निवासी	,,	शंकर पुत्र यदुनाथ
13.	188/82	श्याव लाल पुत्र भरतरी पलसाव	,,	नाथ्या पुत्र भंवर लाल मीणा
14.	71/83	रायमोहन वर्मन पुत्र भारत वर्मन निवासी घट्टी	,,	अन्ना देवी पत्नि दिगेन चटर्जी
15.	83/83	नाथूलाल पुत्र बलाई निवासी नागदा	,,	चतरा पुत्र गोबरी लाल
16.	143/83	रामनारायण पुत्र मदनलाल	,,	रघुनाथ पुत्र धूल्या पलसाव
17.	169/83	हीरालाल पुत्र मन्ना मीना निवासी घूमर खेडी	,,	कृष्ण पुत्र भूरा
18.	185/83	ओगडी लाल पुत्र पन्नालाल निवासी बमोरी कलां	,,	देवीलाल पुत्र सरवण मूलीलाल पुत्र
19.	189/83	माधोलाल पुत्र वरसिंह निवासी मउ	,,	रामकल्याण

सूची न्यायालय सहायक समाहर्ता कोर्ट नं. प्रथम बारां
सूची पत्रावलियां बाबत धारा 183 (ए) रहन मुक्ति (भूमि) आर. टी. एक्ट

नं.	मि. नं.	उनवान
1.	19/81	भैरूलाल प्रहलाद आ. कालू मीना साकिन छतरगंज बनाम (1) रामलाल आ. मोरपाल, जानकीलाल आ. म. मोरपाल, रामनिवास आ. भंवरलाल मीना साकिन छतरगंज
2.	121/81	कैलाश आ. भैरूलाल माली साकिन जलवाडा बनाम धन्नालाल आ. नेनगा माली साकिन जलवाडा
3.	160/81	जीवनलाल आ. अमरलाल सहर खाण्डा सहरोल बनाम जवाहर लाल आ. गोरधन तेली साकिन खाण्डा सहरोल
4.	1/82	लूटई आ. इमरतलाल किराड निवासी पीपलखेडी बनाम रामकिशन. जाति कुम्हार निवासी बाराना तहसील बारां
5.	1/83	गोरधन आ. धूलीलाल धाकड निवासी बासथूनी बनाम किशनगोपाल आ. भैरूलाल प्रहलाद, जयलाल, कालूलाल आ. किशनगोपाल धाकड साकिन बासथूनी तहसील किशनगंज
6.	4/83	बशीर आ. छोटू मुसलमान निवासी मांगरोल बनाम छुट्टा आ. सामीर खां, मुसलमान साकिन करवरी कलां

सूची (न्यायालय सहायक जिलाधीश कोर्ट नं. 2 बारां) बाबत धारा 183 (ए) आर. टी. एक्ट (रहन मुक्ति भूमि)

क्र. सं.	मि. नं.	उनवान	ता. पेशी
1.	58/83	छीतरलाल आ. देवा चमार बमोलिया जागीर	
		बनाम	
		मदनलाल आ. जगन्नाथ माली	20.3.84
2.	434/83	चौथमल आ. कन्हैयालाल खाखाल सोमली हाल बोरखेड़ी	
		बनाम	
		प्रभुलाल, रामचन्द्र हीरा, देवा आ. धन्ना धाकड बलदेवपुरा	12.3.84
3.	50/83	छीतरलाल आ. धन्ना बारां	
		बनाम	
		बलराम नारायण, बारां	14.3.84
4.	44/83	हीरा आ. बालेठ बड़ा	
		बनाम	
		छीतर आ. मोणा बडा	14.3.84
5.	10/83	मांगीलाल आ. नरसिंह नाई मेलखेडी	
		बनाम	
		किशनलाल आ. भूरा कलाल	14.3.84

क्र. सं	मि. नं.	उनवान	ता. पेशी
6.		रघुनाथ आ. गंगाराम बेरवा खेड़ली केशो बनाम पन्नालाल आ. नारायण पुरी गुसाई	14.3.84
7.	81/83	गोपी, दयाराम आ. रामा जाटव छोसरी बनाम लतीफ आ. मुस. नि. अटरू	16.4.84
8.	50/82	रतनलाल आ. सीताराम धाकड फतहपुर बनाम कान्हा आ. कंवरलाल वगैरह मेहर फतरपुर	20.3.84
9.	41/83	मथुरालाल आ. बूलीलाल बलाई किनयपुर बनाम बाबूलाल आ. किशर कन्डारा थामली	20.3.84
10.	62/83	मांगीलाल आ. किशन चमार हींकड बनाम रतनलाल आ. बजरंग मीणा बामनहेडा	20.3.84
11.	78/83	नारायण गुलाब आ. बोरंदा बनाम गोविन्दा आ. कन्हैयालाल माली नि. चौकी	20.3.84
12.	56/83	चतरा आ. मंगला माली सीमल बनाम बद्रीलाल तह. जगन्नाथ तमौली	20.3.84

क्र. सं.	मि. नं.	उनवान	ता. पेशी
13.	42/83	मूलीलाल आ. गणपत धाकड सीमली बनाम धन्नालाल आ. गोपीलाल पटेल बलदेवपुरा	20.3.84
14,	66/83	मोड़ूलाल मथरीबाई बैंगना बनाम कालूलाल आ. रामदेव धाकड बैंगना	20.3.84
15.	171/83	दयाराम आ. कंवरलाल जाति नायक भटसुई बनाम बिरध आ. नारायण मीणा भटसूई	21.3.84
16.	128/82	नरस्या आ. मैनगा मीणा तिसाया बनाम रामप्रसाद आ. मोतीलाल, श्रीलाल आ. रामप्रताप मीणा. भटसुई	26.3.84
17.	448/83	छीतर आ. कान्हा, सीताबाई पत्नी कान्हा लुहार वटावदा बनाम गोपाल रामकिशन आ. रामा लुहार वटावदा	9.4.84
18,	40/83	प्रेमलता पुत्री प्रभूसिंह राजपूत कायेला बनाम भवाना पुत्र धुलीलाल माली कायेला	11.4.84
19.	265/80	मु. घासी जाजे बिरधा माली नि. तामखेडा बनाम भवरलाल, राधाकिशन आ, भैरू माली बडगांव वगै.	11.4.84

परिशिष्ट–14 मार्च, 1984–परिशिष्ट

क्र. सं.	मि. नं.	उनवान	ता. पेशी
20.	134,82	मदनलाल आ. श्रीलाल वामन हेड़ा बनाम रामेश्वर आ. अमरा.मीना	25.4.84
21.	121/82	मदनलाल आ. श्रीलाल वामनहेड़ा बनाम मांगीलाल आसोधी खाती नि. वामन हेड़ा	25.4.84

जिलाधीश
कोटा

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

नाम एजेन्सी	नाम जिला	नाम क्रय केन्द्र	बाजरे की खरीद की मात्रा-
भारतीय खाद्य निगम	1. अलवर	1. बहरोड़	68 क्विन्टल
	2. भरतपुर	2. भरतपुर	3 क्विन्टल
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ	1. अलवर	3. अलवर	21 क्विन्टल
	2. सीकर	4. नीमकाथाना	228 क्विन्टल
		कुल योग	320 क्विन्टल

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जैसलमेर जिले में काश्तकारों को भूमि आवंटन

152. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में वर्ष 1969 व 1971 में समरी सैटलमेन्ट के आधार पर काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को ? कृपया तहसीलवार सूची सदन को मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों को पासानूद आधार पर भूमि आवंटित कर उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1975 में हुए जिले के सैटलमेन्ट में उक्त कब्जा शुदा काश्तकारों की भूमि को नहीं दर्शाया गया व सिवाय चक भूमि दर्ज कर दी गई ? यदि हां, तो रिकार्ड की उक्त त्रुटि को कब तक ठीक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील जैसलमेर में वर्ष 1969 में 60 व 1971 में 677 तथा तहसील पोकरण में 1971 में 160 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी, तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) यह आंशिक रूप से सही है, उस वक्त सैटलमेन्ट आवंटितियों को जिनका मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त था, उनकी भूमि सैटलमेन्ट में दर्ज कर दी गई थी, अन्य की नहीं की गई । रिकार्ड में अन्य आवंटियों का नियमानुसार इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है ।

सूची

भूमिहीन काश्तकारों को वर्ष 1971 में आवंटित भूमि के व्यक्तियों की सूची तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (राजस्थान)

क्र. सं.	नाम प्रार्थी मय वल्दियत	सकुनत	ख. नं.	रकबा बीघों में	वि. वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	किरपाराम/खेमाराम मेघवाल	नोख	सिवाय चक	75	
2.	जैनाराम/रामूराम माली	,,	,,	56	
3.	वीरबल/तेजाराम विश्नोई	,,	,,	75	
4.	जोधाराम/विरसिंगाराम विश्नोई	,,	,,	75	
5.	लोगीदान/दीपदान चारण	,,	,,	75	
6.	ओइदानसिंह/मुल्तानसिंह राजपूत	,,	,,	40.10	
7.	किशन/शिवलालराम माली	,,	,,	75	
8.	श्री शैतानसिंह/जेठुसिंह चारण	,,	,,	75	
9.	गोपालदान/कानूदान चारण	,,	,,	75	
10.	कायमखां/लालूखां	,,	,,	75	
11.	जवारसिंह/बुलदानसिंह	,,	,,	75	
12.	जेठाराम/चुनाराम माली	,,	,,	75	
13.	सोहनसिंह/किसनसिंह	,,	,,	75	
14.	भंवरूराम/सेमाराम माली	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	प्रदीपकुमार/कपूरचन्द जोशी	नोख	सिवाय चक	75	
16.	ग्राइदान/खेमाराम मेघवाल	,,	,,	43	
17.	लाधुराम/बिड्डाराम विश्नोई	,,	,,	75	
18.	सांगसिंह/ग्रजबसिंह राजपूत	,,	,,	75	
19.	चतुरवन/भंवरवल स्वामी	,,	,,	75	
20.	मोहनदान/जवाहरदान चारण	,,	,,	75	
21.	ग्रासूराम/प्रेमाराम कुम्भार	,,	,,	75	
22.	आसूराम/प्रेमाराम कुम्भार	,,	,,	75	
23.	भोजराजसिंह/मुल्तानसिंह	,,	,,	75	
24.	जेठाराम/केशराराम कुम्भार	,,	,,	75	
25.	लालुराम/आसुराम कुम्भार	,,	,,	75	
26.	ग्रम्बाराम/हेमाराम माली	,,	,,	75	
27.	किशनलाल/खेताराम ढोबी	,,	,,	75	
28.	डूंगराराम/मोतीराम लोहार	,,	,,	75	
29.	जोगाराम/हमीराराम ढोली	,,	,,	75	
30.	बाबूराम/घूड़ाराम कुम्भार	,,	,,	47	
31.	पुखराज/शंकरलाल देशान्तरी	,,	,,	[illegible]	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
32.	कमला देवी पत्नी कालू–दान चारण	नोख	सिवाय चक	75	
33.	भारथाराम/हमीराराम लोहार	,,	,,	75	
34.	लादूखां/फुलेखां	,,	,,	75	
35.	सिमरथाराम/राजुराम	,,	,,	75	
36.	गोरखाराम/पोलाराम	,,	,,	75	
37.	गाजीखां/अल्फखां	,,	,,	75	
38.	माणकराम/धोकलाराम	,,	,,	75	
39.	वीरबलराम/जीवराराम विश्नोई	,,	,,	75	
40.	जमालखां/फकीरखां	,,	,,	75	
41.	कालूराम/रामूराम माली	,,	,,	75	
42.	घेवरराम/मेघाराम कुम्भार	,,	,,	75	
43.	गंगाराम/चौथाराम सुथार	,,	,,	75	
44.	राणाराम/मंगलाराम माली	,,	,,	75	
45.	डिवामेखां/फकीरखां	,,	,,	75	
46.	सुगनलाल/टीकूराम माली	,,	,,	75	
47.	मनुखो/अलीनिमाज	,,	,,	75	
48.	बाबूराम/मघाराम	,,	,,	75	
49.	गवरीशंकर/सालूराम	,,	,,	75	
50.	भंवरलाल/बाबूलाल माली	,,	,,	75	
51.	नेकूखां/इसमालखां	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
52.	ग्रावडदान/शंकरदान चारण	नोख	सिवाय चक	75	
53.	अर्जनराम/कानाराम विश्नोई	,,	,,	75	
54.	पठानखां/फकीरेखां	,,	,,	75	
55.	शिवनाथसिंह/अचलसिंह राजपूत	अजासर	,,	75	
56.	प्रवीणकुमार/रामस्वरूप शर्मा	नोख	,,	75	
57.	सरूपाराम/लिखराम विश्नोई	,,	,,	75	
58.	हीराराम/रामूराम राजपूत	,,	,,	75	
59.	जोराराम/भींगाराम विश्नोई	,,	,,	75	
60.	कायमदीन/ईसेखां	,,	,,	75	
61.	बनाराम/मोबताराम माली	,,	,,	75	
62.	किशनलाल/दानजी दर्जी	,,	,,	75	
63.	पेमाराम/खेमाराम कुम्भार	,,	,,	75	
64.	माणकाराम/ग्रमोलखराम कुम्भार	,,	,,	75	
65.	राणाराम/अलसीराम कुम्भार	,,	,,	75	
66.	पूनाराम/जाना कुम्भार	,,	,,	75	
67.	भोलानाथ/सोहननाथ जोगी	,,	,,	75	
68.	हमीराराम/जानाराम कुम्भार	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
69.	सुजाणाराम/भीखाराम सुथार	नोख	सिवाय चक	75	
70.	बाबूराम/आसुराम कुम्भार	,,	,,	75	
71.	सुगनाराम/पूनाराम	,,	,,	75	
72.	मुलतानाराम/भेराराम	,,	,,	75	
73.	मालाराम/बरसिंगा विश्नोई	,,	,,	75	
74.	हरदास/घीमाराम विश्नोई	,,	,,	75	
75.	मुलतांना/सुखराम विश्नोई	,,	,,	75	
76.	कालूराम/शंकरराम माली	,,	,,	75	
77.	मोहनराम/डूंगराराम डोली	,,	,,	75	
78.	सगताराम/नेनूराम कुम्भार	,,	,,	75	
79.	लागूखां/रमनीमाज	,,	,,	75	
80.	पूनमनाथ/भोलानाथ जोगी	,,	,,	75	
81.	सखीखां/रमजानखां	,,	,,	75	
82.	तेजाराम/गुडाराम विश्नोई	,,	,,	75	
83.	आइदान/खेताराम माली	,,	,,	75	
84.	नभेखां/निभुखां सिराई	,,	,,	75	
85.	प्रहलादकुमार/गिरधरलाल	,,	,,	75	
86.	मोतीसिंह/खुसालसिंह भाटी	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
87.	सुगनाराम/नखतुराम कुम्भार	नोख	सिवाय चक	75	
88.	मंगनाराम/काछबाराम विश्नोई	,,	,,	75	
89.	मालाराम/रामचन्द्र विश्नोई	,,	,,	75	
90.	गणपतराम/हरदास विश्नोई	,,	,,	51	
91.	रूपसिंह/मुलतानसिंह राजपूत	,,	,,	75	
92.	अनोपाराम/रूपाराम कुम्भार	,,	,,	39	
93.	हीराराम/रामलाल विश्नोई	,,	,,	75	
94.	समदअली/रहमतअली	,,	,,	75	
95.	गणेशनाथ/हीरानाथ जोगी	,,	,,	75	
96.	शंकरनाथ/जुणेशनाथ जोगी	,,	,,	75	
97.	परमाराम/भोजाराम कुम्भार	,,	,,	75	
98.	सुगनाराम/किलोणाराम कुम्भार	,,	,,	75	
99.	बागसिंह/मुकनसिंह	,,	,,	75	
100.	घेवरसिंह/सुजानसिंह डालिया	,,	,,	75	
101.	हनुराम/फूलाराम विश्नोई	,,	,,	75	
102.	मंगलाराम/बडसीगाराम	,,	,,	75	
103.	अर्जुनराम/पांचाराम	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
104.	सांगसिंह/सोमसिंह राजपूत	सत्यायां	सिवाय चक	73	
105.	अर्जुनसिंह/सांगसिंह	,,	,,	65	
106.	वागसिंह/सांगसिंह	,,	,,	75	
107.	भीमसिंह/अर्जुनसिंह	,,	,,	75	
108.	पन्नेसिंह/सांगसिंह	,,	,,	69	
109.	श्रीमती विनोद/सर्वाधार वैश्य	,,	,,	75	
110.	हाजी/घिवरो नगारची	मदासर	204	75	
111.	डूगरीया/शूभू	,,	204	75	
112.	आदगर/अजीतगर	,,	204	75	
113.	भंवरसिंह/आईदानसिंह राजपूत	अजासर	सिवायचक	75	
114.	उतमसिंह/फतेहसिंह	,,	,,	75	
115.	दावाराम/श्यामाराम	दिघू	,,	75	
116.	नखताराम/लाडा मेघ–वंशी	,,	,,	75	
117.	अचलाराम/लखुराम सुथार	,,	,,	75	
118.	अमाना/अजां सुथार	,,	,,	75	
119.	गुमानसिंह/सिमरथसिंह राजपूत	,,	,,	75	
120.	गंगाराम/दमाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
121,	गोरधनराम/मोहबमाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
122.	उंकारराम/मोहबताराम मेघवंशी	,,	,,	75	
123.	चिमाराम/मोहबमाराम मेघवंशी	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
124.	छुगाराम/विश्नाराम	दिधू	सिवाय चक	75	
125.	जेठाराम/जीयाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
126.	मगतसिंह/हमीरसिंह राजपूत	,,	,,	75	
127.	नेनाराम/विश्नाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
128.	प्रभागा/विश्ना मेघवंशी	,,	,,	75	
129.	पार्वती/मुकनाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
130.	गोरखा/बिहारी मेघवंशी	,,	,,	75	
131.	कोजा/बिहारी मेघवंशी	,,	,,	75	
132.	बीजल/कुम्भा मेघवंशी	,,	,,	75	
133.	फुली पत्नी चोथा मेघवंशी	,,	,,	75	
134.	भंवसिंह/डूंगरसिंह राजपूत	,,	,,	75	
135.	मंगलसिंह/राजुसिंह राजपूत	,,	,,	75	
136.	भोमा/राजु मेघवंशी	,,	,,	75	
137.	रेवन्ताराम/आइदान नाई	,,	,,	75	
138.	मीरा पत्नी रेवतसिंह राजपूत	,,	,,	75	
139.	लूणाराम/कालाराम कुंभार	,,	,,	75	
140,	नखताराम/जेठाराम मेघवंशी	,,	,,	75	
141.	भीखसिंह/शिवनाथसिंह राजपूत	अजासर	,,	75	
142.	अमका पत्नी सगतसिंह राजपूत	,,	,,	75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
143.	सांगसिंह/सगतसिंह राजपूत	अजासर	सिवाय चक	75	
144.	पाबू/भभूताराम नाई	,,	,,	75	
145.	इन्द्रा पत्नी भभूता नाई	,,	,,	75	
146.	सुखा/नरसिंह नाई	,,	,,	75	
147.	दुर्गा पत्नी देवा नाई	6	,,	75	
148.	रिडमल/देवा नाई	,,	,,	75	
149.	कुबंला पत्नी उतर भील	,,	,,	75	
150.	जारो/उतमाराम भील	,,	,,	75	
151.	पंजीया/जेठा भील	,,	,,	75	
152.	मूला/जेठा भील	,,	,,	75	
153.	उतमा/आइदान दरोगा	,,	,,	75	
154.	प्रेमसिंह/अचलसिंह राजपूत	,,	,,	75	
155.	भाखरसिंह/अचलसिंह	,,	,,	75	
156.	ईश्वरभारथी/हरीभारथी मुंलाई	,,	,,	75	
157.	देरावरसिंह/रामसिंह राजपूत	,,	,,	75	
158.	सौंवसिंह/रामसिंह राजपूत	,,	,,	75	
159.	नरपतसिंह/रामसिंह राजपूत	,,	,,	75	

उप जिलाधीश कार्यालय जैसलमेर द्वारा वर्ष 1972 में किये गये भूमि आवंटनों का विवरण :—

क्र. सं.	ग्राम जहां भूमि आवंटित की गई	भूमि आवंटन की दिनांक	आवंटी का नाम मय वल्दियत एवं सकूनत	आवंटित भूमि का ख.नं.	रकबा (बीघों में)	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	छोड़	21.6.71	राणाराम/सोनाराम कुम्भार छोड़	38	30.00	
2.	अचला	,,	पदमाराम/गेवराराम राईका अचला	48	75.00	
3.	अचला	,,	खानुराम/गेवाराम राईका अचला	48	75.00	
4.	देवीकोट	,,	जुमेखां/पीरुखां मुस. देवीकोट	74/1	46.00	
5.	सांवता	,,	पुजाराम/धोकलाराम राईका अचला	48	75.00	
6.	छोड़	,,	मारू/मिराज मुस. छोड़	38	40.00	
7.	छोड़	,,	सुलेमान/बिमल खां मुस. छोड़	38	75.00	
8.	देवीकोट	,,	चंदेशर/सरीफ मुस. देवी.	74/1	75.00	
9.	उन्डा	,,	युसफ/होथी मगणहार उन्डा	43/1	75.00	
10.	देवीकोट	,,	गजेसिंह/भोपालसिंह राज. सिनणी	1	75.00	
11.	जसवा	,,	मानदान/भारथदान चारण कोड़ा	15/1	75.00	
12.	छोड़	,,	भोजराज/गिरधारी सुनार जैसलमेर	38	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
13.	देवीकोट	21.6.71	यारमोहम्मद/मिठाखां मुस. देवीकोट	74/1	75.00	
14.	"	"	हुकमाराम/मघाराम कुम्भार देवीकोट	74/1	75.00	
15.	"	"	धोधा/भैरसी मुस. देवीकोट	74/1	28.15	
16.	कारडा	"	गोरखा/भानाराम मेघ. भेराजोत	132	75.00	
17.	कारडा	"	नगाराम/मानाराम मेघ. भेराजोत	132	75.00	
18.	भाखराणी	"	खुमाणाराम/पन्नाराम गर्ग भाख.	75/1	75.00	
19.	देवीकोट	"	किशनलाल/मोतीराम नाई देवी.	74/1	35.00	
20.	देवीकोट	"	अमृतलाल/बाबुलाल सुथार देवीकोट	74/1	75.00	
21.	छोड़	"	अखेसिंह/जीतसिंह हजूरी देवीकोट	38	75.00	
22.	छोड़	"	जोगजी/कानजी हजूरी कोठा	38	75.00	
23.	छोड़	"	दलपतसिंह/किशनसिंह राज. देवी.	38	75.00	
24.	छोड़	"	उम्मेदमल/चम्पालाल जैन देवीकोट	38	75.00	
25.	देवीकोट	"	बिसनसिंह/उतमसिंह राज. देवीकोट	74/1	75.00	
26.	छोड़	"	रमणलाल/रामलाल ब्राह्मण जैस.	38	75.00	
27.	जसुवा	"	शेरकंवर/मानदान चारण कोड़ा	15/1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
28.	गुणेशपुरा	21.6.71	किशनसिंह/जवाहरसिंह राज. पोछिणा	2/1	75.00	
29.	गुणेशपुरा	,,	मानसिंह/सजनसिंह राज. पोछिणा	2/1	75.00	
30.	गुणेशपुरा	,,	मुल्तानसिंह/गुमानसिंह राज. पोछिणा	2/1	75.00	
31.	छोड़	,,	सोढेखां/भीखेखां मुस. छोड़	38	75.00	
32.	गुणेशपुरा	,,	चंदनसिंह/बागसिंह राज. पोछिणा	2/1	75.00	
33.	गुणेशपुरा	,,	उम्मेदसिंह/रायसिंह राज. पोछिणा	2/1	75.00	
34.	देवीकोट	,,	बच्चेखां/निजावतखां मुस. देवीकोट	74/1	75.00	
35.	देवीकोट	,,	पांबीखां/इमामखां मुस. देवीकोट	74/1	75.00	
36.	छोड़	21.6.71	बीजेखां/साधकखां मुस. छोड़	38	75.00	
37.	,,	11.8.71	सावूखां/हमीरखां मुस. छोड़	38	75.00	
38.	,,	21.6.71	हजारीराम छोबाराम कुम्भार	38	75.00	
39.	गणेशपुरा	,,	सवाईसिंह खेव-राजसिंह	2/1	75.00	
40.	देवीकोट	,,	फतेहचन्द/सागरमल जैन देवी.	74/1	75.00	
41.	छोड़	,,	देवीसिंह/बलवन्तसिंह छोड़	38	75.00	
42.	गणेशपुरा	,,	जुहारसिंह/मगसिंह पोछिणा	2/1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
43.	मूलाना	21.6.71	खेतसिंह/गणेशसिंह मुवाना	209	75.00	
44.	लाला	,,	खेतसिंह/जवारसिंह ऐटा	48	75.00	
45.	,,	,,	केसरसिंह/जसवन्तसिंह ऐटा	48	75.00	
46.	,,	,,	कलाणसिंह/पन्नेसिंह ऐटा	48	75.00	
47.	,,	,,	लछमणसिंह/मोकमसिंह ऐटा	48	75.00	
48.	,,	,,	रघुनाथसिंह/नगसिंह ऐटा	48	75.00	
49.	,,	,,	रडमलसिंह/नगसिंह ऐटा	48	75.00	
50.	,,	,,	रघुनाथसिंह/बिसनसिंह ऐटा	48	75.00	
51.	,,	,,	मूलसिंह/बिसनसिंह ऐटा	48	75.00	
52.	,,	,,	मुलतानसिंह/सिमरथसिंह, ऐटा	48	75.00	
53.	,,	,,	जसराजसिंह/मोवतसिंह ऐटा	48	75.00	
54.	,,	,,	मिश्रीसिंह/प्रतापसिंह ऐटा	48	75.00	
55.	,,	,,	सुरतसिंह/मुकनसिंह ऐटा	48	75.00	
56.	,,	,,	सिमरथाराम/छोटाराम ऐटा	37	75.00	
57.	,,	,,	सिराज/अचल मेघ. ऐटा	44	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
58.	लाला	21.6.71	हिम्मतसिह/जवारसिह ऐटा	44	75.00	
59.	,,	,,	घूलसिह/जवारसिह ऐटा	44	75.00	
60.	,,	,,	अमृतगर/अलगगर स्वामी	44	75.00	
61.	,,	,,	अचलसिह/खानसिह ऐटा	44	75.00	
62.	,,	,,	अचलसिह/भागीरथ ऐटा	44	75.00	
63.	,,	,,	नारायणगर/सुमामगर ऐटा	44	75.00	
64.	,,	,,	बीजा/फौजा मगण. ऐटा	44	75.00	
65.	,,	,,	चोथसिह/सतीदानसिह ऐटा	44.	75	
66.	,,	,,	जोराबर/प्रतापसिह राज. ऐटा	44	75.00	
67.	,,	,,	दुर्गासिह/खानसिह राज. ऐटा	44	75.00	
68.	,,	,,	धनसिह/रामसिह राज. ऐटा	44	7500	
69.	,,	,,	नखतसिह/रामसिह राज. ऐटा	44	75.00	
70.	,,	,,	नगसिह/बिसनसिह राज. ऐटा	44	75.00	
71.	,,	,,	हनवन्तसिह/बिसनसिह राज. ऐटा	44	75.00	
72.	,,	,,	कालूसिह/रामसिह राज. ऐटा	44	75.00	
73.	,,	,,	भीखसिह/बनेसिह राज. ऐटा	44	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
74.	देवीकोट	11.8.71	सलीमा/जमाल मुस. लाठी ऐटा	1	75.00	
75.	,,	11.8.71	चानणा/उसमान मुस. लाठी, ऐटा		75.00	
76.	,,	,,	गुलु/अमीनखां मुस. लाठी	1	75.00	
77.	,,	,,	रमझान/अमीनखां राज. ऐटा	1	75.00	
78	दवाड़ा	,,	जीवराजसिंह/पूज-राजसिंह माली	104/1	75.00	
79.	,,	,,	जुगतसिंह/सिमरथ-सिंह मालगडा	104/1	75.00	
80.	,,	,,	जोधसिंह/जुवारसिंह मालगडा	104/1	75.00	
81.	,,	,,	नगसिंह/दोलतसिंह मालगडा	,,	75.00	
82.	,,	,,	नाथूसिंह/कालूसिंह मालगडा	,,	75.00	
83.	,,	,,	वगसिंह/काछबसिंह मालगडा	,,	75.00	
84.	,,	,,	दीपसिंह/बहादुरसिंह मालगडा	,,	75.00	
85.	,,	,,	प्रभूसिंह/बहादुरसिंह मालगडा	,,	75.00	
86	दवाड़ा	11.8.71	मूलसिंह/कालूसिंह राज. मालीगडा	104/1	75.00	
87	,,	,,	नखतसिंह/कालूसिंह राज. मालीगडा	104/1	75.00	
88	मोढ़ा	21.6.71	देवकुमार/बंशीलाल जैसलमेर	2/–	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
89	भाखराणी	21.6 71	भंवरदास/भगवान चारण भाखराणी	75/1	75.00	
90	कुण्डा	,,	मिश्रो/ममला कुण्डा	1	75.00	
91	भाडली	,,	अमीनखां/सदीकखां मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
92	,,	,,	जुमा/सादीक मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
93	लखा	,,	भूरसिंह/सगतसिंह राज. रणधा	1	75.00	
94	कोहरा	,,	लूणाराम/रतनाराम मेघ. कोहरा	1	75.00	
95	,,	,,	जीया/गंमरसिंह राज. कोहरा	1	75.00	
96	बइया	,,	लीलाराम/पारूराम भील बईया	1	75.00	
97	लखा	,,	हणवंतसिंह/नाथूसिंह राज. भाडली	1	75.00	
98	,,	,,	माणूसिंह/समतसिंह राज. रणधा	1	75.00	
99	,,	,,	पन्नेसिंह/कानसिंह राज. रणधा	1	75.00	
100	,,	,,	नारायणसिंह/रुघसिंह राज. रणधा	1	75.00	
101	,,	,,	लांगसिंह/चिमसिंह राज. रणधा	1	75.00	
102	,,	,,	प्रभूसिंह/रुघसिंह राज. रणधा	1	75.00	
103	भाडली	,,	अमरखां/पाधीखा मुस. महरों की डाणी	1	75.00	
104	,,	,,	उम्मेदखां/तालब मुस. मेहरों की टाणी	1	75.00	
105	,,	,,	सोहराबखां/सदीकखां मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
106	भाडली	21.6.71	सावुखां/खमशाखां मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
107	,,	,,	मामदखां/तमाचीखां मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
108	,,	,,	दादा/खनशा मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
109	विरमाणी	,,	विशनाराम/मघाराम मेघ. विरमाणी	25	75.[illegible]0	
110	भाडली	,,	करणसिंह/कलसिंह राज. कोहरा	1	75.00	
111	कोहरा	,,	नखतसिंह/कालूसिंह	1	75.00	
112	,,	,,	निम्बाराम/सताकाराम मेघ कोहरा	1	75.00	
113	,,	,,	नरसिंगराम/सताकराम मेघ कोहरा	1	75.[illegible]0	
114	भाडली	,,	सलमान/मिश्री मु. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
115	,,	,,	तालिव/अलिया मु. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
116	,,	,,	अरबाब/अमखां मेहरों की ढाणी	93	75.00	
117	बोगनाई	,,	भंवर/सीवण भांड मोढा	93	75.00	
118	,,	,,	जसवा/जीवण भंड मोढा	93	75.00	
119	भाडली	,,	अकबरखां/साढेखां मुस. मेहरों की ढाणी	1 1	75.00 75.00	
120	लखा	,,	रेवंतसिंह/नाथूसिंह राज. भाडली	1	75.00	
121	,,	,,	गोविन्दसिंह/पन्नेसिंह राज. भाडली	1	75.00	
122	,,	,,	विरमसिंह/कस्तूरसिंह पुरोहित लखा	1	75.00	
123	,,	,,	पुराराम/मदमाराम मेघ. पुरोहित लखा	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
124	कोहरा	21.6.71	उमेदसिह/भंवरसिह राज. कोहरा	1	75.00	
125	,,	,,	नारायणसिह/शिवदानसिह राज. कोहरा	1 1	75.00 75.00	
126	,,	,,	सवाईसिह/सुजानसिह राज. कोहरा	1	75.00	
127	,,	,,	राहसिह/हुकमसिह राज. कोहरा	1	75.00	
128	,,	,,	फकीरखां/खुदाबक्स मेरासी राज कोहरा	1	75.00	
129	भाडली	,,	गुमानसिह/मघसिह राज. राज, कोहरा	1	75.00	
130	कोहरा	,,	उमेदसिह/मानसिह राज. कोहरा	1	75.00	
131	भाडली	,,	उकरडी/मिठू भील भाडली	1	75.00	
132	झिझनियाली	,,	आणकरणसिह/गोविन्दसिह राज. झिझ.	1	75.00	
133	कोहरा	,,	आसराम/अम्बाराम सुथार कोहरा	1	75.00	
134	,,	,,	चानणाराम/मधारा मेघ. बीरमाणी	1	75.00	
135	गजसिह का गांव	,,	पारसा/पदमा भील गजसिह का गांव	165	75.00	
136	लखा	,,	आतम/पदमाराम मेघ. लखा	1	75.00	
137	भाडली	,,	दलखां/तमाचीखां मुस. मेहरों की ढाणी	1	75.00	
138	बीरमाणी	,,	कानुराम/बखताराम दरातरी	25	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
139	भाडली	,,	सुधन/सादिकखां मुस. मेहरों की ढाणी.	1	75.00	
140	द्रबलापार	22-6-71	वधुराम/भोमाराम भील द्रबलापार	10	75.00	
141	,,	,,	खुमाणाराम/मुकनाराम भील द्रबलापार	10	75.00	
142	,,	,,	भोमाराम/मुकनाराम भील-द्रबलापार	10	75.00	
143	हिंगोलावाला	,,	पुनमसिंह/भोपालसिंह राज. सोनू.	1	75.00	
144	द्रबलापार	,,	जेठाराम/मूलाराम भील द्रबलापार	10	75.00	
145	आकलपार	,,	सुमारखां/मालखां मुस. आकलपार	1	75.00	
146.	आकलपार	,,	जुमेखां/सुमारखां मुस. एकलपार	1	75.00	
147.	एकलपार	,,	हुसैनखां/सुमारखां मुस. एकलपार	1	75.00	
148.	खुईयाला	,,	अचारखां/इसमाइल मुस. खुईयाला	311	75.00	
149.	खुईयाला	,,	उसमान/बच्या मुस. खुईयाला	311	75.00	
150.	खुईयाला	,,	दिता/मीरू मुस. खुईयाला	311	75.00	
151.	बांधा	,,	तोतामल/पीरूमल सिन्धीलाणा खुइयाला	46	75.00	
152.	खुईयाला	,,	वसन्त/गुलियां मुस. खुईयाला	311	75.00	
153.	बांधा	,,	पीरमुहम्मद/गुलाम मुहम्मद मुस. खुईयाला	46	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
154.	खुईयाला	22.6.71	रमदान/साहला मुस. खुईयाला	311	75.00	
155.	,,	,,	वीरम/कामिल मुस. खुईयाला	311	75.00	
156.	,,	,,	बसावा/गुलियां मुस. खुईयाला	311	75.00	
157.	,,	,,	तालब/दाता मुस. खुईयाला	311	75 00	
158.	,,	,,	मुराद/मनाही मुस. खुईयाला	311	40.00	
159.	,,	,,	बहादुर/मीरमोहम्मद मुस. खुईयाला	311	75.00	
160.	,,	,,	मुबारख/हकीम मुस. खुईयाला	311	75.00	
161.	,,	,,	करीमा/ढोला मुस. खुईयाला	311	75.00	
162.	,,	,,	अजीजखां/कठखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
163.	,,	,,	हासम/मीरू मुस. खुईयाला	311	60.00	
164.	,,	,,	मीरमोहम्मद/गुलाम मोहम्मद मुस. खुईयाला	311	39.00	
165.	हाबर	,,	दुरगसिंह/उतमसिंह राज. हाबुर	292	52.00	
166.	बांधा	,,	मालाराम/देसलाराम भांभी बांधा	46	52.00	
167.	हाबर	,,	सुलतानसिंह/उतमसिंह राज. हाबर	292	75.00	
168.	खुईयाला	,,	इमराहिम/भूरखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
169.	बांधा	,,	जमसेर/अलु मुस. मीरवाला	46	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
170.	खुईयाला	22.6.71	खमीशा/सोभेखां मुस. खुईयाला	311	66.00	
171.	,,	,,	हसण/गुगंल मुस. खुईयाला	311	75.00	
172.	,,	,,	कायम/सुलतान मुस. खुईयाला	311	75.00	
173.	,,	,,	मोहमद/ढोला मुस. खुईयाला	311	75.00	
174.	,,	,,	मुहराव/पन्नू मुस. खुईयाला	311	75.00	
175.	,,	,,	खुट्टू/जादा मुस. खुईयाला	311	75.00	
176.	बांधा	,,	कामिल/धन्नेखां मुस. मीरवाला	46	75.00	
177.	कुछडी	,,	महम्मद/बच्चेखां मुस. कुछडी	100	70.00	
178.	,,	,,	दीनग्ग/मीरखां मुस. कुछडी	100	52.00	
179.	,,	,,	मुकीम/मीरखान मुस. कुछडी	100	75.00	
180.	,,	,,	अचारखां/रतनखां मुस. कुछडी	100	52.00	
181.	,,	,,	रहीम/सरदारखां मुस. कुछडी	100	75.00	
182.	,,	,,	समेखां/आनवखां मुस. कुछडी	100	75.00	
183.	,,	,,	नुरअहमद/सरदाररे खां मुस. कुछडी	100	75.00	
184.	,,	,,	सुलेमान/इकतारखां मुस. कुछडी	100	75.00	

1.		2.	3.	4.	5.	6.
185.	कुछडी	22.6.71	जुसब/खानू मुस. कुछडी	100	75.00	
186.	,,	,,	कायमदीन/खानुखां मुस. कुछडी	100	75.00	
187.	,,	,,	नवाब/ग्रोबाये खां मुस. कुछडी	100	75.00	
188.	,,	,,	मोहम्मदरहीम/जुसब मुस. कुछडी	100	75.00	
189.	,,	,,	छिणाका/सतार मुस. कुछडी	100	75.00	
190.	,,	,,	मागु/लाखा मुस. कुछडी	100	75.00	
191.	,,	,,	होतखां/सायजादे खां मुस. कुछडी	100	75.00	
192.	,,	,,	मौलाबक्स/वसंद मुस. कुछडी	100	60.00	
193.	,,	,,	दीनेखां/बचायेखां मुस. कुछडी	100	75.00	
194.	,,	,,	चानणेखां/खानखां मुस. कुछडी	100	75.00	
195.	,,	,,	अमीरदीन/मुबारक मुस. कुछडी	100	69.00	
196.	,,	,,	करीमदाद/मीरा मुस. कुछडी	100	75.00	
197.	,,	,,	अभू/खानू मुस. कुछडी	100	75.00	
198.	,,	,,	नागोदर/मीरखान मुस. कुछडी	100	75.00	
199.	,,	,,	हइयात खां/इब्राहिम खां मुस. कुछडी	100	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
200.	कुछडी	22.6.71	बचाया/सतार मुस. कुछडी	100	75.00	
201.	,,	,,	गुलामरसूल/वच्याखां मुस. कुछडी	100	75.00	
202.	वांधा	,,	मूजा/मूसा मुस. वांधा	46	75.00	
203.	,,	,,	मिश्री/वसन्तखां मुस. वांधा	46	75.00	
204.	,,	,,	गुल/दिलावर मुस. मीरवाला	46 46	75.00 75.00	
205.	,,	,,	सोराव/सावण मुस. मीरवाला	46	75.00	
206.	,,	,,	जादम/जडिया मुस. मीरवाला	46	75.00	
207.	,,	,,	रामचन्द्र/वलिया मुस. मीरवाला	46	75.00	
208.	,,	,,	मेहराव/जमसेर मुस. मीरवाला	46	75.00	
209.	,,	,,	सोवदार/नवाऊ मुस. मीरवाला	46	75.00	
210.	सियाम्वर	,,	जैसा/बाधु भांभी मुस. सियाम्वर	47	75.00	
211.	सियाम्वर	22.6.71	जागन/सम्मेला मुस. सियाम्वर	47	75.00	
212.	,,	,,	अरादीन/सुमार मुस. सियाम्वर	47	75.00	
213.	,,	,,	जानी/हईयात मुस. सियाम्वर	47	75.00	
214	,,	,,	भांवरु/बालियां	47	75.00	

1.	2.		3.	4.	5.	6.
215.	सियाम्वर	22.6.71	मानी सियाम्वर माहनखां/समीर मुस. सियाम्वर	47	75.00	
216.	,,	,,	दल्लेखा/लाखेखां मुस. सियाम्वर	47	75.00	
217.	,,	,,	भूरेखां/दिनखसिंह सियाम्वर	47	75.00	
218.	,,	,,	उसमान/जाकी मुस. सियाम्वर	47	75.00	
219.	,,	,,	वायदा/बडन मुस. सियाम्वर	47	75,00	
220.	,,	,,	वध्या/मुरादअली मुस. सियाम्वर	47	75.00	
221.	,,	,,	उतमा/जलसी मेघ. मुस. सियाम्वर	47	75.00	
222.	,,	,,	कवीरा/जमल मुस. सियाम्वर	47	75.00	
223.	,,	,,	अजीता/हरपाल मुस. सियाम्वर	47	75.00	
224.	हाबुर	,,	नखतसिंह/मगल-सिंह रा. हाबुर	47	75.00	
225.	,,	,,	छोटसिंह/वलीदान-सिंह हाबुर	292	60.00	
226.	,,	,,	नखतु/सोना सुथार हाबुर	292	75.00	
227.	,,	,,	लखा/चिमा सुथार हाबुर	292	75.00	
228.	,,	,,	खेवरा/सुजा सुथार हाबुर	292	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
229.	हावुर	22.6.71	लालसिह/राणसिह राज. हावुर	292	75.00	
230.	,,	,,	मगसिह/उतमसिह राज. हावुर	292	75.00	
231.	,,	,,	हरीसिह/उतमसिह राज. हावुर	292	75.00	
232.	,,	,,	केसरसिह/हरीसिह राज. हावुर	292	20.05	
233.	,,	,,	भंवरसिह/ग्रजीत–सिह राब. हावुर	292	70.00	
234.	खुईयाला हावुर	,, ,,	रूपसिह/ग्रजीतसिह राज. हावुर	311	70.00	
235.	,,	,,	देदु/पूजा/मेरासी राज. हावुर	292	75.00	
236.	,,	,,	प्रेमरतन/केसरदास ब्राह्मण हावुर	292	75.00	
237.	,,	,,	लालसिह/हीरसिह राज. हावुर	292	75.00	
238.	,,	,,	हजारसिह/लालसिह राज. हावुर	292	75.00	
239.	खुईयाला	,,	उसमान/कामिलखां मुस. खुईयाला	311	40.10	
240.	,,	,,	अहमद/मुलसर मुस. खुईयाला	311	75.00	
241.	,,	,,	वणवीर/फीरूखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
242.	,,	,,	सखी/रहीम मुस. खुईयाला	311	75.00	
243.	,,	,,	छुटो/पठान मुस. खुईयाना	311	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
244.	खुईयाला	22.6.71	दिता/सवाई मुस. खुईयाला	311	75.00	
245.	,,	,,	हासम/नागादर मुस. खुईयाला	311	75.00	
246.	,,	,,	रमजान/साहली मुस. खुईयाला	311	75.00	
247.	,,	,,	मलका/जीवराज भांभी खुईयाला	311	75.00	
248,	,,	,,	बरेसेखां/जमेखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
249.	,,	,,	उगा/बाबु भांभी खुईयाला	311	50.00	
250.	,,	,,	दीना/इस्माल मुस. खुईयाला	311	75.00	
251.	,,	,,	सुरा/गुगल मुस. खुईयाला	311	75.00	
252.	,,	,,	मोहम्मद/तालब मुस. खुईयाला	311	75.00	
253.	,,	,,	मुलक/गुलाब मुस. खुईयाला	311	75.00	
254.	,,	,,	हडवन्ता/जीवराज भांभी खुईयाला	311	75.00	
255.	,,	,,	कासम/बाधा फकीर खुईयाला	311	75.00	
256.	,,	,,	हाजी/कला फकीर फकीर खुईयाला	311	75.00	
257.	,,	,,	मोलाबक्स/मीटेखां मुस. खुईयाला	311	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
258.	खुईयाला	22.6.71	जगमाल/जैसा मुस. खुईयाला	311	75.00	
259.	,,	,,	सुमार/जगतार मुस. खुईयाला	311	75.00	
260.	,,	,,	सुमार/सरदारा मुस. खुईयाला	311	75.00	
261.	,,	,,	उस्मान/रतन मुस. खुईयाला	311	75.00	
262.	,,	,,	हुक्मा/चम्पा भांभी खुईयाला	311	75.00	
263.	,,	,,	दीने/हसम मुस. खुईयाला	311	75.00	
264.	,,	,,	हासम/मुराद मुस. खुईयाला	311	75.00	
265.	,,	,,	अरब/जगतयार मुस. खुईयाला	311	75.00	
266.	,,	,,	वलू/लुकमानखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
267.	,,	,,	अमर/रणेखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
268.	,,	,,	इमू/रणेखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
269.	,,	,,	हमीर/मेराजखां मुस. खुईयाला	311	75.00	
270.	,,	,,	अमर/शाह मुस. खुईयाला	311	75.00	
271.	,,	,,	साबटा/सहैली मुस. खुईयाला	311	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
272.	हेमा	22.6.71	गुमानसिंह/सोहनसिंह राज. राघवा	1	75.00	
273.	सेरावा	22.6.71	राणसिंह/तेजसिंह राज. राघवा	1	75.00	
274.	जोगा	,,	प्रयागसिंह/लाधूसिंह राज. राघवा	1	75.00	
275.	नेतसी	,,	जेठमल/ग्रलसीदास ख्वास रामगढ़	1	71.10	
276.	नेतसी	,,	माणकराम/चेणनाराम मेग. रामगढ़	1	75.00	
277.	जोगा	,,	तगसिंह/जोतसिंह राज. रामगढ़	1	75.00	
278.	हेमा	,,	ग्रमृतलाल/बखताराम सुथार रामगढ़	1	57.00	
279.	नेतसी	,,	भगवानदास/जीयाराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
280.	हेमा	,,	भीखेखां/बढखां मुस. रामगढ़	1	63.00	
281.	हेमा	,,	मंगलाराम/जीयाराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
282.	,,	,,	लालाराम/जीयाराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
283.	,,	,,	नखतूराम/सांगाराम कुम्भार रामगढ़	1	60.00	
284.	जोगा	,,	गुमानसिंह/भीखसिंह राज. रामगढ़	1	75.00	
285.	नेतसी	,,	भभूताराम/जसोताराम मेग. रामगढ़	1	75.00	
286.	हेमा	,,	द्वारकाराम/जोधाराम सुथार रामगढ़	1	60.00	

1	2	3	4	5	6	7
287.	नेतसी	22.6.71	भीखसिंह/मोहब्बतसिंह राज. रामगढ़	1	75.00	
288.	सेरावा	,,	खेतसिंह/आलमसिंह राज. सेऊवा	1	75.00	
289.	हेमा	,,	नखतसिंह/उगसिंह राज. हेमा	1	75.00	
290.	जोगा	,,	जोधाराम/भानाराम सुथार रामगढ़	1	60.00	
291.	जोगा	,,	सोनाराम/भोमाराम कुम्भार रामगढ़	1	60.00	
292.	,,	,,	मंगलाराम/भोमाराम सुथार रामगढ़	1	60.00	
293.	हेमा	,,	पूनमचन्द/जगरूपराम रामगढ़	1	75.00	
294.	,,	,,	भोजाराम/जगरूपराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
295.	नेतसी	,,	नाथूसिंह/डूगरसिंह राज. नेतसी	1	71.00	
296.	,,	,,	राणाराम/जगरूपराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
297.	,,	,,	मथुरादास/मिश्रीलाल रामगढ़ (खत्री)	1	50.00	
298.	,,	,,	जगेखां/खिवरेखां मुस. नेतसी	1	60.00	
299.	हेमा	,,	अलसीराम/जीयाराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
300.	नेतसी	,,	रतनखां/दीनूखां मुस. नेतसी	1	60.00	
301.	,,	,,	मुलतानराम/बसंताराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
302	नेतसी	22.6.71	रामसिंह/आलमसिंह राज. सेऊवा	1	75.00	
303.	हेमा	,,	चोथसिंह/विरूसिंह राज. राधवा	1	75.00	
304.	सेरावा	,,	सुरजनसिंह/करणसिंह राज. राधवा	1	57.00	
305.	जोगा	11.8.71	मुल्तासिंह/जानसिंह राज. जोगा	1	65.00	
306	,,	,,	अचलसिंह/आलमसिंह राज. जोगा	1	75.00	
307.	,,	,,	सोभसिंह/चोथसिंह राज. जोगा	1	75.00	
308.	,,	,,	चोथसिंह/तारसिंह राज. जोगा	1	68.00	
309.	,,	,,	अर्जुनसिंह/खुशालसिंह राज.जोगा	1	70.00	
310.	,,	,,	संगतसिंह/ओंकारसिंह राज. जोगा	1	75.00	
311.	नेतसी	,,	रणजीताराम/जोधाराम भीलर रामगढ़	1	75.00	
312.	नेतसी	,,	पीरदान/चाणाराम मेध. रामगढ़	1	75.00	
313.	,,	,,	तगसिंह/कालूसिंह राज. नेतसी	1	75.00	
314.	हेमा	,,	मुलतानसिंह/डूगरसिंह राज. राधवा	1	75.00	
315.	नेतसी	,,	प्रेमसिंह/पूजराजसिंह राज. रामगढ़	1	67.00	
316.	नेतसी	,,	केसरसिंह/खेड़सिंह राज. रामगढ़	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
317.	नेतसी	11.8.71	केशाराम/बखताराम कुम्भार रामगढ़	1	52.00	
318.	हेमा	,,	जेठाराम/बीजाराम कुम्भार रामगढ़	1	75.00	
319.	नेतसी	,,	छोटूराम/अमराराम कुम्भार रामगढ़	1	65.00	
320.	,,	,,	उगरिराम/जीयाराम कुम्भार. रामगढ़	1	60.00	
321.	,,	,,	ईशराराम/बध्याराम कुम्भार रामगढ़	1	58.00	
322.	,,	,,	मंगलाराम/सांगीदान देशा. रामगढ़	1	75.00	
323.	,,	,,	ताराराम अलसीराम कुभ. रामगढ़	1	75.00	
324.	जोगा	,,	केशराराम/प्रतापाराम सुथार रामगढ़	1	58.15	
325.	जोगा	,,	भंवरलाल/अचलाराम सुथार रामगढ़	1	75.00	
326.	जोगा	,,	हडवन्तसिह/रूगसिह राज. जोगा	1	75.00	
327.	हेमा	,,	भोजाराम टीकूराम कुभ. रामगढ़	1	67.05	
328.	जोगा	,,	बाबूलाल/बखताराम सुथार रामगढ़	1	56.15	
329.	जोगा	,,	रूपरिराम/प्रतापाराम सुथार रामगढ़	1	57.15	
330.	हेमा	,,	पूनमाराम/अमराराम कुभ. रामगढ़	1	57.15	
331.	हेमा	,,	गोविन्दाराम/प्रहलादराम कुभ. रामगढ़	1	60.00	

1	2	3	4	5	6	7
332.	हेमा	11.8.71	पूनमसिंह/जयसिंह राज. रामगढ़	1	75.00	
333.	हेमा	,,	नेगाराराम/लाधूराम कुभ. रामगढ़	1	75.00	
334.	नेतसी	,,	केसरसिंह/विशनसिंह राज. नेतसी	1	75.00	
335.	जोगा	,,	सुल्तानसिंह/रणजीतसिंह राज. सेऊवा	1	44.00	
336.	नेतसी	11.8.71	देवीसिंह/जवारसिंह राज. नेतसी	1	63.10	
337.	सेरावा	,,	गिवरसिंह/वागसिंह राज. सेरावा	1	63.10	
338.	सोनू	,,	रावतसिंह/धोकलसिंह राज. सोनू	1	75.00	
339.	जोगा	,,	नरपतसिंह/गुमानसिंह राज. सोनू	1	66.00	
340.	नेतसी	,,	पुरखाराम/जसवन्ताराम रामगढ़	1	75.00	
341.	,,	,,	धरसिंह/अचलसिंह राज. रामगढ़	1	75.00	
342.	जोगा	,,	सूरजमल/रामलाल खत्री रामगढ़	1	75.00	
343.	नेतसी	,,	खेटणखां/गुलामखां मुस. रामगढ़	1	75.00	
344.	नेतसी	,,	छोटूराम/अमराराम कुंम. रामगढ़	1	57.15	
345.	जोगा	,,	सरदारसिंह/अलसीसिंह राज. जोगा	1	75.00	
346.	जोगा	,,	शिवदानराम/तिलोकाराम मेग. जोगा	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
347.	जोगा	11.8.71	लालाराम/जगमालराम मेग. जोगा	1	75.00	
348.	,,	,,	भीखसिंह/चुनसिंह राज. जोगा	1	75.00	
349.	,,	,,	गंगासिंह/लेखराजसिंह राज. जोगा	1	75.00	
350.	,,	,,	प्रागसिंह/अलसीसिंह राज. जोगा	1	75.00	
351.	जोगा	,,	मलुकाराम/खमाणाराम मेग. जोगा	1	62.00	
352.	,,	,,	सिद्धाराम/तिलोकाराम मेग. जोगा	1	63.00	
353	जोगा	,,	राणसिंह/सूरसिंह राज. जोगा	1	66.10	
354.	,,	,,	ऊगसिंह/डूंगरसिंह राज जोगा	1	75.00	
355.	नेतसी	,,	खटण/गुलामखां मुस. रामगढ़	1	75 00	
356.	,,	,,	भवरसिंह/समरथसिंह राज. रामगढ़	1	75 00	
357.	जोगा	,,	हड़वन्तसिंह/आलमसिंह राज जोगा	1	75.00	
358.	नेतसी	,,	गोपालदास/पूनमचन्द खत्री रामगढ़	1	75.00	
359.	,,	,,	घनश्याम/पूनमचन्द खत्री रामगढ़	1	75.00	
360.	,,	,,	केवलचन्द/पूनमचन्द खत्री रामगढ़	1	75.00	
361.	,,	,,	उतमसिंह/खूडसिंह राज. रामगढ़	1	67.00	
362.	जोगा	,,	अमरसिंह/जानसिंह राज. जोगा	1	67 00	

1	2	3	4	5	6	7
363.	सितोडाई	21.6.71	सायबा/होतीखां मुस. सितोडाई	109	75.00	
364.	,,	,,	रेखा/रणछोडा दरोगा चेलक	109	75.00	
365.	,,	,,	कानसिंह/नहरसिंह राज. चेलक	109	75.00	
366.	कपूरीया	,,	हुकमसिंह/अचलसिंह राज. कपूरीया	58	75.00	
367.	सितोडाई	,,	रावतसिंह/हडवन्तसिंह राज. चेलक	109	75 00	
368.	,,	,,	जुसब/जलाल मुस. सितोडाई	109	28.15	
369.	,,	,,	सामीर/जलालूदीन मुस. सितोडाई	109	75.00	
370.	रामा	,,	नगाराम/अनोपाराम अंग रामा	53	75.00	
371.	स्याला	,,	सायर/अमरखां मुस. स्याला	185	75.00	
372.	काटोडा	,,	उमेदी/बचेखां मुस. काठोडा	52	75.00	
373.	सितोडाई	,,	रामा/सालीया मुस. उंडू	109	51.15	
374-	,,	,,	करीमलाल/मिठूखां मुस. निगराजा	109	75.00	
375.	,,	,,	कासम/सालीया मुस. सितोडाई	109	75.00	
376.	,,	,,	कुसलाराम/पुगाराम मेग. सितोडाई	109	75.00	
377.	,,	,,	आवाराम/सूनजी खवास सितोडाई	109	28.15	
378.	,,	,,	लाल/काछबाराम हजूरी सितोडाई	109	57.15	

1	2	3	4	5	6	7
379.	सितोडाई	21.6.71	रूपसिंह/मगसिंह राज. चेलक	109	75.00	
380.	,,	,,	मेहतावसिंह/गुमानसिंह राज. चेलक	109	75.00	
381.	कपूरीया	,,	गजेसिंह/अचलसिंह राज कपूरीया	58	75.00	
382.	,,	,,	भंवराराम/हेमाराम भील कपूरीया	58	28.15	
383.	उगवा	,,	तगाराम/अमराराम मेग. उगवा	37	57.10	
384.	नगरसिगो की ढाणी	,,	संतोकपुरी/हेमपुरी स्वामी नरसिगो.	53	46.05	
385.	,,	,,	पाबूदान/डगलाराम मेग. नरसिगो.	53	75.00	
386.	,,	,,	दूरजसिंह/रूगसिंह राज. नरसिगो.	53	40.10	
387.	,,	,,	गोरधराम/गुलाबाराम मेग. नरसिगो.	53	52.00	
388.	,,	,,	खेतसिंह/प्रतापसिंह राज. नरसिगो.	53	75.00	
389.	,,	,,	खेताराम/दानाराम मेग. नरसिगो.	53	28.15	
390.	,,	,,	पूनमाराम/दानाराम मेग. नरसिगो.	53	75.00	
391.	,,	,,	कलाराम/देदाराम मेग. नरसिगो.	53	75.00	
392.	,,	,,	पदमाराम/देदाराम मेग. नरसिगो.	53	75.00	
393.	,,	,,	मगलाराम/देदाराम मेग. नरसिगो.	53	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
394.	काठोडा	21.6.71	बीरबरराम/तुलछाराम मेग. कठोडा	52	27-00	
395.	सितोडाई	,,	ग्रोकारराम/खेमाराव मेग. काठोडा	52	28.15	
396.	,,	,,	सुमेरखां/बांदेखां मुस. काठोडा	52	75.00	
397.	कोडा	,,	टीकमाराम/बीजाराम दर्जी कोडा	143	75.00	
398.	कोडा	21-6-71	कालूदान/अम्बादान चारण कोडा	143	28.15	
399.	सोमलियाई	,,	किशनलाल/ग्रम्बादान चारण कोडा	170	75.00	
400.	कोडा	,,	शक्तिदान/किशनदान चारण कोडा	170	75.00	
401.	सितोडाई	,,	मूलसिंह/ग्राईदानसिंह राज, मेधा	109	17.10	
402.	सोमलियाई	,,	रासाराम/तेसूराम नाई सुमिलायाई	170	42.10	
403.	कोरवा	,,	बरबतावरसिंह/महादान सिंह राज. कोरवा	56	25.00	
404.	हरभा	,,	चणनसिंह/सुरजीतसिंह राज. हरभा	104	75.00	
405.	उगवा	,,	हजारसिंह/उगसिंह राज. उगवा	37	56.00	
406.	,,	,,	धनाराम/मूलाराम गुरडा उगवा	37	56.00	
407.	,,	,,	पूनमाराम/मूलाराम गुरडा उगवा	37	56.00	
408.	,,	,,	उत्तमाराम/मंघादास भील उगवा	37	58.00	

1	2	3	4	5	6	7
409.	उगवा	21.6.71	उमेदाराम/खुमावाराम भील उगवा	37	75.00	
410.	,,	,,	रमकू/होधी मरानीयार उगवा	37	75.00	
411.	,,	,,	खिवेसिंह/रणछोड़सिंह राज, सोभ	56	75.00	
412.	,,	,,	मंगसिंह/खेतसिंह राज. उगवा	37	60.00	
413.	,,	,,	गोरधनराम/मंगलाराम सुथार उगवा	37	17.10	
414.	नरसिंगो की ढाणी	,,	खेतसिंह/भंवरसिंह राज. नरसिंगो	53	52.00	
415.	सितोडाई	11.8.71	अलीखां/दोलेखां मुस, सितोडाई	109	75.00	
416.	,,	21.6.71	गुमानसिंह/पूजरासिंह राज. उगवा	109	17.10	
417.	,,	,,	नेनो/अम्वाराम खवास सितोडाई	109	28.15	
418.	काठोडा	,,	भंवरूराम/बुलाराम गर्ग रामा	52	40.05	
419.	सितोडाई	,,	रिजूराम/आवाराम खवास सितोडाई	109	28.00	
420.	रिवड़ी	,,	मुराद/लाखेरखां मुस. रिवड़ी	118	75.00	
421.	भीयांसर	,,	सुमार/हुसेनखां मुस. रिवड़ी	108	75.00	
422.	,,	,,	तोलाराम/हीराराम खत्री सा. सांगड़	108	75.00	
423.	सांगड़	,,	चेनपुरी/करणपुरी स्वामी सांगड़	7	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
424.	सागड़	21.6.71	करणीदान/मूलचंद महेश्वरी सांगड़	7	75.00	
425.	,,	,,	मूलचंद/हेमराज महेश्वरी सांगड़	7	75.00	
426.	,,	,,	चाणनमल/अनन्तलाल महाजन सांगड़	7	75.00	
427.	फतेहगढ़	,,	मुकनाराम/हरदान मुथार फतेहगढ़	91	75.00	
428.	,,	,,	इब्राहिम/शंकरा मेरसी सांगड़	7	75.00	
429.	,,	,,	भीखचंद अनन्तलाल महेश्वरी सांगड़	91	58.00	
430.	सांगड़	,,	भंवरलाल/धनाराम दर्जी सांगड़	7	75.00	
431.	,,	,,	चणनाराम/डगराराम खत्री सांगड़	7	25.00	
432.	मंडाई	,,	खेते/हसणखां मुस. मंडाई	143	75.00	
433.	फतेहगढ़	,,	मोतीसिंह/मोभसिंह राज. मंडाई	91	75.00	
434.	रिवड़ी	,,	धमण्डाराम/हरचंद राम मेग. रिवड़ी	118	30.00	
435.	,,	,,	भगलखां/सबला मुस. रिवड़ी	118	35.00	
436.	,,	,,	शेरू/सदीक मुस. रिवड़ी	118	75.00	
437.	,,	,,	राणा/रायधन मुस. रिवड़ी	118	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
438.	रिवड़ी	21.6.71	मधारान/मनुराम मुस. रिवड़ी	118	40.05	
439.	,,	,,	भारमल/मीरा मुस. रिवड़ी	118	75.00	
440.	भीयासर	,,	मानसिंह/अचलसिंह मुस. रिवड़ी	1	75.00	
441.	,,	,,	निहाल/हसणखां मुस. रिवड़ी	1	75.00	
442.	रिवड़ी	,,	अमास/हुसेण मुस. रिवड़ी	118	75.00	
443.	,,	,,	अलादीन/सुलेमान मुस. रिवड़ी	118	30.00	
444.	सांगड़	,,	मूलाराम/गुणाराम नाई सांगड़	7	30.00	
445.	,,	,,	हुकमाराम/पूराराम दर्जी सांगड़	7	20.00	
446.	रिवड़ी	,,	रामा/पीरू मुस. रिवड़ी	118	75.00	
447.	मंडाइ	,,	रमजान/जुम्मा मुस. रिवड़ी	114	52.00	
448.	फतेहगढ़	,,	सोनाराम/राजूराम नाई फतेहगढ़	91	75.00	
449.	,,	,,	मामू/सुलेमान मुस. फतेहगढ़	91	75.00	
450.	डांगरी	,,	कानसिंह सिपाही डांगरी	195	75.00	
451.	नीम्बा	,,	सगता/अजीता भील नीम्बा	128	75.00	
452.	फतेहगढ़	,,	भीखसिंह/पोलसिंह राज. जैसलमेर	144	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
453.	रिवड़ी	21.6.71	रायधन/सतेखां मुस. रिवड़ी	118	75.00	
454.	,,	11.8.71	मुबारखां/उम्मेद अली मुस. रिवड़ी	118	29.00	
455.	सांगड़	21.6.71	गोपीकिशन/कन्हैयालाल महाजन सांगड़	7	75.00	
456.	,,	,,	मूलचंद/शंकरलाल महाजन सांगड़	7	20.00	
457.	रिवड़ी	11.8.71	मोहम्मद/जुना मुस. रिवड़ी	118	69.05	
458.	,,	,,	हुसेन/उम्मेदअली मुस. ग्याला	118	29.00	
459.	मंडाई	,,	गुलसेर/भला मुस. मंडाई	1	69.05	
460.	,,	,	नीबाब/समेखां मुस. मंडाई	1	52.00	
461.	रिवड़ी	,,	सुल्तान/हासम मुस. ग्याला	112	52.00	
462.	रिवड़ी	11 8.71	लालेखां/हासम मुस. रिवड़ी	112	75.00	
463.	मंडाई	,,	रेहाढ़/सादी मुस. मंडाई	1	75 00	
464.	,,	,,	सुल्तान/पूजा मुस. मंडाई	1	75.00	
465.	,,	,,	सन्नतअली/सादी मुस. मंडाई	1	75.00	
466.	रिवड़ी	,,	माने/बागे खां मुस. रिवड़ी	118	57.15	
467.	,,	,,	अली/सगाम मुस. रिवड़ी	118	57·15	

1	2	3	4	5	6	7
468.	रिवड़ी	11.8.71	दीनू/लाखेखां मुस. रिवड़ी	118	70.00	
469.	,,	,,	सजावत/जुमा मुस. रिवड़ी	118	69.05	
470.	,,	21.6.71	सफीया/नाहड़ा मुस. रिवड़ी	118	75.00	
471.	,,	,,	सीराजुदीन/रीडमल मुस. रिवड़ी	118	75.00	
472.	नीम्बा	,,	मानाराम/धनाराम मेग. मेघा	130	75.00	
473.	,,	,,	चतुराराम/धनाराम मेग. मोढा	130	75.00	
474.	साडाना	5.7.71	मलसिंह/जवारसिंह राज. तड़ाना	575	34.10	
475.	,,	,,	उतमभारथी/ईश्वर भारती तड़ाना	575	75.00	
476.	,,	,,	अखाराम/मिश्रीराम मेग. तड़ाना	575	75.00	
477.	,,	,,	मंगला/हरदास मेग. तड़ाना	575	43.00	
478.	,,	,,	चाणनाराम/मोतीराम मेग. तड़ाना	575	52.00	
479.	,,	,,	मध्यभारती/राज–भारती स्वामी तड़ाना	575	75.00	
480.	,,	,,	नखताराम/सुरताराम नाई तड़ाना	575	48.00	
481.	,,	,,	वाबूलाल/भूरचन्द माहेश्वरी तड़ाना	575	30.00	
482.	,,	,,	प्रवाराम/प्रतापाराम मुस. तड़ाना	575	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
483.	बालाना	5.7.71	उत्तमसिंह/गजेसिंह राज. बालाना	695	75.00	
484.	,,	,,	गणपतसिंह/रूपसिंह राज. बालाना	695	75.00	
485.	,,	,,	तेजसिंह/मंगलसिंह राज. बालाना	695	75.00	
486.	,,	,,	बसताराम/कालाराम मेग. बालाना	695	75.00	
487.	,,	,,	गेमरसिंह/बागसिंह राज. बालाना	695	75.00	
488.	,,	,,	इन्द्रसिंह/सगतसिंह राज. बालाना	695	75.00	
489.	,,	,,	मंगलसिंह/काछबसिंह राज. बालाना	695	75.00	
490.	,,	,,	कल्याणसिंह/काछबसिंह राज. बालाना	695	75.00	
491.	,,	,,	शंकरसिंह/रणछोड़सिंह राज. बालाना	695	75.00	
492.	,,	,,	लधूसिंह/महादानसिंह राज. बालाना	695	75.00	
493.	,,	,,	मुकनसिंह/साहेबदान सिंह राज. बालाना	695	75.00	
494.	,,	,,	हथीसिंह/सांवलसिंह राज. बालाना	695	75.00	
495.	,,	,,	अर्जुनसिंह/गजेसिंह राज. बालाना	695	75.00	
496.	,,	,,	लूणसिंह/भंवरसिंह राज. बालाना	695	75.00	
497.	,,	,,	दुद्धाराम/मंगलाराम मेग. बालाना	695	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
498.	बालाना	5.7.71	वढसिंह/महोवतसिंह राज. वालाना	695	75.00	
499.	,,	,,	सगतसिंह/सरदारसिंह राज. वालाना	695	75.00	
500.	,,	,,	सवाईसिंह/सांवलसिंह राज. वालाना	695	75.00	
501.	,,	,,	सोहनसिंह/साइदानसिंह राज. बालाना	695	75.00	
502.	,,	,,	डूगरसिंह/मंगलसिंह राज. वालाना	695	75.00	
503.	,,	,,	राणसिंह/अचलसिंह राज. वालाना	695	75.00	
504.	,,	,,	गिरधरसिंह/उतमसिंह राज. वालाना	695	75.00	
505.	,,	,,	सोभसिंह/बलवन्तसिंह राज. वालाना	695	75.00	
506.	,,	,,	सुमेरसिंह/आमसिंह राज. वालाना	695	75.00	
507.	नेडिया	3.7.71	मिश्रीसिंह/मंगलसिंह राजपूत सा. भोपा	1	61.00	
508.	सतां	,,	जोगाराम/बाकाराम वजीर सतां	1	46.05	
509.	पोलजी की डेरी	,,	मोहम्मद/मेहराजखां मुस. पोलजीकी.	1	75.00	
510.	भू	,,	अकबर/गुलारसूल मु. भू	1	75.00	
511.	पीपरला	,,	विजयकुमार/धनपतसिंह. जैन भू	1	75.00	
512.	कुलधर	,,	बिलाल/अली मुस. कुलधर	1	75.00	

1.		2.	3.	4.	5.	6.
513.	मुन्दडी	3.7.71	हुसेन/छतेखां मुस. मुन्दडी	1	57.10	
514.	हासूवां	,,	सखो मोह./नागेखां मुस. हांसूवा	1	75.00	
515,	कोटड़ी	,,	भूरसिह/अचलसिह राज. कोटड़ी	1	23.00	
516.	,,	,,	मनछाराम/खमाणाराम स्वास कोटड़ी	1	75.00	
517.	,,	,,	हुकमसिह/रायसिह राज. कोटडी	1	76.00	
518.	भू	,,	भीखाराम/बाकारा सुथार कोटडी	1	75.00	
519.	कोटडी	,,	नवलसिह/देरावरसिह राज. कोटडी	1	75.00	
520.	हासूवा	,,	मुसेखां/अलायनखां मुस. हासवा	1	75.00	
521.	पिथाडाई	,,	कालुराम/सीताराम बेलदार किशनधाट	1	75.00	
522.	,,	,,	भायाराम/रावताराम बेलदार किशनधाट	1	75.00	
523.	,,	,,	किशनाराम/रावताराम मेग किशनधाट	1	75.00	
524.	,,	,,	जालमाराम/गणेशाराम बेलदार किशनधाट	1	75.00	
225.	,,	,,	केशराराम/अलसीराम बेलदार किशनधाट	1	75.00	
526.	पिथोड़ाई	3.7.71	सफिया/समान मुस. पिथोड़ाई	1	75.00	
527.	,,	,,	खेमाराम/अलसीराम बेलदार पिथोड़ाई	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
528.	पिथोड़ाई	3.7.71	तालब/भाई खां मुस. पिथोड़ाई	1	75.00	
529.	सता	,,	लखमीचन्द/कस्तूरचंद महेश्वरी सता	37	75.00	
530.	,,	,,	महेन्द्राराम/खुमानाराम नाई सता	31	75.00	
531.	,,	,,	मित्तल/बीबा मुस. सता	1	75.00	
532.	,,	,,	गंगाराम/गणेशाराम बेलदार सता	1	75.00	
533.	,,	,,	दुर्गाराम/सधाराम बेलदार सता	1	75.00	
534.	,,	,,	अमराराम/हरीराम बेलदार सता	1	75.00	
535.	,,	,,	रामाराम/सूरताराम बेलदार सता	1	75.00	
536.	,,	,,	अमराराम/ईश्वरराम बेलदार सता	1	75.00	
537.	भू	,,	पूरखाराम/पूजाराम हजूरी भू	1	75.00	
538.	,,	,,	शिवजी/समरथाराम हजूरी भू	1	23.00	
539.	,,	,,	तेजाराम/उतमाराम हजूरी भू	1	75.00	
440.	,,	,,	हरजी/बुधाराम हजूरी भू	1	75.00	
541.	,,	,,	गफूर/आरब खां मुस. भू	1	75.00	
542.	,,	,,	राणा/गुलसेर मुस. भू	1	75.00	
543.	,,	,,	इलमदीन/साकिर मुस. भू	1	40.00	
544.	,,	,,	राणसिंह/हजारीसिंह हजूरी भू	1	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
545.	पिथोड़ाई	3.7.71	वरियाम/उबायो मुस. पिथोड़ाई	1	75.00	
546.	,,	,,	भागा/आरब मुस. पिथोडाई	1	75.00	
547.	जानरा	,,	कालू/गोकला कुम्भार जानरा	1	75.00	
548.	भोपा	,,	जसातसिंह/करणोतसिंह राज. भोपा	1	75.00	
549.	हांसूवा	,,	रमजान/नाहर खां मुस. हासूवा	1	75.00	
550.		,,	मोटन खां/महरेखां मुस. पोलजी की.	1	7500	
551.	पोल डेयरी	,,	धनराज/रमणलाल व्यास पोलडेरी	37	75.00	
552	,,	,,	कादर/मोलाबक्श मुस. पोलडेरी	1	75.00	
553	भू	,,	सावन/सुभान खां मुस. भू	1	40.00	
554	पा.डेरी	,,	हयात/चाकत खां मुस, पालडेरी	1	52.00	
555	सता	,,	पताराम/आसूराम राइका सता	1	35.05	
556	पाल. डेरी	,,	रमजान/जमे खां मुस. पालडेरी	1	40.00	
557.	कुलधार	,,	हाजी/वरसा मुस. मुन्दड़ो	1	57.10	
558.	,,	,,	रजो/हजीम मुस. कुलधार	1	69.05	
559.	मुन्दड़ो	,,	यूसब/छोटू खां मुस. मुन्दड़ो	1	63.00	

1	2	3	4	5	6	7
560.	मदा	3.7.71	प्रयागसिंह/गोरधनसिंह राज. भोपा	1	75.00	
561.	सोढ़ा	,,	किशनसिंह/वीरतसिंह राज. सोढ़ा	1	55.00	
562.	,,	,,	डुंगरसिंह/उतमसिंह राज. सोढ़ा	1	75.00	
563.	आसलोई	,,	कल्याणसिंह/विरधूसिंह राज. जानरा	1	75.00	
564.	,,	,,	दलपतसिंह/बीजूसिंह राज. आसलोई	1	75.00	
565.	,,	,,	ईऊसिंह/सांगसिंह राज आसलोई	1	75.00	
566.	,,	,,	नरसीगाराम/रामाराम दर्जी आसलोई	1	75.00	
567.	,,	,,	छगाराम/रामाराम दर्जी राज. आसलोई	1	75.00	
568.	हासुदा	,,	सूरत/महेशाखां मुस. हासूवा	1	55.03	
569.	भोपा	,,	मानसिंह/मंगासिंह राज. भोपा	1	75.00	
570.	पालडेरी	,,	अलामहोम्मद/साढेखां मुस. भू.	1	52.00	
571.	भीया	,,	अर्जुन/मंगलसिंह राज. भीया	1	75.00	
572.	हासुवा	,,	सिन्दुल/माधल मुस. हासुवा	1	75.00	
573.	पियोडाई	,,	नरसिंगा/बंराज जाट पियोडाई	1	32.15	
574.	मुन्दड़ो	,,	फतेखां/ईश्वरखां मुस. मुन्दड़ो	1	75.10	

1	2	3	4	5	6	7
575.	पिथोडाई	3.7.71	खानूखां/मिश्रीखां मुस. पिथोडाई	1	75.00	
576.	भोपा	,,	दलपतसिंह/नरतसिंह राज. नरसिंगो.	1	75.00	
577.	हासुवा	,,	भवरसिंह/हिम्मतसिंह राज. जैसलमेर	1	75.00	
578.	भीया	,,	कासम/आमद मुस. जैसलमेर	1	75.00	
579.	सता	,,	सुरतारास/खातुराम राइका सता	1	52.00	
580.	कुलधर	,,	ईशा/हसण मुस. मुन्दड़ी	1	63.10	
581.	सता	,,	आसूसिंह/माहेबतसिंह राज. सता	1	57.00	
582.	,,	,,	विशनलाल/हरलाल दर्जी सता	1	75.00	
583.	कोटड़ी	,,	अभेसिंह/जसोतसिंह भाटी कोटड़ी	1	75.00	
584.	,,	,,	नवलसिंह/जसोतसिंह राज. कोटड़ी	1	75.00	
585.	कुलधर	,,	जीयण/पुलो मुस. कुलधर	1	75.00	
586.	भीया	,,	दला/मठार मुस. सारा की ढाणी	1	28.00	
587.	सेणग	,,	चतरसिंह/मागसिंह राज. कोटड़ी	1	75.00	
588.	कुलधर	,,	अलो/जाम मुस. कुलधर	1	52.00	
589.	हासुवा	3.7.71	साल मोह./मेहरानखां मुस. जैसलमेर	1	65.00	

1	2	3	4	5	6	7
590.	पिथोडाई	3.7.71	जुसब/गमीर मुस. पिथोड़ाई	1	55.00	
591.	सता	3.7.71	खेतसिंह/लखसिंह दरोगा सता	1	75.00	
592.	भू	,,	गुलाबनाथ/मगानाथ जोगी भू	65	75.00	
293	सता	,,	हीरसिंह/पनेसिंह राज. सता	1	75.00	
294.	भू	,,	जयराम/मिश्रीनाथ जोगो भू	65	75.00	
295.	सता	,,	खेताराम/रणजीताराम भील गोरेरा	1	75.00	
596.	भू	,,	नखताराम/चोथाराम भील भू	1	75.00	
597.	कीता	,,	शिवदान/कलाराभ कीता	1	75.00	
598.	मदा	,,	पाबूदान/दासाराम भील मदा	1	75.00	
599.	कीता	,,	मलुकाराम/बीजाराम भील कीता	1	75.00	
600.	कीता	,,	दीने/फतेखनिगनिहार कीता	1	75.00	
601.	कीता	,,	ठाकराम/कलाराम भील कीता	1	30.00	
602.	भोपा	,,	तिलोकाराम/जमु मेग. भोपा	1	51.00	
603.	भोपा	,,	नखतसिंह/मंगलसिंह राज. भोपा	1	75.00	
604.	हासूवा	,,	लखीया/राजाराम मेग. हासवा	1	75.00	

1.	2.		3.	4.	5.	6.
605.	जनरा	3.7.71	गोरधनसिंह/करनसिंह राज. जैसलमेर	1	75.00	
606.	,,	,,	अकबर/खेवरा मुस. जानरा	1	75.00	
607.	भू	,,	नखताराम/गणेशाराम मेग. भू	1	57.10	
608.	,,	,,	राणानाथ/जोगानाथ जोगी भू	65	75.00	
609.	,,	,,	मिश्रीनाथ/लाधूनाथ जोगी भू	65	75.00	
610.	,,	,,	लहरनाथ/मणीनाथ जोगी भू	65	75.00	
611.	भोपा	,,	फूसाराम/देदाराम मेग. नरसिंगो की.	21	75.00	
612.	पिथोडाई	,,	शेराराम/सनाराम जाट भोपा	21	75.00	
613.	बासनपीर	3.7.71	राणाराम/खेताराम मोची जैसलमेर	1	75.00	
614.	रिदवा	,,	किशोरसिंह/तखतसिंह मेहता जैसलमेर	18	75.00	
615.	,,	,,	छगनसिंह/राणसिंह मेहता जैसलमेर	18	75.00	
616.	सरीया	,,	रेशम/गुबेखां मुस. जैसलमेर	102	75.00	
617.	जैसलमेर	,,	हुसम/बादीमखां मुस. जैसलमेर	102	75.00	
618.	,,	,,	कमरुदीन/इब्राहीम मुस. जैसलमेर	102	75.00	
619.	रिदवा	,,	प्रतापसिंह/गुलाबसिंह राज. रिदवा	18	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
620.	मूलसागर	3.7.71	गोपीकिशन/बाबूलाल हजूरी जियाई	15	75.00	
621.	जैसलमेर	,,	खुशालचन्द/भंवरलाल सोनार, जैसलमेर	102	45.00	
622.	सोनो की ढाणी	,,	जीवणखां/सखी मोहम्मद मुस. जैसल.	1	57·10	
623.	जैसलमेर	,,	सुल्तानचन्द/गणेशदास स्वामी जैसलमेर	102	75.00	
624.	,,	,,	मानाराम/विशनाराम मेग. जैसलमेर	102	75.00	
625.	,,	,,	भवरूराम/विशनाराम मेग. जैसलमे	102	75.00	
626.	आकल	,,	आमद/इमामुदीन मुस. जैसलमेर	137	75.00	
627.	जैसलमेर	,,	वरजागरा/शेराराम मेग. जैसलमेर	102	60.00	
628.	,,	,,	अशोककुमार/अमीराजी सोनीगर जैसलमेर	102	75.00	
629.	,,	,,	गंगा/मोहनसिंह रावका राज. जैसलमेर	102	75.00	
630.	डाभला	,,	ईशरे/उम्मेदअली मुस. जैसलमेर	37	75.00	
631.	,,	,,	हीरालाल/नथमल दर्जी जैसलमेर	37	75.00	
632.	,,	,,	सेतुलाल/गिरधारीला सुनार जैसलमेर	37	75.00	
633.	,,	,,	हजारीलाल/जेठानन्द ब्राह्मण जैसलमेर	87	75.00	
634.	,,	,,	टीकमचन्द/माणकचन्द जोशी जैसलमेर	87	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
635.	डामला	3.7.71	भगवानदास/किशनलाल गोपा जैसलमेर	87	75.00	
636.	,,	,,	जगजीवन/अखेराज गोपा जैसलमेर	87	75.00	
637.	,,	,,	शिवशंकर/रतनलाल व्यास जैसलमेर	87	75.00	
638.	,,	,,	गोविन्दसिंह/रूपसिंह राज. जैसलमेर	87	75.00	
639.	,,	,,	श्रीराम/जेठमल श्रीमाली जैसलमेर	1	75.00	
640.	,,	,,	हीरादेवी/हनुमानदास साधू डाभला	87	75.00	
641.	,,	,,	मदनलाल/बलादान बिरसा जैसलमेर	87	29.00	
642.	,,	,,	दानमल/भगवानदास केला जैसलमेर	87	75.00	
643.	,,	,,	श्रीवल्लभ/शंकरलाल माहेश्वरी जैसलमेर	87	75.00	
644.	,,	,,	पूजाराम/भूरराम मेग. डाभला	87	75.00	
645.	,,	,,	मोहनसिंह/मुरलीधर भाटी जैसलमेर	87	75.00	
646.	आकल	,,	मेघसिंह/अजीतसिंह राज. आकल	1	75.00	
647.	धऊवा	,,	राधाकिशन/शिवराजसिंह राज. धऊवा	26	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
648.	बड़ाबाग	3.7.71	मघाराम/माणकाराम माली बड़ाबाग	157	75.00	
649.	बरमसर	,,	तिलोकाराम/मानाराम मेग. बरम.	1	38.10	
650.	अमरसागर	,,	मघाराम/डूगराराम भील अमरसागर	33	75.00	
651.	धनुवा	,,	माजी/भारू मुस. धनुवा	1	46.05	
652.	,,	,,	खेरमोहम्मद/वागेखां मुस. धनुवा	52	52.00	
653.	,,	,,	दीनूखां/जमालखां मुस. धनुवा	52	75.00	
654.	,,	,,	मीरमोहम्मद/बसंतखां मुस. धनुवा	52	75.00	
655.	,,	,,	कायम/अलाबचाया मुस. धनुवा	52	75.00	
656.	,,	,,	मुराद/वकतेखां मुस. धनुवा	52	60.00	
657.	,,	,,	अलादीन/मुराद मुस. धनुवा	52	52.00	
658.	धऊवा	,,	इन्द्रसिंह/जीवराजसिंह राज. धऊवा	52	75.00	
659.	डाभला	,,	किलूराम/खमानाराम भील जैसलमेर	87	75.00	

1	2	3	4	5	6	7
660.	आकल	31.7.71	नटवरलाल/पुरुषोतम लाल ब्राह्मण जैसलमेर	137	75.00	
661.	,,	,,	केशरीमल/बागमल केवलिया जैसलमेर	137	75.00	
662.	,,	,,	भंवरसिंह/अजीतसिंह चौहान आकल	1	11.15	
663.	,,	,,	अमी/रणजीतसिंह राज. आकल	1	75.00	
664.	,,	,,	हुक्मसिंह/धनसिंह चौहान आकल	137	40.00	
665.	जोधा	,,	प्रयागसिंह/चोथमलसिंह राज. आकल	137	75.00	
666.	,,	,,	गुमानसिंह/अलसीदाससिंह राज. आकल	137	75.00	
667.	,,	,,	मेघसिंह/धनसिंह राज. आकल	137	75.00	
668.	,,	,,	जयसिंह/बुलीदानसिंह राज. आकल	137	51.00	
669.	,,	,,	पदमसिंह/चंदसिंह चौहान आकल	137	46.05	
670.	,,	,,	लक्ष्मणसिंह रणजीतसिंह राज. आकल	137	34.15	
671.	,,	,,	नरपतसिंह/हणोतसिंह राज. आकल	137	40.10	

1	2	3	4	5	6	7
672.	जोधा	31.7.71	सुरतसिंह/छतरसिंह राजपूत-आकल	137	34.15	
673.	,,	,,	नखतसिंह/सोहनसिंह राजपूत आकल	137	44.10	
674.	,,	,,	जयसिंह/रणजीतसिंह चौहान आकल	137	40.10	
675.	,,	,,	मानसिंह/अजीतसिंह राज. आकल	137	75.00	
676.	,,	,,	जेतमालसिंह/मोतीसिंह राजपूत आकल	1	46.05	
677.	,,	,,	भगवानसिंह हनुवन्तसिंह चौहान आकल	1	68.00	

(304)

तहसील, जैसलमेर में वर्ष 1969 में आवंटित की गई भूमि का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम जहां भूमि आवंटित की गई है।	व्यक्ति का नाम जिसे भूमि आवंटित की गई है मय वल्दियत व सकूनत	आवंटित भूमि का रकबा (बीघों में)
1	2	3	4
1.	पोहड़ा	श्री मोहन लाल पुत्र सांगीदान पुरोहित जैसलमेर	46-00
2.	,,	,, लीलाधर पुत्र सांगीदान पुरोहित जैसलमेर	69–00
3.	देवीकोट	,, सवाई सिंह पुत्र हुकम सिंह राजपूत देवीकोट	75–00
4.	,,	,, विसना पुत्र गुलाबा बेलदार, उण्डा	75–00
5.	,,	,, रूपा पुत्र मिठू बेलदार, उण्डा	75–00
6.	,,	,, चानदना पुत्र रूपा बेलदार, उण्डा	75–00
7.	,,	,, किशना पुत्र गुलाबा बेलदार, उण्डा	75–00
8.	,,	,, नथमल पुत्र मेहर लाल सेवक, देवीकोट	57–10
9.	,,	,, जगमाल पुत्र कुतब मुसलमान, देवीकोट	75–00
10.	,,	,, कुतब पुत्र बधा मुसलमान, देवीकोट	75–00
11.	,,	,, बालणा पुत्र अलाउ मुसलमान, देवीकोट	75–00

1	2	3	4
12.	देवीकोट	श्री रामा पुत्र जगमाल मुसलमान, देवीकोट	75–00
13.	,,	,, रमजान पुत्र हवीब मुसलमान, देवीकोट	75–00
14.	,,	,, लाला राम पुत्र भगू राम मेघवाल, सिरवा	17–00
15.	,,	,, मिया पुत्र दीना मुसलमान, देवीकोट	75–00
16.	,,	,, चतुर सिंह पुत्र शिवराजसिंह राजपूत, पोछीना हाल देवीकोट	75–00
17.	,,	,, जोरा सिंह पुत्र राम सिंह राजपूत, देवीकोट ,,	75–00
18.	,,	,, ढोला पुत्र बागसिंह राजपूत, देवीकोट ,,	75–00
19.	वडोडा गांव	,, खंगार सिंह पुत्र जसवन्त सिंह राजपूत, वडोडा गांव	75–00
20.	मण्डाऊ	,, पीर बक्स पुत्र अमरदीन मुसलमान, मण्डाउ	75–00
21.	,,	,, राणे खां पुत्र दायम खां मुसलमान, मण्डाउ	75–00
22.	काठोडी	,, चुना राम पुत्र भैरा राम कुमहार, काठोडी	11–05
23.	,,	,, तगा राम पुत्र लूना राम कुमहार, काठोडी	34–19
24.	,,	,, भंवरलाल पुत्र भारथा राम प्रजापत जैसलपुर	23–00
25.	देवा	,, सगता राम पुत्र थाना राम मेघवाल, देवा	57–[illegible]

1	2	3	4
26.	सेलत	श्री गोविन्द राम पुत्र मेहन्द्रा राम बेलदार, सेलत	74-15
27.	,,	,, मेहराज राम पुत्र सुरा राम बेलदार, सेलत	74-15
28.	,,	,, मोबता राम पुत्र मुरा राम बेलदार, सेलत	74-15
29.	,,	,, सांगा राम पुत्र बिसना राम बेलदार, सेलत	74-15
30.	,,	,, काछवा राम पुत्र ढडोन्ता राम बेलदार, सेलत	74-15
31.	,,	,, दाऊ राम पुत्र रासोमा राम बेलदार, सेलत	74-15
32.	,,	,, केसूराम पुत्र बिसना राम बेलदार, सेलत	74-15
33.	,,	,, बिरधा राम पुत्र सेना राम बेलदार, सेलत	74-15
34.	,,	,, देउ राम पुत्र मेन्दा राम बेलदार, सेलत	74-15
35.	,,	,, कला राम पुत्र तेजा राम बेलदार, सेलत	74-15
36.	लाखा	,, भूरा राम पुत्र हरजी राम मेघवाल, लाखा	63-05
37.	सेलत	,, हरजी राम पुत्र बेलदार, सेलत	74-15
38.	काठोडी	,, धूडा राम पुत्र मूला राम कुम्हार, काठोडी	11-10
39.	चौधरीया	,, मुलतान खां पुत्र लाखें खां मुसलमान, चौधरीया	75-00

1	2	3	4
40.	काठोडी	श्री सोना राम पुत्र लूना राम मेघवाल, काठोडी	56-00
41.	,,	,, मदा राम पुत्र बांका राम मेघवाल, काठोडी	57-15
42.	वईया	चांदो पत्नी भूरा भील, वईया	75-00
43.	,,	श्री भंवर खां पुत्र सिकिया खां मुसलमान, वईया	40-05
44.	,,	,, मुगर पुत्र नगा मुसलमान, वईया	75-00
45.	,,	,, सलाम खां पुत्र अबदुला खां मुसलमान, वईया	75-00
46	,,	,, गाडू खां पुत्र जुमा खां मुसलमान, वईया	75-00
47.	,,	,, मोहमद पुत्र खमोशा मुसलमान, वईया	75-00
48.	,,	,, निहाल पुत्र नागे खां मुसलमान, वईया	75-00
49.	,,	,, सुमार पुत्र खांडू खां मुसलमान, वईया	40-05
50.	,,	,, सरीफ खां पुत्र नागे खां मुसलमान, वईया	75-00
51.	,,	,, लखां पुत्र खमोशा मुसलमान, वईया	75-00
52.	,,	,, वचू खां पुत्र सुमार खां मुसलमान, वईया	75-00
53.	,,	,, सरीफ खां पुत्र जुमे खां मुसलमान, बांसड़ा	75-00

1	2	3	4
54.	बईया	श्री बली मोहमद पुत्र बचल खां मुसलमान, सोढात	75–00
55.	,,	,, रतन खां पुत्र होते खां मुसलमान, सोढात	75–00
56.	,,	,, तेजे खां पुत्र बचल खां मुसलमान, सोढात	75–00
57.	,,	,, मारू पुत्र नागे खां मुसलमान, बईया	75–00
58.	गोरेरा	,, भेरा राम पुत्र डला राम मेघवाल, कोटडी	75–00
59.	,,	,, बिसन सिंह पुत्र आम्ब सिंह राजपूत निवासी गोरेरा	75–00
60.	बीजोता	,, बागा राम पुत्र अगरा भील, बीजोता	75–00

ग्राम डूमरोली एवं कोलीला में बालिका विद्यालय की स्थापना

153. **श्री सुजान सिंह** (बहरोड) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार वर्ष 1984-85 में ग्राम डूमरोली एवं कोलीला में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चौहटन से बाखासर तक निगम की बसों का संचालन

154. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या परिवहन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चौहाटन से बाखासर एवं केलनोर पक्की सड़क पर वर्षों से प्राइवेट बस का परमिट है ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क पर रोडवेज की बसों को लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है।

राज्य में सीमेंट का कोटा

155. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) केन्द्र द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 में माह जनवरी तक राज्य को कोटे के अनुसार कितना सीमेंट अलाट किया ?

(2) क्या निर्धारित कोटे की मात्रा कम मिलने के कारण सम्पूर्ण राज्य के विकास कार्यों को धक्का पहुंचा है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार किन कारणों से निर्धारित मात्रा की सीमेंट लेने में असमर्थ रही ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 1982-83 में 2, 42, 400 मै. टन एवं वर्ष 1983-84 में 2, 69, 200 मै. टन लेवी सीमेंट का आवंटन किया है।

(2) विद्युत कटौती होने के कारण सीमेन्ट फैक्ट्रियों में उत्पादन निर्धारित मात्रा से कम हुआ जिसके फलस्वरूप पूरी आवंटित लेवी सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा लदान नहीं कराई जा सकी।

(3) जी नहीं। विकास कार्यों के लिये खाद्य विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधीशों को प्रति तिमाही लेवी सीमेन्ट की पूरी मात्रा का आवंटन किया जाता रहा है। विकास कार्यों से सम्बद्ध बड़े-बड़े विभाग जैसे सिंचाई, आर. सी. पी., सी. ए. डी., बिजली विभाग आदि को सीधे ही केन्द्र सरकार से सीमेंट का आवंटन होता है।

राजस्थान नहर में कृषि भूमि के स्थाई आवंटन हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

156. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर में कृषि भूमि के स्थाई आवंटन के लिए कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) विचाराधीन भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्रों पर कब तक भूमि अलाट कर दी जावेगी ?

(3) वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र की उपलब्ध सिंचित भूमि में से कितनी भूमि आवंटन के अभाव में काश्त होने से बाकी रही ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि के स्थाई आवंटन हेतु दिनांक 31.1.84 तक 17,755 प्रार्थना-पत्र सक्षम भूमिहीनों के विचाराधीन हैं।

(2) सक्षम प्रार्थियों की नियमों में निर्धारित प्राथमिकता तथा भूमि की उपलब्धता अनुसार भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा। निश्चित अवधि बतलाना अभी संभव नहीं है।

(3) 31 मार्च, 82 को 73,352 एकड़ कमाण्ड भूमि आवंटन से शेष थी।

बूंदी जिले में रायल्टी से आय

157. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : एवं:–

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी जिले में खनिज विभाग को किन किन वस्तुओं से कितनी रायल्टी की आय गत 3 वर्षों में हुई ? कृपया वर्षवार व्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेकों खनन धारियों पर लाखों रुपया उक्त क्षेत्र में बकाया चल रहा है ? यदि हां, तो 5 हजार या उससे अधिक की कितनी धन–राशि कब से व क्यों वसूल नहीं हुई और तत्संदर्भ में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले में विगत तीन वर्षों में हुई खनिजवार एवं वर्षवार रायल्टी की आय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रक्रिया के अनुसार वसूली की कार्यवाही चल रही है। इस विषय में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।

बूंदी जिले में विगत तीन वर्षों में हुई खनिजवार एवं वर्षवार रायल्टी की आय का विवरण

नाम खनिज	रायल्टी की आय रुपयों में 1980-81	1981-82	1982-83
अप्रधान खनिज			
1. सैण्ड स्टोन	4876303	5373700	6569957
2. लाइम स्टोन	32608	59898	73980
3. मेसेसरी स्टोन	40236	37223	26695
4. बजरी	16574	34374	69060
5. मोर्बल	103188	151235	196780
6. खड़िया मिट्टी	3620	2383	3560
योग	5072529	5658813	6940032
प्रधान खनिज			
1. लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)	399698	1036971	1646329
2. सिलिका सैण्ड	28609	29643	51808
योग	428307	1066614	1698137
विविध			
एस. टी. पी.	77640	66630	81827
नाका से आय	748	1258	1100
योग	78388	67888	82927
कुल योग	5579224	6793315	8721096

वर्षवार विवरण

वर्ष	बकाया रकम	वसूली के लिए राज्य सरकार एवं ला कोर्ट का स्थगन आदेश है।
63-64	15625.00	15625.00
65-66	56000.00	56000.00
67-68	16171.09	–
69-70	10592.92	–
70-71	7837.42	–
71-72	3075.78	–
73-74	4892.91	–
74-75	3826.00	–
75-76	7291.00	–
76-77	3906.00	–
77-78	17753.00	–
78-79	4092.13	–
79-80	15843.69	–
80-81	3,46045.84	2,61532.87
81-82	84495.53	51612.66
82-83	6,61725.48	5,04558.50
	12,59173.79	8,17704.03

सवाई माधोपुर मुख्यालय में शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

158. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार अपनी योजना के अनुसार जिला मुख्यालय सवाई मांधोपुर में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर का कार्यालय वर्तमान में करोली में स्थित है।

तहसील रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट की शाखा खोलना

159. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या तहसील रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट की शाखा वर्तमान में मौजूद नहीं है ?

(2) क्या उक्त तहसील की जनता को परिवादों के सिलसिले में बयाना मुन्सिफ कोर्ट में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां की आम जनता की परेशानी को देखते हुए तहसील रूपवास में मुन्सिफ कोर्ट की शाखा खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जो ह । राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय रूपवास में स्थापित करना संभव नहीं है।

राज्य की वीडियो कोच व लग्जरी बसेज

160. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान के विभिन्न नगरों में कितनी वीडियो कोच एवं लग्जरी बसें चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी बसें एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी नियमित चलती हैं एवं इनके विज्ञापन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आये दिन आते रहते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ शहरों में रोडवेज के बस स्टेंड के बाहर ही इन लोगों ने अपने बुकिंग आफिस स्थापित कर रखे हैं जहां उन्हे लाइट व टेलीफोन कनेक्शन भी प्राप्त है ? यदि हां, तो इससे पथ परिवहन निगम को हानि होती है या नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न नगरों में निजी वाहन स्वामियों के 5 वीडियो कोच तथा 30 लग्जरी बसें चल रही हैं। परिवहन निगम द्वारा राजस्थान के किसी नगर में वीडियो कोच का संचालन नहीं किया जा रहा है। निगम द्वारा 27 डीलक्स (लग्जरी) बसें चलाई जा रही हैं।

(राज्य मंत्री, यातायात)

(2) जी हां।

(3) जी हां। लाईट व टेलीफोन कनेक्शन बाबत यह ज्ञात नहीं है कि ये प्राइवेट पार्टीज द्वारा स्वयं के नाम से लिए हुए हैं या जिस भवन में कमरा ले रखा है उस भवन मालिक के नाम से। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट वीडियो कोचेज एवं लग्जरी बसों के संचालन से निगम को हानि होती है।

खनिज अभियन्ता क्षेत्र जयपुर व नीम का थाना में लीज होल्डर्स में बकाया राशि

162. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिनांक 16 फरवरी, 1983 को खनिज अभियन्ता क्षेत्र, जयपुर एवं सहायक खनिज अभियन्ता क्षेत्र नीमकाथाना के किस-किस लीज होल्डर में कितनी कितनी रकम बकाया थी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 16.2-83 से 28-2-83 के मध्य किस लीज होल्डर से कितनी राशि वसूल की गई? कृपया लीज होल्डर की नाम तालिका तथा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 की धारा 4 (4) को निरस्त घोषित कर दिया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर

सूची अप्रधान खनिज के पट्टों की बकाया दिनांक 16.2.83 को

क्र. सं.	नाम पार्टी (बाकीदार)	नाम खनिज	नाम क्षेत्र	बकाया रकम 16–2–83 को
1	2	3	4	5
1.	चौथमल बुनकर	चेजा पत्थर	वासर आडी डूंगरी	रु. 940.00
2.	शंकरलाल बलाई दौसा	एजन	दौसा खुर्द	720.00
3.	हरिकिशन कोटवाल, चौमूं	एजन	आडी डूंगरी	1,700.50
4.	मैसर्स इन्द्र ब्रिक्स एण्ड लाइम वर्क्स कोटपूतली	ईंट मिट्टी	नहावास	600.00
5.	रघुनाथ मीणा, बांसको	चेजा पत्थर	बिन्दायका	779.00
6.	निर्मलकुमार पाटनी, जयपुर	चेजा पत्थर	मुर्दाखोल (16/72)	80.00
7.	निर्मल कुमार पाटनी, जयपुर	एजन	मुर्दाखोल (104/71)	60.00

1	2	3	4	5
8.	रामकिशोर गुप्ता, थली	चूना पत्थर व मार्बल	रामावाला	12,596.00
9.	मैसर्स राष्ट्रीय पाषाण एवं खनिज उद्योग (प्रा.) लि. जयपुर	चूना पत्थर	ढाणीवाला	10,367.13
10.	राम खिलाड़ी मीणा, नान्दरी,	चेजा पत्थर	नींदड़ गोपाली	3,931.34
11.	बाबूलाल अग्रवाल मनोहरपुर	एजन	सुरक्षा	2,343.75
12.	भौंरीलाल माली, जयसिंहपुरा खोर	एजन	जयसिंहपुरा खोर	2,909.00
13.	उदयलाल रैगर, माचेड़ा	एजन	माचेड़ा (11)	137.50
14.	पांचूराम माली, जयपुर	एजन	हरमाड़ा (बड़ारना)	337.50
15.	कानाराम यादव, कोटपूतली	ईंट मिट्टी	श्यामवाली ढाणी, कोटपूतली	3,201.30
16.	मांगीलाल बलाई, बासा फतेहपुरा	चेजा पत्थर	आडो डूंगरी	343.75
17.	रूपनारायण कुमावत, जयपुर	चेजा पत्थर	उति	662.74

1	2	3	4	5
18.	हरसहाय शर्मा, करणगढ़	चेजा पत्थर	तु गा	442.50
19.	गोविन्द प्रसाद कानोडिया सांभर	चूना पत्थर	सांप की ढाणी (अटलपुरा)	4,743.36
20.	पदमाकर पाण्डे, जयपुर	मार्बल	रायावाला	4,064.55
21.	मैसर्स राम ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर	ई ट मिट्टी	खो नागोरियान	1,502.83
22.	रामजीलाल चौधरी, जयपुर	चेजा पत्थर	माचेडा	94.00
23.	मैसर्स वेस्ट ब्रिक्स कम्पनी, जयपुर	ई ट मिट्टी	लखेसरा	937.50
24.	मैसर्स खादी ग्रामउद्योग सघन विकास समिति, बस्सी	ई ट मिट्टी	लखेसरा	22,000.00
25.	आनन्दकुमार शर्मा, जयपुर	चूनो पत्थर	गोटपालड़ी	2,903.25
26.	मनालाल कुम्हार, चौमू	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	387.50
27.	भीखमचन्द शर्मा, जयपुर	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	532.15
28.	सीताराम पारीक, हस्तेडा	चेजा पत्थर	छोटो डूंगरी (पहाड़ ढगोली)	300.00

1	2	3	4	5
29.	हनुमान सहाय माली, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	माचेड़ा	318.00
30.	गंगाराम बराला, चौमू	चेजा पत्थर	हाथनोदा	390.00
31.	नानूलाल कुमावत, जयपुर	चेजा पत्थर	विठ्ठल झरना नाका	1,781.25
32.	आलोक भार्गव, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाड़ा (बढ़ारना)	2,417.50
33.	सीताराम पारीक, हस्तेड़ा	चेजा पत्थर	सामोद बासा आडी डूंगरी	2,581.25
34.	ग्यारसीलाल माली, चौमू	चेजा पत्थर	काली डूंगरी सामोद	1,327.50
35.	रामचन्द्र रेगर, अचरोल	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1100.00
36.	मै. लक्ष्मी ब्रिक्स कम्पनी, जगदीशपुरा	ईंट मिट्टी	जगदीशपुरा	1,232.60
37.	श्रीमती दाखा देवी, जयपुर	क्वार्टजाइट (कलर)	टोडा टेखला	821.00
38.	सर्व श्री वी. आर. एन्टर प्राइजेज, जयपुर	ईंट मिट्टी	लखेसरा	1,500.00
39.	मांगीलाल रेगर, उदयपुरिया	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	600.00
40.	बन्शीधर शर्मा, सामोद	चेजा पत्थर	आडी डूंगरी, सामोद	3,750.00
41.	मै. भगवान ब्रिक्स बिल्डर्स, जयपुर	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	5 656.24

1	2	3	4	5
42.	महावीर प्रसाद यादव फतहपुरा	पत्थर	पवाना अहीर	2,421.00
43.	रेवाचन्द सिन्धी, जयपुर	चूना पत्थर	पालडी	16,642.87
44.	प्रभुदयाल बैरवा, राजोली	चेजा पत्थर	राजोली	735.60
45.	मै. दौसा सहकार श्रमिक ठेका समिति, दौसा	चेजा पत्थर	दौसा	625.00
46.	मै. राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल्स	मार्बल	भैसलाना (प्लाट नं. 2)	3,003.95
47.	अशोककुमार शर्मा, चारणवास	चेजा पत्थर	हथनोदा	1,505.10
48.	मनोहरसिंह, जयपुर	ईंट मिट्टी	हीरापुरा	5,000.00
49.	प्रभुदयाल सेन, बान्दीकुई	चेजा पत्थर	गीडागढ़ तन रूपला	432.00
50.	मै. मिनरल एण्ड मैटल उद्योग, नेतावाला	मार्बल	श्री रामगोपालपुरा	8,994.28
51.	हरसहाय शर्मा, करणगढ़	चेजा पत्थर	डीडवाल देहलाल कली	2,587.75
52.	रामसहाय शर्मा, खरखड़ा	चूना पत्थर	काली डूंगरी खरखड़ा	12,183.17
53.	प्रेमप्रकाश गुप्ता, जयपुर	चूना पत्थर	बरखेड़ा	1,783.67
54.	मै. ज्योति एन्टर प्राइजेज जयपुर	चूना पत्थर	ढाणीवाड़ा	5,806.50

1	2	3	4	5
55.	श्री आनन्दीलाल रेगर, उदयपुरिया	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1,500.00
56.	भौरीलाल महाजन लालसोट	मार्बल	टोडा टेकला	5,895.00
57.	ज्ञानचन्द गंगवाल, जयपुर	चूना पत्थर	गोरेट	3,464.00
58.	श्री रमाकान्त व्यास, जयपुर	चूना पत्थर	रायसोला	2,980.83
59.	श्री सुनील बाकलीवाल, जयपुर	चूना पत्थर	श्यामपुरा	636.40
60.	प्रेमराज जैन, जयपुर	मार्बल	गुढ़ा	8,437.50
61.	गंगासिंह, जयपुर	चूना पत्थर	गोरेट	924.13
62.	दीनदयाल माली, जयपुर	चूना पत्थर	सान कोटडा	5,709.75
63.	सूरजमल शर्मा, चूरू	चेजा पत्थर	टोडीदीपुरिया की डूंगरी	594.75
64.	श्रीमती सन्यादेवी जयपुर	चूना पत्थर	गोरेट	28,005.40
65.	श्रीमती गीता माथुर	चेजा पत्थर	टोडीदीपुरिया की डूंगरी	343.75
66.	बालसिंह	एजन	हरमाड़ा	6.40

1	2	3	4	5
67.	बालसिंह	एजन	हरमाड़ा	8.60
68.	कैलाशनाथ शर्मा	एजन	उदयपुरिया	408.75
69.	सीताराम रैगर माचेड़ा	एजन	खोरा सरणा	345.00
70.	मोहनसिंह कासलीवाल, जयपुर	एजन	टोडीदीपुरिया	343.75
71.	विजयकुमार वैद्य, जयपुर	एजन	बढारणा	1,354.00
72.	माणकचन्द वर्मा, जयपुर	एजन	टोडीदीपुरिया	469.75
73.	मोहनसिंह, बासलीवाल	एजन	एजन	343.75
74.	श्रीमति शुभ लक्ष्मी शर्मा, जयपुर	एजन	उदयपुरिया	785.00
75.	कल्याण शर्मा, दुर्गापुरा	एजन	टोडीदीपुरिया	781.25
76.	श्रीमती बीना कमलसिंह	एजन	उदयपुरिया	331.25
77.	गजानन्द शर्मा, जयपुर	एजन	टोडीदीपुरिया की डूंगरी	687.50
78.	ब्रह्मानन्द जोशी बैनाई	एजन	खोरा सरणा	337.50

1	2	3	4	5
79.	रामकुमार शर्मा, झोटवाड़ा, जयपुर	एजन	एजन	343.75
80.	मै. सरदार ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	ईंट मिट्टी	हीरापुरा	9,880.00
81.	अताउल्ला खां, दौसा	चेजा पत्थर	सोहन्दा	721.25
82.	श्यामलाल माहेश्वरी, जयपुर	चूना पत्थर	रायसोला	3,000.00
83.	प्रेमनारायण मेहता, जयपुर	चेजा पत्थर	खोरा सरण।	343.75
84.	हरफूल धानका, भैसलाना	चेजा पत्थर	पवाना	512.50
85.	श्रीमती बरदीदेवी मीणा, जयपुर	चेजा पत्थर	खोरा सरण।	468.75
86.	जगन्नाथसिंह कानोता	ईंट मिट्टी	कानोता	1,500.00
87.	मैसर्स सिवल ब्रिक्स कम्पनी, लसेसरा	ईंट मिट्टी	लखेसरा	825.00
88.	अशोककुमार शाह, जयपुर	चेजा पत्थर	टोडीदीपुरिया	468.75
89.	बजरंगलाल बैरवा, सांगानेर	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	750.00
90.	शिवकुमार अग्रवाल, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	3,300.30

1	2	3	4	5
91.	महावीर कुमार गंगवाल, जयपुर	चूना पत्थर	गोरेट	4,790.50
92.	मै. सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभरलेक	चेजा पत्थर	लालधोर की डूंगरी	1,370.52
93.	रामेश्वर माली, सामोद	एजन	बासा आड़ी डूंगरी	688.15
94.	बनवारी लाल शर्मा, शाहपुरा	एजन	गुल्लीखोरी	3,170.18
95.	कैलाशचन्द माली, हरमाड़ा	एजन	नीदंड गोपाली	4,453.25
96.	ओ. पी. चौधरी, जयपुर	एजन	मांचेड़ा	137.50
97.	नारायणदास सिन्धी	चूना पत्थर	राया वाला	5,698.47
98.	कैलाश चन्द मंगला	चूना पत्थर व मार्बल	टोरड़ा व पंच पहाड़ी	1,10,567.40
99.	मोहनलाल अग्रवाल	चूना पत्थर	गोरेट	5,635.43
100.	श्रीमती श्रीदेवी शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	डाणीवाला	4,720.00
101.	नाथूराम मीणा, बिहारीपुरा	चेजा पत्थर	तूंगा	1,202.00
102.	जगदीश पंचोली, कल्याणपुरा	चेजा पत्थर	बांसखो	957.20

1	2	3	4	5
103.	मदनलाल शर्मा, बांसको	चेजा पत्थर	नई का नाथ बासखो	869.35
104.	रामप्रताप गूजर	चेजा पत्थर	टेंखड़ी वाली	875.00
105.	सत्यनारायण गोयल, जयपुर	मार्बल	राजावाला	2,286.56
106.	मै. जयपुर लाइम स्टोन कम्पनी, जयपुर	चूना पत्थर पातलवास	पातलवास	15,192.03
107.	गोपीराम रैगर, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	आडी डूंगरी	207.50
108.	महादेवपुरिया, बदनपुरा	चेजा पत्थर	नरवलदास का खोला	105.80
109.	दामोदर लाल विजय	चेजा पत्थर	रामपुर	1,280.00
110.	रामेश्वर मीणा विराट नगर	चेजा पत्थर	बैराठ पालडी	878.00
111.	भंवरलाल हरिजन, कोथल	चेजा पत्थर	कल्याणपुरा	2,774.65
112.	परमानन्द पंवार	मार्बल	रायांवाला	15,078.86
113.	भागीरथ रैगर, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	215.87
114.	केशुराम माली, जयसिंहपुरा खोर	चेजा पत्थर	जयसिंहपुरा खोर	739.85
115.	मालीराम, सामोद	चेजा पत्थर	आडी डूंगरी	790.00
116.	प्रभुदयाल अरोड़ा	चूना पत्थर	रायपुर	1,073.09
117.	मालीराम अग्रवाल	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	758.80

1	2	3	4	5
118.	दूलीचन्द रैगर, सराय बावड़ी	चेजा पत्थर	सराय बावड़ी	157.75
119.	चौथूराम मीणा, दातली (सरोली)	एजन	दांतली सरोली	312.00
120.	रघुवीर प्रसाद जोगी, भोपास की डूंगरी	एजन	भोपास की डूंगरी	750.00
121.	प्रभूराम गूजर, माचेड़ा	एजन	नीदड	627.50
122.	बनवारी.लाल शर्मा, शाहपुरा	एजन	आसपुरा	1,128.21
123.	रामपाल शर्मा, हरमाड़ा	एजन	नीदड गोपाली	2,678.00
124.	रामदेव रैगर, भोजावास	एजन	कल्याणपुरा	1,579.25
125.	विजयकुमार शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	जारण्डा	6,630.02
126.	श्रीमती सुमनलता पारीक, जयपुर	एजन	जारण्डा	27.86
127.	ललितकिशोर पारीक, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	45.25
128.	रमेशचन्द शर्मा, भण्डावरी	चेजा पत्थर	विनोरी का बालाजी	1,380 20
129.	बजरंग लाल चौधरी, कोटपूतली	चेजा पत्थर	भोजावास की ढाणी	779.75
130.	ओंकारसिंह	ईंट मिट्टी	बगराना	320.52
131.	बनवारी लाल शर्मा, शाहपुरा	चेजा पत्थर	सादुला पहाड़ी	4,331.17
132.	प्रभातीलाल रैगर, माचेड़ा	एजन	माचेड़ा	545.00
133.	कैलाशचन्द शर्मा, बगराना	एजन	दातली सरोली	371.25

1	2	3	4	5
134.	महावीरसिंह कसावा, सूरतगढ़	मार्बल	रायसोला	4,200.60
135.	मंगलाराम मीणा, जगतपुरा	चेजा पत्थर	नरवलदास का खोला	2,366.00
136.	मालीराम मीणा, सामोद	एजन	आडी डूंगरी (एम. एल. 2/79)	1,175.00
137.	नरेन्द्रनाथ शर्मा, कोटपुतली	एजन	पवाला राजपूत	393.75
138.	रामदयाल शर्मा, चौमूं	एजन	चीकवाडा	875.00
139.	आनन्दकुमार शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर, मार्बल	रायावाला	800.00
140.	मै. राजस्थान खनिज एजेन्सी	चूना पत्थर	सानकोटड़ा	17,091.97
141.	मालूराम माली, सामोद	चेजा पत्थर	वाला आडी डुगरी,	269.63
142.	कृष्णा ब्रिक्स एण्ड लाइम वर्क्स, कोटपुतली	ईंट मिट्टी	बासड़ी	2,381.00
143.	प्रभात माली, सामोद	चेजा पत्थर	हाथनोदा	2,482.00
144.	दुलाराम माली, जयपुर	चूना पत्थर	सानकोटड़ा	5,105.15
145.	आनन्दकुमार शर्मा, जयपुर	एजन	खरड	3,000.00
146.	मालीराम मीणा, सामोद	चेजा पत्थर	आडी डूंगरी 15/79	1,296.36
147.	रामबाबू सोनी गीजगढ़	एजन	गीजगढ़	3,093.58
148.	मूलचन्द बैरवा, गणेशपुरा	झाझरा कंकर	गणेशपुरा	279.50

1	2	3	4	5
149.	छीतरमल बारी, मनोहरपुर	चेजा पत्थर	सुराना पहाड़	732.00
150.	श्रीमती नानगीदेवी, धाटी कोलान	एजन	खो नागोरियान	939.50
151.	जुगलकिशोर पारीक, सिंगोद कलां	एजन	चौथवाडी	1,535.00
152.	मालीराम शर्मा, सामोद	एजन	वासा आडी डूंगरी	960.00
153.	हिम्मत खां, हस्तेड़ा	एजन	आमलोदा	1,268.56
154.	गंगाराम मीणा, सहजपुरा	एजन	भूरी डूंगरी	481.00
155.	गंगाराम मीणा, सहजपुरा	एजन	भूरी डूंगरी (40/79)	445.00
156.	मालूराम माली, सामोद	एजन	आडी डूंगरी (5/76)	1,061.55
157.	गप्पूलाल मोदी, जयपुर	चूना पत्थर	फतेहपुरा (खतेहपुरा)	3,202.50
158.	महेशकुमार गुप्ता, जयपुर	ईंट मिट्टी	जामडोली	3,000.00
159.	सीताराम गुप्ता, जयपुर	चेजा पत्थर	दूधभात (भेरखोल)	318.50
160.	मदनलाल कुमावत, जोवनेर	एजन	जोबनेर	167.50
161.	जगदीश प्रसाद माली, शाहपुरा	एजन	शाहपुरा	265.63
162.	श्रीमती वीर बाला पुरोहित	मार्बल	रायसोला	326.08
163.	वेद प्रकाश गुप्ता	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	7,401.65
164.	राम अवतार अग्रवाल	एजन	बगराना	750.00

(328)

1	2	3	4	5
165.	रोशनलाल जैन, जयपुर	चूना पत्थर	खरड	8,528.40
166.	स्व. श्री अनिलकुमार पारीक, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	9,266.07
167.	शिवकुमार अग्रवाल, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर (200×100)	2,041.38
168.	सत्येन्द्र कुमार जैन, जयपुर	एजन	गोठपालडी	4.702.00
169.	मै. अग्रवाल इन्डस्ट्रीज, जयपुर	ईंट मिट्टी	खो नागोरियान	4,086.40
170.	उदयलाल रैगर, माचेड़ा	चेजा पत्थर	माचेडा (प्लाट नं. 1)	431.25
171.	सुरेश कुमार जैन, जयपुर	एजन	गूजरों की बावड़ी, खो नागोरियान	690.25
172.	गुलाबचन्द नेतावाला	मार्बल	श्री रामगोपालपुरा	4,535.40
173.	हरिसिंह, हीरापुरा	ईंट पत्थर	हीरापुरा	2,250.00
174.	हरीराम, जयपुर	चेजा पत्थर	खो नागोरियान	4,026.50
175.	रमेश गुप्ता, जयपुर	एजन	हरमाड़ा (बढ़ारणा)	672.25
176.	नारायण लाल शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	सानकोटरा	2,904.00
177.	किशोर कुमार रमण, पालडी मीणा	ईंट मिट्टी	पालडी मीणा	1,209.20
178.	अरविन्दरसिंह, जयपुर	एजन	पालडी मीणा	2,317 50
179.	गुरूबक्ससिंह चांदना, जयपुर	एजन	विजयपुरा	3.300.00
180.	चन्द्रप्रकाश बालोदिया, जयपुर	चेजा पत्थर	बढ़ारना	2,026.75

1	2	3	4	5
181.	रूप नारायण कुमावत, जयपुर	एजन	मोखमपुरा	31.65
182.	गुरेन्द्र देव गुप्ता, जयपुर	मार्बल	रायावाला	6,587.54
183.	श्रीमति सीतादेवी नीमड़ी (चौमू)	चेजा पत्थर	आडी डूंगरी	864.00
184.	रामेश्वर प्रसाद यादव, कुन्देड़	एजन	कोना वास	1.031.25
185.	सत्य नारायण मोदी, जयपुर	चूना पत्थर	सरजोली	5,299.40
186.	मै. एन. पी. अग्रवाल जयपुर	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	4,405.98
187.	रेवड़ राम गूजर, माचेड़ा	चेजा पत्थर	माचेड़ा	1,008.25
188.	हजारीलाल रैगर, हरमाड़ा	एजन	हरमाड़ा	303.75
189.	भैरू रैगर, हरमाड़ा	एजन	हरमाड़ा	303.75
190.	मै. नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी, मोहनपुरा	चूना पत्थर व मार्बल	मोहनपुरा, जोधपुरा इत्यादि	1,85,566.15
191.	लालचन्द यादव, हाथनोदा	चेजा पत्थर	हाथनोदा	1,510.00
192.	श्रीमती सुमनलता पारीक, जयपुर	चूना पत्थर	रायसाला	2,906.50
193.	एन. के पाटनी, जयपुर	मार्बल	भैसलाना	57,085.09
194.	मोहनलाल शर्मा, जयसिंहपुरा खोर	चूना पत्थर	खरड	3,760.00
195.	मै. गुप्ता ब्रिक्स वर्क्स प्रा. श्री ग्यासीलाल गुप्ता, जयपुर	ईंट मिट्टी	रूपाडा	3,000.00

1	2	3	4	5
196.	रमेशचन्द्र, जयपुर	चेजा पत्थर	माचेड़ा	829.70
197.	हनुमान माली, विजयपुरा	एजन	खुशालपुरा	3847.85
198.	कन्हैयालाल शर्मा, करणगढ़	चेजा पत्थर	नई का नाथ बिनायका	100.00
199.	ओम प्रकाश पारीक	चूना पत्थर	अस्थल	17,719.17
200.	कल्याण सहाय शर्मा, भगवानपुरा	चूना पत्थर	सानकोटड़ा	15,726.75
201.	मंगलाराम, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	बडारणा	1,407.52
202.	गोविन्दसिंह, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	नीदड	728.88
203.	गोविन्दसिंह, हरमाड़ा	एजन	नीदड	369.38
204.	भोलाराम सामरिया जयपुर	एजन	नरवलदास का खोला	486.02
205.	श्रीमती भवर बाई अग्रवाल, जयपुर	चूना पत्थर	जारडा	19,613.76
206.	राजेन्द्रकुमार शर्मा, जयपुर	चेजा पत्थर	कालवान सिकरी	6,817.35
207.	हरीओम प्रकाश भार्गव, जयपुर	ईंट मिट्टी	लखेसरा	12,086.61
208.	वी. एस. जाखड, जयपुर	चेजा पत्थर	भूरी डूंगरी	1,290.74
209.	ईश्वरदास मल्होत्रा, नई दिल्ली	मार्बल	कालेड़ा	1,476.40
210.	निरंजनलाल शर्मा, राजगढ	मार्बल	कालेड़ा	4.20
211.	अमरचन्द गुप्ता, जयपुर	एजन	रायावाला	264.20

1	2	3	4	5
212.	श्रीमती शान्तोदेवी, जयपुर	एजन	रायावाला	664.20
213.	जगदीश प्रसाद शर्मा, भाखरी	चेजा पत्थर व पट्टी कातला	भाखरी	9,919.00
214.	हरी नारायण रेगरी	चेजा पत्थर	नीदड़ गोपाली	50[illegible].00
215.	नाथूराम रेगर, नीदड़	एजन	माचेड़ा	187.58
216.	सन्तोष कुमार खत्री, बीकानेर	मार्बल	रायावाला	1,178.20
217.	सुन्दरलाल माली, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	नीदड़	842.40
218.	नारायण दास अग्रवाल, जयपुर	पट्टी कातला व चेजा पत्थर	हरबर	35,043.79
219.	मै. राज मिनरल्स, राजगढ़	मार्बल	कालेड	4,287.25
220.	गुमाना मीणा, अचरोल	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1,400.93
221.	लालचन्द गूजर, हाथनोदा	एजन	हाथनोदा	959.55
222.	श्रीमती राजशोभा राजावत, राधाकिशनपुरा	चूना पत्थर एवं मार्बल	रायावाला	414.10
223.	हरबकस मीणा, दौसा	चेजा पत्थर	गीजगढ़ (सूडला)	967.35
224.	लक्ष्मी नारायण बनारिया, जयपुर	ईंट मिट्टी	लखेसरा	1,758.03

1	2	3	4	5
225.	नजर मोहम्मद, लालसोट	चेजा पत्थर	सोइन्दा	[304.35
226.	मनोहर ईंट उद्योग मनोहरपुर	ईंट मिट्टी	मनोहरपुर	2,292.10
227.	रमेशकुमार बैरवा पालडी मीणा	एजन	पालडीमीणा	170.00
228.	मै. शिव डूंगरी श्रमिक ठेका सहकार समिति लि.	चेजा पत्थर	शिवडूंगरी	113.00
229.	सूरजमल शर्मा, ढूंडा	एजन	सवासा	1,244.00
230.	हरसहाय शर्मा, करणगढ़	एजन	जुनतूमडी बासना	201.00
231.	श्रीमती श्यामादेवी, दौसा	चेजा पत्थर	टेलडीवाली दौसा	200.00
232.	प्रभुदयाल सेन, बान्दीकुई	एजन	सुडला गीजगढ़	1,140.00
233.	हरसहाय शर्मा, करणगढ़	एजन	दानमान की डूंगरी	720.00
234.	रामजीलाल शर्मा, करणगढ़	एजन	तुंगा	123.00
235.	दाऊलाल शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	रायावाला	11,003.58
236.	अनिल कुमार त्रिवेदी, मदरामपुरा	ईंट मिट्टी	मदरामपुरा	996.46
237.	सत्यनारायण गोयल, जयपुर	मार्बल	रायावाला	2,264.10
238.	गंगाराम जाट, बरालो की ढाणी	चेजा पत्थर	भोपाल	637.50
239.	लक्ष्मीनारायण बैरवा, पालडी मीणा	ईंट पत्थर	बगराना	476.34

1	2	3	4	5
240.	लादूराम गूजर, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	माचेड़ा	348.50
241.	जयदेव शर्मा, जयपुर	मार्बल	रायावाला	2,421.10
242.	प्रमोद कुमार शर्मा, बसवा	चेजा पत्थर	गुड़ा कटला	315.25
243.	नारायण माली, नांगल जयसापुरा	एजन	माचेड़ा	585.50
244.	मदनलाल शर्मा, बासको	एजन	बासको	101.00
245.	रामसुख रेगर, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	722.20
246.	मालूराम माली, सामोद	एजन	बासा (आडी डूंगरी) (97/77)	635.13
247.	मदनलाल शर्मा, बासको	एजन	नई का नाथ, विनायका	750.00
248.	सरदार निहालसिंह, जयपुर	ईंट मिट्टी	बगराना	1,595.00
249.	रामसहाय मीणा, बासको	चेजा पत्थर	बासको	2,051.80
250.	राधेश्याम शर्मा, बासको	एजन	बासको (4/78)	750.00
251.	राधेश्याम शर्मा, बासको	एजन	बासको (33/78)	318.00
252.	गोपालसिंह राजावत, राधिका किशनपुरा	चूना पत्थर	जारडा	16,712.16
253.	घनश्याम माली, भाण्डारेज	चेजा पत्थर	सूण्डला	2,859.30
254.	जयनारायण बैरवा, जयपुर	ईट मिट्टी	पालडी मीणा	2,084.70
255.	रूपनारायण शर्मा, जयपुर	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	6,757.50

1	2	3	4	5
256.	मोहनलाल कोली, लालसोट	चेजा पत्थर	सोहन्दा	3.500.00
257.	सूरजभान जैन, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	3.010.68
258.	मैसर्स रामलाल सिह, जयपुर	चूना पत्थर	रामपुर	8,716.87
259.	रवीन्द्र कुमार हेनरी, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	5.726.62
260.	भगवानसहाय माली, जयपुर	चूना पत्थर	नान कोटड़ा	2,075.90
261.	सत्यनारायण यादव, जयपुर	चेजा पत्थर	दांतली सरोली (I)	2,150.00
262.	सत्यनारायण यादव, जयपुर	चेजा पत्थर	दांतली सरोली (II)	1,169.53
263.	खूबाराम सेपट, ढाणी सेपटवाली	चेजा पत्थर	बासा पहाड़ी	2,500.83
264.	खूबाराम सेपट,	चेजा पत्थर	चीथवाड़ी	3,282.33
265.	घनश्याम शर्मा, सानकोटड़ा	चूना पत्थर	सानकोटडा	13,809.26
266.	ग्यारसीलाल, रामगढ़ पंचवारा	चेजा पत्थर	टोरड़ा	52.02
267.	सलीमुद्दीन, जयपुर	ईंट पत्थर	कानोता	917.67
268.	घासीखां, दौसा	चेजा पत्थर	टेलडी डूंगर	190.00
269.	दौलतराम, रोखड़ी	चेजा पत्थर	नीदड बैनाड़	104.96
270.	सलीमुद्दीन, जयपुर	ईंट पत्थर	हरसोला	566.95
271.	रतनलाल कुम्हार, हरमाड़ा	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	1.234.14

1	2	3	4	5
272.	प्रहलादराम मीणा, जयपुर	चेजा पत्थर	गूजरघाटी का खोला	1,220.46
273.	चन्द्रमोहन यादव, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाडा	1,655.99
274.	मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशिंग कम्पनी, जयपुर	चेजा पत्थर	जगा की बावड़ी	11.76
275.	अमरसिंह दौसा	चेजा पत्थर	दौसा खुर्द	3,159.39
276.	नारायण जाट, महापुरा	एजन	डीडोल भाखरी डूंगरी	793.16
277.	ईश्वरीलाल मण्डावरा	आर. सी. सी. पट्टीकातला	साईवाल	674.13
278.	शिवनाथसिंह कानोता	ईंट मिट्टी	कानोता	187.00
279.	मदनलाल अग्रवाल, जयपुर	एजन	माचेडा	31.60
280.	गंगाराम सामोद	चेजा पत्थर व पट्टी कातला	पहाड़ आडी डूंगरी	1,639.09
281.	ओंकारदान, हरमाडा	चेजा पत्थर	हरमाडा	450.00
282.	महेशचन्द मिश्रा, थली	मार्बल	थली	12.380.52
283.	रामरतन, खण्डेलवाल भानगंज	चेजा पत्थर	टेलडीवाली दौसा	00.38
284.	अब्दुल हमीद, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	876.00
285.	अब्दुल अजीज, जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	4,186.89
286.	रामजीवन धावाई, जयपुर	चूना पत्थर	पासलवाल	659.95
287.	महाराजकुमार सुरेन्द्रपाल, जयपुर	ईंट मिट्टी	बगराना	3,605.48
288.	श्रीमती रतनदेवी शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	सानकोटडा	10.219.47

1	2	3	4	5
289.	गिरधारलाल शर्मा शाहपुरा	चेजा पत्थर	खोरी	552.59
290.	मोहम्मद रफीक, जयपुर	चूना पत्थर	सानकोटड़ा	4,525.49
291.	कैलाश चन्द सौगानी, जयपुर	चूना पत्थर	जारडा	7,383.60
292.	कन्हैयालाल, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाडा	264.96
293.	मै. खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति बस्सी	ईंट मिट्टी	लखेसरा	3.50
294.	कैलाशचन्द सौगानी, जयपुर	चेजा पत्थर	लक्ष्मण डूंगरी	3,406.15
295.	राजेन्द्रप्रसाद मित्तल, झोटवाडा	एजन	टोडा टेकला	1,049.88
296.	रामेश्वर दयाल शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	सरजोली	8,643.23
297.	वृजमोहन माली, जयपुर	चेजा पत्थर	ओडा खोला	1,024.90
298.	ओमप्रकाश जाजोदिया	चूना पत्थर	रायपुर	2,939.57
299.	दामोदर प्रसाद शर्मा, जयपुर	एजन	गोठपालडी	5,838.00
300.	कन्हैयालाल माली, खरमाड़ा	चेजा पत्थर	नीदड	1,104.76
301.	शेरसिंह नागल भरडा	एजन	परवाना	460.04
302.	अजयपालसिंह, जयपुर	ईंट मिट्टी	जामडोली	109.50
303.	राधामोहन जोशी सिकन्दरा	चेजा पत्थर	गोजगढ़ चान्दपुर	2,102.59

1	2	3	4	5
304.	मक्खनसिंह, जयपुर	एजन	अचरोल	1,552.59
305.	मैसर्स वस्सी मार्बल स्टोन कम्पनी जयपुर	मार्बल	भोनियाला	612.80
306.	मक्खनसिंह, जयपुर	चेजा पत्थर	अन्नी	716.14
307.	श्रीमती नारंगी देवी, जयपुर	एजन	भोपास	3,467.85
308.	जगमालसिंह, जयपुर	एजन	नीदड़ बेनाड	901.80
309.	जयदेव राजोरिया, बान्दीकुई	एजन	धयावन	394.38
310.	लालचन्द जयपुर	एजन	हरमाडा	709.62
311.	मनोहर निगम, जयपुर	एजन	हरमाडा	770.20
312.	प्रेमचन्द जैन मोजमाबाद	एजन	दातली सरोली	825.00
313.	हीरा लाल बलाई, बैराठ	एजन	बैराठ पालडी	547.20
314.	कैलाशचन्द झा बान्दीकुई	चेजा पत्थर	रावासतिसकी डूंगरी	334.93
315.	मै. हिन्दुस्तान माइन्स एण्ड ट्रेडर्स जयपुर	चूना पत्थर	सरजोली	2,114.43
316.	महेन्द्र भार्गव अलवर	चेजा पत्थर	दौसा टेलडी वाली	2,68 86
317.	नागरमल सहासरिया, कानोता	ईंट मिट्टी	कानोता	1,068.45
318.	नानगराम कुम्हार, राहोरी	चूना पत्थर	राहोरी	55.00
319.	मनोहर निगम, जयपुर	चेजा पत्थर	हरमाडा	1,[illegible].19

(337)

1	2	3	4	5
320.	नाथूराम रेगर हरमाडा	चेजा पत्थर	उदयपुर घाटी	758.22
321.	नूथाराम हरमाडा	चेजा पत्थर	मांचेडा	228.60
322.	देवीलाल कुमावत, कोठी बालू की ढाणी	एजन	नीदड़ बैनाड	3,545.12
323.	सुनील खण्डेलवाल, जयपुर	एजन	चौमोरी	238.36
324.	सिरेमिक्स मिनरल्स, जयपुर	मार्बल	भोनियाला	1,841.39
325.	नन्दकिशोर शर्मा, जयपुर, गीजगढ़	चेजा पत्थर	गीजगढ़ चन्दपुर बालाजी के पास	1,806.86
326.	हनुमान प्रसाद चौधरी कोटपूतली	एजन	नारेडा	167.00
327.	सूरजमल अग्रवाल जयपुर	चूना पत्थर	श्यामपुरा की डूंगरी	5,543.09
328.	नागर ननसुहासरिया कानोता	ईंट मिट्टी	कानोता (28.4.67 से)	451.15
329.	हरिप्रसाद योगी सवासा	चेजा पत्थर	हाथनोदा की डूंगरी	1,892.60
330.	नानगराम माली, सामोद	एजन	सामोद	129.81
331.	नानगराम माली, सामोद	एजन	दौसा	113.95
332.	प्रभुदयाल अरोड़ा, जयपुर	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	2,674.84
333.	मोहनलाल गोयल, जयपुर	चेजा पत्थर	रामगढ मोड़ ओंडाखोला	30.00
334.	विश्वम्भर दयाल तिवाड़ी, जयपुर	ईंट मिट्टी	मदरामपुरा	7,226.80

1	2	3	4	5
335.	नायक बेग जयपुर	चूना पत्थर	रायपुर	10,631.15
336.	खेरूराम सानकोटडा	एजन	सानकोटडा	844.91
337.	बाबूलाल जैन	एजन	रायपुर (2)	6,759.89
338.	नवीनचन्द जैन	एजन	रायपुर	1,350.35
339.	पूनमचन्द सोगानी, जयपुर	एजन	सरजोली	3,477.65
340.	बाबूलाल जैन	एजन	रायपुर (1)	8,384.00
341.	मूलचन्द शर्मा, जयपुर	एजन	सानकोटरा	1,271.08
342.	अजमेरा लाइम स्टोन कम्पनी जयपुर	एजन	रानीजी की खान	108.60
343.	स्वरूप नारायण अग्रवाल	एजन	जारडा सरजोली	5,329.00
344.	नाथूलाल अग्रवाल	एजन	जारडा	5,567.42
345.	बद्रीनारायण जगन्नाथ राहोरी	एजन	राहोरी	1,910.75
346.	भगवान दास अग्रवाल, जयपुर	एजन	रायपुर	5,805.96
347.	ब्रजविहारी अग्रवाल, जयपुर	काला मार्बल	खई की डूंगरी	146 85
348.	मूलचन्द शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	सरजोली	5,193.74
349.	रिखबचन्द जैन, जयपुर	चूना पत्थर	पालडी	13.194.53

339

1	2	3	4	5
350.	मदनलाल अग्रवाल	एजन	गोरेट	11.681.10
351.	भैरूलाल अग्रवाल, जयपुर	चेजा पत्थर, पट्टी कातला	कानोता	957.13
352.	रामप्रताप मीणा, घोपुर	चेजा पत्थर	धूला	286.02
353.	लड्डूलाल, जयपुर	चूना पत्थर	श्यामपुरा	1,920.00
354.	राजकुमार गुप्ता, अलवर	चेजा पत्थर व पट्टी कातला	भांवरी	2,04,061.45
355.	माधोलाल गुप्ता, सरोली	चेजा पत्थर	दांतली सरोली	11.72
356.	रमजान खां चाकसू	झाझरा कंकर	किरतपुरावाली खान	618.87
357.	कल्याण जैन, लवाण	चेजा पत्थर	टोरडा	202.12
358.	रामेश्वर लाल पाटनी, जयपुर	चूना पत्थर	गोरेट	275.68
359.	भगवान सहाय बैद	झाझरा कंकर	नोई का खारडा	236.10
360.	गोविन्द शरण सर्राफ, जयपुर	बजरी मोरम	बस्धा	6,402.24
361.	सुधीलाल	एजन	एजन	35.35
362.	राधेश्याम सिरोली	चेजा पत्थर	लालगढ़	50.24
363.	रामकरण शर्मा, खरखडा	चूना पत्थर	पालड़ी	9,940.23
364.	मूलचन्द शर्मा, जयपुर	चूना पत्थर	पालड़ी	6,865.93
365.	श्रीमती कानी देवी	बजरी	डूडनदी	3,395.00

1	2	3	4	5
366.	मै. भारत मिनरल डवलपमेन्ट सिन्डीकेट	चूना पत्थर	बन्धा	32,117.92
367.	मै. कानोता ईंट मिट्टी उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, कानोता	ईंट मिट्टी	कानोता	2,055.35
368.	राधेश्याम	चूना पत्थर	हल्दीघाटी	857.83
369.	शैलेन्द्र प्रसाद	चेजा पत्थर	लालसोट	280.00
370.	अब्दुल शकूर काजी	माइका	अमरपुरा	362.13
371.	रामेश्वर दास सोडनी	आयरन ओर	सिगपुरी	15,180.05
372.	मयूर मिनरल सिन्डीकेट	आयरन ओर	मोरीजा	16,823.68
373.	श्याम इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन	सोपस्टोन	वस्सी	14,760.92
374.	अब्दुल गफूर	व्हाइट क्वार्टज	देवल	827.77
375.	माधोलाल चौधरी	सिलिका सैण्ड	सोमोद	5,495.41
376.	रामेश्वर दास सोडानी	सोप स्टोन	सिगपुरी	8,358.00
377.	नाथूलाल चौधरी	रॉकफॉस्फेट	बुवारा	5,890.29
378.	मै. रूपनारायण राधेश्याम	सिलिका सैण्ड	बनेड़ा घाटा	776.11
379.	एस कुमार लाखोटिया	सोप स्टोन	थली	12,419.50

1	2	3	4	5
380.	गजानन्द लक्ष्मीनारायण	आयरन ओर	राजाली	13,796.37
381.	पशुपति एण्ड कम्पनी	सोप स्टोन	डानीवाड़ा	8,799,09
382.	मै. श्याम इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन	सोप स्टोन	बस्सी	2,002.16
383.	एस कुमार लाखोटिया	सोप स्टोन	रायसोला	24,190.84
384.	माधोसिंह चौधरी	गारनेट	महुआ	5,739.84
385.	मै. पशुपति एण्ड कम्पनी	आयरन ओर	नारोरी	4,512.09
386.	भगवती सहाय खण्डेलवाल	सिलिका सैण्ड	खोरा	427.31
387.	शिवनाथ राय	डोलोमाइट	रायवाला	8,621.73
388.	शिवनाथ राय	सिलिका सैण्ड	भौरा	3,768.85
389.	जयदेव	सिलिका सैण्ड	पावन वाड़ा	4,559.50
390.	भवरलाल गोदोका	माइका	भेजपुरा	7,413.32
391.	श्यामलाल गुप्ता	सिलिका सैण्ड	रानाली	1,480.66
392.	कन्हैयालाल जोशी	सिलिका सैन्ड	नागल	1,466.23
393.	दामोदर खण्डेलवाल	आयरन ओर	मोरीजा	3,129.73
394.	केशवदेव पुरोहित	सिलिका सैण्ड	वासखो	1,959.06

1	2	3	4	5
395.	हरीनारायण अग्रवाल	सोप स्टोन	बुज	6,855.00
396.	रामजीवन धाबाई	क्वाटर्ज	चोप	989.72
397.	विजय प्रकाश मित्तल	माइका	डोगरा	36.08
398.	बासको सिलिका उत्पादन सहकारी समिति	सिलिका सैण्ड	बासको	11,578.79
399.	श्यामसुन्दर लोहिया	सोप स्टोन	बेनाड़ा	3,624.86
400.	सतदेव शर्मा	क्वाटर्ज	रींयसोला	395.63
401.	हनुमान सहाय वर्मा	सोप स्टोन	बरान्डा	200.85
402	सीताराम जोशी	सिलिका सैण्ड	नातेला	1,333.94
403.	भवानीसिंह	चायनाक्ले/सिलिका सैण्ड	रूपारी	1,621.21
404.	दामोदर दास खण्डेलवाल	आयरन ओर	मोरीजा	2,186.50
405.	रामेश्वर दास पारीक	सोप स्टोन	बालेतर	1,418.04
406.	बजरंग सहाय शर्मा	क्रिस्टल क्वाटर्ज	डाडवाना	3,019.55
407.	बिलाला मिनरल्स	यलो आकर	बासनी	828.99
408.	मैसर्स विक्ट्री माइका	माइका	मोजपुरा	386.53
409.	पुरूषोतम लाल तेला	फैलसफार	लदेरा	829.53

343

(35)

1	2	3	4	5
410.	भरतमल अग्रवाल	सिलिका सैण्ड	कुण्डल	1,402.04
411.	एन. सी. अग्रवाल	सिलिका सैण्ड	गिरोटा	440.13
412.	हरीशंकर शर्मा	सोप स्टोन	लालसोट	1,504.93
413.	श्यामलाल गुप्ता	सिलिका सैण्ड	पालड़ी	27,495.81
414.	नन्दलाल अग्रवाल	आयरन ओर	मोरीजा	809.37
415.	गुलाबचन्द झाड़चूर	सिलिका सैण्ड	जमवारामगढ़	400.02
416.	जगदीश नारायण माथुर	केलसाइट क्वार्ट्ज	बोनावास	7,415.13
417.	सत्यदेव पारीक	सिलिका सैण्ड	मानोता	10.51
418.	बी. एन. पारीक	एजन	एजन	120.05
419.	महेशचन्द गुप्ता	क्वार्ट्ज	अमरापुरा	600.00
420.	प्रेमचन्द जैन	सिलिका सैण्ड	गिरोटा	6,709.60
421.	अजयकुमार अग्रवाल	सोप स्टोन	तेवरी	3,800.50

1	2	3	4	5
422.	राजस्थान खनिज एजेन्सी	सोप स्टोन	दातली	1,000.50
423.	हरहरीलाल शर्मा	आयरन ओर	खोनागोरियान	7,018.77
424.	प्रकाशचन्द जैन	फैलसफार आयरन ओर	नधाला	3,340.74
425.	पदमचन्द विनयचन्द	सोप स्टोन	खवाराव जी	4,722.56
426.	जयपुर सिलिका सप्लाई	सिलिका सैन्ड	झर	2,500.00
427.	मोदी लेवीगेटेड का.	व्हाइट क्ले	नीमली	1,590.04
428.	एजन	चायना क्ले	भाभरू	7,506.00
429.	एजन	सोप स्टोन	डागोता	9,375.00
430.	मुल्तानसिंह	सिलिका सैण्ड क्वार्टज	भाखरी	383.44
431.	राष्ट्रीय खनिज उद्योग	सिलिका सैण्ड	साऊ	1,462.69
432.	श्रीमती अनुप कंवर पारीक	ब्ल्यू क्वार्टज	लोबरियावास	1,348.88
433.	सीताराम गुप्ता	गारनेट	खटवाड़	1,774.88

1	2	3	4	5
434.	जगदीश नारायण माथुर	कैलसाइट व क्वार्टज	फतेहपुरा	2,888.00
435.	कैलाश कुमार पारीक	सिलिका सैण्ड	पूला	500.00
436.	राजेश कुमार माहेश्वरी	सिलिका सैण्ड	पालड़ी	200.00
437.	हिन्दुस्तान मिनरल ग्राइण्डिग मिल्स	यलो ऑकर	खेड़ा	302.74
438.	जगन्नाथ शीशावाला	सिलिका सैण्ड	पालड़ी	800.00
439.	कैलाशचन्द्र अग्रवाल	सोप स्टोन	आमलोदा	2,461.29
440	अशोका मिनरल्स	सोप स्टोन	कलजपुरी	8,725.63
441.	मै. वसुन्धरा उद्योग	सोप स्टोन	गीजगढ़	17.40
442.	हनुमान सहाय गुप्ता	सोप स्टोन	कलजपुरी	2,007.50
443.	ए. एस. माथुर	चायना क्ले केलसाइट	नई ढाणी	2,190.67
444.	गोकुल नारायण पारीक	डोलोमाइट	रायसोला	7,808.30
445.	राजेन्द्र कुमार पुरोहित	सिलिका सैण्ड	नईका नाथ	1,759.95

1	2	3	4	5
446.	हरि शंकर शर्मा	सोप स्टोन	उगोह	7,880.80
447.	चिरंजीलाल गुप्ता	सिलिका सैण्ड	चूरला	550.79
448.	श्रीमती चन्द्रा कुमारी ढढ्ढा	सिलिका सैण्ड	सरजोली	2,814.50
449.	हरिश चन्द्र मोदी	सोप स्टोन	श्री नगर	390.63
450.	केदार प्रसाद गुप्ता	रेड ऑकर	चितोड़ी	771.00
451.	प्रकाश चन्द जैन	आयरन ओर	नीमला	488.84
452.	गोवर्धनलाल शर्मा	मायका फैलसपार आदि	खिलौना	398.50
453.	भाभा मिनरल	सिलिका सैण्ड	तूंगा	593.62
454.	सिंघल सन्स माइन्स	सोप स्टोन डोलोमाइट	कालेड़	22,164.73
455.	शक्ति मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	खोरी	600.00
456.	हनुमान सहाय गुप्ता	सिलिका सैण्ड	कुण्डल	3,972.25
457.	हरिशचन्द्र शर्मा	सिलिका सैण्ड	सामोद	3,687.34

347

1	2	3	4	5
458.	ए. एस. माथुर	व्हाइट-क्ले	खिलौना	3,021.57
459.	ए. एस. माथुर	व्हाइट-क्ले	ढाणी रूपवास	6,980.40
460.	पदमचन्द विनय चन्द जैन	सोप स्टोन (कमल माइन्स)	खवा	10,086.59
461.	मै. राज. खनिज एजेन्सी	सोप स्टोन डोलोमाइट	रायावाला	16,474.32
462.	महालक्ष्मी मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	सामोद	18,116.77
463.	प्रकाशचन्द जैन	सोपस्टोन	खवारावजी	10,000.00
464.	ग्यारसीलाल अग्रवाल	सोपस्टोन	पीलवा	5,673.16
465.	जयपुर सिलिका सप्लाई कं.	सिलिका सैण्ड	झर	2,500.00
466.	मै. सिंघल सन्स	सोपस्टोन-डोलोमाइट	कालेड	22,164.23
467.	मै. मोदी लेविगेटेड काम्रोलियन	आयरन ओर	बनियाका बास	52.50
468.	पदमचन्द विनय चन्द जैन	सोपस्टोन	खवारावजी	4,722.56
469.	प्रेमचन्द जैन	सिलिका सैण्ड	गिरोटा	7,709.60

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 16.2.87 को रही बकाया की सूची

नीम का थाना

क्र. सं.	नाम बकाया धारी	खनन पट्टे का विवरण	बकाया राशि
1.	श्री एस. के. ब्रदर्स	कैलमाइट मावडा	6321.00
2.	,, वि. पी. डीडवानिया	सोप स्टोन फतहपुर	4953.73
3.	,, खेमका एण्ड कम्पनी	सोप स्टोन काली पहाड़ी	2000.00
4.	,, मयूर भंज मिनरल्स कं.	कैलसाइट मावण्डा	119,00
5.	,, डूंगरमल सर्राफ	कैलसाइट सलादीपुरा	1520.00
6,	,, मातादीन अग्रवाल	माइका मावण्डा	8707.91
7.	,, मालीराम जोशी.	माइका मावण्डा	1322.78
8.	,, सीताराम सोढानी	माइका मावण्डा	165.39
9.	श्रीमती बीना जोशी.	सोप स्टोन व हीरावास	15951.00
10.	श्री नौरंग राम जाट	चे. प. डुडिया मण्डोली	208.72
11.	,, भजन लाल चौबे	चूना पत्थर घोली डूंगरी	2584.70
12.	,, सीताराम शर्मा नवलगढ़	चूना पत्थर काली डूंगरी	2012.50
13.	,, राधेश्याम चौधरी	चे. प. देव रोड	36098,52
14.	,, सुगन सिंह	चूना पत्थर घोली डूंगरी	7849.04
15.	,, प्रभाती लाल मीरपुर	बजरी कंकर डावला	1495.87
16.	,, नौरंग राम जाट	चे. प. मान पहाडी	80.73

1	2	3	4
17.	श्री प्रभाती लाल मीरपुरा	बजरी विहार	59.89
18.	,, शेर सिह	बजरी भगतपुरा	193.13
19.	,, शिशपाल	बजरी विशनपुरा	15.96
20.	,, प्रभाती लाल	झाझरा कंकर महपालवास	1611.80
21.	,, हजारी मल	झाझरा कंकर बाप	103.30
22.	,, निरपुर स्टोन क्रेशिंग कं.	चूना पत्थर भोजनगर	10588.94
23.	,, हरी शंकर मोदी	चे. प महावा	391.25
24.	,, सुन्दर लाल नारनोल	मारबल जिलो	94032 00
25.	,, बृज मोहन मोदी	बजरी गावडी नदी	209.24
26.	,, ओंकार मल	बजरी गावडी नदी	987 50
27.	,, सुशील सुमार तोतला	बजरी भानोता नदी पी. नं. 6 से 9	9049.34
28.	,,	प्लोट नं. 10 से 12	3416.67
29.	,,	पी. नं. 1 से 3	2050.09
30.	,,	पी. नं. 4 से 5	3357.67
31.	,, भागीरथ मल	चे. प. बनवारी की डूगंरी	1071.53
32.	,, जगदीश प्रसाद	चे. प. पेमावाली पहाड़ी	3502.69
33.	,, मदन मोहन शर्मा	चे. प. भरोत	1931.10
34.	,, राम सिह साई	चे. प. राजोता	6913,80
35.	,, रामेश्वर लाल	आर. सी. सी. बूटोली	1283,85
36.	,, बलबीर सिह	आर. सी. सी. रैवास	682.50

1	2	3	4
37.	श्री रोशन अली	आर. सी. सी. सांगरवा	2528.75
38.	,, कजोड मल	चे. प. जय पहाड़ी	6830.00
39.	,, फैजू खां	ईंट मिट्टी वोड	3000.00
40.	,, ताज मौहम्मद	चे. प. किशोर पुरा	245.19
41.	,, दीन दयाल अग्रवाल	लाईम स्टोन खिबोड	34426.97
42.	,, लाल चन्द	आर सी सी भोपा हर्ष	1420.00
43.	,, लाल चन्द	आर सी सी मण्डावरा	2253.00
44.	,, रतन लाल	बजरी क्सई नदी	1595.38
45.	,, रतन लाल जैन	आर सी सी मण्डावरा	2080.00
46.	,, महावीर प्रसाद	चूना पत्थर रूप नगर	5190.64
47.	,, –	चे. प. आकावाली	625.00
48.	,, छोटू राम	चे. प. नृसिंह पुरी	2759.27
49.	,, जगमाल सिंह	चे. प. मन्सा देवी	1081.54
50.	,, –	चे. प. मोडिया पहाड़	697.01
51.	,, –	चे. प. भरोत पहाड़ी	882.85
52.	,, लक्ष्मण सिंह	चे. प. जय पहाड़ी	245.94
53.	,, केसर देव	आर सी सी सांगरवा	1343.61
54.	,, राज कुमार	चे. प. इस्क पुरा	569.63
55.	,, चतर सिंह	चे. प. लोरडा	3237.55
56.	,, सुशील कुमार तोतला	बजरी डावला नदी	326.03
57.	,, –	बजरी बिहार नदी	900.58
58.	,, –	बजरी डावला नदी	101.86
59.	,, शिव दयाल नारनौल	बजरी जमलपुर	576.88
60.	,, प्रताप सिंह	चे. प. पिलानी पहाड़ी	1380.00

1	2	3	4
61.	श्री मदन लाल पुजारी	चे. प. टोडी डुडिया	375.00
62.	,, नत्थू सिंह	बजरी उदयपुर नांगल	21452.50
63.	,, प्रहलाद राम जाट	चे. प. चनाना	575.00
64.	,, हनुमान सिंह	चे. प. बिवासर	2531.25
65.	,, भंवर लाल	चे. प. गुढी जाटावाला	2072.36
66.	,, गणपत लाल गूजर	आर सी सी बूटोली भेरी डूंगरी	2250.00
67.	,, घासी खां	आर सी. सी. पूनोली	1125 00
70	,, जगदीश प्रसाद	चे. प. पीपलपुर	618.00
69.	,, –	चे. प. राजगढ़	1250 00
70.	,, –	झाझरा कंकर	650.00
71.	,, –	,,	626.00
72.	,, बृज मोहन मोदी	चे. प. महापा	1296.00
73.	,, शिवलाल हरीजन	चे. प. पीठाला पहाड़ी	1500 00
74.	,, रामेश्वर सिंह	चे. प. खेरोड़ पहाड़ी	2301.00
75.	,, भद्दूराम चमार	चे. प. भराला	617.00
76.	,, अली मोहम्मद	चे. प. मालपुरा	1542.90
77.	,, मालाराम हरिजन	चे. प. महावा	946.00
78.	,, लक्ष्मण राम जाट	चे. प. खेतपुरा	787.50
79.	,, –	–	802.50
80.	,, फूल चन्द मीना	चे. प. बखाडी का डूंगरी	10.00
81.	,, महादेवी जोगी	चे. प. भादरवाली	431.25

1	2	3	4
82.	श्री शिशपाल चमार	चे. प. फतेहपुरा	1114.80
83.	,, टीलाराम चमार	चे. प. भरोत पहाड़ी	694.00
84.	,, ईशर नायक	चे. प. टोडी डुडिया	492.94
85.	,, रामस्वरूप जाट	चे. प. भादरवाली	875.00
86.	,, भवानी ईंट व चूना उद्योग	ईंट मिट्टी बादलबास	250.00
87.	,, सुधीन्द्र कुमार	चे. प. प्रीथमपुरी	975.00
88.	,, हरी प्रसाद शाह	क्वार्ट्ज एवं एसबेसटस	36.00
89.	,, फतह चन्द	कैलसाईट नागलिया	1618.80
90.	,, –	गारनेट एग्रेसिव भवानपुरा	3281.26
91.	,, विश्वंभर दयाल	चे. प. बबाई	1500.00
92.	,, बसंत लाल गोरवाल	चे. प. मोहिया पहाड़	842.00
93.	,, रामस्वरूप जाट	चे. प. पिलानी पहाड़ी	1302.50
94.	,, रामनारायण विजय	चे. प. कुशलपुरा	1500.00
95.	,, महेन्द्र जाट	चे. प. चनाना पहाड़ी	1025.00
96.	,, किरोडी मल मोदी	फायर क्ले गिरावड़ी	1006.25
97.	,, फतेह चन्द	एसबेसटस-करजां	852.32
98.	,, नाहर राम मीना	झाझरा कंकर महावा	500.00
99.	,, विष्णु दत्त सेठी	चे. प. मानगढ़	1350.00
100.	,, बाबू सिंह	झाझरा कंकर मिशन की ढानी	1500.00
101.	,, पूर्ण मल मितल	क्वार्ट्ज राजोता	780.47
102.	अनवर हुसैन	चे. प. काना पहाड़	975.00

(354)

1	2	3	4
103.	श्री रिछपाल सैनी	झाझरा कंकर मोलाना की ढानी	900.00
104.	,, सत्यनारायण चमार	चे. प. महावा	750.00
105.	,, बाबू सिंह	झाझरा कंकर बन्शा की ढानी	1000.00
106.	,, बिहारी लाल मगोटीया	कैलसाईट लाका का नागंल	245.37
107.	,, –	कैलसाईट बंबाई	2023.44
108.	,, फतेह चन्द	रेड ओकर उदयपुर-वाटी	750.00
109.	,, –	क्वार्ट्ज एवं सिलिका बागोरा	468.75
110.	,, फूल चन्द मीना	चे. प. बरवाडी की डूंगरी	375.00
111.	,, पृथ्वी राम चमार	चे. प. नारी पहाड़ी	1000.00
112.	,, रतन लाल महाजन	ईंट मिट्टी गांवडी	540.00
113.	,, निजामुद्दीन खां	क्वार्ट्ज चिराणी	312.50
114.	,, श्रीमती मधु अग्रवाल	क्वार्ट्ज बागवाला	225.00
115.	,, बजरंग लाल नायक	चे. प. मोडिया पहाड़	650.00
116.	,, बाबू लाल कुम्हार	–	075.00
117.	,, लाल राम	चे. प. खेतपुरा	375.00
118.	,, सुभाष चन्द	चे. प. पिलानी पहाड़ी	375.00
119.	,, मोदी मिनरल्स ग्रा. मिल्स	क्वार्ट्ज किशोर पुरा	404.62
120.	,, फतेह चन्द	एसबेसटस करजो	426 66

1	2	3	4
121.	श्री द्वारका प्रसाद जांगीड	चे. प. मंशा देवी	468.75
122.	,, –	–	468.75
123.	,, –	–	468.75
124.	,, राम निरंजन तुलस्यान	चे. प. गुढा	452.75
125.	,, सूरज मल जाट	चे. प. हथोरा	268.75
126.	,, धन्ना पुत्र मोटा	चे. प. मोदी	495.00
127.	,, मोहन लाल शर्मा	चे. प. हथोरा	375.00
128.	,, शिव कुमार भारद्वाज	चे. प. पीतलपुर	375.00
129.	,, मदन सिंह	चे. प. मालीपुरा	450.00
130.	,, गुरु दयाल	चे. प. बन्धा की ढानी	750.00
131	,, मोदी मिनरल्स ग्रा. मिल्स	कैलसाईट रायपुर मुल्कपुरा	1456.88
132.	,, भगवतीशरण खण्डेलवाल	कैलसाईट मोलाला की ढानी	600.00
133.	,, फतेह चन्द	कैलवाईट ढाढा	390.65
134.	,, –	कैलवाईट बैनसाल	792.19
135.	,, भोलाराम रैगर	चे. प जंस पहाड़ी	281.75
136.	,, महीपाल सिंह	चे. प. नारी पारी पहाड़ी	257.81
137.	,, मोहन सिंह चौधरी	चे. प. कांवट	262.50
138.	,, मदन लाल	जे. प. नारी सारी पहाड़ी	257.81
139.	,, वेद प्रकाश आर्य	लाईम स्टोन भोजनगर	1250.00
140.	,, राजसिंह	चे. प. नारी सारी पहाड़ी	750.00

1	2	3	4
141.	श्री महावीर प्रसाद	झाझरा कंकर गुडापोख	495.00
142.	,, रामप्रताप चमार	चे. प. बारी पहाड़ी	430.00
143.	,, पृथ्वी राम चमार	–	500.00
144.	,, रामसिंह ओम प्रकाश	चर्ट बादल वास	1000.00
145.	,, रामेश्वर चमार	चे. प. रोडी	563.00
146.	, श्याम सुन्दर शर्मा	ईट मिट्टी भोज तलाई	468.00
147.	,, ओरियन्टल टाल्क प्रोडक्ट प्रा. लि.	कैलसाईट चूना पत्थर रामपुरा	1020.05
148.	,, बनवारी लाल अग्रवाल	आयरन और बादलवास	242.82
149.	,, फतेह चन्द	पासरो फाईलाईट उदयपुर वाटी	645.98
150.	,, नागर मल चमार	चे. प. नारी खेतडी	258.75
151.	,, विशेषवर दयाल महाजन	ईट मिट्टी हिराजी की ढानी	682.50
152.	,, मोठूराम सैनी	चे. प. प्रभूसिंह की डूंगरी	262.50
153.	,, भगवान सहाय जाट	चे. प. हथोरा	375.00
154.	,, रामेश्वर चमार	चे. प. टोडी डूंगरी	563.00
155.	,, सूरजमल जाट	चे. प. हथोरा	312.50
156.	,, रामप्रताप चमार	चे. प. काना पहाड़	750.00
157.	,, गोविन्द सिंह	चे. प. मोडी डूंगरी	287.50
158.	,, राम सहाय जाट	ईट मिट्टी हिराजी की ढानी	580.00
159.	किशन लाल सैनी	चे. प. थोई	300.00

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर

क्रमांक	नाम पार्टी	खनिज	क्षेत्र	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	महालक्ष्मी मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	सामोद	10000.00
2.	आनन्दकुमार शर्मा	चूना पत्थर	गोठपालडी	2903.25
3.	राष्ट्रीय पाषाण उद्योग लि.	चूना पत्थर	धानीवाड़ा	10388.13
4.	श्रीमती सुमनलता पारीक	चूना पत्थर	रायसाला	2906.50
5.	मै. सीधन सन्स माइन्स	डोलोमाइट	कालेड	5000.00
6.	मै. सीधन सन्स माइन्स	सिलिका सैण्ड	गिरोटा	2500.00
7.	प्रमोद कुमार	चैजा पत्थर	गुढ़ा कटला	256 00
8.	प्रकाशचन्द जैन	सिलिका सैण्ड	जमवारामगढ़	2600.00

357

1	2	3	4	5
9.	मोहनलाल अग्रवाल	मार्बल	कुजोता	3505.00
10.	जगन्नाथ शीशावाला	सिलिका सैण्ड	पालड़ी	1871.05
11.	मदन लाल पुरोहित	सिलिका सैण्ड	बांसखो	365.80
12.	राजेन्द्र कुमार पुरोहित	सिलिका सैण्ड	नईकानाथ	1173.30
13.	गोकुल नारायण पारीक	डोलोमाइट	रायसाला	2000.00
14.	रामराय शर्मा	चूना पत्थर	खरखड़ा	4541 00
15.	कल्याण सहाय गूजर	चेजा पत्थर	नीदड़	400.00
16.	ब्रह्मानन्द जोशी	चेजा पत्थर	खोरा सरणा	344.00
17.	सुनील बाकलीवाल	चूना पत्थर	श्यामपुरा	636.00
18.	श्री उदमीराम	चेजा पत्थर	रामपुरा	580.00
19.	श्री नानगराम	झांझरा कंकर	भांखरी	467.50
20.	श्री नानगराम	झांझरा कंकर	भांखरी	340.00

1	2	3	4	5
21.	रूपनारायण शर्मा	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1000.00
22.	नारायण लाल शर्मा	चूना पत्थर	सानकटोरा	2904.00
23.	रामाकान्त व्यास	चूना पत्थर	रायसाला	2980.00
24.	आनन्दीलाल रेगर	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1500.00
25.	रूपनारायण कुमावत	चेजा पत्थर	उंथी	350.00
26.	रामाकान्त व्यास	चूना पत्थर	रायसोला	2000.00
27.	हजारी लाल रेगर	चेजा पत्थर	हरमाडा	750.00
28.	मै. कृष्णा ब्रिक्स एवं लाइम वर्क्स	ईंट मिट्टी	जगदीशपुरा	2400.00
29.	ज्ञान चन्द	चेजा पत्थर	बढारना	10,0.00
30.	अशोक कुमार अग्रवाल	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	500.00
31.	रेवडराम	चेजा पत्थर	माचेड़ा	393.00
32.	रामेश्वर	चेजा पत्थर	बैराठ	878.00

1	2	3	4	5
33.	जगन्नाथ सिंह	ईंट मिट्टी	कानोता	1590.00
34.	रामजीलाल	चेजा पत्थर	नीदड़गोपाली	94.00
35.	प्रताप	चेजा पत्थर	मोखमपुरा	1000.00
36.	रामकुमार शर्मा	चेजा पत्थर	खोरा सरणा	343.00
37.	जगदीश माली	चेजा पत्थर	शाहपुरा	265.00
38.	सत्य नारायण शर्मा	चेजा पत्थर	खरोदा	1125.00
39.	ज्ञानचन्द गगवाल	चूना पत्थर	गोरेटा	3465.00
40.	रूपनारायण शर्मा	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	1500.00
41.	अनिलकुमार पारीक	लाइम स्टोन	रायपुर	10000.00
42.	श्रीनिवास वैध	चेजा पत्थर	बीथावाला	900.00
43.	मंगलाराम	चेजा पत्थर	नरवलदास का खोला	312 50

1	2	3	4	5
44.	श्रीमती अचनदेवी	चेजा पत्थर	खोरा सरणा	56.25
45.	मांगीलाल	चेजा पत्थर	उदयपुरिया	600.00
46.	भरतसिंह	चेजा पत्थर	हरमाड़ा	1570.00
47.	अनिलकुमार	चूना पत्थर	रायपुर	4550.00
48.	रामा ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	ईंट मिट्टी	खो नागोरियान्	1302.00
49.	दामोदर लाल विजय	लाइम स्टोन	रायपुर	1280.00
50.	ग्यारसीलाल	चेजा पत्थर	आकोदा	800.00
51.	जेठमल सेठी	क्वाटर्ज/फैलसफार	धान्धोली	1500.00
52.	मोहनलाल अग्रवाल	लाइम स्टोन	कुजोता	11380.00
53.	मालीराम अग्रवाल	ईंट मिट्टी	विजयपुरा	750.00
54.	जगदीश नारायण	ईंट मिट्टी	पालड़ी मीणा	4000.00

1	2	3	4	5
55.	मदनलाल पुरोहित	सिलिका सैण्ड	वासको	365.75
56.	मोदी लेवीगेटेड	व्हाइट क्ले	नीमली	1590.04
57.	श्री गोवर्धन लाल शर्मा	क्वार्टज	साबुन	57.50
58.	गुलाबचन्द शर्मा	मार्बल	श्रीरामगोपालपुरा	3212.00
59.	राजस्थान खनिज एजेन्सी	डोलोमाइट	रायावाला	5000.00
60.	गोकुल नारायण आदित्य नारायण	चूना पत्थर	रायपुर	15,000.00
61.	दामोदर लाल विजय	चूना पत्थर	रायपुर	4900.00

दिनांक 16.2.83 से 28.2.83 तक हुई जमा हुई राशि का विवरण

क. सं	नाम पट्टाधारी	खनन पट्टे का विवरण	जमा राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	सागरमल नायक	चेजा पत्थर पिलानी	462.50	दिनांक 16.2.83 की सूची में यह राशि नहीं है।
2.	रामेश्वर चमार	चेजा पत्थर टोड़ी	563.00	वकाया सूची में क. 154 पर है।
3.	भगवानाराम मीणा	चेजा पत्थर खातेपुरा अधिक रायल्टी	428.00	वकाया सूची में यह राशि नहीं है।
4.	सोहन सिंह चौधरी	चेजा पत्थर काबट	262.00	वकाया सूची में क. 137 पर है।
5.	भगवानाराम मीणा	चेजा पत्थर खातेपुरा	306.25	वकाया सूची में यह राशि नहीं है।
6.	महेन्द्र जाट	चेजा पत्थर चनानान	1,126.00	वकाया सूची में क. सं. 95 पर है।
7.	द्वारिका प्रसाद जांगिड़	चेजा पत्थर मंशा देवी प्लाट नं. 1 से 3	1,406.25	वकाया सूची में क्रम सं. 121 से 123 पर है।
8.	रामस्वरूप जाट	चेजा पत्थर पिलानी	275.00	वकाया सूची में क. सं. 93 पर है।

1	2	3	4	5
9.	महेश कुमार शर्मा	चेजा पत्थर, बजरी, अजीतगढ़	500.00	बकाया सूची में यह राशि शामिल नहीं है।
10.	रामस्वरूप जाट	चेजा पत्थर भादर वाली	500.00	बकाया सूची में क्रम सं. 85 पर है।
11.	राधाकिशन गूजर	क्वार्टज एण्ड सिलिका मालाडेरा	1,092.75	बकाया सूची में यह राशि नहीं है।
12.	ग्यासी लाल अग्रवाल	क्वार्टज शिपर	1,303.88	एजन
13.	बनवारी लाल अग्रवाल	आयरन ओर वादल वास	242.82	बकाया सूची में क्रम सं. 148 पर है।
14.	नागरमल	चेजा पत्थर नारी खेतड़ी	258.75	बकाया सूची में क्रम सं. 150 पर है।
15.	मदनलाल गोयल	चूना पत्थर नारी सारी	260.00	बकाया सूची में 138 पर है।
16.	दुर्गासिंह	चेजा पत्थर चैनगढ़ बारण नवीनीकृत	375.00	बकाया सूची में यह राशि नहीं है।
17.	मानसिंह	एजन	487.50	एजन
18.	ओम प्रकाश जाखड़	ईंट मिट्टी सिरसावाली	900.00	एजन
19.	सोनू माइनिंग इण्डस्ट्रीज सीकर	चर्ट गोलियाना	300.00	एजन
20.	चन्दूराम	चेजा पत्थर रोड़ी, हाकावाली	750.00	एजन

1	2	3	4	5
21.	पाइराइट्स फास्फेट केमिकल्स सलजीपुरा	पाइराइट्स सलाजीपुरा	9712.50	एजन
22.	वेस्ट केमिकल्स प्रा. लिमिटेड नीम का थाना	चूना पत्थर 6 वर्गमील माउन्डा अधिक रायल्टी	8,000.00	एजन
23.	एजन	चूना पत्थर 80 एकड़ माउन्डा अधिक रायल्टी	5,500.00	एजन
24,	एजन	एजन	6,000.00	एजन
25.	एजन	एजन	5,500.00	एजन
		योग	46,602.70	

पंचायत समिति धोरीमन्ना व सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

163 श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति धोरीमन्ना की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशि को उक्त योजनाओं पर शत प्रतिशत खर्च नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में पं. स. सिणधरी के लिए फेज्ड प्रोग्राम में सम्मिलित ग्रामों में से अभी तक एक भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1983-84 के फेज्ड प्रोग्राम में सम्मिलित ग्रामों को विद्युतीकरण के लिए खम्भों की ढुलाई, खड्डे करना व तार खींचने की निविदाएं अधिशाषी अभियंता बाड़मेर ने सितम्बर माह में आमंत्रित की परन्तु अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर द्वारा निविदाओं की स्वीकृति समय पर नहीं देने के कारण अभी तक एक भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों को विद्युतीकरण करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोरीमन्ना की स्वीकृति योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर व्यय अब तक प्राप्त ऋण राशि से अधिक है तथा पंचायत समिति सिणधरी की स्वीकृत योजनाओं में माह मार्च, 84 तक प्रस्तावित कार्यों पर व्यय अब तक प्राप्त ऋण राशि से कुछ कम रहने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति सिणधरी में वर्ष 1982-83 में 6 पोटेंशियल एवं 5 नान- पोटेंशियल ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है तथा वर्ष 1983-84 ये प्रस्तावित सभी 10 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1983 84 में पंचायत समिति सिणधरी की योजनाओं के अन्तर्गत 10 गांवों के विद्युतीकरण के कार्य हेतु निविदाओं का निरीक्षण कर आवश्यक स्वीकृति माह फरवरी, 84 में जारी की जा चुकी है तथा इनके अनुसार कार्य प्रगति पर है।

विभिन्न मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील की राय

164. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

एक अप्रेल, 1980 से लेकर अब तक किन-किन ऐसे मामलों में जिनमें जिला अधिकारी तथा विधि विभाग ने उच्च न्यायालयों में अपील करने की राय दी

(सुश्री पुष्पा जैन)

थी किन्तु सरकार ने अपील नहीं की और क्यों ?

उत्तर

एक अप्रेल, 1980 से अब तक जिन जिन मामलों में विधि विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों में अपील करने की राय दी गई है, विधि विभाग के ध्यान मे उन सभी मामलों में अपीलें प्रस्तुत कर दी गई है। विधि विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें उनकी राय के बावजूद भी अपील प्रस्तुत नहीं हुई हो। उच्च न्यायालयों में अपील की राय देते समय अपील करने के निर्देश विधि विभाग द्वारा सीधे ही राजकीय अधिवक्ताओं तथा राजकीय अभिभाषकों को दिये जाते हैं।

राजस्थान नहर क्षेत्र की सरकारी भूमि का किसानों को अलाटमेंट

165. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई), **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल सरकारी कितनी भूमि है ? इसमें से प्रथम व द्वितीय चरण में कितनी-कितनी भूमि किसानों को पुख्ता अलाट कर दी है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इसमें से प्रथम व द्वितीय चरण में कितने भूमिहीन किसानों को कितनी व नीलामी द्वारा कितने लोगों को कितनी भूमि अलाट की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 31 जनवरी, 1984 तक भू-अभिलेख तैयारी के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना में आवंटन के लिए कुल 20, 79, 467 एकड़ उपलब्ध सरकारी भूमि में से प्रथम चरण में 14, 42, 113 एकड़ तथा द्वितीय चरण में 51397 एकड़ भूमि का पुख्ता आवंटन किया जा चुका है।

(2) राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 77,542 भूमिहीनों को 14,27,769 एकड़ भूमि, विशेष आवंटन के अन्तर्गत 1066 व्यक्तियों को 12015 एकड़ भूमि तथा नीलामी द्वारा 114 व्यक्तियों को 2329 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। द्वितीय चरण में 4,254 भूमिहीनों को 61,397 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के स्रोत

166. **श्री तेजपाल यादव** (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऊर्जा उत्पादन के किन किन स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ? वर्ष 1982-83 में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी तथा कितना उत्पादन किया गया ? आवश्यकता से उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत क्या रहा ?

(2) वर्ष 1982-83 के अन्त तक

(श्री तेजपाल यादव)

राज्य के समस्त बिजली घरों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

(3) क्या सरकार की राज्य में विद्युत कमी तथा सम्भावित आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया योजना का विवरण एवं उसकी क्रियान्विति हेतु धन प्राप्ति के साधनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में स्थित निम्न स्रोतों से किया जाता है :—

1. राणा प्रताप सागर विद्युत गृह
2. जवाहर सागर विद्युत गृह
3. राजस्थान अणु विद्युत गृह
4. कोटा ताप विद्युत गृह
5. स्थानीय स्टीम पावर हाउसेज

इसके अलावा जिन विद्युत गृहों में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी है व अन्य राज्यों में स्थित है वे निम्न प्रकार हैं :—

1. भाखड़ा नांगल
2. देहर
3. पोंग
4. गांधी सागर
5. सतपुड़ा
6. सिंगरोली

वर्ष 1982–83 में राज्य में कुल 6808 मि. यू. की आवश्यकता आंकी गयी थी तथा कुल उपलब्धता लगभग 4500 मि. यू. रही। उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत 66.17 है।

(2) वर्ष 1982–83 के अन्त तक राज्य के समस्त बिजलीघरों में, अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में राज्य के हिस्से सहित, कुल 252.19 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी।

(3) राज्य में विद्युत कमी तथा सम्भावित आवश्यकता की पूर्ति हेतु नये बिजली घरों के निर्माण की योजना है जिनका विवरण तालिका 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तालिका "अ"

राज्य की विद्युत में कमी तथा संभावित आवश्यकता की पूर्ति हेतु नये बिजलीघरों के निर्माण की योजना है. जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	विवरण	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)	
1	2	3	
1.	कोटा ताप बिजली घर द्वितीय चरण	2×210 = 420 मे. वा.	कार्य चालू है

1	2	3	
2.	माही बजाज सागर पन विद्युत परियोजना	2×25] = 140 मे. वा. 2×45]	कार्य चालू है
3.	अनूपगढ़ लघु पन विद्युत परियोजना	3×1.5] = 9 मे. वा. 3×1.5]	कार्य चालू है
4.	पलाना तापीय विद्युत परियोजना	2×60 = 120 मे. वा.	कार्य चालू है
5.	दांयी मुख्य नहर मांगरोल कोटा लघु पन बिजलीघर	3×2 = 6 मे. वा.	1984-85 के प्लान के आधार पर कार्य चालू होने की संभावना है।
6.	सूरतगढ़ लघु पन बिजलीघर	2×2 = 4 मे. वा.	"
7.	चारणवाला लघु पन बिजलीघर	1×2 = 2 मे. वा.	"
8.	गैस तापीय परियोजना जैसलमेर	1×3 = 3 मे. वा.	"

निम्न परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) के विचाराधीन हैं:-

1.	माउन्ट आबू पन विद्युत परि.	10 मे. वा.
2.	जाखम पन विद्युत परियोजना	9 मे. वा.
3.	पूगल पन विद्युत परियोजना	2.25 मे. वा.
4.	बिरसलपुर पन विद्युत परि.	1.45 मे. वा.
5.	जयसमन्द पन विद्युत परि.	1.15 मे. वा.
6.	सुलताना पन विद्युत परियोजना	1.2 मे. वा.

1	2	3
7.	आर. एम. एस. माही लघु पन विद्युत प्रथम चरण	0.8 मे. वा.

निम्न परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय विद्युत प्राधीकरण) को बनाकर भेजी जा रही हैं:–

1.	कोटा तापीय परियोजना तृतीय चरण	1×210 मे. वा.
2.	सूरतगढ़/धौलपुर/चित्तौड़गढ़	1×210 मे. वा.

नागौर जिले की लिफ्ट सिंचाई योजना

167. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या नागौर जिले की लिफ्ट सिंचाई योजना सन् 1975 में बनाई गई थी ? यदि बनाई गई थी तो उसका काम शुरू क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार भविष्य में नागौर जिले को लिफ्ट योजना से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका प्रारम्भिक प्रारूप क्या होगा ?

उत्तर

जी हां । गजनेर लिफ्ट को ही आगे बढ़ाकर नागौर क्षेत्र को सिंचित करने का एक विकल्प था । नागौर क्षेत्र 120 से 150मीटर की लिफ्ट में पड़ता है ।

क्योंकि राज्य सरकार ने 60 मीटर लिफ्ट तक के क्षेत्र को ही सिंचाई सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

अभी 60 मीटर की लिफ्ट योजनाओं को ही लेने का विचार है ।

...ठूमर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

...ाल बैरवा (कठूमर) एवं **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 167 ग्राम (पं. स. कठूमर 142 एवं पं. स. लक्ष्मणगढ़ 25) में से 113 ग्राम (पं. स. कठूमर 88, पं. स. लक्ष्मणगढ़ 25) स्वीकृत हैं । सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । माह मार्च, 83 तक 67 ग्राम (पं. स. कठूमर के 49 ग्राम एवं पं. स. लक्ष्मणगढ़ के 18 ग्राम) विद्युतीकृत किये जा चुके हैं । सीमित वित्तीय साधनों के कारण शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है । वर्ष 1983-84 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में इस क्षेत्र के 3 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं ।

सूची "अ"

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के स्वीकृत ग्रामों की सूची

माह मार्च 1983 तक विद्युतीकृत ग्राम

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	गहलावता	5/9/276	24.	सालवाड़ी	282
2.	बहरामपुरा	275	25.	जहाद्र	263
3.	डोरोली	273	26.	साजनपाड़ा	288
4.	समूची	278	27.	बादसू	287
5.	दातियां	283	28.	बलदेवपुरा	118
6.	रामपुरापाटन	315	29.	तसई	92
7.	खोखर	321	30.	तुसारी	93
8.	नंगलामाधोपुर	269	31.	मानखेड़ा	106
9.	दारोदा	227	32.	कठूमर	165
10.	गारू	225	33.	रेला	172
11.	अड़ुवा	221	34.	हनीपुर	166
12.	मसारी	222	35.	ढाकरोली	103
13.	नाटोज	228	36.	हुल्याना	94
14.	खेड़ली तर्फ नूनिया	229	37.	सामोली	104
15.	वसेठ	215	38.	मैथना	102
16.	बाडल	157	39	खेड़लीरेल	277
17.	जाडला	158	40.	सोंखर	271
98.	वडोदाकान	117	41.	सोंखरी	267
19.	कालवाड़ी	265	42.	खेड़ली (टाउन)	4
20.	भनोखर	264	43.	नाहर खोहरा	239
21.	बहतूकंला	181	44.	टोडा	154
22.	घोसराना	284	45.	गंजपुर नूरपुर	159
23.	रोनीजाथाना	285	46.	जागरू	235

372

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
47.	खेडासारंगपुरी	236
48.	रानोली	114
49.	सहजपुर	4
50.	हरसाना	241
51.	बिछगांव	256
52.	नारनोलखुर्द	292
53.	सेहरा	296
54.	काली पहाड़ी	298
55.	सुनारी	299
56.	झालाटाला	301
57.	नारनौलकंला	302
58.	गोठारा	303
59.	बिडारका	304
60.	अंतापाड़ा	305
61.	खेडामंगलसिंह	306
62.	अमरपुर	307
63.	पहरावटो	308
64.	भोखाहेडी	309
65.	जैतपुर	310
66.	पखार	311
67.	साईपुर	312

विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्राम

	बडीका	164

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
69.	रानोता	173
70.	ईश्वरोता	163
71.	इसरोती	162
72.	बेरका	175
73.	भोजपुरा	177
74.	खेड़ामेदा	176
75.	पावटा	161
76.	सलेमपुर	160
77.	कांकरोली	108
78.	दयालपुरा	107
79.	टिम्मपुरी	111
80.	अजीतपुरा	110
81.	पहाड़ी	109
82.	इन्द्रावली	90
83.	मथुराहेडा	89
84.	नगला मतवा	91
85.	बिसली	112
86.	सिटाहडा	113
87.	इटोला	115
88.	राजपुर	116
89.	हनुमन्ता	88
90.	बमनपुरा	87
91.	तिगरिया	84
92.	रामनगर	86

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
93.	बुलाहेडी	85
94.	बायड़ा	83
95.	मानपुर	105
96.	खेरली तर्फ रेला	174
97.	रेटा	171
98.	रेटी	167
99.	दूधेरी	170
100.	वडका	168
101.	चक तासपी	100
102.	टीकरी	95
103.	पिसई	99
104.	बराड़ा	96
105.	भदीरा	98
106.	सोंख	97
107.	तिलकपुर	257
108.	बसेडी	293
109.	उछर	294
110.	मुकन्दपुरा	300
111.	भूर पहाड़ी	295
112.	भगवतपुरा	297
113.	मुन्डजोडी	240

गंगानगर जिले में अनोपगढ़ घड़साना में जमीनों के फर्जी आवंटन

169. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में अनोपगढ़–घड़साना उपनिवेशन कस्टोडियन जमीनों के फर्जी आवंटन हुए? यदि हां, तो आवंटन संबंधी मामलों में कितनी एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? कृपया पूर्ण विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। किन्तु कुछ व्यक्तियों ने पोंग बान्ध विस्थापितों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में आरक्षित भूमि/आवंटित भूमि हड़पने के लिए इस भूमि को निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में दिखलाकर और कस्टोडियन विभाग से जारी सनदे बतलाकर फर्जी आवंटन की सनदे तैयार कीं। कुल 23 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं। इन एफ. आई. आर. में अपर पुलिस अधिक्षक सी. आई. डी. (सी. बी.) बीकानेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची मुकदमात पुलिस थाना अनूपगढ़

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	तारीख	जुर्म
1.	मु. नं. 154	17-12-83	419, 420, 467, 471, आई पी सी
2.	मु. नं. 3	13-1-84	420, 467, 468, 471, आई पी सी
3.	मु. नं. 4	13-1-84	420, 467, 468, 471, आई पी सी
4-	मु. नं. 5	13-1-84	420, 467, 468, 471, आई पी सी
5.	मु. नं. 6	13-1-84	420, 467, 468, 471, आई पी सी
6.	मु. नं. 7	13-1-84	420, 467, 468, 471, आई पी सी
7.	मु. नं. 16	2-2-84	420, 419, 120 बी, 468, 467, आई पी सी
8.	मु. नं. 17	3-2-84	420, 467, 468, 471, 447, आई पी सी
9.	मु. नं. 19	7-2-84	420, 467, 468, 471, 447, आई पी सी
10.	मु. नं. 20	7-2-84	420, 467, 468. 447, आई पी सी
11.	मु. नं. 21	7-2-84	420, 467, 468, 471, 447, आई पी सी

पुलिस थाना घड़साना

1.	मु. नं. 98	18-12-83	467, 468, 471, 447, 120 बी, आई पी सी
2.	मु. नं. 7	24-1-84	467, 468, 471, 420, 120 बी, आई पी सी

1	2	3	4
3.	मु. नं. 8	24-1-84	467, 468, 471, 420, ग्राई पी सी
4.	मु. नं. 9	24-1-84	467, 468, 471, 120 बी, ग्राई पी सी
5.	मु. नं. 10	24-1-84	468, 467 471, आई पी सी
6.	मु. नं. 11	24-1-84	467, 468, 471, 447, 420, 120 बी, आई पी सी
7.	मु. नं. 12	24-1-84	467, 468, 471, 447, 420, 120 बी, आई पी सी
8.	मु. नं. 13	24-1-84	467, 468, 471, 447, 420, 120 बी, आई पी सी
9.	मु. नं. 14	24-1-84	467, 468, 471, 447, 420, 120 बी, ग्राई पी सी
10.	मु. नं. 15	24-1-84	467, 468, 471, 420, 447, आई पी सी
11.	मु. नं. 16	24-1-84	467, 468, 471, 420, 447, 120 बी, आई पी सी
12.	मु. नं. 17	24-1-84	467, 468, 471, 420, 447, आई पी सी

बीकानेर जिले की विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक

170. श्री सुरजाराम (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस समय कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) उपरोक्त कितने विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है अथवा कहां बिल्कुल अध्यापक नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज रखें।

(3) क्या बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

(श्री सुरजाराम)

विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो कृपया नोखा तहसील की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार की यही नीति है कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष में एक सैकण्डरी स्कूल हो ?

(5) क्या यह सही है कि पिछड़े व अनुसूचित जाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र नोखा में एक भी सैकण्डरी स्कूल गत वर्ष नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां सैकण्डरी स्कूल इस वर्ष खोलने पर विचार करेगी ? यदी हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में कार्यरत अध्यापकों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

विद्यालय	अध्यापक प्र.वे.श्रृ.	अध्यापक द्वि.वे.श्रृ.	अध्यापक तृ.वे.श्रृ.
उ. प्रा. वि.	–	170	1260
मा. वि.	–	220	197
उ. मा. वि.	192	225	96
	192	615	1553

(2) ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, जिसमें कोई भी अध्यापक नहीं हो। अध्यापकों की कमी की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कमी की पूर्ति सम्पूर्ण रूप से नहीं की जा सकी है।

(4) जी नहीं।

(5) नोखा क्षेत्र में गत वर्ष कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया। वर्ष 1983-84 में भी कोई वितीय प्रावधान नहीं है।

बीकानेर जिले में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या
1.	रा. उ. मा. वि., नोखा	1
2.	रा. उ. मा. वि., जसरासर	1
3.	रा. मा. वि., मैनसर	1
4	रा. मा. वि., रामसर	1
5	रा. मा. वि., शेखसर	1
6	रा. मा. वि., तखतपुरा	1
7.	रा. उ. प्रा. वि., बम्बूल	1
8.	रा. बा. उ. प्रा. वि., हिम्मतसर	1
9.	रा. बा. उ. प्रा. वि., अक्कासर	1
10.	रा. बा. उ. प्रा. वि., काकड़ा	1
11.	रा. बा. उ. प्रा. वि., पांचू	1

योग 11 द्वितीय श्रेणी अध्यापक

तहसील बोंली में हायर सैकण्डरी स्कूल का अभाव

171. श्री कुन्जी लाल (वामनवास) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील बोंली में हायर सैकण्डरी स्कूल अब तक नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बोंली के आस पास काफी सैकण्डरी व मिडिल स्कूल पड़ते हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने तथा उनकी छात्र संख्या क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बोंली तहसील के छात्रों को सैकण्डरी परीक्षा पास करने के बाद अध्ययन हेतु बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार बोंली में कब तक हायर सैकण्डरी स्कूल खोल देगी ?

उत्तर

जी हां। सत्र 1983-84 में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं होने के कारण बोंली में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला जा सका।

(2) जी हां। बोंली के आस पास चार उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं आठ माध्यमिक विद्यालय हैं।

विद्यालयवार छात्र संख्या निम्न प्रकार है:—

उप्रावि 1	छात्र सं. 2	मा. वि. 3	छात्र सं. 4
गगवाड़ा	154	बोंली (कन्या)	572
कोडबाई	219	खिरनी	437
लाखानपुर	200	मलारनाडूंगर	381
जस्टाना	220	मलारनाचौड़	463
		मित्रपुरा	247
		पीपल्दा	247
		पीपलवाड़ा	225
		भेडोली	198

(3) जी हां। माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नीति के अन्तर्गत विचार किया जा सकेगा।

ए-डागा स्टील इन्डस्ट्रीज, अजमेर रोड को विद्युत कनेक्शन

172. श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बोर्ड द्वारा जयपुर के मदरामपुरा, अजमेर रोड स्थित ए-डागा स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज़ को जो विद्युत कनेक्शन दिया गया है वह रेजीडेन्शियल परपज के लिए दिया है या उद्योग चलाने के लिए ?

(2) यदि रेजीडेन्शियल परपज के लिए दिया गया है तो क्या उस कनेक्शन से वहां पर ए-डागा स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज के नाम से उद्योग चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा बोर्ड ने इस केस में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह कनेक्शन उद्योग के लिए दिया है तो यह विद्युत मण्डल के लिए नियमों के अन्तर्गत है कि आवासीय भूमि के ऊपर उद्योग चलाने के लिए कनेक्शन दिया जा सकता है ? यदि नहीं, तो फिर कनेक्शन आज तक काटा क्यों नहीं गया ?

(श्री राम सहाय सोनड़)

(4) अब उक्त अवैध कनेक्शन के विरुद्ध मण्डल क्या कार्यवाही करेगा और कब तक ? कृपया पूर्ण विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर रोड बम्बई वालों के बाग के पास नीलम गिरी गार्डन में ए-डागा स्टील इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को उद्योग चलाने के लिये विद्युत कनेक्शन दिया गया है।

(2) जी नहीं, विद्युत कनेक्शन उद्योग चलाने के लिये ही दिया गया है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां, विद्युत मण्डल के नियमों के अन्तर्गत आवासीय भूमि में उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन होने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः कनेक्शन काटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) उक्त औद्योगिक कनेक्शन विद्युत मण्डल के नियमों के अन्तर्गत वैध है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)
संवत् 2027 से 2039 तक

क्र. सं	नाम कृषक	रकम	नाम ग्राम दीगोद
1	2	3	4
1.	बग्यासिंह पुत्र मानसिंह	3149.40	दीगोद
2.	नन्दा मथुरा पुत्र भूवरिया चमार	3444.94	दीगोद
3.	राजकीय कृषि फार्म दीगोद	5206.48	दीगोद
4.	गुरनेकसिंह पुत्र गुरदेवसिंह	3051.94	दीगोद
5.	कालू पुत्र पन्ना मीणा गडेपान	2060.68	गडेपान
6.	मोहनचन्द्र प्रदीपकुमार/लक्ष्मी नारायण	2098.90	कासमपुरा
7.	हीरा/जगन्नाथकुल मीणा	2590.15	तोरण
8.	मोती/मोडया बलाई	3224.63	उकल्दा
9.	रामकरण/माधो मीणा	3182.62	गुमानपुरा
10.	किशोर भैरू/जगन्नाथ	2440.96	गुमानपुरा
11.	नामनारायण/प्रभु मीणा	2759.46	कोरसुवा
12.	कल्याण/कान्हा मीणा	2793.13	कोरसुवा
13.	मोतीलाल, रामनाथ, हेमराज उर्फ शान्तिलाल महाजन	5469.92	नोमोदा
14.	कजोड़ किशोर/धन्नालाल माली	2271.08	मुण्डला

1	2	3	4
15.	सुमेरसिंह/भीमसिंह	2164.50	सारोला
16.	चन्द्रवीरसिंह/वलदेवसिंह	8026.34	मोतीकुंश्रा
17.	भीमसिंह/प्रतापसिंह	2162.75	मोतीकुंआ
18.	कुलदीपसिंह/रघुराजसिंह	2202.50	मोतीकुंआ
19.	उदयलाल/उदयलाल	417.28	ककरावदा
20.	नाथूलाल/कंवरलाल	5805.16	ककरावदा
21.	प्रभुलाल कजोडीलाल	2538.33	कचनावदा
22.	शिवकुमार/भंवरलाल	2154.40	हनोतिया
23.	मोड्या वद्री मूल्या वगैरह	2375.58	नरपत खेडी
24.	रामचन्द्र रामकल्याण वगैरह	2138.08	नीमली
25.	किसना छोगा चतुर्भुज/ भंवरलाल	5214.67	नीमली
26.	महेन्द्रकुमार/भंवरलाल ब्राह्मण	3675.74	खेड़ली तोरण
27.	अशोक कुमार/भंवरलाल महाजन	3831.88	खेड़ली तोरण
28.	स्वरूप कंवर वाई जोजे जालम सिंह राजपूत	3730.29	खेड़ली तोरण
29.	रतनसिंह/जतनसिंह	2340.96	खेड़ली तोरण
30.	इन्द्रकुमार/भंवरलाल ब्राह्मण	3003.64	खेड़ली तोरण
31.	मांगीलाल/चतरामीणा	3003.30	खेड़ली तोरण
32.	गोरधन प्रताप/भैरू ब्राह्मण	2849.18	आड़गांव

1	2	3	4
33.	रामेश्वरदयाल/कान्हा महाजन	3091.56	झाड़गांव
34.	छीत्या छोट्या गोबरिया मीणा	2364.38	सुरेला
35.	लतीफ हुसैन/नूरमोहम्द	2747.00	ढाबा
36.	नन्ना प्रताप तुलसा मगना/निना लश्करी	3612.97	पावदा
37.	पूर्णमल/गोपीनारायण	3755.10	धोरो
38.	सूरजमल/लक्ष्मीनारायण मीणा	2141.23	वल्लभपुरा
39.	मोतीलाल/देवीराम मीणा	3832.98	वल्लभपुरा
40.	गुरजीतसिंह अमरजीतसिंह	2290.92	रूगिग
41.	गुरवचनसिंह/अमरसिंह	4018.43	सुल्तानपुर
42.	भंवरलाल/बजरंग लाल ब्राह्मण	2084.09	सुल्तानपुर
43.	राजकीय कृषि फार्म	3150.90	सुल्तानपुर
44.	पृथ्वीसिंह/मालसिंह	2099.66	सुल्तानपुर
45.	हेमराज/किशनलाल ब्राह्मण	2052.76	कोटड़ा दीपसिंह
46.	पुरषोत्तमलाल/श्रीकिशन	2421.39	कोटड़ा दीपसिंह
47.	मथुरादीश जी का मंदिर	3367.60	सनीजा बावड़ी
48.	रामगोपाल/रतनलाल मीणा	2504.35	बमकुलियारावतान
49.	केशीयरसिंह/बिशनसिंह	3897.70	कोटड़ादीपसिंह

1	2	3	4
50.	भैरिया तेज्या, लक्ष्या कोली	2996.96	कोटड़ा दीपसिंह
51.	सुमनसिंह/वलवेन्द्रसिंह	2658.96	कोटड़ा दीपसिंह
52.	धन्नालाल/घासीलाल मीणा	3132.72	खेड़ली परसराम
53.	मांगीलाल/रामनारायण मीणा	2643.96	रूपावदा
54.	जगन्नाथ पुत्र मोतीलाल मीणा	2068.87	रूपावदा
55.	अनारसिंह/कु. भंवरसिंह/ मोहनवाई चन्द्रावाई	2180.75	किशनगंज
56.	नाथूलाल/सूरजमल केशरीलाल वगैरह	2188.22	जाखरोद

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूचना)

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में चरागाह कायमी
की सूची–जिला जैसलमेर

क. सं.	नाम ग्राम	चरागाह का रकबा (बीघों में)
1	2	3
1.	भारेवाला	3297
2.	मोहरेवाला	1360
3.	आकल का तला	2230
4.	मालासर	2259
5.	पन्ना	1291
6.	टावरीवाला	3350
7.	खारा	2735
8.	खैरुवाला	2356
9.	जालूवाला	2427
10.	रायचन्दवाला	2621
11.	अवाय	2993
12.	भारमसर	2198
13.	चिन्नू	5506
14.	मदासर	2463
15.	बोडाना	8362

1	2	3
16.	रोहिड़ावाला	.10000
17.	सत्याया	5395.08
18.	घंटियाली	2517.01
19.	हरियार	1992.12
20.	भदड़िया	1366.18
21.	शेखों का तला	2419.10
22.	पांचे का तला	2676.10
23.	साकड़िया	2167.16
24.	खारिया	2465.04
25.	नाचना	8965.04
26.	ग्रासकन्दा	5280.09
27.	धाधूड़ेवाला	1134.12
	योग :-	82,829.04
		82, 829 बीघा 4 बिस्वा

(386)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

क्रमांक/एफ-5 (अ) ( ) उपनि/81/बी-11369 से 89 दिनांक 15-6-1981

तहसीलदार उपनिवेशन,

रा. न. यो., समस्त

विषय :—बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्षा का समय निकट आ गया है । वे बारानी भूमियों जो वर्षा पर निर्भर करती हैं उनका अस्थाई आवंटन किया जाना है । इस आवंटन से पूर्व प्रत्येक ग्राम में चरागाह हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त भूमि छोड़कर शेष बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन किया जावे ताकि अधिकाधिक लोग भूमि प्राप्त कर सकें और पशुओं के लिए चरागाह स्थान का भी अभाव नहीं रहे ।

ह.
आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर ।

क्रमाक/एफ–5 (अ) ( ) उप/81/बी–11390–419　　　दिनांक 15.6.1981

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु/पालनार्थ निम्न को प्रेषित है :—

(1) राजस्व सचिव महोदय राजस्थान जयपुर ।
(2) अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन समस्त
(3) उपायुक्त/सहायक आयुक्त उपनिवेशन समस्त
(4) लेखाधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
(5) प्रभारी अधिकारी, शाखा
(6) निजी सहायक, आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ।

ह.
आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त-उपनिवेशन, बीकानेर

क्रमांक/एफ-5 (व) ( ) उप/ग्रा/16830-56 दिनांक 6-9-82

(1) सहायक आयुक्त उनिवेशन,
राजस्थान नहर योजना

समस्त

(2) तहसीलदार उपनिवेशन,
राजस्थान नहर योजना,

समस्त

विषय :–राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षत्र में चरागाह भूमि की कायमो ।

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के आदेश संख्या 11369-11417 दिनांक 15-6-81 के द्वारा अस्थाई आवंटन से पूर्व वर्षा पर निर्भर बारानी भूमि में से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चरागाह हेतु पर्याप्त मात्रा में भूमि छोड़कर अस्थाई आवंटन किया जावे । उक्त निर्धारित मापदण्ड क्या है इस बारे में कतिपय अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है । अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 प्रावधानों के अधीन चरागाह हेतु बारानी भूमि विधिवत् निर्धारित करें ।

ह.

आयुक्त उपनिवेशन,

बीकानेर ।

क्रमांक/एफ–5 (ब) ( ) उप/ग्रा/16857–70 दिनांक 6.9.82

प्रतिलिपि :—

(1) अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन— ——समस्त———

(2) उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर/सूरतगढ़/श्री विजयनगर

(3) प्रभारी अधिकारी,——समस्त——

(4) निजी सहायक, आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ।

(5) रक्षित पत्रावली ।

ह.

आयुक्त उपनिवेशन,

बीकानेर ।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सूची जयपुर जिले में अवाप्त की गई भूमि की

क्र. सं.	विवरण	भूमि का विवरण क्षेत्रफल (बीघा–बिस्वा)
1.	2.	3.
1.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात अमानीशाह के नले पर मजार बांध के लिये ग्राम किशनबाग, बीड़ पापड़ एवं बड़ी सरकारी तहसील, जयपुर	1045.13
2.	राज राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमि. ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये ग्राम सांभर में	10.15
3.	पश्चिमी रेलवे के ग्राम बसवा में एक अतिरिक्त कूप लगाने के लिए	0.11
4.	राज. राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. ग्राम बड़ी का खेडा	67.18
5.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पश्चिमी रेलवे के द्वारा ढूंढ नदी पर ब्रिज नं 198 का निर्माण	7.06
6.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात फील्ड फायरिंग रेंज हेतु ग्राम निवारू, मंशारामपुरा, बोयतावाला, सरना डूंगर, तहसील जयपुर व ग्राम बेनाड़ा तहसील आमेर	1367.13
7.	आर. ई. ओ. स्कीम के तहत 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन कोटपूतली हेतु भूमि अवाप्ति	26.17
8.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास लि. के लिये ग्राम धूला (सांगानेर) में भूमि अवाप्ति।	5.07

1	2	3
9.	राज. राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास लि. के लिये ग्राम विंदायका में भूमि अवाप्ति	9.18
10.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास लि. के लिये ग्राम मीनावाला तह. जयपुर में भूमि अवाप्ति	78.06
11.	राज. राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. जयपुर के लिये ग्राम पापड उदक तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति	88.05
12.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. के लिये ग्राम बड़ी का खेड़ तहसील सांगानेर में भूमि अवाप्ति	23.12
13.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात जयपुर पुनर्गठित योजना के मध्यवर्ती पम्पिग स्टेशन हेतु ग्राम किशन-बाग में भूमि अवाप्ति	13100 वर्गफीट
14.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. के लिये ग्राम दूदू तहसील दूदू में भूमि अवाप्ति	25.00 बीघा
15.	ग्राम मूडियागढ़ व समदड़ी, तहसील फुलेरा में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन कायम किये जाने हेतु भूमि अवाप्ति	21.18
16.	सिविल एरोड्राम जयपुर की बिजली व्यवस्था हेतु ग्राम बुद्धसिंहपुरा तथा खोखावास तहसील सांगानेर की भूमि अवाप्ति	1.03
17.	सिविल एरोड्राम जयपुर के लिये (अप्रोच लाइट) भूमि अवाप्ति	6.12
18.	भूमि अवाप्ति बांध भण्डारी व नहर	537.19

1	2	3
19.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात पटवार घर की स्थापना तहसील कोटपूतली ग्राम बासड़ी	103 वर्गगज
20.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर के लिये ग्राम शाहपुरा तहसील विराट नगर में भूमि अवाप्ति	17.15
21.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात बंध झिलमिली हेतु भूमि अवाप्ति दौसा	83.10
22.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात बंध रेहडिया हेतु भूमि अवाप्ति दौसा	53.06
23.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नहर रेहडिया बांध हेतु भूमि अवाप्ति दौसा	39.19
24.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात राजकीय डिग्री कालेज हेतु भूमि अवाप्ति–कोटपूतली	14.13
25.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि उपज मंडी कोटपूतली हेतु भूमि अवाप्ति	31.04
26.	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात पानी की निकासी हेतु ग्राम जयसिंहपुरा में भूमि अवाप्ति कोटपूतली	3.07

जिलाधीश, जयपुर

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 203 का विवरण)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा,

जयपुर ।

प. सं. 10(23)शिक्षा/5/83 जयपुर, दिनांक: 31–3–83

विषय-विधान सभा अतारांकित प्र. सं. 2068

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि प्रशासन के यह ध्यान में आया है कि निदेशालय में बहुत सा स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है अत: भविष्य में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिनियुक्ति पर किसी स्टाफ को नहीं बुलावें । यदि निदेशालय में स्टाफ की कमी हो तो पूर्ण विवरण भिजवायें ।

भवदीय,

ह./–

अनुभागाधिकारी

सूची

प्रतिनियुक्ति किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	प्रतिनियुक्ति अवधि	विवरण
1.	श्री बद्री नारायण झालानी वरिष्ठ अध्यापक, रा.स.वि. चौथवाड़ी	13.7.83 से 17.8.83 तक 25.8.83 से 24.9.83 तक	मेरिट सूची बनाने हेतु
2.	श्री जगदीश चन्द जोशी अध्यापक, रा.स.वि. चौमू	13.7.83 से 17.8.83 तक 23.8.83 से 1.10.83 तक	,,
3.	श्री विश्म्भरदयाल शर्मा व्याख्याता महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर।	15.9.83 से 2.12.83 तक	शैक्षणिक अनुभाग में कार्य हेतु

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची)

List of Members of Managing Committee Muslim Schools (Musim Hr. Secondary School; Muslim Girls Sec. and Primary School and Muslim (Boys) Primary School) run under Anjuman Talimul Mnslemeen Jaipur. (A Registered Society) Elections of Anjuman were held on 12th September, 1981 under the supervision of Govt. nominee of Education Department.

S.No.	Designation.	Name	Occupation	Address
1	2	3	4	5
1.	President	Shri B. D. Qureshi	Advocate	Khetri House Road, Outside Chandpole, Jaipur.
2.	Vice President	Shri Mohd. Yaseen	Business	Chura Building, Ghat Gate, Jaipur.
3.	Hony. Secretary	Shri Dr. Mohd. Habeeb	Service M. O.	Gandhi Path, Queens Road, Jaipur.

1	2	3	4	5
4.	Treasurer	Shri Abdul Jamil	Business	Takia Adam Shah, Jaipur.
5.	Member	Shri Shah Taqiuddin	Advocate, M. L. A. Chairman UIT	Yaqeen Shah Ki khoti, Jaipur.
6.	Member	Shri A. Hameed Patel	Business	Mohalla Mominan Jaipur.
7.	Member	Shri A. Hafeez Mulla	Business	Mohalla Mahawtan, Jaipur.
8.	Member	Shri Viqarul Ahad	Advocate Politician	Tikkiwalon Ka Rasta, Kishanpole, Jaipur.
9.	Member	Shri Munir Khan	Service	Topkhana Ka Rasta, Chandpole, Jaipur.
10.	Member	Shri Zahoor Mohd.	Business	Chandi ka Tazia, Ghat Gate, Jaipur
11.	Member	Shri Abdul Khabir	Business	National Medicos, Uncha Kua, Jaipur

1	2	3	4	5
12.	Co-opted	Shri S. Zahoor Ad. Naqvi Ex Student	Advocate	Loharon Ka Khurra, Ghat Gate, Jaipur
13.	Student Gardian	Shri Gul Mohd.	Business Ex. M.L.A.	Sardul Singh ki Nal, Ganguari Bazar, Jaipur.
14.	Departmental Nominee			
15.	Head of Institution	Shri Abdul Hameed Khan	Teaching	545, Bori Khoti, Gangapole, Jaipur.
16.	Staff Representative			

(B. D. QURESHI)
PRESIDENT
ANJUMAN TALLIMUL MUSLIMEEN
JAIPUR (RAJ.)

(DR. MOHD HABEEB)
HONY. SECRETARY.
ANJUMAN TALLIMUL MUSLIMEEN
JAIPUR–4

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची)

सूची "क"

कालेज शिक्षा :—किसी भी महाविद्यालय को जून, 80 से दिसम्बर,-83 तक मान्यता नहीं दी गई। पूर्व में ही दो महाविद्यालय स्थित हैं तथा इन्हें निम्न प्रकार से अनुदान दिया गया है :—

1.	एस. पी. यू. कालेज. फालना (स्नातक टी. डी. सी. कला व वाणिज्य)	6/80 से 3/81 तक	4/81- 3/82	4/82- 3/83	4/83- 12/83
		3.47 लाख	4.84	5.28	4.05 लाख
2.	श्री जैन तेरापन्थी कालेज, राणावास × (स्नातक कला व वाणिज्य)		0.90	1.60	1.41 लाख

× संस्था दिनांक 1.4.81 से 50 प्र. श. की दर से अनुदान सूची पर है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :—जिले में निम्न शिक्षण संस्थाओं को जून,-80 से 83 तक मान्यता दी गई है :—

1.	डी. सी. रूपचन्द उ. प्रा. वि. गुड़ारामसिंह	80–81 से स्थायी मान्यता
2.	जुबली प्रा. वि. फालना	80–81 से अस्थायी मान्यता
3.	हनुवन्त प्रा. वि. फालना	80–81 से अस्थायी मान्यता
4.	आदर्श प्रा. वि. सादड़ी	80–81 से अस्थायी मान्यता
5.	भारतीय विद्या मन्दिर पाली	81–82 से अस्थायी मान्यता
6.	महावीर बाल मन्दिर पाली	82–83 से स्थायी मान्यता
7.	रतनचन्द लोढ़ा उ. प्रा. वि. पाली	82–83 से स्थायी मान्यता
8.	गुलाब बाई प्रा. वि. सोजत	83–84 से स्थायी मान्यता
9.	चेतन विद्या मन्दिर सुमेरपुर	83–84 से स्थायी मान्यता
10.	भारतीय बाल विद्या समिति तखतगढ़	83–84 से अस्थायी मान्यता

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं :

क्र. सं.	संस्था का नाम-	79-80	80-81	81-82	82-83 (मार्च 1983 तक) 83-84×
1.	सुमति शिक्षा सदन मा. वि. राणावास (पाली)	163813	198592	224290	239186
2.	सुमति शिक्षा सदन प्रा. वि. राणावास (पाली)	5879	10671	8882	13060
3.	पार्श्वनाथ उ. मा. वि., वरकाणा (पाली)	123315	150251	180518	214249
4.	पार्श्वनाथ उम्मेद मा. वि. फालना (पाली)	140716	159410	178197	182958
5.	बाल निकेतन प्रा. वि. पाली	20800	21340	30257	37023
6.	मरुधर केसरी उ. मा. वि. राणावास (पाली)	22706	51330	43132	49562

× मार्च 84 की समाप्ति पर केसों के अन्तिमीकरण के पश्चात् ही 12/83 के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची 'ख'

क. सं	विद्यालय जिसे क्रमोन्नत किया गया	जिस स्तर पर क्रमोन्नत किया गया	पंचायत समिति	क्रमोन्नति का वर्ष
1.	2.	3.	4.	5
1.	लाम्बिया	माध्यमिक स्तर	जैतारण	80-81
2.	खुडाला	,,	बाली	80-81
3.	दादाई	,,	देसूरी	80-81
4.	बिलावास	,,	सोजत	80-81
5.	सिरयारी	,,	मा. जंक्शन	80-81
6.	बॉकली	,,	सुमेरपुर	80-81
7.	गुड़ावीजा	,,	सोजत	80-81
8.	गरनिया	उ. प्रा. वि. स्तर	जैतारण	80-81
9.	चॉग	,,	रायपुर	80-81
10.	सियाट	,,	सोजत	80-81
11.	खारची	,,	मा. जंक्शन	80-81
12.	मण्डिया	,,	पाली	80-81
13.	कोटडी	,,	देसूरी	80-81
14.	कोठार	,,	बाली	80-81
15.	बायद	,,	रोहट	80-81
16.	बिट्ठडापीरा	,,	सुमेरपुर	80-81
17.	कोलकोलर	,,	देसूरी	81-82
18.	डरी	,,	पाली	81-82
19.	कापेचा	,,	जैतारण	81-82
20.	सिन्दरु	,,	सुमेरपुर	81-82
21.	बोमादड़ा	,,	पाली	81-82
22.	नेहरा बेरा	,,	सोजत	81-82
23.	रेपड़ावास	,,	सोजत	81-82

1	2	3	4	5
24.	फालना स्टेशन	उ. प्रा. वि. स्तर	बाली	81–82
25.	धेनड़ी	,,	देसूरी	81–82
26.	गादाना	,,	मा. जंक्शन	81–82
27.	सोनाईमाझी	,,	पाली	81–82
28.	ढोला	,,	सुमेरपुर	81–82
29.	कुड़की	,,	जैतारण	81–82
30.	जैतपुर	,,	रोहट	81–82
31.	रामपुरा कला	,,	रायपुर	81–82
32.	दूदनी	,,	बाली	81–82
33.	कीरवा	,,	रानी	81–82
34.	मारवाड़ जंक्शन	उ. मा. वि. स्तर	मा. जंक्शन	82–83
35.	बगडी नगर	,,	सोजत	82–83
36.	आनन्दपुर कालू	,,	जैतारण	82–83
37.	नाडोल	,,	देसूरी	82–83
38.	बेडा	,,	बाली	82–83
39.	रोहट	,,	रोहट	82–83
40.	रायपुर	,,	रायपुर	82–83
41.	सुमेरपुर	,,	सुमेरपुर	82–83
42.	भादरलाऊ	उ. प्रा. वि. स्तर	रानी	82–83
43.	लाटोती	,,	जैतारण	82–83
44.	मालून	,,	बाली	82–83
45.	लीलाम्बा	,,	रायपुर	82–83
46.	नेतरा	,,	सुमेरपुर	82–83
47.	धीनावास	,,	सोजत	82–83
48.	कराड़ी	,,	मा. जंक्शन	82–83
49.	कुलथाना	,,	रोहट	82–83
50.	गुडा जेतसिंह	,,	रानी	82–83

(400)

1	2	3	4	5
51.	सांवलता	उ. प्रा. वि. स्तर	देसूरी	82-83
52.	सांधला	,,	रायपुर	83-84
53.	मेंसिया	,,	रायपुर	83-84
54.	जाटों का गुड़ा	,,	देसूरी	83-84
55.	माण्डल	,,	रानी	83-84
56.	शेखावास	,,	मा. जंक्शन	83-84
57.	आखण्डी (बगड़ी)	,,	सोजत	83-84
58.	वोगला (चोकडिया)	,,	मा. जंक्शन	83-84
59.	बारसा	,,	मा. जंक्शन	83-84
60.	जवाईबांध	,,	सुमेरपुर	83-84
61.	बसन्त	,,	सुमेरपुर	83-84
62.	सांगावास	,,	जैतारण	83-84
63.	पृथ्वीपुरा	,,	जैतारण	83-84
64.	पांचपदरिया	,,	रोहट	83-84
65.	खेतरली	,,	बाली	83-84
66.	सेसली	,,	बाली	83-84
67.	देवली हुल्ला	,,	सोजत	83-84

जून 10,80 से दिसम्बर 1983 तक क्रमोन्नत किये गये निजी शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्तर जिस पर क्रमोन्नत किया	पंचायत समिति का नाम	क्रमोन्नति का वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.
1.	एम.पी.यू. फालना	उ. मा. वि. स्तर	बाली	82-83
2.	महावीर बाल मन्दिर, पाली	माध्यमिक स्तर	पाली	82-83

जून 1980 से दिसम्बर 83 तक क्रमोन्नत किये गये रा. उ. प्रा. वि. (कन्या)

क्र. सं.	विद्यालय	पंचायत समिति	क्रमोन्नति स्तर	वर्ष
1.	मिल क्षेत्र पाली	पाली	उ. मा. वि. स्तर	83–84
2.	नापा	बाली	"	"
3.	मेगदड़ी	रायपुर	"	"
4.	बेडकला	जैतारण	"	"
5.	जाणुन्दा	मा. जंक्शन	"	"
6.	मण्डला	सोजत	"	"
7.	कुरजा	सुमेरपुर	"	"
8.	रानीकला	रानी	"	"

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 206 को सूची)

तहसील बेगूं में निम्न स्थानों पर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं :—

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय :—

1. रा. उ. प्रा. वि. बिछोर
2. रा. उ. प्रा. वि. रायता
3. रा. उ. प्रा. वि. ठुकराई
4. रा. उ. प्रा. वि. दौलतपुरा
5. रा. उ. प्रा. वि. मेघपुरा
6. रा. उ. प्रा. वि. राजगढ़
7. रा. उ. प्रा. वि. बेगूं
8. रा. उ. प्रा. वि. काटुन्दा
9. रा. उ. प्रा. वि. सामरिया
10. रा. उ. प्रा. वि. कल्याणपुरा
11. रा. उ. प्रा. वि. जोधपुरिया
12. रा. उ. प्रा. वि. बोराव
13. रा. उ. प्रा. वि. वडोदिया कुण्डाल
14. रा. उ. प्रा. वि. एकलिंगपुरा
15. रा. उ. प्रा. वि जावदा नीमड़ी
16. रा. उ. प्रा. वि. लाडपुरा
17. रा. उ. प्रा. वि. धाबद कलां
18. रा. उ. प्रा. वि. झरक्षमी
19. रा. उ. प्रा. वि. रावतभाटा बाजार

20. रा. उ. प्रा. वि. जवाहर नगर

21. रा. उ. प्रा. वि. अणुशक्ति फेज

22. रा. उ. प्रा. वि. देवपुरा

23. बा. रा. उ. प्रा. वि. बेगूं

24. बा. रा. उ. प्रा. वि. पारसोली

25. बा. रा. उ. प्रा. वि. नन्नवाई

26. बा. रा. उ. प्रा. वि. भैंसरोडगढ़

2. माध्यमिक विद्यालय :—

1. रा. मा. वि. खातीखेडा
2. रा. मा. वि. नन्दवाई
3. रा. मा. वि. चंची
4. रा. मा. वि. पारसोली
5. बा. रा. मा. वि. बेगूं
6. बा. रा. मा. वि. रावतभाटा

3. उच्च माध्यमिक विद्यालय —

1. रा उ. मा. वि. बेगूं
2. रा. उ. मा. वि. रावतभाटा
3. रा. उ. मा. वि. भैंसरोडगढ़

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची)

सूची "क"

माह फरवरी 1984 के अन्त तक पंचायत समिति सज्जनगढ़ के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	टोडा मंगला	23/5/25	21.	काबडिया	23/5/9
2.	राठ घनराज	38	22.	धाटिया	10
3.	सज्जनगढ़	40	23.	महूरी	13
4.	टंडा रतना	41	24.	वाजना अम्बा	5
5.	रोहेनिया लक्ष्मण सिंह	45	25.	गोदावाडा नारेंग	18
			26.	अधोरिया	42
6.	भूरा कुआ	63	27.	ईटाला	72
7.	टिडिया देव	66	28.	झकोडिया भोदर	36
8.	डूंगरखुर्द	133	29.	झकोडियानाथ	47
9.	ताम्बेसरा	94	30.	खून्डनीहाला	48
10.	डूंगराकलां	140	31.	खुण्डली रूपा	35
11.	तांसा वडला	181	32.	गोरा	51
12.	बागोल	180	33.	लसोडिया	37
13.	रोहनिया रामसिंह	44	34.	हरेन्द्रगढ़	135
14.	शंकरबाडा	6	35.	लोहरिया छोटा	127
15.	अन्देश्वर	74	36.	सिमेला	64
16.	खेरिया	67	37.	वावला पाडा	141
17.	सागवा	20	38.	भाटवडला	39
18.	टिम्बा महुडी	43	39.	नवागांव	65
19.	टोडी कालू	24	40.	ओसरा	95
20.	पाडला मोखा	80	41.	खूटां जीवा	31

1	2	3	1	2	3
42.	सानी डूंगरी	23/5/68	47.	टोडी	23/5/97
43.	खरोड चतरा	60	48.	कसुम्बा	93
44.	कालियां	146	49.	चोर परनाला	91
45.	भडवेल	27	50.	झामरी	89
46.	कुन्डा	145	51.	पातापुर	90

सूची "ख"

पंचायत समिति सज्जनगढ़ के स्वीकृत पोटेन्शियल ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं
1.	मछारपाडा	23/5/157	17.	चिया-का-साथ	162
2.	गोयका–बारिया साथ	155	18.	महूरी	244
			19.	मासका खुर्द	243
3.	पोटरिया	161	20.	कासरवाडी	317
4.	कुशलीपाडा	158	21.	हसका कलां	252
5.	पावदा साथ	156	22.	डूंठी	251
6.	जालमपुरा	151	23.	टोंडी	316
7.	रोहनिया	150	24.	काचांला	318
8.	पन्डवाल ओकार	148	25.	सादरियां	335
9.	रोहनिया माना	149	26.	कराई	315
10.	रूपगढ़	160	27.	बगीचा	338
11.	टान्डी खुर्द	246	28.	कावा-की-चां	339
12.	टान्डी कलां	247	29.	वोचरडा	328
13.	गोयका-पारगी-साथ	153	30.	मुनिया का खूटा	324
14.	किशनपाडा	132	31.	बगेरी	325
15.	मालपाडा	168	32.	बिछावडा	85
16.	विया पाडा	242	33.	धारकी	88

1	2	3	1	2	3
34.	वाल्दिया	23/5/87	42.	पाली खुर्द 120	23/5/120
35.	धारकी	86	43.	चरकली	121
36.	बिलरा	84	44.	बगायचा	125
37.	रांगी	96	45.	पाली कलां	122
38.	रूपखेड़ा	122	46.	रूपा पाडा	126
39.	चोखी डूंगरी	98	47.	भूरी पाडा	165
40.	मगरदा माछरा साथ	96	48.	मोटा पाडा	131
41.	मगरदा दामरा साथ	100	49.	सुखेदा	124

सूची "ग"

पंचायत समिति सज्जनगढ़ की स्वीकृत योजना में सम्मिलित नान–पोटेन्शियल ग्रामों की सूची

क्र. सं	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	गराडिया	23/5/1	15.	बीजलपुर हलिया	23/5/22
2.	सेबानिया	2	16.	बीजलपुरा मालिया	23
3.	कुमकी	3	17.	भीलकुआ	26
4.	खूंटा कलां	4	18.	गोदावाडा मानजी	28
5.	झगोला	7	19.	मान्डलीनानी	29
6.	छनावाला	8	20.	मान्डली मोटा	30
7.	हेजा भावजी	11	21.	सेमला खेडा	32
8.	जीराकोट	12	22.	मिराना	33
9.	अम्बा	14	23.	मईयाबट	34
10.	भूरा दोह	15	24.	बडाऊ धूलिया	46
11.	मातिया	16	25.	गणेशपुरा	49
12.	हेजा मोगजी	17	26.	सामलासेर	50
13.	महूरिया वेजा	19	27.	महूरिया नाघ	52
14.	भूरी वाटो	21	28.	मारखेमजी	53

1	2	3	1	2	3
29.	झलकिया	23/5/54	58.	सरसियापाडा	23/5/144
30.	कुम्भपुरा	55	59.	पन्डवाल लूमजी	247
31.	कालाखेत	56	60.	गोलामार	152
32.	खूटा रत्ना	57	61.	वन्का खूट	154
33.	खूटा चतरा	58	62.	खूटा रूपजो	159
34.	सम्भुपुरा	59	63.	वादलीपाडा	163
35.	बडाऊ नाथा	61	64.	भाण्डारिया	164
36.	वासरी पाडा	62	65.	गरिया की टोडी	166
37.	दुर्जनिया	69	66.	रेगनिया	167
38.	माचा	70	67.	चिया का खूंटा	245
39.	मोलन	71	68.	छोटिया	248
40.	चूनाखां	73	69.	तलाईपाडा	249
41.	हाडेला	75	70.	भीमखोरा	250
42.	जोगडीमाता	76	71.	भोजराज जूनी	319
43.	भामली	77	72.	भोजराज नई	320
44.	पाडला वकिया	78	73.	सालोन	321
45.	खानडीदेरी	79	74.	घोरवाडा	322
46.	वोर भाटेर	81	75.	चक घोरवाडा	323
47.	वाला सिन्दूर	82	76.	गुन्डीकलां	326
48.	पाडला कोतरा	83	77.	गुन्डी खुर्द	327
49.	जसपुरा	92	78.	ईमली झरणा	329
50.	मागरदा खतेला साथ	101	79.	चोरा कलां	330
51.	सोनजीपाडा	134	80.	वोरकुन्डा	331
52.	चितोडा खालसा	136	81.	चोरा खुर्द	332
53.	कडाईमाल	137	82.	सतसेरा खुर्द	333
54.	चितोडामोती	138	83.	सातसेरा कलां	334
55.	भातखेडी	139	84.	कोईडावन	336
56.	दामा साथ	142	85.	हिम्मतगढ़	337
57.	चोटी फिटोडी	143	86.	फूलपुरी	340

(408)

वर्ष 1983–84 के विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायत समिति सज्जनगढ़ के सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विवरण
1.	कुन्डा	23/5/45	विद्युतीकरण
2.	टोडी	97	,,
3.	कसुम्बा	93	,,
4.	चोर परनाला	91	,,
5.	झामरी	89	,,
6.	पतापुरा	90	,,
7.	बिच्छीवाड़ा	85	कार्य प्रगति पर है।
8.	बालदिया	87	,,
9.	घारकी	88	,,
10.	घारकी	86	,,

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 212 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 1983 में माह जनवरी से माह दिसम्बर तक बाड़मेर के स्थानीय पावर हाउस में चालू डीजल इंजन के चलने का विवरण

क्रम संख्या	माह	दिनांक	घन्टे
1	2	3	4
1.	जनवरी '83	5–1–83	5.45
		6–1–83	4.35
		12–1–83	3.10
		13–1–83	0.35
		15–1–83	0.30
		19–1–83	7.15
		20–1–83	0.20
	योग—	7 दिन	22.10
2.	फरवरी 83	9–2–83	2.45
		10–2–83	1.15
		11–2–83	4.15
		13–2–83	2.50
		14–2–83	1.55
		28–2–83	0.35
	योग—	6 दिन	13.35

610

1	2	3	4
3.	मार्च 83	5–3–83	2.55
		9–3–83	7.05
		16–3–83	3.45
		23–3–83	0.35
		31–3–83	0.55
	योग—	5 दिन	15.15
4.	अप्रेल 83	16–4–83	2.28
	योग—	1 दिन	2.28
5.	मई 83	13–5–83	0.55
		19–5–83	4.40
	योग—	2 दिन	5.35
6.	जून 83	22–6–83	0.20
	योग—	1 दिन	0.20
7.	जुलाई 83	4–7–83	1.30
		20–7–83	4.00
		21–7–83	1.10
	योग—	3 दिन	6.40

(411)

1	2	3	4
8.	अगस्त 83	—	—
9.	सितम्बर 83	—	—
10.	अक्टूबर 83	—	—
11.	नवम्बर 83	4-11-83	4.30
		24-11-83	2.15
	योग—	2 दिन	6.45
12.	दिसम्बर 83	27-12-83	6.45
	योग—	1 दिन	6.45
	कुल योग—	28 दिन	79.33 घन्टे

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची)

सूची "अ"

132 के. वी. ग्रिड उप-चौकी नागौर पर निर्माण कार्यों का विवरण

क. सं.	कार्य का नाम	कान्ट्रेक्टर का नाम	आदेश की तिथि	राशि
1	2	3	4	5
	आवासीय भवनों का निर्माण कार्य:–			
1.	"ई" नमूने का क्वार्टर (एक नं.)	मैसर्स ज्वाला श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. जोधपुर	20.7.82	1,26108.90
2.	"एफ" नमूने के क्वार्टर (चार नं.)	,, ,,	20.7.82	2,29209.78
3.	"जी" नमूने के क्वार्टर (छः नं)	,, ,,	20.7.82	3,29572.70
4.	"जी" नमूने के क्वार्टरों में सैनेट्री फिटिंग का कार्य	,, ,,	20.10.83	36333.72
5.	"एच" नमूने के क्वार्टर (आठ नं.)	,, ,,	20.7.82	2,83599.46
6.	"एच" नमूने के क्वार्टरों में सैनेट्री फिटिंग का कार्य	,, ,,	22.10.83	42,503.35
7.	"एच" नमूने के क्वार्टरों के दरवाजों हेतु जैड सैक्शन का कार्य	,, ,,	29.7.83	8868.00
	गैर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य			
1.	नियन्त्रण कक्ष	,, ,,	20.7.82	3,67399.32
2.	वर्क शाप लेबोरेटरी	,, ,,	27.3.82	1,14341.36

1	2	3	4	5
3.	स्टोर शेड का कार्य	मैसर्स ज्वाला श्रमिक ठेका सहकारी समिति, लि. जोधपुर	27.3.82	1,04412.95
4.	अस्थाई स्टोर शेड का निर्माण	मैसर्स हाजी मोहम्मद नागौर	23.12.82	47080.00
5.	मोटर गैरेज	मैसर्स ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	15.4.82	34000.77
6.	चारदीवारी का निर्माण	,, ,,	27.3.82	1,02052.24
7.	एन्टी क्लाईम्बिंग वायर फैंसीग	,, ,,	6.8.82	1,48348.73
8.	कैबिल ट्रेन्च	,, ,,	27.3.82	54919.00
9.	टंकी का निर्माण कार्य	मैसर्स श्री चन्द वर्मा जयपुर	7.1.83	84444.00
10.	सड़क का निर्माण कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	14.4.82	1,11281.80
11.	नियन्त्रण कक्ष में मोनाटेक्स लगाने का कार्य	मै. राहुल एण्ड सन्स, जोधपुर	20.1.84	19600.00
12.	श्रमिक दर पर फाउन्डेशन का कार्य	मै. ज्वाला श्र. श्रे. स. स. लि. जोधपुर	20.3.82	34500.00
13.	श्रमिक दर पर फाउन्डेशन का कार्य	मै. रमजान अली मेड़ता सिटी	16.9.82	27000.00
14.	श्रमिक दर पर फाउन्डेशन का कार्य	मै. सोमदत्त शर्मा अजमेर	8.9.82	7344.00
15.	बजरी सप्लाई का कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	20.3.82	12250.00

1	2	3	4	5
16.	बजरी सप्लाई का कार्य	मै. रमजान अली मेड़ता सिटी	4.9.82	5310.00
17.	बजरी सप्लाई का कार्य	,, ,,	18.9.82	9450.00
18.	पाइप लाइन का कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	14.11.83	87538.30
19.	केबिल ट्रेंचेज के कवर्स का कार्य	मै. उपकार श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	28.8.83	16770.00
20.	नियन्त्रक कक्ष में स्टील की फ्रेम बनाने का कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	28.2.83	5268.00
21.	विश्राम गृह का कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	20.7.82	3,47759.94
22.	सप्लाई आफ ग्रिट 1/2" से 3/4"	श्री अब्दुल जब्बार	20.3.82	39375:00
23.	खुले कुए का निर्माण	मै. हाजी मोहम्मद लाल मोहम्मद	25.5.83	83362.11
24.	"जी" नमूने के क्वार्टरों के स्टील दरवाजों का कार्य	मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर	29.7.83	8985.00
25.	पम्प रूम का निर्माण कार्य	,, ,,	6.8.83	11555.51
26.	वर्क शाप लेबोरेटरी	मै. देवकिशन पंवार	16.9.82	1,14305.33
27.	स्टोर शैड का कार्य	,, ,,	16.9.82	1,01527.56

1	2	3	4	5
28.	चारदीवारी का निर्माण	मै. देवकिशन पंवार	16.9.82	1,02013.10
29.	एन्टीकलाईम्बिग वाम फेंसिग	,, ,,	16.9.82	1,48300.74
30.	सड़क निर्माण का कार्य	,, ,,	16.9.82	1,11606.67
31.	केबिल ट्रेन्चेंज	,, ,,	16.9.82	54899.13
32.	मोटर गैरेज का कार्य	मैसर्स हाजी मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद	16.9.82	33600.00

टिप्पणी:–उपरोक्त गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों में से क्र. सं. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, एवं 15 का कार्य मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि. जोधपुर द्वारा समय पर शुरू न करने से दुबारा टेण्डर करके अन्य ठेकेदारों को आदेश क्र. सं. 26, 27, 32, 28, 29, 30, 31, 13 एवं 16 क्रमशः द्वारा प्रदान किये गये थे. परन्तु न्यायालय विवादों के कारण से कार्य फिर से क्र. सं. 6, 10, 12 एवं 15 को छोड़कर मै. ज्वाला श्र. ठे. स. स. लि., जोधपुर को ही संपादित हेतु दिये गये तथा 6, 10, 12 एवं 15 को अन्य ठेकेदारों द्वारा क्र. सं. 28, 30, 13 एवं 16 के तहत पूर्ण करवाये हैं । जिनमें से क्र. सं. 28 एवं 30 अभी भूमि पर विवाद होने के कारण शुरू नहीं कराये जा सके । विद्युत मण्डल को उपरोक्त कार्यों के लिये 58 बीघा भूमि मिली थी जिसमें से 30 बीघा भूमि पर अभी भी विवाद चल रहा है ।

416

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 217 की सूची)

सहायक अभियन्ता (एल. डी./ग्रा. वि./निर्माण) रा. रा. वि. मण्डल, प्रतापगढ़ एवं अरनोद को वर्ष 82–83 में एवं 83–84 में (फरवरी 84 तक) दी गई सामग्री का विवरण :–

क्र. सं	सामग्री का नाम	वर्ष 82–83 में दी गई सामग्री स. अ. (एल. डी.) प्रतापगढ़	स. अ. (ग्रा. वि.) प्रतापगढ़	स. अ. (निर्माण) अरनोद	योग	वर्ष 83–84 (फरवरी तक) दी गई सामग्री स. अ. (एल. डी.) प्रतापगढ़	स. अ. (ग्रा. वि.) प्रतापगढ़	स. अ (निर्माण) अरनोद	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आर. एस. जोईस्ट 116×100 एम. एम.	एम. टी. 10	–	–	10	–	–	–	–
2.	एम. एस. एंगल 100×50×6	,, 3.778	3.928	2.989	10.695	0.525	0.945	1.433	2.903
3.	एम. एस. ऐंगल 65×65×6	,, 2.427	2.498	2.576	7.501	2.161	0.812	0.823	3.796

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.	एम. एस. एंगल 50×50×6	,,	4.784	2.840	1.600	9.224	0.100	0.749	–	0.849
5.	एम. एस. प्लेट 75×75×6	,,	1.461	2.974	1.842	6.277	–	–	–	–
6.	सिंगल फेस मीटर्स 2.5-5 एम्पीयर	नं.	367	100	50	517	50	–	[illegible]	50
7.	थ्री फेस फोर वायर मीटर्स 10 एम्पीयर	नं.	115	33	35	183	30	5	10	45
8.	सिंगल फेस मीटर्स 5–10 एम्पीयर	नं.	100	170	–	270	240	175	75	90
9.	थ्री फेस फोर वायर मीटर्स, 30 एम्पीयर	नं.	75	50	30	155	33	60	–	93
10.	एम. एस. प्लेट 50×6	नं.	1.593	0.100	–	1.693	2.152	0.228	0.493	2.873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	पी. वी. सी. वायर टी. आई. सी. 2.5 एम्पीयर 660	–	–	–	–	7	4	10	21
12.	पी. वी. सी. वायर 4 कोर 6/16 एम. एम. 660 वो. कोइल्स	7	1	–	8	5	2	–	7
13.	11/0.4 के. वो. ट्रांसफार्मर्स 63/100 के वी. ए.	नं. 2	–	3	5	3	8	8	19
14.	11/0.4 के. वो. ट्रांसफार्मर्स, 25 के. वी. ए.	नं. 9	6	13	28	3	!	1	5
15.	ए. सी. एस. आर. वीजल कन्डक्टर	कि. मी. 7.891	44.111	55.728	117.730	12.524	–	6.154	18.678
16	ए. सी. एस. आर. स्कवैयरल कन्डक्टर	,, 47.959	27.120	35.620	110.699	28.712	26.846	52.139	107.697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	ए.एसी. ग्रान्ट कन्ड.स्कवैयरल	46.249	24.410	–	70.659	13.038	17.875	–	30.913
18.	ए. ए. सी. नेट कन्ड. ,,	46.117	47.533	33.100	126.810	14.965	30.498	44.426	89.889
19.	11 सेवी पीन इन्सू.	नं. 685	730	804	2219	265	224	260	749
20.	11 के. वी. डिस्क. वी./एस. टाईप ,,	6	–	–	6	24	16	–	40
21.	11 के. वी. डिस्क. टी. एण्ड सी. टाईप ,,	126	96	220	442	99	63	48	210
22.	एल. टी. पीन इन्सू. ,,	1420	1300	900	3620	200	250	100	550
23.	एल. टी. शेकल. इन्सू. ,,	760	500	280	1540	230	928	176	1334
24.	11 के. वी. पीन्स ग्रोनली ,,	719	560	1309	2588	319	180	300	799
25.	11 के, वी. डिस्क. एच./डब्ल्यू. सेट्स वी. एण्ड एस. टाईप ,,	50	50	–	100	–	–	–	–

1	2		3	4	5	6	7	8	9.	10
26.	11 के. वी. डिस्क. एच./डब्ल्यू. टी. एण्ड सी.	नं.	90	66	336	492	36	66	30	132
27.	एल. टी. पीन्स ग्रोनली	नं.	444	600	800	1844	550	900	500	1950
28.	एल. टी. एच./डब्ल्यू सेट्स	,,	–	400	116	516	150	528	120	798
29.	11 के. वी./400 एम्पीयर जी. ओ. स्वीच डब्ल्यू/ग्रो. जी. बो.	,,	14	12	9	35	–	4	–	4
30.	जी. आई. वायर 6 एम. डब्ल्यू. जी.	मे.टन	–	1.564	0.500	2.064	–	–	–	–
31.	जी. ग्राई. वायर 6 एस. डब्ल्यू. जी.	मे.ट.	0.735	2.391	0.457	3.583	1.375	0.390	1.260	3.025
32.	जी. आई. वायर 10 एस. डब्ल्यू. जी.	,,	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	जी. आई. स्टे वायर 7/8 एस. डब्ल्यू. जी.	मी. टन –	–	1.025	1.025	–	–	–	–
34.	जी. आई. स्टे वायर 7/10 एस. डब्ल्यू. जी.	,, 1.022	0.644	1.549	3.215	1.125	0.880	0.480	2.485
35.	जी. आई. स्टे सेट्स $6' \times \frac{3}{4}''$	,, 41	95	20	156	34	19	–	53
36.	उपरोक्त 6'×5/8"	,, 225	215	267	707	138	18	20	176
37.	सीमेन्ट बैग्स	नं. 30	25	–	55	17	18	30	65
38.	11 के. वी. डी. ओ. फ्यूज सेट्स	,, 3	12	24	39	–	–	–	–

[redacted]

४२२

परिशिष्ट 15

(अतारंकित प्रश्न सं. 220 की सूची)

क्रम संख्या	जिला मुख्यालय की पालिका/परिषद्	निर्वाचित मण्डल की कार्य अवधि	प्रशासक की कार्य अवधि
1.	2	3	4
1.	पाली	12.6.61 से 20.6.69 30.11.70 से 11.12.73	1.1.60 से 12.6.61 21.6.69 से 30.11.70 12.12.73 से अब तब
2.	नागौर	1958 से 3.7.62 28.1.64 से जनवरी 67 12.11.70 से 10.12.73 17.2.82 से अब तक	4.7.62 से 27.1.64 1967 से 11.11.70 11.12.73 से 16.2.82
3.	जालोर	1.1.60 से 24.10.60 25.12.61 से 25.12.64 21.6.66 से 20.6.69 10.10.70 से 11.12.73 21.8.76 से 5.8.77 15.2.82 से ग्रब तक	26.12.64 से 20.6.66 21.6.69 से 19.10.70 12.12.73 से 20.8.76 6.8.77 से 14.2 82
4.	बाड़मेर	1960 से 30.9.61 1.2.64 से 24.1.67 24.3.73 से 23.3.76 16.2.82 से अब तक	1.10.61 से 31.1.64 25.1.67 से 23.3.73 24.3.76 से 15.2.82
5.	जोधपुर	17.6.58 से 31.12.61 25.1.64 से 23.1.67 25.6.71 से 24.6.74 18.2.82 से अब तक	1.1.62 में 25.1.64 25.1.67 से 24.6.71 25.6.74 से 18.2.82

1	2	3	4
6.	चित्तौड़गढ़	1960 से 8.4.63	9.4.63 से 30.1.64
		31.1.64 से 23.1.67	24.1.67 से 17.7.71
		16.7.71 से 14.7.74	15.7.74 से 22.8.76
		23.8.76 से 5.8.77	6.8.77 से अब तक
7.	जयपुर	10.11.61 से 27.4.62	17.10.59 से 10.11
		12.6,62 से 7.3.63	7.4.63 से 24.1.64
		24.1.64 से 23.1.67	24.1.67 से 11 11.70
		12.11.70 से 6.1.71	11.12.73 से अब तक
		21.6 71 से 10.12.73	
8.	जैसलमेर	1960 से 20.6.69	21.6.69 से 13.11.70
		14.11.70 से 10 12.73	11.12.73 से 20.8.76
		21.8.76 से 6 8.77	7.8.77 से 30.11.83
			1.12.83 से नोटिफाइड घोषित।
9.	सीकर	1960 से 20.6.69	20.6.69 से 14.11.70
		15.11.70 से 10.12.73	11.12.73 से अब तक
10.	भीलवाड़ा	1.1.60 से 31.3.62	1.4.62 से 24.1.64
		25.1.64 से 24.1.67	24.1.67 से 20.10.72
		21.10.72 से 20.10.75	20.10.75 से 30.9.79
			26.3.81 से अब तक
11.	चूरू	10.6.59 से 12.6.62	13.6.62 से 24.1.64
		25.1.64 से 23.1.67	24.1.67 से 12.11.70
		13.11.70 से 12.11 73	13.11.73 से अब तक
12.	भरतपुर	1.1.60 से 14.7.62	15.7.62 से 24.1.64

1	2	3	4
		25.1.64 से 24.1.67	25.1.67 से 11.11.70
		12.11.70 से 11.12.73	11.12.73 से अब तक
13.	झालावाड़	3.9.57 से 26.9.65	27.3.65 से 21.6.66
		22.6.66 से 20.6.69	21.6.69 से 18.2.70
		19.2.70 से 18.12.73	19.12.73 से 22.8.76
		23.8.76 से 5.8.77	6.8.77 से 18.2.82
		19.2 82 से अब तक	
14.	सिरोही	19.9.58 से 20.6.69	20.6.69 से 11.11.70
		12.11.70 से 12.12.73	13.12.73 से 21.8.76
		21.8.76 से 5.8.77	6.8.77 से 18.2.82
		19.2.82 से अब तक	
15.	बून्दी	27.12.59 से 5.12.61	6.12.61 से 18.7.63
		19.7.63 से 24.1.67	25.1.67 से 14.11.70
		15.11.70 से 23.11.72	12 12.73 से 20.8.76
		21.8.76 से 5.8.77	6.8.77 से 17.2.82
		18.2.82 से अब तक	
16.	धौलपुर	1.1.60 से 31.12.62	31.12.62 से 24.1.64
		24.1.64 से 27.1.67	27.1.67 से 12 11.70
		12.11.70 से 11.12.73	11.12.73 से 21.8.76
		21.8.76 से 6.8.77	6.8.77 से 16.2.82
		16.2.82 से अब तक	
17.	अलवर	1960 से 20.6.69	21.6.69 से 11.11.70
		12.11.70 से 10.12.73	11.12.73 से अब तक।
18.	बांसवाड़ा	9.2.58 से 31.3.65	1.4.65 से 20.1.66

425

1	2	3	4
		21.1.66 से 20.6.69	21.6.69 से 11.1.70
		12.1.70 से 10.12.73	11.12.73 से 27.10.76
		28.10.76 से 6.8.77	7.8.77 से 16.2.82
		17.2.82 से अब तक	
19.	कोटा	16.4.61 से 11.5.64	21 11.59 से 15.5.61
		21.6.66 से 20.6.69	12.5.64 से 20.6.66
		12.11.70 से 11.12.73	21.6.69 से 11.11.70
			12.12.73 से अब तक
20.	अजमेर	1960 से 31.1.61	1.2.61 से 24.1.64
		25.1.64 से 22.1.67	23.1.67 से 12.11.70
		13.11.70 से 10.12.73	11.12.73 से अब तक
21.	झुन्झुनू	1960 से 31.3.64	1.4.64 से 12.11.70
		13.11.70 से 11.12.73	12.12.73 से अब तक
22.	गंगानगर	24.1.64 से 1.2.67	29.12.59 से 24.1.64
		12.11.70 से 10.12.73	2.2.67 से 12.11.70
			11.12.73 से अब तक
23.	डूंगरपुर	1960 से 19.9.61	20.9.61 से 29.1.64
		30.1.64 से 26.1.67	27.1.67 से 12.11.70
		13.11.70 से 10.12.73	11.12.73 से 20.8.76
		21.8.76 से 6.8.77	7.8.77 से 19.2.82
		20.2.82 से अब तक	
24.	बीकानेर	18.5.57 से 30.6.61	1.7.61 से [illegible] 11.70
		25.1.64 से 24.1.67	24.1.[illegible] से अब तक
		12.11.70 से 10.2 73	1[illegible]

1	2	3	4
25.	उदयपुर	3.6.57 से 16.5.60 8.10.60 से 19.8.62 24.1.64 से 23.1.67 14.11.70 से 10.12.73	20.8.62 से 24.1.64 23.1.67 से 14.11.70 11.12.73 से अब तक ।
26.	टोंक	1960 से 9.8.60 28.2.61 से 21.12.64 21.6.66 से 21.6.69 19.12.70 से 20.12.73	9.8.60 से 28.2.61 21.12.64 से 21.6.66 21.6.69 19.12.70 20.12.73 से अब तक ।
27.	सवाईमाधोपुर	1960 से 5.8.83 3.2.64 से 24.1.67 12.11.70 से 10.12.73	6.8.63 से 2.2.64 1.4.68 से 11.11.70 11.12.73 से अब तक ।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जैसलमेर जिले के उन मार्गों की सूची जिन पर विशेष पथ कर लागू होने से पूर्व बस सेवा उपलब्ध थी :–

1. जैसलमेर–दवडी (समढाणी तक)
2. जैसलमेर से शिव (चेलक तक)
3. जैसलमेर से साधना (तेजपाला तक)
4. जैसलमेर से रामगढ़–सग
5. जैसलमेर से खुईयाला,
6. जैसलमेर से नेडाई
7. जैसलमेर से नीमला
8. जैसलमेर से शिव (वाया मियाजलर) (गिरावतक)
9. रामदेबरा–बाडमेर
10. पोखरन–नाचना
11. पोखरन बोनाडा
12. पोखरन–शेरगढ़ वाबा

परिशिष्ट "ब"

जैसलमेर जिले के उन मार्गों की सूची जिन पर कुछ समय के लिये बस सेवायें बन्द हुई थी :–

	मार्ग का नाम	बस सेवा बन्द रहने की अवधि	वर्तमान स्थिति
1.	जैसलमेर–शिव (वाया मियाजलर)	दि. 1.7.83 से 23.1.84	बस सेवा चालू है।
2.	जैसलमेर–शिव (वाया चेलक)	दि. 9.1.84 से 3.2.84	,,
3.	जैसलमेर से नेडाई	दि. 12.1.84 से 1.3.84	,,
4.	जैसलमेर से दवड़ी (समढाणी तक)	दि. 9 1.84 से 3.2.84	,,
5.	जैसलमेर से साधना	दि. 13.1.84 से अब तक	यथा शीघ्र बस सेवा चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।